

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

राजस्थान की अर्थव्यवस्था (ECONOMY OF RAJASTHAN)

राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्वीकृत पाठ्यपुस्तक
(राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष
(अर्थशास्त्र), 1994 के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार)

लेखक

लक्ष्मीनारायण नाथूरामका
पूर्व रीडर, अर्थशास्त्र-विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

पचम सशोधित संस्करण

CBH

कॉलेज बुक हाउस
चौडा रास्ता, जयपुर ।

प्रकाशक :

हर्षवर्धन जैन

कॉलेज बुक हाउस,

धौड़ा रास्ता, जयपुर-3

फोन - 42750

फायर्स फोन 568763

पंचम पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित संस्करण सत्र : 1993-94

मूल्य . 65.00

लेजर टाइप सेटिंग .

सिस्टेमैटिक्स 13 न्यू कॉलोनी जयपुर

मुद्रक

. लोमस आफसेट प्रेस, दिल्ली ।

अर्थशास्त्र

पाँचवें संस्करण की भूमिका

पुस्तक के पाँचवें संस्करण में राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों के प्रथम वर्ष कला (अर्थशास्त्र) के 1994 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयों का क्रमबद्ध विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें संस्करण की प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर यथास्थान नये आँकड़े नवीनतम स्रोतों (latest sources) से जोड़ दिये गये हैं पुरानी सामग्री, जो अनुपयोगी हो गई है उसे हटा दिया गया है और आवश्यकतानुसार कई स्थलों पर नये खण्ड जोड़े गये हैं। जनसंख्या के अध्याय में सशोधित आँकड़े Census of India 1991, Rajasthan, Facts From Figures से दिये गये हैं जो Directorate of census operations, Rajasthan ने 1993 के आरम्भ में उपलब्ध किये हैं। इससे इस अध्याय की लगभग सभी तालिकाएँ प्रभावित हुई हैं जिसका सभी पाठकों का ध्यान रहे।

वस्तुनिष्ठ व तापु प्रश्नोत्तरो की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है ताकि RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक मात्रा में नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो सके।

राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के प्रश्न सम्बन्धित अध्यायों के अंत में दिये गये हैं एवं 1993 के प्रश्न पुस्तक के अंत में जोड़ दिये गये हैं। प्रत्येक अध्याय की विषय-वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ताकि प्रश्नों के उत्तर छोटने में कठिनाई न हो।

जिन स्रोतों से ताजा आंकड़े व नई सामग्री संकलित की गई है उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं - Statistical Abstract of Rajasthan, 1989, Some Facts About Rajasthan, 1992 (pocket size), Report on ASI, Rajasthan 1986 87 (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक विश्लेषण के लिए) (तीनों प्रकाशन DES, जयपुर से) Explanatory Memorandum on the Budget of the Government of Rajasthan for 1993 94, March 1993 (राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण मार्च 1993 में ससद में प्रस्तुत) Draft Annual Plan, 1993 94 तथा Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990 2000 AD (दोनों योजना-विभाग के प्रकाशन) Public Enterprises Profile 1990 91 (BPE, State Enterprises Department, Jaipur), Statistical Outline of India 1992-93 (Tata Services Ltd) (October 1992) एवं Economic Survey 1992 93 (विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक आँकड़ों के लिए)।

राज्य के बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य की सुनिश्चित व नवीनतम

जानकारी के लिए रीको के मासिक न्यूजलैटर्स व वार्षिक रिपोर्टों का गहराई में उपयोग किया गया है। इन्हों के आधार पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का औद्योगिक क्षेत्र में योगदान जानने का प्रयास किया गया है। राज्य में विकास केन्द्रों (Growth Centres) व औद्योगिक क्षेत्रों (industrial areas) की ताजा प्रगति का यथस्थान उल्लेख किया गया है।

आशा है नवीनतम तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण यह संस्करण विद्यार्थियों को राजस्थान की अर्थज्यवस्था के विविध आयामों व पहलुओं को समझने में ज्यादा मदद देगा।

मैं उन प्राध्यपकों व अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस रचना को अधिक उपयोग्य बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिये हैं। उनके आधार पर ही विभिन्न अध्यायों की सामग्री को अधिक सरल अधिक सुस्पष्ट व अधिक क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

इस रचना के प्रकाशक श्री हर्षवर्धन जैन व श्री मनीष जैन भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अल्प समय में इसके सर्वोत्तम प्रकाशन का भरसक प्रयास किया है।

सभी पाठकों से निवेदन है कि वे पुस्तक की त्रुटियों व कमियों को बतलाने का कष्ट करें ताकि उन्हें दूर करके रचना को अधिक प्रामाणिक व अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

लक्ष्मीनारायण नाथुरामका

बी 17 ए, चौमू हाउस कॉलोनी

'सी'स्कीम जयपुर।

फोन 381361

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

B.A Part I & II

Economics Paper II, Examination 1994

ECONOMY OF RAJASTHAN

(Syllabus)

Section-A

Position of Rajasthan in Indian Economy Population Area Agriculture Industry and Infrastructure Relative Position in comparison to other states

Population Size and growth District wise distribution of rural and urban population, Occupational Structure and Human Resource Development (Literacy health and nutrition) indicators

Natural Resource Endowments Land, water livestock and minerals

State Domestic Product total and per capita Trends and structure of SDP

Agriculture Land utilization, Cropping pattern, major crops, **Animal Husbandry** Importance of live stock and animal husbandry in arid and semi arid regions

Industries Share of industries in total SDP and total employment Main features of industrial sector size commodity structure and regional spread. Small scale industries and handicrafts

Section-B

Land reforms abolition of jagirdari and other intermediary land tenures. Rajasthan Tenancy Act Distribution of land and problems of share cropping, tenancy and ceilings on land

Agricultural development since 1956

Development of animal husbandry Dairry development programme Problems of sheep and goat husbandry Famines and recurring drought, short term and drought management strategies

Industrial policy fiscal and financial incentives development of growth centres Industrial area development Role of RFC, RIICO and RAJSICO in industrial development

Tourism development its role in the economy of the state Prospects and problems

Section-C

Economic Planning in Rajasthan Objectives and achievements

Infrastructure development irrigation, power and roads.
Constraints in the agricultural and industrial development of the state and measures to overcome them

State Budgetary trends and state finances Finance commissions and Rajasthan Plan financing Gadgil formula Rajasthan's share in plan resources.

Concept of Poverty line and estimated poverty population Special programmes for poverty alleviation and employment generation IRDP and JRY

Special Area Programme DPAP, desert development, Tribal area and Aravalli Development

Suggested Readings

Nathuramka L.N Rajasthan ka Niyojit Vikas Jaipur, चरित्रित नाम
राजस्थान की अर्थव्यवस्था।

MDS University, AJMER
B.A (Part-I) Examination, 1993
ECONOMICS

SYLLABUS Paper II Economy of Rajasthan

3 Hours duration

Max. Marks 100

Note In this question paper nine questions will be set three questions from each section Candidates have to answer five questions in all taking atleast one question from each section

Section A

An introduction of basic characteristics of Rajasthan vis a vis Indian Economy as a developing country. Position of Rajasthan in Indian Economy Population, Area Agriculture Industry & Infrastructure Population Size & Growth, Districtwise distribution of Rural & Urban Population, Occupational structure & human resource development (Literacy health & nutrition) indicators Natural Resource Endowments Land, Water Livestock, forest & Minerals State Domestic Product, Total & per capita, trends & structure of S D P

Section B

Agriculture— Land utilisation major crop cropping pattern Land reforms Rajasthan Tenancy Act Ceiling on land and distribution of land.

Agricultural Strategy—Famines and Droughts, Short and Long term Drought Managements

Animal Husbandry—Importance of Livestock Dairy Development Programmes Problems of Sheep and Goat Husbandry

Irrigation and power infrastructure in the state

Environmental Pollution and the problems of sustainable development— Global, National and state perspective (Basic Issues only)

Section-C

Level of Industrial development in the State Share of Industries in total SDP and employment generation

Regional variation in industrial development of the State, Small Scale industries and handicrafts.

Industrial Policy— Fiscal and financial incentives. Growth centres and the development of industrial areas.

Tourism Development— Rajasthan—objectives and achievements, constraints in the economic development of Rajasthan

Special Area Programmes— D.P.A.P., Desert Development, Tribal Area and Aravalli Dev I R D P

□□□

विषय-सूची

खण्ड (अ)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति . 1-16
 (Position of Rajasthan in Indian Economy)
 जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की सापेक्ष स्थिति।
2. जनसंख्या (Population) 17-33
 1991 के सशोधित आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का आकार व वृद्धि, जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का वितरण, श्रम-शक्ति का व्यावसायिक बँटव, मानवीय साधनों का विकास, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचक।
3. प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशु-धन और खनिज-पदार्थ 34-61.
 (Natural Resources: Land, Water, Livestock and Minerals)
4. राज्य घरेलू उत्पाद (State Domestic Product) 62-77
 कुल व प्रति व्यक्ति आय, प्रवृत्तियाँ व राज्य घरेलू उत्पाद का ढाँचा (Structure of SDP) अथवा क्षेत्रवार अंशदान।
5. कृषि (Agriculture) 78-94
 भूमि का उपयोग, फसलों का प्रारूप व प्रमुख फसलें, पशु-पालन पशु व पशु पालन का शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में महत्त्व।
6. उद्योग (Industries) 95-128
 उद्योगों का कुल राज्याय घरेलू उत्पाद तथा रोजगार में अंश, औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण-आकार, वस्तुगत ढाँचा (Commodity structure) व प्रादेशिक या जिलेवार फैलाव, राज्य के प्रमुख-उद्योग व उद्योग-क्षेत्रों का विकास, प्रमुख-उद्योगों के पैमाने के उद्योग।
7. राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 129-140
 (Public Enterprises in Rajasthan)
 केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम, राजस्थान के सार्वजनिक

उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों का ढाँचा, वित्तीय कार्यसिद्धि, कमजोर वित्तीय दशा के कारण-राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण, सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव, निष्कर्ष।

खण्ड (ब)

- | | |
|--|---------|
| 8. भूमि-सुधार
(Land Reforms) | 141-156 |
| जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन, राजस्थान कारशकारी अधिनियम, 1955 भू-जोतों पर सीमा-निर्धारण (सीलिंग), राजस्थान में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन, फसल-बटाई प्रथा जारी, भूमि का वितरण, भूमि-सुधारों की समस्याएँ व सुझाव। | |
| 9. 1956 से कृषिगत विकास
(Agricultural Development since 1956) | 157-173 |
| 10. पशु-पालन का विकास
(Development of Animal Husbandry) | 174-185 |
| 11. राजस्थान में अकाल व सूखा
(Famines and Droughts in Rajasthan) | 186-200 |
| 12. औद्योगिक नीति
(Industrial Policy) | 201-225 |
| औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, राजकोषीय व वित्तीय प्रेरणाएँ, विकास-केन्द्रों से सम्बन्धित नीति, सातवीं योजना में औद्योगिक व्यूहरचना, राजस्थान की नई औद्योगिक नीति, 1990 तथा उसकी समीक्षा। | |
| 13. औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका
(Role of Different Corporations in Industrial Development) | 226-241 |
| राजस्थान औद्योगिक विकास व विनियोग निगम (रीको) राजस्थान वित्त निगम (RFC), तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) (RAJSICO) की औद्योगिक विकास में भूमिका, औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निगम व संगठन। | |
| 14. पर्यटन-विकास (Tourism Development) | 242-252 |
| राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, विकास की सम्भावनाएँ व समस्याएँ। | |

15. राजस्थान में अर्थिक नियोजन 253 291 .
(Economic Planning in Rajasthan)
 उद्देश्य, उपलब्धियाँ, धीमी प्रगति के कारण, भविष्य में तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव।
16. राजस्थान में आधार-संरचना का विकास 292 325
(Infrastructure-Development in Rajasthan)
 सिंचाई, विद्युत व सड़कें
17. राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएँ 326-341
(Constraints in Economic Development of Rajasthan)
 कृषिगत विकास में प्रमुख बाधा एवं व उनको दूर करने के उपाय, औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय।
18. राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ व 1993-94 का बजट 345 361
(State Budgetary trends and the Budget for 1993-94)
19. विभिन्न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मुला व राजस्थान 362 385
(Different Finance Commissions, Gadgil Formula & Rajasthan)
 विभिन्न वित्त आयोग व राजस्थान, गाडगिल फार्मुला, केन्द्र के योजना हस्तान्तरणों (plan-transfers) में राजस्थान का अंश।
20. राजस्थान में निर्धनता (Poverty in Rajasthan) 386-403
 निर्धनता की रेखा की अवधारणा, राज्य में निर्धनता-अनुपात (poverty-ratio) तथा निर्धन जनसंख्या के अनुमान, राज्य में निर्धनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, निर्धनता-उन्मूलन व रोजगार-सृजन के विशेष कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), जवाहर-रोजगार-योजना (JRY)
21. राजस्थान में बेरोजगारी 404-413
(Unemployment in Rajasthan)
 राजस्थान में बेरोजगारी व अल्परोजगार की समस्या का स्वरूप, आकार व भावी अनुमान। नब्बे के दशक में रोजगार-सृजन के लिए सुझाव (व्याम-समिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 1991 के आधार पर)।

- 22) राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम
(Special Area Development Program
in Rajasthan) 414-424
- सूखा सभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP), महविकास
कार्यक्रम (DDP), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADP),
अरावली विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम (ऊन्दरा सुधार तथा
मेवात विकास)।
- 23) राजस्थान की आठवी पंचवर्षीय योजना, 1992-97, X 425-433
(Eighth Five Year Plan of Rajasthan 1992-97)
- 24) पर्यावरणीय प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ 434-452
(Environmental Pollution and the Problems
of Sustainable Development)
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य।
- परिशिष्ट-
विरोधतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 200 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर। 453-497
(200 Objective and Short Questions and
Answers, specially on Rajasthan Economy)
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, प्रश्न-पत्र 1993
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, प्रश्न पत्र, 1993

□□□

1

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति (Position of Rajasthan in Indian Economy)

राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश' (a backward region in a backward economy) माना गया है। सर्वप्रथम स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित व पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मानी गयी है और द्वितीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो इसमें भी एक पिछड़े हुए प्रदेश की भाँति ही है। इस अध्याय में जनसंख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया जायेगा और साथ में अन्य राज्यों की स्थिति से भी इसकी तुलना प्रस्तुत की जायेगी।

(1) जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति

1991 की जनगणना के परिणामों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 440 करोड़ व्यक्ति रही है जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 8463 करोड़ आकी गयी है।¹ अतः 1991 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.2% रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार यह अनुपात लगभग 5% रहा था। इस प्रकार 1991 में राजस्थान का भारत की कुल जनसंख्या में अंश भाँपूली बढ़ा है। 1971-81 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 24.7% की वृद्धि हुई थी जबकि राजस्थान की जनसंख्या में 33% की वृद्धि हुई थी। 1981-91 की अवधि में जहाँ भारत की जनसंख्या में 23.6% की वृद्धि हुई वहीं राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 28.4% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यद्यपि 1981-91 की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में 1971-81 की अवधि की तुलना में वृद्धि दर में लगभग 4.5 प्रतिशत बिन्दु की गिरावट आई है फिर भी यह भारत में हुई जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक ही रही है। अतः

राजस्थान में जनसंख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ्तार से बढ़ रही है जो एक चिन्ता का विषय है।

भारत में 25 राज्य और 7 संघीय प्रदेश हैं। 25 राज्यों में 1991 में जनसंख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का नवा स्थान रहा। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की रही जो लगभग 13.91 करोड़ थी। यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.4% थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम रहा जिसकी जनसंख्या मात्र 4.06 लाख ही थी जो भारत की जनसंख्या का 0.05% थी।

जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में निम्न तालिका में दर्शायी गयी है

1991 की जनगणना के अनुसार

राज्य	समस्त भारत की जनसंख्या का (%)	भारत में स्थान
राजस्थान	5.2	9
गुजरात	4.9	10
हरियाणा	1.9	15
मध्यप्रदेश	7.9	6
उत्तरप्रदेश	16.4	1

तालिका से स्पष्ट होता है कि पड़ोसी राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है।

लिंग अनुपात (Sex Ratio)

प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग-अनुपात कहलाती है। 1991 में राजस्थान में लिंग अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रकार रहा

लिंग अनुपात (सशोधित)

भारत	927
राजस्थान	910
केरल	1036
गुजरात	934
मध्यप्रदेश	931
उत्तरप्रदेश	879

इस प्रकार राजस्थान में लिंग अनुपात गुजरात व मध्य प्रदेश से तो कम रहा, लेकिन उत्तरप्रदेश से अधिक पाया गया। केरल में यह सर्वाधिक पाया गया

है। वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। 1991 में यह 1036 रही जो 1981 के 1032 से भी अधिक थी। इसके विपरीत भारत व राजस्थान में लिंग-अनुपात में कुछ कमी हुई है। 1981 में राजस्थान में लिंग अनुपात 919 रहा था। अतः 1991 में इसमें 9 बिन्दुओं की कमी आयी है।

जनसंख्या का घनत्व¹ -

प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। 1991 में घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

भारत	274
राजस्थान	129
पश्चिम बंगाल	767
उत्तर प्रदेश	473
मध्यप्रदेश	149

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में आधे से भी कुछ कम है। 1981 में राजस्थान का घनत्व 100 था। अतः 1991 में घनत्व में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

साक्षरता-अनुपात (Literacy-Ratio)

जो व्यक्ति एक साधारण पत्र पढ़ व लिख सकते हैं वे साक्षर माने जाते हैं। राजस्थान का अनुपात भारत व अन्य राज्यों की तुलना में काफी नीचा रहा है। अब साक्षरता का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या में सात व अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है। 1981 के आंकड़े भी इस नई परिभाषा के अनुसार संशोधित किये गये हैं। राजस्थान में महिला वर्ग में साक्षरता अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है।

1991 में साक्षरता अनुपात की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है-

(प्रतिशत में)

	व्यक्तियों में	पुरुषों में	महिलाओं में
राजस्थान	38.6	55.0	20.4
भारत	52.2	64.1	39.3
केरल	89.8	93.6	86.1
बिहार	38.5	52.5	22.9

1 Economic Survey 1992-93 p 5 115 आगे साक्षरता-अनुपात के आंकड़े भी इसी से लिए गये हैं।

1991 के लिए 15 राज्यों में साक्षरता-अनुपातों की तुलना करने पर राजस्थान की स्थिति काफी नीचे आती है। बिहार की स्थिति भी इस दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है लेकिन महिला-साक्षरता का अनुपात राजस्थान में बिहार से भी थोड़ा नीचा है। 1991 में बिहार में महिला-वर्ग में साक्षरता-अनुपात 22.9% रहा, जबकि राजस्थान में यह केवल 20.4% ही रहा। अतः राजस्थान को महिला वर्ग में साक्षरता बढ़ाने की दृष्टि से विशेष प्रयास करना होगा।

(2) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति¹ -

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान आता है। 31 मार्च 1982 को भारतीय सर्वे विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान का क्षेत्रफल 342,2 हजार वर्ग किलोमीटर था जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43% था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13.50% है।

राजस्थान के अन्य पड़ोसी राज्यों की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रकार है

भारत के क्षेत्रफल का अंश

	(%)	भारत में स्थान
गुजरात	5.97	7
हरियाणा	1.35	16
उत्तरप्रदेश	8.97	4

इस प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% (लगभग 1/10) है जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 9% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊँचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्यों की ओर किये जाने वाले केन्द्रीय वित्तीय हस्तांतरणों में क्षेत्रफल की एक आधार के रूप में शामिल किये जाने पर सदैव बल देता रहा है। हालाँकि केन्द्र ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। राज्य के क्षेत्रफल की दूसरी विशेषता यह है कि 11 मरु जिलों में कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक अंश पाया जाता है जबकि इन जिलों में 40 प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है। ये जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार मरुस्थल में पाये जाते हैं।

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इसके निवासियों को निरंतर सूखे व अभाव की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है।

1 Some Facts About Rajasthan 1992 (DES Jaipur Feb 1993) p 86

(3) कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति -

(i) 1985 86 में कार्यशील जोतो (operational holdings) का औसत आकार 1985 86 की कृषिगत सगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 4 34 हैक्टेयर पाया गया जबकि समस्त भारत के लिए यह 1 68 हैक्टेयर रहा ।

नागालैंड में यह सर्वाधिक 7 46 हैक्टेयर पाया गया । इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में द्वितीय रहा ।

कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही
(हैक्टेयर में)

गुजरात	3 15
मध्यप्रदेश	2 91
उत्तरप्रदेश	0 92
बिहार	0 87

इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तम है। तालिका से पता चलता है कि उत्तरप्रदेश व बिहार में यह एक हैक्टेयर से भी कम हो गया है।

(ii) कुल कृषित क्षेत्रफल¹ 1985 86 में राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का 10 2 प्रतिशत पाया गया। मध्यप्रदेश में यह 13 0 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 14 1 प्रतिशत रहा । बिहार में यह केवल 5 9 प्रतिशत ही पाया गया। इस प्रकार भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश सतोषजनक माना जा सकता है। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान चतुर्थ रहा ।

(iii) सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से स्थान² राजस्थान में 1990 91 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 24 0 प्रतिशत रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अंश लगभग 32 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश भारत की तुलना में काफी नीचा पाया जाता है।

1989 90 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर सकल कृषित क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपभोग 17 7 किलोग्राम रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह औसत 65 4 किलोग्राम था। मध्य प्रदेश में यह 30 3 किलोग्राम गुजरात में

1 Statistical Abstract 1989 Rajasthan DES Jaipur pp 6 7

2 Some Facts About Rajasthan 1992 p 87

62.3 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 83 किलोग्राम पाया गया। पंजाब में प्रति सकल कृषि क्षेत्रफल पर उर्वरकों का उपभोग 158.6 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपभोग समस्त भारत की तुलना में लगभग 1/4 ही पाया जाता है।

(iv) प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की समस्त भारत में स्थिति - पिछले वर्षों में राजस्थान देश में तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का 12% भाग राजस्थान में होने लगा है। सरसों के उत्पादन में यह अग्रणी राज्य हो गया है। यहाँ देश की कुल सरसों के उत्पादन का 35% अंश होने लगा है।

राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 1990-91 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 109.3 लाख टन रहा जबकि इसी वर्ष समस्त भारत में यह 17.64 करोड़ टन रहा। इस प्रकार 1990-91 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन समस्त भारत की तुलना में लगभग 6.2% रहा। 1991-92 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 79.5 लाख टन आया है जो समस्त भारत के अनुमानित उत्पादन 16.70 करोड़ टन का 4.8% ही रहा है।¹ 1987-88 से 1989-90 का खाद्यान्नों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान का अंश 5.0% रहा था। यहाँ में राजस्थान के लिए यह अंश 6.9% व चावल में 0.2% रहा था।² राजस्थान कपास का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना गया है। लेकिन तिलहन के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय हो गई है। 1991-92 में तिलहन का उत्पादन 28 लाख टन रहा तथा भविष्य में सोयाबीन के उत्पादन के बढ़ने की काफी सम्भावना है।

[4] उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान की भारत में स्थिति

(i) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद व श्रमशक्ति के बारे में उद्योगों का अंश उद्योगों में खनन विनिर्माण (manufacturing) (पंजीकृत व अपंजीकृत) तथा विद्युत गैस व जल पूर्ति लेने पर 1988-89 में राजस्थान में उद्योगों का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद में (1980-81 के मूल्यों पर) 13.8% रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अंश 21.8% रहा।³

केवल विनिर्माण (manufacturing) को लेने पर राजस्थान में 1988-89 में इसका अंश 10.6% तथा भारत में 19.5% रहा। इस प्रकार (पंजीकृत व अपंजीकृत) विनिर्माण में राजस्थान को अपना अंश 11% से ऊँचा करने का प्रयास

1 Economic Survey 1992-93 pp S 20 to S 21

2 Statistical Outline of India 1992-93 (Tata Services Ltd.) p.52

3 National Accounts Statistics 1992 p 35 (CSO) and Rajasthan Budget Study 1992-93 p 54 (DES Jaipur)

करना होगा। 1981 में श्रम-शक्ति में उद्योगों का अंश भारत में 13.9% तथा राजस्थान में 10.4% पाया गया था। यहाँ उद्योगों में निर्माण (construction) कार्य भी शामिल किया गया है।

(ii) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) के आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की स्थिति-वर्ष 1988-89 के लिए रिपोर्टिंग फैक्ट्री-क्षेत्र की सूचना के आधार पर राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।¹

1988-89 में अंश (प्रतिशत में)

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या में	स्थिर पूंजी में (Fixed Capital)	रोजगार में	विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोड़े गये मूल्य में
राजस्थान	30	44	30	26

इस प्रकार फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचकों में राजस्थान का अंश समस्त भारत में स्थिर पूंजी में 4.4% रहा, लेकिन फैक्ट्रियों की संख्या, उनमें सलगन रोजगार प्राप्त व्यक्ति व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (value added)² में लगभग 3% ही रहा, जो राज्य की पिछड़ी औद्योगिक दशा का सूचक है।

1988-89 में फैक्ट्री क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या में	स्थिर पूंजी (करोड़ रु. में)	कर्मचारियों (employees) की संख्या (लाखों में)	विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोड़े गया (NVA) (करोड़ रु. में)
राजस्थान	3162	3950.2	2.31	883.6
गुजरात	11103	8239.6	6.69	3389.2
उत्तर प्रदेश	9404	9770.9	7.55	2975.3
मध्य प्रदेश	3636	4627.6	3.18	1715.3
भारत	104077	8909.9	77.43	34634.8

1 Annual Survey of Industries (Factory Sector Summary Results) for 1988-89 pp 101-102.

2 उत्पत्ति का मूल्य इन्पुटों का मूल्य (कच्चे माल, ईंधन, आदि)

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी पिछड़ा हुआ है। 1988 89 में गुजरात में फैक्ट्री क्षेत्र में स्थिर पूंजी राजस्थान की तुलना में दुगुनी से अधिक व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य में चौगुनी राशि पायी गयी, जबकि भारत की जनसंख्या में दोनों का अंश लगभग 5% है, हालांकि क्षेत्रफल में राजस्थान का अंश 10.4% व गुजरात का 6% पाया जाता है। आर्थिक साधन जैसे खनिज पदार्थ आदि दोनों में लगभग एक-से पाये जाते हैं। गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उन्नत माना जाता है जबकि राजस्थान अभी काफी पीछे है। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियो में कर्मचारियों की संख्या राजस्थान की तुलना में तिगुनी से भी कुछ अधिक है।

हम आगे के अध्ययनों में देखेंगे कि राजस्थान में शक्ति के विकास की सम्भावनाएँ काफी मात्रा में विद्यमान हैं जिनका समुचित विदोहन करके वह भी एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है।

1986 87 में प्रथम बार राजस्थान का स्थान फैक्ट्री क्षेत्र में विनिर्माण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (NVA) में घटते हुए क्रम में दसवा आया था। लेकिन वह स्थिति आगे 1987 88 तथा 1988 89 में जारी नहीं रह सकी। इसमें पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ था।

हमें यह स्मरण रखना होगा कि राजस्थान की स्थिति खादी हाथकरघा दस्तकारी व ग्रामीण उद्योगों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्न व आभूषणों गलीचों दस्तकारी के सामान आदि के निर्यात में काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। अतः इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

(5) आधारभूत ढाँचे या सरचना (infrastructure) की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति -

आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत सिंचाई सड़को रेलों डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिंचाई पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। 1987 88 के लिए आधारभूत सरचना के विकास के सूचकांक निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं¹

	आधारभूत संरचना का सूचकांक	गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में स्थान
राजस्थान	78	13
गुजरात	130	
हरियाणा	148	
मध्यप्रदेश	72	
उत्तरप्रदेश	107	
पंजाब	214	
समस्त भारत	100	

14 गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तरप्रदेश) में आधारभूत संरचना के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का 13 वां स्थान है। इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछड़े होने का परिचय मिलता है।

तालिका से पता लगता है कि आधारभूत संरचना के विकास का सूचकांक राजस्थान के लिए 78 रहा, जो समस्त भारत के 100 से कम था। यह हरियाणा के 148 अंक से भी काफी नीचा था।¹

अब हम आधारभूत संरचना के विभिन्न उप-क्षेत्रों की स्थिति का उल्लेख करेंगे।

(1) विद्युत- 1991-92 में राजस्थान में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 2776 मेगावाट थी जिसमें लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वयं के साधनों से प्राप्त होती है। विद्युत की सप्लाई में भारी उतार-चढ़ाव आने से उत्पादन की क्षति पहुंचती है। राज्य में विद्युत के विकास की भारी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

1 सूचकांक बनाने के लिए विभिन्न मदों को भार दिये गये हैं जो इस प्रकार होते हैं - विद्युत (20%), सिंचाई (20%), सड़कें (15%), रेलवे (20%), टांकघर (5%), शिक्षा (10%), स्वास्थ्य (4%) एवं बैंकिंग (6%)

1989-90 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग इस प्रकार रहा¹ -
(किलोवाट घंटों (KWH) में) (17 राज्यों की तुलना)

		स्थान
राजस्थान	183	8
बिहार	84	16
गुजरात	368	3
हरियाणा	336	4
मध्य प्रदेश	182	9
पंजाब	636	1
उत्तर प्रदेश	136	14
अखिल भारत	214	

तालिका से पता लगता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 1989-90 में 183 किलोवाट घंटे रहा जो पंजाब की तुलना में बहुत नीचा था। प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से 17 राज्यों में राजस्थान का स्थान 8 वा रहा। पंजाब का स्थान सर्वोच्च पाया गया। लेकिन राजस्थान की स्थिति उत्तरप्रदेश की तुलना में बेहतर रही जिसका स्थान 14वा रहा।

कुल ग्रामों में विद्युतीकृत गावों का अनुपात²

मार्च 1990 में राजस्थान में कुल ग्रामों में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात 75% पाया गया, जबकि अखिल भारत के लिए यह 81.3% रहा। अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही-गुजरात (100%) हरियाणा (100%) मध्य प्रदेश (84%) उत्तर प्रदेश (71.4%) तथा पंजाब (100%)। इस प्रकार जहाँ कई राज्यों में शत प्रतिशत गावों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है वहाँ राजस्थान इस दिशा में भी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान को पाचवाँ स्थान प्राप्त है।

(ii) सड़कें - सड़कों की स्थिति के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से प्रायः नवीनतम आकड़ों का अभाव पाया जाता है। 1991-92 में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लम्बाई 17.51 किलोमीटर हो गई। 1987-88 में राजस्थान में यह 15.64 किलोमीटर रही जबकि अखिल भारतीय औसत 1984-85 के लिए 53.92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य में सड़कों की

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 88

2 ibid, p 89

औसत लम्बाई भारत की तुलना में काफी नीची पायी जाती है। यह गुजरात, हरियाण, मध्यप्रदेश से भी कम है।

1987-88 में मौसमी सड़कों द्वारा जुड़े ग्रामों का अनुपात इस प्रकार रहा-

	(%)	स्थान
राजस्थान	21	13
हरियाण	99	
मध्य प्रदेश	23	
उत्तरप्रदेश	43	
समस्त भारत	41	

इस प्रकार मौसमी सड़कों द्वारा जुड़े ग्रामों का अनुपात राजस्थान में लगभग 1/5 रहा, जबकि हरियाणा में लगभग सभी ग्रामों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

(iii) रेलमार्ग - मार्च 1987 में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग की लम्बाई इस प्रकार रही¹ :

	(कि. मी.में)	स्थान
राजस्थान	16 41	12
अखिल भारत	18 80	
गुजरात	28 33	7
उत्तरप्रदेश	30 44	5
पंजाब	42 78	1

इस प्रकार रेलमार्ग की लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में पंजाब का प्रथम स्थान आता है।

(iv) शिक्षा - हम प्रारम्भ में बतला चुके हैं कि राज्य में साक्षरता का अनुपात काफी नीचा है। 1991 में यह सभी व्यक्तियों के लिए 38.6% रहा, जबकि पुरुषों के लिए 55% व महिलाओं के लिए 20.4% रहा है। राजस्थान की स्थिति महिला-साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ी हुई है, इसमें भी ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अनुपात और भी नीचा पाया जाता है। इससे परिवार-नियोजन में भी बाधा पहुँचती है। राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों

1 Some Facts About Rajasthan, 1992, p 89 (DES, Jaipur, Feb 1993)

में साक्षरता का अनुपात काफी नीचा पाया जाता है।

योजनाकाल में स्कूलों में भर्ती होने वालों का अनुपात बढ़ा है लेकिन इस दिशा में अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफी अधिक पायी जाती है विशेषतया 6-11 वर्ष के आयु समूह में।

सातवीं योजना के अंत में भर्ती होने वालों का अनुपात 6-11 वर्ष के आयु समूह में (सभी श्रेणियों के लिए) 88% हो गया था जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में यह लगभग 75% ही रहा 11-14 वर्ष के आयु समूह में भर्ती होने वालों का अनुपात इस वर्ग की कुल जनसंख्या में 51% रहा जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए यह लगभग 40% रहा। 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काफी प्रगति करने की आवश्यकता है।

(v) चिकित्सा व स्वास्थ्य - राज्य में चिकित्सा की सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। देहातो में इनका अभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है।

	प्रति 1000 वर्ग कि मी पर अस्पतालों की संख्या (जनवरी 1987 में)	प्रति चिकित्सा संस्थान पर लाभान्वित जनसंख्या (हजार में) (वर्ष 1986)	प्रति लाख जनसंख्या पर रोगी शैया/विस्तार (Beds) (वर्ष 1986)
राजस्थान	4	24	76
गुजरात	25	5	130
मध्य प्रदेश	2	66	46
उत्तर प्रदेश	9	45	53
अखिल भारत	10	19	98

पिछली तालिका में चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति की तुलना समस्त भारत व अन्य पड़ोसी राज्यों से की गई है¹

तालिका के प्रमुख निष्कर्ष

जनवरी 1987 में राजस्थान में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर पर अस्पतालों की संख्या केवल 4 (बारहवा स्थान) रही जबकि गुजरात में यह 25 व समस्त

¹ राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 39

भारत में 10 पायी गयी। वर्ष 1986 में प्रति चिकित्सा संस्थान पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या राजस्थान में 24 हजार (आठवा स्थान) थी जबकि गुजरात में यह 5 हजार तथा समस्त भारत में 19 हजार थी। अतः प्रति चिकित्सा संस्थान पर जनसंख्या का भार राजस्थान में गुजरात से ऊँचा था। लेकिन मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ओर भी पिछड़ी हुई थी जहाँ प्रति चिकित्सा संस्थान जनभार अधिक पाया गया है। प्रति लाख जनसंख्या पर रोगी शैया (beds) की संख्या राजस्थान में वर्ष 1986 में 76 रही (नवा स्थान) जबकि गुजरात में यह 130 पायी गई। अतः राजस्थान की स्थिति गुजरात व भारत की तुलना में तो पिछड़ी हुई थी लेकिन यह मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश से बेहतर थी जहाँ रोगी शैयाओं की संख्या राजस्थान से भी नीची पायी गयी। अतः राज्य को चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कमी को दूर करना है।

(vi) बैंकिंग सुविधाएँ सितम्बर 1991 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या निम्न तालिका में दी गयी है¹

बैंकों की संख्या (प्रति लाख जनसंख्या पर)

	स्थान	(Rank)
राजस्थान	70	10
पंजाब	106	2
हिमाचल प्रदेश	143	1
गुजरात	82	6
मध्यप्रदेश	66	11
उत्तरप्रदेश	61	13
अखिल भारत	72	

बैंकों की संख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पंजाब का द्वितीय रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान व मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग समान पायी गयी है (प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 6-7 बैंक)। बैंकिंग सुविधाओं के विकास की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना में ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं है। फिर भी पंजाब व हिमाचल प्रदेश की तुलना में यह काफी पिछड़ी हुई मानी जा सकती है।

कृषि, उद्योग व आधारभूत संरचना में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के प्रमुख कारण-

हमने इस अध्याय में जनसंख्या, क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत संरचना की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य व अन्य राज्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान काफी पिछड़ा है। इस सम्बन्ध में प्रमुख कारण इस प्रकार रहे हैं

(1) नियोजन के प्रारम्भ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यन्त दयनीय व पिछड़ी हुई थी

आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान के पिछड़े रहने का प्रमुख कारण यह है कि नियोजन के आरम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्त शोचनीय थी। 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता मात्र 13 मेगावाट ही थी सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 12% ही था राज्य में केवल 42 स्थानों को बिजली मिली हुई थी तथा केवल 17 399 किलोमीटर में सड़कें थीं। सड़क जल व बिजली के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस समय अभाव की दशाएं विद्यमान थीं जैसे 1950-51 में 6-11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात 16.6% तथा 11-14 वर्ष की आयु वालों में 5.4% ही था। उस समय अस्पतालों में रोगियों के विस्तारों की संख्या कुल 5 720 ही थी।

इस प्रकार प्रारम्भ में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से विकास के चार दशकों के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाये हैं हालांकि विकास के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं जो अन्यथा सम्भवतः दुर्लभ ही मानी जातीं।

(2) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियां

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान के 60 प्रतिशत से अधिक भूभाग में रेगिस्तान है जहां बहुधा अकाल पड़ते रहते हैं। राज्य में जल साधन समस्त भारत की तुलना में 1% मात्र है। राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है। अतः विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव राजस्थान में और भी अधिक प्रतिकूल है जिससे यहाँ कृषिगत उत्पादन के उतार चढ़ाव अधिक तीव्र होते हैं। उदाहरण के लिए 1987-88 में राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 47.8 लाख टन हुआ जो अगले वर्ष 1988-89 में बढ़कर 106.6 लाख टन पर पहुंचा गया। 1989-90 में यह पुनः घट कर 85.3 लाख टन पर आ गया तथा 1990-91 में 109.3 लाख टन तक बढ़ गया। 1991-92 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन का संशोधित अनुमान 79.5 लाख टन लगाया गया है।

(3) राज्य में जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है

1971-81 की अवधि में राज्य में जनसंख्या की वृद्धि 33% रही जबकि 1981-91 के बीच यह पहले से कम फिर भी 28.4% रही दोनों ही अवधियों में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

(4) भूजल बहुत से स्थानों पर लवणीय (Brackish) है और सूखे के कारण जलस्तर (Water table) निरंतर गिरता जा रहा है जिससे कृषिगत विकास में बाधा पहुँचती है।

(5) 1991 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग 17.3% तथा अनुसूचित जनजाति के 12.4% पाये गये। इस प्रकार इनका व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों का राज्य की जनसंख्या में 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य सामाजिक विकास की दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ है।

(6) विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी डावाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधाएँ हैं। योजनाकाल में चार दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 8200 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है जिससे विकास का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ है। लेकिन राज्य पर कर्जभार 31 मार्च 1993 के अंत में (बजट अनुमानों सहित) लगभग 7670 करोड़ रु था जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशिओं का अंश लगभग 56.9% था।¹ मार्च 1994 तक कर्ज की बकाया राशि वे 8000 करोड़ रु से अधिक हो जाने का अनुमान है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। भविष्य में भी राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ आयेगी जैसे पुराने कर्जों पर ब्याज व देय किरात का भार, महंगाई के कारण राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का भार, आदि।

(7) राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर रहना भी माना जा सकता है

राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करके इनका राजनीतिक आधार ढाँचा तो खड़ा किया लेकिन विकेंद्रित नियोजन (जिला या खण्ड स्तर पर) नहीं अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सफल व सुदृढ़ नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों स्थानीय श्रम शक्ति व स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित नहीं किया जा सका।

1990 के दशक में राज्य के कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत ढाँचे के विकास की नई सम्भावनाएँ उत्पन्न हुई हैं। राज्य में धर्मल विद्युत के

विकास की नई परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया जा रहा है जैसे बरसिहसर में लिग्नाइट आधारित धर्मल विद्युत का सयत्र लगाया जा रहा है तथा सूरतगढ व चित्तौडगढ में नये धर्मल प्लाट स्थापित किये जा रहे हैं एव गैस-आधारित विद्युत सयत्रों के विकास से भी विद्युत की सप्लाई बढेगी । विश्व बैंक से 500 करोड रु से अधिक की सहायता प्राप्त करके कृषि विकास की विस्तृत व व्यापक योजना पर कार्य करने से विभिन्न प्रकार की फसले फलो पशु पालन, घारा वृक्षारोपण आदि का विकास होगा जिससे रोजगार में वृद्धि होगी ग्रामीण निर्धनता कम होगी तथा आर्थिक असमानता कम होगी ।

इन विभिन्न विषयों का यथास्थान समुचित विवेचन किया जायेगा। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उचित आर्थिक नीतियाँ अपना कर व प्रशासन को ईमानदार व चुस्त बनाकर राज्य विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम व सफल हो सकता है।

प्रश्न

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एवं इन्फ्राम्स्ट्रक्चर के सन्दर्भ में क्या स्थिति है?

(Ajmer I yr 1992)

- 2 राजस्थान की आर्थिक स्थिति को तुलना समस्त भारत व कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति से कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनकी वजह से यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया है।

- 3 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(i) राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक स्थिति

(ii) राजस्थान में विद्युत व सड़कों की भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक स्थिति

(iii) भारत के सदर्भ में राजस्थान की जनसंख्या 1991

(iv) राजस्थान में साक्षरता की स्थिति ।

- 4 राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण कीजिए ।

(Raj I yr 1992)

- 5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

(Ajmer II yr 1992)

जनसंख्या (Population)

आकार व वृद्धि

1991 का जनगणना के अनुसार 1 मार्च 1991 का मूल्यांकन के समय राजस्थान का जनसंख्या लगभग 4.40 करोड़ व्यक्ति आका गइ है। 1981 में यह लगभग 3.43 करोड़ व्यक्ति था। इस प्रकार 1981-91 की अवधि में राज्य का जनसंख्या में लगभग 97 लाख व्यक्ति का वृद्धता हुआ है जो 28.4% वृद्धि का सूचित करता है। यह अवधि में भारत का जनसंख्या में 23.6% की वृद्धि हुआ है। इस प्रकार 1981-91 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या का वृद्धि समस्त भारत का तुलना में 4.8 प्रतिशत बिन्दु अधिक हुआ है।

निम्न तालिका में 1901 में 1991 तक की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या का दश वर्षीय वृद्धि (लाखों में) का परिचय दिया गया है।¹

वर्ष	जनसंख्या(करोड़ों में)	दस वर्षीय वृद्धि (लाखों में)
1901	1.03	
1911	1.10	7
1921	1.04	(-)6
1931	1.18	14
1941	1.39	21
1951	1.59	20
1961	2.01	42
1971	2.58	57
1981	3.43	85
1991	4.40	97

1. Some Facts About Rajasthan 1992 (DES Jaipur Feb 1993) p.30 राजस्थान सरकार का जनसंख्या की वृद्धि का सूचित करता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1941-91 के 50 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या 1 39 करोड़ से बढ़कर 4 40 करोड़ हो गई, अर्थात् इसमें 3 करोड़ 1 लाख की वृद्धि हो गई। शुरु में 1901-41 के चालीस वर्षों में इसमें केवल 36 लाख की वृद्धि हुई थी। ध्यान देने की बात है कि 1901-61 के 60 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में 98 लाख की वृद्धि हुई जो 1981-91 के दस वर्षों की 97 लाख की वृद्धि के लगभग समान है। इससे हाल के दशक में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में गिरावट आयी थी जिसका सम्बन्ध महामारी के प्रकोप से था। 1961 में जनसंख्या में 1951 की तुलना में 26 4% की वृद्धि हुई। उसके बाद के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि काफी तेज रफ्तार से हुई है। 1971-81 में यह 33% रही जो सर्वोच्च थी। 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 28 4% आकी गई है जो पिछले दशक की तुलना में लगभग 4 5 प्रतिशत बिन्दु नीची होने से एक सतोष का विषय है, लेकिन समस्त भारत की वृद्धि दर (23 6%) से अभी भी यह काफी ऊँची है जिसे भविष्य में कम करने की आवश्यकता है। 1991 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5 2 प्रतिशत रही है।

1981-91 की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या का 28 4% बढ़ जाना इस बात का सूचक है कि राज्य में जनसंख्या-नियंत्रण की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

राज्य में जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना में ऊँची रही है। 1991 के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में जन्म-दर (प्रति हजार) 34 3 व मृत्यु-दर (प्रति हजार) 9 8 रही है। समस्त भारत के लिए ये दर क्रमशः 29 3 तथा 9 8 रही हैं।¹ इस प्रकार राजस्थान में मृत्यु-दर तो भारत की मृत्यु-दर के समान है, लेकिन यहाँ की जन्म-दर भारत की जन्म-दर से 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है जो एक चिंता का विषय है।

राज्य में पिछले दशकों में जन्म दर व मृत्यु-दर में गिरावट आयी है जो निम्न तालिका में दर्शायी गई है। आगामी वर्षों में भी जन्म-दर के ऊँचा रहने के आसार हैं।

1 Economic Survey 1992 93, p 198

राजस्थान में अनुमानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसंख्या की वृद्धि-दर¹
(प्रति हजार)

अवधि	जन्म-दर	मृत्यु-दर	वृद्धि दर
1971-81	43.6	14.9	28.7
1991-96	34.4	9.6	24.8
1996-2001	30.1	8.4	21.7

राजस्थान में उँची जन्म-दर को प्रभावित करने वाले तत्वों में दो तत्व महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं-- (i) कुल महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं (married females) का उँचा अनुपात तथा (ii) शादी की औसत आयु का नीचा पाया जाना ।

1971 व 1981 के लिए विवाहित महिलाओं का अनुपात इस प्रकार रहा²
(विवाहित महिलाओं का प्रतिशत)

आयु - समूह (Age-group)	1971	1981
15-44	91.2	88.6
15-19	75.5	64.3
20-24	96.6	91.7

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में कुल महिलाओं में विवाहित महिलाओं का अनुपात काफी उँचा पाया जाता है । 15-44 वर्ष के आयु-समूह में 1971 में यह 91.2% तथा 1981 में 88.6% पाया गया था। 20-24 वर्ष के आयु-समूह में तो विवाहित महिलाओं का अनुपात 1981 में 94.7% पाया गया था । ऐसी स्थिति में जन्म-दर का उँचा होना स्वाभाविक है ।

शादी की औसत उम्र भी राजस्थान में नीची पायी जाती है । यह निम्न तालिका में दर्शायी गयी है ।

1 Population and Demography DES Jaipur, September, 1988, p 29

2 Population and Demography, p 25

(शादी के समय औसत उम्र) (वर्ष में)		
	1971	1981
पुरुषों के लिए	19.5	20.3
महिलाओं के लिए	15.1	16.1

राजस्थान में शादी के समय लड़के व लड़की दोनों की औसत उम्र इनके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष से नीची पायी जाती है। राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। इस प्रकार विकसित महिलाओं का उँचा अनुपात व शादी के समय औसत उम्र का नीचा पाया जाना ऐसे तत्व हैं जो जन्म दर को उँचा रखने में सहायक माने जाते हैं।

प्रोफेसर के सुन्दरम के अनुसार राजस्थान में 1983 में परिवार नियोजन अपनाते वाले दम्पतियों का अनुपात 15.7% था जो वर्ष 2000 तक बढ़कर ज्यदा से ज्यादा 31% हो सकेगा जबकि समस्त राज्यो के लिए इसका लक्ष्य 60% रखा गया है। अब राजस्थान को उपलब्धि लक्ष्य से आगे रह पड़ेगी।

राज्य में सामाजिक पिछड़ापन उँची जन्म दर में सहायकरहा है। आवश्यक सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सुधार में ही जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन अपनाते वाले दम्पतियों का प्रदिशत बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने 15 जून 1992 को एक क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए पंचायत चुनाव में परिवार को सम्मिलित रखने का कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया है। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होगा तो चुनाव हुआ पंच या सप्पच स्वत ही अयोग्य हो जाएगा। चुनाव के समय उम्मीदवार के चाहे जितने बच्चे हो अगर निर्वाचन के एक वर्ष के अन्तराल के बाद बच्चा होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका निर्वाचन अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि निर्वाचन तक उम्मीदवार के एक भी बच्चा नहीं है तो उसे दो बच्चों तक की छूट होगी। आशा है इस अच्छी शुरुआत से आगे चलकर परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा दो बच्चों के बाद नयबंदी कराने वाले को लड़की के नाम एक हजार रुपये का बाड खरीदकर देने की राज लक्ष्मी योजना का भी अंश अच्छा होगा।

1981-91 की अवधि में जनसंख्या की चक्रवृद्धि दर¹

1981-91 की अवधि में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (exponential growth rate) (ब्याज पर ब्याज वाले सूत्र के अनुसार) भारत के लिए 2.14% तथा राजस्थान के लिए 2.50% रही। 1971-81 की अवधि के लिए ये दरें भारत के लिए 2.22% तथा राजस्थान के लिए 2.87% रही थीं। 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर कुछ राज्यों के लिए निम्नांकित रही (प्रतिशत में)

बिहार	2.11
मध्य प्रदेश	2.38
उत्तरप्रदेश	2.27
केरल	1.34
गुजरात	1.92

इस प्रकार 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर राजस्थान में 2.50% रही जो इन पाँचों राज्यों से अधिक थी। यह सर्वाधिक नागालैण्ड में 4.45% तथा न्यूनतम केरल में 1.34% रही।

राजस्थान में 1981-91 का अवधि में जिलेवार जनसंख्या का वृद्धि दर²

1981-91 की अवधि में राजस्थान के 27 जिलों में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दरें बाकानेर जिले में (42.7%) तथा जैसलमेर जिले में (41.7%) पायी गयी है जबकि सबसे कम वृद्धि दरें पाली जिले में (16.6%) तथा अजमेर जिले में (20.1%) पायी गयी है। विभिन्न जिलों के जनसंख्या से सम्बन्धित विस्तृत आंकड़ों की तालिका इस अध्याय के परिशिष्ट 2 में दी गयी है।

राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर (28.4%) की तुलना में बारह जिलों में अर्थात् जयपुर, गंगानगर, अलवर, नागौर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है।

राज्य में सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की है जो 1991 में 47.2 लाख रही। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 10.73% है। आबादी की दृष्टि से जैसलमेर का स्थान अंतिम आता है। 1991 में यहाँ की आबादी 3.4 लाख रही जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.78 प्रतिशत थी।

1 Economic Survey 1992-93 p. S 115 (सरोपित आंकड़े)

2 Census of India 1991 Rajasthan, Facts From Figures Data Dissemination on Cell Directorate of Census Operations Rajasthan, 1993 (सरोपित आंकड़ों के लिए)

राज्य में जनसंख्या के घनत्व की स्थिति -

1991 के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 129 रहा जबकि 1981 में यह 100 था। भारत में 1991 में घनत्व 274 रहा जबकि 1981 में यह 216 रहा था। 25 राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व पश्चिम बंगाल में 767 पाया गया, तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 10 रहा।

राज्य के 27 (अब 30) जिलों में भी परस्पर घनत्व के अंतर पाये जाते हैं। जयपुर जिले में घनत्व 336 रहा जो सर्वाधिक था, तथा जैसलमेर जिले में न्यूनतम 9 रहा (यह 1981 में यह केवल 6 ही था)। राज्य के 17 जिलों में घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया गया।

राज्य में लिंग-अनुपात की स्थिति -

राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1991 में 910 रही जबकि 1981 में यह 919 रही थी। इस प्रकार राजस्थान में लिंग-अनुपात में 9 अकों की गिरावट आयी है। 1991 में केरल में लिंग-अनुपात 1036 रहा था अर्थात् वहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक रही। राजस्थान के विभिन्न जिलों में लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है।

वैसे सभी जिलों में 1991 में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम पायी गई, लेकिन राज्य के पद्म जिले में लिंग-अनुपात राज्य के औसत अनुपात से अधिक पाया गया है। उदाहरण के लिए, झुंजरपुर जिले में यह अनुपात 995 बासवाड़ा जिले में 969 व उदयपुर जिले में 965 रहा। 1981 में झुंजरपुर जिला ही एक मात्र जिला था जिसमें लिंग-अनुपात 1045 रहा था, जो स्त्रियों के पक्ष में गया था। लेकिन 1991 में इसमें भी पुरुषों के पक्ष में परिवर्तित हो गया है। यहाँ यह 995 रहा है।

राज्य में जिलेवार साक्षरता-अनुपात (Literacy Ratio)¹

1991 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 38.6% रहा है जबकि 1981 में यह 30.1% रहा था। इस प्रकार राज्य में पिछले दस वर्षों में साक्षरता-अनुपात में 8.5% बिन्दु की वृद्धि हुई है। 1991 में पुरुषों में साक्षरता अनुपात 55.0% था जो पहले से 10.2% बिन्दु अधिक रहा, तथा स्त्रियों में यह 20.4% था जो पहले से 6.5% बिन्दु अधिक पाया गया। इस प्रकार राजस्थान में साक्षरता की दर में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी राज्य इस दृष्टि से काफी पिछड़ी दशा में है। राज्य में महिलाओं में साक्षरता की दर बहुत नीची है जो बिहार से भी कम है। 1981 में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की दर केवल 5.5% थी जो बहुत नीची थी। 1991 में कुछ

जिले में साक्षरता अनुपात निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं ।

जिले	सात वर्ष व अधिक आयु वर्ग में साक्षरता-अनुपात (% में) (व्यक्ति) (Persons) (पुरुष व स्त्रियों को शामिल करके)
जयपुर	47.9
अलवर	43.1
भरतपुर	43.0
सोकर	42.5
सुन्सुर्त	47.6
डूंगरपुर	30.6

इस प्रकार एक तरफ साक्षरता अनुपात जयपुर जिले में 48% रहा वहीं डूंगरपुर जिले में 30.6% ही रहा । साक्षरता का पचार बढ़ा कर इसका अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए ।

1981 में राजस्थान साक्षरता में सबसे अंतिम क्रम पर था जिस पर 1991 में बिहार आ गया है। राजस्थान में गावों में महिला वर्ग को साक्षर व शिक्षित बनाने की नितान्त आवश्यकता है । इससे शादी की उम्र भी बढ़ेगी तथा परिवार नियोजन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

जिलेवार व शहरी जनसंख्या का वितरण¹

राज्य में 1981 में शहरी जनसंख्या का अनुपात 21.1% था जिसके 1991 में बढ़कर 23% होने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 23% आका गया है । अतः ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग 77 प्रतिशत माना जा सकता है ।

1991 में निम्न जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 90% से अधिक रहा

जिले	(% में)
जालोर	92.72 (सर्वाधिक)
डूंगरपुर	92.70
बांमवाड़ा	92.28

बाडमेर जिले में यह लगभग 90% रहा ।

जिन जिलों में 70% से पीछे पाया गया वे इस प्रकार हैं -

(% में)	
1 अजमेर	59.3 (न्यूनतम)
2 बीकानेर	60.3
3 जयपुर	60.5
4 जोधपुर	64.5
5 कोटा	63.6

शेष जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में बासवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर व बाड़मेर का स्थान आता है। इसके विपरीत अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व कोटा जिलों में ग्रामीण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम अनुपात में पायी जाती है।

1991 में जालौर जिले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 92.7% रहा जो सर्वाधिक था तथा अजमेर जिले में यह 59.3% रहा जो न्यूनतम था।

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढांचा¹

राज्य में 1981 में कुल श्रमशक्ति जनसंख्या का 36.6% थी जो 1991 में 39% हो गई।² इसके मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनों को शामिल कर लिया गया है। इसे काम में भाग लेने की दर (work participation rate) भी कहते हैं।

मुख्य श्रमिकों (main workers) का विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के अनुसार वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

औद्योगिक श्रेणी	1981	1991
I कृषक	61.6	58.8
II खेतिहर मजदूर	7.3	10.0
III पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत	3.3	2.0
IV अन्य कार्य करने वाले जैसे अन्य उद्योग, पशुपालन, वन, मछली पालन, खनन, व्यापार परिवहन, आदि	27.8	29.2
कुल	100.0	100.0

- 1 Census of India 1991 Rajasthan Facts From Figures, Directorate of Census Operations Raj 1993 last page
- 2 1991 में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 32% तथा सीमान्त श्रमिकों का 7% रहा। मुख्य श्रमिक सम्यक् आर्थिक क्रिया में छ महौने व अधिक के लिए भाग लेते हैं और सीमान्त श्रमिक उतममें छ महौने से कम अवधि के लिए भाग लेते हैं।

तालिका से स्पष्ट होता है कि मुख्य श्रमिकों के औद्योगिक श्रेणी विभाजन के अनुसार 1981 में 68.9% श्रमिक व खेतिहर मजदूर थे तथा 1991 में भी यह अंश 68.8% कृषक ही रहा जो पहले के समान था। लेकिन खेतिहर मजदूरों का अनुपात कुल श्रमिकों में 1981 में 7.3% से बढ़कर 1991 में 10.7% हो गया। इस प्रकार राज्य में खेतिहर मजदूरों का अनुपात बढ़ा है। पारिवारिक या घरेलू उद्योगों में सलग्न श्रमिकों का अनुपात 3.3% से घटकर 2.5% पर आ गया है। शेष आर्थिक क्रियाओं में यह अनुपात लगभग 28.9 प्रतिशत रहा है। इसका वितरण 1991 के लिए आगे दिया गया है।

1991 में मुख्य श्रमिकों में कृषक, खेतिहर मजदूर व पारिवारिक उद्योगों में सलग्न श्रमिकों के अलावा शेष श्रमिकों का विभिन्न उप श्रेणियों में अनुपात इस प्रकार रहा¹

(प्रतिशत में)

(1)	पशु पालन मछली शिकार, बागान व कृषि की सहायक क्रियाएँ	18
(2)	खनन व पत्थर निकालना	10
(3)	पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग	54
(4)	निर्माण (Construction)	24
(5)	व्यापार व वाणिज्य	64
(6)	परिवहन संचार, सग्रह	24
(7)	अन्य सेवाएँ	97
	शेष क्रियाओं का कुल योग	291

इस प्रकार 1991 में राजस्थान में श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण में 1981 की तुलना में कुछ परिवर्तन आया है। इससे राज्य में कृषि व पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य क्रियाओं की प्रगति झलकती है। आशा है आगामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पकड़ेगी जिससे श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण अधिक सतुलित हो सकेगा। इसके लिए राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जाल बिछाना होगा।

1 Some Facts About Rajasthan 1992, pp 36-37 से जोड़कर प्रतिशत निकाले गये हैं।

राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों, खनिज-आधारित उद्योगों तथा पशु-आधारित उद्योगों के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। रत्न व आभूषण, हथकरघा, दस्तकारी, गलीचों व विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों में श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा व चिकित्सा के विकास कार्यों में भी लगाना सम्भव हो सकता है।

मानवीय साधनों से सम्बन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में एक तरफ 'जनपट्टा' की वृद्धि को नियन्त्रित किया जाना चाहिए और दूसरी तरफ तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। जनसंख्या-वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक आर्थिक व सामाजिक उपाय करने होंगे। राजस्थान में कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगों की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। आगे के अध्यायों में इन पहलुओं पर अधिक प्रकाश डाला जाएगा।

राज्य में मानवीय साधनों का विकास -

(Human Resource Development in the State)

मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सफाई व पोषण (विशेषतया स्त्रियों व बच्चों के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना होता है। इससे शिशु मृत्यु-दर (infant mortality rate) (एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु-दर) व जन्म दर में कमी आती है, उचित पोषण से श्रम का कार्यकुशलता बढ़ती है और जीने की प्रत्याशा या औसत आयु में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

भारत में केरल व पंजाब में जन्म-दरों व मृत्यु-दरों में कमी की दिशा में प्रगति हुई है। केरल में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी व प्रति-व्यक्ति नीची आमदनी के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि-दर न्यूनतम रही है, तथा शिशु मृत्यु-दर भी बहुत कम हो गई है। वहाँ शिक्षा का स्तर-विशेषतया महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊँचे हैं। पंजाब में ऊँची आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के नीचे होने व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मानवीय साधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है। यहाँ महिलाओं में साक्षरता का निदान्त अभाव पाया जाता है-विशेषतया ग्रामीण महिला-वर्ग में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में। स्त्रियों के लिए प्रभव से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों में व प्रसव के बाद की अवधि में स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव देखा जाता है। बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। कई प्रकार की बीमारियों से गर्भवती महिलाओं व

बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश परिवार कैलोरी-प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार पाये जाते हैं।

नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचको के आधार पर राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया गया है -

(1) साक्षरता जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है। 1991 में साक्षरता की दर 38.6% रही जो पुरुष वर्ग में 55.0% तथा महिला वर्ग में 20.4% थी। 1981 में साक्षरता की दर केवल 30.1% रही थी जिसमें पुरुषों में यह 44.8% तथा महिलाओं में 14% रही थी। इस गणना में सात वर्ष व अधिक आयु के साक्षर शामिल हैं। राज्य में ग्रामीण महिला-वर्ग में साक्षरता का अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है। 1991 में राज्य में अनुसूचित जाति के पुरुषों में साक्षरता का अनुपात 42.4% व स्त्रियों में 8.3% रहा एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में यह 33.3% तथा स्त्रियों में 4.4% रहा। इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई है। इनमें भी जिलों के अनुसार भारी अंतर पाये जाते हैं।

1981 में 5-14 वर्ष के आयु समूह में प्राथमिक व मिडिल स्कूल जाने वाले लड़कों का अनुपात राज्य में 11.45% तथा लड़कियों में 4.16% मात्र था। 15-24 वर्ष के आयु-समूह में शिक्षा पाने वालों में पुरुष वर्ग का अनुपात 8.86% तथा महिला वर्ग का अनुपात 2.48% था। 1980 में प्राथमिक स्तर पर 1000 विद्यार्थियों पर अध्यापकों की संख्या लगभग 24.9 थी सैकण्डरी स्तर पर 46.7 थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 48.5 थी। 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर राज्य में शिक्षकों की संख्या केवल तीन थी।

साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार-नियोजन पर पड़ना स्वामाविक है। केरल में साक्षरता का स्तर (अब लगभग शत-प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से वहाँ जन्म दर नीची है तथा जनसंख्या की वृद्धि-दर भी काफी कम है। 1990 की अवधि में केरल में शिशु मृत्यु-दर (IMR) (प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर) (per 1000 live births) 17 थी जबकि राजस्थान में यह 84 थी। 1990 में शिशु मृत्यु-दर की स्थिति इस प्रकार रही¹

(प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों पर)

मध्य प्रदेश	111
उड़ीसा	122
उत्तर प्रदेश	99
राजस्थान	84
अखिल भारत	80

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-वर्ग में साक्षरता का प्रसार बहुत आवश्यक है। इससे परिवार नियोजन को भी बल मिलता है। शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है। शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है।

(2) चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई - राजस्थान में चिकित्सा-संस्थाओं का बहुत अभाव है। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया था, जनवरी 1987 में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर में अस्पतालों/औपचारिकों की संख्या राजस्थान में केवल 4 थी जबकि भारत में यह 10 थी।

प्रति एक लाख जनसंख्या के पीछे अस्पतालों में रोगी शैयाओं/बिस्तारों की संख्या 1971 में 612 1981 में 567 तथा 1986 में 76 रही। 1986 में अखिल भारतीय स्तर 98 पाया गया। अतः राज्य में चिकित्सा की सुविधाओं का नितान्त अभाव है। 1981 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या प्रति दस लाख जनसंख्या पर 6.82 मात्र थी। दूर दराज के गांवों में चिकित्सा की सुविधाओं का भारी अभाव पाया जाता है। 1987 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 88.7% बच्चों के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख नहीं की थी। 1987 में 0-4 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओं (total deaths) में 51.1% पाया गया था।

(3) पोषण (Nutrition) - भारत में करोड़ों बच्चे अपर्याप्त खुराक के सहारे जीते हैं। 1989 में लगभग 59.6% परिवारों में कैलोरी-प्रोटीन का अभाव पाया गया था। मध्य प्रदेश में तो यह 80.8% परिवारों तक में पाया गया था। राजस्थान में भी निर्धनता, नीची आय, महंगाई सामाजिक पिछड़ेपन, परिवार नियोजन के अभाव आदि कारणों से पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं व प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं में पोषण की काफी कमी पायी जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते।

राजस्थान में 1987-88 में समन्वित बाल विकास सेवाओं (ICDS) में शामिल 0-6 वर्ष तक के 1328 बच्चों के पोषण की स्थिति का अध्ययन करने

से पता चलता है कि इनमें से 30.2% बच्चे सामान्य श्रेणी में (आयु के अनुसार 80% अधिक वजन) 26.1% श्रेणी I में (71.80% वजन) 23.6% श्रेणी II में (61.70% वजन) 10.9% श्रेणी III में (51.60% वजन) 7.5% श्रेणी IV में (50% से कम वजन) तथा 1.6% बिना रिकार्ड वाले थे। इस प्रकार 70% बच्चे वजन में सामान्य श्रेणी से नीचे थे।

[स्रोत Children and Women in India, A Situation Analysis, 1990, UNICEF 1991, P.38]

सारांश जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में 1981-91 की अवधि में जनसंख्या में 28.4% की वृद्धि हुई जो 1971-81 की 33% की वृद्धि की तुलना में तो कम थी फिर भी यह भारतीय औसत से ऊँची थी। इसलिए 1990 के दशक के बाद में राज्य में जन्म दर कम करने पर विशेष रूप से बल देना होगा। इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढ़ाना होगा लड़कियों की शादी की औसत आयु (1981 में 16.1 वर्ष थी) में वृद्धि करनी होगी तथा परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय अपनाने वाले दम्पतियों का अनुपात (जो 1988 में 27.8% आका गया है) बढ़ाना होगा। इन सबका प्रभाव जन्म दर को घटाने के रूप में प्रगट होगा। राज्य में यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होगा। इसके लिए जहाँ प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढ़ाना होगा वहाँ साथ में गरीब वर्ग के लोगों तक सामाजिक सेवाओं को पहुँचाना होगा अन्यथा अधिकांश व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जायगा। यदि हम महिला साक्षरता व शिक्षा एवं जन्म-दर, तथा जन्म दर व शिशु मृत्यु दर एवं माता व बच्चों के पर्याप्त पोषण व जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर में सम्बन्ध ठीक से समझ लें तो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

राजस्थान में जन्म दर को वर्तमान के 34.3 प्रति हजार के स्तर से घटाकर 25 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है। 1991 में कर्नाटक आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में जन्म दर का स्तर लगभग 26-27 प्रति हजार पर आ गया था। इसलिए प्रयत्न करने पर यह स्तर राजस्थान में भी लाया जा सकता है। केरल में तो जन्म दर 1991 में 18.1 प्रति हजार रही थी। पिछले वर्षों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर कम करने, साक्षरता का अनुपात बढ़ाने (विशेषतया महिला वर्ग में) तथा शादी की आयु बढ़ाने से जन्म दर में निश्चित रूप से गिरावट आती है। अतः हमें एक तरफ सघन अभियान चलाकर परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों का अनुपात बढ़ाना चाहिए और दूसरी तरफ साक्षरता बढ़ाकर, शिशु मृत्यु दर घटाकर तथा शादी की आयु में वृद्धि करके और महिलाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल देकर जनसंख्या की वृद्धि दर घटानी चाहिए। राजस्थान में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

परिशिष्ट - 1

1991 में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या इस प्रकार थी¹

		(लाखों में)	1991 में 1981 की तुलना में % वृद्धि
1	जयपुर (सागानेर व आमेर सहित)	15 14	49 2
2	जोधपुर	6 49	28 1
3	कोटा	5 36	49 7
4	बिकानेर	4 15	44 4
5	अजमेर	4 02	7 0
6	उदयपुर	3 08	32 3
7	अलवर	2 11	44 8
8	भीलवाड़ा	1 84	49 9
9	गगानगर	1 61	30 5
10	भरतपुर	1 57	49 0
11	सीकर	1 48	44 0
12	पाली	1 37	49 4
13	ब्यावर	1 07	18 6
14	टोक	1 00	29 0

1 Some Facts About Rajasthan, 1992, p 11

परिशिष्ट - 2
1991 में राज्य में जनसंख्या लिंग अनुपात (Sex ratio) घनत्व (density) वृद्धि-दर व साक्षरता की स्थिति (सरोपित आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य/जिला	जनसंख्या (हजार में)	लिंग अनुपात (Sex Ratio)	घनत्व (density)	1981-91 में वार्षिक वृद्धि-दर (% में)	साक्षरता की दरें (प्रतिशत में)		
						(व्यक्तियों में)	(पुरुषों में)	(स्त्रियों में)
	राजस्थान	6	910	129	28.44		54.99	20.44
1	गणतंत्र		877	127	- 29.20		55.30	26.40
2	बीकानेर		885	44	42.70 (H)		54.60	27.00
3	जयपुर		937	92	30.84		51.30	17.30
4	झुंझुन		931	267	30.61		68.30	25.50
5	अजमेर		880	274	30.82		61.00	22.50
6	भारतपुर		832	326	27.14		62.10	19.60
7	धौलपुर		795 (L)	247	28.10		50.50	15.30
8	सवाई माधोपुर		854	186	27.83		54.60	14.60
9	जयपुर	H)	891	336 (H)	37.44		64.80	28.70
10	सोनीर		946	238	33.81		64.10	19.90
11	अजमेर		918	204	20.05		68.80 (H)	34.50 (H)
12	दौंगर		923	136	24.42		50.60	15.20
13	जैसलमेर	L)	807	9 (L)	41.73		45.00	11.30
14	जोधपुर		891	94	29.12		56.70	22.60

1991 में राज्य में जनसंख्या लिंग अनुपात (Sex ratio) घनत्व (density) वृद्धि दर व साक्षरता की स्थिति (सशोधित आंकड़े)

क्र.सं.	राज्य/जिला	जनसंख्या (हजार में)	लिंग-अनुपात (Sex Ratio)	घनत्व (density)	1981-91 में दस वर्षीय वृद्धि दर (% में)	साक्षरता की दरें (प्रतिशत में)	
						(स्वामियों में)	(शिक्षकों में)
15	नागौर	2145	942	121	31.69	49.40	13.30
16	पाली	1486	956	120	16.63 (L)	54.40	17.00
17	बाड़मेर	1435	891	51	28.27	36.60 (L)	7.70 (L)
18	जालौर	1143	942	107	26.52	39.00	7.80
19	सिरोही	654	949	127	20.66	46.20	17.00
20	भोलानाडा	1593	945	152	21.58	46.00	16.50
21	उदयपुर	2889	965	167	22.59	49.30	19.00
22	चित्तौड़गढ़	1484	950	137	20.42	50.60	17.20
23	झुण्णर	875	995 (H)	232	28.07	45.70	15.40
24	बासनाडा	1156	969	229	30.34	38.20	13.40
25	बूंदी	770	889	139	25.85	47.40	16.10
26	कोटा	2031	887	163	32.32	64.00	29.50
27	झालावाड	957	918	154	21.91	48.20	16.20

(स्रोत: Some Facts About Rajasthan 1992 pp 12-15)

H = Highest (अधिकतम) L = Lowest (न्यूनतम)

1981 में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 11 ही थे । 1991 में इस श्रेणी में पाली ब्यावर व टोक और जुडे हैं। 1991 में पाली कोटा जयपुर भरतपुर तथा भीलवाडा नगरो की जनसंख्या 1981 की तुलना में लगभग ड्योढी हो गई हे ।

प्रश्न

- 1 राजस्थान की जनसंख्या वितरण का व्यवसाय ग्रामीण शहरी एव जिले के आधार पर उल्लेख करे । वैसे कौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के विकास में सहयोगी रहे हैं ?
(Ajmer I yr 1992)
- 2 राजस्थान में जनसंख्या के आकार व वद्धि का विवेचन कीजिए । क्या 1981 91 की अवधि में जनसंख्या की वद्धि दर में उल्लेखनीय कमी हुई हे ?
- 3 राजस्थान में साक्षरता की दर, शिशु मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन करके इनमें परस्पर कडो स्थापित कीजिए ।
- 4 राजस्थान में श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण स्पष्ट कीजिए ।
- 5 सक्षिप्त टिप्पणो लिखिए
 - (i) राजस्थान में जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसंख्या,
 - (ii) मानवीय साधनो के विकास के प्रमुख सूचक व इनमें राजस्थान की स्थिति
 - (iii) राज्य में शिशु मृत्यु दर
 - (iv) राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुझाव ।
- 6 राजस्थान राज्य की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं बताइये ।
(Raj I yr 1992)
- 7 राजस्थान राज्य में मानव ससाधन विकास के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ? शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्यों के विशेष सदर्थ में वर्णन कीजिए।
(Ajmer I yr 1992)

राजस्थान के प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशु-धन और खनिज-पदार्थ (Natural Resource Endowments of Rajasthan : Land, Water, Livestock and Minerals)

राजस्थान का गौरवमय इतिहास

राजस्थान का भारत के इतिहास में एक गौरवमय स्थान रहा है। यहाँ की पवित्र भूमि ने महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी व साहसी योद्धाओं को जन्म दिया है। उनके वीरतापूर्ण एवं त्याग से ओत प्रोत कार्य अनेक ऐतिहासिक तथा काव्य-कृतियों में विद्यमान हैं जो भावी युगों में देशवासियों को प्रेरणा देते रहेंगे। डॉड की प्रसिद्ध पुस्तक *Annals and Antiquities of Rajasthan* के पृष्ठ यहाँ के वीरों की अनेक गुण-गाथाओं से भरे हुए हैं। वीरोचित कार्यों एवं शौर्य की यह परम्परा आधुनिक राजस्थान का 'आध्यात्मिक आधार' (Spiritual base) मानी जा सकती है। जहाँ एक तरफ राजस्थान की इतनी उच्च ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परम्पराएँ रही हैं, वहाँ दूसरी तरफ इसी भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ के उद्यमकर्ताओं ने देश के विभिन्न भागों में जाकर उद्योग व व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन्होंने विदेशों में भी औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये हैं। राजस्थान ने ही बिड़ला, बागड सिंघानिया, सूरजमल-नागरमल आदि उद्योगपतियों व व्यावसायिक घरानों को जन्म दिया है। यहाँ के शिल्पकार व कारीगर पत्थर, सगमरमर, लकड़ी पीतल सोना चाँदी चीनी मिट्टी चमड़ा व वस्त्र पर अपनी कलाकृतियों में बेजोड़ माने गये हैं और देश-विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। वे आज भी अपनी प्रतिभा को न केवल कायम रखे हुए हैं, बल्कि अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। साथ में हमें यह भी स्मरण रखना है कि प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण यहाँ जन साधारण को समय-समय पर आर्थिक जीवन में कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े हैं। प्रति वर्ष राज्य के किसी न किसी भाग में सूखे व अकाल की काली छाया पड़ती रहती है। राज्य सरकार के लिए अकाल राहत कार्यों का बड़ा महत्त्व है। इनके द्वारा अकाल पीड़ित लोगों के लिए रोजगार व खाद्यान्नों की व्यवस्था की जाती है। साथ में पेयजल की सप्लाई भी बढ़ायी जाती है तथा पशुओं के लिए चारे का

इन्तजाम किया जाता है। राज्य बाढ़ से भी क्षतिग्रस्त होता रहा है। जुलाई-अगस्त 1990 में राज्य के पश्चिमी भाग में जालौर, पाली बाड़मेर, सिरोही व जोधपुर सभागो में बाढ़ से भारी क्षति हुयी थी। सूनी नदी में बाढ़ से बाड़मेर जिले में बालोतरा के निकट के क्षेत्रों में जान माल की अत्यधिक हानि हुयी थी। इस अध्याय में हम राजस्थान के भौतिक वातावरण व प्राकृतिक साधनों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

राजस्थान का निर्माण

वर्तमान राजस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद बन पाया है। यह प्रक्रिया 17 मार्च 1948 को प्रारम्भ होकर 1956 में समाप्त हुई थी। शुरू में 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धोलपुर व करोली राज्यों एवं नीमराना की चौफरीप को मिला कर मत्स्य सघ बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को अन्य पड़ोसी राज्य जैसे कोटा बून्दी झालावाड़ बासवाड़ा डूंगरपुर, किरानगढ़ प्रतापगढ़ शाहपुरा व टोक इस सघ में मिल गये थे। इससे पूर्व राजस्थान का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया था। मत्स्य सघ के निर्माण के एक माह बाद उसमें उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च 1949 तक पहले के राजस्थान में बीकानेर, जयपुर जेसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गये। इस प्रकार वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। छोटी अवस्था में सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमें मिला दिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य पहले बम्बई राज्य का आबू रोड तालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान में मिल गये और कोटा जिले का सिरोज उप खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया।

इस प्रकार राजस्थान अपने वर्तमान रूप में 19 देशी रियासतों तथा 3 सामन्ती राज्यों के एकीकरण से गठित हुआ है। इन रियासतों के आकार, जनसंख्या प्रशासनिक स्वरूप व क्षमता तथा सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में काफी अंतर पाया जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 27 जिलों में विभक्त किया गया। तीन नये जिले दोमा राजसमन्द व बारा को शामिल करने पर वर्तमान में 30 जिले हैं। 1991 में राज्य में 213 तहसीले 237 पंचायत समितियाँ अथवा विकास खण्ड एवं 7358 ग्राम पंचायतें हैं। कुल ग्राम 39 810 हैं जिनमें बसे हुए ग्राम 37 890 तथा बिना बसे 1920 हैं। 1991 में शहरों/नगरों की संख्या 222 व 1992 में नगरपालिकाएँ 186 थीं। वर्तमान में विधानसभा की सीटें 200 तथा लोकसभा की 25 सीटें हैं।

भागोलिक वातावरण

(अ) स्थिति सीमा क्षेत्रफल व प्राकृतिक दृष्टि राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में $23^{\circ}3'$ से $30^{\circ}12'$ उत्तरी अक्षांशों एवं $69^{\circ}30'$ से $78^{\circ}17'$ पूर्वी देशान्तरों के बीच में स्थित है। यह राज्य पूर्णतया उष्ण कटिबन्ध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य का जलवायु पूर्णतया उष्ण मरुस्थलाय है। इसका क्षेत्रफल 3 42 239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। इसकी आकृति एक पतंग के समान है।

उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 784 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 850 किलोमीटर है।¹

राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। यह सीमा 1070 किमी० लम्बी है। इस सीमा से राजस्थान के चार जिले- बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जुड़े हुए हैं। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भारत के पाच राज्यों को छूती हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर-पूर्वी सीमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्चिमी सीमा गुजरात से जुड़ी हुई हैं। यह राज्य समुद्र से बहुत दूर है। देश के आन्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म व शुष्क रहती है।



राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पश्चिमी पाकिस्तान एक-दूसरे के समक्ष जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वह मूलतः प्राकृतिक है और यह थार के रेगिस्तान से गुजरती है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइयाँ भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र की इन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण ही सीमा सुरक्षा पर व्यय की मात्रा काफी अधिक होती है और इस क्षेत्र में सड़कें

1 Census of India 1981, Series 18 Rajasthan, part XII Census Atlas 1988 p 8

व रेले बनना भी आवश्यक है जिससे युद्ध व सघर्ष के समय सैनिक सज्ज-सम्पन्न सुान्तापूर्वक भेजे जा सकें। वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने से इस पर कुछ प्राकृतिक रोक भी लग जाती है, लेकिन 1965 के भारत-पक संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यथायत की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाकर शत्रु राष्ट्र द्वारा प्राकृतिक सीमा का भी उल्लंघन किया जा सकता है।

अरावली पहाड़ - राजस्थान की सैनिक विशेषताओं पर अरावली पहाड़ का बड़ा प्रभाव पड़ा है। अरावली पर्वतमालाएं राज्य को चीरती हुई उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। इनका उत्तरी-पूर्वी भाग खेनडी के समीप है और दक्षिण-पश्चिमी छोर माउन्ट आबू के समीप है। अरावली पर्वतमालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बांट दिया है -- राजस्थान का 3/5 भाग अरावली के उत्तर पश्चिम में पड़ता है और 2/5 भाग दक्षिण पूर्व में। इनका जलवायु पर भी असर पड़ता है। ये पश्चिम से आने वाली मिट्टी को भी रोकते हैं। अरावली पहाड़ की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर होने के कारण इसके बायें भाग में उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है जहां मानसूनी वर्षा बहुत कम होती है और दायें भाग में मैदानी प्रदेश पाया जाता है जहां वर्षा अधिक होती है।

यदि इस पहाड़ की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ होती तो राज्य की जलवायु व धरातल की बनावट भिन्न प्रकार की हो जाती। इससे मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, वाडमेर आदि) में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती, और पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का अभाव हो जाता। इस प्रकार अरावली पर्वतमालाओं ने राजस्थान की जलवायु व धरातल की बनावट पर गहरा प्रभाव डाला है।

पश्चिमी राजस्थान -- अरावली के पश्चिमी व उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बलू से भरा हुआ है। इसमें जनसंख्या कम है। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान (Thar Desert) कहलाता है। वाडमेर, जैसलमेर, बांकांनेर, गंगानगर के कुछ हिस्सों के निवासियों को रेगिस्तान के शुष्क जीवन का सामना करना पड़ता है। गंगानगर के कुछ भागों को छोड़कर इस प्रदेश में अन्य कहीं भी बहता हुआ जल नहीं है। इस प्रदेश में प्रायः अकाल पड़ा करते हैं। कान्ही दूर तक यात्रा करने पर भी वनस्पति का नैमित्तिकान नहीं दिखाई देता। केवल 'सेवन' की घास ही कहीं-कहीं नजर आती है। परुओं के लिए यह घास ईश्वर का वरदान मनी जाती है। रेगिस्तान का निम्ना अब म्लान व कच्छ के राग की दिशा में आने वाली उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से हुआ है जो अपने साथ मिट्टी के कण लाती हैं।

हम आगे चलकर देखेंगे कि रेगिस्तान की इस समस्या का समाधान इंदिरा गांधी नहर (पहले राजस्थान नहर कहलाता था) है जो सन्त प्रदेश को हरा-भरा कर देगी।

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान -- इन भाग में उपजाऊ भूमि पाई जाती है तथा

नदिया भी बहती है। इसी भाग में उदयपुर (मेवाड़) का प्रदेश स्थित है जो 'राजस्थान का हृदय' कहलाता है। बासवाड़ा जिले का दक्षिणी व पूर्वी भाग अत्यन्त सुन्दर है। वर्षा के तुरन्त बाद यह आकर्षक हो जाता है। बनास व चम्बल नदिया राजस्थान के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। इस प्रदेश में कोटा व बूंदी के क्षेत्र हैं जो 'पत्थरी प्रदेश' बनते हैं। भरतपुर के मैदानी भाग भी इसी क्षेत्र में आते हैं।

नदिया व झीले -- राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में केवल लूनी नदी ही प्रमुख है। इसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी के समीप होता है और यह पश्चिम में बहती हुई दक्षिण पश्चिमी भाग में 320 किलोमीटर तक बहकर कच्छ के रण में प्रवेश करती है। पहले कहा जा चुका है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में नदियों का विशेष स्थान है। चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चम्बल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में विशेष महत्व रखती है। चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान आता है यह क्रुमभलगढ जिले में अगवली से निकल कर लगभग 480 किलोमीटर बहकर चम्बल में मिल जाती है। बाणगंगा जयपुर के पास से निकल कर पूर्वी भाग में बहती हुई (भरतपुर व धौलपुर में से) यमुना में मिलती है। माही नदी मुख्यतया गुजरात की नदी है लेकिन यह कुछ दूरी तक बासवाड़ा में तथा डूंगरपुर की सीमा पर बहती है। घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकल कर पंजाब में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ में प्रवेश करती है। यह हनुमानगढ के पश्चिम में लगभग तीन किलोमीटर में प्रवाहित होती है। इसमें वर्षा ऋतु में कभी कभी काफी जल आ जाता है।

राजस्थान में खारे पानी की झीले पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं। साभर झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर फुलेरा रेल मार्ग के समीप स्थित है। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। घुचपदरा झील बाडमेर जिले के बालोतरा के समीप स्थित है। यहाँ का नमक उच्च कोटि का होता है। इसके अलावा जोधपुर जिले की फलौदी तहसील की झील नागौर जिले की डांडवाना की झील तथा बीकानेर जिले की लूणकरणसर झील भी प्रसिद्ध हैं। राज्य अपनी कृत्रिम झीलों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर की जयसमूद्र मोठे पानी की झील विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी गई है। दूसरी झील काकरोली के समीप राजसमूद्र झील है जिसमें गोमती नदी गिरती है। यह अकाल सहायता कार्य का काफी पुराना नमूना प्रस्तुत करती है। तीसरी झील उदयसागर है। उदयपुर में स्थित पिरोला झील भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहा फरहसागर झील भी है। अजमेर में अन्नसागर झील भी काफी प्रसिद्ध झीलों में से एक मानी गई है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। अजमेर में दो झीलें हैं। जोधपुर अलवर व माउण्ट आबू में भी झीलें हैं। ये स्थल पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केन्द्र हैं। माउण्ट आबू का नकरो तालाब काफी सुन्दर व रमणीय है।

झीलो में कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित हैं। खारे पानी की साभर झील प्राकृतिक है और मीठे पानी की पुष्कर झील भी प्राकृतिक है।

(आ) जलवायु - राजस्थान की जलवायु का एक विशेष लक्षण यह है कि यहाँ तापमान में भारी अन्तर पाया जाता है। यहाँ शीतकाल में बहुत सर्दी पड़ती है और कई स्थानों पर तापक्रम हिम-बिन्दु से भी नीचे आ जाता है और पाला पड़ जाता है। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत तेज पड़ती है। पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश माना जाता है।

सभी राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में सामान्य वर्षा का स्तर (51 सेन्टीमीटर) न्यूनतम स्तर का माना गया है। यहाँ वर्षा का वितरण अममान व अनिश्चित किम्म का रहता है। यहाँ पर समान्य वर्षा झालावाड़ जिले की पहाड़ियों में 100 सेन्टीमीटर तक होती है, जबकि जेसलमेर जिले के रेगिस्तान में यह 16 सेन्टीमीटर तक होता है।

(इ) मिट्टी व वनस्पति - राजस्थान की मिट्टियों को मुख्यतया सात भागों में बाटा गया है

1. रेगिस्तानी मिट्टी - राजस्थान में यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। अरावली के पश्चिम में राज्य के समस्त भागों में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसमें प्रमुख जिले इस प्रकार हैं - श्रीगंगानगर, चूरू, झुझुनूँ, बीकानेर, जेसलमेर, नागौर, बाडमेर, जोधपुर तथा भीकर। यह काफी अनुपजाऊ होती है।

2. भूरी-पीली (रेगिस्तानी मिट्टी) यह बाडमेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर व झुझुनूँ जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फेट का अंश ऊँचा होता है।

3. लाल व पीली मिट्टी - यह उदयपुर, भीलवाड़ा व अजमेर जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बोनेट व ह्यूमस तत्व कम मात्रा में पाये जाते हैं।

4. फेरुजिनस (Ferruginous) लाल मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर जिले के मध्य व दक्षिणी भाग में एवं सम्पूर्ण डूंगरपुर जिले में पायी जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है।

5. मिश्रित लाल व काली मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बासवाड़ा व भीलवाड़ा के पूर्वी भागों में मिलती है।

6. मध्यम धेणी की काली मिट्टी - यह आम तौर पर कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में पायी जाती है।

7. कछारी मिट्टी (Alluvial Soils) - यह मुख्यतः अजमेर, भरतपुर

व सर्वाईमाधोपुर जिले में पायी जाती है। इसमें चूना फास्फोरस अम्ल व ह्यूमस कम होती है।

वनस्पति राजस्थान में कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में मामूली वनस्पति से लेकर अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व में पतझड़ व सदाबहार किस्म के जंगल पाये जाते हैं। 1988 89 के आकड़ों के अनुसार राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के लगभग 67% भाग में वन पाये जाते हैं। राज्य में वन क्षेत्र 231 लाख हैक्टेयर में फैला हुआ है जबकि कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 3425 लाख हैक्टेयर है।¹ वर्तमान समय में राज्य में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% आका गया है। पजाब को छोड़कर देश में सबसे कम वन सम्पदा राजस्थान की ही मानी जाती है। वनों के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल के कारण राज्य में ईंधन व औद्योगिक लकड़ी की मांग की पूर्ति कर सकना कठिन रहता है। पश्चिमी राजस्थान में वनों का नितान्त अभाव पाया जाता है। वहां कुछ कटिदार झाड़िया व घास पाठ ही होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार लगभग 1/3 भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए। इस दृष्टि से राज्य में वनों का अत्यधिक अभाव है। जिस क्षेत्र में वन दिखाये गये हैं उनमें भी बहुत कम भाग में उत्तम किस्म के वन पाये जाते हैं। ज्यादातर घटिया श्रेणी के वन होते हैं। वृक्षों की अत्यधिक कटाई आवश्यकता से अधिक चराई व भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोगों के कारण अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में भी वनों का हास हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बिडला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में पड़ने वाले 16 जिलों के कुछ भागों में 1972 75 से 1982 84 की अवधि में वन क्षेत्र में 41.5% की गिरावट आयी है।² इससे पता चलता है कि राज्य में कितनी भयावह रफ्तार से वनों का हास हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग ईंधन की लकड़ी सिर पर ढोकर वनों का विनाश करते रहे हैं। ऐसा जयपुर, अलवर, बूंदी उदयपुर, कोटा आदि शहरों के समीप के क्षेत्रों में देखा गया है जहां अरस पास की पहाड़िया बजर हो गई हैं और उनमें पर्यावरण की समस्याएं बढ़ गई हैं। राज्य में ईंधन की लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके 2001 तक 67.6 लाख टन होने की आशा है जबकि इसकी पूर्ति राज्य के साधनों से केवल 6 लाख टन ही हो पायेगी जिसमें लगभग 60 लाख टन का अभाव रहेगा। इसलिए राज्य में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में व्यर्थ भूमि (Waste land) की मात्रा काफी अधिक है जो घटिया वन भूमि अकष्य भूमि (unculturable land) चराई व चरागाह भूमि कृषि

1 Statistical Abstract 1989 Rajasthan p 97

2 Eighth Five Year Plan 1992 97 March 1993 p 122

योग्य व्यर्थ भूमि तथा सड़को नहरो आदि के किनारे भूमि के टुकड़ो के रूप में पायी जाती है। देश की कुल व्यर्थ भूमि का लगभग 1/5 भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है। विपरीत जलवायु व अन्य जैविक दबावों के कारण राज्य में व्यर्थ पड़ी भूमि का उपयोग करना एक दुष्कर कार्य है। राज्य में ईंधन की लकड़ों चारे व इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है ताकि वानिकी (forestry) में निर्यात का उपयोग किया जा सके। राज्य में चारे का उत्पादन 2 लाख टन ही होता है जबकि मांग 632.5 लाख टन अनुमानित की गयी है। अतः घास व चरागाह व चरागाहों का विकास किया जाना भी बहुत आवश्यक है।

आठवीं योजना की अवधि में जल की अर्धिक महायन्त्रा से इन्दरा गांधी नहर क्षेत्र में वक्षारपण व चरागाह विकास से इस क्षेत्र को हरा भरा करने की एक व्यापक योजना तैयार की गयी है तथा अरावली वनरोपण प्रोजेक्ट के माध्यम से उस क्षेत्र में वक्षारोपण चरागाह विकास मिट्टा व नमी संरक्षण के कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

जल साधन (Water Resources)

भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल साधनों का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य में जल साधनों की कमी का अनुमान सिन्धु तालिका से लगाया जा सकता है जिसमें कुछ सूचकों में राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में दर्शायी गयी है

(i)	भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का अंश	10.4%
(ii)	कृषि क्षेत्र में राजस्थान का अंश	10.6%
(iii)	1991 की जनसंख्या में राजस्थान का अंश	5.2%
(iv)	जल की उपलब्धि में राजस्थान का अंश	1.04%

इस प्रकार जल साधनों में राजस्थान का केवल 1% अंश है जो अन्य सूचकों की तुलना में काफी नीचा है।

जल साधनों में सतह जल साधन व भूतल जल साधन दोनों आते हैं।

(i) सतह जल साधन: (Surface water sources)

राजस्थान में आन्तरिक व बाहरी साधनों से कुल काम के लायक सतह जल साधन 29.28 मिलियन एकड़ फीट (MAF) आके गये हैं जिनमें से 15.86

MAF आन्तरिक साधनों से हैं। (जिनमें से फिलहाल 8.19 MAF का उपयोग हो रहा है) तथा शेष 13.42 MAF बाहरी साधनों से है जो इस प्रकार हैं¹ :

(MAF में)

(i)	गग नहर	1.11
(ii)	भाकड़ा नहर	1.50
(iii)	गुडगाव नहर	0.09
(iv)	रावी-व्यास	8.60
(v)	पारवती	0.50
(vi)	भरतपुर फीडर	0.021
(vii)	चबल	1.60
	कुल	13.421

अन्तर्राज्यीय नदी बेसीनो में से सर्वाधिक मात्रा रावी-व्यास से 8.60 MAF अर्बोदित है। इसमें से 7.59 MAF का उपयोग इन्दिग गांधी नहर परियोजना (IGNP) के माध्यम से किया जायेगा तथा शेष 1.01 MAF का इस्तेमाल गग व भाकड़ा नहर-प्रणालियों में सिंधमुख, नोहर व पूरक गग नहर के माध्यम से किया जायेगा।

भूतल-जल (Ground Water) की उपलब्धि राज्य की जल विज्ञान सम्बन्धी दशाओ के कारण काफी परिवर्तनशील व असमान रहती है, लेकिन अधिकांश भागों में भूतल के जल की किस्म घटिया पायी जाती है।

राज्य के जल-साधनों पर घेनल ने भूतल जल साधनों के निम्न अनुमान पेश किये हैं जिसकी तालिका आगे दी जा रही है -

इस प्रकार राज्य में भूतल जल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रादेशिक अंतर बहुत ज्यादा है। जून 1988 तक राज्य के 237 खण्डों में से 81 खण्ड 'काली श्रेणी' (dark category) में आ चुके हैं, तथा 31 खण्ड 'भूरी श्रेणी' (grey category) में आ चुके हैं। इसका आशय यह है कि उनमें पानी की सतह बहुत नीचे चली गयी है। इसलिए राज्य में भूमि के नीचे के जल का उपयोग अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता है।

(MAF में)

(1)	कुल भूतल जन सधन	10 183
(2)	पीने, औद्योगिक व अन्य उपयोग के लिए निर्धारित	1 527
(3)	शेष सिचई के लिए प्रयोज्य	8 656
(4)	इसमें से अब तक प्रयुक्त मात्रा	4 354
(5)	भूतल जल का बकाया मात्र जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगा	4 302
(6)	भूतल जन क उपयोग का वर्तमान स्तर [(4) का (3) से अनुपात]	50.30%

राज्य में सकल मिचिन क्षेत्रफल 1971-72 में 24.40 लाख हेक्टेयर में बढ़कर 1990-91 में 46.52 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। नदर, कुआँ व नलकूपों से मिचिन क्षेत्रफल बढ़ा है। 1990-91 में सकल मिचिन क्षेत्रफल घुडा बढ़ा था। 1989-90 में 44.61 लाख हेक्टेयर रहा था। राज्य में योजनाकाल में सिचई के सधनों का काफी विकास हुआ है।

राज्य में जल-साधनों के सदुपयोग के लिए सुझाव -

(1) अन्तर्राज्याय जल सधने में राज्य के अरा का शास्त्रानुसूक्त पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्दिरा गंधी नहर परियोजना, नमर, मिधनुख व नेहर सिचई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध करना चाहिए। सिचई परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ताकि इनकी लागत न बढ़े।

(2) पानी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम हो सके। इसके लिए फव्वारा सिचई (sprinkler irrigation) व बूद बूद सिचई (drip irrigation) की विधियाँ अपनायी जा सकती हैं जिनमें पानी का किफायत होती है और कम पानी में ज्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है।

(3) इन्दिरा गंधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूतल जन व सतह जन का मिला जुला उपयोग (Conjunctive use) इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

(4) जिन क्षेत्रों में पानी की सतह (Water table) मूखे का दरारा के कारण बहुत नीचे जा रही है उनमें भूतल जन के उपयोग में विशेष सावधानता बरतनी होगी तथा अन्य उपाय भी करने होंगे।

(5) सरकार को जल पूर्ति के विकास पर अधिक विनियोग करना होगा। इससे पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल साधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि मनुष्यों व पशुओं को पेयजल मिल सके फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके तथा भवन निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओं की यथासम्भव पूर्ति की जा सके।

राजस्थान का पशु धन

राजस्थान के लिए पशु सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 15% से अधिक अंश प्राप्त होता है। राजस्थान में देश के पशु धन का 7% तथा भेड़ों का 30% अंश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध उत्पादन का 11% तथा ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुओं की संख्या 1977 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 1983 में 4.97 करोड़ हो गई थी। इस प्रकार इस अवधि में पशुओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई थी। विशेष वृद्धि बकरी भेड़ व भैंस (नर मादा) में हुई थी। 1988 में पशुओं की संख्या घट कर 4.09 करोड़ पर आ गई। इस प्रकार 1983-88 की अवधि में पशुओं की संख्या लगभग 88 लाख कम हो गई।

1983-88 में पशुओं की संख्या में 1983 की तुलना में 17.7% की गिरावट एक भारी चिन्ता का विषय है। 1987-88 के भयंकर सूखे व अकाल के कारण राज्य की पशु सम्पदा का अत्यधिक ह्रास हुआ। 1988 में पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार था गोधन (गाय बैल) 1.09 करोड़ भैंस भैंसों सहित लगभग 63.4 लाख भेड़ 99.3 लाख बकरी बकरे 1.26 करोड़ तथा अन्य 11.4 लाख (जिनमें ऊँट 7.2 लाख व शेष 4.2 लाख में घोड़े टट्टू खच्चर, सूअर व गधे शामिल थे)।

राजस्थान में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पायी जाती हैं। नागौरी बैल माल ढोने में बहुत चुस्त पाये जाते हैं। ये प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। राज्य सरकार ने राठी थारपारकर व नागौरी नस्लों वाले क्षेत्रों में चुने हुए ढग पर पशुओं के प्रजनन (Selective breeding) की नीति अपनायी है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओं को चुना जाता है। क्लैक या साचोरी गिर, हरियाणा व मालवी नस्लों के लिए चुने हुए ढग पर (सिलेक्टिव) तथा क्रॉस ब्रीडिंग दोनों विधियों के आधार पर पशुओं की नस्ल के विकास का काम किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में दूसरी नस्ल के उत्तम पशुओं का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुओं की नस्ल सुधार व उत्पादकता बढ़ाने में

मदद देता है।

देश में ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अंश अकेले राजस्थान में उत्पन्न होता है। राजस्थान में भेड़ों की निम्न 8 नस्लें पायी जाती हैं— चोकला मगरा, नाली पूगल, जेमलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा तथा सोनाड़ी। इनमें प्रथम तीन बीकानेर की प्रमुख नस्लें हैं। जोधपुर की मारवाड़ी नस्ल मशहूर है। चोकला भेड़ से वस्त्रों की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनो में काम आता है। राज्य में 1951 में भेड़ों की संख्या में दो व में मनो महित 53.9 लाख थी जो 1983 में बढ़कर 1.34 करोड़ हो गई। लेकिन 1988 में यह घटकर 99.3 लाख पर आ गई। राजस्थान में देश की कुल भेड़ों का लगभग 30% अंश होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अंश प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ प्रति भेड़ ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ प्रति भेड़ लगभग 1.6 किलो ऊन प्राप्त होता है जबकि समस्त देश का औसत केवल 0.9 किलो ही माना गया है। नस्ल सुधार कार्यक्रम में मारवाड़ी, जेमलमेरी व मगरा भेड़ों को 'सिलेक्टिव ब्राडिंग स्कीम' में लिया गया है। इसके लिए उभरी नस्ल के चुने हुए भेड़े प्रयुक्त किये जाते हैं। नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों का विकास 'क्रॉस ब्राडिंग' के माध्यम से किया जाता है जिसमें दूसरी नस्ल में गुणात्मक सुधार करने के लिए दोनो प्रकार के प्रजनन या उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है। राज्य में 1984-85 में डेढ़ करोड़ किलोग्राम अथवा 15 हजार टन ऊन उत्पन्न किया गया था। माम के विक्रय से 75 से 90 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यापार होता है। राज्य में लगभग दो-संख परिवार ऊन के उत्पादन में सलग्न हैं। बाड़मेर, सीकर, जोधपुर व भीलवाड़ा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊन-आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है। कोटा व सवाई माधोपुर में बकरियों की नस्ल दूध व मांस दोनो दृष्टियों में उत्तम मानी गयी है। राज्य में ऊँटों की कई नस्लें पायी जाती हैं। जैसलमेर के समीप नाचुना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना में अधिक है। गजस्थान से प्रतिदिन काफी अण्डे अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं।

राजस्थान में कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन पशुपालन ही है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना चाहिए। राज्य के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए पशु धन के विकास पर ज्यादा बल देना उचित होगा। पानी, चारा (उत्पादन एवं सग्रह) आदि के विस्तार से पशु सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। अकाल व सूखा पड़ जाने से पिछले वर्षों में कई बार राजस्थान में पशुओं को अन्यत्र भेजना पड़ा और पशु धन को काफी क्षति पहुँची। लेकिन अब अन्य राज्यों में भी कठिनाइयाँ होने के कारण वहाँ पशुओं को भेजना मुश्किल होता जा रहा है। राज्य में पानी व चारा

की सुविधाएँ बढ़ाकर अर्द्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में भेड़-पालन व अन्य पशुओं का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में ऐसे उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हैं, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध - निर्मित पदार्थ, मास का उद्योग, चमड़े का उद्योग, व हड्डी का उद्योग। यदि पशु धन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाय तो सरकार व जनता दोनों की आय में वृद्धि हो सकती है।

राजस्थान सहकारी डेयरी सघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में सलग्न है। वर्तमान में राज्य में डेयरी सयत्रों की प्रतिदिन की औसत क्षमता 9 लाख लीटर दूध तथा 24 दूध अवशीतन केन्द्रों की 40 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की है। 1991-92 में डेयरी सहकारी समितियों व सघ केन्द्रों की संख्या 4477 थी तथा उनके कुल सदस्य 346 लाख दुग्ध उत्पादक थे। अप्रैल से दिसम्बर 1991 की अवधि में प्रतिदिन दुग्ध का औसत संग्रहण 255 लाख लीटर हो पाया था।¹ बीकानेर में 'सरस रसगुल्लों' का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सरस पनीर, सरस घी व 90 दिन तक खराब न होने वाले 'टेट्रापैक दूध' (Tetrapak milk) का उत्पादन भी किया जाता है।

राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास के सम्बन्ध में नीति व राजकीय प्रयास - राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उन्नत विधियाँ अपनायी गई हैं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओं में बीमारी की रोकथाम का इन्तजाम किया गया है। इसके लिए पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं।

प्रतिदिन दूध का सकलन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि ऊपर कहा गया है 10 डेयरी सयत्र लगाये जा चुके हैं तथा 24 अवशीतन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दूध का उत्पादन करने वालों का सहकारी समितियाँ बनाई गयी हैं। उनको सतुलित पशु आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है।

पशु-पालकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल 1986 को भारतीय एग्री इण्डस्ट्रीज फ़ाउन्डेशन (BAIF) की सहायता से कोस ब्रीडिंग के लिए 50 केन्द्र स्थापित करने का समझौता किया गया है। ये केन्द्र भोलवाडा कोटा बूदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर व बासवाडा जिलों में स्थापित किये जा रहे हैं।

इस प्रकार सरकार पशुओं की नस्ल सुधारने पशु चिकित्सा पशु पालकों

1 आय व्ययक अध्ययन (Budget Study) 1992-93 p 113 and Some Facts About Rajasthan 1992 p.54

की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। इससे राज्य के पश्चिमी भागों में विशेष रूप से लाभ हो रहा है। राज्य में पशु मेले आयोजित किये जाते हैं। जिनमें परबतसर व पोपलू गांव के पशु मेले उल्लेखनीय हैं। बस्ती (जयपुर) में पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है यहाँ विशेषतया जरसी गायों का प्रजनन होता है।

राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास ¹

राजस्थान खनिज पदार्थों का एक अजयबघर (a museum of minerals) माना गया है। बिहार के बाद खनिज सम्पदा में राजस्थान की ही गिनती होती है। राजस्थान में 50 से अधिक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अधात्विक खनिजों (non metallic minerals) के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है तथा धात्विक खनिजों के उत्पादन मूल्य में चौथा स्थान है। प्रचलित कीमतों पर (at current prices) खनन (mining) से 1985-86 में 1892 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद (NSDP) का 25 प्रतिशत थी। यह 1990-91 में 347 करोड़ रुपये हो गई जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग 2% थी।

इस समय राज्य में लगभग छः धात्विक (metallic) और बीस अधात्विक (non metallic) औद्योगिक खनिजों के निकालने का कार्य जारी है। धात्विक समूह में मुख्य खनिज इस प्रकार हैं सोसा, जस्ता, चाँदी, केडमियम (रागे से मिलता जुलता) मैंगनीज, वुल्फ्रेमाइट (टंगस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) व कच्चा लोहा। अधात्विक समूह के मुख्य खनिज निम्नांकित हैं ऐस्बेस्टस (asbestos), बेराइटस (barites), केलसाइट, चायना क्ले, डोलोमाइट, पन्ना (emerald) फेल्सपार, फायर क्ले, फ्लोराइट, रक्तमणिका, तामडा (garnet) मुल्तानी मिट्टी (fuller's earth) खडिया मिट्टी (gypsum) रोक-फास्फेट, लाइमस्टोन, सगमरमर (marble), अभ्रक, क्वार्टज, सिलिका मिट्टी घीया पत्थर (soapstone), पाइरोपिलाइट व वरमैक्यूलाइट। इनके अलावा ग्रेफाइट, क्यानाइट (kyanite), लाल व पीली ओकर्स (ochres) स्लेटस्टोन व टूरमैलाइन (tourmaline) का भी थोड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। मैग्नेसाइट के विस्तृत भण्डारों का भी पता लगाया गया है और उनके आर्थिक उपयोग की छान बीन जारी है। उदयपुर के समीप झामर कोटरा (Jhamar Kotra) की खानों से राक फास्फेट के उत्पादन से राज्य ने खनिज

1 Some Facts About Rajasthan 1992 (DES Jaipur Feb 1993), pp 55-56 तथा एम वी झापुर समिति (आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की ब्युहरचना (strategy) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति) रिपोर्ट खण्ड 1 प 35-37

विकास के क्षेत्र में एक नया कदम रखा है। दो राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के तत्वावधान में राँक-फॉस्फेट के खनन का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश में अग्रणी है जैसे चाँदी बुल्फैमाइट, एस्बेस्टस, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जम्ता राँक-फॉस्फेट आदि।

खनिज ईंधनों (Mineral fuels) में पलाना की लिग्नाइट खानें आती हैं जिनमें काफी वर्षों से काम होता आ रहा है। नागौर जिले के मेडता रोड तथा बाडमेर जिले के कपूरडी क्षेत्रों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। कपूरडी में 6 करोड़ टन के लिग्नाइट के भण्डार अकेले हैं। मई 1983 की सूचना के अनुसार जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। यहाँ एक अरब घनमाटर में प्राकृतिक गैस मिला है। इस क्षेत्र में सोमेट प्लांट और विद्युत गृह स्थापित करने की योजना है। 6 जुलाई 1990 को डाडेवाला (जैसलमेर) में प्राकृतिक गैस का भण्डार मिला है। इससे प्रतिदिन 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध होगी जिससे एक डिजलीयर व कई गैस-आधारित उद्योग चलाये जा सकेंगे। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, रीको, सेच्युरी रेयन्, दिग्विजय सीमेन्ट, गोविन्द ग्लाम उद्योग गैस के लिए आयल इण्डिया लि० को अनुरोध कर चुके हैं। मार्च 1984 में जैसलमेर से करीब 145 किलोमीटर दूर सादेवाला में तेल का बड़ा भण्डार मिला था। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने जून 1983 के अन्त में वहाँ खुदाई का काम शुरू किया था। जैसलमेर में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक हालियम गैस प्लांट लगाने का विचार कर रहा है। सादेवाला से पाक सिमा के बीच करीब 3 किलोमीटर की ही दूरी है। रामपुरा-आगुदा (भीलवाड़ा जिले) में जिंक व सीसे के विपुल भण्डार मिलने से राजस्थान में भारत सरकार ने चंदेरिया में एक जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है जिसकी लागत लगभग 447 करोड़ ₹० अनुमानित है। इसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कार्यान्वित करेगा। खनिज दोहन पर 170 करोड़ रुपये की लागत को शामिल करने पर कुल लागत का अनुमान फिलहाल 617 करोड़ रुपये लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गाव केसरपुरा (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र में 50 करोड़ टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का पता लगाया गया है। यह पीले रंग का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन उत्तम किस्म का है। यह इस्पात बनाने की फैक्ट्रियों में काम आयेगा।

अप्रैल 1992 में आयल इण्डिया को बाँकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं। बाघेवाला से तुवरीवाला तक 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैवी क्रूड आयल के भण्डार का पता चला है जो करीब 125 मीटर मोटी परत के रूप में है। इस क्षेत्र में करीब साढ़े तीन करोड़

टन तेल के भंडार हैं।¹

नीचे विभिन्न खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है -

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

(1) तांबा - खेतड़ी को तांबे की खानें सिंधाना से रघुनाथपुरा तक फैली हुई है। राज्य के अन्य भागों में भी तांबे के भण्डारों का सर्वेक्षण किया गया है। दरीवा के समीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है। दुर्गापुर जिले के खेतड़ी सिंधाना क्षेत्र में तांबा निकाला जाता है। दूसरा स्रोत छोटे-दरीवा (अलवर जिला) है। भोलवाडा जिले में भी तांबे का क्षेत्र है। सिंगेही जिले में आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व तांबा पाये गये हैं। उदयपुर जिले के अजली क्षेत्र में तांबे के भण्डार मिले हैं।

खेतड़ी के समीप तांबे के बड़े भण्डार हैं। इनका उपयोग करके गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसमें उपेत्यक्ति (by product) के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगी और थोड़ी चर्दी व सोने की मात्रा भी उपलब्ध होगी। सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होने में सुपरफ़ॉस्फ़ेट का उत्पादन भी चलू किया जा सकेगा।

राजस्थान में कच्चे तांबे (copper ore) का उत्पादन 1992 में 17.9 लाख टन अनुमानित है जबकि 1991 में यह 17.3 लाख टन हुआ था।

(ii) सोसा व जस्ता - उदयपुर में 40 किलोमीटर की दूरी पर जबर स्थान पर सोसा व जस्ता की खानें स्थित हैं। सोसा के इले गलाने के लिए बिहार भेज दिये जाते हैं और जस्ता के इले जो पहले जपान भेज दिये जाते थे, अब देवारी (उदयपुर के पास) में जस्ता गलाने के मयत्र में प्रयुक्त किये जाते हैं। इस कार्य के संचालन के लिए 'दी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,' देवारी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जस्ता गलाने की उपेत्यक्ति के रूप में सुपर फ़ॉस्फ़ेट एसिड व कोडमियम प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फ़ॉस्फ़ेट के उत्पादन में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है भोलवाडा जिले के रामपुरा अणुवा क्षेत्र में जस्ता व मासे के बिंधुन भण्डार मिले हैं जिनमें चर्दिया में जिंक स्मेल्टर संचालित जा रहा है।

1992 में राजस्थान में सोसा के इले का उत्पादन 50 हजार टन जस्ता के इले का 1.01 लाख टन और चर्दी का लगभग 5.5 किलोग्राम अनुमानित है।

(iii) कच्चा लोहा राजस्थान में थोड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर, उदयपुर, झुन्झुनूँ, सोकर व अलवर जिलों में पाया जाता है। मुख्य भण्डार जयपुर व उदयपुर जिलों में स्थित हैं। 1992 में कच्चे लोहे का उत्पादन 35 हजार टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से अधिक है।

(iv) मैंगनीज - बासवाडा जिले में घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती है। राज्य में मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है।

(v) टंगस्टन (Tungsten) - नागौर जिले में डेगाना के पास दो पहाड़ियों में टंगस्टन के भण्डार पाये जाते हैं। यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफी अच्छी बतायी जाती है। टंगस्टन का उपयोग एल्युमिना तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में होता है। यह विद्युत के साज सामान में भी प्रयुक्त किया जाता है। टंगस्टन रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है। 1992 में राजस्थान में 15 टन टंगस्टन का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष 11 टन हुआ था। भारत में टंगस्टन के उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है।

औद्योगिक व अधात्विक खनिज

(Industrial and Non Metallic Minerals)

इन खनिजों का वर्णन निम्न समूहों में विभाजित करके किया जा सकता है।

(अ) पृथक् करने के काम आने वाले खनिज, ताप व प्रभाव न पड़े (Insulants) ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज (refractories) व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आने वाले खनिज (ceramic minerals)। इस समूह में निम्न खनिज शामिल होते हैं।

(i) एस्बेस्टस एस्बेस्टस का उपयोग एस्बेस्टस सीमेन्ट छत की चद्दरे, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। 1992 में 38 हजार टन एस्बेस्टस का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 1991 में 33 हजार टन का हुआ था। भारत का 85% एस्बेस्टस राजस्थान में पाया जाता है। इसके भण्डार उदयपुर, डूंगरपुर, भोलवाड़ा व अजमेर जिलों में हैं।

(ii) फेल्सपार (Felspar) - यह काच मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। देश में फेल्सपार की कुल उत्पाति का लगभग 75% राजस्थान में उत्पन्न होता है। यह मुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में सिरौही उदयपुर, अलवर और फाली जिले में भी पाया जाता है। 1991 में इसका उत्पादन 73 हजार टन हुआ था जिसके 1992 में 76 हजार टन होने का अनुमान है।

(iii) सिलिका रेत (Silica Sand) - यह काच, उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में आती है। यह अधिकांशतः जयपुर और बूंदी जिलों में

निकाली जाती है। 1991 में इसका उत्पादन 2.41 लाख टन हुआ था जिसके 1992 में 2.55 लाख टन होने का अनुमान है।

(iv) क्वार्ट्ज - यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलों में मिलता है।

(v) मैग्नेसाइट - यह रिफ्रेक्टरी ईंटों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में काच के उद्योगों में भी काम आता है। यह अजमेर जिले में भी पाया जाता है।

(vi) वरमीक्यूलाइट - अजमेर जिले में एक खान में थोड़ी मात्रा में वरमीक्यूलाइट निकाला जाता है। इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। यह ताप व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है।

(vii) वाल्स्टोनाइट - यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। यह सिमेंटिक उद्योग में काफी काम आता है। यह पेट व कागज उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। यह सिरोही जिले में मिलता है।

(viii) चायना क्ले व क्लेइट क्ले - यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्स्यूलेटर के रूप में काम आता है। यह सर्वाईमाधोपुर, सीकर, अलवर, नागौर व जालोर जिलों में पाया जाता है।

(ix) फायर क्ले - यह फायर ईंट ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती है। यह बीकानेर जिले में पायी जाती है।

(x) डोलोमाइट - यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलों से निकाला जाता है। यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में भी काम आता है। 1991 में इसका उत्पादन 1 हजार टन हुआ जिसके 1992 में भी इतना ही रहने का अनुमान है।

(आ) इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिज - इस समूह में अभ्रक व बेरिल आते हैं।

(i) अभ्रक (mica) - राजस्थान में अभ्रक की खानें भोलवाड़ा टोक, अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलों में पायी जाती हैं। अभ्रक विद्युत साज सामग्री में प्रयुक्त होता है। यह रबर के टायरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है।

बिहार व आंध्रप्रदेश के बाद अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान आता है। भारत का लगभग एक चौथाई अभ्रक राजस्थान में उत्पन्न होता है। 1991 में अभ्रक का उत्पादन 5.49 टन हुआ जिसके 1992 में 5.68 टन होने का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया गया है।

(ii) आणविक खनिज - आणविक खनिजों में भी राजस्थान की स्थिति उत्साहवर्द्धक मानी जाती है। अजमेर व राजगढ़ की खानों में लिथियम की कुछ मात्रा मिलती है। उदयपुर के समीप यूरैनियम की खोज की जा रही है। राजस्थान

बोरिल का भी प्रमुख उत्पादक है। यह सूक्ष्म मात्रा में अम्रक की छानो में मिलता है। यह अजमेर व जयपुर संभाग में पाया जाता है।

(इ) कीमती पत्थर व अग्रेसिब्ज (Gem Stones and Abrasives)

(i) पन्ना (Emerald) - अजमेर व उदयपुर जिलो में कुछ स्थानों पर एमरल्ड मिलता है। यह हरे रंग का कीमती पत्थर होता है। पिछले वर्षों में इसका उत्पादन काफी घट गया है।

(ii) गार्नेट - यह अजमेर, भीलवाड़ा व टोक जिलो में पाया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं एक तो अग्रेसिब्ज और दूसरी जैम। राजस्थान में इसकी दोनों किस्में पायी जाती हैं। जैम गार्नेट टोक जिले में ज्यादा मिलता है।

(इ) उर्वरक टनिज - इस समूह में जिप्सम राक फॉस्फेट व पाइराइट्स आते हैं।

(i) जिप्सम - राजस्थान में जिप्सम के काफी भण्डार भरे पड़े हैं। देश में कुल उत्पादन का लगभग 90% राजस्थान के हिस्से में आया है। जिप्सम की खानें बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, जैमलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिलो में पायी जाती हैं। पहले यह भवन-प्लास्टर में ज्यादा प्रयुक्त होती थी अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है। यह सीमेन्ट उद्योग में भी प्रयुक्त होती है। देश में मन्थक की कमी होने में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है। 1991 में राजस्थान में 16.2 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ तथा 1992 के लिए प्रारम्भिक अनुमान 17 लाख टन का है।

(ii) रॉक-फॉस्फेट - उदयपुर के समीप रॉक फॉस्फेट के विशाल भण्डारों की खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पहले यह जैसलमेर जिले में बिरमेनिथा स्थान पर दूदा गया था। झामर-कोटड़ा के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं। अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाये गये हैं। झामर-कोटड़ा क्षेत्र में उत्पादन मार्च 1969 से प्रारम्भ हो गया था। रॉक-फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा रहा है। 1969 में राज्य में लगभग 69 हजार टन रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी गयी है। इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है। 1991 में रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन 2.65 लाख टन हुआ। 1992 के लिए उत्पादन का प्रारम्भिक अनुमान 2.50 लाख टन है। रॉक-फॉस्फेट की बिक्री से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। रॉक-फॉस्फेट के परिशोधन के लिए एक बड़ा संयंत्र लगाने की योजना है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सौफता भाइन्स फ्रांस द्वारा तैयार कराई गई है। झामर कोटड़ा में रॉक-फॉस्फेट के 68 करोड़ टन के भण्डार अनुमानित हैं।

(iii) पाइराइट्स (Pyrites) - सीकर जिले के सलादीपुरा में पाइराइट्स की काफी मात्रा उपलब्ध हुई है। इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा सकता है। गन्धक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है। उदयपुर के समीप राक फ्लस्फेट के भण्डारों व सलादीपुरा की पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य में एक उर्वरक काम्प्लैक्स या समूह स्थापित किया जा सकता है।

(उ) रसायन उद्योग के खनिज इस समूह में लाइमस्टोन फ्लोर्सपार व बेराइट्स आते हैं।

(i) लाइमस्टोन या चूना पत्थर सोभाग्य से राजस्थान को सीमेन्ट के उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं। नौ सीमेन्ट के प्लांट लाखेरी, सर्वाई, माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दारौली (उदयपुर), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), मोडक (कोटा), बनास (सिरोही), ब्यावर व कोटा में चल रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में राज्य में सीमेन्ट का उत्पादन काफी बढ़ा है। राज्य के विभिन्न भागों में लाइमस्टोन पाये जाने में सीमेन्ट के उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। जसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही व पाला जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में लाइमस्टोन की सकल मात्रा व श्रेणी निश्चित करने के लिए प्रोसपेक्टिंग का कार्य चल रहा है। जैसा कि प्रारम्भ में बताया जा चुका है, जसलमेर के सोनू क्षेत्र में स्टालग्रेड लाइमस्टोन का 50 करोड़ टन का भण्डार मिला है। 1991 में राज्य में 78.8 लाख टन सीमेन्ट ग्रेड (CG) के लाइमस्टोन का उत्पादन हुआ था जिसके 1992 में बढ़कर 80 लाख टन होने के अनुमान हैं। लाइमस्टोन का उत्पादन लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) व लाइमस्टोन दो श्रेणियों के तहत अलग से दिखाया जाता है। 1991 में लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) का उत्पादन 10.2 लाख टन तथा लाइमस्टोन का 28.2 लाख टन हुआ जिनके 1992 में कुछ बढ़ने के अनुमान हैं। इस प्रकार राज्य में लाइमस्टोन का उत्पादन तान श्रेणियाँ में दिखाया जाता है।

(ii) फ्लोर्सपार (Flourspar) डूंगरपुर जिले में माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार के भण्डार पाये जाते हैं। इसका विकास पहले के वर्षों में राजस्थान आद्योगिक व खनिज विकास निगम के द्वारा किया गया है। यह फ्लोर्सपार स्टील, मेटलर्जी में व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में काम आता है। राज्य में 1991 में चार हजार टन फ्लोर्सपार का उत्पादन हुआ था। 1991 में भी इतना ही उत्पादन होने का अनुमान है।

(iii) बेराइट्स (Barites) यह तेल के कुओं की ड्रिलिंग के दौरान घोल या कोचड बनाने के काम आता है। यह पेट्रोलियोपेन उद्योग तथा बेरियम रसायनों में प्रयुक्त होता है। यह कागज व रबर उद्योग में भी काम आता है। यह अलवर जिले में तथा नाथद्वारा के समीप मिलता है। 1991 में इसका उत्पादन

6 हजार टन हुआ था जिसके 1992 में 8 हजार टन होने का अनुमान है ।

(ऊ) छोटे खनिज (Minor Minerals)

(i) बेन्टोनाइट - यह एक प्रकार की मिट्टी होती है । यह ड्रिलिंग मड तैयार करने व सौन्दर्य प्रसाधनो (cosmetics) के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह बाडमेर व सवाईमाधोपुर जिले में पाया जाता है । देश का 15% बेन्टोनाइट राजस्थान में मिलता है।

(ii) मुलतानी मिट्टी (Fuller's Earth) - बीकानेर व जोधपुर जिले में इसके भण्डार पाये जाते हैं । यह चिकनाहट को सोए लेती है और तेल से रगने पदार्थ हटाने में प्रयुक्त होती है ।

(iii) सगमरमर, ग्रेनाइट व अन्य भवन-निर्माण के पत्थर - मकराने का सगमरमर ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त किया गया था । नागौर पाली सिरौही, बूढ़ी उदयपुर, व जयपुर जिलों में सगमरमर की प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले हैं । 1991 में सगमरमर का उत्पादन 116 लाख टन हुआ जिसके 1992 में 121 लाख टन होने का अनुमान है । राजस्थान के 18 जिलों में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है । अतः राज्य ग्रेनाइट की दृष्टि से काफी धनी है । जालौर जिले में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है । ग्रेनाइट के भण्डारों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं - झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर दौसा टोंक सवाईमाधोपुर, बाडमेर, पाली भीलवाड़ा जालौर, सिरौही अलवर व राजसमंद । राज्य के विभिन्न भागों में सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन पाये जाते हैं ।

(ए) विविध

(i) घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइट - राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना गया है । ये खनिज टेल्कम पाउडर, खिलौने आदि बनाने में प्रमुख होते हैं । ये उदयपुर जयपुर सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में पाये जाते हैं ।

(ii) केलसाइट - यह रसायन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है । यह कागज वस्त्र चीनी मिट्टी उद्योग पेट इत्यादि में काम आता है । यह सीकर जिले में प्राप्त होता है । लेकिन कुछ मात्रा सिरौही पाली जयपुर व उदयपुर जिलों में भी पाई जाती है ।

(iii) ओकर्स (Ochres) (लाल और पीले) - ये खनिज पिगमेंट होते हैं जो धुलते नहीं हैं और रंग बनाने सीमेन्ट, रबड प्लास्टिक आदि उद्योगों में काम आते हैं । यह चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर मिलता है । यह कुछ अन्य जिलों में भी मिलता है ।

(iii) नमक - राजस्थान में साभर झील में काफी नमक उत्पन्न किया जाता है । डीडवाना पंचपदरा व लूनकरणसर भी नमक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र

मने गये हैं ।

खनिज इंधन (Mineral Fuels)

(1) कोयला

राजस्थान में लिग्नाइट कोयला (भूगु कोयला) काफी मात्रा में पाया जाता है । इसमें घनत्व बिजली पैदा करने में सक्षम है । राज्य में इसके भण्डार पलना (बकानेर) में 25 करोड़ टन, कूरुड (बडनेर) में 6 करोड़ टन तथा मेडल रोड (नौर) में 75 करोड़ टन पाये गये हैं ।

अठवौं पंचवर्षीय में बरसानगर (बकानेर क्षेत्र) के पास 240 मेगावट क्षमता (120 मेगावट के 2 यूनिट) का एक बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव है । यह कार्य नैवला लिग्नाइट निगम (NLC) द्वारा संचालित किया जा रहा है । इस पर 850 करोड़ रु व्यय हान का अनुमान है । यहाँ चार वर्ष में बिजली का उत्पादन चालू हो सकता है । इसके लिए आवश्यक तेल का पूर्ति इंडिया गैस नहर से करा जाएगा ।

बरसानगर में लिग्नाइट-आधारित तेल बिजलीघर का निर्माण कार्य तुरंत में पूरा किया जा चाहिए ताकि राज्य में बिजली का अभाव दूर किया जा सके । बरसानगर में 6 करोड़ 20 लाख टन लिग्नाइट होने का अनुमान है । यहाँ 55 मिल तक खनन किया जा सकता है । अब इस परियोजना पर विरोध ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(2) पेटालियम एवं प्राकृतिक गैस

राजस्थान में गैस के भण्डार जैसलमेर में घेरारू नामक स्थान पर 1985 में पाये गये थे । इनमें निपेन व हालियम गैस का मात्रा अधिक पाया गया है । जुलाई 1990 में डाडेवल में (नैमलमेर क्षेत्र) प्राकृतिक गैस के विस्तृत भण्डार मिले हैं जिनसे एक बिजलीघर व कुछ गैस आधारित उद्योग चलाये जा सकते हैं ।

1984 में नैमलमेर में 'मदवल' में खनिज तेल के भण्डार मिले हैं । अगस्त 1992 में बकानेर के निकट 'बग्गवल' में हैवा क्रूड तेल के भण्डार का पता चल है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ शोध हो तेल का उत्पादन प्रारम्भ किया जायगा । जैसलमेर का क्षेत्र पेटालियम व प्राकृतिक गैस को दृष्टि से कारना महत्वपूर्ण हो गया है ।

राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग (Mineral Based Industries in Rajasthan)

उत्पादन वितरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की पर्याप्त सम्भावना है । राज्य में समन्वित उद्योग स्थापना व अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक खनिज पर्याप्त पाये जाते हैं । हम नाच पिछले वर्षों की प्रगति व भविष्य सम्भावना का उल्लेख करते हैं ।

1. जस्ता एंव गलाई सयंत्र (Zinc Smelter Plant) - उदयपुर के समीप देवारी नामक स्थान पर 18 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिक स्मेल्टर प्लाट चालू किया गया था। ऊंची किस्म का जस्ता तैयार करने के साथ साथ वह उपोत्पत्ति के रूप में कैडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) भी तैयार करता है। सल्फ्यूरिक एसिड से सुपरफॉस्फेट तैयार किया जा सकता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-आगुचा में जिक व सोसे के पर्याप्त भण्डार पाये जाने से भारत सरकार ने राजस्थान में जिक स्मेल्टर सयंत्र लगाने की स्वीकृति दे दी है जिसे हिन्दुस्तान जिक लि कार्यान्वित कर रहा है। यह चदेरिया स्थान पर लगाया जा रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इसमें खनिज दोहन व स्मेल्टर सयंत्र पर लगभग 617 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इससे 42 करोड़ खनिज निकाला जायेगा, 2 हजार व्यक्तियों की प्रत्यक्ष रोजगार व 10 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार मिलेगा।

2 निम्बाहेड़ा में एक सीमेंट का कारखाना डाला गया है। राज्य में सीमेंट के नौ बड़े कारखाने हो गये हैं। भविष्य में नये कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं। हास में राज्य में काफ़ी सख्खा में सीमेंट के छोटे सयंत्र (Mini Cement Plants) भी लगाये गये हैं।

3. खेतड़ी में तांबा गलाने का सयंत्र (Copper Smelter Plant)- खेतड़ी में तांबा गलाने के सयंत्र की क्षमता 30 हजार टन है जो भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। यहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जिसका उपयोग करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

4 जैसा कि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा क्षेत्र में प्राप्त रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों का उपयोग करके सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन किया जा सकेगा। सीकर (सलादीपुरा) में पाइराट्स के भण्डारों का उपयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न की जा सकेगी जिसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जायेगा।

इस प्रकार राज्य में कई जगहों में सुपर-फॉस्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने से विकास को नया मोड़ मिलेगा।

5 नोम का थाना में निजी क्षेत्र में ब्ले खाशिंग प्लाट स्थापित किया गया है।

6 कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूंगरपुर में माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लाट प्रारम्भ किया था जिससे रसायन उद्योगों को बढ़ावा मिला है।

7 जालौर में एक ग्रेनाइट पॉलिशिंग फैक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के अधिकार में ली गई थी जिसका विकास किया गया है।

8 अन्य - इसके अलावा हाई टेक प्रिंसीजन ग्लास, जोधपुर में ग्लास व ग्लास प्रोडक्ट्स, पर्फेक्ट पोटर्री कम्पनी लिमिटेड भरतपुर में फ्लायर ब्रिक्स, स्टोनवेयर व पाइप, भूपाल माइनिंग वर्क्स भीलवाड़ा में ब्रिक्स, माइका इन्सुलेशन ब्रिक्स तथा जयपुर ग्लास एण्ड पॉटर्रीज वर्क्स जयपुर में ब्राकरी बनानी है।

सवाईमाधोपुर में खान का कारखाना नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से यह स्थान उपयुक्त नहीं गया गया है। इसलिए जब यह कारखाना गढ़वाण (कोटा के पास) में लगाया जाएगा, जिसके लिए निगम लिया जा चुका है।

बीकानेर में बरसिंगसर में लिग्नाइट के भण्डारों का विदोहन करने के सम्बन्ध में नैवेली लिग्नाइट से समझौता किया गया है। इस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। यहाँ लिग्नाइट का वैज्ञानिक ढाँचा में विदोहन किया जायेगा जिससे पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

सुरतगढ़ के पास हजीरा में 18 मिलियन क्यूसेक फीट गैस का भण्डार मिला है जिसमें से वर्तमान में 5 मिलियन क्यूसेक फीट का ही उपयोग हो पा रहा है। यहाँ एक पेट्रोलियम कम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिये योजना आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है। जिसे उसने सिद्धान्त स्वीकार भी कर लिया है।¹

भावी सम्भावनाएँ

1 कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का सयत्र लगाया जा सकता है।

2 उदयपुर में एक पिग लोहा सयत्र लगाने की आवश्यकता है; वहाँ निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बोर्ड बनाये जा सकते हैं जिसके पूर्व निर्मित भवन (Pre fabricated House) बनाकर कुछ सीमा तक भवन-समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

उत्तम सेलेनाइट के भण्डारों का उपयोग प्लास्टर आफ पैरिस व अन्य उद्योगों का विकास करने में किया जा सकता है।

4 फेल्सपार, क्वार्टज व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के सामान के कारखानों की स्थापना का क्षेत्र बढ़ सकता है। सिलिका के उपयोग से

काँच के उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में ताबा, सीसा व जस्ता एवं सम्बन्धित धातुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भारत में इनका निरन्तर अभाव है। अतः राज्य को इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और केन्द्र को इनमें अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों से सुपर फॉस्फेट का उत्पादन बढ़ने से उर्वरकों की सप्लाई बढ़ सकती है जिससे भाविष्य में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। लाइमस्टोन का उत्पादन बढ़ाकर सीमेंट व स्टील उद्योग को लाभ पहुँचाया जा सकता है।

राज्य की खनिज नीति

परिवहन व शक्ति के साधनों के विकास से राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ बड़ी रहीं हैं। राज्य में खनिज विकास के लिए 1978 में खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमें खनिज पदार्थों की खोज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर जोर दिया गया था। इसमें सड़कों के मास्टर प्लान बनाने बिजली उपलब्ध कराने व खनन कार्य के लिए बैंको सहकारी संस्थाओं तथा राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इसने कहा गया था कि छोटे पट्टेधारियों को ऋण दिलाया जायगा तथा अप्रधान खनिजों जैसे लाइमस्टोन मगमरमर आदि के पट्टे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दिये जायेंगे।

राज्य में खनिजों के विकास के लिए नवम्बर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) स्थापित किया गया था। पहले यह कार्य (RIMDC) के अन्तर्गत किया जाता था। राक फॉस्फेट के खनन के लिए राजस्थान राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है। एम वी माधुर समिति ने खनन विकास के लिए निम्न सुझाव दिये हैं¹

(i) खनन को उद्योग घोषित किया जाना चाहिए ताकि इसको भी राजकोपीय लाभ व प्रेरणाएँ मिल सकें।

(ii) खनन व भूगर्भ सञ्चालक को सभी खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों का बड़ा पैमाने पर भूगर्भीय नक्शा बनवाना चाहिए।

(iii) रामगज मोडक व झालावाड़ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन की टूट फूट व व्यर्थ अंश पड़े हैं जिनसे पोजलाना (Puzzalana) सीमेंट बन सकती है बशर्ते कि इस पर उत्पादन शुल्क घटाया जाय। इससे रोजगार बढ़ेगा तथा सरकार को आमदनी होगी।

(iv) विहार सरकार की भाँति अभ्रक को राजकीय व केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त रखा जाय,

(v) खनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ाया जाय ।

(vi) खनन विभाग को खानों के पट्टे देने व लगान तथा रायल्टी इकट्ठा करने के अलावा खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे में विस्तृत सूचना रखनी चाहिए, एवं

(vii) भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसके लिए भूमि रूपान्तरण अवाप्ति नियमों व वित्त आदि की व्यवस्था बढ़ाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिये। इससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा ।

इन सुझावों को कार्यान्वित करने से राज्य के खनन-विकास में काफी सहायता मिलेगी ।

भारत सरकार ने 18 फरवरी 1992 से कोयला, लिग्नाइट व तेल को छोड़कर खनिजों और लघु खनिजों की रायल्टी में वृद्धि करने की घोषणा की है जिससे राज्य सरकार की रायल्टी की आय काफी बढ़ जायगी ।

पुरानी दरों पर रायल्टी 116 करोड़ रु से बढ़ कर नई दरों पर 331 करोड़ रु होने का अनुमान है । डोलोमाइट, खनिज सोने खान के ऊपर हारे की बिक्री, बॉक्साइट, क्लेसाइट, जिप्सम आदि पर रायल्टी में वृद्धि की गयी है जिससे राज्य सरकार की रायल्टी की आय बढ़ेगी । भविष्य में भी इसमें अपेक्षाकृत कम अवधि में सशोधन किया जाना चाहिए ।

सितम्बर 1992 में पर्यावरण अधिनियम में केन्द्र द्वारा सशोधन की अधिसूचना जारी करने से राज्य में खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है क्योंकि इससे पहाड़ी व वन क्षेत्रों में खनन-कार्य के रुक जाने की स्थिति बन गई है । इस सम्बन्ध में पर्यावरण-संरक्षण और विकास की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास का कार्य निर्बाध गति से आगे बढ़ सके ।

इसके अलावा केन्द्र खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 1957 में सशोधन करके लघु खनिजों (minor minerals) की परिभाषा को बदलना चाहता है ताकि मार्बल ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (dimensional) पत्थर लघु खनिजों की श्रेणी में न रहे । इससे इन खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार नहीं रहेगा जैसा कि बड़े खनिजों के सम्बन्ध में आज भी नहीं है । अतः इस प्रकार के सशोधन से राज्य सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वह इन लघु खनिजों का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी

जाति के लोगो को भी नहीं दे पायेगी जिनका जीवन इन पर निर्भर करता है । अतः राज्य में खनिज विकास को उचित प्रोहत्साहन देने के लिए वन क्षेत्रों में खनन क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए और मार्बल ग्रेनाइट आदि को लघु खनिजों की श्रेणी में रखकर इनके विकास व उपयोग का अधिकार राज्य सरकार को ही दिया जाना चाहिए ।

ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति सितम्बर 1991

राज्य सरकार ने 25 सितम्बर 1991 को एक अधिसूचना जारी करके ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धारित की

(1) खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किये जायेंगे जो खनन कार्य मशीनों से करेंगे और ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग सयंत्र स्थापित करेंगे । ऐसे उद्यमकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्यात के लिए प्रोसेसिंग सयंत्र लगायेंगे ।

(2) खनन पट्टे ऐसे आवेदकों के पक्ष में स्वीकृत किए जायेंगे जिन्होंने पहले से प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है अथवा जो दो वर्ष की अवधि में प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे ।

(3) खनन पट्टों के अन्तर्गत क्षेत्र का साइज 100 मीटर x 100 मीटर अथवा 10 000 वर्ग मीटर होगी ।

(4) उक्त माप के दो से अधिक प्लॉट नियमानुसार स्वीकृत नहीं किए जायेंगे ।

(5) विरोध परिस्थितियों में दो से अधिक प्लॉट स्वीकृत किए जा सकेंगे, जब आवेदक ने अन्य आयातित चिराई की मशीन एवं पॉलिशिंग मशीन स्थापित कर रखी है अथवा उसकी तैयार हो गई है । ऐसी स्थिति में 5 प्लॉट या 50 000 वर्ग मीटर का क्षेत्र खनन पट्टे पर दिया जा सकेगा ।

5 प्लॉट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले फेस का पट्टा दिया जा सकेगा । जून 1992 में यह 200 मीटर कर दी गयी ।

एक ही क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर लाटरी से निपटारा किया जायेगा ।

शुरू में 'लेटर आफ कमिटमेंट' दिया जायेगा और खनन पट्टा सयंत्र स्थापित होने पर ही दिया जायेगा ।

जून 1992 में इन नियमों का अधिक उदार बनाया गया । अब 20 प्लॉट तक खनन पट्टे स्वीकृत हो सकते हैं ।

प्रश्न

- 1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
(i) राजस्थान की छनिज सम्पदा ।
- 2 राजस्थान राज्य के विभिन्न आर्थिक साधनों का वर्णन कीजिये । राज्य के आर्थिक विकास में ये कहा तक सहायक हो सकते हैं ?
- 3 राजस्थान के 'जल साधनों' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।
- 4 राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
- 5 राजस्थान के आर्थिक साधनों का मूल्यांकन कीजिए ।
- 6 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
(i) राजस्थान में कूड तेल के भण्डार,
(ii) राजस्थान में लाइमस्टोन के भण्डार,
(iii) राज्य में पशु-सम्पदा की वर्तमान स्थिति ।
- 7 'राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं' । समझाइए ।
(Raj I yr, 1992)
- 8 प्राकृतिक ससाधन निधियों में राजस्थान किस सीमा तक धनी है ?
(Ajmer I yr, 1992)
- 9 राजस्थान राज्य की छनिज नीति एवं विकास पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए ।
(Ajmer II yr 1992)

राज्य घरेलू उत्पत्ति (State Domestic Product)

जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया जाता है उसी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है। इसमें एक राज्य में एक वर्ष में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली आय का अनुमान लगाना होता है। जैसे राजस्वान की घरेलू उत्पत्ति में राज्य में कृषि, पशु-पालन, वन मछली, खनन, विनिर्माण (manufacturing), निर्माण-कार्य (construction), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन, आदि क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाएगा। यह कार्य काफी जटिल होता है और इसमें कई प्रकार की कठिनाईया आती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पत्ति की मात्रा, कीमतों, कच्चे माल की मात्रा व कीमतों, आदि का हिसाब लगाना सरल काम नहीं होता। फिर भी राज्य-घरेलू-उत्पत्ति का अनुमान लगाना आवश्यक होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सके तथा उसकी तुलना अन्य राज्यों व देश की आर्थिक प्रगति से की जा सके। राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रवर्तित मूल्यों व स्थिर मूल्यों दोनों पर ज्ञात किये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दोनों प्रकार के मूल्यों पर की जाती है। लम्बी अवधि के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यों पर प्राप्त अनुमानों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों (structural changes) का पता लगाया जाता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था को छोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है -

(i) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) इसमें कृषि, पशु-पालन, वन, मछली-पालन व खनन को शामिल किया जाता है। कुछ लेखक खनन को द्वितीय क्षेत्र में भी शामिल करते हैं।

(ii) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) - इसमें विनिर्माण (Manufacturing) पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण-कार्य (Construction), विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति को शामिल किया जाता है।

(iii) तृतीयक या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector) - इसमें शेष आर्थिक क्रियाएँ शामिल की जाती हैं, जैसे परिवहन-रेल, सड़क आदि, सग्रहण (storage),

संचार, व्यापार, होटल बेकिंग बीमा वास्तविक सम्पदा (real estate) सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ ।

स्थिर मूल्यो पर इन तीनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के आकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढाँचे में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। इससे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का पता चल जाता है, जैसे पहले की तुलना में राज्य की कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कितना घटा तथा अन्य क्षेत्रों का कितना बढ़ा आदि आदि। यही नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है जैसे तृतीयक क्षेत्र में परिवहन बेकिंग व बीमा सार्वजनिक प्रशासन आदि की मापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी हो जाती है।

अतः राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या घरेलू आय की गणना करना बहुत लाभकारी होता है। आज के आर्थिक नियोजन के युग में यह और भी अधिक जरूरी हो गया है क्योंकि इन्हीं आकड़ों के आधार पर योजना में हुई आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है।

राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति के अनुमान -

राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पत्ति (S D P) के अनुमान प्रचलित भावों व स्थिर भावों पर 1954-55 से प्रारम्भ किये गये थे। ये 1956 में जारी किये गये थे। यह सिरीज 1959-60 तक जारी रहा था। बाद में आधार-वर्ष बदलकर 1960-61 कर दिया गया और सशोधित सिरीज 1978-79 तक प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1979 में एक सशोधित सिरीज 1970-71 के नये आधार-वर्ष पर जारी किया गया। फरवरी 1988 में केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन ने राज्य घरेलू उत्पत्ति का नया सिरीज 1980-81 के आधार-वर्ष पर जारी किया। वर्तमान में यह सिरीज चल रहा है और 1980-81 के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति के आकड़े 1960-61 से 1989-90 तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने उपलब्ध किये हैं, जिससे तृतीय योजना व बाद की योजनाओं के लिए राज्य की घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो गया है। राज्य की घरेलू उत्पत्ति में से मूल्य ह्रास (depreciation) घटाने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) ज्ञात हो जाती है जिसमें जनसंख्या का भाग देने से प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है।

स्मरण रहे कि 1980-81 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने से आय के अनुमानों में से दोनो प्रभाव दूर हो जाते हैं—पहला कीमत वृद्धि या महंगाई का, तथा दूसरा जनसंख्या का। अतः लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर अधिकाधिक की जा सके। इसके लिए एक तरफ

स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति बढ़ानी होगी और दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा।

अब हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करने से पूर्व संक्षेप में इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि इसका समुचित ज्ञान हो सके।

राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि-

राष्ट्रीय आय की भाँति राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय का अनुमान लगाने के लिए भी प्रायः-उत्पत्ति विधि एवं आय विधि (Product method and income - method) का उपयोग किया जाता है। कहीं-कहीं व्यय-विधि (expenditure method) भी काम में ली जाती है जैसे निर्माण-कार्य (construction) से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए इनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है।

(1) उत्पत्ति-विधि (Product Method) - इसे 'जोड़े गये मूल्य' (value added) की विधि या 'इन्वेन्टरी-विधि' भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम उस आर्थिक क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है। फिर उसमें से उत्पादन में लगाये गये साधनों का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल का मूल्य ईंधन-पावर आदि के खर्च)। बाद में मूल्य-ह्रास घटाने से शुद्ध आय प्राप्त होती है, जो उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान भानी जाती है।

राजस्थान में राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए इस विधि का उपयोग निम्न क्षेत्रों के लिए किया गया है- कृषि पशु-पालन वन मछली उद्योग, खनन व पत्थर निकालना पंजीकृत विनिर्माण-कार्य (registered manufacturing) (फैक्ट्री आदि में)। इसके लिए उत्पत्ति व इन्सुट की मात्राओं व इनके मूल्यों के आकड़ों की आवश्यकता होती है।

(2) आय-विधि (Income Method) यह दो रूपों में प्रयुक्त होती है-

(i) प्रत्यक्ष रूप में (in its direct form) यह उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है जिनमें कर्मचारियों के भुगतान ब्याज, लगान, किराया लाभ मूल्य-ह्रास आदि के आकड़े विभिन्न उपक्रमों के वार्षिक लेखों (annual accounts) में मिल जाते हैं। उनमें उत्पादन के विभिन्न साधनों की आय को जोड़कर उन क्षेत्रों का राज्य की आय में योगदान ज्ञात किया जाता है।

यह विधि निम्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है- विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखों से आवश्यक जानकारी मिलती है), जल-पूर्ति, रेल, सगठित सड़क परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर सम्पदा (real estate) आदि इन क्षेत्रों में वार्षिक लेखों से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके

आय के अनुमान तैयार किये जाते हैं।

(ii) परोक्ष रूप में (in indirect form)- इस विधि में सर्वेक्षण के आधार पर आय का पता लगाया जाता है। पहले उस क्षेत्र की श्रम शक्ति का पता लगाते हैं फिर सेम्पल सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात की जाती है और तत्पश्चात् इन दोनों को गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान निकाला जाता है।

यह विधि गैर पञ्जीकृत विनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग, आदि) अम्मगठित सड़क परिवहन होटल घरेलू सेवाओं आदि की आय का अनुमान लगाने में प्रयुक्त की जाती है। इनमें लगे व्यक्तियों की सख्या को कमश इनकी प्रति व्यक्ति औसत आय (जो सेम्पल सर्वेक्षण से जानी जाती है) से गुणा किया जाता है।

इस प्रकार आय विधि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दो रूपों में प्रयुक्त की जाती है।

(3) व्यय विधि (expenditure method) जैसा कि पहले कहा जा चुका है निर्माण कार्यों में आमदनी का अनुमान व्यय विधि से लगाया जाता है। निर्माण कार्य पर लगे माल जैसे सीमेन्ट, इस्पात ईंट, पत्थर, इमारती लकड़ी व अन्य सामान का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इन पर व्यय की गति को काम में लेने के कारण यह व्यय विधि कहलाती है। श्रम गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय विधि के द्वारा उनका राज्य की आय में योगदान निकाला जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की घरेलू उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए उत्पत्ति विधि आय विधि व व्यय विधि का मिल जुला प्रयोग किया जाता है। लेकिन अधिकांश उपयोग प्रथम दो विधियों का ही किया जाता है।

राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय में परिवर्तन

(i) प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) व प्रति व्यक्ति आय -

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अनुमान 1954-55 से प्रकाशित किये गये हैं। हम पहले प्रचलित मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं क्योंकि 1980-81 के मूल्यों पर नया सिरीज 1960-61 से प्राप्त हो गया है जिससे प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों पर एक साथ तुलना इस वर्ष के बाद की अवधि के लिए ही सम्भव है।

(प्रचलित मूल्यों पर) (at current prices)

वर्ष .	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपये में)	प्रतिव्यक्ति आय (रुपये में)
1954 55	400	233
1960-61	559	284
1965 66	824	373
1970-71	1654	651
1986 87	8341	2095
1989 90	13848	3219
1990-91	17578	3983
1991 92	19151	4232
शीघ्र अनुमान (Quick Estimates)		

स्रोत आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के प्रकारान 1986 87 व बाद के लिए आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृष्ठ 52 व पृष्ठ 106

तालिका के परिणाम - वैसे समय समय पर विधि सम्बन्धी परिवर्तन व आकड़ों में सुधार होने से प्रचलित मूल्यों पर भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्ति के विवेचन में आवश्यक सावधानी बरतनी होती है फिर भी 1954 55 से 1990-91 तक के 36 वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति लगभग 44 गुनी हो गई तथा प्रतिव्यक्ति आय 17 गुनी हो गई ।

1990 91 में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 17578 करोड़ रुपये तथा प्रतिव्यक्ति आय 3983 रुपये रही । 1990 91 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 26.9% बढ़ी तथा प्रति व्यक्ति आय 23.7% बढ़ी ।

(i) स्थिर मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1960 61 में 1989 90 तक शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के आकड़े 1980 81 के मूल्यों पर उपलब्ध हो गये हैं जिससे इस अवधि के लिए इनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन आसान हो गया है । यह परिवर्तन निम्न तालिका में दर्शाया गया है

स्थिर मूल्यों पर (at constant prices) (1980-81 की कीमतों पर)

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
1960-61	2409	1224
1970-71	3759	1480
1980-81	4126	1222
1985-86	5187	1338
1986-87	5685	1428
1987-88	5291	1295
1988-89	7331	1749
1989-90	7104	1651
1990-91	8213	1861
1991-92 (शोघ्र अनुमान) (Quick Estimates)	7825	1729

स्रोत- राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र, मार्च 1991, पृ 35, तथा
आय-व्ययक अध्ययन 1992-93, पृ 54

तालिका के निष्कर्ष - तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर कीमतों (1980-81) पर 1960-61 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 2409 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1990-91 में 8213 करोड़ रुपये हो गई । इस प्रकार 30 वर्षों में यह 3.4 गुनी हो गई । दीर्घकालीन आधार पर 1961-90 की अवधि में इसमें संशोधित वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 3.8% आंकी गई है । 1990-91 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (स्थिर कीमतों पर) पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% बढ़ी तथा प्रति व्यक्ति आय 12.7% बढ़ी ।

प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्यों पर 1960-61 में 1224 रुपयों से बढ़कर 1990-91 में 1861 रुपये हो गई जो पहले की तुलना में 1.5 गुनी है । इसमें दीर्घकालीन दृष्टि से उपरोक्त अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर 1.0% आंकी गई है । राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते रहते हैं जो राज्य में कृषिगत उत्पादन के उतार-चढ़ावों में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं ।

1970-71 में स्थिर कीमतों (1980-81) पर प्रति व्यक्ति आय 1480 रुपये रही थी । आगामी वर्षों में 1987-88 तक केवल एक वर्ष, अर्थात् 1983-84

में यह 1525 रुपये हुई जो 1970 71 से अधिक थी। बाकी सभी वर्षों में यह 1970-71 के स्तर से नीची बनी रही। यह एक विरोध प्रकार की स्थिति है। 1988 89, 1989 90 व 1990 91 में यह 1970 71 से ऊंची रही। 1990 91 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय दोनों पिछले वर्ष से अधिक रहें।

निम्न तालिका में राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) व प्रति व्यक्ति आय में योजनावार वृद्धि दर दी गई है। साथ में तुलना के लिए समस्त भारत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक परिवर्तन भी दिये हुये हैं।

वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (1980 81 के मूल्यों पर)

अवधि	शुद्ध घरेलू राष्ट्रीय उत्पत्ति		प्रति व्यक्ति आय	
	राजस्थान (NDP)	भारत (NNP)	राजस्थान	भारत
तृतीय योजना (1961 66)	14	23	10	01
वार्षिक योजनाएँ (1966 69)	08	37	30	14
चतुर्थ योजना (1969 74)	71	33	38	09
पंचम योजना (1974 79)	52	49	22	26
वार्षिक योजना (1979 80)	145	60	169	82
छठी योजना (1980-85)	59	54	30	32
सातवीं योजना (1985 90)**	64	56	36	33
दीर्घकालीन (1961 90)**	38	40	10	17

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल में राजस्थान में विकास की सशोधित वार्षिक दर सर्वाधिक सातवीं योजना में 64% रही। तृतीय योजना में यह 14% रही थी। 1961 90 के तीन दशकों में राज्य में विकास की दर लगभग 38% रही। भारत में भी सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर सातवीं योजना में 56% प्राप्त की गई तथा प्रति व्यक्ति विकास की दर 33% भी इसी योजना में प्राप्त हुई। 1961 90 की अवधि में भारत में भी विकास की औसत दर 4% रही जो राजस्थान से कुछ अधिक थी। लेकिन भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर राजस्थान से कम होने के कारण उसका प्रतिव्यक्ति आय की दायकाल वृद्धि दर

* Economic Survey 1992 93 p S-4

** सशोधित करके आय व्ययक अंकन 1992 93 के आंकड़ों के आधार पर।

17% रही। तृतीय योजना में भारत में विकास की दर 23% रही, जिससे प्रति व्यक्ति विकास की दर केवल 0.1% ही हो सकी।

भारत में 1960-61 में राष्ट्रीय आय (1980-81 के भावों पर) 58602 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 184460 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यों पर) 1350 रुपये से बढ़कर 2199 रुपये हो गई। 1991-92 के शीघ्र अनुमानों के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के भावों पर 186135 करोड़ रु व प्रति व्यक्ति आय 2175 रुपये रहेगी।¹

प्रत्येक योजना में वार्षिक चक्रवृद्धि दर निकालने के लिए योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वर्ष का तुलना में प्रत्यक्ष परिवर्तन निकाले जाते हैं। फिर पांच वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन का ज्यामितीय औसत (Geometric mean) लिया जाता है। इसका विधि अध्याय के अंत में परिशिष्ट 2 में सविस्तर समझाई गई है। परिशिष्ट 1 में पाँचवाँ छठी व सतवीं योजना का अंश काल के लिए शुद्ध घरेलू उत्पात व प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाए गए हैं। आय का वार्षिक वृद्धि दर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाकर भी ज्ञात की जा सकता है जिसके लिए अध्याय 15 व अन्तिम वर्ष का आय के अंश का उपयोग किया जाता है।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात व प्रति व्यक्ति आय के योजनावार परिवर्तन का अर्थ संवधानापूर्वक लगाने होगा, क्योंकि किसान भा याननावाध में आसत वार्षिक वृद्धि दर उस योजना में किसानों के एक वर्ष का असामान्य वृद्धि या असामान्य गिरावट से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए सतवीं योजना (1985-90) में औसत वृद्धि दर (शुद्ध घरेलू उत्पात) की वृद्धि 6.4% रही। लेकिन इस योजनावाध में पांच में सतवीं वर्ष में तो शुद्ध घरेलू उत्पात में पिछले वर्ष का तुलना में गिरावट आई थी। 1988-89 में पिछले वर्ष का तुलना में यह 38.6% (स्थिर मूल्यों पर) घटा था जिससे वार्षिक वृद्धि दर 6.4% प्राप्त हो सका।

अतः योजनावार वार्षिक वृद्धि दर का अर्थ लागत समय यह ध्यान रखना होगा कि कहीं एक वर्ष का अत्यधिक या असाधारण वृद्धि इसका प्रभाव न करे। पांचवाँ व छठी योजनाओं में भी क्रमशः 1975-76 का 21.3% व 1983-84 का 22.8% वृद्धि ने संवृद्ध योजनाओं का औसत वृद्धि दर का प्रभावित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आगामी वर्ष एक अन्तिम वर्ष में परिवर्तन मात्र में आय में कोई भी वृद्धि का प्रवृत्ति दर्शा सकता है। राजस्थान के आर्थिक विकास के शीघ्र पत्र मंच (1991) में भी इस कठिनाई का अर्थ ध्यान रखना

1. Economic Survey 199-93 p 53

2. राज. CSO के Economic Survey of Rajasthan 1991 पृ 15-16

गया है।

राज्य घरेलू उत्पाद का ढाँचा (Structure of GDP) अथवा क्षेत्रवार अंशदान अवधि में स्थिर कीमतों (1980-81) पर प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के राज्य घरेलू उत्पाद के अंश में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना होगा। हम पहले बतला चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व सहायक उद्योग, वन मछली व खनन शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण विद्युत गैस व जल पूर्ति तथा निर्माण कार्य शामिल होते हैं एवं तृतीयक क्षेत्र में परिवहन सग्रहण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाएँ शामिल होती हैं।

1960 61 में 1991 92 के वर्षों के लिए इनके योगदान के परिवर्तन निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

(1980 81 के भाव पर) (% अंश)

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक या सेवा क्षेत्र
1960 61	57.3	17.1	25.6
1970 71	62.0	14.5	23.4
1980 81	52.3	18.0	29.7
1986 87	44.0	18.9	37.1
1987 88	38.4	22.5	39.1
1988 89	50.0	17.7	32.3
1989 90	46.9	18.5	34.6
1990 91	50.8	16.5	32.7
1991 92 (राज्य अनुमान/Quick Estimates)	47.2	18.0	34.8

स्रोत: राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 4 तथा 35 एवं आय व्ययक अध्ययन (राजस्थान) 1992 93 पृ 107 (1986 87 से 1991 92 की अवधियों के लिए)

योजनाकाल के तीन दशकों में राज्य घरेलू उत्पाद के ढाँचे में परिवर्तन

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि योजनाकाल की 1960-61 से 1990 91 की अवधि में GDP के क्षेत्रवार अंशदान में काफी परिवर्तन हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 1960 61 में 57.3% से घटकर 1989 90 में 46.9% तथा 1990 91 में 50.8% पर आ गया है। द्वितीयक क्षेत्र का अंश 1960-61 में 17.1% से बढ़कर 1989 90 में 18.5% एवं 1990 91 में घटकर 16.5%

हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का 25.6% में बढ़कर 1989-90 में 34.6% तथा 1990-91 में 32.7% हो गया है। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1/4 से बढ़कर 1/3 हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य की आय में सेवा क्षेत्र का अनुपात अधिक तेजी से बढ़ा है। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का घटा है तथा तृतीयक क्षेत्र का बढ़ा है। द्वितीयक क्षेत्र का घटता बढ़ता रहा है और दीर्घकाल में लगभग 17.18% पर स्थिर बना रहा है।

द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण (manufacturing) की आय शामिल होती है। 1980-81 में पंजीकृत व गैर पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य की घरेलू उत्पत्ति में 11.3% हुआ था निम्न पंजीकृत क्षेत्र का अंश 4.9% तथा गैर पंजीकृत का (4% था 1990-91 में इस क्षेत्र का योगदान 10.7% रहा (1980-81) के मूल्य पर (निम्न पंजीकृत क्षेत्र का अंश 4%) तथा गैर पंजीकृत क्षेत्र का 5.3% रहा। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का योगदान में वृद्धि हुई है। लेकिन पंजीकृत क्षेत्र का अंश स्थिर रहा है तथा गैर पंजीकृत क्षेत्र का अंश घटता हुआ है।

राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 11.12 प्रतिशत काफी नाचा है। समस्त भारत में यह लगभग 21% पाया जाता है। अतः राज्य को इसका योगदान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों का विकास करना चाहिए।

तृतीयक क्षेत्र की सबसे बड़ी मद व्यापार, होटल तथा जलपान गृह हैं जिसमें 1986-87 व 1990-91 के बीच काफी परिवर्तन आया है। 1986-87 में इस मद से राज्य की आय में 16.9% का योगदान हुआ था जो घटकर 1990-91 में 14.4% हो गया। इस प्रकार केवल चार वर्षों में इस मद में 2.5% बिन्दु की कमी आयो है।

1961-90 की दीर्घकालीन अवधि में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय आय की वृद्धि दरों में काफी अन्तर पाये गये हैं जो निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं। 1961-90 में वार्षिक वृद्धि-दर (%) (पुराने आँकड़ों के अनुसार)।

(i)	प्राथमिक क्षेत्र	3.0
(ii)	द्वितीयक क्षेत्र	4.4
(iii)	तृतीयक क्षेत्र	5.3
	कुल आय	4.0

इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र में हुई है जिसमें व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन आदि शामिल हैं। सब पूड़ा जाय तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों को वृद्धि दरों का विरोध महत्व होता है क्योंकि उनका सम्बन्ध वस्तु क्षेत्रों से होता है। तृतीयक क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ आती हैं। योजनाकाल में राष्ट्रीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र में विकास दर अन्य दो क्षेत्रों से अधिक रही है जिससे आर्थिक विकास की दर के उँचा होने में मदद मिली है। लेकिन यह सीधे उत्पादन से सबद्ध नहीं है। इसीलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण स्तरीय का कारण नहीं बन सकती।

राज्य में आय के क्षेत्रवार वितरण पर कृषिगत उत्पादन का अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छी फसल वाले वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है और सूखे व अकाल के वर्षों में यह काफी घट जाता है। परिणामस्वरूप खराब फसल वाले वर्षों में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के अंश बढ़ जाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की आय में द्वितीयक क्षेत्र का अंश बढ़ाने की आवश्यकता है। यह लगभग 11-12 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके इस अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रयत्न करने पर यह एक दशक में 20% तक पहुँचाया जा सकता है। राज्य में आर्थिक साधनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों के विकास के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं जिनका उपयोग करके इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में निर्माण कार्यों को भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भी राज्य में ईंट, पत्थर, सीमेंट व अन्य भवन निर्माण कार्यों की आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है जिससे रोजगार में भी वृद्धि की जा सकती है। जवाहरात व आभूषणों का उत्पादन बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं। गलीचों, हथकरघा व दस्तकारियों का उत्पादन बढ़ाकर रोजगार, आमदनी व निर्यात में वृद्धि की जा सकती है।

राजस्थान एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच बढ़ता हुआ अन्तर

चूँकि अब हमें 1960-61 से 1990-91 तक की अवधि के लिए 1980-81 में मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े राजस्थान व समस्त भारत के लिए उपलब्ध हो गये हैं। इसलिए हम योजनाकाल में इन दोनों के बीच प्रति व्यक्ति आय के संशोधित अंतरों का अध्ययन कर सकते हैं।

प्रति व्यक्ति आय (रु में)

(1980-81 के भावों पर)

वर्ष (1)	भारत (2)	राजस्थान (3)	अंतराल (Gap) (4) = (2) - (3)
1960-61	1350	1224	126
1970-71	1520	1480	40
1980-81	1630	1222	408
1985-86	1841	1338	503
1986-87	1871	1428	443
1987-88	1901	1295	606
1988-89	2065	1749	316
1989-90	2134	1651	483
1990-91	2199	1861	338

उपर्युक्त तालिका में चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े स्थिर मूल्यों (1980-81) पर दिये गये हैं -

[स्रोत भारत के लिए (Economic Survey) 1992 93 पृ S 3 तथा राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र पृ 35 एवं आय-व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 54]

तालिका से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान व भारत के बीच का अंतराल घटता बढ़ता रहा है। 1960-61 से 1970-71 के बीच यह घट गया था। लेकिन 1970 71 से 1980 81 के बीच यह काफी बढ़ गया। पुन 1980 81 से 1987 88 के बीच यह बढ़ा। लेकिन 1988 89 में यह घटा व 1989 90 में बढ़ा। 1989 90 में दोनों का प्रति व्यक्ति आय का अंतराल 1980 81 की तुलना में थोड़ा बढ़ा है। 1990 91 में यह पिछले वर्ष से कम रहा है।

इस प्रकार यह कहना गलत होगा कि 1980-81 से 1990 91 तक राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय में अंतराल लगातार बढ़ता गया है। हम तालिका से देख सकते हैं कि यदि 1990 91 में 1980 81 की तुलना में घटा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतराल आज भी बना हुआ है जिसे यथासम्भव कम किया जाना चाहिए। 1970 71 में यह अंतराल काफी कम हो गया था। जिन वर्षों में राजस्थान में सूखे के कारण कृषिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है उनमें प्रति व्यक्ति आय का अंतराल सर्वाधिक हो जाता है। 1987 88 में यह 606 रुपये हो गया था जो सर्वाधिक था। 1987 88 का अकाल राजस्थान के इतिहास में अभूतपूर्व माना गया है।

राजस्थान में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में तेज गति से वृद्धि करने के लिए

कुछ सुझाव

चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का उद्गम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि पशु पालन खनन विद्युत उद्योग, परिवहन, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से होता है इसलिए इसमें तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों के विकास के प्रयास करने होंगे। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है

(1) कृषि राजस्थान में कृषिगत उत्पादन में भारी मात्रा में वार्षिक उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें कम करने के लिए सूखी खेती की पद्धतियों का व्यापक रूप में उपयोग करना होगा। फव्वारा सिंचाई व बूँद बूँद सिंचाई से उत्पादन भी बढ़ेगा तथा पानी के उपयोग में भी किफायत होगी। राजस्थान में पशु विकास फल विकास वन विकास चारा विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा। इसके लिए विश्व बैंक से 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर एक विस्तृत कृषि विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसे सफल बनाने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से सोयाबीन ईसबगोल मेहदी व तुम्बा (एक प्रकार का तिलहन) का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा कृषिगत क्षेत्र से आमदनी भी बढ़ेगी। सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से कृषिगत विकास को काफी गति मिलेगी। भूमि वृक्ष जल, पानी आदि सभी का

सदुपयोग होगा ताकि इनसे उत्पादन में वृद्धि होगी।

(2) उद्योग खनन व विद्युत पहले हम बतला चुके हैं कि राजस्थान में खनन विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं और इन पर आधारित उद्योगों पर समुचित ध्यान देने से भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात्ति बढ़ाई जा सकती है। राज्य में सीमेन्ट उद्योग, मार्बल व ग्रनाइट उद्योग राज्य तेल व वनस्पति उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग आदि का विकास करके आय बढ़ायी जा सकती है। रत्न आभूषण गलीचों दस्तकारियों व हथकरघा उद्योग का विकास करके रोजगार, आय व निर्यात बढ़ाये जा सकते हैं।

पंपटन का विकास करके आमदनी बढ़ायी जा सकती है। राज्य में थर्मल पावर गैस आधारित विद्युत व आपविक विद्युत तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करके पावर मज्दाई बढ़ाकर विकास के नये अवसर खोले जा सकते हैं।

(3) सेटा क्षेत्र शिक्षा चिकित्सा जल पूर्ति परिवहन (विशेषतया सड़कों तथा ब्रोडगेज रेल लाइनों) बैंकिंग आदि का विकास करके सामाजिक सेवाओं व आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। इससे जीवन स्तर में सुधार आने के साथ साथ राज्य की घरेलू उत्पात्ति में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य अवश्य है लेकिन विभिन्न दिशाओं में आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिनका समुचित उपयोग करके आगे आने वाले वर्षों में राज्य की घरेलू उत्पात्ति में द्रुतगति से वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए जिला नियोजन के माध्यम से स्थानीय साधनों का उपयोग करके उत्पादक परियोजनाओं को मंचालित करने की आवश्यकता है। राज्य को अकाल व सूखे की दशाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन व्यावहारिक व सुदृढ़ कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकार चारे व घास का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में किये गये विनियोगों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने का आवश्यकता है। इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है इस प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेजी से न कर सके।

परिशिष्ट 1¹

पाचवी योजना छठी योजना व सातवीं योजना में राजस्थान राज्य की घरेलू उत्पात्ति (SDP) व प्रति व्यक्ति विकास की दर (1980-81) के भावों पर

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र राजस्थान सरकार आयोजना विभाग मार्च 1991 पृ 35 योजनाकाल में वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों का ज्यामितिय औसत लिया गया है यह केवल गणना की विधि जानने के लिए दिया गया है। अतः इसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना चाहिए

पांचवीं योजना (1974-79) वर्ष	1980-81 के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) (करोड़ रु.) (निकटतम)	SDP में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1980-81 के भावों पर राज्य को प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर (% में)
आधार वर्ष 1973-74	3545.5		1281	
1974-75	3219.2	(-) 9.2	1131	(-) 11.7
1975-76	3905.8	21.3	1333	17.9
1976-77	4159.3	6.5	1380	3.5
1977-78	4329.8	4.1	1396	1.2
1978-79	4563.1	5.4	1430	2.4

(अ) V योजना में वार्षिक-दर		5.2		2.2
छठी योजना (1980-85)				
(आधार वर्ष) 1979-80	3902.2		1189	
1980-81	4125.7	5.7	1222	2.8
1981-82	4478.1	8.5	1285	5.2
1982-83	4569.8	2.0	1276	(-) 0.7
1983-84	5611.3	22.8	1525	19.5
1984-85	5207.7	(-) 7.2	1379	(-) 9.6
(आ) VI योजना में वार्षिक वृद्धि-दर		5.9		3.0

सातवीं योजना (1985-90) तक (1980-81) के भावों पर (संशोधित)

	राज्य की घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रु.)	वार्षिक परिवर्तन की दर (%)	प्रति व्यक्ति आय (रु.)	वार्षिक परिवर्तन की दर (रु.)
आधार वर्ष 1984-85	5207 7		1379	
1985-86	5187 3	(-)0.4	1338	(-)3.0
1986-87	5684 7	9.6	1428	6.7
1987-88	5290 6	(-)6.9	1295	(-)9.3
1988-89	7331 0	38.6*	1749	35.1
1989-90	7104 1	(-)3.1	1651	(-)5.6
(इ) VII योजना में वार्षिक वृद्धि-दर		6.4		3.6

परिशिष्ट - 2

राजस्थान में सातवीं योजना की अवधि में विकास की वार्षिक दर निकालने की विधि का विवरण

पिछली तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यों (1980-81) के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) में वार्षिक परिवर्तन नीचे दिये गये हैं।

आधार-वर्ष (1984-85)	SDP में परिवर्तन की दर (%)	सूचनांक	सूचनांकों के लॉग (Logs)
1985-86	()0.4	99.6	1.9983
1986-87	9.6	109.6	2.0398
1987-88	(-)6.9	93.1	1.9689
1988-89	38.6*	138.6	2.1418
1989-90	()3.1	96.9	1.9863
		कुल	10.1351

लॉग का औसत = $10.1351/5 = 2.02702$

इसका antilog = 106.4

इसलिए विकास की वार्षिक दर = $(106.4-100) = 6.4\%$ रही। यहाँ

* जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है CSO द्वारा प्रकाशित Estimates of State Domestic Product and Gross Fixed Capital Formation 1991 के आधार पर यह 34% आती है जिसमें परिणाम पर असर पड़ेगा। यहाँ केवल विधि को समझाने पर बल दिया गया है।

परिवर्तन की वार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तन का ज्यामितीय औसत (G M) लिया गया है। इसका ज्ञान मामूली अभ्यास से हो सकता है जिसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए log table व anti log table के उपयोग की जानकारी बहुत जरूरी होती है।

प्रश्न

- 1 राजस्थान की अर्धव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए।
- 2 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय में 1960-61 में हुई वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्या यह प्रगति सतोषजनक रही है ?
- 3 राजस्थान में आय के ढाँचे (Structure) में योजनकाल में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते हैं ?
- 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
 - (i) राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्तियाँ व सरचना।
(Raj I yr 1992 also in Ajmer I yr 1992)
 - (ii) राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान
 - (iii) राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान
 - (iv) राज्य की आय में योजनावार वृद्धि दरें
 - (v) राजस्थान की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के मूल्यों पर)।
- 5 राजस्थान में योजनावधि में विकास की दर 'समस्त देश' की तुलना में नीची रही है। क्या आप इस मत से सहमत हैं ? राज्य में विकास की गति को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिए।
- 6 वर्ष 1990-91 के लिए राजस्थान की (स्थिर मूल्यों पर) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) छाँटिए।

(अ) 7331 करोड़ रु	(ब) 7100 करोड़ रु	
(स) 8213 करोड़ रु	(द) 6000 करोड़ रु	(स)
- 7 वर्ष 1990-91 के लिए राजस्थान की 1980-81 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय छाँटिए

(अ) 1295 रुपये	(ब) 1861 रुपये	
(स) 1750 रुपये	(द) 1650 रुपये	(ब)
- 8 राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के उपायों का विवेचन करिए। इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के सुझाव दीजिए।

कृषि (Agriculture)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 1989-90 में कृषि का अंश राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में लगभग 45% तथा 1990-91 में 48.8% रहा (1980-81 के मूल्यों पर)।¹ राज्य के कृषिगत उत्पादन में प्रति वर्ष काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। 1987-88 में अभूतपूर्व सूखे व अकाल के कारण कृषि का योगदान राज्य की घरेलू उत्पादन में केवल 36% ही रहा था। इस प्रकार स्थिर भावों पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पादन (SDP) में प्रति वर्ष कम या ज्यादा होता रहता है। राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था मूलतः अस्थिर (Unstable) है और इस पर अकालों की काली छाया निरन्तर पड़ती रहती है।

(अ) भूमि का उपयोग - निम्न तालिका में 1951-52 व 1990-91 के वर्षों में राजस्थान में भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है

राजस्थान में भूमि का उपयोग²

वर्गीकरण	(लाख हैक्ट. में) (1951-52)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत	(लाख हैक्ट. में (1990-91)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
1 रिपोर्टिंग क्षेत्रफल	342.8	100.0	342.5	100.0
2 वन	11.6	3.4	23.5	6.9
3 कृषि के लिए अप्राप्य*	89.8	26.2	62.1	18.1
4 कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	90.0	26.3	55.7	16.3
5 परती भूमि**	58.3	17.0	37.4	10.9
6 शुद्ध कृषिगत भूमि	93.1	27.1	163.8	47.8
7 एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र	4.4	1.3	30.0	8.8
8 सकल कृषिगत क्षेत्र	97.5	28.4	193.8	56.6

फुटनोट (1) (2) (*) व (**) का विवरण अगले पृष्ठ पर देखिए।

तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान में 1990-91 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 342 करोड़ हैक्टेयर भूमि था। शुद्ध कृषित क्षेत्र (net area sown) इसका 47.8 प्रतिशत था जो 1951-52 में केवल 27 प्रतिशत रहा था। यह 1951-52 में 93 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1990-91 में 163.8 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में राज्य में नई भूमि पर खेती का काफी विस्तार किया गया है। एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 1951-52 में 4.4 लाख हैक्टेयर था जो 1990-91 में 30 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार सिंचाई के साधनों का विकास होने से राज्य में गहन कृषि का भी कुछ सामान्य विकास किया गया है। परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र (total cropped area) जो 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28.4% था वह 1990-91 में 56.6% हो गया। राज्य में आज भी वनों का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 6.9% मात्र है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable Waste land) व परती भूमि (Fallow land) (मद 4+ मद 5) लगभग 27.2 प्रतिशत है। भविष्य में इसमें से कुछ क्षेत्र कृषि में लाया जा सकता है। अतः राज्य में विस्तृत व गहन दोनों प्रकार की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान हैं।

1990-91 में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 1.64 करोड़ हैक्टेयर रहा जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 47.8% था। 1990-91 में सकल कृषित क्षेत्र (gross cropped area) 1.94 करोड़ हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 56.6% था। सकल कृषित क्षेत्र की मात्रा में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मूखे के वर्षों में यह घट जाता है। 1989-90 में सकल कृषित क्षेत्र 1.79 करोड़ हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 52.3% था।

इस प्रकार फसल गहनता (Cropping intensity) 1951-52 में 1.047

1 Some Facts About Rajasthan 1992 p 73

2 Ibid pp 41-42 (1990-91 के लिए)

* इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये गये हैं वर्ष 1990-91 के लिए (i) गैर कृषिगत उपयोगों में लगाई गई भूमि (4.3%) तथा (ii) बजर व अकृष्य भूमि (8.1%) (iii) स्याई चणगाह व अन्य चराई की भूमि (5.6%) तथा (iv) विविध पेड़ों व कुर्जों की भूमि नगण्य (0.1%)। इन चारों का जोड़ 18.1% आता है।

** परती भूमि में चालू परती भूमि (Current fallow) एक वर्ष के लिए परती छोड़ी जाती है का अंश 5.3% तथा अन्य परती भूमि (एक से पांच वर्ष तक परती भूमि) का अंश 5.6% था। इस प्रकार कुल परती भूमि का अंश 10.9% रहा।

से बढ़कर 1990 91 में 1 183 पर आ गई। फसल गहनता निकालने के लिए सकल कृषित क्षेत्र में शुद्ध कृषित क्षेत्र का भाग दिया जाता है। भविष्य में इसमें वृद्धि के लिए एक से अधिक बार जती गई भूमि का विस्तार करना होगा।

राजस्थान में 1985 86 में कार्यशील जोता का विवरण ¹

जोता की किस्म	जोता की संख्या (लाख में)	कुल का %	समाया हुआ क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	कुल का %
1 सीमांत जोते (1 हैक्टेयर तक)	13.6	28.6	6.4	3.1
2 लघु जोते (1.2 हैक्टेयर)	9.2	19.4	13.3	6.4
3 लघु मध्यम (2.4 हैक्टेयर)	9.8	20.6	27.9	13.6
4 मध्यम (4.10 हैक्टेयर)	9.9	20.8	61.5	29.9
5 बड़ी (10 हैक्टेयर से ज्यादा)	5.0	10.6	96.8	47.0
कुल	47.5	100.0	205.9	100.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान है। एक हैक्टेयर तक की जोते लगभग 29% हैं लेकिन इनमें कुल क्षेत्रफल का केवल 3.1% भाग ही समाया हुआ है। इसके विपरीत 10 हैक्टेयर से ऊपर की जोते लगभग 11% हैं जबकि इनमें 47% क्षेत्रफल समाया हुआ है। 1970 71 में राजस्थान में कार्यशील जोतों का औसत आकार 5.46 हैक्टेयर था, जो समस्त भारत के औसत आकार 2.28 हैक्टेयर का 2.5 गुना था एवं सभी राज्यों का तुलना में यह सर्वाधिक था। 1985 86 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार घटकर 4.34 हैक्टेयर पर आ गया है तथा इसी वर्ष में जोतों की कुल संख्या लगभग 47.5 लाख रही है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ 6 लाख हैक्टेयर समाया हुआ है।

शुष्क प्रदेश में सिंचाई का महत्व - राजस्थान से शुष्क प्रदेश (and

1 Some Facts About Rajasthan 1992, p.39

* फसल की गहनता = सकल कृषित क्षेत्र (Gross cropped area)/ शुद्ध कृषित क्षेत्र (Net cropped area)

region) में पानी की सुविधा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बाकांनेर व गगानगर जिले में मुख्य अन्तर यही है कि गगानगर जिले को गगानहर से सिंचाई की सुविधा मिला हुई है। 1988-89 में बाकांनेर जिले का कुल रिपोर्टिंग भौगोलिक क्षेत्र (27.4 लाख हेक्टेयर) गगानगर जिले के (20.6 लाख हेक्टेयर) में ज्यादा होते हुए भी कृषि क्षेत्र उससे कम था। कृषि योग्य वज्र भूमि बाकांनेर जिले में 11 लाख हेक्टेयर थी जबकि गगानगर जिले में लगभग 77 हजार हेक्टेयर ही था। गगानगर जिले में लगभग 25 कि.मी. की फसल बोई जाती है जबकि बाकांनेर में केवल 5 या 6 तरह की पशुपालन भा गगानगर जिले में ज्यादा उन्नत है। वहाँ कपास, गन्ना, तिलहन, गहूँ, चावल आदि का फसले उत्पन्न की जाती है।

(आ) सिंचित क्षेत्र रावस्थान में नहरों, तालाबों व कुओं आदि साधनों का सहायता से सिंचाई का जाता है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र (gross irrigated area) 1951-52 में 11.7 लाख हेक्टेयर था जो 1990-91 में 46.5 लाख हेक्टेयर हो गया। 1989-90 में यह लगभग 44.6 लाख हेक्टेयर रहा था। विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है।

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र¹

(लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ, नलकूप व अन्य साधन	योग
1951-52	2.2	0.8	7.0	10.0
1990-91	17.7	2.0	26.8	46.5

तालिका में यह पता चलता है कि 1990-91 में नहरों की सिंचाई 1951-52 की तुलना में लगभग 8 गुना हो गई। लेकिन राज्य में आज भी सिंचाई के साधनों में कुओं व ट्यूबवेल का सर्वाधिक स्थान है जो 1990-91 में लगभग 26.6 लाख हेक्टेयर रहा।

1951-52 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% था जो बढ़कर 1970-71 में 14.7% तथा 1990-91 में लगभग 24% हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में राज्य में सिंचाई के साधनों का काफी विस्तार हुआ है और सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% से बढ़कर 24% हो गया है जो प्रतिशत की दृष्टि से दुगुना है।

1 Some Facts About Rajasthan 1992, p. 40 (1990-91 के लिए)

राज्य में अधिक मात्रा में सिंचित फसलों में गन्ना, कपास, जौ व गेहूँ का स्थान आता है और ज्वार, बाजरा व मूंगफली का स्थान काफी कम सिंचित फसलों में आता है। राज्य में सिंचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसके लिए सिंचाई के क्षेत्र में भारी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है। 1990-91 में खाद्यान्नों की फसलों में 22.9 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की गई जो कुल सिंचित क्षेत्रफल 46.5 लाख हैक्टेयर का 49.3% था। अतः लगभग आधी सिंचाई की सुविधा खाद्यान्नों की फसलों को प्राप्त है।

पिछले वर्षों में राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (net irrigated area) बढ़ा है। 1990-91 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39.0 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार 1990-91 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर व सकल सिंचित क्षेत्रफल 46.5 लाख हैक्टेयर रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि 7.5 लाख हैक्टेयर भूमि में एक से अधिक बार सिंचाई की गई।

सकल सिंचित क्षेत्रफल

----- = सिंचाई की गहनता (irrigation intensity)

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

कहलाती है। जो 1990-91 के लिए $\frac{46.5}{39.0} = 1.19$ रही। 1989-90 में यह 1.23 रही थी।

यह 1977-78 में $\frac{31.7}{27.6} = 1.15$ रही थी। इसको भविष्य में और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सकल सिंचित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक से अधिक बार का सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना होगा।

राजस्थान में फसलों का ढाँचा या प्रारूप

(Cropping Pattern in Rajasthan)

राजस्थान में खाद्यान्नों की फसलों में अनाज में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज व चावल एवं दालों में चना, तुर, अन्य सब्जियों की दालें व अन्य खरीफ की दालें शामिल हैं एवं गैर-खाद्यान्नों की फसलों में तिलहन में राई व सरसों, अलसी, मूंगफली व अरण्डी एवं अन्य में कपास, तम्बाकू, सन, गन्ना, हल्दी, धनिया, मिर्च, आलू, अदरक, अफीम व ग्वार आदि शामिल हैं।

निम्न तालिका में प्रथम योजना की अवधि की औसत स्थिति (average position) तथा 1990-91 वर्ष के लिए राजस्थान में फसलों के ढाँचे का विवरण

जाने लगी है। पिछले दशक में इसका क्षेत्रफल काफी बढ़ा है।

(3) मोटे अनाजों व दालों के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, फल-सब्जी व मसालों के क्षेत्र में वृद्धि करके पूरा किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि 1990-91 में 65 प्रतिशत क्षेत्रफल खाद्यान्नों की फसलों (अनाज व दालों) के अन्तर्गत था और शेष 35 प्रतिशत गैर-खाद्यान्नों की फसलों के अन्तर्गत था। आजकल राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र के 46% भाग पर अनाज बोया जाता है और लगभग 19% भाग पर दालें बोयी जाती हैं। इस प्रकार 2/3 क्षेत्रफल खाद्यान्नों की फसलों के अन्तर्गत आता है। स्मरण रहे कि राज्य के लगभग 1/4 क्षेत्रफल में अकेले बाजरे की खेती की जाती है। राज्य में तिलहन, गन्ना व कपास की पैदावार होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगों (तेल उद्योग, चीनी व गुड़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग) का विकास किया जा सकता है। मसालों में लाल मिर्च, जीरा धनिया व हल्दी के उत्पादन का भी काफी महत्व है। इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी आय होती है। राज्य में ग्वार, तम्बाकू, अफीम आदि की भी पैदावार होती है।

1952-53 में खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 91.6 प्रतिशत तथा गैर-खाद्यान्नों में 8.4% था। 1990-91 में ये प्रतिशत क्रमशः लगभग 65 व 35 हो गये हैं। इस प्रकार 1952-53 से 1990-91 के 38 वर्षों की अवधि में अनाजों के ढाँचे में काफी परिवर्तन हुआ है। खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 65 प्रतिशत घटा है और गैर-खाद्यान्नों में यह बढ़ा है।

राज्य में 1952-53 की योजना की अवधि के औसत फसल-प्रारूप की तुलना सातवीं योजना की अवधि के औसत फसल-प्रारूप से करे तो निम्न परिणाम सामने आते हैं।

फसले	प्रथम योजना (औसत)	सातवीं योजना (औसत)
अनाज	58.0	51.7
दालें	21.7	17.2
तिलहन	6.4	11.9
ग्वार व अन्य	12.2	17.1*
कपास	1.7	2.1
	100.0	100.0

1 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation) Directorate of Agriculture Jaipur November 1991 p 8

* इसमें ग्वार का अंश 10% व अन्य का 7.1% था

उपर्युक्त तालिका में भी पता चलता है कि प्रथम योजना की अवधि में खाद्यान्नों (अनाज + दालों) में क्षेत्रफल 80% से घटकर सातवीं योजनावधि में 69.0% हो गया। तिलहन का क्षेत्रफल 6.4% से बढ़कर 11.9% हो गया। कपास में यह मामूली बढ़ा (प्रतिगत की दृष्टि से)। गन्ने का क्षेत्रफल लगभग 0.1% रहा था। कुल मिलाकर प्रमुख निष्कर्ष यही निकलता है कि क्षेत्रफल खाद्यान्नों में प्रतिशत के रूप में घटा तथा तिलहन में काफी बढ़ा।

प्रमुख फसले (Major Crops)

राजस्थान में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, दाल, तिल, मूंगफली व कपास का है। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तनों के कारण काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है

1. गेहूँ- राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने का दृष्टि में भारत में पाचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। विशेष रूप से गगानगर, भरतपुर, कोटा, अन्वर व चित्तौड़गढ़ जिलों में गेहूँ की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा गेहूँ का उत्पादन गगानगर जिले में होता है। 1988-89 में राज्य में लगभग 9.4% कृषि भूमि पर गेहूँ बोया गया था और अनाज के कुल उत्पादन में लगभग 44% अंश गेहूँ का था। गेहूँ रबी की फसल है। 1989-90 में गेहूँ का उत्पादन 34 लाख टन, 1990-91 में 43.1 लाख टन तथा 1991-92 में 44.8 लाख टन हुआ। 1987-88 में 29.1 लाख टन ही हुआ था।¹ गेहूँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1988-89 में 2240 किलोग्राम तथा 1989-90 में 2060 किलोग्राम रहा जो पिछले वर्ष से कम था।² राज्य में गेहूँ की सोना, कल्याण, मन्किमकन, मोना, कोहिनूर आदि विकसित किस्में बोयी जाती हैं जो कुम सिचाई के क्षेत्रों में भी काफी फसल देती हैं।

2. चना- उत्तर प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान आता है। इसके प्रमुख जिले गगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर व मवाईमाधोपुर हैं। सबसे ज्यादा चने का उत्पादन गगानगर जिले में होता है। राज्य का 3/4 चना इन्हीं जिलों में उत्पन्न किया जाता है। 1988-89 में चने का उत्पादन 9.7 लाख टन हुआ था जबकि इसके पिछले वर्ष 1987-88 में 4.1 लाख टन ही हुआ था

1. Economic survey 1992-93 P.S. 20 and Fifteen Years of Agricultural Statistics Raj 1974-75 to 1988-89 (DES Jaipur) p. 25

2. Districtwise Trends of Agricultural Production Department of Agriculture Raj Jaipur April 1991 p. 369

जो बहुत कम था। 1989 90 में चने का उत्पादन घटकर 7.1 लाख टन पर आ गया। 1985 86 में चने का रिकार्ड उत्पादन 16.2 लाख टन हुआ था। यह रबी की दालों की श्रेणी में आता है। 1988 89 में दालों के उत्पादन में चने का स्थान 60% था।

3 **बाजरा** बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। देश में कुल बाजरे के उत्पादन का लगभग 1/5 अंश राजस्थान में होता है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर व नागौर जिलों में राज्य का अधिकांश बाजरा उत्पन्न होता है। 1985 86 में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में हुआ था। राज्य में बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता है। 1988 89 में बाजरे का उत्पादन 26.9 लाख टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष 1987 88 में केवल 4.6 लाख टन ही हुआ था। 1989 90 में बाजरे का उत्पादन 18.3 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष में कम था। बाजरे की प्रति हेक्टेयर उपज 1988 89 में 472 किलोग्राम रही जबकि 1987 88 में 130 किलोग्राम ही रही थी। 1989 90 में यह 371 किलोग्राम रही। इस प्रकार इसमें काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं।

4 **जौ (Barley)** उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान जौ उत्पन्न करने वाले राज्यों में आता है। देश का चौथाया जौ राजस्थान में पैदा होता है। यह जयपुर, उदयपुर, अलवर, टोंक व भीलवाड़ा में उत्पन्न होता है। आजकल नई किस्मों का प्रचलन भी हो गया है जैसे ज्योति, आर०एस० 6 आदि। 1988 89 में जौ का उत्पादन 4.1 लाख टन हुआ जबकि 1987 88 में 3.7 लाख टन हुआ था। जौ का उत्पादन भी काफी घटता बढ़ता रहता है। 1989 90 में जौ का उत्पादन 3.4 लाख टन हुआ था।

5 **मक्का (Maize)** देश में कुल मक्का की पैदावार का 1/8 अंश राजस्थान में होता है। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में पैदा की जाती है। 1985 86 में मक्के की सर्वाधिक पैदावार चित्तौड़गढ़ जिले में हुयी। 1988 89 में मक्के का उत्पादन 12.2 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष 1987 88 में केवल 3 लाख टन ही हुआ था। 1989 90 में मक्के का उत्पादन 13.1 लाख टन हुआ जो सातवीं योजनावधि में सर्वाधिक था।

6 **सरसो, राई व तिल** राज्य में सरसो व राई का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा होता है। पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्री गंगानगर जिलों में पैदा होती थी। लेकिन अब कृषि विस्तार कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह बाणौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा व बूंदी जिलों में भी होने लगी है। 1988 89 में सरसो व राई (rape and mustard) का उत्पादन 13.5 लाख टन हुआ जबकि 1987 88 में 9.3 लाख टन हुआ था। 1989 90 में यह 12.8 लाख टन हुआ। तिल के उत्पादन में राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है। पाली जिले में भी काफी तिल पैदा होता है। 1988 89

मे तिल का उत्पादन 61642 (लगभग 62 हजार) टन हुआ जबकि 1987-88 के केवल 9313 (लगभग 9 हजार टन) टन ही रहा था। जो बहुत नीचा था। 1989-90 मे तिल का उत्पादन 126 हजार टन तक पहुँच गया जो सर्वाधिक था। राज्य मे अलसी, अरण्डी, तारामीरा सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। 1988-89 मे सोयाबीन का उत्पादन 1.23 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष का दुगुना था। 1989-90 मे सोयाबीन का उत्पादन बढ़कर 1.35 लाख टन तक पहुँच गया। राज्य मे तिलहन का उत्पादन हाल के वर्षों मे काफी बढ़ा है। यह 1986-87 मे 8.8 लाख टन हुआ था जो 1988-89 मे बढ़कर 19.1 लाख टन हो गया। 1989-90 मे यह 23.6 लाख टन व 1990-91 मे 27 लाख टन रहा। राज्य मे तिलहन का उत्पादन 1991-92 मे और बढ़ा है।¹ इस प्रकार राज्य तिलहन के उत्पादन मे अग्रणी हो गया है। राजस्थान मे भारत के तिलहन उत्पादन का लगभग 1/8 अंश होने लगा है। राज्य मे ज्यादा पैदावार रबी के तिलहनो की होती है। तिलहन में टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली है।

7. गन्ना राजस्थान मे गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है। 1990-91 मे गन्ने का उत्पादन लगभग 13.6 लाख टन हुआ था जो पिछले वर्ष से अधिक था। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बूंदी जिले मे होता है। अन्य जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व गगानगर हैं। 1991-92 मे गन्ने का उत्पादन 13.6 लाख टन हुआ है जो 1990-91 के 12 लाख टन के उत्पादन से थोड़ा अधिक है।

8 कपास- कपास की बुवाई का काम मई जून के महीने मे किया जाता है। पौधे उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सितम्बर-अक्टूबर तक इन पौधो मे कपास के फूल निकल आते हैं। इन फूलो से कपास के लिए सस्ते मजदूरो की आवश्यकता होती है।

1986-87 मे राजस्थान मे कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख गाँठे हुआ था जो 1987-88 में घटकर 2.2 लाख गाँठो पर आ गया (प्रति गाँठ वजन = 170 किलोग्राम)। 1988-89 मे कपास का उत्पादन 6 लाख गाँठे 1989-90 मे 9.2 लाख गाँठें तथा 1990-91 मे 8.5 लाख गाँठे (सशोधित) आका गया है। 1991-92 के लिए 10 लाख गाँठे प्रत्याशित है। इसका सर्वाधिक उत्पादन गगानगर जिले में होता है। यह मुख्यत तीन प्रकार की होती है। देशी कपास मुख्यत उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बासवाडा मे बोई जाती है। अमेरिकन कपास मुख्यत गगानगर जिले मे बोई जाती है। इस कपास का रेशा लम्बा होता है और

1 Some Facts About Rajasthan 1992, p. 43 (1989-90 व 1990-91 के उत्पादन के लिए)

यह अच्छे किसिम के सूती कपड़े बनाने में काम आती है। तीसरे प्रकार की मालवी कपास होती है जिसे कोटा बूदी झालावाड और टोंक जिलों में बोया जाता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गगानगर जिले में होता है जहाँ नहरी सिंचाई की सुविधाएँ पायी जाती हैं।

9 विविध प्रकार की फसलें - राज्य की अन्य पैदावारों में ग्वार (1989 90 में 55 लाख टन) धनिया (corander) (1989 90 में 72754 टन) सूखी लाल मिर्च आलू तम्बाकू मेथी जीरा (Cumin), आदि आते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में धीरे उतार चढ़ाव अते रहते हैं। राज्य में 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1960 61 में 45.5 लाख टन तथा 1965 66 में घटकर 38.4 लाख टन पर आ गया था। 1970 71 में यह 88.4 लाख टन तक पहुँच गया जो 1974 75 में घटकर 49.8 लाख टन पर आ गया था। उसके बाद के वर्षों में भी उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 1983 84 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार एक करोड़ टन को पार कर गया था। उसके बाद के वर्षों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है

1983 84 से 1991 92 तक खाद्यान्नों का उत्पादन ¹

वर्ष	(लाख टन में)
1983 84	100.8
1984 85	67.9
1985 86	81.3
1986 87	67.9
1987 88	47.8
1988 89	106.6
1989 90	85.3
1990 91	109.3
1991 92	79.5
(प्रारम्भिक)	

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1983 84 में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार 1 करोड़ टन की सीमा को पार कर गया था जो बाद में इससे नीचे घूमता

1 Rajasthan Budget Study 1992 93 p 108 तथा Economic Survey 1992 93 p S 20

रहा और 1987-88 के अभूतपूर्व सूखे व अकाल के कारण लगभग 43 लाख टन पर आ गया था। लेकिन 1988-89 में यह पुनः बढ़कर 1 करोड़ 7 लाख टन हो गया। 1989-90 में यह 85.3 लाख टन तथा 1990-91 में 1 करोड़ 93 लाख टन रहा। 1991-92 में यह पुनः घटकर 79.5 लाख टन पर आ गया। इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अस्थिर रहता है। मखई खाता की विधियों को अपना कर इसमें स्थिरता लाने की आवश्यकता है। 1991-92 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 109.2 लाख टन हुआ था जो सम्स्त भारत के उत्पादन का लगभग 6.2% था। 1991-92 में यह लगभग 4.8% ही रहा।

राजस्थान में पशु पालन (Animal Husbandry)

राजस्थान पशु मम्पदा में सम्पन्न रहता है। पशुधन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में लगातार सूखे व अकाल की दशाओं के कारण जावन यपन में पशुधन का विशेष महत्त्व प्राप्त होता है।

पशु पालन से राज्य की शुद्ध फोर्लू उत्पाति में 15% से अधिक का योगदान प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भागताय सदर्थ में राजस्थान के पशुधन की महत्ता को दर्शाते हैं इस प्रकार हैं

- (i) राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का अंश 10% से अधिक।
- (ii) राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति (draft power) 35%
- (iii) भेड़ के मास में राजस्थान का भारत में अंश 30%
- (iv) ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40%

राजस्थान में दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, मास, चमड़ा आदि उद्योगों का आधार पशुधन है। राज्य में पशुधन में काफी वृद्धि होती रही है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है -

पशुधन (सख्या लाखों में)	
वर्ष	
1951	255.2
1961	335.1
1972	388.8
1977	413.6
1983	496.5
1988	409.2

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988 में 1983 की तुलना में पशुओं की सख्या में गिरावट आयी है। बार बार पडने वाले सूखे की दशाओं ने राज्य के पशुधन को भारी क्षति पहुँचाई है। 1983-88 की अवधि में कई बार भयंकर

सूखे पड़े हैं। 1987-88 का सूखा भीषणतम रहा है। परिणामस्वरूप इस अवधि में गौवश के पशुओं की संख्या में 19.2% बकरियों की संख्या में 18.7% तथा भेड़ों की संख्या में 26.2% की भारी गिरावट आई थी। इसी अवधि में ऊंटों की संख्या में भी 4.6% की कमी हुई लेकिन भैंस जाति के पशुओं में 4.9% की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर 1983 में पशुओं की संख्या 4.97 करोड़ से घटकर 1988 में 4.09 करोड़ रह गई जो वास्तव में एक भारी क्षति की सूचक है। 1983 में प्रति बैकटेयर पशु भार (animal load) 1.45 से घटकर 1988 में 1.17 हो गया। राज्य में कुल पशुधन में भेड़ बकरी की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक पाया जाती है।¹

जैसा कि पहले प्राकृतिक साधनों के विश्लेषण में बतलाया जा चुका है राजस्थान में गौ वश के पशुओं (Cattle) में गिर, राठी व धारपारकर नस्लों दूध के उत्पादन की दृष्टि से नागौरी व मालवा बेल की दृष्टि से तथा हरियाणा व काकरेज नस्ल दोनों दृष्टियों से (उत्तम बेल व अधिक मात्रा में दूध) महत्व रखती हैं। इनमें सम्बन्धित प्रमुख जिले व स्थान इस प्रकार हैं

गिर- अजमेर, किशनगढ़ (तहसील) चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बूंदी।

राठी- गंगानगर, बीकानेर, तथा जैसलमेर के कुछ भाग।

धारपारकर- बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कुछ भाग।

नागौरी- नागौर तथा पास के क्षेत्र।

मालवी- डूंगरपुर बासवाड़ा व झालावाड़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिले।

हरियाणा- चुरू, झुन्झुनू, सीकर जिले।

काकरेज ये साचोर की श्रेणी में भी आते हैं। जालौर, सिरौही पाली तथा बाड़मेर के कुछ भागों में पाये जाते हैं।

राज्य में भैंस की मुर्रा (murrab) नस्ल दूध के उत्पादन की दृष्टि से महत्व रखती है। इनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गंगानगर हैं। राजस्थान में 1989-90 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था जिसको 1994-95 तक 52 लाख टन करने का लक्ष्य है। पशु नस्ल में सुधार करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव है।

भेड़-पालन

राज्य में 1983 में भेड़ों की संख्या 1.34 करोड़ थी जो 1988 में घटकर 99.3 लाख ही रह गई। इस प्रकार इनकी संख्या में 26% की गिरावट आयी।

1988 में राजस्थान में देश की कुल भेड़ों का 33% से अधिक अंश था। ये कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती हैं इसलिए शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन से भी भेड़-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये राज्य की जलवायु व आर्थिक दशाओं के अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। राज्य की बहुआयामी अर्थव्यवस्था में इनका स्थान काफी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति भेड़-पालन में लगे हैं और 15 20 लाख व्यक्ति भेड़ व इनके उत्पादों पर अपना जीवन-यापन करते हैं।

राज्य में भेड़ों की आठ नस्लें पायी जाती हैं-चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी मारवाड़ी मालपुरा व सोनाड़ी। चोकला भेड़ का ऊन मध्यम फ़ाइन किस्म का होता है। मगरा का ऊन मध्यम श्रेणी का होता है जो गलीचा बनाने में उसकी चमक मजबूती आदि के लिए पसंद किया जाता है। मारवाड़ी का ऊन मध्यम व मोटी किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने में उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित व मरु क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए भेड़ पालन रोजगार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अन्य भागों में यह सहायक धंधे के रूप में अपनाया जाता है। राज्य से लाखों भेड़ें अन्य राज्यों व विदेशों को भेजी जाती हैं। इनमें प्रमुख किस्म की भेड़ों के क्षेत्र इस प्रकार हैं

चोकला- सीकर, झुन्झुनूँ (शोखावाटी क्षेत्र)।

मगरा- बाड़मेर व जैसलमेर जिले।

नाली- राज्य के उत्तर पश्चिम में बीकानेर, गगानगर, आदि में।

पूगल- बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागों में।

जैसलमेरी- जैसलमेर जिले में।

मारवाड़ी- जोधपुर, पाली नागौर व बाड़मेर जिलों में आधी भेड़े इसी नस्ल की हैं।

मालपुरा- जयपुर व आस-पास के क्षेत्रों में।

सोनाड़ी- ये राज्य के दक्षिण-पूर्व में टोक घूदी, कोटा व झालावाड़ क्षेत्रों में पायी जाती हैं।

बकरी की नस्लें- राज्य में 1988 में बकरी-जाति के पशुओं की संख्या 1 26 करोड़ थी जो 1983 की तुलना में 18 7% कम थी। बकरियों की नस्लों में जमनापुरी बरबारी सिरोही लोही व मारवाड़ी उल्लेखनीय हैं। इनका दूध, मांस व बाल आर्थिक दृष्टि से महत्व रखते हैं।

पशु-पालन का शुष्क व अर्द्ध-शुष्क (arid and semi-arid zones) में महत्व -

राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में (राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग) मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसमें 11 जिले हैं जिनमें राज्य के कुल क्षेत्रफल

का 61% भाग आता है। इसके छ जिले- गगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर व बाड़मेर है, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया हुआ है, और इनमें वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी० ही होती है। यह शुष्क प्रदेश (and zone) कहलाता है हालाँकि इसके गगानगर जिले में सघन सिंचाई होती है फिर भी यह शुष्क परिधमी क्षेत्र में ही आता है। जैसलमेर जिले में वर्षा का औसत 10 सेमी० से भी कम है। शेष 5 जिलों का क्षेत्रफल 16% है जिसमें शुन्धुनूँ, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले आते हैं। इनमें वर्षा सामान्यतः 35 से 50 सेमी० के बीच होती है। यह अर्द्ध शुष्क प्रदेश (semi arid zone) कहलाता है।

इन 11 जिलों की जो भू-जिले (शुष्क व अर्द्ध शुष्क जिलों सहित) कहलाते हैं प्राकृतिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं - कम व अनिश्चित वर्षा बालू के टीले, धूलभरी आँधियाँ, गर्मी व सर्दी के तापक्रम में भारी अंतर, भू-क्षरण व मिट्टी का कटाव (बालू का उड़कर अन्य स्थानों में जाना) जल सतह काफी नीचे जा रहा है कई स्थानों पर खारा पानी (brackish water), कठोरजीवन भूतल व सतह के जल का अभाव बार बार सूखा व अकाल पहुँचने में दिक्कतें लम्बी दूरियाँ व ऊँचा वाष्पयन (high evaporation) व जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी चुनौतियाँ।

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में निम्न कारणों से पशु-पालन का विशेष महत्व है -

- (1) बीकानेर व जैसलमेर जिलों में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का बहुत कम अंश है। इसलिए इनमें पशुपालन स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बीकानेर में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 1988-89 में 34% (1/3) था तथा जैसलमेर में तो यह मात्र 6% ही था। इसलिए कृषि कार्यों के अभाव में पशु पालन का महत्त्व बढ़ जाता है। इन जिलों में बंजर भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परती भूमि का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल में अंश काफी ऊँचा पाया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यर्थ भूमि (Waste land) का अनुपात ऊँचा पाया जाता है। इससे पशु पालन के माध्यम से जीवकोपार्जन के साधन प्राप्त हो जाते हैं।
- (2) राज्य के पश्चिमी भाग में बाजरा ग्वार आदि मुख्य फसलों की औसत उपज कम होती है। लेकिन इन फसलों के चारे का मूल्य ऊँचा होता है और वह अधिक संख्या में पशुओं का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पशु पालन लाभकारी माना जाता है।
- (3) पशु पालन में ऊँची आमदनी व रोजगार की सम्भावनाएँ निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती

है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क भागों में कुछ परिवार काफी सख्खा में पशु-पालन करते हैं और इनका यह कार्य वंश-परम्परागत ढंग से चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अंश पशु पालन से सृजित होता है। इसलिए यह अर्धव्यवस्था (desert economy) मूलतः पशु-आधारित है।

- (4) जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में पशु पालन का कार्य कृषि से भी उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें स्थिरता (stability) का विशेष गुण पाया जाता है।
- (5) निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनका आमदनी बढ़ायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होगी तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएँ भी प्रदान करनी होंगी।
- (6) राज्य के अन्य भागों में भी पशु पालन कृषि के साथ किया जा सकता है। अतः आजकल मिश्रित खेती (mixed farming) में कृषि व पशु पालन दोनों पर एक साथ जोर दिया जाता है। इससे अल्परोजगार (under employment) की समस्या भी कुछ सामान्य तक हल होती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी कारणों से पशु पालन का महत्त्व सदैव रहा है। इन क्षेत्रों के लिए भेड़ बकरी पालन का महत्त्व रोजगार व आमदनी के साथ साथ पारिवारिक पोषण के स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि में भी माना गया है। भविष्य में भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अर्धव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में भी राज्य के कुल दूध उत्पादन का काफी ऊँचा अंश राज्य के बाहर के लिए उपलब्ध होता है। भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ायी जा सकती है।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है? इसके प्रारूप में योजनाबद्धि में किम दिशा में परिवर्तन हुए हैं? क्या ये परिवर्तन अनुकूल दिशा में हुए हैं।
- 2 राजस्थान में फसलों का वर्तमान प्रारूप क्या है? अनाज दाला तिलहन आदि मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए?

राजस्थान में मुख्य फसले कौन कौन सी हैं? उनके उत्पादन की प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनमें पशुपालन का महत्व समझाइए। क्या इनमें पशुपालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी माना जाता है? स्पष्ट कीजिए।

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

- (i) राजस्थान में तिलहन की पैदावार,
- (ii) राज्य में सकल कृषि क्षेत्रफल,
- (iii) राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसलें
- (iv) राजस्थान में भेड़ पालन का महत्व
- (v) राज्य में खाद्यान्न व गैर खाद्यान्न फसलें।
- (vi) राजस्थान में पशुपालन।

(Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान में भूमि उपयोग, फसल चक्र (cropping pattern) एवं मुख्य कृषि उपजों का उल्लेख करें।

(Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान में अपनाई गई कृषि व्यूहचरणा की विवेचना करें एवं इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें।

(Ajmer Iyr 1992)

राजस्थान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं अखाद्य फसलों का वर्णन कीजिए।

(Ajmer II yr 1992)

6

उद्योग

(Industries)

सन 1949 के पुनगठन के पूर्व राजस्थान में छोटे छोटे कई राज्य थे जिनमें बिजला पानी व यातयात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग का विकास करना सम्भव नहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य में केवल सात सूनी वस्त्र मिले दो सीमेण्ट की फैक्टिया व दो चीनी की मिले थी। आज भी राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से एक पिछडा हुआ राज्य माना जाता है।

1988 89 में पजीकृत फक्तियों की सख्या कर्मचारियों की सख्या, उत्पादन के मूल्य विनियोजित पूजों की मात्रा विनियोग द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य (net value added by manufacture)¹ आदि का 4/5 से अधिक अंश देश के 10 राज्यों महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्रप्रदेश व पजाब में पाया गया था । 1986 87 में पहली बार शुद्ध जोडे गये मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान का दसवा स्थान आया था । लेकिन 1987 88 व 1988 89 में यह स्थान पजाब ने ले लिया। सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है । अन्य राज्यों का क्रम ऊपर दिया गया है । राज्य में 1962 की तुलना में 1988 89 में औद्योगिक प्रगति हुई है लेकिन सम्पूर्ण देश की पृष्ठभूमि में अब भी राजस्थान का पिछडापन निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है ।²

1 यह उत्पत्ति के मूल्य में से इन्पुटों का मूल्य (ईंधन बच्चा माल आदि) घटाने से प्राप्त शक्ति के बराबर होता है

2 Annual Survey of Industries (ASI) 1988 89 Summary Results for Factory Sector C S O Dec 1992 pp 101 102 (प्रतिरत निकाले गये हैं)

राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान

(प्रतिशत अंश)

वर्ष	कुल पंजीकृत फैक्ट्रियों का अंश	कुल विनियोजित पूंजी का अंश	रोजगार का अंश	उत्पत्ति के मूल्य का अंश	विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (VAM) का अंश
1962	16	10	15	11	11
1988 89	30	38	30	30	26

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988 89 में भी राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफी नीचा स्थान था। इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 30% राजस्थान में था जबकि महाराष्ट्र में 14.5% था। फैक्ट्री में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का अंश 3% था जबकि महाराष्ट्र का 15.7% था। विनिर्माण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (net value added) में राजस्थान का अंश 2.6% था जबकि महाराष्ट्र का 23.7% था। इस प्रकार जोड़े गये शुद्ध मूल्य में भारत में जहाँ महाराष्ट्र का अंश लगभग 1/4 था वहाँ राजस्थान का केवल 1/40 था। फैक्ट्री क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य राजस्थान में 1960 61 में समस्त भारत का 1% था जो 1970 71 में 2.1% तथा 1988 89 में 2.6% हो गया। इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी नीचे आता है। लेकिन जोड़े गये मूल्य में उसकी स्थिति असम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उड़ीसा से बेहतर मानी गई है।

राज्य में 1951 में 103 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थीं जिनमें लगभग 18 हजार व्यक्ति काम पाये हुए थे और केवल 9 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। 1988 89 में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 3162 विनियोजित पूंजी की राशि लगभग 5092 करोड़ रुपये, कर्मचारियों की संख्या 2.31 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य की राशि 884 करोड़ रुपये रही थी। (1987 88 में यह 700 करोड़ रु थी)। राजस्थान में लघु इकाइयों में ज्यादातर, 'अति लघु इकाइयाँ' (सयत्र व मशीनरी में 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पायी गई हैं। आधी से अधिक इकाइयाँ धातु पदार्थों चमड़े की वस्तुओं व अधात्विक खनिज पदार्थों के निर्माण में लगी हुई हैं।

सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत सृजन पर काफी बल दिया है। भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। धर्मल व विद्युत सयंत्रों की स्थापना की गई है।

राज्य में अणु-शक्ति का भी विकास किया गया है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट थी जो 1991-92 में लगभग 2776 मेगावाट हो गई।¹ इसी प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरों व गावों में विस्तार किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्तृओं को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं जिनका सम्बन्ध भूमि के आवंटन, विद्युत की दरों बिक्री कर, चुगी एवं वित्तीय सहायता व पूँजी-सन्निधि आदि से रहा है। इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है। 1991 में सभी प्रकार की पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 10,792 हो गई थी जिनमें कुल रोजगार 2.60 लाख व्यक्तियों को मिला हुआ था। 1988 में फैक्ट्रियों की संख्या 10,510 तथा रोजगार की मात्रा 2.35 लाख रही थी। 1990 में फैक्ट्रियों की संख्या 9,931 हो गई थी। इसमें गिरावट का कारण प्रिंटिंग प्रेसों की संख्या को शामिल नहीं करना था।

1980 में राज्य में 20 सूती व सिन्थेटिक रेशे की इकाइयाँ 10 ऊनी, 3 चीनी 5 सीमेण्ट 3 मिनी सीमेण्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक टायर व ट्यूब फैक्ट्री 9 वनस्पति तेल की मिलें, 20 इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइयाँ तथा 5 खनिज-आधारित बड़ी व मध्यम श्रेणी की इकाइयाँ थीं। इनके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 7 औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं - हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., इन्ट्रुमेंटेशन लि. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., मार्टिन बेकरीज एव राज इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्ट्रुमेंट्स लि., 1 मार्च 1990 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय विनियोगों का 1.51 प्रतिशत अंश ही पाया गया था जबकि 1980-81 में यह 1.7 प्रतिशत था। अतः यह पहले से भी कम हो गया है।²

राजस्थान में इस समय लगभग 400 बड़े एवं मध्यम दर्जे के उद्योग लगे हुए हैं। 1991-92 में उद्योग-विभाग में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों व कारीगरों की इकाइयों की संख्या 1.58 लाख थी जिनमें 1002 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया था तथा लगभग 5.94 लाख व्यक्ति काम पाये हुये थे।

राजस्थान में उद्योगों का कुल राज्यीय घरेलू

उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान

(1) उद्योगों का कुल राज्यीय घरेलू उत्पत्ति में स्थान - आजकल औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है। हम इसमें खनिज विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते

1 Some Facts About Rajasthan 1992 Feb 1993 p 60

2 Some Issues for Development paper by Planning Department Govt. of Raj February 1992 p 27

हैं हालांकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसमें निर्माण कार्य (Construction) भी शामिल किये जा सकते हैं।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात में उद्योगों का स्थान (1980-81) के मूल्यों पर निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(1980-81 के भावों पर)

(प्रतिशत में)

घरेलू उत्पात में योगदान	1980-81	1989-90	1990-91
(i) खनन व पत्थर निकालना	1.96	1.59	1.65
(ii) विनिर्माण (Manufacturing)	11.28	11.59	10.25
(अ) पंजीकृत	4.92	5.79	4.93
(ब) गैर पंजीकृत	6.36	5.80	5.32
(iii) विद्युत गैस तथा जलपूर्ति	0.60	1.29	1.15
कुल	13.84	14.47	13.05

तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात में 1980-81 में लगभग 13.8% अंश था जो 1989-90 में बढ़कर 14.5% हो गया तथा 1990-91 में घटकर लगभग 13% पर आ गया। अखिल भारतीय स्तर पर यह लगभग 22% आका गया है। इस प्रकार राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय में अंश समस्त भारत की तुलना में काफी कम है जिसे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है।

उद्योगों में विनिर्माण (Manufacturing) का अंश विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान में यह 1990-91 में 10.25% आका गया है। इसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश लगभग 4.9% तथा गैर - पंजीकृत क्षेत्र का लगभग 5.3% है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अंश आज भी कम है। पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों क्षेत्रों का अंश कम है। पंजीकृत क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र या संगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है जबकि गैर पंजीकृत क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग दस्तकारिया आदि आते हैं जिनमें कारीगर अपने घरों पर काम करके माल का उत्पादन करते हैं।

(2) उद्योगों का रोजगार में स्थान - जैसा कि जनसंख्या के अध्याय में बतलाया गया था 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों में रोजगार का अंश मुख्य श्रमिकों में 7.4% था जिसमें पारिवारिक उद्योगों में यह

2% तथा अन्य में 54% था। यह खनन व पत्थर निकालने में 1% तथा विद्युत, गैस व जल पूर्ति में कम श्रमिक कार्यरत हैं। 1981 व 1991 में उद्योगों का रोजगार में स्थान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है -

(प्रतिशत में)

		1981	1991
(i)	खनन व पत्थर निकालना	07	10
(ii)	(अ) घरेलू उद्योग	33	20
	(ब) घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उद्योग	50	54
	कुल	90	84

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1981-91 की अवधि में घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में रोजगार का अंश बढ़ा है तथा घरेलू उद्योगों में कुछ कम हुआ है। खनन व विनिर्माण कार्य में श्रम-शक्ति का अंश 1991 में केवल 8.4% रहा है जो पहले से भी कुछ कम है। भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों का रोजगार में अंश बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन-कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज सम्पदा विपुल है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएँ हैं। कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। गलीचों, चमड़े की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न-आभूषण आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकेगी। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताएँ

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं -

(i) आकार - जैसा कि पहले बतलाया गया है कि समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान का स्थान काफी नीचा आता है। 1988-89 में भारत में कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों का 3% अंश ही राजस्थान में था। रोजगार व उत्पात के मूल्य में राज्य का अंश 3% ही था। लेकिन जोड़े गये शुद्ध मूल्य में यह 2.6% रहा था। 1986-87 में पहली बार जोड़े गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का दसवाँ स्थान आया था, लेकिन 1987-88 व

1988 89 में यह स्थान पंजाब ने ले लिया है। इसलिए राजस्थान का स्थान पुन नीचे चला गया है।

राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा भी समय समय पर उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। इनमें फैक्ट्री क्षेत्र में हुई औद्योगिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। हालाँकि ये आकड़े भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आकड़ों से थोड़े भिन्न होते हैं (पद्धति के अन्तर के कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त होते हैं जैसे फैक्ट्रियों का आकार के अनुसार वितरण जिलों के अनुसार वितरण आदि जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। इसलिए राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवेचन किया जा सकता है:

राज्य में लघु पैमाने की इकाइयों की भरमार

वर्ष 1986 87 में राज्य की 2863 फैक्ट्रियों के विवरण प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न आकार की फैक्ट्रियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है

आकार	संख्या	संख्या में प्रतिशत अंश	कुल उत्पादन (करोड़ रु.)	कुल उत्पादन में प्रतिशत अंश
लघु पैमाने की इकाइयाँ	2427	84.8	2929	61.0
(ii) मध्यम पैमाने की इकाइयाँ	263	9.2	859	17.9
(iii) बड़े पैमाने की इकाइयाँ	173	6.0	1013	21.1
कुल	2863	100.0	4801	100.0

स्रोत Report on Annual Survey of Industries, Rajasthan, 1986-87 DES, Jaipur, p.17

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 1986 87 में लगभग 85% फैक्ट्रियाँ लघु पैमाने की थीं। उस समय लघु पैमाने की इकाइयों में प्लांट व मशीनरी में विनियोग की सीमा 35 लाख रुपये थी। तीन करोड़ रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत की इकाइयाँ मध्यम आकार की तथा इससे ऊपर की बड़े आकार की मानी जाती थीं। उस समय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ 9.2% तथा बड़े पैमाने की 6% थीं। इससे पता चलता है कि राजस्थान में लघु इकाइयों की भरमार है। इनमें कुल फैक्ट्री कर्मचारियों का लगभग 1/3 अंश लगा हुआ है। लघु पैमाने की इकाइयों में स्थिर पूँजी (Fixed Capital) की मात्रा कम होती है लेकिन जोड़े गये शुद्ध मूल्य (net value added) में इनका अंश स्थिर पूँजी

के अंश से अधिक पाया जाता है।

1986 87 में लघु पैमाने की इकाइयों का कुल उत्पादन में अंश 61% रहा जो बड़े पैमाने की इकाइयों के 21% अंश से काफी अधिक था। इस प्रकार राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों के योगदान का काफी महत्व है। इनके माध्यम से काफी कर्मचारियों को काम दिया जा सकता है।

जहाँ तक बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का प्रश्न है 1986 87 में इनका अनुपात 6% रहा और कुल उत्पादन के मूल्य में इनका अंश 1986 87 में 21% रहा (1985 86 में यह 53% रहा था) आम तौर पर बड़े पैमाने की इकाइयों का कुल उत्पादन के मूल्य में योगदान ऊँचा हुआ करता है। 1986 87 में इसका घटकर 21% पर आ जाना एक असामान्य बात है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में सभी प्रकार की इकाइयों की अपनी-अपनी भूमिका है। राज्य में आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का विकास किया जाना चाहिए। लेकिन रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से श्रम गहन लघु इकाइयों को प्राथमिकता दी जा सकती है। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी भी उत्पादन के पैमाने के चुनाव को प्रभावित करती है।

(2) वस्तुगत ढाँचा (Commodity structure)- राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गैर-फैक्ट्री क्षेत्र में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत सूचना उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रति वर्ष होती है। इसमें भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत धारा 2 एम (i) व 2 एम (ii) में एकीकृत विभिन्न फैक्ट्रियाँ शामिल की जाती हैं। इसमें पावर की सहायता से चालित 10 या अधिक व्यक्तियों को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियों को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ शामिल होती हैं।

स्मरण रहे कि फैक्ट्री क्षेत्र में शामिल इकाइयों में विनिर्माण इकाइयों (manufacturing units) के अलावा विद्युत-इकाइयाँ वाटर-वर्क्स व सप्लाइ स्टोरेज, वेयरहाउसिंग तथा रिपेयर सेवा की इकाइयाँ भी शामिल होती हैं।

राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आजकल कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा है। इसलिए उत्पादन में विविधता दिखाई देने लगी है। फिर भी रोजगार व जोड़े गये शुद्ध मूल्य (employment and net value added) जैसे दो मुख्य सूचकों के आधार पर देखें तो 1988 89 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में राज्य के निम्न पांच उद्योग समूह प्रमुख रहे (दो अंकों के वर्गीकरण के अनुसार - (as per two digit classification) -

रोजगार के अनुसार	जोड़े गये शुद्ध मूल्य के अनुसार
1 विद्युत	1 विद्युत
2 सूती वस्त्र	2 गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ
3 ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशो के वस्त्र	3 ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशो के वस्त्र
4 गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ जैसे सीमेन्ट	4 बेसिक धातु व एलोय उद्योग
5 बेसिक धातु व एलोय उद्योग (ताँबा, जस्ता, आदि)	5 सूती वस्त्र

राजस्थान के फैक्ट्री क्षेत्र में रोजगार व जोड़े गये शुद्ध मूल्य के अनुसार जो उद्योग-समूह ऊँचा स्थान रखते हैं, वे नीचे दिये जाते हैं। साथ में इनमें उत्पादित होने वाली वस्तुओं के नाम भी दिये जाते हैं। यहाँ हम विनिर्माण-इकाइयों को ही लेते हैं। इसलिए 'विद्युत' को पृथक कर दिया गया है।

उद्योग-समूह

	उत्पादित वस्तुओं के नाम
1 गैर-धात्विक खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ (non-metallic mineral products)	(सीमेन्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, चीनी-मिट्टी, काच, अभ्रक आदि से बनी वस्तुएँ)
2 बेसिक धातु व एलोय उद्योग (Basic metals and Alloys Industries)	(लोहा व इस्पात, ताँबा, एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु उद्योग)
3 ऊन, रेशम व सिन्थेटिक रेशो के वस्त्र	(ऊन की कताई, बुनाई व अन्य क्रियाएँ, रेशम तथा सिन्थेटिक वस्त्रों से सम्बन्धित क्रियाएँ)
4 सूती वस्त्र	(कपास की गांठे बांधना, कताई, बुनाई, रगाई, छपाई, आदि कार्य, खादी, हथकरघा, शक्ति-करघा पर (फैक्ट्री क्षेत्र में) बुनाई व अन्तिम रूप देने के कार्य)
5 रसायन व रसायन-पदार्थ	(उर्वरक, पेट-वार्निश, दवाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, अखाद्य-तेल, कोसमेटिक्स (प्रसाधन-सामग्री) आदि

इसके अलावा राजस्थान में खाद्य वस्तुओं (food products) के निर्माण में सलग्न इकाइयों की संख्या भी काफी पायी जाती है। ये दुग्ध पदार्थों अन्न पदार्थों (जैसे दाल आदि) बेकरी में बने पदार्थों चीनी गुड़ खण्डसारी कामन नमक खाद्य तेल व वनस्पति बर्फ आदि का उत्पादन करती है।

पिछले वर्षों में राज्य में रबड़ प्लास्टिक एवं रसायन पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ा है। राज्य में विभिन्न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर विद्युत) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है।

हालाँकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि में महाराष्ट्र गुजरात आदि की तुलना में पीछे है लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति में सुधार आ रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1986-87 में जोड़े गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत में इसका दसवाँ स्थान रहा था जबकि कर्नाटक व मध्य प्रदेश का क्रमशः अठवाँ व नवाँ स्थान रहा था। पंजाब व हरियाणा का स्थान क्रमशः ग्यारहवाँ व बारहवाँ रहा था। अतः इनसे राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन 1987-88 व 1988-89 में जोड़े गये मूल्य की दृष्टि में पंजाब ने दसवाँ स्थान ले लिया है।

राजस्थान के फँकटी क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 1980-81 में 1.91 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 1988-89 में 2.31 लाख व्यक्ति हो गई है। इस प्रकार आठ वर्षों में फँकटी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में 40 हजार की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर फँकटी क्षेत्र में रोजगार 77.15 लाख व्यक्तियों से बढ़कर केवल 77.43 लाख व्यक्ति ही हो पाया (मात्र 28 हजार की वृद्धि) (प्रतियोगिता में वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के कारण श्रमिकों को कई उद्योगों में कम किया गया जिससे रोजगार तेजी से नहीं बढ़ सका)।

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा

(Industrial Structure of Rajasthan)

औद्योगिक ढाँचे के अन्तर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण (use based industrial classification) का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न चार प्रकार के उद्योगों का रोजगार अथवा जोड़े गये शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्त्व देखा जाता है

- 1 आधारभूत वस्तुओं के उद्योग (Basic goods industries) जैसे इस्पात उर्वरक विद्युत आदि।
- 2 पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग (Capital goods industries) जैसे मशीनरी परिवहन का माल आदि।
- 3 मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग (Intermediate goods industries) जैसे कॉटन यार्न रग, टायर ट्यूब आदि।
- 4 उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (Consumer goods industries) इनमें टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल की जाती हैं। टिकाऊ उपभोक्ता माल में टी वा सेट्स स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ आदि आते हैं तथा

और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी नमक भाचिस दवा आदि वस्तुएँ आती हैं।

राजस्थान में इनमें से प्रत्येक की स्थिति का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है।

(1) आधारभूत वस्तुओं के उद्योग इस श्रेणी में प्रमुख उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं सोमेट, बेसिक रसायन लोहा व इस्पात उर्वरक व कीटनाशक ताबा पीतल अल्यूमिनियम जस्ता व अन्य अलौह धातु, नमक एवं विद्युत।

(i) सोमेट 1988 में राज्य में सोमेट की 9 बड़ी इकाइयाँ थीं। सोमेट के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौडगढ़ उदयपुर, निम्बाहेडा ब्यावर व कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रोको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) (मगलम सोमेट लि०) तथा बनास (सिरोही) (स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स जे के ग्रुप का) में चल रहे हैं। राज्य में सोमेट के और कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। राज्य में कई मिनो सोमेट प्लांट भी लगाये गये हैं जिनसे सिरोही बासवाडा व जयपुर जिलों में सोमेट का उत्पादन होने लगा है।

(ii) रासायनिक उद्योग इसमें मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। डीडवाना में नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्रीराम केमिकल इण्डस्ट्रीज लि० भी इसी श्रेणी में आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी ऐल्कलाइज एण्ड केमिकल्स लि० अलावर भी आधारभूत उद्योगों की सूची में आते हैं।

धौलपुर में संयुक्त क्षेत्र में रोको व IDL केमिकल्स लि० हंढराबाद के परस्पर सहयोग से द्वाी राजस्थान अक्सप्लोजिक्स एण्ड केमिकल्स लि० की स्थापना की गई है जहाँ विस्फोटक (detonators) बनाये जाते हैं। यहाँ मार्च 1981 से उत्पादन चारू किया गया था।

(iii) डूंगरपुर जिले में माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन प्लांट लगाया गया था जो फ्लोर्सपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है।

(iv) राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान जिंक लि०) तथा खेतड़ी में ताबा गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान कापर लि०) कार्यरत हैं। इस प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगों के अन्तर्गत सोमेट, रसायन उर्वरक तथा ताबा व जस्ता के कारखाने चल रहे हैं।

(2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग - पूँजीगत उद्योगों की सूची में औद्योगिक मशीनरी रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी विद्युत कम्प्यूटर व मुर्जे रेल्वे वैन (रेल परिवहन का साज सामान) आदि आते हैं। भरतपुर में सिम्को वैन फैक्ट्री है। अजमेर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (HMT Limited) तथा कोटा में इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि० है। जयपुर में नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि० में वाल बियरिंग एवं अशोका लीलेण्ड लि० अलावर में व्यापारिक

वाहन बनाये जाते हैं तथा कुछ और इन्जीनियरिंग उद्योग भी हैं। इस प्रकार राजस्थान में पूँजीगत वस्तुओं के भी कारखाने हैं।

(3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग - इस श्रेणी में उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं - काटन जिनिंग क्लीनिंग व बेल्सिंग, सूती वस्त्रों के टिफ्ट रगाई व ब्लीचिंग ऊन की मफाई रगाई व ब्लीचिंग चमड़े की रगाई व टिफ्ट पर ट्यूब पेट, व कार्निश आदि, जयपुर में पानी व बिजली के मीटर बनाये जाते हैं। उदयपुर के पाम काकरोली में चैके टायरों का कारखाना है जिनमें आगमाजाइन टायर व ट्यूब बनाये जाते हैं।

फैक्ट्री क्षेत्र में विभिन्न आँद्योगिक श्रेणियाँ का योगदान

उद्योगों की श्रेणी	राज्य में अंश (प्रतिशत)		जोड़े गये मूल्य में अंश (प्रतिशत)	
	1970	1980-81	1970	1980-81
1 आधारभूत उद्योग	30.0	34.6	39.0	51.4
2 पूँजीगत उद्योग	21.5	14.3	18.8	15.5
3 मध्यवर्ती उद्योग	5.4	15.6	2.8	9.0
4 उपभोक्ता उद्योग	43.1	35.5	39.4	24.1
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0
कुल मात्रा	1.12	1.92	62.4	370
	(लाख व्यक्ति)	(लाख व्यक्ति)	(करोड़ रुपये)	(करोड़ रुपये)

(4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग - राजस्थान में सूती वस्त्र सिन्थेटिक वस्त्र चीनी गुड वनस्पति घी व वनस्पति तेल साबुन क्रोकररी साइकिल के पुर्जे जूते (चमड़े व रबड़ के) स्कूटर्स व मोपेड (केल्विनेटर ऑफ इण्डिया लि) ऊनी माल (बीकानेर, चूरू व लाडनूँ) बीड़ी (मयूर बीड़ी उद्योग टोक) आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के उपयोग आधारित उद्योगों (use based industries) को इकाइयाँ पायी जाती

1 Industrial Structure of Rajasthan 1970 and A S I 1980-81 (Rajasthan) (DES) के आकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा प्रतिशत निकाले गये हैं। इसमें विनिर्माण की इकाइयों के अलावा विद्युत गैस जल पूर्ति व घरम्भत में सलग्न सभी प्रकार की फैक्ट्री इकाइयों शामिल की गई हैं।

हैं हालाँकि राज्य का समस्त देश को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आज भी नीचा स्थान है। योजनाकाल में दून विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गये मूल्य अदि में बढ़ता है जो पूर्व तालिका में दर्शाया गया है।

तन्विका से पता चलता है कि 1970 से 1980-81 की अवधि में गजस्थान में अध्यात्म उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गये मूल्य में बढ़ा है पूँजीगत उद्योगों का घटा है मध्यम उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता उद्योगों का घटा है। 1980-81 में आधारभूत उद्योगों का अंश जोड़े गये मूल्य में लगभग 1/2 व उपभोक्ता उद्योगों का 1/4 पाया गया था। स्मरण रहे कि आधारभूत उद्योगों के योगदान के बढ़ने के पीछे मुख्य कारण इस श्रेणी में विद्युत का शामिल होना है।

उद्योगों का मापन आधारित वर्गीकरण (input based Classification of industries) उद्योगों का अध्ययन इनपुटों के आधार पर वर्गीकरण करके भी किया जाता है जैसे कृषि आधारित वन आधारित पशुधन आधारित खनिज पदार्थ आधारित तथा रसायन आधारित उद्योग। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

1 कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग व्यापक अर्थ में कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ व मांस पदार्थ शामिल किये जाते हैं लेकिन सकोर्ण अर्थ में इन श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं जैसे काटन जिनिंग व प्रेसिंग फैब्रिका सूती कपड़ा उद्योग (कटाई व बुनाई) (खादी हथकरघा शक्तिकरघा व मिलकरघा) रेशम उद्योग तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग साबुन उद्योग गन्ने पर आधारित गुन्ना खडसारी व चीनी अचार मुरब्बा दाल मिल बेकरी व कान्फेक्मनरी उद्योग आदि। इसी में सुपारी चूर्ण पाली की महदी व बासवाडा का आम पापड बोकानेर के पापड भुजिया जोधपुर नागौर क्षेत्र की मेथी झालावाड व गगानगर के रसदार फल जाबू सिरौही क्षेत्र के टमाटर तथा मुक्कर के गुलाब के फूल सब्जी व फल आदि आते हैं।

2 वन आधारित उद्योग इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग रबड गोद राल लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं।

3 पशु धन आधारित उद्योग राजस्थान में पशु धन पर आधारित उद्योगों में ऊन दूध से बने पदार्थ चमडा खाले हड्डियाँ व माँस आदि शामिल होते हैं।

4 खनिज पदार्थ आधारित उद्योग धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग मशीनरी परिवहन का सामान (वैगन), धातु से बनी वस्तुएँ, जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटर साइकिल आदि।

(अ) अधातु खनिज उद्योग (non metallic mineral industries)- इसमें पत्थर व मारबल से बनी वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान चायना क्ले व सिरैमिक की इकाइयाँ एस्बेस्टस सीमेट, सीमेट पाइप आदि आते हैं।

राजस्थान में कृषि-आधारित खनिज-आधारित व पशु आधारित उद्योगों का बड़ा महत्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। इस समय राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें हैं तीन चीनी के बड़े कारखाने हैं तथा वैजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियाँ हैं। सूती वस्त्र मिलों में 17 मिले निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में (दो ब्यावर व एक विजयनगर में) तथा तीन सरकारी क्षेत्र में (गुलाबपुर, गगापुर तथा हनुमानगढ़) में हैं। सूती वस्त्र मिलों के स्थान ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़ उदयपुर, पाली गगापुर (भीलवाड़ा जिला) आदि हैं। चीनी के तीन कारखाने भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला) (निजी क्षेत्र में) गगनगर (सार्वजनिक क्षेत्र में) तथा केशोरयपाटन महकारी शूगर मिलिम लि० (बूंदी जिले में) (सहकारी क्षेत्र में) हैं।

राज्य में वनस्पति तेल की फैक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा में 'वीर बालक') अलवर (खैरथल में) रौसा निवाई भरतपुर (सरमो इजन छाप) गगापुर मिटो सवाई माधोपुर, जालौर आदि में हैं। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में 'महाराजा वनस्पति' झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 'आमेर वनस्पति' निवाई में 'केसर वनस्पति' दुर्गापुर में रोहिताश तथा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा आदि में स्थित हैं।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति

1971 से 1991 की अवधि में राज्य में प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है

कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि ¹

वस्तु का नाम	इकाई	1971	1990	1991
1 सीमेन्ट	(लाख टन)	14 6	42 6	47 4
2 चीनी (जुलाई-जून)	(हजार टन)	11 0	13	25
3 यूरिया	(लाख टन)	2 6	3 7	3 6
4 सुपर फॉस्फेट	(हजार टन)	45 0	76	94
5 बाल बियरिंग	(लाखों में)	73 0	157	177
6 बिजली के मोटर	(लाखों में)	4 9	9 1	9 9
7 नमक	(लाख टन)	5 5	10 6	14 4

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971-91 की अवधि में विभिन्न वस्तुओं जैसे सीमेन्ट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग आदि के उत्पादन में

1 आद्य व्यवस्था अध्ययन 1992-93 पृष्ठ 58 (1990 व 1991 के लिए)।

वृद्धि हुई है। चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल, सीमेन्ट, पावर केबल्स, सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं नाइलोन के धागे आदि के उत्पादन के लिए नये कारखाने स्थापित किये गये थे। 1991 में, पोलियेस्टर धागे का उत्पादन 13.5 हजार टन हुआ, जबकि 1985 में केवल 5.5 हजार टन ही हुआ था।

राजस्थान में उद्योगों का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाव (Regional spread)

राजस्थान के 27 जिलों में फैक्ट्रियों का वितरण काफी असमान पाया जाता है। निम्न तालिका में 1970 तथा 1986-87 के लिए विभिन्न जिलों में अनुसार फैक्ट्रियों की संख्या व उनमें संलग्न कर्मचारियों की संख्या दी गयी है जिससे जिलेवार सुलनात्मक अभ्ययन किया जा सकता है :-

जिले का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या	
	1970	1986-87	1970	1986-87
1 अजमेर	149	222 (v)	17118	21456 (w)
2 अलवर	14	142	470	13784
3 बांसवाड़ा	5	20	227	2063
4 बाड़मेर	2	39	147	998
5 भरतपुर	21	59	3180	5226
6 धौलवाड़ा	45	144	5043	12616 (vi)
7 डोकांनेर	46	144	3099	6521
8 बूंदी	12	34	2370	3309
9 चित्तौड़गढ़	35	65	1637	4870
10 चूरु	5	20	113	351
11 इंगरपुर	---	2	---	976
12 धौलपुर	भरतपुर में शामिल	4	---	580
13 गंगानगर	114	264 IV	7292	11242
14 जयपुर	234	617 (i)	36891	66597 (i)
15 जैसलमेर	1	2	15	40
16 जालौर	2	2	21	80
17 झालावाड़	12	22	1377	2674
18 झुन्झुन	3	7	36	3005
19 जोधपुर	76	280 (ii)	6240	11907

20 कोटा	75	121	11835	16808 (iii)
21 नागौर	41	72	1206	1748
22 पाली	47	273 (iii)	5431	10138
23 मवाईमाधोपुर	10	21	2724	2836
24 सीकर	5	28	153	1456
25 मिरोहा	9	32	208	2605
26 टोक	3	21	96	701
27 उदयपुर	56	206 (vi)	4764	12998 (v)
कुल	1022	2863	111693	217585

स्रोत ASI Reports for 1970 and 1986 87 (p 99) DES Ja pur
उपयुक्त तालिका में स्पष्ट होता है कि 1970 से 1986 87 के बीच
रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 1022 में बढ़कर 2863 हो गई। इनमें सलग्न
कर्मचारियों की संख्या 1.12 लाख से बढ़कर 2.18 लाख हो गई।

1986 87 में 200 से अधिक फैक्ट्रियों की संख्या निम्न छ जिलों में
पाया गया। इसे क्रमवार अग्र तालिका में दर्शाया गया है

क्रम संख्या	जिले का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
(1)	जयपुर	617
(2)	जोधपुर	280
(3)	पाली	273
(4)	गगानगर	264
(5)	अजमेर	222
(6)	उदयपुर	206
	योग	1862
	(कुल राज्य का 65%)	

इस प्रकार राज्य के उपर्युक्त छ जिलों में कुल फैक्ट्रियों का 2/3 अंश
पाया गया तथा शेष 21 जिलों में 1/3 अंश ही पाया गया। इन्होंने छ जिलों में
कुल फैक्ट्री रोजगार का 66% पाया गया जो कुल कर्मचारियों का 2/3 था। इस
प्रकार अधिकांश फैक्ट्रियाँ व फैक्ट्री रोजगार इन छ जिलों में पाया गया है। वैसे
रोजगार की दृष्टि से छ जिलों का क्रम भिन्न रहा है जो इस प्रकार है जयपुर,

अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा।

यह ध्यान देने की बात है कि 1986 87 में भी निम्न जिलों में फैक्ट्रियों की संख्या 10 से भी कम रही -

क्र. सं	जिले	फैक्ट्रियों की संख्या
(1)	झुन्झर	7
(2)	जैसलमेर	2
(3)	धोलपुर	4
(4)	जालौर	2
(5)	डूंगरपुर	2

इस प्रकार ये पांच जिले फैक्ट्री-विक्रम की दृष्टि से काफी पिछड़े माने जा सकते हैं। 1970 से 1986 87 के 16 वर्षों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना में निम्न जिलों ने विशेष प्रगति दर्शायी है -

अलवर, भीलवाड़ा जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली तथा उदयपुर। पाली जिले में फैक्ट्रियों की संख्या 1970 में 47 थी जो 1986 87 में बढ़कर 273 हो गई। यहां सूती वस्त्रों की छपाई रगई व ब्लोविंग का काम बढ़ा है। उदयपुर जिले में इनकी संख्या 56 से बढ़कर 206 हो गई। यहां अधात्विक खनिज पदार्थों का काम काफी बढ़ा है।

यह ध्यान देने की बात है कि जालौर जिले में 1970 व 1986 87 दोनों में फैक्ट्रियों की संख्या मात्र 2 पर स्थिर बनी रही।

1986 87 में राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में जोड़े गये शुद्ध मूल्य (net value added) की कुल राशि में सर्वाधिक राशि जयपुर जिले की थी। दूसरा स्थान कोटा जिले का रहा।¹ इस प्रकार राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्न जिलों का विकास काफी असंतुलित रहा है। भविष्य में पिछड़े जिलों के आद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत ढाँचे के विकास को देनी होगी ताकि विद्युत मंचार, सड़क जल शिक्षा व स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ विकसित की जा सकें।

अब हम राज्य के प्रमुख ग्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों लघु उद्योगों तथा

¹ Report on Annual Survey of Industries Rajasthan 1986 87 (DES Jaipur) 1992 p 100

कुछ बड़े पमाने के उद्योगों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ

कुटीर या पारिवारिक उद्योगों में प्रायः परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा सकती है। जैसे सोने चाँदी के जेवर बनवाना कपड़े की रंगाई छपाई का काम करवाना गलीचे बनवाना आदि। इनके द्वारा धाड़े समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है अथवा पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है। ये गाव व शहर दोनों में चलाये जाते हैं। इनमें विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर हाथ के काम का ही उपयोग किया जाता है। भारतीय अर्थ व्यवस्था में भी इनका काफी महत्व है। अब लघु उद्योगों की परिभाषा में वे उद्योग आते हैं जिनमें मयत्र व मशीनरी (plant and machinery) में पूँजी की सीमा 60 लाख होती है। इनके लिए श्रमिकों की संख्या निर्धारित नहीं है बल्कि इनके लिए केवल प्लांट व मशीनरी में विनियोग की सामा निश्चित की गयी है। नाचे राजस्थान के खादी ग्रामीण उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग का विवेचन किया जाता है।

(1) **खादी उद्योग (Khadi industries)** राजस्थान के कुटीर व ग्रामीण उद्योगों में खादी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग है जिसमें लोग अशकालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें कुछ सीमा तक स्त्रियों को भी काम मिलता है। इसमें सूती व ऊनी खादी दोनों आती हैं। राज्य में 1991-92 में इनमें लगभग 1.67 लाख व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ था। अतः रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में इसका काफी ऊँचा स्थान है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी बीकानेर के ऊनी कम्बल चक की रेजी व चामूँ के खेस एवं अन्य स्थानों की रेजा काफी मशहूर हैं। बीकानेर, जमलमेर व जोधपुर की मरानो खादी की होड लगी रहती है। सूती खादी की अपेक्षा ऊनी खादी पर अधिक मुनफा होता है।

खादी उद्योग में उत्पादन के मूल्य व रोजगार का स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है।¹

1 Ten Years of Industrial and Mineral Statistics Rajasthan from 1977-78 to 1986-87 (1988) (DES Jaipur) p 17 and Raj Budget Study 1992-93 p 116

वर्ष	ऊनी व सूती खादी मिलाकर उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु)	रोजगार (लाखों में) (लगभग)
1977-78	41	1
1980-81	102	11
1990-91	304	17
1991-92	313	17

इस प्रकार 1977-78 की तुलना में खादी के उत्पादन का मूल्य वर्तमान में लगभग आठ गुना होने की आशा है। यह लगभग 31 करोड़ रुपये और रोजगार (अल्पकालिक व पूर्णकालिक) की मात्रा लगभग 17 लाख व्यक्ति होने की आशा है। जैसाकि पहले सकेत दिया जा चुका है कि ऊनी खादी का मूल्य सूती खादी के मूल्य में अधिक बैठता है। ऊनी खादी का उत्पादन मूल्य सूती खादी के उत्पादन-मूल्य का लगभग दुगुना होता है। सरकार प्रतिवर्ष ऊनी सूती तथा रेशमी खादी पर बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि इनकी बिक्री अधिकाधिक की जा सके।

राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य में खादी मस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि उन के उत्पादकों व कातने एव बुनने वालों को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। खादी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। रगों की खरीद में कई प्रकार की अनियमितताएँ पायी जाती हैं। अतः खादी सस्थाओं के प्रबंध में सुधार किया जाना चाहिए तथा साधारण खादी के मजदूरों के हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

(2) ग्रामीण उद्योग (Village industries)- राज्य में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा निम्न ग्रामीण उद्योगों का भी संचालन करता है जैसे घानी का तेल, गुड़, खण्डसारी, हाथ का बना कागज, गैर-खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना (Pottery) मधुमक्खी-पालन (शहद) तथा चावल की हाथ से कुटाई। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगों में ये आठ उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। इनमें उत्पादन व बिक्री-मूल्य की दृष्टि से घमड़े व घानी के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता है।

1 गिरानसिंह शेखावत राजस्थान में खादी लेखपाला राजस्थान भविका, 10 फरवरी से 26 फरवरी 1987 तक।

राज्य में ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन मूल्य व रोजगार की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है

वर्ष	उत्पादन मूल्य (करोड़ रु)	रोजगार (लाखों में)
1977-78	7.5	0.33
1980-81	21.6	0.68
1991-92*	185.0	3.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले दशक में ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन-मूल्य व रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 1991-92 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन मूल्य 185 करोड़ रुपये व रोजगार 3.1 लाख व्यक्ति रहा है। अतः इनमें लगभग 3 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है।

ग्रामीण उद्योगों को भी माल की विक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इनकी विक्री में सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले हैं। इनके लिए कच्चे माल का व्यवस्था की जाती है तथा कारीगरों को हर प्रकार में मदद दी जाती है। भविष्य में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण कारीगरों को अधिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राज्य में खादी व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन का मूल्य लगभग 215 करोड़ रुपये है तथा इनमें रोजगार की मात्रा लगभग 4.8 लाख व्यक्ति है जो फेक्ट्री कर्मचारियों से काफी अधिक है।

सरकार को इनके संगठन वित्त व्यवस्था टेक्नोलॉजी व उत्पादन विधि विक्री की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था में सुधार करके इनके विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए।

(3) हस्तशिल्प उद्योग (Handicrafts)- राजस्थान की दस्तकारी में यहाँ की कला व संस्कृति को छाप पायी जाती है। यहाँ के कारीगरों ने पीतल पत्थर, मिट्टी चमड़े कपड़े लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके अपनी कारीगरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया है। सागानेर, पाली बगरू आदि स्थानों के वस्त्र पर हाथ की रंगई व छपाई का काम प्रसिद्ध है। बाडमेर की 'अजरक' प्रिंट, उदयपुर के समीप नाथद्वारा की 'पिछवाइयों' (मूर्तियों के पृष्ठ भाग में) जिनमें पहले कपड़ों को काला रंगते हैं तथा उस पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ आदि अंकित करते हैं तथा फड़ कपड़े पर भी किसी महगुरु की जीवनी का

चित्राकन करते हैं। जोधपुर के मशहूर बादले व बंधेज के काम की ओढ़नियाँ व जयपुर की बंधेज की चुनरिया, ओढ़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध माने गये हैं। जयपुर की पाव रजाई (250 ग्राम रूई से बनी) काफी मशहूर मानी गयी है जिसे विदेशी भी बहुत चाव से खरीदते हैं। इनके अलावा जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान रत्नो तथा सोने-चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएँ, सगमरमर की मूर्तियाँ, हल्की-सलमासितारो की कारीगरी से युक्त जूतियाँ (मौजडिया व नागरे) ब्ल्यू पाटरी की अनेक वस्तुएँ, मिट्टी व लकड़ी के खिलौने चदन व हाथीदाँत की बनी वस्तुएँ, जयपुर व बीकानेर के ऊनी गलीचे ऊँट की छाल से बनी वस्तुएँ, खस के पानदान, आदि राजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने हैं। राजस्थान की हस्तकला की वस्तुएँ निर्यात भी होती हैं जैसे गलीचे आभूषण आदि।

राज्य के कुछ जिलों में रेशम का उद्योग विकसित किया गया है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूँदी चित्तौड़गढ़ जिलों में-इसके लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं व मलबारी की खेती की जाती है।

टसर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा उदयपुर, व बाँसवाडा जिलों में किया जा रहा है। इसके लिए "अर्जुन" के पेड़ लगाये जाते हैं जिनमें परिवेश सतुलन भी होता है और रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की अर्धव्यवस्था में विशेषतया ग्रामीण अर्धव्यवस्था में कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन काल से चली आ रही हैं जिनकी छाप आज भी कायम है तथा जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश विदेश में काफी समय से विख्यात हैं।

राजस्थान के लघु उद्योग

जैसा कि पहले कहा जा चुका है लघु उद्योग की वर्तमान परिभाषा के अनुसार संयंत्र व मशीनरी में पूँजी की सीमा 60 लाख रुपये रखी गई है जबकि पहले यह 35 लाख रुपये हुआ करता था। राजस्थान में 1991-92 में पंजीकृत लघु पैमाने की इकाइयाँ तथा कारीगरों की इकाइयाँ 1,58 लाख थी जिनमें 5,94 लाख व्यक्ति काम पाये हुए थे। इनके सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्री-क्षेत्र में आती हैं और कुछ नहीं आतीं। फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयों के आँकड़े तो नियमित रूप से एकत्र किये जाते हैं, लेकिन गैर-फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयों का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाता।

फिर भी राजस्थान के फैक्ट्री व गैर फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफी है। यहाँ पर मध्यम पैमाने के उद्योगों का अभाव है। लघु उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं।

(1) कृषि-उत्पादों पर आधारित लघु उद्योग - जैसा कि पहले सकते

दिया गया है इसके अन्तर्गत वनस्पति तेल व घी उद्योग गुड व छत्रडमारी का इकाइयाँ छोटी दाल फ़क्रिट्रियाँ व अन्य इकाइयाँ हाथ करधा उद्योग बेकंग व कन्फ़ेक्शनरी की इकाइयाँ दरी व निवार बनाने वाली इकाइयाँ कपाम का जिनिंग व प्रेसिंग इकाइयाँ, आदि आते हैं जिनमें मयन्त्र व मशीनरी में पूँजी का राशि अब 60 लाख रुपये तक होती है।

राज्य में जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा वूँदी अजमेर और पाली जिलों में तिलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल की कड़ इकाइयाँ पायी जाती हैं। राज्य में वनस्पति तेल का फ़क्रिट्रियाँ जयपुर (विश्वकामा में 'वार बालक') अलवर (ख़ाद्यल में) दामा निक्ट भरतपुर (मम्मो टजन छोप) गंगापुर सिटा सवाई माधोपुर जालौर आदि स्थानों में पायी जाता है वनस्पति घी के कारख़ाने जयपुर (विश्वकामा में) 'महागजा वनस्पति - प्रामिप्र वेनटैवल प्रोडेन्स 'आमेर वनस्पति' पावापा लिमिटेड झोटवाडा आद्योगिक क्षेत्र 'केसरी वनस्पति' (निक्ट में) दुगापुरा में गेहूँतश तथा चिताडगढ़ व भीलवाडा में पाये जाते हैं। राज्य में अरहर मूँग, उड़द व मोठ आदि ज़ा दाले बनाने की इकाइयाँ पायी जाती हैं। हाथकरधा उद्योग में काटा डोंगिए का माडियाँ प्रमिड है। अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपडा बुना जाता है। गन्ने का उपयोग गुड व छत्रडमारी की इकाइयों में किया जाता है।

(2) पशु-आधारित लघु उद्योग- इनमें ऊनी वस्त्र, चमड़े खाल हड्डियाँ दुग्ध पदार्थ आदि के उद्योग आते हैं। राज्य में भेड़ों की सख्या बहुत अधिक है। बाकानेर, चूरू और लाडनू की ऊनी मिले लघु उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। इनका अधिक स्थिति काफी खराब हो गई है।

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग - राज्य में मकराना (नगौर) बासवाडा व अन्य स्थानों में सगमरमर का पत्थर निकलता है जिससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ व अन्य वस्तुएँ बनायी जाती हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ़ में पीतल व तांबे के बतन बनाने के कारख़ाने हैं। जयपुर में मोने चाँदी के बतन बनाये जाते हैं। राज्य के कई भागों में लोहे के कृषिगत आजार बनाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में गज़मिहपुर (श्रीगंगानगर) तथा जयपुर में झोटवाडा के कारख़ाने विशेष रूप में मशहूर हैं।

(4) वन-आधारित उद्योग - राज्य में उदयपुर, सवाई माधोपुर व जोधपुर में लकड़ी के खिलाने बनाने के कारख़ाने हैं। यहाँ बाम का सामान भी बनाया जाता है। कोटा में स्टा बोड का कारख़ाना है। राज्य में तैदू पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। कत्था, गौद व लाख का उपयोग किया जाता है। फर्नाचर बनाने की इकाइयाँ पायी जाती हैं। अजमेर तथा अलवर में माचिम बनाने के कारख़ाने हैं।

इस प्रकार राज्य में यहाँ के स्थानों पर आधारित कई प्रकार के कारख़ाने व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। 1991-92 में लघु पैमाने की कुल पंजीकृत इकाइयों की सख्या 158 लाख थी जिनमें कुल विनियोग 1002 करोड़

रूपये का था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्ति लगभग 594 लाख थे।¹

कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएँ व समाधान

सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान में भी कुटीर व लघु उद्योगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका हल निकालने का सरकार प्रयत्न कर रही है। ये कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं।

(1) कच्चे माल की समस्या इन उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिलता जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(2) उत्पादन की पुरानी तकनीक उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीनें होने से माल की किस्म घटिया होती है आर कीमत भी ऊँची होता है क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आती है। उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना आवश्यक है।

(3) बिक्री की समस्या कुटीर व लघु उद्योगों को तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों की प्रतिযোগिता से इनके माल की माग कम हुई है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(4) पूँजी का अभाव इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता है। बैंकों से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

(5) दक्ष श्रमिकों का अभाव आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है।

(6) पावर की कमी प्रायः कारखानों को उनकी आवश्यकतानुसार पावर नहीं मिल पाती है। पावर की कटौतियों पावर के उतार चढ़ाव आदि उत्पादन को निरन्तर आगे नहीं रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है। अतः पावर सप्लाई की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कारखानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

कुटीर व लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थ आधारित लघु इकाइयों का विकास करके राज्य में औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के अवसर हैं जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं। सोने चाँदी के आभूषणों का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। रत्न व जवाहरात का उद्योग विकसित किया जाना चाहिए। भस्मीचो का उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमायी जा सके।

राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग-सूती वस्त्र उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 में वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूती कपड़े की मिलें थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 23 हो गई है। इनमें से 17 मिलें निजी क्षेत्र में हैं 3 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं (दो ब्यावर में तथा एक विजयनगर में) तथा 3 सहकारी क्षेत्र में कटाई मिलें (गुलाबपुरा, गगापुर तथा हनुमानगढ़ में) हैं। सूती वस्त्र मिलें ब्यावर (3) भीलवाड़ा (3) जयपुर (2) किशनगढ़ (2) उदयपुर, पाली गगापुर, (भीलवाड़ा) हनुमानगढ़ कोटा भवानीमडी विजयनगर, गगानगर, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) आदि केंद्रों में स्थित हैं। भविष्य में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के बढ़ने की आशा है।

राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल 'दी कृष्णा मिल्स लि' 1889 में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। यहाँ पर दूसरी मिल 'एडवर्ड मिल्स लि' 1906 में स्थापित की गई। तीसरी मिल 'महालक्ष्मी मिल्स लि' भी यहाँ पर 1925 में स्थापित हुई। इसके बाद 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड टेक्सटाइल मिल्स तथा 1942 में पाली में महाराजा उम्मेद मिल्स लि स्थापित की गई। 1946 में गगानगर में मार्दुल टेक्सटाइल लि की स्थापना की गई। आगे चलकर कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स के रुग्ण हो जाने के कारण इनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने हाथ में ले लिया था जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थीं।

राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला तत्व

इस उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल अर्थात् कपास की समीपता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना बाजार की समीपता का पड़ता है। यह आवश्यक नहीं कि सूती कपड़े की मिलें उन्हीं स्थानों के आस पास स्थापित हो जहाँ कपास का उत्पादन किया जाता है। यह दूसरे ऐसे स्थानों पर भी भेजी जा सकती है जहाँ उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल तत्व पाये जाते हैं।

(1) कच्चे माल की उपलब्धता फिर भी राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना पर कच्चे माल की उपलब्धता का प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए गगानगर की सूती वस्त्र मिल को कपास वहाँ की सिंचित भूमि से मिल जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा जयपुर जिलों में भी कपास की खेती होती है। वासवाड़ा में भी माही मिर्चाई परियोजना में कपास की खेती को काफी प्रोत्साहन मिला है। ब्यावर की मिला को भी कपास राज्य के अंदर व बाहर दोनों से उपलब्ध होती रही है।

(2) इस उद्योग की स्थापना पर बाजार की समीपता व श्रम का उपलब्धता का प्रभाव पड़ा है। श्रमिक पाम के गाँवों से आ जाते हैं और उत्पादन केंद्रों के पास ही माल के उपभोग केंद्र व बाजार भी पाये जाते हैं। श्रम शक्ति

में पुरुष, स्त्रियाँ युवक आदि पास के स्थानों से आते हैं।

(3) उद्योग की स्थापना जलवायु, पानी की सप्लाई भूमि की उपलब्धि आदि से भी प्रभावित हुई है।

(4) कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रों में विद्युत की भी व्यवस्था है व डीजल जेनरेटिंग सेट्स की स्थापना को भी इजाजत दी गई है।

इस प्रकार राज्य में सूती कपड़े की मिलों की स्थापना पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ा है। भविष्य में राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के नये कार्यक्रम हैं ताकि नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा सकें।

कपास के उत्पादन की प्रवृत्ति राज्य में कपास का वार्षिक उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता है। 1986 87 में कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख गाँठे हुआ था जो घटकर 1987 88 में 2.2 लाख गाँठों पर आ गया था। 1988 89 में पुनः कपास का उत्पादन 6 लाख गाँठे हुआ तथा 1989 90 में लगभग 9.2 लाख गाँठों 1990 91 के लिए 8.5 लाख गाँठों एवं 1991 92 के लिए 10 लाख गाँठों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

राज्य में सूती वस्त्र व सूत के उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।¹

मद	1978	1983	1990	1991
1 सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)	3.32	5.58	4.66	4.38
2 सूत (Yarn) (हजार टन)	33.6	42.7	48.6	53.2

इस प्रकार राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन 1990 में लगभग 4.7 करोड़ मीटर हुआ तथा सूत (यार्न) का उत्पादन 48.6 हजार टन रहा। तालिका से पता चलता है कि 1991 में सूती वस्त्र का उत्पादन 4.4 करोड़ मीटर हुआ जो 1983 के उत्पादन से कम था। इस प्रकार राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता है। 1991 में काटन यार्न का उत्पादन थोड़ा बढ़ा है। 1983 में राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन 5.6 करोड़ मीटर हुआ जो अपने आप में एक रिकार्ड था। बाद में इसके उत्पादन में कमी हुई है।

1 Ten Years of Industrial and Mineral Statistics Raj 1977 78 to 1986 87 pp 6 7 (DES Jaipur 1988) Rajasthan Budget Study 1992 93 p 118

सहकारी क्षेत्र में कताई-मिले

(1) राजस्थान सहकारी कताई मिल लि गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) - यह 1965 में स्थापित हुई थी। यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों व अन्य से कपास खरीदती है और जिनिंग, कताई, बुनाई, रगाई व अन्य सम्बद्ध क्रियाओं में भाग ले सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना होता है। इसे पिछले वर्षों में काफी घाटा रहा है। लेकिन 1989-90 में लगभग 15 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

(2) गगापुर सहकारी कताई मिल लि - यह 1981 में स्थापित की गई थी। यह भी भीलवाड़ा जिले के गगापुर कस्बे में स्थित है। यह समिति के सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगों का संचालन करती है। यह भी घाटे में चलती रहती है। इसे 1989-90 में 134 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जो पिछले साल से काफी अधिक था।

(3) गगानगर सहकारी कताई मिल लि - इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, इसका कार्यालय हनुमानगढ़ जक्शन (जिला श्रीगगानगर) में है। इसका उद्देश्य भी जिले में उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथ-करघों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। यह पिछले वर्षों में घाटे में चल रही थी, लेकिन इसे 1989-90 में 115 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

सूती वस्त्र मिलों की समस्याएँ व उनका हल-

(1) कच्चे माल की कमी- राज्य में जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट जाता है उस वर्ष सूती वस्त्र मिलों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ लम्बे रेशे की कपास का अभाव पाया जाता है।

(2) पुरानी मशीनरी - राज्य में सूती वस्त्र की मिलों में काफी मशीनें बहुत पुरानी हैं। ब्यावर में कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने हण होने के कारण अपने अधिकार में ले ली थी। इनमें आधुनिकीकरण का अभाव रहा है।

(3) शक्ति के साधनों की कमी- राज्य में पुराने स्टीम सयन्त्रों के लिए कोयला बिहार से मंगाया जाता है। प्रायः मिलों को पावर की कमी का सामना करना पड़ता है। अतः यह समस्या हल की जानी चाहिए।

(4) सामान्य कठिनाइयाँ- पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिलों के आकार के छोटे होने से उत्पादन लागत अधिक आती है। अतः इस उद्योग को प्रबन्ध में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

चीनी उद्योग

राज्य में कई वर्षों से चीनी के तीन बड़े कारखाने चल रहे हैं जो इस प्रकार हैं - (1) दी भेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर (चिन्ताईगढ़ जिला)

जो 1932 में स्थापित हुई (2) दी गंगानगर शूगर मिल्स लि जो 1945 में बोकानेर औद्योगिक निगम लि के अधिकार में थी तथा 1 जुलाई 1956 में इसे दी गंगानगर शूगर मिल्स लि के नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया। अतः अब यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। (3) श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि 1965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। यह बूंदी जिले में स्थित है।

इस प्रकार चीनी की तीन मिलें क्रमशः निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने के कारण तीन प्रकार के मगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर देती है। चीनी की मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप होती है ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा सके। गन्ने का उपयोग गुड व खाण्डसारी बनाने में भी किया जाता है।

राज्य में बूंदी चित्तौड़गढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में काफी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। इसलिए चीनी की मिलें भी इन्हीं जिलों में स्थापित की गयी हैं।

गन्ने का उत्पादन राज्य में गन्ने का उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता है जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 1977-78 में गन्ने का उत्पादन 28.3 लाख टन हुआ था जो बाद में कम हुआ है। 1988-89 में यह 6.9 लाख टन 1989-90 में 12 लाख टन तथा 1990-91 में 13.6 लाख टन रहा। 1991-92 में इसके 10.2 लाख टन होने का अनुमान है।

अतः राज्य में गन्ने की पैदावार के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति पाया जाती है। जो एक गम्भीर समस्या है।

चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति

राज्य में चीनी के वार्षिक उत्पादन की स्थिति अग्र तालिका से स्पष्ट होती है¹

वर्ष	उत्पादन (हजार टन में)
1978	41
1987	23
1988	9
1989	12
1990	13
1991	25

1 आय व्ययक अध्याय 1992-93 प 58 (1987 व बाद के लिए)

इस प्रकार राजस्थान में चीनी के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। 1978 में चीनी का उत्पादन लगभग 41 हजार टन हुआ था जो 1988 में घटकर 9 हजार टन हो गया। 1989 व 1990 में यह 12-13 हजार टन रहा। 1991 में चीनी का उत्पादन 25 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष का लगभग दुगुना था।

हम नीचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गंगानगर शुगर मिल्स लि (सार्वजनिक उपक्रम) व सहकारी क्षेत्र की श्री केशोरायपटन सहकारी शुगर मिल्स लि की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हैं¹

- (i) दी गंगानगर शुगर मिल्स लि यह जुलाई 1956 से राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है। इसमें 07% अंश राज्य के हैं तथा शेष निजी शेयरहोल्डरों के हैं। इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयों का कार्य चल रहा है।
- (ii) शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर, जहाँ गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है
- (iii) श्रीगंगानगर व अटरू में स्थित डिस्टिलरी में तथा राज्य के अन्य भागों में मदिरा घरों में परिशोधित स्पिरिट (rectified spirit) तैयार की जाती है।
- (iv) लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को देशी मदिरा बेचने के लिए दी जाती है (कोटा व उदयपुर डिविजन में जनजाति क्षेत्रों में), तथा
- (v) धौलपुर में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री में काँच के सामान बोतलों व रेलवे जार्स का उत्पादन किया जाता है।

गंगानगर शुगर मिल्स लि को इसके खातों के अनुसार (as per accounts) 1989-90 में 28 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1990-91 में 4 लाख रुपये का मुनाफा हुआ और 1991-92 में लगभग 69.9 लाख रुपये का घाटा हुआ है। स्मरण रहे कि पिछले वर्ष के समायोजनों को शामिल करने से लाभ हानि की स्थिति में अंतर आ जाता है। हमने ऊपर जो स्थिति दर्शायी है वह लेखों के आधार पर है।² 1987-88 में भीषण अकाल के कारण काफी गन्ना पशुओं के चारे के लिए बेचना पड़ा था जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। इसी वर्ष पानी व सिंचाई के अभाव में गन्ने की पैदावार कम हुई गन्ने में रस की मात्रा कम हुई एव गन्ने पर पापरीला नामक कीड़े का भारी प्रकोप रहा। कम्पनी द्वारा श्रीगंगानगर व अटरू में मोलासेस या सीरे (Molasses) से परिशोधित स्पिरिट

1 Public Enterprises Profile 1990-91 Bureau of Public Enterprises, Govt. of Rajasthan April 1993

2 Annual Report, The Ganganagar Sugar Mills Ltd. 1991-92, p 17

अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियों में केसर-कस्तूरी मदिरा व 14 बोटलिंग केन्द्रों पर देशी मदिरा का उत्पादन किया जाता है।

1988 89 में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में लगभग 65 लाख बोतलों का उत्पादन हुआ था। कोयले की कमी से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(2) श्री केशोरामपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि (बूंदी जिला)

इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र में 1965 में हुई थी। गन्ने के कृषक इसके सदस्य हैं। इसका एक उद्देश्य पास पड़ोस के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाना भी है। इसे 1987 88 तक कर से पूर्व घाटा हुआ था। इसकी प्रतिदिन गन्ना पिराई की क्षमता 1250 टन है जिसका 1986 87 में पिराई के मौसम में 71% उपयोग हो पाया था। 1986 87 में यहाँ चीनी का उत्पादन 10257 टन हुआ था। 1987 88 में इसकी 1.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो पहले से अधिक था। 1988 89 में 8.3 लाख रुपये का मामूली लाभ प्राप्त हुआ तथा 1989 90 में पुन 17.2 लाख रुपयों का घाटा हुआ जो बढ़कर 1990 91 में 73.3 लाख रुपये हो गया।

निष्कर्ष- राजस्थान में चीनी गुड़ तथा खण्डसारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में चुकन्दर का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। प्रचलित मिलों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। उनके लिए वित्त नई मशीनें पावर आदि की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

सीमेन्ट उद्योग

राजस्थान सीमेन्ट उद्योग में भारत में एक अगुआ राज्य माना जाता है। यहाँ सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है। इस उद्योग के लिए जिप्सम भी राजस्थान में मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। राज्य में सीमेन्ट के कारखाने लाइमस्टोन को खानों के आस पास स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कच्चे माल की उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रभावित किया है। 1988 में सीमेन्ट की 9 बड़ी इकाइयाँ इस प्रकार थीं।¹ इनके अलावा बहुत सी मिनो सीमेन्ट की इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं।

(1) ए.सी.सी. लि., लाहौर।

(2) जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर

(3) बिडला जूट, चित्तौड़गढ़

- (4) हिन्दुस्तान शूगर, उदयपुर
- (5) जे के सीमेट, निम्बाहेडा
- (6) मगलम् सीमेट, मोडब
- (7) स्टॉ प्रोडक्ट्स बनास, सिरौही जिला
- (8) श्री सीमेट, ब्यावर तथा
- (9) श्रीराम सीमेट, श्रीरामनगर, कोटा।

इनमे सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जे के सीमेट निम्बाहेडा की है। यह 1 अप्रैल 1988 को 11.4 लाख टन वार्षिक थी। सबसे कम श्रीराम सीमेट, कोटा की थी जो केवल 2 लाख टन वार्षिक थी।

सीमेट का उत्पादन

राज्य में सीमेट का उत्पादन योजनाकाल में काफी बढ़ाया गया है। यह अग्र तालिका में दर्शाया गया है

सीमेट का उत्पादन (लाख टन में)

1978	20.6
1988	39.5
1989	41.8
1990	42.6
1991	47.4

राज्य में पिछले वर्षों में सीमेट का उत्पादन काफी बढ़ा है। राजस्थान में सीमेट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार होने के कारण भविष्य में सीमेट का उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। राज्य में कई स्थानों पर मिनी सीमेट की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। 1 अप्रैल 1989 से सीमेट के वितरण व मूल्य स्तर पर से नियंत्रण हटा लिया गया था।

अब राज्य में सीमेट के उत्पादन की क्षमता लगभग 110 लाख टन प्रति वर्ष हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेट की कुछ नई बड़े आकार की इकाइयाँ भी स्थापित की गयी हैं जिससे सीमेट के बड़े कारखानों की कुल संख्या सफेद सीमेट की 3 इकाइयों सहित 20 तक पहुँचने का अनुमान है। हाल के वर्षों में रीको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेट के सयत्र भी स्वीकृत किये हैं जिससे सीमेट उद्योग में एक अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वर्ष 1992-93 में रीको से दो सीमेट की बड़ी कम्पनियों का 'टाइ अप हुआ है एक तो डी एल एफ सीमेट लिमिटेड का तथा दूसरी इंडो निपोन स्पेशल सीमेट्स लि. का। इनमें से प्रत्येक में 400 करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोजन होने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्थान का सीमेट उद्योग भारत के मानचित्र पर

तेजों से उभर कर ऊपर आ रहा है।

भारत में सीमेंट की माग बढ़ रही है इसलिए इस उद्योग का विकास देश के हित में रहेगा। मिनी सीमेंट के कारखाने-आबूरोड़, नीम का थाना, बासवाड़ा, हिण्डौन सिटी व कोटपुतली आदि स्थानों में स्थापित किये गये हैं। इनमें लागत कम व गोजगार अधिक मिलता है। सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे माल की उपलब्धि व बाजार की माग का भी काफी प्रभाव पड़ता है।

राज्य में सीमेंट उद्योग की समस्याएँ व उनका समाधान-

- (1) यहाँ सीमेंट के कारखानों में उत्पादन- लागत अधिक आने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पडा है। प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करके लागत घटायी जा सकती है।
- (2) मिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त मात्रा में सामना नहीं कर पातीं। इसलिए सीमेंट की माग के बढ़ने पर ही उनका विकास सम्भव हो पाता है।
- (3) बिजली की सप्लाई के बढ़ने व उसके अनियमित से नियमित होने पर उद्योग का भविष्य निर्भर करता है।
- (4) सर्वाई भाधोपुर की सीमेंट फ़ैक्ट्री कई कारणों से बन्द रही है जिसके लिए श्रमिकों की तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए है। इसे पुन चालू किया जा रहा है।

राजस्थान को आधुनिक उत्पादन विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। राज्य में इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि यहाँ इसके विकास की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आशा है कि भविष्य में भी सीमेंट उद्योग का राज्य में काफी विकास होगा। 1990-91 के राज्य सरकार के बजट में सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री कर 16% से घटा कर 7% कर दिया गया था ताकि सीमेंट की बिक्री को प्रोत्साहन मिले और उद्यमकर्ता अन्य राज्यों में सीमेंट बेचने के लिए अपनी 'ब्राच ट्रांसफर न करें।

नमक उद्योग

राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानी की झीले पायी जाती हैं जिससे नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएँ काफी अनुकूल हैं। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने साभर, डीडवाना, पचपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र में छोटे आकार के नमक के कारखाने फलौदी, कुचामन सिटी पोकरन व जाब्दीनगर (नावाँ तहसील, नागौर जिला) आदि स्थानों में पाये जाते हैं।

हम नीचे लवण स्रोतों का परिचय देंगे। उसके बाद इन पर आधारित कारखानों का वर्णन किया जावेगा।

(1) राजकीय लवण-स्रोत, डीडवाना¹ - यह स्रोत 1910 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में 400 नमक के क्यारे पुरतैनी देश वालो के द्वारा तथा 800 क्यारे विभाग द्वारा दिये गये 10 वर्ष के लीज के अन्तर्गत कार्यरत हैं। स्रोत के दोनों तरफ बने बाँधों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र में आता है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में होने से यह नमक खाने के काम में नहीं आ सकता। इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक (non edible salt) बनता है। इसको बेचने में बड़ी कठिनाई होने लगी है। 1990-91 में (जनवरी 1991 तक) इसे 85 लाख रुपये का लाभ हुआ था।

(2) राजकीय लवण-स्रोत, पचपदरा पचपदरा लवण स्रोत 32 वर्ग मील में फैला है। यहाँ की नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है। पचपदरा जोधपुर से 128 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह स्रोत भी 1964 से कार्यरत है। इस स्रोत से 1988-89 में घाटा रहा, लेकिन बाद में मामूली लाभ हुआ है।

ये दोनों नमक स्रोत राजस्थान सरकार संचालित करती है जबकि साँभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार को देखरेख में होता है जिसका संचालन साँभर साल्ट्स लि (हिन्दुस्तान साल्ट्स लि की सहायक कम्पनी) कर रही है। साँभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

विभाग द्वारा साँभर के निकट जाबदीनगर में नया नमक स्रोत विकसित किया जा रहा है।

राज्य में नमक पर आधारित राजकीय उपक्रमों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(1) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)

यह 1966 में स्थापित की गई थी। इसमें सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। यह चम्ड़े तथा रंगाई उद्योग में काम आता है। इसे डीडवाना केमिकल्स लि को लीज पर दिया गया था लेकिन लीज का भुगतान समय पर न करने से लीज को फरवरी 1987 में समाप्त कर दिया गया। उत्पादन कार्य सितम्बर 1988 में बंद कर दिया गया। इसे पुनः सयुक्त क्षेत्र में चलाने का विचार है। इसमें 1989-90 में 13 लाख रुपये का घाटा हुआ था।

1 राजकीय उपक्रम विभाग, प्रगति विवरण, 1990-91 पृ 2 (साइक्नेस्टाइन की गई प्रति)

(2) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) -

यह 1964 में स्थापित किया गया था। यह कूड़ सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है। नमक की क्यारी में सर्दी में सल्फेट अलग होकर जम जाता है। 10-12 वर्ष में यह परत मोटी हो जाती है जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं। यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम में आता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। इस इकाई से पिछले वर्षों में लाभ हुआ है। 1989-90 में 14.9 लाख रुपयों का लाभ हुआ जो बढ़कर 1990-91 में लगभग 28 लाख रुपये हो गया।

(3) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना -

इसकी स्थापना 1960 में विभागीय उपक्रम के रूप में हुई थी। यहाँ खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है। यहाँ ब्राइन से सोडियम सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है। इसे भी सितम्बर, 1981 में मैसर्स डीडवाना केमिकल प्राइवेट लि को लीज पर दे दिया गया था। लेकिन विवाद होने पर मामला कोर्ट में चला। इसे 1988-89 में 72 लाख रुपयों का, 1989-90 में 45.7 लाख रुपयों का तथा 1990-91 में 125 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ।

(4) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पचपदरा-

यह 1960 में स्थापित हुआ था। यह भी खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाता व बेचता है।

पचपदरा व डीडवाना दोनों में आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाये गये हैं ताकि नमक का आयोडीनीकरण किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से गिल्टाड़ (goitre) की बीमारी हो जाती है जिसको दूर करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के शरीर में पहुँचाया जाता है। इसे पूर्व वर्षों में घाटा हुआ था। 1989-90 में 11.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, लेकिन 1990-91 में इसे पुनः 1 लाख रुपयों का घाटा हुआ है।

राज्य में नमक के उत्पादन की प्रवृत्ति-

राज्य में नमक का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है।

विभिन्न वर्षों में उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

वर्ष	नमक का उत्पादन (लाख टन)
1978	4.6
1988	10.4
1989	9.3
1990	10.6
1991	14.4

1988 में नमक का उत्पादन 10 लाख टन को पार कर गया था। यह पिछले दस वर्षों में दुगुने से भी अधिक था। 1991 में नमक का उत्पादन 14.4 लाख टन रहा जो पिछले वर्ष से काफी अधिक था।

निष्कर्ष जैसा कि ऊपर बतलाया गया है डीडवाना के सयत्र लीज पर दिये गये हैं। लेकिन नमक-आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नमक के राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने की नितान्त आवश्यकता है।

काँच का उद्योग

काँच बनाने में बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं। राज्य में काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ विद्यमान हैं जैसे बालू पत्थर, मिलिका मिट्टी सोडियम मल्फेट, शीरा आदि की पर्याप्त उपलब्धि। यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाये जाते हैं। चूने का पत्थर भी बहुतायत में मिलता है। काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ नगरे में पाये जाते थे। लेकिन आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

(1) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह निजी क्षेत्र में है। इसमें काँच का लगभग 1000 टन वार्षिक उत्पादन होता है।

(2) हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर यह सी गगानगर शूगर मिल्स लि जयपुर के अन्तर्गत है। यह जुलाई 1968 से कम्पनी के पास लीज पर है। यहाँ मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन किया जाता है। 1988-89 में 65 लाख बोतलों का उत्पादन हुआ जो घटकर 1989-90 में 5.8 लाख बोतलों पर आ गया। पुरानी भट्टी के खराब हो जाने से उत्पादन घट गया था। कोल इण्डिया व लघु उद्योग निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्नेस में पूरा तापमान न बनने से उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया जा सका है। आशा है आगामी वर्ष में उत्पादन में वृद्धि होगी।

राजस्थान में काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सर्वाई माधेपुर, बोकानेर, बूंदी तथा उदयपुर में हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सूती वस्त्र चीनी मोमेन्ट, नमक व काँच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य में राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं।

प्रश्न

- 1 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
 - (i) उद्योगों का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान
 - (ii) राज्य में उद्योगों का रोजगार में अंशदान
 - (iii) राजस्थान में उद्योगों का आकार,
 - (iv) राजस्थान की दस्तकारियाँ ।
- 2 राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए
 - (i) आकार,
 - (ii) वस्तुगत ढाँचा तथा
 - (iii) प्रादेशिक फैलाव या जिलेवार वितरण
- 3 राजस्थान में फैक्ट्री क्षेत्र में कौन से उद्योग समूह प्रमुख माने जाते हैं ? उनमें मुख्यतः किन वस्तुओं का उत्पादन होता है? समझाकर लिखिए।
- 4 राजस्थान के ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विवरण दीजिए। यहाँ की दस्तकारियों पर प्रकाश डालिए।
- 5 राजस्थान के लघु उद्योगों का परिचय दीजिए।
- 6 राजस्थान के सीमेंट उद्योग या मृत्ती बमर उद्योग की वर्तमान स्थिति व समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इनके विकास के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।
- 7 राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाये हैं? राज्य में औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलों के नाम लिखिए और उनकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।
- 8 राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या वह पहले की तुलना में काफी परिवर्तित हुआ है ?
- 9 योजनाकाल में राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिये।

(Ajmer Ilyr 1992)

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises in Rajasthan)

योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। वे न केवल आधार ढाँचे के निर्माण में मदद देते हैं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार से जन कल्याण कार्यों व सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बद्ध उपक्रमों (Public utilities) के विकास में सहयोग देते हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमों को दो भागों में बाटा जा सकता है (अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये उपक्रम (आ) राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम।

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम मार्च 1990 में राजस्थान में केन्द्रीय औद्योगिक विनियोगों का 15.1% अंश लगा हुआ था जबकि 1980-81 में यह 17% लगा हुआ था। केन्द्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों में हिन्दुस्तान जिंक लि (देवारी उदयपुर) हिन्दुस्तान कापर लि (खेतड़ी) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि कोटा साभर साल्टस लि (हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड की सहायक कम्पनी) माडर्न बेकरोज (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर) तथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लि कनकपुरा जयपुर के समीप (इसमें भारत सरकार का अंश 51% है) इमे रीको की संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में भी दिखाया जाता है) शामिल हैं। 1989-90 में हिन्दुस्तान कापर लि को शुद्ध लाभ 45 करोड़ रु का प्राप्त हुआ था। एच.एम.टी लि इजीनियरी सुरक्षा व वाहन उद्योग के लिए प्रिंसीपल ग्राइण्डिंग मशीनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) द्वारा अन्ना (कोटा) में गैस आधारित पावर सयंत्र की स्थापना से राज्य में केन्द्रीय विनियोगों की राशि में वृद्धि हुई है।

विभिन्न इकाइयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि इसके अन्तर्गत 5 खाने (तीन राजस्थान में एक आंध्र प्रदेश में तथा एक उड़ीसा में) तथा 3 स्मेल्टर्स हैं (एक राजस्थान में एक बिहार में तथा एक विशाखापट्टनम में)। इसे पावर व पानी की कमी का सामना करना पडा है।

प्रायः देवारों जिंक स्मेल्टर तथा जावर गुण ऑफ माइन्स में उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है।

सभी इकाइयों में 1991-92 में कर के पश्चात् शुद्ध लाभ 93.4 करोड़ रुपये का हुआ जबकि पिछले वर्ष 84 करोड़ रु का हुआ था।¹

(ii) हिन्दुस्तान कॉपर लि - यह नवम्बर 1967 में एक निजी कम्पनी के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अन्तर्गत खेतड़ी ताबा कॉम्प्लेक्स इण्डियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटसिला बिहार तथा पञ्जीकृत कार्यालय कलकत्ते में तथा ब्रांच कार्यालय दिल्ली बम्बई तथा मद्रास में हैं। 1991-92 में शुद्ध मुनाफा 54.9 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष से लगभग 10 करोड़ रु अधिक था। इसके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ कई प्रकार की हैं जैसे ब्लिस्टर कॉपर, बायर बार, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रास रोल्ड निकल सल्फेट, सेलेनियम सोना चादी व सिंगल सुपर फास्फेट।

(iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर - भारत सरकार की कम्पनी HMT के अन्तर्गत 6 इकाई HMT, 4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी आदि की है जो देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। HMT अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है। भारत की HMT कम्पनी लाभ में चल रही है। HMT अजमेर में उत्पादन का मूल्य 1989-90 में 14.4 करोड़ रु का रहा।

(iv) इन्स्ट्रुमेण्टेशन लि, कोटा - इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) में स्थित है। कोटा सत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इसमें 1968-69 से उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इन्स्ट्रुमेण्टस लि जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है जो रीको के साथ सयुक्त क्षेत्र में 1982-83 में स्थापित हुई थी।

(v) साभर साल्ट्स लि - यह 30 सितम्बर 1964 में स्थापित हुई थी। साभर झील 90 वर्ग मील में फैली हुई है। इसे पिछले वर्षों में शुद्ध घाटा रहा है।

1991-92 में शुद्ध लाभ की राशि 41 लाख रुपये थी जबकि 1990-91 में 71 लाख रु थी।

(vi) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड - यह 1965 में स्थापित हुई थी। इसकी 13 ब्रेड इकाइयाँ हैं जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) में है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते हैं। यह उपभोक्ता वस्तु के उद्योग में आती है।

(vii) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्स्ट्रुमेण्टस लि, कनकपुरा (जयपुर) कोटा इन्स्ट्रुमेण्टेशन लि कोटा की सहायक

कम्पनी होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शामिल की जाती है। इसे 1989 90 मे 48 लाख रुपयो का शुद्ध मुनाफा हुआ था जो पिछले वर्ष से 2 लाख रु कम था। इसमे भारत सरकार की 51% तथा रीको की 49% पूँजी लगी है। इसे सयुक्त क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है।

अन्य- राजस्थान ड्रग्स व फार्मास्युटिकल्स लि की स्थापना नवम्बर 1978 मे इसकी प्रधान कम्पनी IDPL की सहायक इकाई के रूप मे रीको के साथ सयुक्त क्षेत्र मे की गई थी। बिक्री के आर्डर न मिलने मे इसकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नही किया जा सका हे तथा इसे छोटे उत्पादको से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा है। कम्पनी के लिए कार्यशील पूँजी का भी अभाव रहा है। 1991 92 मे इसे 13 लाख रु का घाटा हुआ जब कि 1990 91 मे शुद्ध घाटा 26 लाख रु का हुआ था।

(आ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो को चार श्रेणियो मे विभाजित किया जा सकता है। 1990 91 मे 39 उपक्रमो की सूचना प्राप्त हुई थी। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है।

(i) वैधानिक निगम बार्ड इनकी सख्या 7 थी। इस श्रेणी मे राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB) राजस्थान सडक परिवहन निगम राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आते हैं।

(ii) पजीकृत कम्पनिया इनकी सख्या 15 थी और ये कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पजीकृत हुई थीं। इनके नाम इस प्रकार हैं दी गगानगर शूगर मिल्स लि स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि रीको राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम लि राज्य होटल निगम लि, पर्यटन विकास निगम लि राज्य बीज निगम लि कृषि उद्योग निगम लि ब्रिज व कन्स्ट्रक्शन निगम लि हाथकरघा विकास निगम लि जल साधन विकास निगम लि राज्य वन विकास निगम लि राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि (REL) तथा राज्य टगस्टन विकास निगम लि, इनमे कई इकाइयो के नामो मे निगम के बाद लिमिटेड शब्द आने से ये कम्पनी सगठन मे शामिल की गई है।

(iii) पजीकृत सहकारी समितिया- इस श्रेणी की 13 इकाइया इस प्रकार थीं अनुसूचित जाति विकास सहकारी फेडरेशन लि, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी फेडरेशन लि राज्य बुनकर सहकारी सघ लि सहकारी डेयरी फेडरेशन लि, सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि, राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लि, सहकारी उपभोक्ता सघ लि, श्री कशरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि, केशोरायपाटन तीन सहकारी स्पिनग मिल्स (गुलाबपुरा, गगापुर (भोलवाडा जिला) तथा हनुमानगढ) सहकारी हाउसिंग फेडरेशन लि, तथा सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि, गजमिहपुर।

(iv) विभागीय उपक्रम- इस श्रेणी में निम्न 4 उपक्रम लिये गये हैं- केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) डीडवाना, केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फेट वर्क्स), डीडवाना, तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना तथा नमक वर्क्स, पचपदरा।

बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी सगठनों को शामिल नहीं किया जाता और इनमें वैधानिक निगम बोर्ड, पञ्जीकृत कम्पनियो व विभागीय उपक्रमों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग (सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित "Public Enterprises Profile" में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय उपलब्धियों में सहकारी इकाइयों को भी शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ इन सभी की इकट्ठी वित्तीय उपलब्धियों की चर्चा की जाती है।

सार्वजनिक उपक्रमों का पूँजीगत ढाँचा- 1990 91 में इनमें (ऊपर वर्णित) 39 उपक्रमों में कुल लागायी गयी पूँजी (Capital employed)¹ 4566 करोड़ रु थी तथा कुल विनियोजित पूँजी (Capital invested)² 2736 करोड़ रुपये थी।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में 1989 90 में कुल परिदत्त पूँजी व अवधि - कर्ज की कुल राशि 2969 करोड़ रुपये थी जिसका 86.2% अंश निम्न 5 उपक्रमों में पाया गया था -

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजस्थान वित्त निगम रीको, राजस्थान आवासन मण्डल (Housing Board) तथा राजस्थान सड़क परिवहन निगम। कुल घाटों का 98.8% अंश निम्न पाँच उपक्रमों का था राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, सहकारी डेयरी फ़ैडरेशन लि सहकारी बिक्री फ़ैडरेशन लि, राज्य कृषि- उद्योग निगम लि तथा राज्य बीज निगम लि।

स्मरण रहे कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) तथा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बिना शेयर पूँजी या इक्विटी के संचालित किये जा रहे हैं। इन्हें अवधि -कर्ज पर आश्रित रहना पड़ता है।

राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों में पिछले वर्षों में कर्ज व शेयर- पूँजी

1 लागाई गयी पूँजी (Capital employed) में शुद्ध स्थिर परिसम्पत्ति + धालू परिसम्पत्तियाँ (Net fixed assets + Current assets) आती हैं।

2 विनियोजित पूँजी (Capital invested) में परिदत्त पूँजी + रिजर्व व सरप्लस + अवधि - कर्ज - संचयी घाटे (accumulated losses) आते हैं। नेटवर्थ (net worth) = विनियोजित पूँजी - अवधि - कर्ज होती है।

का अनुपात (debt - equity ratio) लगभग 8:1 रहा है जो काफी ऊँचा माना जा सकता है। यह 1988-89 में 8:1 तथा 1989-90 में 7:1 रहा था।

वित्तीय कार्यसिद्धि (Financial Performance) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय कार्य-सिद्धि बहुत कमजोर रही है जो निम्न आँकड़ों से प्रकट होती है। 1988-89 में कर के पश्चात घाटा लगभग 67 करोड़ रुपये तथा 1989-90 में 155.7 करोड़ रु का हुआ। 1987-88 में लगे पूँजी (Capital employed) पर कर के पश्चात घाटे का अनुपात 3.14% रहा। यह 1988-89 में 1.84% तथा 1989-90 में 3.84% रहा। 1980-81 से 1989-90 तक के लिए कर से पूर्व घाटों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है -

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	वर्ष	कर से पूर्व शुद्ध लाभ
1980-81	15	1985-86	() 60.0
1981-82	44	1986-87	() 20.6
1982-83	34	1987-88	() 99.3
1983-84	52	1988-89	() 63.9
1984-85	91	1989-90	() 150.9
छठी योजना में कुल	() 236	सातवीं योजना में कुल	() 394.7

इस प्रकार छठी योजना के पांच वर्षों में कर से पूर्व के घाटे को कुल राशि 236 करोड़ रु रही जो बढ़कर सातवीं योजना के पांच वर्षों में 395 करोड़ रु हो गई। 1990-91 में कर से पूर्व समग्र घाटा लगभग 89 करोड़ रु आका गया है। अधिकांश घाटा राज्य विद्युत मण्डल को होता है। इसे 1986-87 में लगभग 9 करोड़ रु का घाटा हुआ जो बढ़कर 1987-88 में 90 करोड़ रु का (10 गुना) हो गया। 1988-89 में इसे 70 करोड़ रु का घाटा हुआ जो बढ़कर 1989-90 में 168.6 करोड़ रु तक पहुँच गया। 1990-91 में इसे 101.2 करोड़ रु का घाटा हुआ है। इस प्रकार 1987-91 के चार वर्षों में RSEB को लगभग 430 करोड़ रु का घाटा हुआ है जो एक चिंता का विषय है।

राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनियोजित पूंजी पर प्राप्तियों की दर (ब्याज व करों से पूर्व) निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है¹ -

	1986 87	1987 88	1988 89	1989 90
राजस्थान	2.98%	0.45%	2.06%	0.67%
भारत	12.6%	12.6%	12.7%	12.5%

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमों में लगी पूंजी पर प्रतिफल की दर 1986-90 की अवधि में काफी नीची थी। यह 1987-88 में 0.45% मात्र थी। इसके विपरीत समस्त देश के लिए यह अपेक्षाकृत ऊँची (12.13 प्रतिशत) रही है। इस प्रकार राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिफल की दर का नीचा रहना एक भारी चिंता का विषय है।

कर के पश्चात् शुद्ध लाभ की मात्रा नेट वर्थ (net worth)² (परिदत्त पूंजी + रिजर्व व सरप्लस संचयी घाटे) के अनुपात के रूप में वित्तीय कार्यसिद्धि के अध्ययन में कर के पश्चात् शुद्ध वर्थ के अनुपात के रूप में भी देखा जा सकता है। राजस्थान में निम्न चार वर्षों की स्थिति गम्भीर रही है जो निम्न आँकड़ों से स्पष्ट हो जाती है

	1986-87	1987-88	1988 89	1989 90
राजस्थान	() 2.9%	() 12.2%	() 7.6%	() 17.2%

इस प्रकार राजस्थान 1989-90 में कर के पश्चात् घाटा विशुद्ध वर्थ का 17.2% था जो बहुत ऊँचा था। यह 1988-89 में 7.6% रहा था। स्मरण रहे कि यहाँ नेट वर्थ में राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिया गया कर्ज भी ऋण पूंजी मान लिया गया है। यदि इसे नेट वर्थ में शामिल नहीं किया जाता तो शुद्ध घाटों का अनुपात नेट वर्थ में और ऊँचा निकलता जैसा कि स्वयं ब्यूरो ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में दर्शाया था।

हालाँकि 1989-90 में समग्र रूप में वित्तीय कार्य सिद्धि काफी निराशाजनक रही लेकिन 5 चोटी की भुनाफा अर्जित करने वाली इकाइया इस प्रकार थीं

- 1 Public Enterprises Profile 1989-90 Bureau of Public Enterprises, State Enterprises Department Jaipur P 7 (राजस्थान के लिये) and Economic Survey 1991-92, part II p 20 (भारत के लिए) (प्रतिशत निकाले गये हैं)
- 2 राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिये गये ऋण उनकी विशेष प्रकृति के कारण ऋण पूंजी में शामिल कर लिये गये हैं।

राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य खान व खनिज पदार्थ लि., राजस्थान आवासन बोर्ड राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि., तथा राज्य सहकारी स्पिनग मिल्स लि., गुलाबपुरा ।

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण - सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यसिद्धि का मूल्यांकन केवल लाभ हानि के आकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता । इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन पिछड़े क्षेत्रों के विकास व सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि, आदि के रूप में भी योगदान देखा जाना चाहिए । लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासम्भव उनके वित्तीय घाटे कम किये जा सकें । इसलिए घाटे के कारणों का उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए । उपक्रमों में कई कारणों से घाटे हो सकते हैं जैसे गलत परियोजना (Wrong project) का चुनाव, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव मांग की कमी प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ गलत मूल्य नीति आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को नियुक्ति, प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध आदि ।

राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भारी मात्रा में घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ा है । पिछले वर्षों में घाटे की सर्वाधिक राशि 1989-90 में 168.6 करोड़ रु की रही । 1990-91 में घाटे का अनुमान 101.2 करोड़ रु लगाया गया है ।

1 इतने भारी घाटे का मुख्य कारण यह है कि लागतों में निरन्तर वृद्धि होती गई है जबकि विद्युत प्रशुल्को (electricity tariffs) में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पायी है । अगस्त 1985 में विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि की गई थी लेकिन इसके अच्छे परिणाम 1985-86 व 1986-87 के वर्षों में मिले । फिर भी घाटे की दशा जारी रही । इसका आशय यह है कि राज्य विद्युत मण्डल को घाटा कम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । RSEB के घाटे का मुख्य कारण ग्रामीण विद्युतीकरण है । ग्रामीण इलाका में लम्बी दूरी तक लाइनें डालने में काफी खर्च उठाना पड़ता है । किमानों को कम कीमत पर बिजली देनी पड़ती है । 1 सितम्बर 1992 से बिजली की दरों में वृद्धि की गई है । कृषकों के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट की गयी है, हालांकि सागत के 130 पैसे प्रति यूनिट आने के कारण कृषकों को दी जाने वाली बिजली पर अब भी 85 पैसे प्रति यूनिट का झटका आता है । उम्मीदवारों के लिए यह 75 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है । बड़े उद्योगों के लिए यह 135 पैसे प्रति यूनिट है जो दिल्ली महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेश से कम है । इसी प्रकार घरेलू दरों व व्यावसायिक दरों भी अन्य कई राज्यों से कम हैं ।

2 राजस्थान में विद्युत के ट्रांसमिशन व वितरण की हानि का अनुपात 26% से घट कर 21% पर आ गया है । समस्त ट्रेज का औसत

22% है। पहले राजस्थान में ट्रान्समिशन व वितरण की हानि का अंश काफी ऊँचा था, लेकिन अब यह 5 प्रतिशत बिन्दु नीचा आ गया है। इसे और कम किया जाना चाहिए।

3. राजस्थान में विद्युत इकाइयों में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा लगे हुए हैं। अतः इस क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की समस्या पायी जाती है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्ट्री सर्वेयर) 1988-89 के अनुसार राजस्थान में कुल फैक्ट्री कर्मचारियों का लगभग 23.3% अंश विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह औसत लगभग 10% था। 1988-89 में राजस्थान में पूँजी-उत्पत्ति अनुपात विद्युत क्षेत्र में भारत में ऊँचा पाया गया है। पूँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने के लिए स्थिर पूँजी में जोड़े गये शुद्ध मूल्य का भाग दिया जाता है।

इस प्रकार विद्युत मण्डल की ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात व अतिरिक्त श्रम (excess labour) का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर व अजमेर के निर्माण छण्डों में हजारों तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल में 132 व 220 के वी लाइनों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को करोड़ों रुपये दिये गये। ऐसी दशा में घाटा होना स्वाभाविक है।

4. विद्युत के बिलों की राशि सही नहीं होती। बिजली की चोरी होने से कम राशि के बिल बनाये जाते हैं। 1987 में विद्युत मंडल ने कोटा की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में जीता था जिससे 17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को प्राप्त हुआ, हालाँकि यह राशि 24 सप्ताह किस्तों में वसूल की गयी। फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करने की स्थिति सुधरेगी।

RSEB को राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त ऋण-राशि का 50% इक्विटी में बदलने से 575 करोड़ रु के वार्षिक व्याज की बचत हुई है। विद्युत मंडल पर केन्द्र व वित्तीय सस्थाओं का दबाव है कि वह लगे पूँजी पर 3% दर से प्रतिफल प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करे।

सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव-सार्वजनिक उपक्रमों की दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो साप्ताहिक पत्रिका Mainstream के मार्च, 14 व 21, 1987 के अंकों में प्रकाशित हुई थी। मई, 1987 में स्वर्गीय प्रोफेसर सुखराम चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) ने प्रधानमंत्री को Public Enterprise in India Some Current Issues पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे।

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों व अलग-अलग इकाइयों की समस्याओं के हल के लिए विशिष्ट समाधान ढूँढने होंगे। समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन-क्षमता के उपयोग को

बढ़ाने पर बल दिया था ।

जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसी प्रकार राजस्थान की नियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता व उपराब्धियों का विशेष महत्व होता है । इसलिए इनको लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उपक्रमानुसार कार्यक्रम बनाये जाने आवश्यक हैं। पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव सा- ७ है जिन्हें कार्यान्वित करने से स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

1 प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध संचालकों के कार्यवाहक व वृद्धि-सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों व प्रशासनिक प्रबन्ध संचालकों को कम से कम पाच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रबन्ध में व्यवसायीकरण की नितान्त आवश्यकता है । दो वर्ष की अवधि के डेप्यूटेशन पर अध्यक्ष व प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से प्रबन्ध में दक्षता व गिरनारना नहीं आ पाती ।

2 स्वायत्तता (Autonomy) सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे उपक्रम के हित में शीघ्रता से सही निर्णय ले सकें । मंत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध में उचित तालमेल स्थापित होना चाहिए ।

3 लेखादेयता (Accountability) - जहाँ एक तरफ प्रबन्ध में स्वायत्तता दी जानी चाहिए वहाँ दूसरी तरफ प्रबन्धकों पर कार्य सिद्धि के सम्बन्ध में अधिक जिम्मेदारता डाला जानी चाहिए । इसको कारगर बनाने के लिए प्रबन्धकों से मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOUs) भरवाये जाने चाहिए जिनमें आवश्यक विचार विमर्श के बाद उपक्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वर्णन होना चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू किया गया है । हालाँकि उनके परिणामों का मूल्यांकन करने में अभी समय लगेगा।

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रतियोगी वातावरण में काम करने वाली इकाइयों व अन्य प्रकार की इकाइयों में अन्तर किया जाना चाहिए ।

4 औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमों में श्रम को प्रबन्ध व पूँजी में साझेदारी दी जानी चाहिए जिससे श्रमिकों को उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में अधिक योगदान मिलेगा । इस दिशा में मजदूर सघों का समुचित सहयोग वांछित होगा ।¹

5 अतिरिक्त श्रमिकों को समस्या का समाधान यह होगा कि उनको प्रशिक्षण

1 "Workers participation in management along with issue of equity shares as bonus is proposed as means of increasing the morale of the workers and raising productivity" Chakaravarty report May 1987

देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं में लगाया जाना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों का विविधीकरण (diversification) किया जाना चाहिए।

6 निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयों को बन्द कर देना चाहिए तथा श्रमिकों को अन्य कामों में रगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कंधों पर लेनी चाहिए।

7 चुने हुए उपक्रमों के निजीकरण (Privatisation) का प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रारम्भ में प्रबन्ध में किया जा सकता है तथा बाद में स्वामित्व में। यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को बाधिक लीज की निर्धारित राशि पर निजी व्यक्तियों द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में सोडियम सल्फेट सयत्र डीडवाना तथा राजकीय ऊनी मिल्लम बाकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं क्योंकि लीज की राशि का भुगतान न होने से न्यायालय को शरण लेनी पड़ती है जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

8 राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए जिनमें पिछले पांच सात सालों से लगातार घाटा हो रहा है और भविष्य में भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

9 जिस प्रकार केन्द्र काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र तैयार करने का विचार रखता है उसी प्रकार राज्य सरकार को भी इनके सम्बन्ध में श्वेत पत्र बनवाना चाहिए, जिनमें इनकी मूलभूत समस्याओं पर उपक्रमानुसार विचार किया जाना चाहिए तथा भविष्य में सुधार के लिए सुझाव पेश किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आशा है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान में आगामी वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय दशा में सुधार होगा जिससे इनके भावी विकास के लिए साधन जुटाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों में इनके घाटे की दशा के पाये जाने के कारण आम जनता में इनकी उपयोगिता व उपादेयता के सम्बन्ध में काफी सन्देह उत्पन्न हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है। एक मजबूत कार्यकुशल व प्रावैगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता है तथा एक दुर्बल अकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्प्राण बना देता है। अतः इस क्षेत्र को अधिक सजीव व अधिक सबल बनाना सभी के हित में होगा। ये पंचवर्षीय योजनाओं की त्रितीय व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निष्ठा सकते हैं। इनकी बचतों का उपयोग आर्थिक विकास में किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों (State enterprises) के बारे में रिपोर्ट देने के लिए मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का

गठन अक्टूबर 1991 में किया था। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून 1992) में निम्न सात उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया। गगानगर शूगर मिल्स लि., राजस्थान राज्य बीज निगम लि., राजस्थान जल साधन विकास निगम लि., राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि., राज्य सहकारी विपणन सघ लि., श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. तथा गगानगर तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर।

दूसरी रिपोर्ट में राज भूमि विकास निगम राज राज्य होटल निगम लि., (खासा कौठी जयपुर व आनन्द धवन उदयपुर) सहकारी भेड व ऊन विपणन सघ लि. तथा राज्य सहकारी आवास सघ लि. नामक चार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गयी। इसके सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

राजकीय उपक्रमों में कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें 1980-81 से 1990-91 के ग्यारह वर्षों में से अधिकांश वर्षों में घाटा रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राज सहकारी डेयरी सघ लि. तथा राजस्थान एग्रो उद्योग निगम लि., को लगातार ग्यारह वर्षों तक घाटा हुआ है। राज्य लघु उद्योग निगम लि. व राज्य बीज निगम लि. को दस वर्षों तक घाटा रहा है।

अन्य उपक्रम जिन्हें उक्त अवधि में अधिकांश वर्षों में घाटा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं राजस्थान भूमि विकास निगम (आठ वर्ष) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., (आठ वर्ष) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि., (पिछले छ वर्ष से लगातार) राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन सघ लि. (छ वर्ष) राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि. (पाच वर्ष) केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. (आठ वर्ष) सहकारी स्पिनग मिल्स लि. गुलाबपुरा (छ वर्ष) गगापुर सहकारी स्पिनग मिल्स लि. (सात वर्ष) श्रीगगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर (पिछले दस वर्ष से लगातार) राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम सफ्लाइट फैक्ट्री) डोडवाना (सात वर्ष) आदि आदि।

अब राजकीय उपक्रमों के घाटों की पूर्ति बजट से करना सम्भव नहीं होगा। अतः इनकी वित्तीय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गये हैं। इनमें से कुछ को बंद करना होगा और कर्मचारियों को वैकल्पिक स्थानों या विभागों में काम पर लगाना होगा। कुछ का निजीकरण किया जा सकता है जैसे होटल जैसी क्रिया को निजी क्षेत्र में देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है। कुछ की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करके उन्हें लाभ में लाने का प्रयास किया जा सकता है।

राजस्थान भूमि विकास निगम ने 1991 में कोई फार्म विकास क्रिया संचालित नहीं की थी। इसका समग्र घाटा 14 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसकी परिदत्त पूंजी 20 करोड़ रु है। निगम को व्यापारिक बैंको व वित्तीय संस्थाओं को लगभग 70 करोड़ रु कर्ज के चुकाने हैं। इसे किसानों से लगभग 84 करोड़ रु की वसूली करना है जबकि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकार द्वारा बकाया

कजों की वसूली रोक दी गई है। इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम की अनुमति के अपनी भूमि बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में इस निगम का कार्यरत रहना कठिन हो गया है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने इस निगम के 47 कर्मचारी अन्य उपक्रमों में लगा दिये हैं और शेष कर्मचारी भी इस प्रकार अन्य लगा दिये जायेंगे।

सरकार ने राजस्थान वन विकास निगम लि को बंद करने का निर्णय किया है तथा राजस्थान राज्य टैनेरोज लि टोक को निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया है।¹ अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में भी मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु उचित निर्णय लेने होंगे।

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नई नीति में निरंतर घाटे में चलने वाली इकाइयों में श्रमिकों की छटनी पुनर्प्रशिक्षण उनको नये काम में लगाने की नीति लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार को भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके लिए मजदूर सघ से बातचीत करके ही कोई उचित भार निकाला जा सकता है। भारत सरकार की श्रम सम्बन्धी बहिर्गमन नीति का विरोध किया गया है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो गया है। अतः विभिन्न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करके सरकार को एक श्वेत पत्र निकाल कर इनके सम्बन्ध में अपनी भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। तभी इनकी स्थिति में स्थायी सुधार हो सकता है। इनमें से कुछ इकाइयों को आपस में मिलाने, रुग्ण इकाइयों को बन्द करने तथा इनके कार्य संचालन को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा लगातार घाटे में चलने वाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय स्थिति को कभी दुरुस्त नहीं होने देंगी।

प्रश्न

- 1 राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय कार्यसिद्धि का परिचय दीजिए तथा इसको सुधारने लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।
- 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
 - (i) राज्य विद्युत मण्डल का घाटा
 - (ii) राज्य सरकार के उपक्रमों की वित्तीय कार्यसिद्धि,
 - (iii) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की लाभप्रदता को बढ़ाने के उपाय।

8

भूमि-सुधार
(Land Reforms)

भूमि सुधारों का स्थान सस्थागत सुधारों में आता है। इनके द्वारा भूमि सम्बन्धों में परिवर्तन किया जाता है जिससे भूस्वामी का शतकार व सरकार के भूधारण अधिकारों में परिवर्तन होता है। भूमि सुधारों के अन्तर्गत निम्न सुधार शामिल किये जाते हैं। मध्यस्थ वर्ग या विचौलियों की समाप्ति का शतकारी सुधार (tenancy reforms) जैसे लगान में कमी भूधारण की सुरक्षा भूमि का मालिक बनने के अधिकार, चकबूदी सहकारी कृषि भूमि पर सौंपा निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण आदि। इन कार्यक्रमों को लागू करके अतिरिक्त भूमि व्यवस्था अधिक कार्यकुशल व न्यायसंगत बनती है।¹ इसीलिए यह माना जाता है कि भूमि सुधारों से उत्पादन बढ़ता है सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में प्रगति होती है एवं निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलती है। भूमि सुधारों के बाद कृषि में तकनीकी परिवर्तन की प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते। अतः कृषिगत विकास में भूमि सुधारों की भूमिका सर्वोपरि मानी गयी है।

राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण प्रणालियाँ¹

(1) जागीरदारी प्रथा माघ 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय राज्य के बड़े क्षेत्र में भू राजस्व का यमला के अधिकार जागीरदारों को मिले हुए थे। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग में फैली हुई थी। जागीरदार भूमि को जोतने वाले व राज्य के बाच उगा प्रकार से मध्यस्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य में जमादार हुआ करता था। काशतकार (tenant) के लिए तो जागीरदार भूमि के स्वामी के रूप में आचरण करता था। जागीरदार

1 Report of The State Land Commission for Rajasthan December 1959 pp 78

राज्य को जो भेट (tribute) देता था उसका उस लगान (rent) से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता था जो वह काश्तकारों से वसूल किया करता था। जागीरदार द्वारा राज्य को किये जाने वाले भुगतान सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीरों मिलने के समय जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित होते थे। लेकिन कालान्तर में जागीरों की वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुणा थी फिर भी 'भेट' की राशि जागीर प्राप्त होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनी रही। अधिकांश जागीर क्षेत्रों में जहाँ बन्दोबस्त नहीं हुआ था जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया करते थे। यह 1/2 से 1/8 तक पाया गया था। युद्ध के कारण कृषिगत उपज के मूल्यों में काफी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानों का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अंश लगान के रूप में भरने को तैयार नहीं थे। जागीर क्षेत्रों के अधिकांश काश्तकारों को भूधारण की सुरक्षा निर्धारित लगान व उचित लगान आदि की कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से ज्यादातर काश्तकार 'स्वेच्छिक काश्तकार' (tenants-at-will) हुआ करते थे और भूमि सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा ऊँचे लगान व कृषि में गिरावट की दशाएँ उत्पन्न हो गई थीं।

डॉ. दूलसिंह ने जागीर क्षेत्रों की कुछ लाग-बागों अथवा उपकरों (Cesses) की सूची दी है। 29 तरह की लाग बागों में से चार भूमि व पशु-धन पर आधारित हैं। तीन स्पष्टतः अनिवार्य या जबरन श्रम से सम्बद्ध हैं तथा शेष बाईस सामाजिक शोषण पर आधारित हैं एवं इनमें इस तरह की लाग-बागें हैं जैसे 'माताजी की भेट' 'बाईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि सभी अवसरों को शामिल करती हैं जिसमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते हैं।"

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा - विचौलियों की दूसरी प्रथा में जमींदार या बिस्वेदार हुआ करते थे। यह 4870 गावों में फैली थी जिसमें 8 जिले थे। इनमें मुख्यतः अलवर, भरतपुर गगानगर व कोटा जिले शामिल थे। जमींदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे लेकिन उनको ज्यादातर काश्तकारों से मिलने वाले नकद लगान की राशि निर्धारित नहीं होती थी। वे अपनी इच्छा के मुताबिक लगान लेने को स्वतंत्र थे और इनके काश्तकार भी 'स्वेच्छिक काश्तकार' माने जाते थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था।

(3) रैयतवाड़ी प्रथा - रैयतवाड़ी क्षेत्रों में मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप में या नकद लगान लेने को स्वतंत्र था और वह उप काश्तकार को अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था।

राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में काश्तकारी कानून

राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में जैमलमेर शाहपुर व किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर शेष में काश्तकारी कानून हुआ करते थे। लेकिन वे ज्यादातर प्रथाओं पर आधारित थे। उस समय काश्तकारों की श्रेणियों व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में काफी अंतर पाये जाते थे। एक ही राज्य में खालसा क्षेत्र में

काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकारों से धिन्न हुआ करते थे। काश्तकारों के हस्तान्तरण के अधिकारों में काफी अंतर पाये जाते थे। बीकानेर राज्य में नजराना या प्रीमियम चुकाने के बाद भी भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर किया करता था।

अधिकांश क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए तथा भूमि के रिकार्ड नहीं पाये गये।

इस प्रकार मार्च 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की प्रणालियाँ किसानों के शोषण पर आधारित थीं। मध्यम वर्ग की विशाल मख्या के कारण काश्तकारों की दशा काफी दयनीय हो गयी थी। इन परिस्थितियों में कृषक तथा कृषि का विकास सम्भव नहीं था।

राजस्थान में भूमि सुधारों व काश्तकारी विधान की वर्तमान स्थिति की चर्चा करने से पूर्व उन अन्तरिम वैधानिक उपायों का उल्लेख करना उचित होगा जो सरकार ने प्रयुक्त किये थे।

अन्तरिम वैधानिक उपाय (Interim legislative measures)

(1) काश्तकारों की सुरक्षा का अध्यादेश 1949 (The protection of tenants ordinance 1949) काश्तकारों की बेदखली से रक्षा करने के लिए 1949 में एक अध्यादेश जारी किया गया। सम्पूर्ण राजस्थान में काश्तकारों ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया और इससे बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हुई। बाद में इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में शामिल कर ली गईं।

(2) उपज लगान नियमन अधिनियम 1951 (The Produce Rents Regulating Act 1951) इसके अनुसार अधिकतम लगान सकल उपज का 1/4 अंश निर्धारित किया गया। इसमें बाद में संशोधन भी किये गये। अन्त में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने पर इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ उसमें शामिल कर ली गईं।

(3) कृषिगत लगान नियंत्रण अधिनियम 1952 (The Agricultural Rents Control Act 1952) इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम लगान को मात्रा भू राजस्व के दुगुने तक निर्धारित कर दी गई। इसमें उपज लगानों को नकद लगानों में परिवर्तित करने की भी व्यवस्था की गई थी। बाद में इसका स्थान 1954 में अधिनियम ने ले लिया था। साथ में इसकी मुख्य धाराओं को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में शामिल कर लिया गया।

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में अन्तरिम वैधानिक उपायों के द्वारा काश्तकारों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया। लेकिन जागीरदारी व अन्य मध्यम भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन करने की आवश्यकता बराबर बनी रही।

अब हम जागीरदारी प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन करेंगे

(1) जागीरदारी प्रथा का अन्त - जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान बनने के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रथा थी जो लगभग 17 हजार गावों में फैली हुई थी। यह जोधपुर राज्य के 82% क्षेत्र और जयपुर राज्य के 65% क्षेत्र में फैली हुई थी।¹ जागीरदार एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकार से कुल उपज का एक बड़ा भाग लेता था और 'बेगार' व 'लाग बाग' ऊपर से लिया करता था। जागीर क्षेत्रों में बेदखली का बोझबाला था। जागीरदार भूमि का क्रय विक्रय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवानी और फौजदारी अधिकारों व प्रभुत्व के कारण से प्रजा पर काफी अत्याचार करते थे। उनके द्वारा ली जाने वाली कई प्रकार की लाग बागों का संकेत अध्याय के प्रारम्भ में दिया जा चुका है।

राज्य विधान सभा ने राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 (The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act 1952) पास कर दिया था। सर्वप्रथम जून 1954 में सीकर व खेतड़ा की सबसे बड़ी जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। कुछ छोटे जागीरदारों ने 'स्टे आर्डर' लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया। तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री नेहरू और स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के प्रयत्नों से फैसला किया गया और जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरें निर्धारित की गयीं। मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय (net income) का सात गुना रखा गया। यह 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 15 समान किस्तों में चुकाना निश्चित किया गया। जिन जागीरदारों की कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहीं थी उनको विशुद्ध आय के पाँच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया। अन्य जागीरदारों को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया।

धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ। 1 नवम्बर 1959 से 5000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरों और अगस्त 1960 से 1000 रुपये से ऊपर की आय की जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया। अतः राज्य में धार्मिक व गैर धार्मिक सभी जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक लगभग 51.3 करोड़ रुपये आकी गयी थी। इनमें मुआवजा व पुनर्वास अनुदान इन पर ब्याज स्थायी

1 Land Reforms in Rajasthan Directorate of Public Relations Govt of Raj
p 3

वार्षिक जागीर-स्थापना व पेशन शामिल हैं। इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ व्यय करना पड़ा है। जागीर अधिनियम में कई बार सशोधन किये गये।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अंत- राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर, 1959 से लागू किया गया। यह प्रथा राज्य के लगभग 5 हजार गावों में फैली हुई थी। जमींदार व बिस्वेदार भी किसानों का आर्थिक शोषण करते थे।

राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर 1959 से लागू किया गया था। जमींदारों व बिस्वेदारों को खुदकाशत में भूमि प्रदान की गई। मुआवजे की राशि शुद्ध आय का सात गुना निर्धारित की गई। इसके अलावा पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू राजस्व पर शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थी और 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं रखा गया था।

जमींदार व बिस्वेदार के काश्तकार "खातेदार काश्तकार" बना दिये गये और उन्हें सरकार को वही लगान देने को कहा गया जो वे जमींदार या बिस्वेदार को दिया करते थे। लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं हो सकता था।

इस प्रकार राज्य में जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों को उन्मूलन कर दिया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (Rajasthan Tenancy Act, 1955)

यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमों में गिना जाता है। इसके माध्यम से राज्य में भूमि सुधारों की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। यह 15 अक्टूबर 1955 से लागू किया गया था। इसमें कई बार सशोधन किये गये ताकि यह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इसकी मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं -

(1) इसमें केवल तीन प्रकार के काश्तकार रखे गये हैं यथा, खातेदार काश्तकार, खुदकाशत के काश्तकार तथा गेह-खातेदार काश्तकार। इस अधिनियम की धारा 15 क्रान्तिकारी मानी जाती है। इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्तकार या खुदकाशत के काश्तकार को छोड़कर) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया। लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। धारा 15 के प्रभाव क्षेत्र से गंग केनाल भाखड़ा चम्बल व जवाड़ परियोजना क्षेत्रों को बाहर रखा गया था क्योंकि सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर भारी राशि व्यय करनी होती है। 1958 में धारा 15-क जोड़ कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि

भी अस्थायी रूप से पट्टे पर दो हुई कर दी गई और इस पर खतेदारी अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। इससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था।¹

काश्तकारों को गांव की आबादी में रिहायशी मकान बनाने के लिए निःशुल्क जगह देने का भी प्रावधान किया गया। काश्तकारों के लिए भू-स्वामियों से लिखित लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। नजराना व बेगार लेना रोक दिया गया।

(2) खतेदार काश्तकारों को विक्री या भेट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार दिये गये हैं। लेकिन यदि कोई खतेदार ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तान्तरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि है या 90 एकड़ असिंचित भूमि है तो उसे सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इससे भूमि की भावी जेतों पर सामा लगाने में मदद मिलेगी।

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिसे धारा 19 के तहत खतेदारी अधिकार मिले हैं वह भी सरकार या भूमि बंधक बैंक या सहकारी समिति से कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता है।

(4) खतेदारी काश्तकारों को एक साथ पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिये गये हैं। लेकिन दुबारा किराए पर देने के लिए दो साल का अन्तराल रखना जरूरी होगा ताकि भूमि लगातार किराए पर न उठाई जा सके।

(5) बन्दोबस्त के द्वारा काश्तकारों से लगान नकद रूप में निर्धारित किये गये हैं। उप काश्तकारों को भी लगान नकद देने होंगे। लेकिन उनसे निर्धारित लगान के दुगुने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता है।

(6) वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के 1/6 से अधिक नहीं हो सकती।

(7) लगान की बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है अथवा भूमि को गैर-कानूनी हस्तान्तरण करने या उसे गैर-कानूनी ढंग से किराए पर दूसरों को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने या शर्त को तोड़ने पर उसे बेदखल किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारों अधिनियम 1955 को कई बार संशोधित किया गया। ये संशोधन योजना आयोग के सुझाव पर किये गये ताकि उप काश्तकार व खुदकाश्तकार भी खतेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकें जो वे पहले धारा 19 के अन्तर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर पाये थे।

1 राजस्थान का किसान और कानून मंत्रालय सूचना राज० पत्रिका 27 नवम्बर 1992 में प्रकाशित लेख।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून है। इसमें काश्तकारों को विभिन्न श्रेणियाँ रखी गई हैं। इसमें काश्तकारों को अधिकार देने जोतो के हस्तान्तरण व विभाजन लगान को निश्चित करने और इसको वसूल करने के ढग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें उन दशाओ को बतलाया गया है जिनमें काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है और झगडों को निपटाने के लिए अदालतों की स्थापना की गयी है।

राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के अनुसार लगान की रशि मालगुजारी या भू राजस्व के 15 गुने में तीन गुने तक निर्धारित की गई (जहाँ लगान नकद दिया जाना था)। भूमि को खुदकाश्त के लिए आवश्यकता है तो काश्तकार बेदखल किया जा सकता था बशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित मीमा में अधिक भूमि हो। गैर पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्रों (non resumable areas) में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार या खानेदारों अधिकार दिये जा सकते हैं। भू स्वामी को दिया जाने वाला मुआवजा सिचित भूमि के लगान का 20 गुना तथा असिचित भूमि का 15 गुना निश्चित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपलब्धिया (Achievements of the Rajasthan Tenancy Act 1955) इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कानूनों में समानता स्थापित हो चुकी है। इसने काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों की धारणा में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। राजस्थान राज्य को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इसने एक झटके में काश्तकारों को खानेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिससे अधिकार काश्तकारों की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गयी। इसमें प्रगति की भावना थी जिसने राजस्थान को काश्तकारी कानून के मम्बन्ध में अग्रगामी बना दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले खानेदारों अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया। इस अधिनियम की धारा 15 व धारा 19 के अन्तर्गत काफी काश्तकारों को खानेदारी के अधिकार प्राप्त हुए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भू स्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर कानूनी बेदखली और अन्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा की। जब तक काश्तकार लगान देता जाता है तब तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। इन गुणों के बावजूद भी इस नियम में कई प्रकार की जटिलताएँ थीं इसीलिए समय समय पर इसमें संशोधन किये गये। इस अधिनियम की धारा 88 के अनुसार एक काश्तकार या उप काश्तकार अदालत में दावा करके अपने अधिकारों की माँग कर सकता है और इस माँग के लिए कोई अन्तिम अवधि तय नहीं की गयी है। इससे उत्पन्न अनिश्चितता के कारण निरतर मुकदमेबाजी होती रहती है जो उचित नहीं है।

आरम्भ से लेकर जून 1967 तक धारा 15 के अन्तर्गत 5 37, 642 काश्तकारों को लगभग 445 लाख एकड़ भूमि पर तथा धारा 19 के अन्तर्गत 1 99,505 काश्तकारों को 944 लाख एकड़ भूमि पर राज्य के विभिन्न

जिलों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे ।¹

राजस्थान में भू-जोतो पर सीमा निर्धारण (Land ceilings in Rajasthan) वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण के प्रश्न की जाच के लिए नवम्बर, 1953 में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट फरवरी 1958 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधान सभा में राजस्थान कारतकारी (छठा सशोधन) बिल अक्टूबर 1958 में पेश किया गया जो प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इस बिल में एक सारणी दी गई थी जिसमें राज्य की विभिन्न तहसीलों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का सुझाव दिया गया था। यह कहा गया था कि इन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2 400 रुपये की विशुद्ध आय (net income) होनी चाहिए। प्रवर समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 'स्टैण्डर्ड एकड़' पर सीमा लगाने का सुझाव दिया। एक 'स्टैण्डर्ड एकड़' से प्रतिवर्ष 10 मन गेहूँ, अथवा इसके बराबर मूल्य की कृषिगत उपज निर्धारित की गई थी।

राजस्थान कारतकारी (सशोधन) अधिनियम 1960 लागू किया गया। लेकिन सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसम्बर, 1963 में प्रकाशित किये गये। 1950 का सशोधन अधिनियम और 1963 के नियम अप्रैल 1966 से लागू किये गये। इससे स्पष्ट होता है कि सीमा निर्धारण के कार्य में काफी विलम्ब हुआ। राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओं में लागू करना चाहती थी। सबसे पहले 150 साधारण एकड़ व अधिक की जोतों के स्वामियों से सूचना देने के लिए कहा गया। इसे अदालतों में चुनौती दी गई और 'स्टे आउट' लाये गये। बाद में यह अधिनियम संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया जिससे आशा की गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा।

वास्तव में सीमा निर्धारण का कार्य स्वयं बड़ा जटिल माना गया है। राजस्थान सरकार ने 27 फरवरी 1973 को एक नया विधेयक पारित करके भूमि की सीमा 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित की थी। जिस भूमि पर वर्ष में दो फसले बोई जाती हैं और सिंचाई निश्चित रूप से होती है उस पर 18 एकड़ पर सीमा लगायी गया एक फसल वाली मिश्रित भूमि पर 27 एकड़ पर तथा अमिचित भूमियों पर विभिन्न किस्म की भूमियों के अनुसार क्रमशः 48 54 125 तथा 175 एकड़ पर सीमा लगाई गई। इस प्रकार भूमि के उपजाऊपन मिश्रण की भूमि तथा फसलों की किस्म के अनुसार राज्य के विभिन्न भागों के लिए भूमि को अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई हैं विधेयक का राष्ट्रपति की स्वाकृति 28 मार्च 1973 को मिली थी।

1 भूमि सुधार सम्बन्धित एकत्रित एवं सज्जित साहित्य राजस्व (भूमि सुधार) विभाग सज्जित, जयपुर, 1968 पृ० 1 व 2

राजस्थान में वर्तमान सीलिंग (हैक्टर) नीचे दी जाती है-

सिंचित

असिंचित

7 28-10 93

21 85 70 82

इस प्रकार सिंचित व असिंचित भूमि के अनुसार सीलिंग के स्तर अलग-अलग रखे गये हैं।

सीमा निर्धारण में गन्ने के खेतों कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट फार्मों को छूट दी गई है। मार्च 1991 के अंत तक सीलिंग कानूनों के तहत 6 19 लाख एकड़ भूमि सरप्लस घोषित की गई थी जिसमें से 5 46 लाख एकड़ भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ले ली थी तथा 4 49 लाख एकड़ भूमि 75 065 व्यक्तियों को आवंटित की। इनमें 26 649 व्यक्ति अनुसूचित जाति के तथा 11 643 अनुसूचित जनजाति के थे।

राजस्थान में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन व प्रगति

हम नीचे राजस्थान में भूमि सुधारों व कार्रकारों अधिनियम के क्रियान्वयन का विवरण देते हैं।

भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों ने तो कार्रकार की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न किये हैं। लेकिन कानूनों को लागू करने में गम्भार कमिया रह गयी हैं। राजस्थान में कार्रकारों को उत्तदारी अधिकार मिलने में वे भूमि के मालिक जैसे हो गये हैं। जागीरदारों ने खुदकारत के अन्तगत कुछ भूमि रख ली है लेकिन उसकी मात्रा पहले के कुल जागीर क्षेत्रों की मात्रा की तुलना में कम पायी गई है।

जागीरदारों ने विक्री उपहार अथवा अन्य रूपों में काफी भूमि का हस्तान्तरण किया है। ऐसा जागीर पुनग्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था।

जागीरों के समाप्त करने से जागीरदारों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। मध्यम श्रेणी के ठिकाने ता ऋणग्रस्त थे। उनके ठिकानदार कोई भी उपयोगी काम करना अपने प्रतिष्ठा के लिलफ समझत थे। इसमें उनका मानमिरु व नैतिक पतन हो गया था। अधिराज जागीरदार भूमि सुधार में वाद रेतता में लग गये हैं। इस तद्र उनका अधिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राजस्थान कार्रकार कानून 1955 के लागू होने के समय 10 प्रतिशत कार्रकारों को उत्तदारी कार्रकारों के समान अधिकार प्राप्त थे लेकिन अर मभा को उत्तदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। यह स्थिति बहुत मनोपद्र है। गन्व में रर-उत्तदारी कार्रकारों की मरुय अधिक नहीं है।

उप काश्तकारों (Sub tenants) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का अभाव पाया जाता है। लेकिन प्रमुख काश्तकार (tenant in chief) इनसे 'नीकरनामा' लिखाकर काश्त करवाते हैं और इनका शोषण करते हैं। इस प्रकार उपकाश्तकार प्रमुख काश्तकारों की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप में ऊँचा लगान लेते हैं और उन्हें जब चाहे बेदखल कर देते हैं। फसल बटाई अनुचित रूप में प्रचलित है। इस प्रकार अब प्रमुख काश्तकार उन शोषण के तरीकों का उपयोग उप काश्तकारों पर करने लग गये हैं जिनका उपयोग पहले स्वयं भू स्वामी उन पर किया करते थे। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसका समुचित उपाय होना चाहिए तभी भूमि को जोतने वाला सच्चा भू स्वामी हो सकेगा।

श्री अमौर राजा तत्कालीन सयुक्त सचिव योजना आयोग ने राजस्थान में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मध्यस्थों की समाप्ति से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुदकाश्त के आवंटन के लिए आवेदन पत्रों का अन्तिम निबटारा करने दावों (Claims) को तैयार करने तथा मुआवजे देने में बड़ी धीमी प्रगति रही है। इस बात की नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जागीरदारों व मध्यस्थों के पास खुदकाश्त में कितनी भूमि है कितनी भूमि पर काश्तकारों ने खातेदारी अधिकार ग्रहण किये हैं और कितनी शेष किस्म की है। सरकार ने कृषि के साथ साथ वक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए काश्तकारों को ज्यादा अधिकार दिये हैं ताकि वे अधिक संख्या में वृक्ष लगाने में रुचि ले सकें। किसान अपनी जोत की भूमि के 1/50 हिस्से में भवन व अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण कर सकता है। कृषि भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक कार्यों में बदलने के लिए नियम बनाये गये हैं।

फसल बटाई प्रथा जारी

सरकारी स्पष्टीकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उप काश्तकारी व फसल बटाई को रोकना सदैव संभव नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में भू स्वामी स्वयं बीमारी व अन्य कारणों से भूमि को जोतने की स्थिति में नहीं होता है और कभी कभी दूसरों से बैल की जोड़ी श्रम व अन्य साधन लेने के लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी होती है। अतः आवश्यक दशाओं में इन्हे कृषिगत उत्पादन के हित में स्वीकार करने का समर्थन किया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर भारत में भूमि सुधारों पर 1989-90 के लिए अध्ययन करवाया था जिसमें राजस्थान के सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं

(1) राज्य में फसल - बटाई के रूप में अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा जारी है। सिंचित क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है। कानून में तो उचित लगान कुल उपज का 1/6 रखा गया है। लेकिन व्यवहार में बटाईदार कुल उपज का 1/2 लगान में दे रहे हैं। 1975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या उप काश्तकार का नाम 'छसरा गिरदावरी' में देने का प्रावधान था लेकिन अब इसे हटा दिया

गया है जिसमें उप कारतकारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

राज्य में अनौपचारिक कारतकारी लगान की लूट व शोषणमूलक बटारु प्रथा आज भी कायम है।

(2) अलवर, भीलवाडा, कोटा व उदयपुर जिलों में से प्रत्येक में एक एक गाव के अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त घोषित भूमि में से केवल 76% भूमि ही आवंटित की गयी है।

इन्हीं जिलों में से प्रत्येक में से चार-चार गावों के अध्ययन से पता चलता है कि सीलिंग के ऊपर अतिरिक्त घोषित अधिकांश भूमि बजर, अनुत्पादक व अकृषि योग्य है। गाव (बहदनवाडा) में पहाड़ी भूमि देकर एक भू स्वामी ने इमका मुभावजा उपजाऊ भूमि के बराबर वमूल कर लिया है जिसमें वह स्वयं तो लाभ में रहा है लेकिन सरकारी खाने पर अनवरयक भार डाल दिया है।¹

इस प्रकार राजस्थान में कारतकारों व सीलिंग कानूनों को लागू करने का दृष्टि से प्रगति बहुत धामी रहा है।

राजस्थान में सीलिंग कानून का काफी अवहेलना की गई है। जब 3 नवम्बर 1969 को अनुपगढ में भूमि नीलामी चालू हुई था तो किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। सरकार नीलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेकिन इससे भूमिहीनों को भूमि नहा मिल सकती था। इस स्थिति में राजनीतिक दलों ने सघर्ष चालू कर दिया था। बाद में सरकार ने नहरी क्षेत्रों में नीलामी बन्द कर दो ओर भूमिहीनों को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय किया। 3 एकड़ से नीचे की भूमि पर खुशहाली कर (betterment levy) समाप्त कर दिया गया, कपास पर उपकर नहीं लिया गया और भू राजस्व की वृद्धि नहीं की गया।

भूमि का वितरण²

राजस्थान में 1970-71 व 1985-86 की कृषियुगत सगणनाओं (Agricultural censuses) के अनुसार कार्यशील जोतों का वितरण अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

1 Mainstream July 14 1990 pp 18 19 & pp 23 24 इस विषय में यह नवीनतम अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है।

2 Agricultural Census Rajasthan, Number and Area of operational holdings 1991 p 1 office of the special secretary (Revenue) Agricultural Census Commissioner Rajasthan, Jaipur

जोतों की श्रेणी	1970-71		1985-86	
	जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत	जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत
(i) सीमांत (एक है)	25.2	2.3	28.6	3.1
(ii) लघु (1-2 है)	18.5	4.9	19.4	6.4
(iii) अर्द्ध-मध्यम (2-4 है)	20.7	11.0	20.6	13.6
(iv) मध्यम (4-10 है)	21.5	24.7	20.8	29.9
(v) बृहद (10 है व अधिक)	14.0	57.1	10.5	47.0
योग (लगभग)	100.0	100.0	100.0	100.0

1985-86 में राजस्थान में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 47.43 लाख थी और उनमें कुल क्षेत्रफल 2.06 करोड़ हेक्टेयर समाया हुआ था। इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार 4.34 हेक्टेयर था। यह 1970-71 में 5.45 हेक्टेयर था, जो भारत का 2.5 गुना था। इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार समस्त भारत के औसत आकार से काफी अधिक पाया जाता है।

तालिका के मुख्य निष्कर्ष -

(i) 1985-86 में भी राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान रहा, क्योंकि 2 हेक्टेयर तक की जोतें 48% (लगभग आधी) थीं और उनमें कुल कृषित क्षेत्रफल का 9.5% (लगभग 1/10 अंश) समाया हुआ था। इसके विपरीत 52% जोतें (शेष आधी जोतें) 2 हेक्टेयर से अधिक थीं और उनमें कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 90.5% (9/10 अंश) समाया हुआ था। इस प्रकार जोतों का वितरण काफी असमान था। यह भी ध्यान देने की बात है कि 10 हेक्टेयर व अधिक का बृहद जोतें (Large holdings) संख्या में तो लगभग 10.5% (1/10) थीं, लेकिन उनमें 47% (लगभग आधी) कृषित क्षेत्र समाया हुआ था। इससे बड़ी जोतों में अधिक कृषित भूमि का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत एक हेक्टेयर तक की सीमान्त जोतें 29% थीं लेकिन उनमें कृषित भूमि का अंश केवल 3% ही पाया गया।

(2) 1970-71 से 1985-86 के पन्द्रह वर्षों में कुल जोतों में सीमान्त जोतों का अंश 25.2% से बढ़कर 28.6% हो गया और इनमें क्षेत्रफल का अंश 2.3% से बढ़कर 3.1% हो गया। इसके विपरीत बड़ी जोतों का अंश 14% से घटकर 10.5% पर आ गया तथा इनके अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल में भी 57% से 47% तक (10% बिन्दु) की गिरावट आयी। अतः योजनाकाल की इस अवधि में कुछ क्षेत्रफल बड़ी जोतों के अंदर से निकलकर थोड़ा-थोड़ा अंश

अन्य श्रेणियों जैसे सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम की ओर गया है।

इस प्रकार भूमि के वितरण की असमानता को बने रहने के बावजूद कुछ सीमा तक क्षेत्रफल अन्य भूजोतों की ओर अनारित हुआ है।

(3) 1985-86 में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी अनुपात (gini-ratio) 0.5793 रहा जो पहले से कुछ नीचा था। इससे पता चलता है कि जोतों के वितरण की असमानता में मामूली कमी आया है। फिर भी यह ऊँचा बना हुआ है। इससे भूमि के वितरण की असमानता को अनुमान लगाया जा सकता है। स्मरण रहे कि यहाँ हमने काश्मीर जोतों के वितरण को उदाहरण किया है। लेकिन स्वामित्व के अनुसार जोतों का वितरण इससे भी थोड़ा गंदा असमान पाया गया है। स्वामित्व के अनुसार जोतों के वितरण में यह देखा जाता है कि मालिकाना हक (ownership) के अनुसार जोतों का वितरण कैसा है। इससे भूमि का वितरण स्वामित्व के अनुसार सामने आ पता है।

(4) राजस्थान में 2 हेक्टेयर से अधिक आकार की कार्यशील जोतों में 90% क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ सीमा-निर्धारण से अधिक अतिरिक्त भूमि के मिलने की सम्भावना प्रतीत होती है। राज्य में भूमि का इतना अभाव नहीं है जितना अन्य राज्यों में पाया जाता है।

भूमि-सुधारों की समस्याएँ

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में भूमि सुधारों के लिए कई कानून बनाये गये हैं और राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 का इस दृष्टि से काफी महत्व माना गया है। लेकिन अन्य राज्यों की भाँति यहाँ भी भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे भूमि का वितरण आज भी काफी असमान बना हुआ है। सीलिंग से अतिरिक्त भूमि जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी प्राप्त नहीं हुई है और राज्य में उप-कारतकारी प्रथा व फसल बटाई जैसी शोषणमूलक प्रथा आज भी कायम है। इसके अलावा सहकारी खेतों की दिशा में प्रगति नगण्य रही है।

राज्य में सीलिंग कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया है जिससे वास्तव में अतिरिक्त घोषित की गई भूमि की मात्रा काफी कम निकली है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

(1) भूस्वामियों ने काफी भूमि छेच दी है या सम्बन्धियों में वितरित कर दी है, अथवा अन्य किसी तरह जैसे घेनामी रूप में हस्तान्तरित कर दी है जिससे अतिरिक्त भूमि कम मात्रा में मिल पायी है।

(2) भूमि सुधार राज्यों का विषय है और विधान सभाओं में भूस्वामी वर्ग का अधिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(3) तृतीय योजना के बाद समस्त देश में भूमि सुधारों पर धीरे-धीरे जोर कम होता गया है। कृषिगत विकास के लिए तकनीकी परिवर्तनों व इन्फुटो

की सप्लाई बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे भी भूमि सुधार कार्यक्रम पर विपरोत प्रभाव पड़ा है।

(4) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड नवीनतम रूप से तैयार करने की दिशा में भी वाछनीय प्रगति नहीं हो पायी है।

हाल में भूमि सुधारों को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने से स्थिति काफी बदल गयी है। अब भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और इनको लागू करने में आसानी रहेगी।

आवश्यक सुझाव

(1) रोजगार के अवसरों में वृद्धि सरकार भूमि सुधारों को लागू करना चाहती है। लेकिन इसके मार्ग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का जाल बिछ गया है। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व कानूनी ढाँचों के अन्तर्गत भूमि का कोई विशिष्ट पुनर्वितरण सम्भव नहीं प्रतीत होता। ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का सुझाव है कि निर्धन लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूँढे जाने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले तथा आमदनी बढ़ाने के अवसर मिले। भूमि के पुनर्वितरण से इनकी समस्या का पूरा समाधान निकाल सकना सम्भव नहीं प्रतीत होता। राज्य में खेतिहर श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1981 में 48 लाख से बढ़कर 1991 में 139 लाख हो गई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 129 लाख व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख खेतिहर श्रमिक पाये जाते हैं। खेतिहर मजदूरों की संख्या की अत्यधिक वृद्धि एक गम्भीर समस्या है। इनके लिए कुंभार उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है।

(2) निर्धनों के लिए कल्याण कार्य - भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा गाँवों में शक्ति सन्तुलन निर्धन व भूमिहीनों के पक्ष में नहीं है। इसलिए बारम्बार भूमि सुधारों को लागू करने पर जोर देने का विशेष अर्थ नहीं निकलता। अतः निर्धन लोगों के कल्याण के लिए वैकल्पिक प्रयास करने जरूरी है जैसे शिक्षा चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति बढ़ाना आदि। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सरकार ने नियमित रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। इनमें कम्पोजिट लोन स्कीम महिलाओं के लिए गृह उद्योग, दस्तकारों के लिए रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पैकेज कार्यक्रम शहरी गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने से निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी तथा वे निर्धनता की रेखा से ऊपर आ सकेंगे।

(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि - राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर पुनर्निर्धारित की गई है। जुलाई 1990 में अकुशल (unskilled) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी को न्यूनतम दर 22 रु, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 23.5 रु व कुशल श्रमिकों के लिए 25 रु कर दी गई है जो पहले से लगभग द्यौढ़ी है।

(4) भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकारों से उचित लगान ही लिया जाय तथा उन्हें भूमि से बेदखल न किया जा सके।

(5) भूमि सुधारों में चकवदों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके।

(6) राजस्थान में वृक्षारोपण, चरागाह विकास व पशु पालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके और लोगों की आमदनी बढ़ सके।

(7) भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग के संगठन की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक मर्घर्ष कर सकें।

(8) अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी बीहड़ भूमि (जो पानी से होने वाली कटाई के कारण कृत्रिम नालों व गहरी घाटियों में बदल गई है और जिस पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती) को भूमिहीन श्रमिकों में आवंटित करने के लिए कोई प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा उसके अन्य वर्गों में आवंटित होने का खतरा रहता है।¹

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना काफी जटिल है। इसलिए इस दिशा में चुने हुए कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप में लागू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में "राजनीतिक इच्छा शक्ति" (political will) की आवश्यकता है।

प्रश्न

- 1 संक्षिप्त टिप्पणों लिखिये
 - (i) राजस्थान में भूमि सुधार
 - (ii) आपके राज्य में भूमि सुधार

- 2 राजस्थान सरकार ने 1948 के पश्चात् जो प्रमुख भूमि-सुधार किये हैं, उनकी विरोधताएं संक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि इनसे कृषक का आर्थिक स्तर कितना उन्नत हुआ है ?
- 3 राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन कीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
- 4 "राजस्थान कार्तकारी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि-सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" क्या आप इस मत से सहमत हैं ? सविस्तार लिखिये ।
- 5 राजस्थान में भू जोतों पर सीमा-निर्धारण का विवरण दीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए।
- 6 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -
 - (i) राजस्थान में भूमि का वितरण,
 - (ii) फसल बढ़ाई प्रथा,
 - (iii) राज्य में भूमि-सुधारों की समस्याएं व सुझाव।

1956 से कृषिगत विकास (Agricultural Development Since 1956)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषिगत विकास का विशेष महत्व होता है ताकि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ायी जा सके, उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चे माल की व्यवस्था की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकें। इससे गाँवों में निर्धनता कम करने में भी मदद मिलती है तथा जीवन-स्तर में सुधार के अवसर उत्पन्न होते हैं। सच पूछा जाय तो कृषिगत विकास ही विकास का मुख्य अंग होता है।

राजस्थान प्रमुख रूप से एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ कृषिगत काम जलवायु की बहुत जटिल दशाओं में किया जाता है। जैसे तो समस्त भारत में कृषि मानसून का जुआ मानी गयी है लेकिन यह कथन राजस्थान पर विरोध रूप में लागू होता है। यहाँ पानी का नितान्त अभाव है। जैसा कि पहले बतलाना जा चुका है राजस्थान में कुल जल-साधनों का 1% ही पाया जाता है जबकि क्षेत्रफल 10.4% एव जनसंख्या 5.2% पायी जाती है। राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर भी समस्त भारत की तुलना में ऊँची है। यह 1971-81 में 33% तथा 1981-91 में 28.4% रही थी। राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या की वृद्धि-दर से नीची रही है जो भविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती व चेतावनी बन गई है।

हम नीचे योजनाकाल के चार दशकों में राजस्थान के कृषिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे इस क्षेत्र में बढ़सती हुई परिस्थितियों की जानकारी मिलेगी और भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी अनुमान लगाया जा सकेगा।

(1) राज्य में भूमि का उपयोग

प्रथम योजना में औसत रूप से (पांच वर्षों का औसत) शुद्ध या वास्तविक

जोता बोया क्षेत्र (net area sown) 106.2 लाख हैक्टेयर रहा था जो सातवीं योजना की अवधि में औसत रूप से 148.5 लाख हैक्टेयर हो गया। इस अवधि में यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 31% से बढ़कर 43.4% हो गया।¹

इस प्रकार राज्य में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है। उपर्युक्त अवधि में सकल कृषित क्षेत्रफल 113.2 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 171.7 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र में 7 लाख हैक्टेयर से 23.2 लाख हैक्टेयर तक वृद्धि हुई। अतः फसल गहनता (cropping intensity) 1.066 से बढ़कर 1.156 हो गई।² जैसाकि पहले कृषि के अध्याय में बतलाया गया था 1990-91 में सकल कृषित क्षेत्रफल 193.8 लाख हैक्टेयर हो गया था और शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 163.8 लाख हैक्टेयर रहा था जिससे उस वर्ष फसल गहनता 1.183 पर पहुँच गयी थी। भविष्य में एक से अधिक बार कृषित क्षेत्रफल को बढ़ाकर फसल गहनता बढ़ायी जानी चाहिए।

1983-84 में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 30.2 लाख हैक्टेयर के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया था। यह 1990-91 में 30.0 लाख हैक्टेयर रहा। सिंचाई के साधनों का विकास करके इसमें वृद्धि करना सम्भव होगा। आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 1967-68 के बाद शुद्ध कृषित क्षेत्रफल में बहुत मामूली वृद्धि हुई है। इसलिए भविष्य में सिंचाई के साधनों का विकास करके सकल कृषित क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा।

(2) सिंचाई का विकास

राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1951-52 में 10 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1970-71 में 21.4 लाख हैक्टेयर, 1980-81 में 29.8 लाख हैक्टेयर तथा 1990-91 में 39.0 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 4 गुना)। इसी अवधि में कुल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 46.5 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग चौगुना)। कुल सिंचित क्षेत्रफल में एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल का योग निकाला जाता है। राज्य में प्रथम योजना के प्रारम्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का 10.8% हुआ करता था जो 1990-91 में 23.8% हो गया² हालाँकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के काफी नीचा रहने से यह

1 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation) Directorate of Agriculture, Jaipur November 1991 p.6 आगे पा इसके आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

1990-91 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39.0 लाख हैक्टेयर था तथा शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 163.77 लाख हैक्टेयर था।

* जैसा कि पहले बताया जा चुका है फसल गहनता निकालने के लिए सकल कृषित क्षेत्रफल (gross cropped area) में शुद्ध या वास्तविक कृषित क्षेत्रफल (net cropped area) का भाग दिया जाता है।

1987-88 में 28.9% तक पहुँच गया था।

फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल

राज्य में गेहूँ, जौ, चना, कपस मक्का व सरसों आदि फसलों को सिंचाई की अधिक सुविधा मिली हुई है। द्वितीय योजना में औसत रूप से 17 लाख हैक्टेयर भूमि में विभिन्न फसलों का सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी जो बढ़कर 1990-91 में 46.5 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई।

1989-90 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 34.1% (लगभग 1/3) गेहूँ के अन्तर्गत पाया गया। याजनाकाल में मरकारा प्रयासों के फलस्वरूप राई व सरसों के सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। छठी याजनाकाल में राई व सरसों में सिंचित क्षेत्रफल केवल 4.25 लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षेत्रफल का 11% था) जो 1989-90 में 10.40 लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षेत्रफल का 24.5%) हो गया। राज्य में तिलहन के उत्पादन का बढ़ाने में इससे काफी मदद मिली है।

राज्य में सिंचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य निम्नांकित हैं

- (i) योजनाकाल में तालाबों व नहरों के विकास पर काफ़ी धनराशि व्यय करने के बाद भी 1990-91 में इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल कमशः 2.0 लाख हैक्टेयर व 17.7 लाख हैक्टेयर (कुल 19.7 लाख हैक्टेयर) रहा जबकि कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 26.6 लाख हैक्टेयर (नलकूपों सहित) रहा। इस प्रकार आज भी राज्य में कुओं की सिंचाई (नलकूपों सहित) का स्थान ऊँचा (लगभग 57%) है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 46.5 लाख हैक्टेयर रहा है।
- (ii) पावकों व छठा योजनाओं का अवधि में भू-जल का तेज़ी से विकास किया गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (surface water) की तुलना में मावजनिक विनियोग का कमी रही है।
- (iii) सतह जल-विकास में किये गये विनियोगों में पूरे लाभ नहीं प्राप्त किये जा सके हैं अथवा काफ़ी विलम्ब के बाद लाभ मिलने शुरू हुए हैं जैसा सोम कामला अम्बा बाघ (डूंगरपुर जिला) का प्रारम्भिक लागत का अनुमान 2 करोड़ रुपये था, जिस पर 90 करोड़ रुपये में अधिक की राशि व्यय करने के बाद सिंचाई का लाभ काफ़ी विलम्ब से 1992-93 में मिलना चालू हुआ है जिसके अगला वर्षों में बढ़ने का अंश है।
- (iv) सिंचाई की विभिन्न परियोजनाएँ प्रारम्भ कर दी गईं लेकिन उनके लिए अपर्याप्त धनराशि का आवंटन किये जाने से अग्रे चलकर उनको लागत

बढ़ गई। बृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई को सृजन करने की लागत प्रथम योजना में 2644 रुपये प्रति हेक्टर से बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हेक्टेयर (10 गुनी से अधिक) हो गई।¹ अतः भविष्य में नई परियोजनाएँ काफी सोच-विचार कर प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा वे कम लागत वाली हों एवं उनके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था हो।

- (v) विभिन्न जिलों में सिंचाई व जल-विकास पर किये गये विनियोगों में काफी अन्तर रहा है जिसमें असमानता बड़ी है। 1989-90 में एक तरफ गगानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्रफल का 62.1% अंश रहा, कोटा व बूंदी जिलों में भी यह क्रमशः 44.6% व 57.7% रहा, अलवर जिले में 51%, भरतपुर जिले में 39% रहा, लेकिन बाड़मेर व जोधपुर जिलों में यह क्रमशः 33% व 7.2% रहा, तथा जैसलमेर व चूरू जिलों में नगण्य (क्रमशः 0.5% व 0.25%) रहा। इस प्रकार विभिन्न जिलों में सिंचित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी अन्तर पाया जाता है।²

(3) राज्य में फसलों के प्रारूप में परिवर्तन

जैसा कि अध्याय 5 में बतलाया गया था राज्य में अनाज व दालों की फसलों के क्षेत्रफल में योजनाकाल में कमी आयी है। प्रथम योजनाकाल में (औसत रूप से) अनाजों (cereals) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया था जो 1990-91 में घटकर 46% पर आ गया, तथा दालों में यह 21% से घटकर 19% पर आ गया। यह मोटे अनाजों में विशेष रूप से घटा है। राज्य में तिलहनो के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है। यह प्रथम योजना में 6% से बढ़कर 1990-91 में 15.9% तक पहुँच गई। तिलहनो में यह वृद्धि राई व सरसों में विशेष रूप से हुई है। सोयाबीन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी बढ़ाया गया है।

(4) कृषिगत पैदावार में वृद्धि

(i) अनाज (cereals) का उत्पादन - 1952-53 में अनाज का उत्पादन लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1990-91 में 92.2 लाख टन हो गया व 1991-92 में इसके 70.3 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में अनाज का उत्पादन 1990-91 में तिगुने से भी अधिक हो गया। लेकिन इसमें मानसून के अनुसार भारी परिवर्तन आते रहते हैं। राज्य के बाड़मेर, झुगरपुर, अजमेर, टोक, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू व झुन्झुनू जिलों में

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 16

2 Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation), Nov 1991 p 16

प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन घट जाने से उत्तम वर्षों में भी इनमें अनाज की कमी रहती है। इन्हीं जिलों में जनसंख्या में तेज गति में वृद्धि होने से अनाज की कमी ज्यादा मात्रा में पायी जाती है।

(ii) दालों (pulses) का उत्पादन - दालें ज्यादातर वर्षों पर आश्रित क्षेत्रों की सीमांत भूमियों पर उगाई जाती हैं। 1952-53 में इनका उत्पादन लगभग 5 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1990-91 में 17.2 लाख टन हो गया तथा 1991-92 में 9.2 लाख टन अनुमानित है। दालों में वार्षिक उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिए दालों का उत्पादन 1987-88 में 4.7 लाख टन हुआ था जो 1988-89 में बढ़कर 16.2 लाख टन पर पहुँच गया था। 1989-90 में यह पुनः घटकर 11.6 लाख टन पर आ गया था। इस प्रकार राज्य में दालों के उत्पादन में अनाज के उत्पादन से भी ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उत्तम मानसून के वर्षों में दालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है और मिट्टी में नमी बढ़ जाने से पैदावार बढ़ती है। दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन 1961 में 60 किलोग्राम से घटकर 1990 में 27 किलोग्राम पर आ गया था।

(iii) खाद्यान्नों का उत्पादन - अनाज व दालों के उत्पादन को शामिल करने पर खाद्यान्नों का उत्पादन 1952-53 में लगभग 34 लाख टन से बढ़कर 1990-91 में 109.3 लाख टन हो गया था। लेकिन 1991-92 में इसके 79.5 लाख टन रहने का अनुमान है। 1987-88 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 48 लाख टन ही हो पाया था। इस प्रकार राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन काफी अस्थिर किस्म का पाया जाता है। उत्तम मानसून के वर्षों में यह काफी ऊँचा हो जाता है और घटिया मानसून के वर्षों में यह काफी नीचे आ जाता है। सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। इसी वजह से गेहूँ के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है। यह 1974-75 में 18.2 लाख टन से बढ़कर 1990-91 में 43.1 लाख टन व 1991-92 में 44.8 लाख टन हो गया। वर्षों पर आश्रित क्षेत्रों में मोटे अनाजों का उत्पादन जैसे ज्वार, मक्का व बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढ़ता रहता है। 1990-91 में मोटे अनाजों का उत्पादन 47.7 लाख टन हुआ जो 1991-92 में घटकर 24.2 लाख टन पर आ गया।

(iv) कपास का उत्पादन - राज्य में कपास की खेती लगभग 4 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इसके 90% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। यह ज्यादातर गंगानगर जिले में उगाई जाती है। कपास का 80% क्षेत्र इसी जिले में पाया जाता है। कपास का उत्पादन 1952-53 में 10.3 लाख गाठों से बढ़कर 1990-91 में 9.2 लाख गाठों हो गया। 1991-92 में 8.5 लाख गाठों के उत्पादन का अन्तिम अनुमान (Final estimate) है। लेकिन सूखे के कारण 1987-88 में केवल 2.2 लाख गाठों का उत्पादन ही हो पाया था।

(v) तिलहन का उत्पादन - राजस्थान तिलहन के उत्पादन में एक अग्रगामी राज्य के रूप में उभरा है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 12% राजस्थान में होने लगा है। सरसों के उत्पादन में इसका 1/3 अंश हो गया है।

1952-53 में तिलहन का उत्पादन केवल 1.34 लाख टन ही हो पाया था जो बढ़कर 1985-86 में 9.1 लाख टन पर पहुँच गया। उसके बाद की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है-

वर्ष	लाख टन में
1986-87	8.8
1987-88	12.6
1988-89	19.1
1989-90	18.5
1990-91	23.6
1991-92 (अन्तिम)	27.0

इस प्रकार तिलहन का उत्पादन 1991-92 में 27 लाख टन तक पहुँच गया है। पिछले पाँच वर्षों में उत्पादन की यह वृद्धि काफी तेज रही है। विशेष वृद्धि सरसों व सोयाबीन के उत्पादन में प्रगट हुई है। सोयाबीन की खेती कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिलों में की जाती है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 1983-84 में केवल 23 हजार हेक्टेयर था जो 1990-91 में 1.80 लाख हेक्टेयर हो गया है। गहूँ-परम्परागत व नई फसल है। भविष्य में इसका क्षेत्रफल और बढ़ने की सम्भावना है।

(vi) गन्ने का उत्पादन- राज्य में गन्ने का उत्पादन 1952-53 में 4.1 लाख टन आ था जो बढ़कर 1987-88 में 9.5 लाख टन हो गया। लेकिन 1988-89 में यह घटकर 6.9 लाख टन पर आ गया। 1989-90 में इसके 7.2 लाख टन, 1990-91 में 12 लाख टन तथा 1991-92 में 13.6 लाख टन (सशोधित) होने का अनुमान है। इस प्रकार राज्य में गन्ने के उत्पादन में भी भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1983-84 में 14.8 लाख टन हुआ था। इस प्रकार गन्ने के उत्पादन का स्तर 1983-84 में 1952-53 का तिगुना रहा था।

राज्य में गन्ने का क्षेत्र 1977-78 में 61 हजार हेक्टेयर था जो घटकर सातवीं योजना में 16-20 हजार हेक्टेयर पर आ गया था। यह एक चिंता का विषय है। राजस्थान में धनियाँ के उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है। यह ज्यादातर कोटा व झालावाड़ जिलों में पैदा होता है। राज्य की अन्य व्यापारिक फसलों में ईसबगोल, जौरे, लाल मिर्च मेहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है। ये नकद फसलें हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य में माल्टा/कीरूँ, अनार, बेर, आदि फलों का उत्पादन भी किया जाता है। फलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

राजस्थान में कृषिगत इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि¹

(1) उर्वरकों का उपयोग - राज्य में उर्वरकों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है-

अवधि (वार्षिक)	उर्वरकों की खपत (हजार टन में)	प्रति हेक्टेयर खपत (किलोग्राम में)
द्वितीय योजना में (1956-61)	13	0.09
पाचवीं योजना में (1974-79)	96.4	5.72
1979-80 में	147.2	9.00
छठी योजना में (1980-85)	171.0	9.44
सातवीं योजना में (1985-90)	254.8	15.00
1990-91	372.3	19.57

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में उर्वरकों का उपयोग द्वितीय योजना काल में औसत रूप से 13 हजार टन था, जो सातवीं योजना की अवधि में बढ़कर 255 लाख टन हो गया। उसके बाद में भी उर्वरकों की खपत तेजी से बढ़ती जा रहा है। प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग द्वितीय योजना में लगभग 0.1 किलोग्राम (1/10 किलोग्राम) से बढ़कर सातवीं योजना में 15 किलोग्राम तक हो गया। 1990-91 में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत 19.6 किलोग्राम तक पहुँच गयी थी। 1991-92 में उर्वरकों की खपत 373.8 हजार टन व 1992-93 में 551.1 हजार टन रही।²

इसके अलावा राज्य में जैविक खाद के उपयोग को भी बढ़ाया गया है।

1 Eighth Five year Plan 1992-97 March 1993 pp 67-68..

2 Draft Annual Plan 1992-93 Vol I p 29 and Draft Annual Plan 1983-84 (Dec 1992) p 2.8

इसमें शहरी खाद व ग्रामीण खाद शामिल होती है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का तथा अन्य सुधरे हुए बीजों का उपयोग¹ :-

(औसत वार्षिक)	खरीफ व रबी को मिलाकर	
	अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज (HYV) (हजार क्विंटल में)	अन्य सुधरी किस्मों के बीज (हजार क्विंटल में)
द्वितीय योजना	--	---
तृतीय योजना	---	--
1968-69	25 1	--
चतुर्थ योजना	26 8	-
पंचम योजना	48 1	8 1
छठी योजना	126 0	30 1
1989 90	130 9	52 7
1990-91	152 7	66 9
1991-92	143 9	66 5
1992 93 सम्भावित	161 3	72 2

योजनाकाल में 1966 67 से अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों व अन्य किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ाया गया है। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1991 92 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की खपत लगभग 1 5 लाख क्विंटल व अन्य सुधरी किस्मों के बीजों की खपत 59 हजार क्विंटल हो गई थी। 1992 93 में इनके बढ़ने का अनुमान है।

(iii) पौध-संरक्षण रसायनों की खपत में वृद्धि- राज्य में तकनीकी ग्रेड के रसायनों की खपत बढ़ायी गई है ताकि विभिन्न फसलों सब्जियों व फलों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सके। द्वितीय योजना में इनकी खपत 129 टन तृतीय योजना में 229 टन तथा छठी योजना में 2004 टन रही। 1991 92 में यह 3000 टन तथा 1992 93 में 2250 टन रही।

1 Eighth Five Year Plan 1992 97 March 1993 pp 67 68 Draft Annual Plans for 1992 93 and 1993 94 आगे भी 1991 92 व 1992 93 के आंकड़ों इन्हीं पर आधारित हैं।

(iv) अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के अन्तर्गत क्षेत्र¹ 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली फसलों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1966-69 की अवधि में ज्वार, बाजरा मक्का, धान व गेहूँ के कुल कृषित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन फसलों की उन्नत किस्मों की बुआई की गई थी। बाद में हुई प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के अन्तर्गत उपर्युक्त पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार रहा

पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश	
चतुर्थ योजना	8.8
पंचम योजना	17.0
छठी योजना	28.3
सातवीं योजना	31.9

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत ज्वार बाजरा मक्का धान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढ़ा है जो सातवीं योजना में इन फसलों के कुल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था। इससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

इनमें गेहूँ मूँ की फसल है और शेष चार खरीफ की फसलें हैं।

राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूँ के मिनिक्विट वितरित किये गये हैं। अकाल व सूखे से ग्रस्त लघु व सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरक के मिनिक्विट्स निःशुल्क बाँटे गये हैं। बीज मिनिक्विट्स बाँटने में राजफेड ने सहयोग दिया है। उर्वरक मिनिक्विट्स में यूरिया के 25-25 किलोग्राम के मिनिक्विट्स बनाये गये हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खेतों पर मक्का, बाजरा व ज्वार के सघन प्रदर्शन आयोजित किये गये हैं। इनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।

राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (National Pulses Development Project) राजस्थान में रबी की दलहन फसलों में चना मसूर व मटर आते हैं तथा पशुधन में मोठ उडद, मूँग चवला व अरहर मुख्य हैं। मोठ कुल दलहन क्षेत्र के 40% क्षेत्र में बोया जाता है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकता है। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1974-75 से एक केन्द्रचालित दलहन विकास योजना कार्यक्रम भी जिसे 1986-87 से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार

1 राजस्थान में वर्षा विकास प्रगति 1986-87 कृषि विभाग जयपुर पृ 19 तथा अ. व. अध्यक्ष अध्यात्म 1992-93 पृ 110

व राज्य सरकार के द्वारा निम्न जिले चुने गये हैं :-

भारत सरकार द्वारा चुने गये जिले

चना	मृग	उडद
1 श्रीगगानगर	1 चुरू	1 चुरू
2 चुरू	2 झुझुनू	2 झालावाड
3 झुझुनू	3 जयपुर	3 भीलवाडा
4 जयपुर	4 जोधपुर	
5 अलवर	5 नागौर	
6 चित्तौड़गढ़	6 सीकर	
7 कोटा	7 कोटा	
8 सीकर	8 भवाई माधोपुर	
9 झालावाड		
10 भरतपुर		
11 सवाई माधोपुर		
12 भीलवाडा		

इस प्रकार चने के लिए 12 जिले, मृग के लिए 8 जिले तथा उडद के लिए 3 जिले दलहन के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चुने गये हैं ।

राज्य सरकार द्वारा चुने गये जिले इस प्रकार हैं.

चना	मृग	उडद	मोठ
1 अजमेर	1 अजमेर	1 कोटा	1 जयपुर
2 बीकानेर	2 श्रीगगानगर	2 उदयपुर	2 सीकर
3 बूंदी		3 बासवाडा	3 झुझुनू
4 टोक		4 डंगरपुर	4 श्रीगगानगर
5 बासवाडा			5 चुरू
6 डंगरपुर			6 जोधपुर
			7 बाडमेर
			8 नागौर

इस प्रकार राज्य सरकार ने विभिन्न दलहनों के लिए कुल 20 जिले चुने हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी देकर दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसे मिनिंकट वितरण, ब्लॉक-प्रदर्शन प्रशिक्षण, पौध-संरक्षण, उपचार (दवाइयों) प्रमाणित

बीज वितरण, पौध-संरक्षण यत्र, आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें ज्यादातर केन्द्र का अंश 75% व राज्य का 25% होता है। आशा है इस कार्यक्रम से खरोफ व रबी की दालों का उत्पादन बढ़ेगा।

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (National Oilseeds Development Project)- राज्य में खरोफ के तिलहनो में तिल, मूंगफली, सोयाबीन व अरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनो में राई-सरसो, तगरमौरा व अलसी का स्थान है। तिलहनो का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1984-85 व 1985-86 में केन्द्र-चालित योजना में केन्द्र का अंश शत-प्रतिशत था, तथा 1986-87 से केन्द्र व राज्य का 50-50 अंश रहा था।

1987-88 में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम 'तिलहन-उत्पादन-ध्रुव-कार्यक्रम' (oilseeds production thrust programme) चालू किया गया जिसमें केन्द्र का अंश शत-प्रतिशत रखा गया। 20 जूनो धरुनार् 1989-90 तक लागू रहीं। इसके बाद 1990-91 में दोनो को मिलाकर एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (oilseeds production programme) लागू किया गया है जिसका 75% व्यय केन्द्र द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों को मिनिक्विट्स, वृहद प्रदर्शन, उन्नत कृषि यत्र, पौध संरक्षण यत्र व दवाइयों तथा जिप्सम के उपयोग पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने 24 जिले चुने हैं तथा राज्य सरकार ने 2 जिले इंगरपुर व चुरू चुने हैं। राज्य में कोटा, बूंदी, झालावाड व चित्तौड़गढ़ जिलों में सोयाबीन की खेती को काफी लोकप्रिय बनाया गया है जिससे इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार सरसो का उत्पादन बढ़ाया गया है। इसके लिए ममय पर बुआद, पौध-संरक्षण, जैवाणु खाद (organic manures) का उपयोग आदि पर बल दिया गया है। सरसो, मूंगफली व सोयाबीन की फसलों में बुवाई में पूर्व जिप्सम का 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढ़ा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी (अनुदान) देती है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को मिक्स्ड सैट अनुदान पर उपलब्ध किये जा रहे हैं। इनमें पानी की किरफायत होती है और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। सरसो की फसल में चेपा लगने पर वह धुल जाता है जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव आता है।

तिलहन का उत्पादन वृहत् प्रदर्शन व मिनिक्विट वितरण के कारण भी बढ़ा है।

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना (Special Food Production Programme) देश में खाद्यान्नो का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने सातवीं योजना के मध्यवर्धि मूल्यांकन के समय एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तर्गत 14 राज्यों के 169 जिलों में गेहूँ, चना, मूँग, चवल व अरहर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये गये। 1988-89 व 1989-90

मे इस कार्यक्रम का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गया।

राजस्थान मे यह कार्यक्रम शुरू मे 14 जिलो मे गेहूँ, चना व मक्का की फसलो पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम 1990 91 के लिए भी जारी रखा गया और इस बार इममे बाजरा भी शामिल किया गया। 1990 91 के लिए यह कार्यक्रम निम्न फसलो के लिए इस प्रकार चलाया गया -

(i) गेहूँ (14 जिले) - अलवर, भोलवाडा चित्तौडगढ भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, टोक कोटा सवाई माधोपुर, बासवाडा बीकानेर, बूँदी सीकर व पाली।

(ii) चना (8 जिले) अलवर, भरतपुर, चुरू जयपुर, श्रीगंगानगर, टोक कोटा सवाई माधोपुर।

(iii) मक्का (7 जिले) भोलवाडा चित्तौडगढ उदयपुर बासवाडा, झुंजरपुर, झालावाड व अजमेर।

(iv) बाजरा (8 जिले) अलवर, जयपुर झुन्डुनूँ जोधपुर, नागौर, सीकर, चुरू व बाडमेर।

इस कार्यक्रम क अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की इन्पुटो (जैसे प्रमाणित बीज पौध सरक्षण दवाइयो व यत्रो तथा सुधरे हुए फर्म यत्रो) प्रदर्शनों आदि के लिए अनुदान दिये जाते हैं ताकि इसमे शामिल फसलो की पैदावार बढ सके। इस कार्यक्रम पर अधिक धनराशि गेहूँ के विकास पर व्यय की गई है। सामान्यतया विभिन्न फसलो के लिए जो धनराशि व्यय हेतु निश्चित की गई थी उससे कम राशि ही व्यय हो पाई है। फिर भी इस कार्यक्रम की सहायता से गेहूँ, चना मक्का व बाजरे का उत्पादन चुने हुए जिलो मे बढाने मे मदद मिली है।

राज्य में प्रमुख फसलो मे उत्पादकता की प्रवृत्तियो (भारतीय सदर्भ में)¹

राजस्थान मे विभिन्न फसलो की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है जिमे समस्त भारत की तुलना मे निम्न तालिका मे दर्शाया गया है।

(प्रति हैक्टेयर किलोग्राम मे)

फसल	राजस्थान		भारत	
	1970 71	1989 90	1970 71	1989 90
1 चावल	1126	1270	1123	1745
2 गेहूँ	1320	2060	1307	2121
3 राई व सरसो	972	872	594	831
4 कपास (रूई)	184	386	106	252
5 गन्ना (टन प्रति है)	32 8	45 8	48	65

1 Districtwise Trends of Agricultural Production Dept of Agriculture Raj Apr 1991 and Economic Survey 1992 93 p S 18

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उपज 1970-71 से 1989-90 की अवधि में गेहूँ, चवल, कपास व गन्ने में बढ़ा है। लेकिन यह राई व सरसो में कम हुई है। 1989-90 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उपज का तुलना में समस्त भारत से करने पर पता चलता है कि यह चवल व गन्ने में काफी नीचे है। लेकिन 1989-90 में राई व सरसो तथा कपास व गन्ने में उत्पादकता का स्तर भारत से ऊँचा पाया गया है। गेहूँ में राजस्थान का स्तर भारत के उत्पादकता के स्तर में काफी समानता पायी जाती है। 1989-90 में राजस्थान व भारत दोनों में गेहूँ का उत्पादन लगभग 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ था।

राजस्थान में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता का सूचनाक

राज्य में कृषिगत विकास के अध्ययन में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनाक का भी प्रयोग करना उचित होगा। आजकल अक्सर वर्ष 1979-80 से 1981-82 = 100 मान कर विभिन्न वर्षों के लिए फसलवार सूचनाक तैयार किये जाते हैं जो पिछली तालिका में दशाए गये हैं।

तालिका के निष्कर्ष—

- 1 1974-75 से 1988-89 की अवधि में दालों व गन्ने का अन्तर्गत क्षेत्रफल घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सभी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सूचनाक 1974-75 में 95 से बढ़कर 1988-89 में 108 हो गया है। अतः इसमें मामूली वृद्धि हुई है।
- 2 गन्ने के उत्पादन का सूचनाक 1974-75 में 173 से घटकर 1988-89 में 55 पर आ गया था। लेकिन 1990-91 में यह बढ़ा और 1991-92 में 108.5 पर रहा। तिलहन के उत्पादन का सूचनाक 1974-75 में 112 से बढ़कर 1988-89 में 399 पर आ गया। इसमें 1990-91 में वृद्धि हुई और 1991-92 में यह बढ़कर 587 पर पहुँच गया। इस प्रकार तिलहन के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।¹ अनाज, दालों व खाद्य फसलों के उत्पादन-सूचनाको में भी वृद्धि हुई है।
- 3 1974-75 से 1988-89 की अवधि में गन्ने की उत्पादकता का सूचनाक लगभग 113 के आस-पास यथास्थिर रहा, जबकि अन्य फसलों में यह बढ़ता गया। सभी फसलों के लिए यह 97 में बढ़कर 173 पर पहुँच गया था।

1 Some Facts about Rajasthan 1992, p. 45 (1990-91 व 1991-92 के उत्पादन सूचनाक के लिए)

(1979 80 में 1981 82 का औसत = 100)

सूचनाक क्षेत्रफल उत्पादन व उत्पादकता

फसले	1974 75	1980 81	1988 89	1974 75	1980 81	1988 89	1974 75	1980 81	1988 89	उत्पादकता	1980 81	1988 89
1 अनाज	89 5	101 6	108 6	74 3	103 3	174 6	85 3	108 4	180 0			
2 रातों	107 5	94 8	88 4	81 4	99 1	138 1	82 2	114 4	152 0			
3 चार फसले (food crops)	94 4	99 8	103 3	75 6	102 1	161 8	77 4	110 0	172 6			
4 किलहन	109 1	91 7	174 9	112 0	90 0	398 5	95 6	106 2	171 1			
5 कपास	70 8	94 9	79 6	77 8	89 8	138 9	110 0	94 6	174 5			
6 गन्ना	153 3	88 0	48 2	173 1	92 9	54 8	112 9	105 5	113 7			
7 सभी फसले (All crops)	95 1	99 0	108 3	82 6	100 1	190 7	97 1	108 3	172 5			

[स्रोत Fifteen years of Agricultural Statistics Raj 1974 75 to 1988 89 DES Jaipur, pp 61-71]

चूँकि राज्य में मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रति वर्ष काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं इसलिए आकड़ों की तुलना में आवश्यक सावधानी बरतनी होगी।

इस प्रकार राजस्थान के कृषिगत विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफी अस्थिर रहता है। लेकिन पिछले वर्षों में विशेष कार्यक्रम अपना कर अनाजों, दालों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। फिर भी राज्य में सिंचाई का अभाव है तथा उर्वरकों की खपत भी अपेक्षाकृत कम है। फार्म यंत्रों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तथा जल साधनों के सदुपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य में क्षारयुक्त मिट्टियों की समस्या उपग्रह धारण करती जा रही है तथा कृषिगत उत्पादन फलों के उत्पादन वानिका चरागाह व पशु पालन के विकास में अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की जरूरत है। राज्य सरकार कृषिगत विकास के लिए कई उपाय कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके।

राजस्थान में कृषिगत उत्पादन को व्यापक करने के लिये जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू व जैसलमेर में तुम्बा की खेती गगानगर, बीकानेर, झालावाड़ व बासवाड़ा में सूरजमुखी की खेती उदयपुर, व डूंगरपुर में कुसुम (Safflower) की खेती तथा पाली जालौर, अजमेर, सिरोही भीलवाड़ा उदयपुर, राजममन्द, सीकर व हनुमानगढ़ में एरण्डी (Castor seed) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सोयाबीन की खेती को सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोक बासवाड़ा व भीलवाड़ा जिलों में तथा बूँदी कोटा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिलों में राजमा की खेती एवं उदयपुर तथा कोटा सभागाओं में काबुली घने की खेती को भी प्रोत्साहित किया जायगा।¹

राज्य में कृषिगत विकास के सम्बन्ध में मुख्य निष्कर्ष

राजस्थान में कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कृषिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ है सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं एवं कृषिगत विकास की नई नीति को लागू किया गया है। राज्य में उन्नत बीज खाद, सिंचाई कीटनाशक दवाई आदि इन्पुटों का उपयोग बढ़ा कर प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जानी चाहिए। अकाल व सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए भी सिंचाई का विस्तार किया जाना चाहिए।

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु धन के विकास पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान में पशु धन के विकास के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान हैं। इस प्रकार राज्य हरित क्रांति (green revolution) के साथ साथ श्वेत क्रांति (white revolution) करने

की स्थिति में भी आ गया है। इस सम्बन्ध में दूध का उत्पादन व संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य में ओपरेशन फ्लड III कार्यक्रम जारी है। इसके वर्ष 1994 में समाप्त होने की सम्भावना है। राजस्थान में भारत के कुल दूध उत्पादन का 10% होता है। 1989-90 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था। बस्ती में गौवश सर्वर्दन का प्रयास जारी है। दूध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ स्थापित की गयी हैं। पशु चिकित्सा में सुधार हुआ है। इस विषय पर अगले अध्याय में सविस्तार चर्चा की गई है।

तीसरी क्रान्ति नीली क्रान्ति (Blue Revolution) मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। 1989-90 में 16 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ था। मछली सौंड उत्पादन में वृद्धि जारी है। फिश सीड उत्पादन भीमपुरा चादलाई, सिलीरोड (अलवर) पावनपुरा व कासिमपुरा में किया जा रहा है। राणाप्रताप सागर, जयसमद व कडाना बांध में यंत्रीकृत नावे चालू की गयी हैं तथा इन्दिरा गाँधी नहर कमांड क्षेत्र में मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

भूरी क्रान्ति (Brown Revolution) के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग का विकास कार्य किया जा रहा है। रोजेन्सी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहाँपुर) द्वारा टमाटर की खेती की जायेगी व टमाटर पेस्ट व कन्सन्ट्रेट तैयार किया जायेगा। इमायी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य पदार्थ ब्रेक-फास्ट फूड आदि तैयार करेगा। इस प्रकार राज्य में पंजाब के पेप्सी कोला की भाँति भूरी क्रान्ति का दौर भी प्रारम्भ हो गया है।

भविष्य में हरित श्वेत, नीलो व भूरी क्रान्तियों को अधिक कामयाब बनाने की आवश्यकता है।

आशा है भविष्य में सिचाई की बढ़ती हुई सुविधाओं के फलस्वरूप राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य में आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। विभिन्न कृषिगत साधनों की सप्लाई बढ़ाकर एवं सस्थागत व भूमि सुधार लागू करके कृषि के क्षेत्र में समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। राज्य में घटिया मिट्टी व जल साधने की समस्या है। सूखी खेती की विधियों का प्रयोग करके राज्य में कृषि का विकास किया जाना चाहिए। विद्वानों का मत है कि राज्य में कृषिगत अनुसंधान पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दालो तिलहन आदि का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य के चरागाहों को बढ़ाकर मरुभूमि में पशु धन का विकास किया जाना चाहिए। जौधपुर में काजरी (CAZRI) (Central And Zone Research Institute) सूखे प्रदेशों की विभिन्न कृषिगत समस्याओं के अध्ययन में कार्यरत है। काजरी का पुनर्गठन 1959 में किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं (1) शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों के लिए पेड पौधों चरागाह भूमि की नमी जल सम्बन्धी अध्ययन

करना, (2) सतह व भूतल जल के उपयोग का अध्ययन, (3) पर्यावरण की प्रकृति का अध्ययन, (4) प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग की व्यवस्था करना। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पूरा हो जाने से जैसलमेर जिले में भी कृषिगत पैदावार तेजी से बढ़ेगी। अतः राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। सिंचाई के साधना का विकास करके कृषिगत उत्पादन के उतार चढ़ाव कम किये जा सकते हैं। सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं का विवरण आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय में दिया जायगा।

प्रश्न

- 1 योजनाकाल के चार दशकों में राजस्थान में कृषिगत विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
- 2 राजस्थान में खाद्यान्नों व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए।
- 3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
 - (i) राजस्थान में सिंचाई का विकास,
 - (ii) राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन का प्रवृत्ति,
 - (iii) राज्य में इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ
 - (iv) राज्य में तिलहन का उत्पादन।

पशु-पालन का विकास (Development of Animal Husbandry)

पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषतया शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पशु पालन का विशेष महत्व है। रेगिस्तानी जिलों में लगभग 95% क्षेत्र में एक फसल ही बोयी जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित होती है। पशु-पालन सूखे की दशाओं में आवश्यक बीमे का काम करता है और आमदनी रोजगार व पोषण प्रदान करता है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पादों का लगभग 15% पशु पालन से प्राप्त होता है। राजस्थान का योगदान समस्त भारत के दूध उत्पादन में 10% पशुओं द्वारा माल दाने की शक्ति (draft power) में 35% भेड़ बकरी के मांस में 30% व ऊन में 40% आका गया है।

जहाँ राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग में फैला है) में पशुपालन लोगों की जीविका का महत्वपूर्ण साधन है वहीं जनजाति बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के छोटे छोटे भूखण्डों से उत्पन्न कठिन भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक मात्र विकल्प पशुपालन ही रह जाता है। अतः राजस्थान में पशुपालन से आमदनी व रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ता है।

राज्य में पशु सगणना के आकड़ों के अनुसार पशुओं की संख्या में कभी वृद्धि व कभी कमी होती रहती है। यह 1961 से 1966 की अवधि में स्थिर रही 1966-1977 में कुछ कम हुई 1977-1983 में बढ़ी तथा 1983-1988 में पुनः कम हो गई। 1983 में पशुओं की संख्या 4.97 करोड़ से घट कर 4.09 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमें 17.6% की गिरावट आयी। इसी अवधि में गौ वरा के पशुओं की संख्या 1.35 करोड़ से घटकर 1.09 करोड़ हो गई जिससे 19.2% की गिरावट हुई। भैंस जाति के पशुओं की संख्या 60.4 लाख से बढ़कर 63.4 लाख हो गई। अतः इसमें 4.9% की वृद्धि हुई। उपर्युक्त अवधि में बकरी की संख्या में 18.7% तथा भेड़ों की संख्या में 26.2% की गिरावट आयी। 1988 में बकरी की संख्या लगभग 1.26 करोड़ तथा भेड़ों की संख्या 99.3 लाख रही। इस प्रकार सातवीं योजनाकाल में सूखे व अभाव की दशाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड़ जाति के पशुओं पर पड़ा, हालाँकि भैंस-जाति के

पशुओं की सख्या में थोड़ी वृद्धि हुई। राज्य में भेड़ बकरी कुल पशुधन के आधे से अधिक है। इनकी सख्या में वृद्धि को रोक कर उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में पशु पालन के विकास का अध्ययन करते समय यह स्मरण रखना होगा कि राज्य में गौ वश की सात किस्में प्रसिद्ध हैं। इनमें गिर, राठी व थारपरकर दूध के लिए, नागौरी व मालवी बैल के लिए तथा हरियाणा व काकरोज उत्तम बैल व अधिक दूध दोनों के लिए विख्यात है। मुरा नस्ल की भैंस दूध के लिए पाली जाती है। राज्य में भेड़ बकरी का विशेष महत्व है। इनकी सख्या गाय बैल से ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। 1966-1983 की अवधि में भेड़ों की सख्या में वार्षिक वृद्धि दर 2.51% रही तथा बकरी की सख्या में यह 2.41% रही। 1983-88 की अवधि में दोनों की सख्या घटी है। पशुओं की सख्या में वृद्धि से चराई के लिए भूमि पर दबाव बढ़ा है।

राज्य में पशु पालन व डेयरी विकास का आमदनी रोजगार व पोषण का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को हल करके इसको अधिक कार्यकुशल अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इसमें भावी विकास की सम्भावनाएँ व्यापक रूप से निहित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की दशाओं के कारण पशुओं का अन्य स्थानों को निरन्तर निष्क्रमण (migration) होता रहता है। पशु कुपोषण के शिकार होते रहते हैं इससे स्वदेशी नस्ल में गिरावट आती गयी है और चारे की कमी के कारण लाखों पशु पालक वर्तमान में इस रुग्ण उद्योग में नीचा जीवन स्तर भोग रहे हैं। वे कामन भूमि पर स्वतंत्र चराई पर निर्भर करते हैं और पशुओं को अपने पास से घटिया किस्म का चारा व घास खिलाने को बाध्य होते हैं। इसलिए पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था करके तथा उनकी नस्ल में सुधार करके इनकी उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र भी राज्य की घरेलू उत्पात्ति में अपना योगदान बढ़ा सके।

हम नीचे योजनाकाल में पशु पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का विवेचन करते हैं।

(1) पशुओं के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम

राज्य में गहन पशु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान (artificial insemination) पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था तथा खुशक व चारे का विकास किया गया है। बस्मी (जयपुर) में गाय व भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है जहाँ आवश्यक उपकरणों व साधनों की उपलब्धि की गई है। राज्य में मुरा नस्ल के भैंसों का अभाव पाया जाता है। इसके लिए कुम्हेर (झालावाड़) में एक फार्म हाउस स्थापित

करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक है। इसलिए वहाँ पाड़ा (buffalo calf) का विकास किया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से विदेशी नस्लो का उपयोग राज्य में अवर्गाकृत (non-descrpt) पशुओं के क्षेत्रों में क्रॉस-प्रजनन (cross breeding) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तम स्वदेशी नस्लो का उपयोग करके चुने हुए ढंग का प्रजनन (selective breeding) भी बढ़ाया जा रहा है। चुने हुए ढंग का प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान व स्वाभाविक प्रजनन (Natural breeding) दोनों माध्यमों से किया जाता है। यह स्पष्ट परिभाषित नस्लो के लिये किया जायगा, जैसे राठी, थारपरकर, नागौरी आदि के लिए। दक्षिण के आदिवासी जिलों में भी पशु नस्ल सुधार का काम विदेशी जर्म प्लागम व क्रॉस-प्रजनन के अर्द्ध प्रजनित साडों (half bred bulls) की सहायता से किया जायेगा।

स्वदेशी पशुओं की नस्लो में भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन करने वाले पशुओं की संख्या कम की जा सके। उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके एवं बेकार के साडों (Scrub bulls) की संख्या कम की जा सके।

राज्य में पशु-चिकित्सालय की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 1950-51 में इनकी संख्या 147 थी जो बढ़कर 1960-61 में 255 तथा 1989-90 में 1338 हो गई। सातवाँ योजना में 25 नये पशु अस्पताल खोले गये तथा 359 डिस्पेन्सरियों को अस्पतालों में परिवर्तित किया गया। पाँच चल सर्जिकल व बन्धनकरण (Surgical cum sterility) इकाइयाँ स्थापित की गईं तथा 4 12 लाख पशुओं को खुर व मुँह की बीमारी के लिए टीके लगाए गये।

इस प्रकार पशुओं में क्रॉस-प्रजनन व सिलेक्टिव-प्रजनन के माध्यम से नस्ल सुधार के प्रयास जारी हैं, तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रयास भी बढ़ाये गये हैं। इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार हो रहा है, जिसके भविष्य में और बढ़ने की आशा है।

गहन पशु-प्रजनन के लिए "गोपाल" कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1990-91 में चालू किया गया। इसमें गैर-सरकारी संगठन अथवा गाँव के शिक्षित युवक (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक क्षेत्र के बेकार सांडों को पूर्णतः बधिया दिया जाता है। पशु पालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों।

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठवीं कक्षा पास अवश्य होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के

व्यक्तियों को वरायता दी जाती है। इनको 4 महीने का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आवश्यक साज समान निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। चुने हुए व्यक्ति दो प्रथम चार महाने के लिए 400 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण भत्ता (stipend) दिया जाता है और तत्पश्चात् 8 महीने के लिए इतनी ही राशि का प्रेरण भत्ता दिया जाता है। दूसरे वर्ष में उसे 300 रु प्रति माह भत्ता दिया जाता है तथा गर्भाधान की फीस भी दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। तीसरे वर्ष में उसे 200 रुपये मासिक दिया जाता है और बाद में कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। दूसरे वर्ष से उसे प्रति बछड़ा (calf) कोई प्रेरणा राशि दी जाती है और प्रथम वर्ष में उसे बेकार साड़ों को बधियाने पर प्रेरणा राशि दी जाती है। उसे आवश्यक मात्रा सामान व सामग्री निशुल्क दी जाती है। उसे काम पर लगाने से पूर्व 4 वर्ष का चॉड भरना होता है। प्रति गोपाल लागत का अनुमान 21 हजार रुपये लगाया गया है। उसको प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए आठवें योजना में 367 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

कायबम का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार होगा

एक जने में 4 पचायत समितियाँ होंगी। एक पचायत समिति में 10 गोपाल सस्थाएँ होंगी। इस प्रकार राज्य के दक्षिण व पूर्वी भाग के 10 जिलों की 40 पचायत समितियों में 400 गोपाल सस्थाएँ होंगी। प्रत्येक गोपाल सस्था या इकाई निम्न ढाँचों में भाग लेती है

- (i) विदेशी नस्ल या किस्म का कृत्रिम गर्भाधान
- (ii) बेकार साड़ों को बधियाना (castration of scrub bulls)
- (iii) चारे का विकास
- (iv) प्रबन्ध की विधियों में सुधार
- (v) सतुलन राशन की बिक्री
- (vi) बाझपन के कैंम्प (infertility camps)
- (vii) कीट नष्ट करना (डिडोर्मिंग) (deworming) व सींग हटाना (डिहोर्मिंग) (dehorning)

आशा है गोपाल योजना ने राज्य के पशु पालन में प्रगति होगी जिससे राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशु पालकों की आमदनी भी बढ़ेगी। वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों में 280 गोपाल कार्यरत हैं जिन्हें बढ़ाकर 400 किया जायगा। अब लगभग 8 लाख पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध होगी। एकीकृत ग्रामीण पशु विकास योजना 20 जिलों में 760 केन्द्रों के माध्यम से शुरू की गई है। एक पशुधन सहायक 2 हजार पशुओं की प्रजात की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(2) राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम -

डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (Rajasthan Cooperative Dairy Federation) अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम संचालित कर रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने पदार्थ उपलब्ध कराने में सलग्न है। यह पशुओं के स्वास्थ्य के सुधार, पशु आहार की सुविधा तथा दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयास कर रहा है। वर्तमान में दूध सक्लन का कार्य 10 डेयरी सयत्रों तथा 24 चिलिंग (अवशीतन) केन्द्रों के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिनकी क्षमता क्रमशः 9 लाख लीटर एवं 4 लाख लीटर प्रति दिन है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्य में 16 दुग्ध उत्पादक सभों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 1989-90 में डेयरी फेडरेशन का औसत दुग्ध संग्रहण 4.15 लाख लीटर प्रति दिन रहा था।

राज्य में 1991-92 में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व संग्रह केन्द्रों की संख्या 4477 हो गई और इनमें दुग्ध उत्पादकों की सदस्य संख्या 3.46 लाख हो गई। सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को काफी लाभ पहुँचा है। इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जा सका है जिससे दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यम वर्ग के शोषण से मुक्ति मिली है। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार सयत्र (Cattle feed plants) कार्यरत हैं जिनमें पशु आहार का उत्पादन कर उसका विपणन किया जाता है।

राजस्थान में डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी व रोजगार बढ़े हैं। लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुँचा है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायो गैस के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत का विकास हुआ है। शहरी क्षेत्रों में दूध व दूध से बने पदार्थों की बड़ी हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली है जो अन्यथा कठिन थी।

डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन - भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ किया है इसके निम्न उद्देश्य हैं-

(i) उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर ग्रामीण रोजगार व आमदनी में वृद्धि करना

(ii) दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना।

राज्य में औपरोशन प्लान I कार्यक्रम पाचवीं योजनाकाल में, औपरोशन प्लान II कार्यक्रम छठी योजनाकाल में तथा औपरोशन प्लान- III सातवीं योजना में

चलाया गया था। यह 1994 में पूरा होगा। इस कार्यक्रम को राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ओपरेशन फ्लड-III कार्यक्रम टेक्नोलोजी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर के पूरे लाभ प्राप्त किये जा सकें और सहकारी समिति दूध यूनियन व फेडरेशन के तीनों स्तरों पर आत्म-निर्भर व मुदूढ महकारी ढाँचे की स्थापना की जा सके।

भावी योजनाओं में पशु पालन डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अधिक ताल-मेल बैठाने का राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज की जा सकती है।

राज्य में पशु-विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की मात्रा 1960 में 1.02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 1985-86 में 2.75 किलोग्राम प्रति दिन हो गई है। दूध का कुल उत्पादन 1960-61 में 20 लाख टन हुआ था जो 1989-90 में 42 लाख टन (दुगुने से अधिक) हो गया है।¹ इसके अलावा ऊन का उत्पादन 1973-74 में एक करोड़ किलोग्राम से बढ़कर 1989-90 में 1.67 करोड़ तथा मास का उत्पादन 12 हजार टन से बढ़कर 30 हजार टन पर आ गया है एवं अंडों का उत्पादन दुगुने से अधिक हो गया है।²

राजस्थान में भेड़ पालन का विकास व समस्याएँ

हम पहले ही बता चुके हैं कि राजस्थान में भेड़ों की मख्या 1988 में लगभग 99.3 लाख थी जो 1983 की तुलना में 26.2% कम हो गई थी। लगातार सूखा पड़ने से 1983-88 की अवधि में लगभग 35 लाख भेड़े नष्ट हो गईं। राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में भेड़े एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मानी जाती हैं। राज्य के शुष्क व अर्ध-शुष्क भागों में खेती की वजाय भेड़-पालन ज्यादा लाभकारी रहता है। इसका राज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओं से ज्यादा ताल-मेल बैठता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति सीधे भेड़-पालन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं तथा 15-20 लाख व्यक्ति मास व ऊन आदि व्यवसायों में संलग्न हैं।

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम - राज्य में ऊन व मास के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार के व्यापक प्रयास किये गये हैं। क्रॉस प्रजनन (cross breeding) कार्यक्रम नाली, चौकला, सोनाडी,

1 Comprehensive Agriculture Development Project, Rajasthan (1990-95) May 1990, p 307

2 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र, मार्च, 1991, पृष्ठ 14

व मालपुरा नस्लो पर लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत विदेशी भेडो (exotic rams) व अर्द्ध प्रजनन भेडो (half bred rams) की आवश्यकता होती है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेडो की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चुने हुए प्रजनन (selective breeding) की विधि का उपयोग मारवाडी जैसलमेरी भूगल व मगरा नस्लो पर किया गया है। इसके लिए चुने हुए भेडे भेड पालको से उचित दामो पर खरीद कर अन्य भेड पालको को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध किये जाते हैं। इस विधि में कृत्रिम गर्भाधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनों का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में चार भेड प्रजनन फॉर्म जयपुर, फतेहपुर, चित्तौड़गढ़ व बाकलिया में स्थित हैं जो विदेशी व क्रॉस प्रजनित भेडे उत्पन्न करते हैं जो भेड पालको को दिये जाते हैं। क्रॉस प्रजनन का कार्यक्रम भीलवाड़ा जयपुर चुरू झुन्झुनूँ गगानगर व डूंगरपुर जिलो में लागू किया गया है। इसके लिए विदेशी भेडे आयात करके विदेशी भेडे (exotic rams) तैयार किये जाते हैं।

चुने हुए प्रजनन का कार्यक्रम बोकारो, जैसलमेर, बाडमेर, नागौर, जालोर, जोधपुर व पाली जिलो में लागू किया जाता है। इससे उन की किस्म में सुधार होगा तथा भेड पालको को लाभ होगा।

राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि 1977

इसकी स्थापना 1977 में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।

- (i) भेड पालको को विचौलियों के शोषण से बचाना
- (ii) इनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना
- (iii) ऊन व अतिरिक्त भेडे (surplus sheep) भेड पालको से खरीदना
- (iv) उनकी ग्रेडिंग व बिक्री करना तथा
- (v) मास की खरीद व बिक्री करना।

इस प्रकार भेड व ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना सहकारी क्षेत्र में की गई है। इसके सदस्य इस प्रकार हैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा भेड पालको की सहकारी समितियाँ। ऊन व अतिरिक्त भेडो की बिक्री की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इसकी वित्तीय स्थिति की जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों पर नियुक्त माथुर समिति को सौंपा गया था। इसे 1980-81 से 1986-87 की अवधि में एक वर्ष को छोड़कर अन्य छ वर्षों में घाटा रहा था। लेकिन 1987-88

से 1990-91 के वर्षों में थोड़ा लाभ हुआ है। इसके कार्य-सम्पादन में सुधार करके इसे अधिक सक्षम व सक्रिय करने की आवश्यकता है।

भेड़ विकास से सम्बन्धित समस्याएँ व सुझाव¹

(1) ऊन के विपणन में कमियाँ - ऊन के लिए उचित कीमत-व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है। फिर उसकी ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) करके उसे ऊँचे भावों पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है। लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य (support price) निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में मदी की दशा में ऊन-उत्पादकों को हानि होने का अन्देसा बना रहता है।

ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग व बिक्री तथा मास व जीवित भेड़ जाति के पशुओं का कारोबार निजी व सरकारी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे सहकारी समितियों के दायरे में लाकर डेयरी विकास कार्यक्रम की भाँति संचालित करने की आवश्यकता है। ऐसी समितियाँ ग्राम स्तर पर बनायी जानी चाहिए। ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती हैं तथा टीकाकरण उत्तम भेड़े उपलब्ध करने आदि कार्यों में सहयोग दे सकती हैं। इनसे भेड़-पालकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इनसे जाति वर्ग व लिंग के भेद भी कम होंगे तथा भेड़ विकास कार्यक्रम को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

(2) मास व जीवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी-देशों में बढ़ा कर भेड़ पालकों को अतिरिक्त पशुओं का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकता है।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऊन की ग्रेडिंग व विपणन में सुधार हो सके।

(4) भेड़ पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। चूँकि भेड़-पालन की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है यथा एक जगह स्थित होकर (sedentary), अर्द्ध प्रवासी या भ्रमणशील (semi migratory) तथा प्रवासी। इसलिये सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए भेड़-पालकों से निरंतर सम्पर्क रखना कठिन होता है। भेड़-पालक समुदाय में से ही आवश्यक भता देकर युवकों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि वे भेड़ विकास कार्यक्रम को आवश्यक गति प्रदान कर सकें।

(5) बीमारी की जाँच-पड़ताल व स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम - विदेशी व क्रॉस प्रजनन की भेड़ों पर बीमारी का जल्दी असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक

जिले में बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए टीके लगाने दवाइयाँ देने भेड़ों को कीड़ों से मुक्त करने (deworming) खनिज विटामिनो की कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चूँकि भेड़ पालक दवाई की कीमत देने में असमर्थ पाये जाते हैं इसलिए उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगी।

जैसाकि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों भेड़ों के सफ़ाया हो जाने का भय बना रहता है और भेड़ों का अकाल के समय अन्य क्षेत्रों में निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चारे व आहार का उत्पादन तथा पानी की सुविधा बढ़ाकर भेड़ विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति प्रदान की जानी चाहिए। यह कार्य सुगम नहीं है लेकिन इसके लिए आवश्यक प्रयास जारी रखना होगा।

बकरी पालन विकास व समस्याएँ

राजस्थान में बकरी की सख्या भारत में सबसे ज्यादा रही है। 1977 में यह 1.23 करोड़ थी जो समस्त भारत का 16.3% थी एव प्रतिवर्ग किलोमीटर में बकरी का घनत्व 35.5 रहा था। 1983 में बकरी जाति के पशुओं की सख्या 1.55 करोड़ रही जो घटकर 1988 में 1.26 करोड़ पर आ गई। इस प्रकार बकरी की सख्या में अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहे हैं। 1977-83 की अवधि में यह लगभग 25.2% बढ़ी जबकि 1983-88 की अवधि में 18.7% घटी। बकरी की सख्या बहुधा सूखे के कारण घट जाती है और अपेक्षाकृत उत्तम वर्षों के कारण बढ़ जाती है। राज्य के उत्तर पूर्वी व पश्चिमी जिलों में लगभग 3/4 बकरी की सख्या पायी जाती है। राज्य के सभी भागों में बकरा की सख्या में बढ़ि होती रही है। राजस्थान में बकरी की प्रमुख नस्ले इस प्रकार हैं: सिरोही लोबी जमना पारी अलवरी बरबारी तथा चकराना। सिरोही नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उत्तम मानी गई है जबकि मारवाड़ी नस्ल मांस के लिए विशेष रूप से राज्य के सूखे पश्चिमी भाग में पाली जाती है।

बकरी 'गरीब की गाय' (poor man's cow) मानी गई है। प्रायः कम लागत के कारण निर्धन परिवार बकरी पालते हैं जिससे उनको पोषण प्राप्त होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते हैं। अजमेर व सिरोही जिलों में बकरी के आर्थिक अध्ययन¹ से पता चला है कि न केवल निर्धन लोग बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते हैं। निर्धन लोग इसे 'कम लागत कम प्रतिफल' के रूप में अपनाये रहते हैं। लेकिन खेतों पर चराई की थोड़ी सुविधा पाये जाने के कारण मध्यम श्रेणी के किसान भी इनको पालते

1 Kanta Ahuja and M. S. Rathore Goats and Goat Keepers Institute of Development Studies 1987

हे। बकरी पालन श्रम गहन होता है और इसमें प्रायः स्त्रियो बच्चो कमजोर व वृद्ध व्यक्तियो के श्रम का उपयोग होता है।

बकरी पालन व पर्यावरण (Goat keeping and environment)

प्रायः यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का ह्रास (degradation) करती है। ऐसा बहुधा वन विभाग के कर्मचारी कहा करते हैं। उनका विचार है कि बकरी पौधो की अन्तिम पत्तियाँ तक खा जाती है जिससे पर्यावरण में गिरावट आती है। लेकिन उपर्युक्त विकास सम्पन्न के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह धारणा सही नहीं है। बकरी तो अन्य कारणो से गिरे हुए पर्यावरण में अपने आप को जिदा रखती है क्योंकि यह उन पौधो को भी खा सकती है जिन्हें भेडे व अन्य पशु नहीं खाते। इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओ से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इससे प्रोटीन (दूध व मांस) की मात्रा इसको दिये गये आहार की तुलना में भेड से थोड़ी अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी पौधो के अपेक्षाकृत अधिक वेहता अशो को खा जाती है जिससे भेड व अन्य पशुओ की तुलना में वे अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है।

बकरी पालन की समस्याएँ बकरी पालन के अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी सामने आया है कि एक साथ 10-20 बकरा पालने पर प्रति बकरी लाभ की मात्रा सर्वाधिक होती है हालांकि इस पर विभिन्न परिस्थितियो का भी प्रभाव पडता है। प्रायः यह देखा गया है कि बकरी पालन में झुंड (herd) की संख्या के बढ़ने का उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी संख्या प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बकरी की ठीक ठीक संख्या रखने पर ही एक बकरी पालक उन पर अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है।

बकरी के दूध मांस व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए बकरी पालको को दूध की एक विशेष प्रकार की गंध में सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए ताकि इसकी बिक्री बढ सके। उनको मांस व जीवित पशुओ की बिक्री से अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य में बकरी की नस्ल उत्तम किस्म की है जिसे बनाये रखने व उसमें सुधार करने के लिए बकरी पालको को उत्तम किस्म के स्वदेशी नस्ल के बकरो (bucks) का वितरण करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्लो के द्वारा क्रॉसिंग से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बकरी के लिए चारे का विकास पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी (social forestry) कार्यक्रम में ऐसे पेड व झाडियो को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। विनाशकारी बबूल इस दृष्टि से हानिकारक माना गया है। बकरी अरडू, खेजडी, बोरडी आदि पौधो व पेडो को ज्यादा पसंद करती है।

अतः बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ की जा सकती है। स्मरण रहे कि बकरी पर्यावरण के हास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए बकरी को दोषी ठहराना इस नन्हें से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा जो किसी न किसी तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भी अपने आपको जीवित रखे हुए है।

वर्तमान में विदेशी नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रॉस-प्रजनन विषय पर अध्ययन के लिए स्विट्जरलैण्ड की सरकार से एक समझौता हुआ है। इस परियोजना के चौथे चरण के मार्च 1993 के अंत तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी-विकास कार्यक्रम में स्विस-सहयोग व सहायता से काफी लाभ हुआ है। स्विट्जरलैण्ड से एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाये गये हैं तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा भी सिरोही नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया गया है।¹ राज्य के अन्य बकरी-पालकों में भी इनका वितरण किया गया है। भूतकाल में बकरी की संख्या अपने आप बढ़ती रही है, भविष्य में इसे नियमित करने के लिए नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत 60 लाख रुपये की विदेशी सहायता के वर्ष 1992-93 की अवधि में प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। स्वदेशी नस्ल में स्वदेशी साधनों से सुधार का प्रयास भी जारी रहना चाहिए।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का विवेचन कीजिए और इसको अधिक गतिमान बनाने के लिए सुझाव दीजिए ।
- 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
 - (i) राजस्थान में भेड़-विक्रम कार्यक्रम व समस्याएँ
 - (ii) राज्य में बकरी-विकास तथा समस्याएँ
 - (iii) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान
 - (iv) गहन पशु-प्रजनन के लिए 'गोपाल' कार्यक्रम

(Raj I yr 1992)

1 पशु पालन विभाग, राजस्थान, प्रगति-प्रतिवेदन 1991-92, पृ० 19

राजस्थान में अकाल व सूखा (Famines and Droughts in Rajasthan)

राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने पहचाने शब्द है। यहाँ के ग्रामीण जीवन से इनका चौला दामन का सम्बन्ध रहा है। राज्य के कई जिले प्रायः अकाल में प्रभावित होने रहते हैं। सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है तथा लोगों को भूख प्यास में मरने नहीं देती। पशुओं के लिए भी यथासम्भव पानी व चारे की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। कभी-कभी अकाल भयकर रूप धारण कर लेता है और स्थिति वा मुकाबला करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को भारी प्रयास करना होता है। 1987 88 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) का अकाल सबसे ज्यादा भोषण था। इसने सभी 27 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इससे राज्य के 36252 गाँवों में लगभग 3 करोड़ 17 लाख जनसंख्या व करोड़ों पशु प्रभावित हुए थे। वर्ष 1984 85 से लगातार अकाल पड़ते रहे हैं और 1989 90 का अकाल इस क्रम में छठा अकाल था। 1986 87 व 1987 88 के अकारों में राज्य के सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे।¹ स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्य चालू किये और चारे पानी अनाज आदि की सप्लाई बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या राजस्थान की अर्थव्यवस्था से गहरी जुड़ी हुई है जिससे इसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। 1990 91 में राज्य में अकाल व अभाव की स्थिति नहीं रही थी। 1991 92 में राज्य पुनः अकाल की चपेट में आ गया और वर्षा की कमी के कारण 30041 गाँवों में लगभग 2 89 करोड़ व्यक्ति और इतनी ही संख्या में पशु अकाल से प्रभावित हुए।² 1992 93 में भी 30 में से 27 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई और वाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर बासवाड़ा उदयपुर व राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुए।³ इस प्रकार राजस्थान में अकाल व सूखा एक सामान्य बात हो गई है।

1 Budget Study 1992 93 page 64

2 राजस्थान पत्रिका 15 अगस्त 1992. पृ० 5 (1991 92 का अकाल)

3 राजस्थान पत्रिका 30 जुलाई 1992

अकाल के क्षेत्र/जिले

सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि राजस्थान में अकाल के कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं। जैसे विभिन्न वर्षों में अकाल से प्रभावित होने वाले जिलों की संख्या अलग-अलग होती है फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग तो प्रायः अकाल की चपेट में आता ही रहता है। अकाल के सम्बन्ध में निम्न दोहा काफी मशहूर माना गया है। इसमें अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।¹

पग पूगल, धड़ कोटडे बाहु बाडमेर

जाये लादे जोधपुर ठायो जैसलमेर ॥

इसका अर्थ यह है कि अकाल के पैर पूगल (बीकानेर) में धड़ कोटडा (मारवाड़) में भुजएँ बाडमेर (मालानी) में स्थायी रूप से है। लेकिन तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है एवं जैसलमेर में तो इसका खाम ठिकाना (ठायो) है ही।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के निम्न 11 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है। इनमें राज्य के क्षेत्रफल का 60% तथा जनसंख्या का 40% भाग शामिल है। राज्य में कुल व्यर्थ भूमि (total wastelands) का लगभग 2/3 अर्थात् इन्हीं ग्यारह जिलों में पाया जाता है। व्यर्थ भूमि में (परती भूमि को छोड़कर) बजर व अकृषित भूमि (जिसे अकृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं) तथा कृषियोग्य व्यर्थ भूमि (Culturable wastelands) दोनों शामिल माने जाते हैं। इन ग्यारह जिलों में 1985-86 में कुल व्यर्थ भूमि 58.6 लाख हैक्टेयर थी जो उनके कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर का 28% थी। इससे इन क्षेत्रों में व्यर्थ पड़ी भूमि के आकार का पता चलता है। इन ग्यारह जिलों की लगभग दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि में प्रायः अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमा बैठा रहता है। ये 11 जिले इस प्रकार हैं—जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गान्धार, नागौर, चुरू, पाली, जालौर, मीरक व झुन्झुनूँ। इन जिलों की मरुभूमि अकाल जैसे दानव के पंजों में जकड़ी हुई है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम व अनियमित होती है। बहते जल व भूमि के नीचे जल की कमी होती है। पानी के भाप बनकर उड़ जाने की रफ्तार तेज होती है। ग्रोम्स ऋतु में प्रायः धूलभरी आँधियाँ चलती हैं एवं बालू मिट्टी का हवा से कटाव होता रहता है। दुनिया के अन्य भागों के मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता

1 सईद अहमद खा का लेख, मुम्बईवाला कोड आस्तान नहीं राजस्थान पत्रिका अकाल रहन परिशाद, 24 अप्रैल, 1986 पन्ना 4

है जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक जटिल होना स्वाभाविक है।

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति ¹ -

यह कहना गलत न होगा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किसी न किसी जगह अकाल व अभाव की स्थिति अवश्य पायी जाती है। यही नहीं बल्कि 1968 69 से 1989 90 तक के 22 वर्षों में से 7 वर्षों में 26 जिलों में एव 2 वर्षों में 27 जिलों में अकाल की दशाएँ पायी गई हैं। 26 जिलों के अकाल वाले वर्ष इस प्रकार थे 1968 69 1972 73 1979 80 1980-81 1981 82 1982 83 तथा 1985 86 । इसके अलावा 1986 87 व 1987 88 में समस्त 27 जिलों में अकाल की स्थिति पायी गयी। अन्य वर्षों में भी स्थिति काफी गम्भीर रही है। 1974 75 में अकाल से 25 जिले 1978 79 में 24 जिले तथा 1969 70 में 23 जिले प्रभावित हुए थे। 1977 78 से 1989 90 तक के 13 वर्षों में केवल 1983 84 को छोड़कर शेष सभी 12 वर्षों में राज्य में अकाल व सूखे की दशाएँ पायी गयी हैं। इस प्रकार राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल की काली छाया निरन्तर मडराती रहती है जिससे काफी जनसंख्या व पशुधन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और सरकार को राहत कार्यों पर काफ़ी धन राशि व्यय करनी पड़ती है एव भू राजस्व की वसूली में भी ढील देनी पड़ती है। 1989 90 में 2 56 करोड़ रुपये के भू राजस्व (land revenue) की वसूली रोकनी पड़ी थी। 1985 86 में इसकी राशि 5 60 करोड़ रुपये तथा 1987 88 में 7 54 करोड़ रुपये रही थी।

1956 57 से 1989 90 तक के 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों पर लगभग 1799 करोड़ रुपये व्यय किये, जिनमें अकेले सातवाँ योजना की अवधि (1985 90) में 1236 करोड़ रुपये व्यय किये गये। अकेले एक वर्ष 1987 88 में 627 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक परिव्यय की कुल राशि से भी अधिक थे। कहीं कहीं 1987 88 में सूखा राहत पर व्यय की राशि 953 करोड़ रुपये आकी गयी है। इससे राज्य पर अकाल के कारण पड़ने वाले वित्तीय भार का अनुमान लगाया जा सकता है।

पिछले वर्षों में पानी का अकाल विशेष रूप से सामने आया है। इससे जन जीवन व पशुधन दोनों पर कुप्रभाव पड़ा है। सरकार अनाज के अभाव की तो अपेक्षाकृत आसानी से दूर कर सकती है लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। राज्य में पिछले वर्षों से अकाल ने 'त्रिकाल' का

1 आय व्यय अध्ययन, 1992 93 पृ० 64 तथा राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र पृ० 31 परिशिष्ट 1

रूप धारण कर लिया है जिसमें भोजन चारे व पानी तौनों का गम्भीर सकट एक साथ खड़ा हो जाता है।

अकाल, सूखे व अभाव की समस्या के कारण

निरन्तर पडने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच कठिन संघर्ष की दशा को सूचित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते हैं। लेकिन साथ में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इन पर नीचे प्रकाश डाला जाता है।

(1) प्राकृतिक कारण -

(अ) धरातल की बनावट, जलवायु, वगैरह- दूर दूर तक फैला मरुस्थल या मरु प्रदेश जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तपती धरती तपता आसमान तपने इन्सान व तपते पशु सब नियति के जाल में फसे होते हैं जिससे छुटकारा पाना कठिन होता है, क्योंकि 11 मरुस्थलीय जिलों में सर्वत्र बालू के टीले हैं तथा धरती के नीचे व इसकी सतह पर जल का नितान्त अभाव है। हम पहले बतला चुके हैं कि इन ग्यारह जिलों को दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि इस मरु दानव के पंजों में बुरी तरह जकड़ी हुई है।

इन क्षेत्रों में हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे चलकर अन्य राज्यों को उपजाऊ धरती को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(आ) वर्षा की कमी, अनियमितता व अनिश्चितता अकाल व सूखे की स्थिति का प्रधान कारण मानसून का विफल होना माना गया है। राजस्थान के उपर्युक्त 11 मरुस्थलीय जिलों में साल भर में सामान्यतया वर्षा पचास सेटीमीटर से अधिक नहीं होती। जैसलमेर में औसतन 16 सेमी वर्षा ही हो पाती है। पिछले 100 वर्षों में वहाँ केवल 25 वर्ष ही बारिश हुई जिससे इस इलाके में वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः आवश्यकता के अनुसार वर्षा का न होना कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होना तथा कभी देर से होना ये सब अकाल व सूखे की स्थितियों को जन्म देते हैं। अभाव की ये स्थितियाँ कभी-कभी नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। तब लोग-बाग अपने मवेशियों को लेकर निकटवर्ती राज्यों में चारे व पानी की तलाश में पलायन या निष्क्रमण करने लगते हैं। इससे पशु-धन की हानि भी होती है। कभी-कभी निकटवर्ती राज्यों में भी अभाव व सूखे के कारण उनमें पशुओं के प्रवेश से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि पड़ोसी राज्य इसका विरोध भी करते हैं। उनको स्वयं को कठिनाइयाँ भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं।

(2) आर्थिक कारण आर्थिक विकास के अभाव से भी अकाल व सूखे की समस्या अधिक जटिल होती गयी है। मरुप्रदेश या मरु जैसे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर

दबाव बढ़ा है। लोगों के लिए रोटी रोजी की समस्या काफी गम्भीर हो गयी है। परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का हास हुआ है तथा सिचाई के साधनों के अभाव में कृषि को उन्नत करने में बाधा पहुँचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जोधपुर की सेट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार चारे की कमी का कारण बढ़ती हुई पशु सख्या है। 1972-77 की अवधि में पशुओं की सख्या 44.5 लाख बढ़ी थी जिससे प्रति पशु चराई की भूमि घट गई थी। जनसख्या का दबाव बढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है जिससे सन्तुलित चारे के अभाव में इसके दाम बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में कृषिगत उत्पादकता भी नीची पायी जाती है जिससे कपको की आमदनी कम होती है। सहायक धन्धों के अभाव में आमदनी बढ़ा सकना भी सुगम नहीं होता। अतः बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या भी काफी तीव्र हो गई है। लघु कपको भूमिहीन किसानों व ग्रामीण कार्तकारों के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता जिससे अकाल के समय इनकी आर्थिक हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करती है।

(3) सामाजिक कारण जलाने की लकड़ी के अभाव की समस्या काफी जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगों ने अधाधुध पेड़ काट डाले हैं व अनियंत्रित चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तीव्र कर दिया है। कृषिगत भूमि वन जल आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड़ जाने से परिवेश-असन्तुलन (ecological imbalance) की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए उचित जल व भूमि प्रबन्ध की आवश्यकता है।

(4) राजनीतिक कारण अकाल व सूखे की समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक कारणों से भी माना गया है। विभिन्न योजनाओं की अवधि में सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण तेजी से नहीं हो पाया है। फलस्वरूप राहत कार्यों पर किया गया व्यय दीर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल नहीं दे पाया है और अकाल को रोकने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही है। यदि प्रारम्भ से ही सुनियोजित तरीके से अकालों में लड़ने का प्रयास किया जाता तो इस अनचहे मेहमान को अपने घर वापस भेजना सम्भव हो सकता था। लेकिन प्रशासनिक कमियों के कारण यह जमकर बैठा हुआ है और जाने का नाम तक नहीं लेता।

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक कारणों की देन है। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी रही है जिससे वह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं करा सकी है। फिर भी कई प्रकार के राहत कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगों को भूख प्यास से मरने

नहीं देती और अकाल से जूझने के लिए सदैव कृत-संकल्प रहती है, जैसा कि निम्न विवरण में स्पष्ट हो जायेगा।

राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी नीति

राजस्थान में अकाल की समस्या एक अल्पकालीन समस्या नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालीन समस्या है। अतः इस समस्या का स्थायी हल तो दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में कई प्रयास किये हैं और वर्तमान में भी ये प्रयास जारी हैं। आगामी वर्षों में भी इस समस्या के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने हंगे।

(1) अल्पकालीन नीति

अकाल राहत-कार्य- अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार की मुख्य नीति राहत कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता देने की मांग की जाती है। वित्तीय साधनों के आधार पर भू-संरक्षण, सड़क-निर्माण, पाठशाला व ओपधालय-निर्माण मिचाई के लिए कुओ के निर्माण, तालाबों व अन्य मिचाइ के साधनों के निर्माण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव एवं जल की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओं को भी पाने का पानी मिल सके। इसके अलावा चारे की उपलब्धि बढ़ाने जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार व आमदनी मिल सके एवं उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

अकाल राहत कार्य (1985-86 के अकाल के सन्दर्भ में) ¹ - जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 1985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का रहा था और इसने 27 में से 26 जिलों को प्रभावित किया था। इससे राज्य के 26859 गाँवों को 2 करोड़ 20 लाख जनसंख्या व 3 करोड़ से अधिक पशु प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पाने के पानी, पशुओं के लिए चारे व मनुष्यों के लिए अन्न का अभाव उत्पन्न हो गया था।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1985 से 15 जुलाई 1986 तक विभिन्न प्रकार के अकाल राहत कार्य मंचालित किये थे जिसमें लोगों के लिए रोजगार व आमदनी को व्यवस्था की जा सकी थी तथा कई स्थानों में टैकरो, बेलगाडियो, अँटगाडियो, आँद की सहायता से पाने का पानी पहुँचाया गया था, एवं पशुओं के लिए चारे व पानी की सुविधा बढ़ायी गई थी। जैमलमेर जिले में दिसम्बर, 1985 से मार्च,

1 मुख्यपत्र का वरत पृष्ठ 1946 87 मार्च 1986 पृ 69

1986 तक के चार महीनों में 12 लाख क्विंटल घास कटवा कर सूखाग्रस्त जिलों को भेजी गयी थी और उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड़ रुपये की नकद आय हुई थी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 125 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी पर 'सेवण' घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45⁰ सेल्सियस तक के तापमान में उग व पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विंटल घास रहती है। यह पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है। सरकार को जैसलमेर के इस घास के खजाने का विस्तार करना चाहिए।¹ लाखों श्रमिकों को अकाल-राहत कार्यों में रोजगार दिया गया था।

1985-86 में अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रहीं

(1) मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया गया था। भारत सरकार से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अंश के रूप में व्यय किया गया।

1985-86 में अकाल राहत पर कुल व्यय लगभग 88.9 करोड़ रुपये हुआ था तथा भू-राजस्व की वसूली 5.6 करोड़ रुपये तक की रोक दी गयी थी।

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्व एवं उत्पादक किस्म के कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिंचाई, भू-संरक्षण व नए सड़क निर्माण के कार्यों का भली-भाँति विस्तार किया जा सके।

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिंचाई कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था। दूसरा स्थान सड़क निर्माण कार्यों को दिया गया था। उसके बाद भू-संरक्षण, वनों के विस्तार व विकास आदि का स्थान आया था।

स्मरण रहे कि अधिकांश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) के अन्तर्गत किये गये थे। रोजगार देने में भूमिहीन श्रमिकों लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी।

पचायती राज सस्थाओं के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ में लिये गये थे। इसके लिए उनको विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा व जन जाति विकास आदि से एवं भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि पाठशाला-भवन आदि का निर्माण कराया जा सके। अन्य कार्य पटवार घर, पचायत घर, औषधालय भवन पचायत की दुकाने पेयजल कुओं का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा कराने

1 भारत के पाकिस्तान में घास की खेती डॉ. यश गोयल, राज० पत्रिका 26 जून 1986

आदि के कार्य सम्मिलित है।

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के अतिरिक्त थे।

1986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्य-¹

1986 87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 31936 गाँवों, 253 करोड़ लोगो व 327 करोड़ पशुओं पर पडा था।

अकाल राहत कार्य निम्न विभागों द्वारा चलाये गये थे

(i) राहत विभाग (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत (iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग (iv) सिचाई विभाग (v) वन विभाग, (vi) पचायत समितियों के माध्यम से।

राहत कार्यों में कुओ के निर्माण भवन-निर्माण सिचाई के कार्य सडक-निर्माण, भू संरक्षण आदि शामिल थे। जून 1987 में 1473 लाख लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहायता के बतौर 2 लाख टन गेहूँ आवंटित किया था।

अगस्त 1987 में राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न उपाय घोषित किये थे ²

(1) राहत कार्यों पर तत्काल मजदूरी की संख्या 7 लाख बढ़ाने की घोषणा की गई थी।

(2) असिंचित क्षेत्रों में लगान व सहकारी कर्जों की वसूलियाँ तुरन्त स्थगित करने का फैसला किया गया था।

जिन गाँवों में लगातार चार साल से अकाल पड रहा था वहाँ एक साल का लगान माफ करने की कार्यवाही का निर्णय किया गया था। अल्पावधि के सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों में परिवर्तित किया गया था।

(3) राठी थारपारकर, काकरेज आदि उन्नत नस्ल की गायों को बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अनुसार ऐसी गायों को विशेष रूप से गगानगर के कोम्पों में रखा गया जहाँ उन्हें चारा, पानी, दवाइयों आदि उपलब्ध हो सके और साथ में उनका दूध बिक सके। स्वयंसेवी संस्थाओं का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था। इन्होंने चारे का वितरण करने में मदद की थी। चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सन्डिडी प्रदान की थी।

1 राजस्थान पत्रिका 10 जून 1987 पृ० 1

2 राजस्थान पत्रिका 20 अगस्त 1987

(4) एक सौ ट्यूब वेल जो उस समय उपयोग में नहीं आ रहे थे उनका विद्युतीकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था।

(5) सूरतगढ़ व जैतसर कृषि फार्मों में चारा उगाने की व्यवस्था की गयी थी।

(6) पीने के पानी के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आबू पाली राजसमन्द, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों में हैण्ड-पम्प व ट्यूब वेल खुदवाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

(7) सार्वजनिक वितरण को दुकानों की संख्या बढ़ायी गयी थी। आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमणशील दुकानें खोली गई थीं।

(8) पंजाब व हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था की गई थी।

(9) अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो अनुदान देता है उसे 30 रुपये प्रति विक्टल से बढ़ाकर भाड़े का धास्तविक खर्च वहन करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने एक बृहद् आपात योजना को लागू करने का निश्चय किया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार के समक्ष एक महान चुनौती बनकर आती है। सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के अभाव की रही है। सरकार केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 1985-86 में गुजरात व मध्य प्रदेश में भी सूखा पड़ने के कारण राजस्थान से पशुओं का निष्क्रमण वहाँ नहीं हो पाया था और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चरागाहों में भेजा गया था और उनके लिए वहाँ पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की गयी थी। दुधारु पशुओं को पशु-आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी तथा गाँवों में पेयजल की व्यवस्था बढ़ायी गयी थी। 1986-87 के अकाल का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुनः सक्रिय होना पड़ा था और विभिन्न राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाये गये थे। ये राहत कार्य जून 1987 के बाद भी कुछ अवधि तक जारी रखने पड़े थे। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिए सहायता मागी थी।

1987-88 के अकाल में राहत कार्य ¹

जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1987-88 में 27 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमें 3.17 करोड़ जनसंख्या

अकाल की चपेट में आ गई थी। इतनी विशाल जनसंख्या को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल में 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 42.4 करोड़ रुपये मानव दिवस का कार्य सृजित किया गया। अकाल राहत कार्यों पर 1987-88 में 627 करोड़ रुपये व्यय हुए जो वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय से अधिक थे।¹ इसमें गेहूँ का मूल्य भी शामिल है। राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वयं के साधनों में करोड़ों रुपये व्यय किये। सूखा-ग्रस्त पर इन 16 महीनों में (1987-88 व बाद में) जो धनराशि व्यय की गई वह गत चार दशकों में अकाल राहत सहायता पर व्यय की गई कुल राशि से भी काफी अधिक रही।

1988-89 व 1989-90 में राहत कार्य

1988-89 में अकाल व अभाव की स्थिति 17 जिलों में पायी गयी जिम्से 4497² गाँवों में 43.5 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। 1989-90 में 25 जिलों में अकाल/अभावग्रस्त घोषित किये गये। इनमें 14024 गाँवों में 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सरकार को भू राजस्व का स्थगन 2.56 करोड़ रुपयों तक का करना पड़ा। इन वर्षों में भी सरकार ने अकाल राहत कार्य चलाकर अकाल की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। 1988-89 में राहत कार्यों पर व्यय की राशि 326 करोड़ रुपये व 1989-90 में लगभग 30.6 करोड़ रुपये रही।³

राजस्थान पर प्रायः अकाल के काले बादल छाये रहते हैं। विद्वानों का मत है कि राज्य को अकाल से पूर्णतया छुटकारा मिलना तो कठिन जान पड़ता है लेकिन सतत प्रयास करने पर अकालों की भीषणता व इनसे होने वाली क्षति में कमी अवश्य की जा सकती है और को भी जानी चाहिए।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है 1990-91 का वर्ष अकाल व सूखे के प्रभाव से मुक्त रहा था लेकिन 1991-92 का वर्ष पुनः अकाल की चपेट में आ गया। राज्य में वर्षा की कमी के कारण 30041 गाँवों के लगभग 2.89 करोड़ व्यक्ति और इतनी ही संख्या में पशु अकाल में प्रभावित हुए। प्रतिदिन 8 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राहत कार्यों पर 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय करनी पड़ी।⁴ 1992-93 में भी 30 में से 27 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई। बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बासवाड़ा

1 श्री एम० एल० मेहता के अनुसार यह राशि 953 करोड़ रुपए रही थी। देखिए उनका राजस्थान आर्थिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, 12 मार्च 1993 पृ 7

2 आय व्ययक अध्ययन 1992-93 पृ 64

3 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 31

4 राजस्थान पत्रिका, 15 अगस्त 1992.

उदयपुर तथा राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 30 हजार गाँव अकाल की गिरफ्त में आ गये और 3 करोड़ जनता इससे प्रभावित हुई। इस अकाल की सबसे अधिक मार पेयजल के संकट के रूप में सामने आई। राज्य सरकार का यह मानना रहा कि अकाल राहत पर 380 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे। प्रत्येक मंत्री को एक जिले के अकाल राहत का प्रभारी बनाया गया तथा सरकार 7 से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास करने लगी। राज्य सरकार के पास पिछले दो वर्षों का 206 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा सहायता कोष में पड़ा था। अतः केन्द्र से 174 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी गयी जिसके लिए उसने इन्कार कर दिया था।¹

अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रम

राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दो दिशाओं में प्रयास किये हैं। राज्य में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी तरफ से विभिन्न योजनाएँ चलायी गयी हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बायो गैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, लघु व सौमन्त कृषक घृहत् कार्यक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजना, आदि। इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को लाभ पहुँचता है। लेकिन इनमें से सूखा सम्भावित कार्यक्रम व मरु विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए इन पर नीचे प्रकारा डाला गया है।

(1) सूखा सभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (DPAP) कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से प्रारम्भ किया गया था। इससे रोजगार व आय में वृद्धि होती है एवं सूखे के प्रभाव को कम करना सम्भव होता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों तथा बासवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे यह 13 जिलों के 79 खण्डों में फैला दिया गया। 1982-83 में केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के आधार पर इसे 61 खण्डों में समाप्त कर दिया तथा बाद में यह 18 विकास खण्डों में ही जारी रखा गया।

1974-75 से 1978-79 तक इसके व्यय का 2/3 अंश केन्द्रीय सरकार तथा 1/3 अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। 1979-80 में 50-50 प्रतिशत भार दोनों सरकारों के द्वारा वहन किया जा रहा है। मार्च 1985 तक लगभग 77 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये गये थे। 1985-86 में केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सवाई माधोपुर, टोक, झालावाड़ व कोटा जिलों के 12 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम लागू किया गया था। इस प्रकार मृतवी योजना में 8 जिलों के कुल 30 विकास खण्डों में (DPAP)

कार्यक्रम संचालित किया गया और इस पर 23 78 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 1990-91 में इस पर 6 47 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा 1991-92 के लिए 5 14 करोड़ रुपये व 1992-93 के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-सुरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण व चरागाह विकास के कार्य संचालित किये जाते हैं।

(2) परमस्थलीय विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78 से केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। 1979 80 से केन्द्र व राज्य इसमें 50 50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे। 1985-86 से पुन इसका सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाने लगा है। यह कार्यक्रम 11 परमस्थलीय जिलों के विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, परमस्थलीय धन, भू-जल, चांग विकास, पशु, जल मलाई व ग्रामीण विद्युत्ताकरण आदि कार्यक्रम आते हैं। आरम्भ में मार्च 1985 तक लगभग 73 करोड़ रुपये व्यय किये गये। सातवीं योजना में (1985 90) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र ने 147 करोड़ की धन-राशि आवंटित की। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 109 रुपये रही। 1990 91 में इस कार्यक्रम पर 38 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा 1991 92 के लिए भी इतनी ही राशि आवंटित की गयी। 1992 93 के लिए अधिक धनराशि का आवश्यकता महसूस का गयी है।

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति

(long term policy)

सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत कार्य चालू करने की नीति अपनायी है तथा सूखा मभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि अपनाये हैं। लेकिन इस समस्या को म्थायी रूप से हल करने के लिए दीर्घकालीन उपायों की आवश्यकता है। इनका विवेचन नीचे किया जाता है।

(1) विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था- सिंचाई के विस्तार में ही अकालों पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा कृषिगत उत्पादन का अस्थिरता कम की जा सकती है। राज्य में भूजल विकास की सम्भावनाओं का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को प्रत्येक दृष्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, जैसे नहर के दूसरे चरण के सशोधित रूप को पूरा करना, कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदमी तक शीघ्र पहुँच सकें। इसके लिए प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा।

(2) सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल-व्यवस्था- सिंचित क्षेत्रों में उत्तम जल की व्यवस्था को जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किये जा सकें। पना के विकास को व्यवस्था ठीक प्रकार में होना चाहिए ताकि पानी के अभाव में क्षयमान भूमि की समस्या उत्पन्न न हो। जल का विनयन नहीं होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के सभी कृषक ज्यदा में ज्यदा लाभान्वित हो सकें।

(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय योजना में शामिल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों सामान्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अकाल राहत कार्यक्रमों पचायतो के विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण ताल मेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में तेजी लायी जा सके। भविष्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए। इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा।

(4) लूनी नदी के क्षेत्र (बेसिन) का भी विकास किया जाना चाहिए। यह मरु प्रदेश की मुख्य नदी है तथा कच्छ की खाड़ी में गिरती है। यदि सिचाई व क्षारोपण भू संरक्षण व गाँवों में सड़क व भवन निर्माण के कार्यों को सफल बनाया जा सका तो राजस्थान में ग्रामीण जनता की खुरहाली बढ सकती है। अब समय आ गया है जब जिला व खण्ड स्तर विकास के विभिन्न स्पष्ट, व्यावहारिक व लाभकारी कार्यक्रम संचालित करके हम विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को अकाल से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त भी स्वीकार करनी होगी।

(5) अकाल राहत केन्द्रों में मजदूरों की उपस्थिति के 'मस्टर रोल' ठीक से बनाये जाने चाहिए। उनमें मनमाने नाम भर कर रकम हड़पने से समाज को लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों में स्कूल डिस्पेन्सरों सड़क आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत केन्द्रों की व्यवस्था में सुधार करने से लोगों की रोटी रोजी की समस्या एक साथ हल हो सकती है। इसलिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ायी जानी चाहिए। इनके सम्बन्ध में आये दिन विभिन्न प्रकार अनियमितताओं व कमियों के समाचार मिलते रहते हैं जिससे अकाल व अभाव से प्रभावित लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती। अकाल राहत कार्यों पर व्यय करने से लोगों को रोजगार देने पशुधन को बचाने चारा उपलब्ध कराने पेय जल पहुँचाने कुपोषण व बीमारियों से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दिया जाता है। अतः इस धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया जाना चाहिए।

(6) मरुक्षेत्र में बालू के टीले का स्थिरीकरण (stabilisation of sand dunes) करने के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उड़ने से रोकता है। चारे के वृक्षों (fodder trees) जैसे छेजडे का वृक्षरोपण बढ़ाया जाना चाहिए। इसे कल्पतरू कहा गया है। इसकी लोंग, सागरी व लकड़ी बहुत काम की होती है। बेर की झाड़ी बेर का फल पशुओं के लिए पाला व ब्राड के काटे देती है। रोहड़ा वृक्ष भी टिम्बर की दृष्टि में विशेष महत्व रखता है। मोठ व ग्वार के पत्तों का चारा बनता है।

अतः अब ऐसी विधियाँ निकालनी गई हैं जिनसे हम मरुस्थल में शीघ्र ही कम व्यय से घेड़ों व चारागाहों का विकास करके अकाल व सूखे की

दीर्घकालीन समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक व सामाजिक इच्छा शक्ति की विशेष आवश्यकता है जिसके बिना ठोस प्रगति का वातावरण नहीं बन सकता। हमें व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विदेशों से तकनीकी व वित्तीय सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यकलापों के विस्तार की आवश्यकता-गाँवों में कुटीर व लघु उद्योगों का विकास करना भी अकालों का सामना करने की दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इससे ग्रामीण जनता की आमदनी में अधिक स्थिरता व सुनिश्चितता आती है जिससे वे अकाल की भीषण स्थिति में भी अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं। यदि लोग बाग मदैव कृषि पर ही निर्भर करते हैं अथवा बेरोजगार रहते हैं तो उनको अकालों का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषिगत कार्यों में रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए।

राजस्थान में लघु पैमाने पर खनिज उद्योग खनिज पदार्थ आधारित उद्योग तथाकथित विविध ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारियों आदि का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। जिस सीमा तक गैर कृषि कार्य कलापों का विस्तार होगा उस सीमा तक लोगों की अकाल व सूखे की दशाओं का सामना करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है अकाल के समय सबसे बड़ा संकट पेयजल का होता है। राजस्थान में जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने पर यह संकट गहरा हो जाता है। आज भी राजस्थान का ग्रामवासो यह मानता है कि वर्षा न होने पर सरकार भी क्या कर सकती है (देहाती भाषा में 'राम मूठयो तो राज काई कर लेमी')। अतः मुख्य समस्या पानी के अभाव को दूर करने की है। भूमि के नीचे जल स्तर निरन्तर और नीचे जाता जा रहा है। निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर नदी नालों पर व्यक्तिगत तौर पर छोटे बांध व एनीकट बनाये जा रहे हैं नदियों के पास के क्षेत्रों से अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है कहीं कहीं पाइपे काट कर पानी निकाल लिया जाता है बूस्टरो का प्रयोग करने से जल संकट गहरा हो जाता है खराब पड़े हैंड पम्पों की जल्दी से मरम्मत नहीं हो पाती, विद्युत की आपूर्ति में बाधा पड़ने से पानी की सप्लाई नियमित नहीं हो पाती नहरों का पानी अन्तिम छोर (टेल) के किसानों को नहीं मिल पाता और ऊपरी छोर (हैड) के किसान ज़रूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं- इस प्रकार कई किस्म की अनियमितताओं व गड़बड़ियों ने अकाल की समस्या को और उलझा दिया है। अतः इन सबको हल करना नितान्त आवश्यक है जिसे उचित राहत मिल सकती है।

इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों में उचित ताल मेल स्थापित करके सूखे की दशाओं का सामना किया जा सकता है। इस दिशा में अधिक सचेष्ट व सजग रहने की आवश्यकता है।

नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990-95 के पाँच वर्षों में अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड़ रुपये ही मिल पायेगा (620 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत अंश) (शेष 25% राज्य को देना होगा) जबकि 1987-88 के अकाल में इससे ज्यादा राशि (627 करोड़ रुपये) अकाल-राहत पर खर्च की गयी थी। अतः सरकार के समक्ष अकाल-राहत कार्यों के लिये धनराशि का अभाव पाया जाता है। योजना के विकास-कार्यों व अकाल-राहत कार्यों में धरस्पर ताल मेल बैठकर अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में अकाल "कारण व समाधान" पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
(Raj I yr 1992)
- 2 'राजस्थान में अकाल समस्या एवं समाधान' पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
(Ajmer II yr 1992)
- 3 क्या राजस्थान को अकालों की काली छाया से कभी मुक्ति मिल पायेगी? इसके लिए व्यावहारिक सुझाव दीजिए।
- 4 राजस्थान में अकाल समस्या के निवारण हेतु कोई दीर्घकालीन नीति व कार्यक्रम सुझाइए।
- 5 अकाल व सूखे के समय सरकार जो उपाय करती है उनका स्पष्ट विवेचन कीजिए। क्या वे उपाय पर्याप्त माने जा सकते हैं ?
- 6 सूखे की दशाओं का सामना करने के लिए सरकार की अल्पकालीन नीति का विवेचन कीजिए। अकाल राहत कार्यों का मूल्यांकन कीजिए तथा इनको अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाइए।
- 7 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
1) राजस्थान में अकाल की समस्या।

औद्योगिक नीति (Industrial Policy)

भारत में केन्द्रीय सरकार ने तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने समय-समय पर औद्योगिक नीतियों घोषित की हैं। यह एक स्वयंसेवक दृष्टि है कि एक कृषि प्रधान देश में कृषिगत नीति पर इतना बल नहीं दिया गया जितना औद्योगिक नीति पर दिया गया है। इसलिए जब भी सरकार बदलती है तो सबसे पहले औद्योगिक नीति पर ध्यान जाता है और उसके सम्बन्ध में समस्त देश में अथवा राज्यीय स्तर पर तथाकथित नई औद्योगिक नीति प्रस्तुत की जाती है। इसका कारण सम्भवतः यह प्रतीत होता है कि आजकल आर्थिक विकास को बहुत-कुछ औद्योगिक विकास से जोड़ दिया गया है और सभी राज्य औद्योगिक प्रगति की दौड़ में एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करना चाहते हैं।

औद्योगिक नीति में सरकार कई बातों पर अपना नीति स्पष्ट करती है जैसे औद्योगिक विकास के उद्देश्य क्या होंगे, औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न उद्योगों के बीच सरकार की प्राथमिकताएँ (Priorities) क्या होंगी, औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किस प्रकार किया जायेगा, औद्योगिक भूमि का आवंटन कैसे किया जायेगा, पब्लिक की उपलब्धि के सम्बन्ध में क्या नीति होगी, उद्योगों के लिए कर्ज की सुविधा कैसे होगी, स्थिर पूँजी के विनियोग पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में क्या नीति होगी, उद्योगों को बिक्री-करों व अन्य करों में किस प्रकार की रियायतें दी जायेंगी, लघु उद्योगों को पुनर्जागृत करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे तथा प्रचामी भारतीयों के द्वारा राज्य में विनियोग बढ़ाने हेतु कौन सी प्रेरणाएँ दी जायेंगी, आदि, आदि।

इस प्रकार औद्योगिक नीति में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की तरफ से स्पष्ट घोषणाएँ होने से उद्यमकर्ताओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है और वे परियोजनाओं के स्थान, उद्योग विरोध का चुनाव तथा उसके आकार आदि का चुनाव कर पाते हैं। औद्योगिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से औद्योगिक उत्पादन व रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलती है, तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बल मिलता है। इससे स्थानीय साधनों का उपयोग करके राज्य की आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलता है तथा निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

हम इस अध्याय में राजस्थान में औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर

प्रकाश डालेंगे।

रान्य मे औद्योगिक विकास के लिए रियायते व सुविधाएँ¹

(Concessions & Facilities for Indus Development in the State)

पिछले दो शताब्दियों मे राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायते सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। राज्य का उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) लघु व कुटीर उद्योगों की प्रगति का पय देखता है। इसके द्वारा लघु इकाइयों का पञ्जीकरण (Registration) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का आवंटन करने की मिश्रारिा करता है। इसी के अन्तर्गत वर्तमान मे 30 जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres) (DICs) काम कर रहे हैं जिसमे RFC, RIICO व RSIC तथा व्णपरिष्ठ पैको के प्रतिनिधि सचालन कार्य मे भग लेते हैं।

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास मे तथा उद्यमकर्ताओं की पैँजी की सुरिथा प्रदान करने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण नीचे दिया जाता है।

(1) भूमि का आवंटन- राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की स्थापना के लिए उडे भू क्षेत्र निर्धारित किये हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial areas) मे उद्योगों को 99 वर्ष की 'लीज' पर भूमि आर्वीट की गई है। भूमि के आवंटन की दरे विभिन्न क्षेत्रों मे अलग-अलग रखी गयी है। ये पिछडे जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों मे अपेक्षाकृत कम हैं। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों मे भू-आवंटन की दरे सशोधित की गई हैं। उद्योगविहीन जिलों (No Industry Districts) जैसे सिरोही, जैसलमेर, चुरू व बाडमेर जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों मे ये अपेक्षाकृत नीची रखी गयी हैं जैसे सिरोही जिले के मडार (Mandar) क्षेत्र मे ये 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर हैं जबकि बाडमेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र व सिरोही के अम्बाजी, आवू रोड, औद्योगिक क्षेत्र मे ये 60 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। वर्तमान मे अन्य जिलों जैसे अलवर के नोमराना औद्योगिक क्षेत्र मे भू-आवंटन की सशोधित दरे 75 रुपये प्रति वर्गमीटर व उदयपुर के गुडली औद्योगिक क्षेत्र मे 80 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं।

रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि) एक

1 Industrial policy 1990 Government of Rajasthan Industries Department, January 1991 and RIICO Newsletter September 1992, pp 11 12 and April 1993 p 10

समय में भुगतान की शर्त पर भूमि का आवंटन करता है जिसमें 25% राशि आवंटन के समय जमा करनी होती है और शेष राशि तीन माह में देय होती है। इसका विस्तृत विवरण नई औद्योगिक नीति 1990 के साथ आगे चलकर किया जायेगा।

(2) औद्योगिक वस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (रीको)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये हैं। इनमें पावर, मडक जल व पानी के विकास की सुविधाएँ दी गई हैं। इसके द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र जयपुर (विरवकर्मा तथा मालवीय) कोटा अलवर, जोधपुर, उदयपुर अजमेर, पाली चिडावा पिलाना बून्दी टोक निवाई सीकर, बालोतरा बाडमेर, सादुलपुर व चित्तौडगढ़ आदि स्थानों में हैं। अब तक रीको ने 187 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य अपने हाथों में लिया है। विभिन्न स्थानों में उद्योगों को बाईस हजार से अधिक भूखण्ड (Plots) आवंटित किये जा चुके हैं।

व्यापारिक वस्तियों में नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था होती है। रीको ने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए जयपुर व पिलानी में कार्यात्मक वस्तियाँ (functional estates) स्थापित की हैं।

अलवर जिले के 7 औद्योगिक क्षेत्र हैं मत्स्य (अलवर शहर) भिवाड़ी टेरली बहरोड खैरथल राजगढ़ व शाहजहाँपुर। इनमें बहरोड व शाहजहाँपुर तो राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 8 पर हैं लेकिन भिवाड़ी राजमार्ग से थोड़ा अदूर पड़ता है। रीको ने ये मातृ औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (National Capital Region) के अलवर जिले के भाग में विकसित किये हैं। NCR में दिल्ली के इर्द गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यह अपनी क्षमता के उच्च शिखर पर पहुँच गया है। इसके तीन चरणों के विकास पर रीको ने 29 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने लगी हैं। रीको खस्ता हाल औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी मंचालित करता है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की ही कुछ अतिरिक्त भूमि को भी रीको ने अलवर नगर विकास न्यास को बेचा है।

(3) वित्तीय प्रेरणाएँ (Financial incentives) उद्योगों को वित्तीय

सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग राजस्थान वित्त निगम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि., भारतीय स्टेट बैंक व इसके महायक बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम (RFC) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन कर्ज देता है जिसकी अधिकतम राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो सकती थी

जिसे अब बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। कर्ज देने की कई स्कीमें हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिगल वाहन) होटल कर्ज, डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नीशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों तथा डॉक्टरों के लिए स्कीम। पहले एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये रखी गयी थी जिसे अब बढ़ाया गया है। (RFC) अपनी उदार ऋण योजना (Soft Loan Scheme) के अन्तर्गत कर्ज देता है। कर्ज की सुविधा टेक्नोक्रेट्स व टेक्नीशियनों के लिए भी उपलब्ध की गयी है।

कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों व उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है।

रीको 90 लाख रुपये तक के अर्वाधि-कर्ज (term loans) प्रदान कर सकता है, जिसे अब बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये किया गया है। अब रीको 10 करोड़ रुपये तक की लागत के प्रोजेक्टों को सहायता दे सकता है। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत तक हुआ करती थी। IDBI रीको के साथ 10 करोड़ रुपये की लागत तक के प्रोजेक्टों में कर्ज देने में शरीक होगा।¹

व्यापारिक बैंक 50 लाख रु तक के कर्ज दे सकते हैं। पहले RFC, RIICO व व्यापारिक बैंक जो कुल कर्ज दे सकते थे अब उसकी सीमा भी बढ़ा दी गयी है। औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी धन जुटा सकती है। उद्योग निदेशालय भी लघु इकाइयों को अब 35 हजार रुपये तक के कर्ज उपलब्ध करता है। पहले राजस्थान वित्त निगम व रीको द्वारा कर्ज पर ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों के लिए (उत्पादन शुरू होने पर) 12.5% तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 14% थी। इस प्रकार यह पिछड़े क्षेत्रों के लिए 15% कम थी ताकि उनके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। 1 मई 1992 से ब्याज की दर बढ़ाकर सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से 20% कर दी गयी जो बहुत ऊँची है। लेकिन यह लघु उद्योगों के लिए 19.75% रखी गयी है।

रीको व (RFC) के द्वारा बिक्रीकर की राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण (Interest free loans) भी दिये जाते हैं। पूर्व सरकार ने 5 मार्च 1987 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि के लिये उद्योगों को बिक्री कर से कुछ वर्षों के लिये मुक्त रखा व इसका आस्थगन (defcment) करने की एक प्रेरणादायक स्कीम घोषित की थी।

(4) विद्युत की सप्लाई बढ़ायी गई है एव इस दिशा में प्रयास भी जारी

हैं। विद्युत-प्रशुल्क पर रिबेट दी जाती है। जल-सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई गयी है।

(5) राजकोषीय प्रेरणाये (Fiscal incentives) व करों में राहत (Tax Relief) सरकार ने कारखानों में लगायी जाने वाली मशीनरी को चुआं शुल्क (Octroi) में मुक्त किया है। कच्चे माल पर भी यह छूट दी गयी है। राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे माल पर विक्री कर को छूट दी है। विद्युत शुल्क में भी छूट दी है। अब विक्री कर में छूट व आस्थगन की नई स्कीम लागू की गई है जिस पर अगले चलकर प्रभार डाला गया है।

(6) राजस्थान के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिये सविमडी की व्यवस्था -भूतकाल में राज्य में 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि में पिछड़ा घोषित किया गया था। ये जिले इस प्रकार थे- जलौर, नगौर, जोधपुर, चुरू, सीकर, झालावाड़ टोक, अलवर, सिंगर, उदयपुर, बामवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, झुझुनूँ, जयपुर, व बाड़मेर। मिनम्बर 1988 तक 27 जिलों में से 16 जिलों को भारत सरकार का तरफ में विनियोग सविमडी दी जाती थी। (जो बाद में बढ़ कर दी गई) तथा शेष 11 जिलों को राज्य सरकार की तरफ में सविमडी दी जाती थी। सविमडी की स्कीम पूंजी से जुड़ी राजकोषीय प्रेरणा (Capital linked fiscal incentive) होती है जिसमें उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अन्तर्गत स्थिर पूंजीगत विनियोग जैसे भूमि, फ़ैक्ट्री भवन व प्लांट तथा मशीनरी के विनियोग का निर्धारित अंश उद्यमकर्ता को सरकार सविमडी या अनुदान सहायता के रूप में देती है जिसमें उनको कागज़ान लागाने के लिए भाग प्रोत्साहन मिलता है।

पहले केन्द्रीय सविमडी का व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों A, B तथा C के अन्तर्गत विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे (A) इसके अन्तर्गत 25% सविमडी जयपुर, सिरोही, चुरू व बाड़मेर के लिये रखी गयी थी। ये शून्य उद्योग जिले (No industries Districts अथवा NIDs) कहलाने थे। सविमडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिये 25 लाख रुपये रखी गयी थी। (B) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सविमडी पंच जिलों अलवर, धौलपुर, जोधपुर, नगौर व उदयपुर के लिये रखी गयी थी तथा इसका अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये रखी गयी थी। (C) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सविमडी मठ जिला बामवाड़ा, डूंगरपुर, जलौर, झालावाड़ झुझुनूँ, सीकर व टोक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिये सविमडी का अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये रखी गयी थी।

इस प्रकार केन्द्रीय सविमडी का व्यवस्था कारना लचीली था। शेष 11 जिलों - अजमेर, भातपुर, बूढ़ा बंकरनेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, गानगर, कोटा, पल्लो, मकड़ मधेपुर व धौलपुर के लिये पहले राज्य सरकार सविमडी देती थी जो बड़ी

व मध्यम इकाइयों के लिये 10% (अधिकतम 10 लाख रुपये) एव लघु इकाइयों के लिये 15% (अधिकतम 3 लाख रुपये) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये लघु इकाइयों पर 20% तथा नन्हीं (tiny) इकाइयों के लिये 25% रखी गयी थी। निम्न क्षेत्रों को सब्सिडी नहीं दी गयी थी जैसे मत्स्य (अलवर), मरुधर (जोधपुर) जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेवाड़ (उदयपुर)। सार्वजनिक वित्तीय सहाय्ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती रही है।

1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 तक के लिये विक्री कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की व्यवस्था (Interest free sales tax loan scheme) भी जारी रही थी। इस कर्ज के दिशा निर्देश नीचे दिये जाते हैं

(अ) बड़े पैमाने के उद्योगों के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 8 प्रतिशत कर्ज (अधिकतम राशि 50 लाख रुपये तक) (आ) मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 15% (अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये तक) (इ) लघु उद्योगों के लिये स्थिर परिसम्पत्तियों का 25% कर्ज (अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये तक) (ई) एक विकास खंड में 15 करोड़ रुपये या ऊपर के स्थिर पूंजी विनियोग से पहली बार स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई (Pioneering industry) को अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक (ठ) 25 करोड़ रुपये व अधिक के स्थिर पूंजी विनियोग से स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठामूलक उद्योग (Prestigious industry) के लिये 15 करोड़ रुपये तक कर्ज अथवा इतना ही कर्ज एक शुरू के उद्योग (pioneering industry) के लिये जिसमें 10 करोड़ रुपये तक का विनियोग हो।

इस स्कीम के कर्ज का भुगतान पाच समान किश्तों में देय था और यह वितरण की तिथि के छठे वर्ष से प्रारम्भ होता था।

23 मई 1987 को मुख्यमंत्री ने नये उद्योगों को उत्पादित माल पर विक्री कर में 31 मई 1992 तक रियायते देने की घोषणा की थी। 5 मार्च, 1987 के वाद उत्पादन में आने वाले सभी नये उद्योगों को पिछड़े जिला में सात वर्ष तक उत्पादित माल पर यह छूट दी गई थी, जबकि विकसित जिला में यह पाच वर्ष तक के लिये दी गई थी। यह छूट आइसक्रीम बड़े सामेट प्लांट, होटल तथा अधिक विद्युत की खपत वाली इकाइयों को नहीं दी गई थी।

पिछड़े जिलों में छोटे उद्योगों के लिये छूट का सीमा उनकी स्थायी परिसम्पत्ति के 100% तक मध्यम व बड़े उद्योगों के लिये 90% तक तथा विकसित जिलों के लिये ये सीमाएँ क्रमशः 85% व 75% तक रखी गई थीं।

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 'फायरियरिंग' व 'प्रेमजीयम' उद्योगों को यह सुविधा दो अतिरिक्त वर्षों के लिये दी गयी थी। उद्योगों को विक्री कर से मुक्ति

के बजाय बिक्री कर पर आस्थगन (Sales Tax Deferment) की सुविधा दी गई थी।

इस सम्बन्ध में 1990 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा की गयी है।

विकास केन्द्र (Growth Centres) से सम्बन्धित नीति- 22 अक्टूबर, 1989 को केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी जिसमें राजस्थान के लिये 4 विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय शामिल था। इसके लिये भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़ व आवूरोड़ (मिरोही जिला) चुने गये। बाद में धोलपुर को शामिल करने पर 5 विकास-केन्द्र हो गये।¹ प्रत्येक विकास केन्द्र पर 30 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ताकि वहाँ इन्फ्राम्स्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, सड़कें, रेल, संचार व अन्य आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जा सकें। यह महसूस किया गया कि इन स्थानों में विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहूलियत होगी जिससे इनमें औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकेगी। इससे इन केन्द्रों के आस-पास के इलाकों में आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इन स्थानों के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमें औद्योगिक विकास की काफी भावी सम्भावनाएँ हैं। उदाहरण के लिये, भीलवाड़ा में देश के टेक्सटाइल क्षेत्र में काफी नाम कमा लिया है। यहाँ पावरलूम व प्रोसेस गृह (process houses) स्थापित हुए हैं जिससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। यहाँ खनिज पदार्थों के विकास के भी अवसर हैं। इस जिले के दक्षिण भाग से कोटा चित्तौड़गढ़ ब्रोडगेज लाइन गुजरती है जिससे विकास के नये अवसर खुल गये हैं।

भीलवाड़ा सिन्थेटिक यार्न व कपड़े का एक बड़ा उत्पादन केन्द्र बन चुका है। यहाँ पहले ही विभिन्न उद्योग धंधों में काफी पूंजी का विनियोजन हो चुका है। यहाँ विकास केन्द्र के बनने की काफी सम्भावनाएँ हैं।

बीकानेर जिले के बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है। यहाँ कृषि-आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस सम्बन्ध में बीछवाल का औद्योगिक क्षेत्र उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास केन्द्र में कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ वनस्पति तेल खडसारी व गुड की इकाइयों ऊन उद्योग डेपरी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि कृषि व पशु-आधारित

उद्योग बन सकते हैं। बीकानेर में बड़ी रेल लाइन भी पहुँच गई है। अतः यहाँ विकास के नये अवसर उत्पन्न हुए हैं।

झालावाड़ जिले के एक भाग से बम्बई दिल्ली छोड़ गेज लाइन गुजरती है। इसने नारगी के उत्पादन में नाम कमाया है। आधारभूत सुविधाओं के विकास से इस विकास केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की जा सकेंगी हालाँकि इसकी व्यापक सम्भावनाओं पर सदेह प्रगट किये गये हैं।

आबू रोड में पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं जिनमें मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेंट, आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं। यह शहर अहमदाबाद के निकट है। यहाँ विकास केन्द्र के बनने की प्रचुर सम्भावनाएँ हैं।

राज्य में अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाये जाने के लायक हैं जैसे बहरोड बासवाडा आदि। लेकिन उन पर साधनों की स्थिति को देखकर विकास के अगले चरण में विचार किया जायेगा।

विकास केन्द्रों की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है। रीको इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने में सलग्न है। विकास केन्द्र पर जो 30 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जानी है उसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व वित्तीय सस्थाएँ अपना अपना वित्तीय योगदान देगी।

नई परिस्थितियों में राज्य सरकार पर विकास केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये 120 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि जुटाने का भार आ गया। साथ में नई औद्योगिक नीति व योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का वित्तीय भार भी बढ़ गया। यदि राज्य सरकार विकास केन्द्रों व सब्सिडी की वित्तीय व्यवस्था करने में सक्षम रही तो निश्चित रूप से राज्य औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से प्रगति कर पायेगा। अभी तक सब्सिडी का कार्य तो प्रगति पर नजर आ रहा है लेकिन विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी चल रही है जिसे अधिक तेज व अधिक सुनियोजित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति जून 1978 राज्य में जनता सरकार ने 24 जून 1978 को अपनी औद्योगिक नीति घोषित की थी। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित किया गया था क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के उपाय बतलाये गये थे उद्योगों को दी जाने वाली सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट की गई थीं और बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी नीति निर्धारित की गई थी।

(1) उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम उद्योगों को प्राथमिकता के क्रम में खादी ग्रामोद्योग हथकरघा व हस्तशिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था। उसके

बाद एक लाख रुपये तक की पूँजी वाले उद्योग फिर कमश 10 लाख रुपये 50 लाख रुपये तथा अन्त में बृहद् उद्योग रखे गये थे।

(ii) क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम- क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तब की गयी थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था पहले गाँव फिर अर्द्ध शहरी क्षेत्र तथा अन्त में शहर। नये सार्वजनिक व सयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाने का निश्चय किया गया था।

स्थानीय साधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। श्रम प्रधान उद्योगों को पूँजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था।

(iii) सार्वजनिक उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये राजस्थान प्रबन्धक सेवा सवर्ग (Rajasthan Management Cadre) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य प्रणाली की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा। सयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये इक्विटी पूँजी में 10% सरकारी सहयोग की नीति घोषित की गई थी।

(iv) बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नीति- जिस औद्योगिक इकाई में कुल क्षमता का 20% में कम उत्पादन हो तथा जो घाटे में चल रही हो व जिसने पिछले तीन वर्ष से ब्याँझ या मूलधन का भुगतान न किया हो वह बीमार या रुग्ण इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि ऐसी इकाई को उद्योग निदेशक प्रमाण पत्र देगा। रुग्णता का कारण खोजा जायगा। राजस्थान वित्त निगम ऐसी इकाइयों के ऋण के भुगतान की दूसरी तिथि निर्धारित करेगा (reschedule)। ऐसी इकाइयों से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जायेगा। सरकारी खरीद में भी ऐसी इकाइयों के माल को प्राथमिकता दी गयी थी।

(v) नयी सहायताएँ व सुविधाएँ - औद्योगिक नीति में यह भी कहा गया था कि उद्योगों के लिये आवश्यक गेचर भूमि जिलाधीश ग्राम पंचायत को सिफारिश पर रूपान्तरित (convert) करेगे। स्वयं का उद्योग लगाने पर किसान की खतेदारी की 500 वर्गमाटर भूमि का रूपान्तरण अपने आप माना गया था। इसके लिए केवल परिवर्तन शुल्क जमा करना आवश्यक माना गया था। दाल मिल चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर बिजली दर में 25% सब्सिडी देने की नीति घोषित की गई थी।

बाद में 1980 में राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी आ गयी थी। विभिन्न प्रकार की रियायतों व सुविधाओं

का लाभ मिलने से राज्य औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। रीको राजस्थान वित्त निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम, उद्योग निदेशालय आदि राज्य में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करते रहे हैं। उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय पूँजीगत सभिसिडी व राज्यीय पूँजीगत सभिसिडी का विस्तार किया गया। विदेशों में बसे भारतीयों को राजस्थान में पूँजी लगाने के लिये आकर्षित किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यवहाराचना (Industrial Strategy During Seventh Plan)¹

राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारूप में औद्योगिक विकास की व्यवहाराचना में निम्न बातों का समावेश किया था। राज्य सरकार ने पथक् से सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए किसी औद्योगिक व्यवहाराचना की घोषणा नहीं की थी। इसलिए औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में किसी व्यवस्थित व अनुमोदित नीति के अभाव में निम्न बातों को सकेतात्मक ही माना जाना चाहिए।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य सातवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जायेगा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायेंगे प्रादेशिक असन्तुलनों को कम किया जायेगा परम्परागत शिल्पकलाओं का विकास किया जायेगा उद्यमकर्ताओं को सहायता दी जायेगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जायेगा।

(1) रोजगारोन्मुख उद्योगों के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया था। इसके लिये खादी व ग्रामोद्योगों हथकरघा दस्तकारियों अति लघु व लघु उद्योगों को इनो कम में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।

(2) जिला उद्योग केन्द्रों के स्टाफ का स्वरूप बदलने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। इसके लिये अतिरिक्त कार्यालय मैनेजरो व प्रोजेक्ट मैनेजरो की नियुक्ति करने पर बल दिया गया था।

(3) श्रेणी A B C के जिलों के लिए विनियोग सभिसिडी की व्यवस्था जारी रखी गयी थी। बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज की स्कीम काफी आकर्षक बनायी गयी थी। अतः इसे योजना की स्कीमों में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा बिक्री कर से मुक्ति/आस्थगन की नई स्कीम (1987-92) घोषित की गई थी।

(4) यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा प्रशिक्षण

1 Draft Seventh Five Year Plan (1985-90) and Annual Plan 1985-86 Planning Department Chapter 15 on Industrial Development

केन्द्रों, परम्परागत दस्तकारियों एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-सर्वरूढ़न कार्यों को बढ़ावा देगा।

(5) खादी व ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन व रोजगार में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था।

(6) मार्च 1984 में राजस्थान हथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बुनकरों को मदद दी जा सके। निगम बुनकरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा करणों की क्वालिटी में सुधार करता है। उनको कच्चा माल देता है तथा निर्मित माल की बिक्री की व्यवस्था करता है।

(7) राज्य के कुछ जिलों में रेशम के उद्योगों को तथा टमर के विकास के लिये षोषे लगाने को महत्व दिया गया। राज्य में इनके विकास के समुचित अवसर विद्यमान हैं।

(8) यह कहा गया कि राजस्थान वित्त निगम व रीको अपनी गतिविधियों का विस्तार करेंगे। रीको छठी योजना में प्राप्त लाभों को सुदृढ़ करेगा नये क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रोनिक्स में प्रवेश करेगा औद्योगिक रुग्णता व टेक्नोलॉजिकल पिछड़ेपन को दूर करेगा तथा भारत सरकार की सब्मिडी योजना का पूरा लाभ उठायेगा। राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम की स्थापना का सुझाव भी दिया गया था।

(9) यह कहा गया कि विदेशों में रहने वाले (प्रवासी) भारतीयों के विनियोगों को राजस्थान में आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा।

(10) इस बात पर बल दिया गया कि राजकोष उपक्रम विभाग सम्बन्धित इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगा।

(11) औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये कोटा चित्तौड़गढ़ ब्रोडगेज लाइन को पूरा करने पर जोर दिया गया ताकि राज्य में सामेट के प्लांट बढ़ाये जा सकें। दिल्ली अहमदाबाद तथा जयपुर-सवाई माधोपुर मीटर गेज लाइनों को ब्रोड गेज लाइनों में बदलने से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में रेल की लाइनें बिछाने में औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी।

यह स्वीकार किया गया कि मातृकी योजना में औद्योगिक व्यूहरचना व नीति को कार्यान्वित करने व सफल बनाने के लिए काफी वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार व निजी उद्यमकर्ताओं (स्वदेशी व प्रवासी) को मिलजुल कर काम करना होगा।

मार्च 1987 में राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किया था जिसकी विशेषताये नीचे दी जाती हैं।¹

1 रोको एक 'वन विंडो सर्विस' चालू करेगा जिसके तहत उद्यमकर्ताओं की आवश्यक सहायता समयबद्ध सारणी के अनुसार एक साथ एक स्थान पर की जायेगी।

2 रोको राजस्थान वित्त निगम तथा उद्योग विभाग राज्य के अन्दर व बाहर अभियान चलाकर उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करेगा।

3 1987-88 में RFC व RIICO लगभग 100 करोड़ रुपये का अवधि ऋण देगे जिसका लाभ लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योग उठायेगे।

4 डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए, 'आपत्ति नहीं सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करने की विधि सरल की जायेगी। इसके लिए विद्युत शुल्क में भी राहत दी जायेगी।

5 खनन पट्टे स्वीकृत करने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर खनिज आधारित उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जायेगा।

6 कृषि व पशु धन पर आधारित उद्योगों को भूमि विद्युत कनेक्शन कर्ज आदि में प्राथमिकता दी जायेगी। इनको अतिरिक्त कर राहत भी दी जायेगी।

7 श्रम गहन उद्योगों को भूमि पावर कनेक्शन व कर्ज में प्राथमिकता दी जायेगी। उनको भी कर राहत दी जायेगी।

8 रुग्ण उद्योगों को कर राहत दी जायेगी तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सेवाओं का लाभ उठाया जायेगा।

9 सरकार की वर्तमान क्रय नीति (Purchase Policy) का विस्तार किया जायेगा ताकि स्थानीय उद्योग इसका लाभ उठा सकें।

10 नयी इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों की सब्सिडी बढ़ाई जायेगी। 5 करोड़ रुपये से अधिक स्थिर पूँजी के विनियोग वाली इकाई को 25% सब्सिडी अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि दी जायेगी (जो भी कम हो) एवं 5 करोड़ रुपये से कम वाली इकाइयों के लिये 15% सब्सिडी अथवा 15 लाख रुपये की राशि रखी गयी। यह लाभ सातवीं योजना के अन्त तक देने का कार्यक्रम रखा गया था।

11 नाबाई की सहायता में 1987-88 में 10 हजार लघु व लघुतम (tiny) इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था।

12 निर्धन हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बचत कोष की स्कीम लागू करने पर बल दिया गया था।

13 उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापित करने तथा

14 विकसित जिलों में नये उद्योगों को 5 वर्ष के लिये तथा पिछड़े जिलों में 7 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखने पर जोर दिया गया था।

जहाँ एक ओर बड़ा उद्योग नहीं था वहाँ यह सुविधा कमशः 7 वर्ष व 9 वर्ष के लिए दी गयी थी। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप में प्रकाश रियायतों व प्रेरणाओं के खण्ड में डाल गया है।

इस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में औद्योगीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया था।

शेखावत सरकार का नई औद्योगिक नीति 1990 (New Industrial Policy 1990)

भारतीय जनता पार्टी व जनता दल की सरकार (मुख्य मंत्री श्री भैरोसह शेखावत) ने राजस्थान का नई औद्योगिक नीति दिसम्बर 1990 में घोषित की थी जिस पर जनवरी 1991 में कार्यरत हो गया था। इस नीति का विस्तृत आवेदन नीचे किया जाता है।

उद्देश्य (i) खनिज कायदा व अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग करना ताकि राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़े (ii) अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, (iii) प्रादेशिक असन्तुलन समाप्त करना, (iv) उद्यमकर्तों को प्रोत्साहन देना तथा (v) औद्योगीकरण के माध्यम में राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाना ताकि आर्थिक मात्रा में विकास कार्यक्रम संचालित किये जा सकें।

प्राथमिकताएँ औद्योगिक नीति में प्राथमिकताएँ इस क्रम में सुझायी गयीं।

(i) सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामोप उद्योग हथकरघा दम्तकारियों व चमड़ा आधारित इकाइयों को (ii) उमके बाद टाइलों उद्योग जिनमें स्थिर पूंजी विनियोग 5 लाख रुपये तक हो (iii) तत्पश्चात् लघु पैमाने के उद्योग जिनमें स्थिर पूंजी विनियोग 60 लाख रुपये तक हो, महायुक्त उद्योग जिनमें पूंजी के लिए 75 लाख रुपये की सीमा होगी तथा (iv) अंत में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग।

निम्न उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी एग्री फूड प्रोसेसिंग साधन अन्तर्गत श्रम गहन कम ऊर्जा तथा कम पानी का उपयोग करने वाले उद्योग

पावर पवर का विकास निम्न क्षेत्र में ही किया जायगा। 51 के वा म 220 के वा पर त्रिजला लेने वाला का 15% से 10% विद्युत प्रत्यक्ष रियायत व 1990-95 का अवधि में पावर कनेक्शन प्राप्त नए औद्योगिक इकाइयों के लिए 3000 के वा तक के क्षेत्र पर 31.3.1995 तक काई पवर कटौती नहीं होगा। लघु व मध्यम उद्योगों में एक वर्ष तक को न्यूनतम चार्ज नहीं लिये जायगा।

पिछले तीन माह के अधिकतम उपभोग के 15 दिन के उपभोग की नकद सिक्कूरिटी मनी ही जमा की जा सकेगी। डीजल जेनरेटिंग सेट की लागत पर 25% या 50 हजार रुपये तक (जो भी कम हो) नकद सब्सिडी मिल सकेगी।

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी- (i) सभी नये मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिर पूँजी के विनियोग पर 15% सब्सिडी की दर से (एक इकाई को 15 लाख रुपये तक अधिकतम राशि) (ii) निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों को 20% की दर से सब्सिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपये तक) यह सुविधा लघु व महायक उद्योगों साधन-आधारित उद्योगों व प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा 100% निर्यात-मुख्य उद्योगों को उपलब्ध होगी।

29 अगस्त 1992 की एक अधिसूचना के अनुसार राज्य-पूँजी विनियोजन सब्सिडी की स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया। इसके अनुसार जनजाति व NID में लघु पैमाने की इकाइयों के लिए सब्सिडी की नई दर 30% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक) तथा जनजाति क्षेत्रों व उद्योग रहित जिलों में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए नई दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक) कर दी गई। इसी प्रकार प्रवासी भारतीयों के लिए भी नई सब्सिडी की दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 लाख रुपये) कर दी गई।¹

2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम) श्रम गहन उद्योगों को दी गयी जिनमें प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री अधिनियम 1948 में पंजाकत)

यह विनियोग सब्सिडी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा शहरों की म्यूनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओं में स्थापित उद्योगों तथा जयपुर व कोटा शहरों की शहरी सकुलन सीमाओं (urban agglomeration limits) में नहीं दी गयी। बाद में इस सम्बन्ध में यह रियायत घोषित की गई कि रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को भी यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त होगी। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है जिसका इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है। लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय भार काफी बढ़ जायगा।

लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य

1 RIICO Newsletter October 1992 p 6 जनजाति क्षेत्रों में बासबाड़ा डूंगरपुर व उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तथा सिरोही जिले में आदरोड खण्ड को बड़ी इन्टर सब्सिडी का लाभ मिलेगा तथा उद्योगविहान जिलों (NIDs) में सिरोही, जैसलमेर, धरु व बाड़मेर जिलों को यह लाभ मिलेगा।

से अन्य राज्यों में हस्तान्तरित कर सकेगी उन्हें कर-दायित्व के 90% तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया। इन्हे श्रेणी (1) के जिलों में 11 वर्ष तक तथा श्रेणी (2) के जिलों में बिक्रीकर की 1989 की स्कीम के मुताबिक छूट दी गई तथा इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों को ग्यारह वर्ष तक के लिए बिक्रीकर से मुक्त रखा गया, वे चाहे जहाँ स्थित हों। 'पायोनियरिंग व प्रेस्टीजियस' इकाइयों को अपने कुल उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्रान्च ट्रांसफर के मार्फत बेचने की छूट दी गयी तथा अन्य लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए इनकी अधिकतम सीमा 60% रखी गयी।

(viii) जेम्स व स्टोन्स को बिक्री कर से मुक्त किया गया ताकि इनका निर्यात बढ़ सके।

(ix) बिक्री कर की एवज में 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की एक नई स्कीम लागू की गयी। इसमें वे इकाइयाँ की गईं जिनको बिक्री कर से अन्य किसी स्कीम में लाभ नहीं मिल रहा था।

चूगी से छूट- उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये नये उद्योगों को आठवीं योजनावधि में कच्चे माल पर चूँगी कर से छूट दी गयी। उन्हें आयातित मशीनरी पर चूगी कर नहीं देना होगा। विस्तार के लिये आयोजित मशीनरी पर भी चूगी नहीं देना होगी। कृषि आधारित लघु उद्योगों को सीधे किसान से अपनी जरूरत का माल खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा गया।

यह कहा गया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेगा। बितरण नीति में कुटीर उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया। इनके लिए आयातित कच्चे माल की व्यवस्था भी बढ़ायी गयी। हथकरघा बुनकरों, दस्तकारों तथा कारीगरों के लिए भी कच्चे माल की व्यवस्था बढ़ायी गयी।

विपणन राजस्थान का स्वयं का औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बड़ा नहीं है। इसलिए उद्योगों को विपणन की समस्या का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक नीति में विपणन के सम्बन्ध में निम्न उपाय सुझाये गये।

(i) वित्त विभाग के केन्द्रीय स्टोर्स क्रय सगठन ने सरकारी विभागों द्वारा लघु पैमाने के उद्योगों से 130 वस्तुओं को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाये थे। इनमें 34 वस्तुओं को और जोड़ा गया। राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगों को 15% का कीमत अधिमान (Price preference) दिया गया और अन्य को 10% का कीमत-अधिमान दिया गया। ये लाभ राज्य के विभिन्न विभागों या स्थानीय सस्थाओं के द्वारा की जाने वाली खरीद पर भी उपलब्ध होंगे।

(ii) यदि उद्योगों के सगठन अपने माल की बिक्री के लिए कम्पनी बनाते हैं तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी।

(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम एक व्यापार केंद्र व औद्योगिक म्यूजियम की स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं की नुमाइश व विपणन की व्यवस्था की जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता

इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाओं का विस्तार किया गया। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में इनके द्वारा खरीदे जाने वाले 4 हजार वर्गमीटर तक के भू-खण्डों की खरीद पर 50% तक रिबेट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 2% की रिबेट देता है और शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की स्कीम में इनके लिए 30% का आरक्षण किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इनको पावर कनेक्शन देने में प्राथमिकता देगा। जनब्रति उप-योजना में स्थापित उद्योगों को राजस्थान वित्त निगम ब्याज पर रिबेट 1) ९% से बढ़ाकर 1५% देगा। रीको भी इतना ही रिबेट देगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों में रीको शेयर पूंजी में 10% हिस्सा लेता है। अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित उद्योगों में 10% शेयर प्रदान करने के लिए एक पृथक शेयर पूंजी कोष स्थापित किया गया।

औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित नीति-

(i) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम चार्जेंज व पावर कटौती से मुक्त करने की सुविधा देता है। रुग्णता का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे जिला स्तर पर जारी करने की व्यवस्था की गयी। रुग्ण इकाइयों को दो वर्ष के लिए पावर कटौती से मुक्त रखा गया।

(ii) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई तथा रुग्णता के कारणों का पता करके इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गयी।

(iii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (BIFR) के विचाराधीन रुग्ण इकाइयों को निम्न रियायतें दी गयीं:-

(अ) पुनर्वास की अवधि में पांच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुमनि व दण्डस्वरूप ब्याज (penal interest) को छोड़ना,

(आ) विक्रीकर, क्रय-कर, विद्युत-शुल्क, आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास अवधि में स्थगन-राशि पर ब्याज के भुगतान से मुक्ति।

(इ) रुग्ण इकाई की अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग उस इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में किया जा सकता है। भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी या संस्था के मार्फत किया जाना चाहिए।

(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुग्ण इकाई की भूमि को वित्तीय सस्था को गिरवी रखने की इजाजत समय पर दे दी जायेगी।

(उ) राजस्थान वित्त निगम ने एक बिन्दु पर सहायता देने की स्कीम लागू की है जिसमे स्थिर पूँजी की 5 लाख रुपये की सहायता के साथ 25 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी भी दी जा सकती है। इससे रुग्ण लघु इकाइयो को कार्यशील पूँजी की सुविधा मिल सकेगी।

(ऊ) रुग्ण इकाइयो को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ जारी रचे गये।

(ए) रुग्ण लघु इकाइया के पुनर्वास के लिए भार्जिन मुद्रा कर्ज की स्कीम अधिक इकाइयो पर लागू करने के लिए अधिक कोष प्रदान करने पर जोर दिया गया।

यह आशा की गई कि इन विभिन्न उपायो को लागू करने से रुग्ण इकाइयो की पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी जिम्म उत्यादन व रोजगार को बनाये रखना सुगम होगा।

औद्योगिक नीति में औद्योगिक मूल का निर्यात बढ़ाने प्रवासी भारतीयो को आद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय सुझाये गये है । इस प्रकार दिसम्बर, 1990 की औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओ को हल करने की दिशा में कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाये गये थे।

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत ने सितम्बर 1991 में क्लकत्ता में औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान के दौरान निम्न पाँच नई रियामते घोषित की थीं।¹

(1) बिक्री कर स मुक्त या आस्थगन की स्कीम के लिए सम्पूर्ण राज्य को पिछड़ा घोषित कर दिया गया। पहले यह श्रेणी I व श्रेणी II जिलो में विभाजित किया गया था एव श्रेणी II के जिलो में बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की दर श्रेणी I के जिलो की तुलना में नीची दर से मिलती थी।

बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए बढ़ायी गयी (जैसे 5 से 7 वर्ष एव 7 वर्ष से 9 वर्ष तथा 9 से 11 वर्ष आदि) अतः इसे अधिक उदार बनाया गया।

(2) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयो (export oriented units) को अतिरिक्त लाभ दिये गये जैसे अति प्रतिष्ठामूलक इकाई को 11 वर्ष तक क्रय कर से छूट, इसे 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क की दायता से छूट, इसे 11 वर्ष

तक बिक्री कर की देयता में छूट, आदि।

(3) प्रवासी भारतीयों (NRIs) को स्थिर पूंजी विनियोग सब्सिडी 20% (अधिकतम राशि एक इकाई को 35 लाख रुपये) देने का निर्णय लिया गया। NRI की इकाई वह होगी जिसमें कुली इक्विटी में वह कम से कम 40% इक्विटी विदेशी करेसी के रूप में प्रदान करे।

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयों को अतिरिक्त बिक्रीकर सम्बन्धी रियायतें दी गईं। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया। स्टेनलेस स्टील की शीटों पर क्रय कर 3% से घटाकर 1% किया गया।

(5) सभी टाइनी औद्योगिक इकाइयों व कुछेक लघु उद्योगों को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RPCB) से 'No Objection Certificate' (NOC) लेने की शर्त से भी मुक्ति दी गयी।

आशा है इन रियायतों व छूटों से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
औद्योगिक नीति की समीक्षा

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नई औद्योगिक नीति काफी व्यापक व व्यावहारिक किस्म की है और इससे राज्य में साधन आधारित उद्योगों (resource based industries) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें समस्त राज्य में उद्योगों के लिए पूंजी विनियोग सब्सिडी का प्रावधान किया गया जिससे राजस्थान में भी औद्योगिक प्रेरणाओं व रियायतों की दृष्टि से पहली बार अन्य राज्यों के समकक्ष आ गया है बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भी आगे निकल गया है। सितम्बर, 1988 में केन्द्रीय सब्सिडी के बंद हो जाने के बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता का वातावरण छा गया था। अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सब्सिडी के बदले में राज्य सब्सिडी स्कीम को लागू करके इस अभाव की काफी सीमा तक पूर्ति कर ली थी। लेकिन इस दृष्टि से राजस्थान पीछे रह गया था। 1990 की नई औद्योगिक नीति ने इस अभाव की पूर्ति की है और उद्यमकर्ता राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आने लगे हैं।

राज्य में उद्योगों के लिए बिक्रीकर की रियायतें भी काफी उदारतापूर्वक दी गई हैं जिनसे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए जो उपाय सुझाये गये हैं उनमें इनका समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। इस प्रकार नई औद्योगिक नीति ने रोजगार सवर्द्धन उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रादेशिक असतुलनों को कम करने व औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की घरेलू उत्पात्ति में योगदान बढ़ाने के नये अवसर खोले हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में इस नीति का भारी स्वागत किया गया है। इसमें खादा ग्रामीण उद्योगों हथकरघा, दस्तकारी आदि के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है तथा उनकी समस्याओं के प्रति पूरी जानकारी दर्शायी गयी है और यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार

इनका विकास करने के लिए कृतसकल्प है।

स्मरण रहे कि एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की एक आवश्यक शर्त होती है लेकिन वह पर्याप्त शर्त नहीं मानी जा सकती। एक उचित औद्योगिक नीति विकास का आधार तो तैयार कर देती है लेकिन वास्तविक औद्योगिक प्रगति इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक नीति के साथ साथ राज्य के लिए मध्यमकालीन व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन (*Industrial planning*) की रूपरेखा भी तैयार की जाय जिसमें निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना लाभकारी हो सकता है

(i) कृषि व उद्योगों के बीच विकास की दृष्टि से परस्पर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए,

(ii) विभिन्न जिलों के अनुसार उद्योगों का चुनाव किया जाना चाहिए,

(iii) उद्योगों के लिए उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ पैमाने (scale) का चुनाव किया जाना चाहिए,

(iv) उद्योगों के लिए सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का चुनाव किया जाना चाहिए,

(v) विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर कड़ी (link) स्थापित की जानी चाहिए,

(vi) विभिन्न जिलों के उद्योगों में परस्पर कड़ी स्थापित की जानी चाहिए तथा

(vii) विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों व आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास में पर्याप्त ताल मेल बैठाया जाना चाहिए ताकि दोनों का सतुलित व एक साथ विकास किया जा सके।

अतः उचित औद्योगिक नीति के साथ साथ उचित औद्योगिक नियोजन की भी आवश्यकता है ताकि हम यह जान सकें कि आज से 10-15 वर्ष बाद हम राजस्थान की कैसी औद्योगिक स्थिति देखना चाहते हैं और उसके लिए हम आज क्या उपाय कर रहे हैं। औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को आवश्यक दिशा, गति व स्फूर्ति प्रदान कर सकता है। साथ में राज्य में 'औद्योगिक संस्कृति' को भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन व प्रशासक उद्यमकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयास करने में रुचि ले और राज्य में औद्योगिक वानावरण भी आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पानी बिजली परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा मनोरंजन आदि की दशाएँ सुधारनी होंगी ताकि अधिकाधिक उद्यमकर्ता राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सकें। इसलिए औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति के साथ साथ औद्योगिक नियोजन औद्योगिक प्रशासन व औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुविधाओं की भी नितान्त आवश्यकता है। इन सभी के सहयोग से राज्य अपनी औद्योगिक सभावनाओं

का पूरा-पूरा उपयोग करने में सक्षम व समर्थ हो सकता है। इस पर अधिक विवेचन आगे चलकर औद्योगिक विकास की बाधाओं के अध्याय में प्रस्तुत किया जायेगा।

राजस्थान की औद्योगिक प्रगति के दो वर्ष 1991-92 व 1992-93

1990 की नई औद्योगिक नीति को लागू करने के दौरान राको ने कई बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हैं। ये प्रोजेक्ट रसायन, इन्वॉलियरिंग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं।

नई औद्योगिक नीति वर्ष 1991 के प्रारम्भ में लागू हुई थी और पिछले दो वर्षों में राज्य में राको, राजस्थान वित्त निगम उद्योग निदेशालय व राज्य सरकार के सतत व अधिक प्रयत्नों के फलस्वरूप औद्योगिक विकास में नया मोड़ लिया है। कई नये औद्योगिक क्षेत्र चला किये गये हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (multinationals) ने राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने में रुचि लाई है, भारत के बड़े औद्योगिक घरानों की राजस्थान के औद्योगिक विकास में दिलचस्पी बढ़ी है और हाल में जयपुर-मवाई मधोपुर के बीच ब्रोडगेज रेल लाइन के बनने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले हैं। इन गतिविधियों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है -

ताज सूचना के अनुसार 1991-92 में जो प्रोजेक्ट अनुमोदित हुए उनमें 1800 करोड़ रुपये का विनियोजन सम्भव हुआ। 1992-93 में 79 परियोजनाओं में 'टाई-अप' में 3050 करोड़ ₹ का विनियोजन सम्भव हुआ है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 1992-93 में 14 MOUs पर हस्ताक्षर किये गये जो राको व उद्यमकर्ताओं के बीच हुए। इसमें लघु मध्यम तथा बड़े उद्योगों में रोजगार बढ़ा है। राको ने काफी धन व्यय करके विभिन्न स्थानों में उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त की है तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं - सड़क विजली पानी, आदि का विकास किया है।

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेनड्रट, तेल निकालने के संयंत्र (solvent extraction plants), आदि की औद्योगिक इकाइयाँ लगायी गयी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जयपुर से 15 किलोमीटर दूर आमेर के पाम कुकस (Kukas) में एरिक्सन (Ericsson) का इलेक्ट्रॉनिक सिस्तेम प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें स्वीडन का तकनीकी-वित्तीय सहयोग मिला है। इस प्रोजेक्ट की लागत 150 करोड़ रुपये है जिसमें स्वीडन का कम्पनी का शेयर 51% है जबकि राजका गुप का (भारतीय सहयोगी) 29% है तथा शेष 20% पब्लिक को दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी महत्वपूर्ण सहायक इकाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विकसित होंगी।

शहपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही ग्रेनड्रट के कई लघु पैनने के प्लांट लगे हुए थे। अब राको का मझेदगी में लाला ग्रेनड्रट लि (पत्तलश की हुई ग्रेनड्रट

स्लेब्स के लिए) तथा सारदा ग्रेनाइट लि (टाइलो के लिए) लगे हैं। बगरू मे 10 करोड रुपये की लागत से 100% निर्यातोन्मुख ग्रेनाइट इकाई लगी है। विश्वकर्मा मे देवडा ग्रेनाइट प्राइवेट लि ग्रेनाइटस्लेब्स का प्रोजेक्ट लगा है। भविष्य मे राजस्थान ग्रेनाइट के निर्यात में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है।

राज्य में तेल निकालने के सयंत्र - विरोपतया सरमो पर आधारित सयंत्र लगे है जिनमें 1/4 अकेले जयपुर जिले मे स्थित हैं। श्री सोल्वो फूड्स बस्सी मे (जयपुर के समीप) उत्पादन मे आ चुका है।

जयपुर से 10 किलोमीटर दूर कनकपुरा मे सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क स्थापित किया जा रहा है जो फिलहाल रील के भवन मे होगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन -¹

पिछले तीन वर्षों मे राज्य सरकार के प्रयासो व केन्द्र की उदार आर्थिक नीतियो के फलस्वरूप राज्य मे आठ देशो की मशहूर कम्पनियो ने 16 परियोजनाओ मे अपना सक्रिय सहयोग दिया हे। इससे करीब 1400 करोड रुपये की पूँजीगत लागत की परियोजनाओ की शुरुआत हो सकी है। इनमें से 7 प्रोजेक्ट तो उत्पादन मे आ चुके हैं, 6 क्रियान्वयन की अवस्था मे ह ओर 3 विचाराधीन हैं। जर्मनी अमेरिका, इटली स्वीडन जापान, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन व रूस के सहयोग से अलवर जिले के भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र मे 16 मे से 8 प्रोजेक्ट लगाये जा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट जयपुर के समीप लगे हैं और एक-एक जोधपुर, उदयपुर, आबूरोड, कोटा व अलवर मे लगे हैं तथा एक का स्थान तय होना बाकी है।

जिन सात परियोजनाओ मे उत्पादन चालू हो गया है उनमे 110 करोड रुपये की लागत आयी है। कुल 808 करोड रुपये की लागत की छ परियोजनाओ की स्थापना का काम पूरा होकर 1993 के अत तक उत्पादन शुरू होने की आशा है। 475 करोड रुपये की लागत की तीन परियोजनाओ पर औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (बिप) काम कर रहा है जिनके लिए भूमि आदि का चयन कर लिया गया है।

सबसे बडी परियोजना अमरीकी कम्पनी 'कोर्निंग' के सयुक्त तत्वावधान मे सैमूर ग्लास लि के नाम से कोटा मे स्थापित की जा रही है जिस पर 500 करोड रुपये की लागत आयेगी। इममे रगोन टेलीविजन पिक्चर र्यूबे बनेंगे।

जिन सात परियोजनाओ मे उत्पादन शुरू हो गया है उनमे ब्रिटेन की जिलेट कम्पनी के सहयोग से भिवाडी मे 50 करोड रुपये की लागत मे लगी शेविंग ब्लेड की परियोजना जर्मनी की प्रसिद्ध इडर (Eder) कम्पनी के सहयोग से भिवाडी मे पाँच करोड रुपये की लागत से भार उठाने वाली मशीने बनाने की

1 RIICO Newsletter March 1993, p 4 तथा राजस्थान पत्रिका 15 जनवरा 1993 पृ 16

परियोजना, जर्मनी की डी अरनेस्ट विटर एण्ड सोहन कम्पनी की भिवाडी में दो करोड़ रुपये की लागत से लगी रत्न सफाई (diamond impregnating segments) की परियोजना, अमरीका की बॉरा एण्ड लैम्ब कम्पनी की भिवाडी में 26 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित कान्टैक्ट लैन्स व चश्मे के फ्रेम बनाने की इकाई है। इटली की पेड्रिनो ग्रेनाइट्स ने जोधपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से मार्बल व ग्रेनाइट टाइल्स को मशीनरी बनाने की इकाई स्थापित की है। इटली की ही ब्रिटोन कम्पनी ने 12 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर में मार्बल उत्पाद तैयार करने की इकाई डाली है तथा जर्मनी की क्रिजले के सहयोग से भिवाडी में 10 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल घड़ियों के मॉड्यूल्स बनाने का काम चालू किया गया है।

जिन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है उनमें कोटा की 500 करोड़ रुपये की लागत वाली पूर्ववर्णित समूह ग्लास लि के अलावा निम्न इकाइयाँ हैं -

नाम (1) राजस्थान	वस्तु	स्थान	परियोजना की लागत
पेलीमर्स एण्ड रेजोन्स लि० (रूस के सहयोग से धापर गुप द्वारा)	ए बी एम रेजोन्स	आबू रोड	(करोड़ रु) 73
(2) सिक्का इण्डिया लि (स्विस सहयोग)	सिक्कूरिटीस्याही (विशेष प्रकार की)	भिवाडी	40
(3) क्लाइमेट कंट्रोल इण्डिया लि (अमेरिकी फोर्ड मोटर कम्पनी की सहयक)	एल्यूमिनियम रेडियेटर्स	भिवाडी	25
(4) एरिक्शन टेलिकॉम (इण्डिया) लि	इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम	कूकस (जयपुर)	150

(5) ग्रेपको ग्रेनाइट लि (अमरीकी बुडिआइम के सहयोग से)	रत्न तराराने के उपकरण	अलवर	20
---	--------------------------	------	----

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे राज्य में औद्योगिक विनियोग बढ़ रहा है तथा टेक्नोलोजी के नये आयाम सामने आ रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में उभरते हुए नये क्षेत्र -

(1) सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र - यह जयपुर के समीप सागानेर हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेडीमेड पोशाक दस्तकारी इलेक्ट्रॉनिक्स व ज्यूलरी आदि की इकाइयाँ एक साथ विकसित की जा सकती हैं। इसे जयपुर के एक सहायक औद्योगिक मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि आगे चलकर जयपुर पर जनसंख्या व आवासीय व्यवस्था का भार कुछ सीमा तक कम किया जा सके। ब्रॉडगेज रेल लाइन बनने से इसका महत्व बढ़ गया है।

(2) हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र - यह भी जयपुर के समीप स्थित है। यहाँ फ्रांस के सहयोग से एक सुगन्धित द्रव्य (इत्र) व सोदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) बनाने की इकाई (perfumery and cosmetics project) स्थापित की जा रही है जिसकी लागत 8 करोड़ रुपये होगी। हीरावाला क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है जो जयपुर को आगरा से जोड़ता है। यह कानोटा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

इसके अलावा दक्षिण राजस्थान में बासवाडा के समीप पौपलवा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह मार्बल व ग्रेनाइट के भण्डारों से घिरा है। उदयपुर का गुडली क्षेत्र विकास की तरफ अग्रसर है।

आशा है आगामी वर्षों में राजस्थान औद्योगिक विकास की दिशा में नयी करवटें लेंगी और यदि विकास की यही गति जारी रही तो राज्य इक्कीसवीं सदी के आरम्भ में भारत का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन पायेगा।

प्रश्न

- 1 राजस्थान की 1990 की नई औद्योगिक नीति का विवरण दीजिए। इसमें शामिल राजकोषीय प्रेरणाओं में पूँजी विनियोग सब्सिडी व बिक्री-कर की

रियायतों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

- 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-
 - (i) राजस्थान में उद्योगों के लिए वित्तीय व राजकोपीय प्रेरणाएँ
 - (ii) राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
 - (iii) प्रस्तावित विकास केन्द्रों का महत्व तथा
 - (iv) औद्योगिक नीति 1990 के प्रभाव
- 3 राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूह रचना क्या थी? नई सरकार की औद्योगिक नीति ने उसमें क्या परिवर्तन किये हैं।
- 4 राजस्थान सरकार की 1990 की नई औद्योगिक नीति किन अर्थों में पूर्व नीतियों से बेहतर माना जा सकती है? क्या इसमें औद्योगिक विकास की पूरी गारंटी मिलती है? इस नीति के औद्योगिक विकास पर प्रभावों का आकलन कीजिए।
- 5 औद्योगिक नीति 1990 के बाद राजस्थान के औद्योगिक विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। वर्ष 1991-92 व 1992-93 में राजस्थान के औद्योगिक विकास में इस नीति की क्या भूमिका रही है?

औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका (Role of Different Corporations in Industrial Development)

राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के सगठन जुड़े हुए हैं जिनमें अगस्त, 1986 में पुनर्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री हैं। यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगों को समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं व रियायतों का जायजा लेती है।

राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास में सम्बद्ध विभाग या सगठन या निगम इस प्रकार हैं

1. मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग -
 - (i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको)
 - (ii) राजस्थान वित्त निगम (आर एफ सी)
 - (iii) सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (बी पी ई)
2. ग्रामीण व लघु उद्योग-
 - (i) उद्योग निदेशालय
 - (ii) खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड
 - (iii) हथकरघा विकास निगम
 - (iv) राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)
3. इनके अलावा निम्न केन्द्रीय सगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक विभाग में सहयोग देते हैं-
 - (i) लघु उद्योग सेवा संस्थान
 - (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)
 - (iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई)

(iv) राजस्थान मलाहकार संगठन लि (राजकोन) (जिमका प्रवर्तन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया गया है)।

हम नीचे रीको राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम के कार्यों व उनकी प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ में अन्य सस्थाओं व संगठनों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको) (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd) (RISICO)

इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी थी लेकिन नवम्बर, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको का कार्यक्रम औद्योगिक विकास तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक मार्बजनिमक मामित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(i) प्रोजेक्टों को छाटना उनके लिए आशय पत्र (letters of intent) व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं में मिलकर या स्वयं उनका क्रियान्वयन करना

(ii) राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहन देना और उनका संचालन करना

(iii) प्रोजेक्टों की तस्वीरें (project profiles) प्रोजेक्टों की रूपरेखाएँ (project blueprints) व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना

(iv) उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए शोड उपलब्ध करना

(v) मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना जिमके निम्न रूप हो सकते हैं

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अन्तर्गत अवधि कर्ज (term loans) देना।

(आ) शेयरों का अभिगोपन (underwriting) करना तथा उनमें प्रत्यक्ष अंशदान करना। इसे इक्विटी में भाग लेना (equity participation) कहते हैं। अभिगोपन की प्रक्रिया में शेयर बिकवाने की व्यवस्था की जाती है जबकि प्रत्यक्ष अंशदान में स्वयं रीको कुछ शेयर खरीद लेता है।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरफ से सीड पूँजी (Seed Capital) उपलब्ध करना जो नये उद्यमकर्ता के अंशदान (promoter's contribution) की कमी की पूर्ति के लिये मामूली सर्विस चार्ज पर उपलब्ध की जाती है।

(ई) विक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा

(vi) प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करना।

इस प्रकार रीको औद्योगिक विकास व विनियोग से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करता है।

साधन (Resources)

रीको के वित्तीय साधन शेयर पूँजी ऋणपत्रों भारतीय औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता व राज्य सरकार से कर्ज तथा स्वयं के रिजर्व व बचतों में बने हैं। 31 मार्च 1992 को इसकी परिदत्त पूँजी लगभग 69.12 करोड़ रु थी (अधिकृत पूँजी 80 करोड़ रुपये जिसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजी में अपना अंशदान देती है। 31 मार्च 1992 को इसके द्वारा ऋणपत्र जारी करने से प्राप्त राशि 38.68 करोड़ रुपये हो गई थी। भारतीय औद्योगिक बैंक/लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त की वकाया राशि इस तारीख को 54.25 करोड़ रुपये हो गई थी।

IDBI ने रीको के कार्य की प्रगति को देख कर इसे पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी हैं। रीको अब 150 लाख रुपये तक के अवधि कर्ज स्विकृत कर सकता है, (पहले 90 लाख रुपये की सीमा थी)। यह सीमा 5 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों पर लागू की गया थी। अब रीको 10 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता दे सकता है। इसमें IDBI की साझेदारी भी होती है। इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टों को अखिल भारतीय संस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है।

सितम्बर, 1976 में (IDBI) ने रीको को वित्तीय सहायता के रूप में मान्यता प्रदान की थी जिसके बाद इसकी विनियोग सम्बन्धी क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई है। साधारणतया रीको संयुक्त क्षेत्र (joint sector) की परियोजनाओं की शेयर पूँजी (equity) में 26% अंश लेता है (जहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं) तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं (assisted projects) का 10% से 15% तक शेयर पूँजी लेता है।

इसकी दो सहायक कम्पनियाँ (subsidiary companies) इस प्रकार हैं -

(i) राजस्थान कम्प्यूनिकेशन्स लि (RCL) (ii) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि (REL)। एक नई सहायक कम्पनी I G Telecom/Limited 20 मई 1988 को पंजीकृत हुई है।

जून 1992 के अंत में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 9 798 औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न थीं।¹ 31 मार्च 1992 को इनकी संख्या 9 719 थी। मार्च 1992 के अंत में इसकी स्वयं की चालू इकाइयों पर संयुक्त क्षेत्र की 10 व सहायता प्राप्त क्षेत्र की 405 इकाइयाँ कार्यरत थीं। इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट पिछड़े क्षेत्रों में लगाये हैं तथा कुछ जनजाति क्षेत्रों में लगाये हैं। इस प्रकार रीको पिछड़े क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयत्नशील रहा है।

वर्तमान में रीको की स्वयं की दो परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- घड़ी व टू वे रेडियो संचार उपकरण परियोजनाएँ। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि नामक टीवी इकाई में पहले टेलीविजन सेट्स बनाये जाते थे लेकिन अब यह बंद कर दी गयी है। इसकी परिसम्पत्तियाँ (assets) भारत सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रुमेंटेशन लि कोटा को हस्तान्तरित की गयी हैं।

रीको की घाघ एमेम्बली इकाई ने लाउडस्पीकर डिजिटल क्लाक विद्युत इमरजेन्सी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनाई है। घड़ियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया गया है। 31 मार्च 1992 तक कुल 32 02 647 घड़ियाँ एसेम्बल की जा चुकी हैं।

रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं। इनमें कुछ के नाम व स्थान इस अध्याय के अन्त में एक परिशिष्ट में दिये गये हैं। रीको ने स्वयं के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टों में विदेशी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। आशा है रीको के प्रयत्नों से भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा।

रीको इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित ध्यान दे रहा है। 1985 86 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य 70 करोड़ रुपये था जो 1991 में बढ़कर 350 करोड़ रुपये हो गया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को इकाइयाँ लघु, मध्यम व बड़ी सभी आकार की हैं और उनका निरंतर विकास किया जा रहा है। सबसे अधिक व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं - समटेल ग्रुप का टीवी ग्लास शेल प्रोजेक्ट, इन्स्ट्रुमेंटेशन लि का इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स तथा मोदी ए आर ई का मोडेम्स (modems) आदि।

जैसाकि पहले बतलाया गया है ग्लास शेल प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये की लागत से कोटा में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसमें 200 करोड़ रुपये का विनियोग होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स प्रोजेक्ट, कूकम (जयपुर) में स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत 150 करोड़ रुपये होगी।

अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन व विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है और भविष्य में यह देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा।

रीको ने राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी राजस्थानियों व अन्य लोगों को राजस्थान में आकर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करने हेतु समय समय पर विभिन्न स्थानों में 'औद्योगिक अभियान (industrial campaigns) आयोजित किये हैं। इससे कुछ उद्यमकर्ता राजस्थान आने के लिये तैयार हो पाये हैं। 1991 में दिल्ली व कलकत्ता में आयोजित अभियान काफी सफल माने गये हैं।

यह विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भी आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है ताकि राज्य में औद्योगिक विनियोग बढ़ सके।

रीको द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति ¹

रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है

- (i) इक्विटी में योगदान देकर अर्थात् औद्योगिक इकाइयों की शेयर पूंजी में भाग लेकर,
- (ii) अवधि कर्ज (terms loans) देकर,
- (iii) बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज (interest free sales tax loan) देकर तथा
- (iv) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके।

लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य रूप अवधि कर्ज देना है जिसकी प्रगति नीचे दी जाती है।

अवधि-कर्ज (term loans) की प्रगति

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	वितरित राशि (करोड़ रुपये)
1990 91	36.1	12.6
1991 92	50.2	25.4
1992 93	53.9	35.8

इस प्रकार 1992 93 में रीको द्वारा अवधि कर्ज की स्वीकृत राशि 53.9 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से अधिक थी तथा वितरित राशि 35.8 करोड़

1 23rd Annual Report of RICO 1991 92 Direct & Rep't, pp (iii)-(xx) & 1992 93 एन.के. टाइम्स The Economic Times 18 April, 1993 p 10

रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से 40% अधिक थी। 1992-93 में वितरित राशि में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से रीको का देश में प्रथम स्थान रहा है।

1992-93 में स्वीकृत अवधि कर्ज की राशि 53.9 करोड़ रुपये उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 52.5 करोड़ रुपये से अधिक रही। प्रतिभूति घटाले अयोध्या की घटनाओं व बम्बई के साम्प्रदायिक दंगों के बावजूद यह प्रगति सराहनीय मानी जा सकती है। 1992-93 में अवधि कर्ज की वसूली (recovery) 26.8 करोड़ रुपये की रही जो पिछले वर्ष से 26% अधिक थी।

1992-93 को अवधि में 79 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया जिनमें कुल विनियोग की राशि 3050 करोड़ रुपये आकी गयी है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इसी वर्ष 14 मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (MOUs) पर हस्ताक्षर किये गये जो रीको व उद्यमकर्ताओं के बीच हुए थे।

वित्तीय सहायता के अन्य रूपों में प्रगति इस प्रकार रही

(करोड़ रु.)

(अ) इक्विटी (Equity)	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1990-91	1.14	0.81
1991-92	1.89	1.51
1992-93	11.20	6.48
(आ) विनियोग सब्सिडी		
1990-91	3.26	(वितरित नहीं)
1991-92	6.36	3.28

इस प्रकार रीको ने ब्याज मुक्त बिक्री कर को एवज में कर्ज व बीज पूंजी के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पिछले वर्ष का समायोजन करने व मूल्य हास तथा कर देने के बाद 1990-91 में रीको को 1.1 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो बढ़कर 1991-92 में 5.5 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

रीको ने विभिन्न उद्योगों के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने समुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने तथा अन्य उद्योगों को वित्तीय सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसका आगामी वर्षों में और विस्तार किया जायेगा।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्रगति-¹

जून 1992 के अंत तक रीको ने 187 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये थे। इसके सम्बन्ध में मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं -

- (i) अधिग्रहित भूमि (land acquired) 27 796 एकड़
- (ii) विकसित भूखण्डों (plots) की संख्या 20 185
- (iii) आवंटित भूखण्ड (plots allotted) 22,110 (सकल)
- (iv) उत्पादन में सलग्न इकाइयाँ (Units) 9 798

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रीको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने के कार्य में काफी सक्रिय रहा है। लेकिन विकसित भूमि व आवंटित भूमि के बीच काफी अंतर पाया जाता है। जून 1992 के अंत तक आवंटित भूखण्डों की संख्या विकसित भूखण्डों से अधिक पायी गयी। अतः भूखण्डों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव सही नहीं हुआ है। प्रत्येक जिले में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एक राजनीतिक प्रतिष्ठान का सूचक मानी जाती है। अधिकारा औद्योगिक क्षेत्रों में जल परिवहन व संचार की सुविधाओं की कमी पायी जाती है। इससे उद्यमकर्ताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

राजस्थान वित्त निगम (Rajasthan Financial Corporation)

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिये 1955 में स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

- (i) औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना,
- (ii) औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करना,
- (iii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये गये कर्जों पर गारंटी देना अथवा इनके द्वारा जारी किये गये स्टॉक शेयर, डिबेन्चर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनका अभिगोपन करने (Underwrite) में योगदान देना तथा
- (iv) नई औद्योगिक इकाइयों को सीड पूँजी (seed capital) देना, औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त कर्ज (बिक्री कर की एवज में) देने की व्यवस्था करना

औद्योगिक सचिपडडी देना तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना, जो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन विस्तार या पुनर्जीवन (revival) के लिये आवश्यक मानी जाती हैं। यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिये कर्ज की व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त निगम की लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की कई स्कीमों कार्यरत हैं। इनका परिचय नीचे दिया जाता है।¹

(1) कम्पोजिट कर्ज की स्कीम इसके अन्तर्गत ग्रामीण, व उर्द्ध शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर उद्योगों व टाइना क्षेत्र की औद्योगिक इकायों में सलग्न व्यक्तियों की वित्तीय सहायता दी जाती है। 1991-92 में 605 उद्यमकर्ताओं को लगभग 191 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। मध्य, 1992 के जन तक इस स्कीम के अन्तर्गत कुल 426 करोड़ रुपये के कर्ज का व्यवस्था को जा चुकी है। इससे उत्पादन व स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिली है।

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(3) शिल्पबाडी स्कीम यह स्कीम 1987-88 में ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों व दस्तकारों को लाभ पहुँचाने के लिये प्रारम्भ की गई थी। अब तक 160 शिल्पबाडियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये मकान वर्क-शेड उपकरण कच्चा माल व कार्यशील पूँजी के लिये प्रति शिल्पी 50 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध की गयी है। इसके अन्तर्गत शिल्पियों को भवन निर्माण के लिये कुछ राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध की जाती है। 1990-91 में 327 कारीगरों को 0.87 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी। 1991-92 में 51 कारीगरों को 3 शिल्पबाडी स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

(4) टेक्नोव्रेट स्कीम इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार में सलग्न हो सकें।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के (पुनर्वास) निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अन्तर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किये गये हैं। यह SEMFEX स्कीम कहलाती है।²

(6) महिला उद्यमकर्ता महिला वर्ग में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष अभियान चलाये गये हैं। 1991-92 में 116 महिलाओं को 360 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

1 37th Annual Report, 1991-92, RFC Directors Report, pp 1-12

2 Self-employment For Ex servicemen

(7) सन्निडी की एवज में कर्ज की स्कीम 30 सितम्बर, 1988 के बाद केन्द्रीय सन्निडी के बद हो जाने पर निगम ने सन्निडी की एवज में कर्ज देने की स्कीम प्रारम्भ की ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में बाधा न पड़े।

(b) सहायता का एक खिड़की स्कीम (single window scheme) निगम ने इस स्कीम के अन्तर्गत इक्कट्टे 75 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का पञ्चधान किया है जिसमें 5 लाख रुपये स्थिर पूँजी के होते हैं और 25 लाख रुपये कार्यशील पूँजी के होते हैं। इससे एक ही सस्था से उद्यमकर्ता की दोनो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में उपयोगी कदम उठाया गया है। इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टों की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गयी है।

इस प्रकार निगम ने वित्तीय सहायता देने के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये हैं। इससे दश प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचा है। पर्यटन को समुन्नत करने के लिये हटल उद्योग के विकास के लिये कर्ज दिये गये हैं।

निगम के वित्तीय साधन ¹

राजस्थान वित्त निगम के पूँजीगत साधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं (i) शेयर पूँजी से जिसकी राशि 31 मार्च, 1992 को 55 175 करोड़ रुपये (पचदश पूँजी) थी। यह राशि स्पेशल शेयर पूँजी के बिना थी। 2 करोड़ रुपये की स्पेशल शेयर पूँजी राज्य सरकार व IDBI के पास थी। (ii) इसे IDBI व SIDBI (सदु बैंक) दोनों से पुनर्वित्त के रूप में सहायता मिलती है। (iii) निगम बाड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता है तथा अपने रिजर्व कोष का भी प्रयोग करता है।

निगम द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृत व वितरित राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है

(करोड़ रु)

	1989 90	1990 91	1991 92	1992 93
स्वीकृत राशि	110.2	126.6	162.6	168.0
वितरित राशि	65.0	80.5	101.5	107.8

इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 1992 93 में 107.8 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष से 6.3 करोड़ रुपये अधिक थी। समस्त भारत में विभिन्न राज्य वित्त निगमों द्वारा कुल वितरित राशि में राजस्थान वित्त

निगम का योगदान मार्च, 1992 तक 66% रहा जो सतोषजनक माना जा सकता है। मार्च, 1992 तक 683.8 करोड़ रुपये की कुल वितरित राशि में 438 करोड़ रुपये की राशि पिछड़े क्षेत्रों (backward areas) को मिली जो कुल राशि का 64% (लगभग 2/3) थी। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। 1955-56 में इसके द्वारा वितरित राशि केवल 1.85 करोड़ रुपये रही थी। इस प्रकार अपने कार्यकाल में इसने वितरित राशि में काफी प्रगति की है। 1992-93 में कर्ज की वमूली 110.82 करोड़ रुपये की हुई। 1992-93 में ऋण-स्वीकृतियों के आधार पर 200 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है जिसमें 15 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जा सकेगा।

1993-94 के लिए निगम ने 180 करोड़ रुपये की ऋण-स्वीकृति तथा 120 करोड़ रुपये के ऋण वितरण एवं 127 करोड़ रुपये की ऋण-वमूली का लक्ष्य (target) रखा है। निगम अब खनन कार्यों के लिए भी ऋण देगा और इम क्षेत्र के नये उद्यमियों को 10 लाख रुपये की कायशौल पूंजी भी देगा।¹

विभिन्न जिलों के अनुसार वितरित राशि काफी भ्रममान रही है। जयपुर जिले में अधिक राशि वितरित हुई जबकि जेमलमेर जिले में कम राशि वितरित की गई है। लेकिन इमका प्रमुख कारण विभिन्न जिलों के लिए प्रोजेक्टों को मात्रा में अन्तर पाया जाना रहा है।

वार्षिक लाभ की स्थिति - 1989-90 से निगम के लिए कर से पूर्व लाभ की स्थिति इस प्रकार रही। इसमें मूल्य ह्रास के बाद शुद्ध लाभ दिखाया।

कर से पूर्व शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)		
1989-90	1990-91	1991-92
7.38	6.12	8.37

1991-92 में 2.61 करोड़ रुपये के कर का प्रवधान करने के बाद इमको 5.76 करोड़ रुपये का विशुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

आगामी वर्षों में राजस्थान वित्त निगम को राज्य के औद्योगिक विकास में और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इमके लिए इसके वित्तीय माधनों में वृद्धि करनी होगी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयत्न करने होंगे। विभिन्न स्कीमों का पुनरीक्षण करना होगा ताकि उनमें अधिक लाभ प्राप्त किये जा सके। निगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में होटल, मोटल एवं रेस्टोरेट आदि खोलने के लिए भी ऋण देगा। पर्यटन के विकास के लिए

विश्राम स्थल स्थापित करने एवं बड़े शहरो व जिला मुख्यालयो मे शो रूम खोलने के लिए भी पूँजी की व्यवस्था करेगा।

**(3) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि (राजसीको)
(Rajasthan Small Industries Corporation Ltd)
(RAJSICO)**

यह जून 1961 मे एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप मे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था।

इसके मुख्य कार्य निम्नांकित है

(i) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयो को कच्चे माल साख तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता वस्तुओ की बिक्री प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है तथा उनके हितो को आगे बढ़ाता है

(ii) उद्यमकर्ताओ व दस्तकारो को आवश्यक सुविधाए प्रदान करके हस्तशिल्प क्रियाओ का विकास करता है

(iii) बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयो मे आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाइयाँ बड़े पैमाने के लिए सहायक माल तैयार कर सके

(iv) ऊनी यार्न गलीचो कम्बलो आदि का उत्पादन कर सकने के लिए सयत्र प्राप्त करना स्थापित करना तथा उनको चलाना एवं

(v) लघु उद्योगो मे सयत्रो की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

पूँजी का ढाँचा 1989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन 6 15 करोड रुपये के थे जिनमे राज्य सरकार की परिदत्त पूँजी की राशि 3 99 करोड रुपये थी तथा राज्य सरकार के अलावा अन्य स्रोतो से अवधि कर्ज की राशि 1 38 करोड रुपये थी। शेष राशि अन्य स्रोतो से प्राप्त परिदत्त पूँजी व रिजर्व तथा सरप्लस के रूप मे थी।

यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण की व्यवस्था करता है। इसके मार्फत लोहा व इस्पात कौयला व कोक जस्ता स्टेनलेस स्टील ब्रास शीट आदि वितरित किये जाते हैं। यह दस्तकारों के 12 एम्प्लोरियम भी चलाता है जिनमे बिक्री की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं जिनकी सख्या 1989 90 में 33 थी जिनमे से 4 केन्द्र जनजाति क्षेत्रो मे स्थापित किये गये थे।

निगम की देखरेख मे चुरू व लाडनू की ऊनी मिले संचालित की गयी हैं। यह टोक में मयूर बीडी फैक्ट्री चलाता रहा है तथा तेदू की पत्तियो का संग्रह करवाता है। इसने सागानेर एयरपोर्ट पर 'एयर कारगो काम्प्लेक्स' की स्थापना में

मदद दी है जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है। भविष्य में इसका कार्यक्रम उन आधारित होजियरी काम्पलेक्स व टक चैसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है। इसने एक फर्नाचर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है।

निगम की वित्तीय कार्य सिद्धि- राजस्थान लघु उद्योग निगम लगातार घाटे में चलता रहा है। 1980-81से 1990 91 तक के ग्यारह वर्षों में इसे 10 वर्षों में घाटा रहा। 1985 86 में घाटे की राशि लगभग 72 लाख रुपये रही जो सर्वाधिक थी। पिछले वर्षों में घाटे की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है

वर्ष	निगम का घाटा (लाख रुपये में)
1988 89	3 9
1989 90	10 5
1990 91	29 6

निगम का घाटा 1990 91 में 29 6 लाख रुपये का रहा जो पिछले वर्ष से अधिक था। भविष्य में इसकी स्थिति सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक से जाँच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय काम में लिये जा सकें।

वर्षों तक घाटा उठाने के बाद इसे 1991 92 में 5 लाख रुपये का मामूली सा मुनाफा हुआ है। चुरु व लाडनू की ऊनी मिलों में लगातार घाटा हुआ है।

औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निगम व सगठन

(1) सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises)

राजस्थान में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है जिसमें वित्त सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य हैं। इसमें राजकीय उपक्रमों में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में लिये जाते हैं।

ब्यूरो के कार्य इस प्रकार हैं-

(i) सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करना व इनका मूल्यांकन करना (ii) इनके प्रबंध टेक्नोलोजी आदि में सुधार के उपाय मुझाना (iii) विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों कल्याण कार्यों मजदूरी ढाँचे आदि में समरूपता लाना (iv) कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन निर्माण की स्कीमों आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा (v) उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना।

(2) उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)

इसका मुख्य उद्देश्य लघु, टाइनरी ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास में मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से औद्योगीकरण हो सके। इसके लिए यह

जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है स्थानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार-संवर्द्धन व विकास में प्रादेशिक सतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह औद्योगिक सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्टें तैयार करने में सहायता देता है। यह औद्योगिक अभियान में योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते हैं। यह वित्तीय सहायता विपणन निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक सहकारिताओं हथकरघा उद्योग ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति मरुप्रदेश व नहरी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास नमक उद्योग, रुग्ण व बंद इकाइयों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक योगदान देता है।

(3) जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centres) -

यह जिला स्तर पर एक केन्द्र चालित कार्यक्रम है जो कुटीर व ग्रामीण तथा लघु व टाईनी उद्योगों से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें ग्रामीण व छोटे कस्बों में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं। राज्य के 30 जिलों में ये केन्द्र कार्यरत हैं। ये साधनों की उपलब्धि की जाँच करते हैं साख की सुविधा प्रदान करते हैं विपणन सहायता देते हैं एवं ग्रामीण विकास खण्डों व खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरघा विकास निगम राजसीको आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करते हैं।

इनके अलावा राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरघा विकास निगम आदि सस्थाएँ भी अपने अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का विकास करने में कार्यरत हैं।

अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता - ¹

अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओं ने राजस्थान को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय सस्थाओं द्वारा वितरित राशि का विवरण इस प्रकार है।

(अ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ने राजस्थान को 1948 92 की अवधि में लगभग 447 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की। मार्च 1992 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थान का अंश 5.2% था जबकि महाराष्ट्र का 16% था।

(आ) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (ICICI) ने मार्च 1992 तक राजस्थान को लगभग 519 8 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट वित्त सहायता

1 Report on Development Banking in India 1991 92 IDBI December 1992
Various tables p 107 p 113 p 121 p 133 p 159 p 165 & p 179

वितरित की। अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का अंश 4.1% तथा महाराष्ट्र का 27.2% रहा है।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने 1964-92 की अवधि में राजस्थान को लगभग 1550 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की। अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का अंश 4.2% तथा महाराष्ट्र का 15.3% रहा।

(ई) अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा वितरित सहायता की राशि- भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मार्च 1992 तक राजस्थान को कुल 143.7 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की जो कुल वितरित राशि का 2.1% मात्र था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI) ने मार्च 1992 तक लगभग 37.9 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 3.5% रही थी। जीवन बीमा निगम ने 109.4 करोड़ रुपये की सहायता राजस्थान को वितरित की जो कुल सहायता का 2.6% मात्र थी।

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं ने अब तक राजस्थान को बहुत कम मात्रा में वित्तीय सहायता वितरित की है। इसका कारण राजस्थान में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रोजेक्टों का अभाव माना गया है।

इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा 1990-91 व 1991-92 की अवधि में राजस्थान को वितरित की गई सहायता की राशियाँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं जिससे विभिन्न संस्थाओं के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है।

राजस्थान को विभिन्न संस्थाओं द्वारा वितरित राशि की मात्रा

(करोड़ रु में)

		1990-91	1991-92
1	IFCI	80.5	90.1
2	ICICI	62.9	86.5
3	IDBI	157.9	226.2
4	LIC	17.2	18.1
5	UTI	20.2	25.4
6	IRBI	3.9	3.8

इस प्रकार अखिल भारतीय संस्थाओं में राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का रहा है जिसके द्वारा वितरित सहायता की राशि 1991-92 में 226 करोड़ रुपये की रही थी।

भविष्य में राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज होने की आशा है। तब अखिल भारतीय सावजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं पर उद्योगों के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी

आयोग। आशा है भविष्य में ये सस्थाएँ वित्त को समुचित व्यवस्था कर पायेगी और उद्योगों का विकास वित्त के अभाव में अवरुद्ध नहीं होगा।

प्रश्न

- 1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम (रीको) के कार्यों पर प्रकाश डालिए। इसकी प्रगति की समीक्षा कीजिए।
- 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -
 - (i) राजस्थान वित्त निगम- कार्य व प्रगति
 - (ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राज्य के औद्योगिक विकास में भूमिका
 - (iii) रीको के कार्य व प्रगति का विवरण।
- 3 राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस वित्तीय सस्था का योगदान सर्वोपरि रहा है और क्यों ? समझाकर लिखिये।
- 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगे विभिन्न वित्तीय सस्थाओं का वर्णन कीजिए।

(Raj I yr 1992)

- 5 राजस्थान के औद्योगिक विकास में RFC RIICO एव RAJSICO की भूमिका की विवेचना करे।

(Ajmer I yr 1992)

परिशिष्ट

(i) मार्च 1992 के अंत में रीको के तत्वावधान में सयुक्त क्षेत्र (Joint Sector) की कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार हैं

नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु का नाम
1 जयपुर मिन्टेक्स लि., बहरोड	सिन्थेटिक यार्न
2 राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि जयपुर	दवाएँ
3 राजस्थान एक्सप्लोजिक्स एण्ड केमिकल्स लि., धौलपुर	विस्फोटक (detonators)
4 राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लि., जयपुर (REIL)	विद्युत मिल्क टेस्टर (tester)
5 डारबी टेक्मटाइल्स लि जोधपुर	सिन्थेटिक यार्न

(दूध विश्लेषक यंत्र इसे केन्द्रीय उपक्रम भी माना गया है)

6 स्वदेशी मांमेट लि, कोटपूतली सीमेंट

सयुक्त क्षेत्र की अधिकारा इकाइयाँ सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं एव शेष अन्य वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पहले कई इकाइयाँ सयुक्त क्षेत्र में स्थापित हुई थीं लेकिन उनके प्रवर्तकों द्वारा वे शेषर खरीद लिये जाने पर जो पहले रीको ने खरीदे थे अर्थात् 'बाइ-बैक' (buy back) की नीति के अन्तर्गत कार्रवाई हो जाने पर, वे अब सयुक्त क्षेत्र में नहीं हैं। वे अब निजी क्षेत्र की इकाइयाँ बन गई हैं। इसके अलावा कुछ सयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ मरण हो जाने में बन्द भी हो गई हैं, तथा कुछ औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के तहत त्रिविधरार्थी हैं। अतः वर्तमान में सयुक्त क्षेत्र का इकाइयाँ बहुत कम रह गये हैं।

(ii) रीको की सहायता-प्राप्त क्षेत्र की इकाइयाँ
(Assisted Sector Units)

रीको ने सयुक्त क्षेत्र के अलावा सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजनाओं (Assisted Sector Projects) को भी प्रोत्साहित किया है जिनमें कई इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है, कुछ क्रियन्वयन की अवस्था में हैं, तथा कुछ इकाइयाँ फिलहाल पड़प-लाइन में हैं। जिन इकाइयों में उत्पादन चालू हो गया है उनमें सूती व ऊनी उद्योग, वनस्पति तथा ग्रेनाइट व मगमरमर आदि की इकाइयाँ हैं। वित्तीय मद्दनों के अभाव के कारण आजकल रीको सयुक्त क्षेत्र की तुलना में सहायता-प्राप्त क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देने लग रहा है क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूँजी लगानी होती है। मार्च 1992 के अंत में इनकी मख्या 405 आकी गयी है।

रीको ने कुछ सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थापना में योगदान दिया है, वे इस प्रकार हैं

नाम व स्थान	उत्पादित वस्तु
1 अभियेक ग्रेनाइट लि अबू रोड	मर्बल टाइल्स
2 एलड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मेनेटिक्स लि, उदयपुर ।	कम्प्यूटर की फ्लोपी डिस्क
3 ग्लोबल ग्रेनाईट लि अबू रोड	ग्रेनाइट कटिंग
4 गुलशन केमिकल्स लि, भिवंडी	केमिकल्स
5 परमगन्धुगिया सिन्थेटिक्स लि, भिवंडी	फिलामेंट यार्न की टेक्सचराइजिंग
6 मेरी एल्केलॉय एण्ड केमिकल्स लि, अलवर	कॉम्पिक मोटा व महायक पदार्थ
7 के (kay) पेलीप्लैस्ट लि, उदयपुर एच डी पी इं बैंग	
8 ओम मर्बल्स लि, अबू रोड	मर्बल कटिंग एण्ड स्लेब्स

पर्यटन-विकास (Tourism Development)

परिचय - राजस्थान में उद्योगों के साथ साथ पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं व कलाओं के लिए जाने जाते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस हवा महल रामबाग पैलेस जतर मत्त, और सैन्ट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध है। जयपुर के पास कनक वृन्दावन आमेर व सिसोदिया रानी का बाग दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के रूप में सारे सप्ताह में प्रसिद्ध है। जोधपुर के मोती महल, फूल महल व मान महल तथा सिलह खाना (Silah khana) पत्थर पर कारीगरी के अद्भूत नमूने हैं। उदयपुर अपनी झीलों फव्वारों व महलों के लिए विख्यात है। सहलियों की बाड़ी प्रताप स्मारक उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयममद कृत्रिम झील तथा रनकपुर के जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं। माउण्ट आबू में एक हजार वर्ष पुराने देलवाडा के जैन मन्दिर उच्च श्रेणी के मार्बल से बने हैं। इसी प्रकार राज्य में अन्य छोटे छोटे कस्बों की हवेलियों की चित्रकारियाँ भी मनमोहक हैं और राज्य के विभिन्न त्योहार, उत्सव मेले गीत संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ लोक-कथाएँ, आदि बरबस देशी व विदेशी पर्यटकों को सदियों से आकर्षित करती रही हैं और भविष्य में भी करती रहेगी।

इस अध्याय में पर्यटन विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जायगा।

(अ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका

(1) विदेशी मुद्रा का अर्जन- आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष कई अरब रूपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफी ऊँचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले तीन विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। राजस्थान में पर्यटकों विशेषतया विदेशी पर्यटकों का आगमन काफी बढ़ गया है। 1984 में देशी पर्यटकों की संख्या 30 40 लाख व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 60 लाख थी -ने 1992

में बढ़कर कमश 45 लाख तथा 5 लाख हो गई। 1992 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में एक लाख की वृद्धि हुई।¹

इस प्रकार सातवीं योजना में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई। 1978-79 में 21% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे 1992 में इनकी संख्या 33% तक पहुँच गयी है। अब सामान्यतया एक तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान आने लगे हैं। आजकल पर्यटकों का आना जाना सभी मौसमों में बना रहता है।²

(2) रोजगार का साधन अब राज्य में पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दे दिया गया है। इसमें किये गये विनियोग की तुलना में यह काफी रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक आठ विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल परिवहन हथकरघा उद्योग दम्तकारियों आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामाभ्युत्थान का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास में प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णतया पर्यटन पर आश्रित है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों को गोवा व राजस्थान की ओर मुड़ना पड़ा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारणों से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है।

(3) सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग- पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियों में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। झुन्झुनूँ जिले के महानगर (महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना चादी की हवेली के अनुरूप मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियाँ पर्यटकों के लिए देखने लायक हैं। इनमें मोरो की हवेली तथा घोदारो सेकसरिया भगत मानसिंधका छावलरिया आदि की हवेलियों में मनमोहक चित्र अंकित हैं।

1 राज पत्रिका 19 अप्रैल, 1993 पृ 6

2 Strategy of Development of Tourism with special reference to RTDC during five year plan period in High Power Committee Report on Strategy for Industrial Development in Eighth five year plan Vol II 1989 p 171

इन चित्रों में झाकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि ये हवेलियाँ आज सूनी पड़ी हैं क्योंकि इनके ज्यादातर सेठ लोग बड़े शहरों में बस गये हैं, लेकिन यहाँ से उनका सम्पर्क अभी भी बना हुआ है।¹ इसी प्रकार अन्य कस्बों जैसे मण्हावा आदि की हवेलियों में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभावने लगते हैं। उनका पर्यटन-विकास-माला में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरों में महल, किले व अन्य इमारतें, झीलें आदि पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ के मेलों, त्योहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं उनको देखकर विदेशी पर्यटक हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतया कठपुतलों के खेल आदि में अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का तथा उन्हें विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मह-मेला वाम्तव में काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान 'सांस्कृतिक पर्यटन' में योगदान बनाये हुए है, हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-पर्यटन (holiday tourism), सफारीज (जैसे ऊँट पर पर्यटकों का भ्रमण (camel safan) वन्य जीव अभयारण्य (wild life sanctuaries) आदि) का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर में 'हाथी-सफारी' का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है।

इसलिए राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है, लेकिन भारत में विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति में राज्य में भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना स्वाभाविक है। अतः राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य को अर्थव्यवस्था को सबल करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे रोजगार के माधुन बढ़ेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, परिवहन, संचार आदि) का विकास होने से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा, पर्यटकों के व्यय से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा मिलने वाले निर्यात आर्डरों से निर्यात-संवर्द्धन भी होगा एवं सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के रख-रखाव व उनके आस-पास के स्थानों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इसमें राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होंगे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास से रोजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, आदि में मदद मिलती है, उसी प्रकार पर्यटन भी इन दिशाओं में अपना योगदान करता है।

(ब) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ -

(i) सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural tourism)- सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जाना

1 मदनरावण अर्जुन हवेलियों की पहचान, पवनगड राज पत्रिका 28 मार्च 1993

चाहिए ताकि यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है राजस्थान में आज भी 'सांस्कृतिक पर्यटन' के विस्तार का क्षेत्र है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी सम्पन्न है और राज्य के पाचीन किले (अलवर की नीलकंठ भृंहरी बाला किला) महल, धार्मिक म्थल हवेलियाँ व अन्य भवन तथा इमारतें और साथ में लोक नृत्य व संगीत तथा दस्तकारियाँ पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों को सुन्दरता बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ प्रति वर्ष जायरीन आते हैं।

राज्य के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देकर एक तरफ उनका परम्परागत कलाओं व प्रतिभाओं को प्रथम व संरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता है। इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी व मार्बर्जनिक कला केन्द्रों का विकास किया जाना चाहिए।

(ii) सभा/सम्मेलन पर्यटन (Convention Tourism) सभाओं या सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं का उपयोग किया जा सकता है। आन्तक राजनीतिक व्यवसायिक शैक्षणिक अण्डि क्षेत्रों में विभिन्न मण्डल अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। इसके लिए सभागारों की आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके लिये प्रायः होटलों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। अतः जयपुर में विडला सभागार केन्द्र की भाँति अन्य स्थानों में केन्द्रों की स्थापना में भी इस दिशा में मदद मिल सकती है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर व माउण्टआबू आदि स्थानों पर आधुनिक किम्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ हैं। इससे भी पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा। सम्मेलनों में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनिय स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा और उन स्थलों का विकास भी हो सकेगा।

(iii) खेल कूद व साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन (Sports and Adventure Tourism) हालाँकि राजस्थान में इस प्रकार के पर्यटन के अवसर सीमित हैं फिर भी यहाँ के मरु प्रदेश में ऊँट सफारी (camel safari) पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सकती है। शेखावाटी के टीलो में एव विशेषतया जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर, तथा गगानगर की नोहर व भादरा तहसीलों में एव बाडमेर के क्षेत्र में इसका विकास किया जा सकता है। राज्य की झीलों में साधारण रूप में नावों का उपयोग होता है लेकिन कोई बड़े पैमाने पर जल क्रिडाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है।

राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन (wild life tourism) के विकास की सम्भावनाएँ अवश्य हैं और भरतपुर, सर्वाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव

अभयारण्यों (sanctuaries) में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने वाले लगभग 5% पर्यटक)। केवलादेवो पक्षी विहार, घाना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। रणथम्भौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसमें साम्भर, नीलगाय, चातल आदि जानवर भी विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर है। मूलतः यह बाघों का आवास है। यहाँ भी अन्य वन्य जीव पाये जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमड़ी खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाये जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महस्थल के सुदूर आन्तरिक भाग में ही अपनी वंश वृद्धि करते हैं। यह गाडावन पक्षी के नाम से मशहूर है। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य में यह राष्ट्रीय पार्क (जैसलमेर) कुम्भलगढ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है।¹

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ निहित हैं। यहाँ सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटकों (घरेलू व विदेशी) सभा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने वाले पर्यटकों आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

अब प्रश्न उठता है कि राज्य में पर्यटन का तीव्र गति से विकास कैसे किया जाय। मोहम्मद युनुस की अध्यक्षता में नियुक्त पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी इसका उचित दिशा में विकास सम्भव हो पायेगा। हर्ष का विषय है कि हाल में राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया है जिससे इसके विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएँ अधिक सुगमता से दूर की जा सकेंगी। पर्यटन के विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है।

(स) पर्यटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल²

1 भूमि की समस्या पर्यटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास होने से होटल व पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का

1 Nil ma Jauhari, Planning for Tourism An Approach, a paper presented in the Conference on Development Reconsidered SID Rajasthan Chapter January 12 14 1991 Jaipur

2 Strategy of Development of Tourism, as quoted in the Beginning in Vol. II pp 172 177

मिलना कठिन होता जा रहा है। अतः नगर नियोजन में रियायती दरों पर इनके लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी बनाना सम्भव हो सकता है।

2 केन्द्रीय व राज्यीय पूँजी सन्निधि के रूप में वित्तीय सहायता जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूँजी सन्निधि का प्रावधान किया गया है उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र के अभावों को ध्यान में रखते हुए नये प्रोजेक्टों के लिए पूँजी सन्निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किये जा सकें।

3 उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र के विकास में उद्योगों की तुलना में अधिक समय लगता है। इसलिए विनोय मस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनका 10% माजिन मन (उद्यमकर्ता द्वारा लगायी जाने वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलना चाहिए तथा ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान का अवधि 15 वर्ष रखी जा सकती है। अलग-अलग नगरों के ऋण चुकाने की अवधि की कानूनी छूट (moratorium period) तीन से सात वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट की अवधि बढ़ाने से उद्यमकर्ताओं को सहूलियत होगी क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में सामान्यतया अधिक विलम्ब हुआ करता है।

4 नये होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की व्यवस्था नये होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वित्तीय सस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो जाता है। इसलिए होटल उद्योग के लिए सन्निधि व कर्ज के साथ-साथ इक्विटी पूँजी की व्यवस्था भी बढ़ायी जानी चाहिए। इससे निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य रीको द्वारा उद्योगों को भाँति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है अथवा एक पृथक् पर्यटन विकास निगम की स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर की जा सकती है ताकि उद्यमकर्ताओं को वित्त के अभाव का सामना न करना पड़े।

5 करो में रियायती व छूटे बिक्री कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों के लिए (विभिन्न श्रेणियों के नगरों के अनुसार) छूट दी जानी चाहिए। चूँकि पर्यटन क्षेत्र विदेशी विनिमय अर्जित करने में मदद देता है इसलिए पञ्जीकृत विश्राम गृहों व होटलों में अलकोहल युक्त पेय पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क में कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इनमें बॉयलर की बिक्री की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। होटलों में प्रयुक्त होने वाले आयातित उपकरणों व साज सामान पर आयात शुल्क में 50% की छूट दी जानी चाहिए। डीजल जेनरेटिंग सेट की खरीद पर सन्निधि दी जानी चाहिए।

6 होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएँ होटल उद्योग

का विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का आवंटन इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सकता है। इनके लिए पानी व बिजली की दरों का निर्धारण उद्योगों की भाँति ही किया जाना चाहिए। जो रियायतें व छूटे नये उद्योगों को दी जाती हैं वे पर्यटन क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए।

7 पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार— ऊपर पर्यटकों के लिए होटल व्यवस्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियों की सख्या के बढ़ने के कारण पाच या चार सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था अपर्याप्त रहती है। इसलिए इसको बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए जिन सरकारी इमारतों का वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं होता है उनको होटलों या पर्यटन बगलों में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए। सरकारी दफ्तरो के निर्माण कार्य को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो सरकारी भवन शुरू में होटल की दृष्टि से बनाये गये थे और बाद में उनमें सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिये गये थे खाली कराकर पुनः होटल के लिए काम में लिये जा सकें। इनके अलावा कई निजी भवनों में भी काफी जगह खाली पड़ी रहती है जिनके मालिक सम्भवतः अतिरिक्त आमदनी के लिए उनका उपयोग पर्यटकों के लिए करना पसन्द करें। इस सम्बन्ध में होटलों व टैवल एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करके निजी निवासों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था बढ़ायी जा सकती है।

8 परिवहन का समुचित विकास परिवहन का विकास पर्यटन विकास का हृदय (heart) माना जा सकता है। इसके लिए सड़कों का विकास आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों कारों स्टेशन वैनो मिनो बसों आदि की उपलब्धि बहुत आवश्यक होती है। मिड वे व मोटलों की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। शिक्षित ड्राइवर व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम कर सकते हैं। स्मरण रहे कि पर्यटक वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ व कटु अनुभव दोनों ले जाते हैं। यदि उनके साथ उत्तम व्यवहार होगा और वे हर्षित होकर व प्रभावित होकर लौटेंगे तो अन्य लोगों को भारत भ्रमण व राजस्थान भ्रमण के लिए प्रेरित कर पायेंगे। यदि उनके साथ धोखाधड़ी हुई दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हें अनुचित कष्ट उठाने पड़े तो आग के लिए पर्यटन हतोत्साहित होगा। इसलिए पर्यटकों के लिए परिवहन निवास भोजन पय पदार्थों आदि की उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।

राजस्थान में जयपुर को अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है और विदेशों से चार्टर्ड उड़ानें (chartered flights) यहाँ के लिए चालू की जा सकती हैं। गुप्त यात्रा व गन्तव्य स्थान जयपुर (destination Jaipur) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ानें प्रारम्भ की जा सकती हैं। अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक

कम हुआ जिससे इस उद्योग में लगे व्यक्तियों के लिए रोजगार व आमदनी के अवसर घटे थे व उनमें निराशा की भावना फैली थी। इससे पर्यटकों के माध्यम से हमें जो नियात के आर्डर मिल सकते थे उनमें गिरावट आई और होटलों को लाभ में चलाना काफी मुश्किल हो गया। यदि भविष्य में भी स्थिति अनुकूल नहीं रही तो हम उद्योग का भरा स्रकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश में कानून व व्यापार की स्थिति में तुरन्त सुधार हो ताकि लोग निर्भय होकर देश में भ्रमण कर सकें। कश्मीर का पर्यटन उद्योग भी विपरीत राक्षनातक 1992 के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक कदम उठाकर स्थिति को सामान्य बनाए ताकि होटलों के उद्यमकर्ता व विभिन्न कमचारी ड्राइवर, गाइड हथकरघा, दस्तकारी उद्योगों आदि में सलग्न व्यक्ति अपना रोजगार छेड़ने को बाध्य न हो। अतः जहाँ पर्यटन के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान की आवश्यकता है वहाँ इस उद्योग को वर्तमान मंदी के दौर में निकालने को भी नितान्त आवश्यकता है।

निसम्बर 1992 में अयोध्या घटना के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दंगों का भी पर्यटन उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव आया था। अतः इस उद्योग की द्रुतगति से प्रगति के लिए आन्तरिक शान्ति, सद्भाव व सौहार्द की नितान्त आवश्यकता होती है। कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए जहाँ सा आतंक व भय उत्पन्न होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपना कार्यक्रम स्थगित करते हैं अथवा रद्द करते हैं जिससे होटलों पर विपरीत असर आता है और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हाथ धोना पड़ता है। अतः यह उद्योग बहुत संवेदनशील माना गया है और मानवीय व्यवहार की उत्तमता की नींव पर खड़ा है जिसको ठेस पहुँचाने को बजाय सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

पर्यटन विशेषज्ञों व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु त्रिकोण (*desert triangle*) के विकास के अन्तर्गत भविष्य में जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन विकास को काफी बल मिलेगा। पर्यटन उद्योग एक सेवा क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। इसलिए इसके विभास पर मानवीय गुणों व मानवीय व्यवहार का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य में पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पर्यटन के विकास की विपुल सभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992-93 में इसके विकास पर 55 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था।

उदयपुर, माउण्ट आबू, कोटा व चित्तौड़गढ़ में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। डींग (भरतपुर) बालोतरा (बाडमेर) में टूरिस्ट लाज, नाथद्वारा में यात्री निवास तथा नागौर में टूरिस्ट बगले का निर्माण करवाया जायेगा।¹ उदयपुर में राजसमन्द झील, नौचाकी पाल और पहाड़ी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने की आवश्यकता है। राजसमन्द झील की पाल के जीर्णोद्धार और मुद्दोकरण की जरूरत है।²

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि

**(Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd
(RTDC))**

इसकी स्थापना 1978 में एक निजी मोमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई थी।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(i) राज्य में पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू करना

(ii) पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए होटल, मोटल युवा होस्टल टूरिस्ट बगले आदि बनाना व चलाना

(iii) परिवहन, मनोरजन माल की खराद, आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान करना व पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करना

(iv) पर्यटन महत्व के स्थानों का रख रखाव व विकास करना तथा

(v) पर्यटन की प्रचार सामग्री उपलब्ध करना, वितरित करना तथा बेचना।

1989-90 में इसकी पूँजी के कुल साधन लगभग 16.81 करोड़ रुपये के थे जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूँजी 9.88 करोड़ रुपये तथा राज्य के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त अवधि कर्ज 6.69 करोड़ रुपये के थे। शेष रिजर्व राशि थी।

इसे 1989-90 में कर से पूर्व लगभग 75.5 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था जो 1990-91 में लगभग 55 लाख रुपये ही रहा। 1991-92 में यह बढ़ा है। इसे 1980-81 से 1987-88 तक के आठ वर्षों तक लगातार घटा हुआ था। 1987-88 में घाटे की राशि 20 लाख रुपये रही थी जो पिछले वर्षों की तुलना में कम थी। इसके प्रबन्ध संचालन में सुधार करके इसकी कार्यकुशलता व लाभप्रदता में वृद्धि की जानी चाहिए। हालाँकि इसे 1988-89 व बाद के दो वर्षों में लाभ हुआ है लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किया जाना

1 बजट प्रापण 1992-93 मार्च 4 1992 प 37

2 राजस्थान पत्रिका, 15 अक्टूबर, 1992, प 16

चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने व उसे लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर सके।

हाल में RTDC ने धौलपुर में एक नया मिडवे चालू किया है जो इसकी 42 वीं इकाई है। प्रत्येक जिले में पर्यटन की सुविधा बढ़ायी जा रही है। देश में होटलो की एक नई श्रेणी हेरोटेज होटल्स * के 17 होटल अकेले राजस्थान में चल रहे हैं जिन्हे बढ़ाया जा रहा है। एक वीडियो कैसेट "डैजर्ट ट्राइएंगल" तैयार किया गया है जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बासवाडा व भोलवाडा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों व वहाँ की सस्कृति को चित्रित किया गया है।

प्रश्न

- 1 पर्यटन का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्व स्पष्ट कीजिए।
- 2 राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका सम्भावनाओं व समस्याओं का वर्णन कीजिए। (Raj I yr 1992)
- 3 राज्य में पर्यटन के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए और आगामी वर्षों में इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए।
- 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
 - (i) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ,
 - (ii) पर्यटन को विकसित करने के लिए सुझाव,
 - (iii) राज्य में 'सांस्कृतिक पर्यटन' के अवसर तथा
 - (iv) राजस्थान पर्यटन विकास निगम ।
- 5 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग के महत्व को बतलाइये। इस उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएँ व समस्याएँ क्या हैं?

(Ajmer, I yr 1992)

* हेरोटेज होटल पुराने किलो व महलो को होटल में बदल कर बनाये जाते हैं।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति

राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना' गया है। राज्य में वर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होने एवं धार का रेगिस्तान पाये जाने के कारण आर्थिक विकास में काफी कठिनाइयाँ आती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 33.8 लाख टन हुआ था और 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही शूद्ध जोता-बोया गया क्षेत्र (net area sown) था। उस समय सकल सिंचित क्षेत्रफल 11.71 लाख हेक्टेयर था जो सकल क्षेत्रफल का केवल 12% अंश था।

राज्य में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का बड़ा अभाव था। 1950-51 के अंत में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट ही थी और 42 ग्रामों को ही बिजली मिली हुई थी। केवल 17,399 किलोमीटर में सड़कें थीं। सड़क पानी व बिजली के अभाव में राज्य में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास संभव नहीं था।

राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ था। 1950-51 के अंत में 6-11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात 16.6%, 11-14 वर्ष की उम्र वालों में 5.4% एवं 14-17 वर्ष की उम्र वालों में 1.8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का भी पता लगता है। 1950-51 के अंत में अस्पताल में रोगियों के बिस्तारों की संख्या केवल 5,720 थी। परिवार नियोजन केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

(PHC) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानों की संख्या भी बहुत सीमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थायें केवल 418 थीं तथा प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थायें केवल 3 थीं।¹

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के लगभग चार दशकों (1951-93) की प्रगति का वर्णन करेंगे; विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये व्यय पर भी प्रकाश डाला जायेगा।

राजस्थान में नियोजित विकास के चार दशक

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण 19 छोटे-छोटे राज्यों व तीन चीफशिपों के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न व असमान स्तर वाले थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में प्रारम्भ होकर 1956 में पूरी हुई थी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकीकरण की समस्याओं में उलझा हुआ था। उस समय राज्य में भावी विकास का अनुमान लगाने के लिये आधारभूत आंकड़ों का भी नितान्त अभाव था।

राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय की राशियाँ निम्न तालिका में दी गई हैं।²

तालिका 1

	प्रस्तावित व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
प्रथम योजना	64.5	54.1
द्वितीय योजना	105.3	102.7
तृतीय योजना	236.0	212.7
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	132.7	136.8
चतुर्थ योजना	306.2	308.8
पंचम योजना	847.2	857.6
वर्ष 1979-80 योजना	275.0	290.2

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च, 1991, पृष्ठ 52-54

2 आय व्यय अभ्यन्तन 1992-93 पृ 46 व 48 तथा 132-133 (DES) Jaipur

छठी योजना (1980-85)	2 025	2130 7
सातवी योजना (1985-90)	3000	3106 2
1990-91	956	975 6
1991-92 (मशोघित)	1170	1166 0
आठवी योजना (1992-97)	11500	योजना जारी
1992-93	1400	1401 6*
1993-94	1700	योजना जारी

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में 103 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 213 करोड़ रुपये, 1966-69 के तीन वर्षों में 137 करोड़ रुपये व चतुर्थ योजना में 309 करोड़ रुपये हो गयी थी। पाँचवी योजना की अवधि में राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय हेतु 847 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया था लेकिन वास्तविक व्यय की राशि 858 करोड़ रुपये रही थी।

1979-80 की वार्षिक योजना में 290 करोड़ रुपये व्यय हुये। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि वास्तविक व्यय लगभग 2131 करोड़ रुपये का रहा।

सातवी योजना का आकार 3000 करोड़ रुपये रखा गया था जो छठी योजना से लगभग 48 प्रतिशत अधिक था। ताजा अनुमानों के अनुसार सातवी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय लगभग 3106 करोड़ रुपये रहा है। इसमें राहत कार्यों का व्यय भी शामिल है। 1990-91 की वार्षिक योजना में वास्तविक व्यय 976 करोड़ रुपये हुआ तथा 1991-92 में सम्भावित व्यय 1166 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया। इसका सशोधित प्रस्तावित व्यय 1170 करोड़ रुपये रखा गया था (जुलाई 1991 में 4 करोड़ रुपये की वृद्धि सहित)। 1992-93 की वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित व्यय की राशि 1400 करोड़ रुपये रखी गयी थी जबकि सम्भावित व्यय के 1401 6 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और 1993-94 के लिये 1700 करोड़ रुपये रखी गयी है जो पिछले वर्ष से 21 4% अधिक है।

आठवी योजना (1992-97) में प्रस्तावित व्यय की राशि 11 500 करोड़ रुपये रखी गयी है जो सातवी योजना के 3000 करोड़ रुपये के मुकाबले 3 83 गुनी है।

आगे तालिका 2 में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का विभिन्न

* Draft Annual plan 1993-94 pp 14-15

तालिका 2
योजनाओं में सार्वजनिक व्यय की स्थिति¹
(कुल वास्तविक व्यय % में)

विकास का शीर्षक	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	तीन वार्षिक योजना योजना	चतुर्थ योजना	पंचम योजना	1979-80	छठी योजना	सातवीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1 कृषि व सहायक कार्यक्रम	6.6	11.0	11.3	10.4	8.2	9.3	17.6	10.2 ²	11.9	13.1	12.8	20.2	18.2
2 सहाकारिण व सामुदायिक विकास	6.0	14.0	8.0	0.7	2.7	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.3		
3 सिंचाई व शक्ति	58.3	37.2	54.4	68.3	58.4	57.2	54.8	52.6	51.9	44.9	46.2	44.8	45.3
4 उद्योग व खनन	0.8	3.3	1.4	1.5	2.6	4.0	4.1	3.9	4.7	9.1	5.3	5.0	4.9
5 परिवहन संचार व पर्यटन	10.3	9.8	4.7	3.2	3.2	9.8	7.8	11.8	4.6	4.6	4.9	4.9	5.5
6 सामाजिक सेवाएँ	16.9	23.6	19.7	15.8	24.0	17.4	13.7	19.8	23.7	24.1	24.3	23.3	24.4
7 विविग ³	11.1	11.0	0.5	0.1	0.9	0.5	0.4	0.5	1.9	2.9	5.2	1.8	1.7
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
वास्तविक व्यय (करोड़ रु में)	54.1	102.7	212.7	136.8	308.8	857.6	290.2	2130.7	3106.2	989.4	1166.0	1401.6	1700.0

1 आय व्ययक अध्ययन, राजस्थान 1992-93 पृ. 48 तथा पृ. 132-133 (प्रतिशत निकाले गये हैं)

2 इसमें कृषि, सामुदायिक सेवाएँ, ग्रामीण विकास व स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रम का व्यय शामिल है।

3 इसमें प्रौद्योगिक सेवाएँ व अनुसंधान आर्थिक सेवाएँ व प्रशासन के स्तर से सुधार पर व्यय आदि शामिल हैं। 1991-92 के बाद सहकारिता पर प्रस्तावित व्यय श्रेणी। कृषि व सहायक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

मदो पर आवंटन दर्शाया गया है। इसमें हमने वास्तविक व्यय के आवंटन को ही लिया है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति को दी गई जो उचित मानी जा सकती है। प्रथम योजना में कुल व्यय का 58.3% सिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया था जो पंचम योजना में भी लगभग उतना ही (57.2%) रहा। सातवीं योजना में यह 52% रहा। कृषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना में लगभग 13% व्यय हुआ जो सातवीं योजना में 13.2% रहा। राज्य सामाजिक सेवाओं (शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा रहा है। अतः इसके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है। प्रथम योजना के कुल व्यय के 17% से प्रारम्भ करके चतुर्थ योजना में इसे 24% तक पहुँचा दिया गया। पंचम योजना में यह पुनः 17.4% पर आ गया तथा छठी योजना में 19.8% और सातवीं योजना में 23.7% रहा। इस प्रकार राजस्थान एक तरफ सिंचाई व विद्युत का विकास करने में लगा रहा और दूसरी तरफ इसने जन कल्याण के लिये सामाजिक सेवाओं के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी।

पिछले 40 वर्षों में विभिन्न पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक व्यय के आवंटन का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी योजनाओं की प्राथमिकताएँ लगभग एक सी रही हैं। सातवीं योजना तक सार्वजनिक व्यय का लगभग आधा भाग सिंचाई व शक्ति पर तथा 1/5 भाग सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद की वार्षिक योजनाओं में सिंचाई व शक्ति पर लगभग 45% तथा सामाजिक सेवाओं पर लगभग 24% व्यय किया जाता रहा है। इस प्रकार व्यय का प्रतिशत सिंचाई व शक्ति पर कुछ कम हुआ है और सामाजिक सेवाओं पर कुछ बढ़ा है।

— राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य

(Objectives of Planning in Rajasthan)

राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे हैं (i) अर्धव्यवस्था को विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना (ii) पहले से सृजित विकास की सम्भावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना (iii) समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जावन स्तर को ऊँचा उठाना तथा (iv) सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक विकास के ढाँचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करना एवं (v) रोजगार के अवसर बढ़ाने व प्रदेशिक अममानताओं को कम करने के उद्देश्य को भी पंचवर्षीय योजनाओं में ऊँचा स्थान दिया गया है।

समस्त देश की भाँति राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में भी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों

के ही अनुकूल रहे हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मोटे तौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे कृषिगत उत्पादन व सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना पावर के साधनों व मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए शिक्षा दवा व जल पूर्ति की व्यवस्था को बढ़ाना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई शक्ति व सामाजिक सेवाओं पर बल जारी रहा, लेकिन सिंचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य में पंचायती राज सस्थाओं के विकास पर जोर दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व शक्ति की परियोजनाओं पर बल जारी रहा। लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विकास (area development) को अवधारणा पर बल दिया गया। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र डेयरी विकास व कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रित नियोजन को प्राथमिकता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमान्त कृषक खेतिहर मजदूरों कृषि श्रमिकों अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) चलाया गया। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया जाने लगा।¹

छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीव्र गति से ग्रामीण विकास करने पर ध्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) पर जोर दिया गया। नये बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 'स्पेशल कम्पौनेन्ट योजना' बनायी गयी ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। बिखरी जनजातियों के लिए सशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण (modified area development approach) (MADA) अपनाया गया जो जनजाति उप योजना के अलावा अपनाया गया कार्यक्रम था।

राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की सातवीं योजना के उद्देश्यों जैसे रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व असमानता में कमी

¹ Eight five year plan 1992-97 March 1993 p 24

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ ठोक हो गयी थी। इसलिये इस योजना का आकार बड़ा रखा गया। सिंचाई व शक्ति पर आवश्यक बल देना जारी जारी रखा गया और इस अवधि में सिंचाई व शक्ति के बड़े कार्यक्रम भी चालू किये गये। जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी प्रथाओं की समाप्ति से गाँवों में सामन्ती प्रथा को मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।

द्वितीय योजना में 1053 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन योजना में वास्तविक व्यय 1027 करोड़ रुपये का हुआ जिसका विभिन्न मदों पर प्रतिशत आवंटन पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक व्यय का 37.2% सिंचाई व शक्ति पर किया गया जो प्रथम योजना की तुलना में कम था। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 23.6% राशि व्यय की गई। उद्योग व खनन पर केवल 3.3% राशि व्यय की गयी।

द्वितीय योजना में खाद्यान्नों के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तो काफी बढ़ी लेकिन 1960-61 में मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादन 45.4 लाख टन ही हुआ जो 1955-56 के उत्पादन से थोड़ा अधिक था। अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का वास्तविक लाभ 1961-62 में मिला, जब खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन बढ़कर 55.7 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजना के अंत में सिंचित क्षेत्र 20.8 लाख हेक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 1960-61 में 135.8 मेगावाट हो गई थी। सामाजिक सेवाओं का भी विस्तार किया गया और शहरी क्षेत्रों में जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

तृतीय योजना के प्रारम्भ में आर्थिक विकास के लिये आधारभूत ढाँचा काफी सीमा तक तैयार हो गया था। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन कृषि की पद्धतियों का उपयोग करना संभव हो गया। शक्ति व यातायात का विकास होने से उद्योगों को स्थापना करना संभव हो गया था। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी। इन सब बातों के कारण तृतीय योजना का आकार लगभग दुगना रखा गया और 236 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 213 करोड़ रुपये ही हो पाया जिसका विवरण तालिका 2 में दिया जा चुका है।

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना में सिंचाई व शक्ति पर कुल व्यय का लगभग 54.4% अंश व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले में मात्रा की दृष्टि से काफी अधिक था। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद समस्त राष्ट्र में कृषि के विकास पर अधिक

ध्यान दिया गया और चुने हुए क्षेत्रों में गहन विकास की नीति अपनाई गई। इसके लिये गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) तथा पैकेज प्रोग्राम एव गहन कृषि कार्यक्रम (IAAP) व तीव्र प्रभाव दिखाने वाले कार्यक्रम (Crash Programmes) अपनाये गये ताकि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके। तृतीय योजना में काफी तनाव व दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने की नीति अपनायी गयी। इसलिये चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया और पुराने लाभों को सुदृढ़ करने की दिशा में अधिक प्रयास किये गये।

तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति

तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से तो सतोषजनक रही लेकिन इस अवधि में बार बार एव व्यापक रूप में अकाल व अभाव की परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले। 1963-64 व 1965-66 के अकालों की भीषणता अभूतपूर्व थी। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1961-62 में 55.7 लाख टन के स्तर पर पहुँच चुका था वह 1965-66 में केवल 38.4 लाख टन ही रह गया। यदि इन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय तो तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति सतोषजनक मानी जा सकती है।

1965-66 में सिंचित क्षेत्र 20.7 लाख हैक्टेयर हो गया जो 1960-61 की तुलना में लगभग 3.2 लाख हैक्टेयर अधिक था। गाँधीसागर क्षेत्र में वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ी। योजनाओं के अन्त में 1,242 स्थानों में बिजली की व्यवस्था कर दी गयी। शक्ति के क्षेत्र में किये गये विनियोगों का पूरा लाभ तृतीय योजना की अवधि में नहीं मिल पाया क्योंकि सतपुड़ा राणाप्रताप सागर व भाखड़ा (दायाँ भाग) की बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हो गया था। इसके लाभ 1966-67 के आगे की अवधि में मिल सके। योजना के अंतिम वर्षों में शक्ति के अभाव व औद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा यद्यपि विकास का आधारभूत ढाँचा बहुत सुधर चुका था।

सम्भवतः तृतीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त किये गये। राज्य में शिक्षा का विकास हुआ। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एव बीमारियों के नियंत्रण एव उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योजनाकाल में तीन मेडिकल कालेज स्थापित किये गये और कई शहरों व गाँवों में जल पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के लिये प्रशासनिक मशानों का निर्माण किया गया।

तान बाधित योजनाय (1966-69)

1965 में पाकिस्तान में सघर्ष के बाद विदेशी महायत्ना के सबंध में काफी अनिश्चयता का दौरा उत्पन्न हो गया था और 1965-66 व 1966-67 में लगातार दो वर्षों तक सूखा व अकाल पड़ने में विकास के लिये उपलब्ध साधनों का अभाव रहा जिसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ की जा

सकी। 1966-69 की अवधि में वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित करके नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि में पुराने लाभों को बनाये रखने के लिये एव विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किये गये।

खाद्य स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम अपनाये गये। शक्ति के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिये बिजली की लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया। साधनों के अभाव के कारण शिक्षा चिकित्सा व सड़कों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा सका। ग्रामीण जल पूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति नहीं कर सका।

तीन वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपये का हुआ, जिसका आवंटन तालिका 2 में दिया गया है। उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यय का लगभग 68% सिंचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक सेवाओं पर 15.8% व्यय हुआ। इस प्रकार सिंचाई व शक्ति को पहले दी जाने वाली प्राथमिकता में और वृद्धि की गयी। सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओं की तुलना में कमी हो गयी। जैसाकि पहले कहा जा चुका है साधनों के अभाव में इस अवधि में योजनाओं की प्राथमिकताओं में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में आर्थिक प्रगति

ऊपर बताया जा चुका है कि 1966-69 के तीन वर्षों में दो वर्ष 1966-67 व 1968-69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुँची थी।

अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी वार्षिक योजनाओं की अवधि में कुछ क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 66 लाख टन हुआ जबकि 1966-67 में 43.5 लाख टन हुआ। 1968-69 में खाद्यान्नों का उत्पादन पुनः घटकर 35.5 लाख टन पर आ गया था। शक्ति की क्षमता में वृद्धि जारी रही। 1967-68 में गाँधीसागर परियोजना के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले वर्षों में की गयी विद्युत शक्ति की कटौतियाँ हटा ली गयीं और औद्योगिक क्षेत्र में विनियोगों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा। बीमारियों पर नियंत्रण व परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। ग्रामीण जल पूर्ति व शहरी जल पूर्ति के कार्यक्रम आगे बढ़ाये गये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1969 में प्रारम्भ हो गयी थी लेकिन कुछ कारणों से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। विकास के क्रम में बाधा न हो इसके लिये वार्षिक योजनाएँ जारी रखी गयीं।

योजना में 306 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 करोड़ रुपये का हुआ जिनका आवंटन तालिका 2 में दिया जा चुका है। इस योजना में भी 58.4 प्रतिशत राशि सिंचाई व शक्ति पर व्यय की गई। सामाजिक सेवाओं पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ जो प्रतिशत की दृष्टि से पुनः द्वितीय योजना के स्तर पर आ गया था।

पूर्व योजना की भांति चतुर्थ योजना में भी आर्थिक विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने रोजगार के अवसर बढ़ाने कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों का विकास करने और गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था। इसके लिये चालू परियोजनाओं व कार्यक्रमों को पूरा करना आवश्यक समझा गया। योजना में सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि कृषिगत विकास का आधार सुदृढ़ हो सके।

चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ -

राज्य में चतुर्थ योजना की अवधि में प्रतिकूल मौसमों व अकालों का सामना करना पड़ा। फिर भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1968-69 में 5.24 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1973-74 में 10.54 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। 1968-69 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 30 हजार टन से बढ़ाकर 1973-74 में लगभग 74 हजार टन हो गया। 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 67.2 लाख टन रहा जो 1970-71 के 88.4 लाख टन से काफी कम था। 1968-69 में सभी माधनों में कुल सिंचाई का क्षेत्रफल 21.2 लाख हेक्टेयर में बढ़कर 1973-74 में 26.2 लाख हेक्टेयर हो गया था।

चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल सीमेन्ट, पावर केबल्स मूली धागे चीनी एव नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किये गये। बिजली की कमी व अनेक बाधाओं के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। राज्य में केन्द्रीय मार्गजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोग की राशि 1966-67 में 17 करोड़ रुपये में बढ़कर 1973-74 में 100 करोड़ रुपये हो गयी थी। चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त में झामर-कोटडा की खानों से प्राप्त राक फॉस्फेट से 6.23 करोड़ रुपये की आय हुई थी। योजना में तांबा कच्चे लोहे अभ्रक चाँदी सीमेन्ट व केलसाइट का उत्पादन बढ़ा था।

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप - राज्य सरकार ने जुलाई 1973 में पाँचवा पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग के समक्ष पेश किया था। इसमें राज्य की योजना का आकार 635 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय की कुल राशि 858 करोड़ रुपये रही थी। यह योजना के प्रारूप में प्रस्तावित राशि में काफी अधिक था।

उद्देश्य व मूल नीति- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुंचे। उनको रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया गया। राज्य में कृषि पशु पालन उद्योग व खनन का विकास किया गया।

कृषि नियोजन में प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने की नीति अपनायी गयी। राज्य में पशु पालन के विकास की विशाल योजनाएँ हैं। इसके लिये चरागाहों व चारे का विकास करने पर बल दिया गया। भूमि के नीचे के जल (ground water) का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया क्योंकि राज्य में सतह के जल (surface water) की मात्रा सीमित है।

कृषक के लिये कृषि व पशुपालन के विकास के लिये साख की सुविधा बढ़ाने भूमि को समतल करने भू संरक्षण व सूखी खेतों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसके लिये चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिंचाई के क्षेत्रों को समन्वित ढंग से विकास करने तथा इनमें सड़क व मण्डियों का निर्माण विद्युतीकरण व वैज्ञानिक कृषि की पद्धतियाँ अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र में पानी के निकास की समस्या मिट्टी के खारेपन व नहर में वीडम (घात पात) की अनियंत्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिये विश्व बैंक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया।

पाचवीं योजना में आर्थिक प्रगति

पाचवीं योजना में स्थिर भावों पर (1980-81 में मूल्यों पर) राज्य की शुद्ध घरेलू उपार्जित में प्रतिवर्ष 5.2 % तथा प्रति व्यक्ति आय में 2.2% वृद्धि हुयी। 1979 में राज्य में गम्भीर सूखे की स्थिति पायी गयी थी।

कृषि व सम्बद्ध क्रियाओं की प्रगति खाद्यान्नों का उत्पादन 1973 74 में 67.2 लाख टन से बढ़कर 1978 79 में 77.80 लाख टन हो गया। तिलहन गन्ना व कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी।

अधिक उपज देने वाली किस्मों का फेलाव 1973 74 में 10.5 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1978 79 में 15.8 लाख हैक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 0.73 लाख टन में बढ़कर 1.34 लाख टन हो गया। मकल सिंचित क्षेत्रफल 26.8 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 30.4 लाख हैक्टेयर हो गया।

औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको RFC' राजसीको व जिला उद्योग केन्द्रों (DICs) ने औद्योगिक विकास में भाग लिया। सूता खादी ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये। छठी पंचवर्षीय योजना (1980 85)

जमा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित

शरिष्यय 2025 करोड रुपये रखा गया था। लेकिन कल योजना-व्यय लगभग 2131 करोड रुपये रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52.6% सिंवई व शक्ति पर तथा 19.8% सामाजिक सेवाओं पर किया गया जो पूर्व योजनाओं की भांति ही था। कृषि, ग्रामीण विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर 11.4% व्यय किया गया। उद्योग व खनन पर केवल 3.9% व्यय हुआ।

इस प्रकार छठी योजना में भी राज्य की अर्थव्यवस्था का अधःगत टाँचा (इन्फ्लैट्रन) सुदृढ़ करने का प्रयत्न जारी रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति ¹

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) छठी योजना में 1980-81 की कीमतों पर 5.9% वार्षिक बढ़ी। इस प्रकार विकास की वार्षिक दर स्तोत्रप्रद रही। 1983-84 में स्थिर भावों पर राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद में लगभग 23% की वृद्धि हुई जो स्वाभाविक थी। प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के भावों पर) 1979-80 में 1189 रुपये से बढ़कर 1984-85 में 1379 रुपये हो गया। छठी योजना की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर भावों पर 3% वार्षिक दर में वृद्धि हुई।

कृषि- 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 79.1 लाख टन हुआ जबकि 1979-80 में 52.4 लाख टन हुआ था। 1984-85 में तिलहन का उत्पादन 12.3 लाख टन करने का 13.7 लाख टन तथा कपास का 4.4 लाख गठे हुआ था। वर्ष 1983-84 को छोड़कर अन्य वर्षों में मानसून कमजोर व अनियमित रहा था जिससे चार वर्षों में राज्य में अकाल व सूखे का कुप्रभाव पड़ा था।

1984-85 में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 26.9 लाख हेक्टेयर भूमि अ चुकी थी तथा उर्वरकों का वितरण 2 लाख टन में कुछ अधिक हो गया था।

छठी योजना में लगभग 21 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का विकास किया गया। राज्य में डेयरी का विकास किया गया तथा उन का उत्पादन 127 लाख किलोग्राम में बढ़कर योजना के अंत में 156 लाख किलोग्राम हो गया था।

एकांकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से छठी योजना में 1.1 लाख परिवार लाभान्वित हुए जिनमें आधे में ज्यादा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की गई।

शक्ति की प्रथमपिन क्षमता 1984-85 में 1713.16 मेगावट हो गई थी।

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्रेय-पत्र, मार्च 1991 पृ. 52-54

योजना के आरम्भ में 38% गाँवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी जो 1984-85 में 55% के स्तर तक पहुँच गई थी। राज्य में बायो गैस सयंत्रों का विकास किया गया जिनमें गोबर का उपयोग होता है।

उद्योग - राज्य में विनियोग समिती का विस्तार किया गया तथा रोकने से सयुक्त उद्योगों व सहायता प्राप्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। मार्च 1985 में राज्य में 29 सयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हो गया था।

खादी (सूती व उनी) ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा तथा ग्रामीण उद्योगों में रोजगार 62 हजार व्यक्तियों से बढ़कर 1.7 लाख व्यक्ति हो गया। राज्य में खनिज पदार्थों में राक फास्फेट, जिप्सम आदि का उत्पादन बढ़ाया गया।

विविध राज्य में सड़कों का विस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का अधिक पैलाव हुआ। अस्पतालों का संख्या बढ़ा तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में सड़कों, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल आदि का विस्तार किया गया।

इस प्रकार छठी योजना की अवधि में राज्य का आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ। लेकिन राज्य में अकाल व अभाव की समस्या के कारण ग्रामीण जनता को निरन्तर काफी कष्टों का सामना करना पड़ा और राज्य सरकार के सामने अकाल, राहत की समस्या बहुत जटिल रूप से बनी रही।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

आगे की तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना का आकार 3000 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया था। यह छठी योजना के लिये स्वीकृत धनराशि से 48% अधिक था। लेकिन इस योजना में वास्तविक धन्य की अनुमानित राशि 3106 करोड़ रुपये रही है। अनुमानित धन्य में आधी से कुछ अधिक राशि (52%) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व विद्युत के विकास पर तथा लगभग 1/4 राशि (23.7%) सामाजिक सेवाओं पर व्यय हुई है। इस प्रकार योजना में बिजली, खाद्यान्न औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया।

यह कहा गया था कि सातवा योजना के लिये लगभग 1140 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

सातवीं योजना में विद्युत उत्पादन क्षमता को 1713 मेगावाट से बढ़ाकर 2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। अतः इसमें 62% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। योजना में 4.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई का व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50% गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, आदि का विकास करने के कार्यक्रम रखे गये थे। इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के लिये कई प्रकार की छूटें व रियायतें दी गई थीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में सार्वजनिक परिचय का प्रस्तावित तथा वास्तविक आवंटन

	(प्रस्तावित) (करोड़ रु.)	कुल का %	वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)	कुल का %
(1) कृषि व महायक क्रियों एवं ग्रामीण विकास	290.3	9.7	369.6	11.9
(2) सहकारिता	46.2	1.5	41.5	1.3
(3) मिचाइ बाढ- नियंत्रण व शक्ति	1608.5	53.7	1612.3	51.9
(4) उद्योग व खनन	190.5	6.3	145.6	4.7
(5) परिवहन	153.3	5.1	142.5	4.6
(6) सामाजिक व मानुषदायिक सेवाएँ	674.7	22.5	734.7	23.7
(7) त्रिविध (वैज्ञानिक सेवाएँ व अनुसंधान, आर्थिक सेवाएँ सामान्य सेवाएँ, प्रशासनिक सुधार, सेवा विकास आदि)	36.5	1.2	60.0	1.9
	3000.0	100.0	3106.2	100.0

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति (Economic progress under Seventh five year plan):- दुर्भाग्य में सातवीं योजना के पाँचों वर्ष अकाल व अभाव के वर्ष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए तथा 1986-87 व 1987-88 में प्रत्येक में समस्त 27 जिले अकाल व सूखे की चपेट में रहे थे। 1988-89 में 17 जिले अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 1989-90 में पुनः 25 जिलों में अकाल घोषित किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद

मे काफी उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। 1980-81 की कीमतों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाति 1984 85 मे 5208 करोड से बढ़कर 1989 90 में लगभग 7104 करोड रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 6.4% रही। 1988 89 मे राज्य की घरेलू उत्पाति मे केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन के अनुसार स्थिर भावो पर 34% की वृद्धि हुई (DES के अनुसार 39%)। इस प्रकार एक वर्ष की अत्यधिक वृद्धि ने योजना की औसत दर को प्रभावित किया। प्रति व्यक्ति आय 1984 85 मे 1379 रुपयों से बढ़कर 1989 90 मे 1651 रुपये हो गई। इस प्रकार इसमे 3.6% वार्षिक दर से वृद्धि हुई।¹

खाद्यान्वो का उत्पादन 1987 88 मे 48 लाख टन पर आ गया था जो 1988 89 मे बढ़कर 106.6 लाख टन रहा। यह 1989 90 मे 85.3 लाख टन रहा।

तिलहन का उत्पादन 1986 87 मे 8.8 लाख टन हुआ था जो 1989 90 मे 18.5 लाख टन हो गया। कपास का उत्पादन 1989 90 मे 9.86 लाख गांठे हुआ जबकि 1987 88 मे 2.18 लाख गांठे हुआ था। गन्ने का उत्पादन 1989 90 मे 7.16 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष से अधिक था।

1989 90 मे कुल सिंचित क्षेत्रफल 44.6 लाख हैक्टेयर रहा जबकि 1984 85 मे यह 38.3 लाख हैक्टेयर रहा था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल लगभग 6.3 लाख हैक्टेयर बढ़ा।

पावर व औद्योगिक क्षेत्र मे प्रगति

सातवी योजना मे पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 मेगावाट रखा गया था जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई। 1989 90 के अंत मे यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इस वृद्धि मे कोटा थर्मल चरण II की दो इकाइयों, माही हाइडल पावर हाउस 2 की दो इकाइयों (अन्ता) गैस पावर स्टेशन व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन मे हिस्सा मिलने आदि से मदद मिली है। इस प्रकार सातवी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की पावर स्थिति पहले से बेहतर हो गई।

राज्य मे भिवाड़ी क्षेत्र मे इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो का विकास किया जा रहा है। 1989 90 मे ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन 120 करोड रुपये से अधिक रहा तथा इनमे रोजगार बढ़कर 3 लाख व्यक्तियों तक पहुंच गया। सूती व ऊनी खादी का उत्पादन 1989 90 मे 26.2 करोड रुपये का हुआ। 1990 91 व 1991 92 वार्षिक योजनाओ के वर्ष रहे।

सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992 97) मे अर्थव्यवस्था को अधिक

1 आय व्ययक अध्ययन 1992 93 पृ 54 के सरोहित अंकड़ों के आधार पर पुन औसत वृद्धि दर निकाली गई है जो पहले से कम आती है।

गतिमान करने का प्रयत्न कर रही है।

अब हम योजनाकाल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व संक्षेप में पूर्व जनता शासन काल की अन्वयोदय योजना का परिचय देंगे।

पूर्व जनता सरकार का निर्धनता निवारण के लिये अपनाया गया

अन्वयोदय कार्यक्रम

राज्य में जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की दिशा में अन्वयोदय कार्यक्रम अपनाया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रणी होने का सोभन्म्य प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थी। इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है इसलिए यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है।

अन्वयोदय कार्यक्रम गाँधीवादी कार्यक्रम की एक कड़ी माना जा सकता है। इसमें प्रत्येक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था। राज्य में लगभग 31 हजार गाँव हैं। इन निर्धनतम परिवारों का चयन ग्राम सभाओं व गाव के लोगों की मन्दाह से किया गया था। इनको सहकारी व व्यापारिक बैंको से कर्ज उपलब्ध कराया जाते थे ताकि ये दुधारू पशु गाय भैंस बकरी आदि खरीद सकें या भेड़ पालन व सूअर पालन कर सकें अथवा बलगाड़ी या बैल, ऊटगाड़ी या कहा कही गिरगा आदि भी खरीद सकें अथवा दस्तकारी कुटीर उद्योगों को स्थापित करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इन्हे कृषि के लिये भूमि भी दी जा सकता थी। इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से साधन प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का एक उत्तम तरीका माना गया था। ऐसे लोग योजनाकाल में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये थे और विकास के लाभ कुछ सम्पन्न व अर्द्ध सम्पन्न परिवारों तक ही सिमट कर रह गये थे।

अन्वयोदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का चयन किया जाता था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपये से भी कम होती थी हालाँकि उस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे माने गये थे।

अन्वयोदय योजना में भूमिहीन श्रमिकों व ग्रामीण दस्तकारों को अधिक लाभ मिलाने की आशा थी। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि योग्य भूमि को देते थे और बाद में पशु पालन कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग आदि को देते थे। जनता सरकार का विचार था कि यदि इस कार्यक्रम के लिये बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की जा सके तो राज्य में निर्धनता को दूर किया जा सकता है।

लन्दन के समाचार पत्र 'दी इकोनोमिस्ट' ने यह मत प्रकट किया था कि अन्वयोदय योजना को गाँवों के सम्पन्न भू स्वामियों से कोई खतरा नहीं है जैसा कि भूमि सुधार के कार्यक्रम को रहा है। अन्वयोदय योजना व समग्र ग्रामोदय योजना को योजना की नई शैली का आधार बनाने का प्रयोजन यही था कि हमारी

योजनावे ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख रोजगारोन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बने ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल सके जो उन्हें पूर्व योजनाओं में नहीं मिल पाया था।

राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा बीस सकल्पों की घोषणा

1980 में राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार के पुन सत्तारूढ़ हो जाने पर अन्त्योदय कार्यक्रम के स्थान पर नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया। 1985-86 में बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये 300 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी जो योजना में प्रस्तावित व्यय का 70% थी। सितम्बर 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण भाधुर की सरकार ने पिछड़े को पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 सकल्पों को पूरा करने पर जोर दिया था। ये बीस सकल्प इस प्रकार थे (1) पूरे चुनाव (2) बढ़िया शिक्षा (3) सस्ता न्याय (4) गरीब को छप्पर (5) छोटा परिवार (6) नई ऊर्जा (7) राजस्थान नहर, (8) कौटा धर्मल (9) जंगल में मगल (10) ग्राम तक सड़क (11) खेत में बिजली (12) पीने का पानी (13) पिछड़े को पहले (14) विकलांग कल्याण (15) भगोकष्ट मुक्ति (16) राष्ट्रीय एकता (17) डेयरी विकास (18) मुर्गा पालन (19) कपि व सहकारिता और (20) हस्तशिल्प एवं उद्योग।

'पिछड़े को पहले' अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप माना जा सकता है। अन्त्योदय गाँवों के सबसे पिछड़े पाँच परिवारों के आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम था जबकि 'पिछड़े को पहले' ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

राजस्थान में योजनाकाल के लगभग चार दशकों (1951-93) की उपलब्धियाँ अथवा आर्थिक प्रगति¹

राजस्थान में योजनाकाल में आर्थिक प्रगति हुई फिर भी यह राज्य भारत में सबसे ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। हम नीचे संक्षेप में 1951 से 1993 तक की अवधि में हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेंगे जिससे पता चलेगा कि राजस्थान ने 42 वर्षों में राज्य की आमदनी (state income) कृषिगत उत्पादन सिंचाई शक्ति औद्योगिक विकास सड़क शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। लेकिन आगामी वर्षों में विकास की यात्रा व विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सके।

1 राजस्थान आय व्यवस्था अध्ययन 1992-93 में प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 1991-92 पृ० 71-103 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 (विभिन्न तालिकाएँ) एवं Some Facts About Rajasthan 1992

1 राज्य की आय में वृद्धि- राज्य की घरेलू उत्पत्ति में मानसून की अस्थिरता के कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिये इसका विश्लेषण काफी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी 1980-81 की स्थिर कीमतों पर 1960-61 से 1989-90 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे सिरिज का अध्ययन करने से पता चलता है कि 1961-90 की अवधि में राज्य की आय में 3.8% वार्षिक दर (सरांशित) से वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय में 1% वार्षिक दर (सरांशित) से वृद्धि हुई।¹ सातवीं योजनाकाल (1985-90) में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में 6.4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। अन्य योजना अवधियों की तुलना में यह सर्वाधिक थी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (1980-81 के मूल्यों पर) 1960-61 में 2409 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 7104 करोड़ रुपये एवं प्रति व्यक्ति आय 1224 रुपये में बढ़कर 1651 रुपये हो गई। 1970-71 से 1989-90 तक के 20 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में एक विशेष बात उल्लेखनीय मानी जाती है। यह 1970-71 में 1480 रुपये थी। बाद में केवल 1983-84, 1988-89, 1989-90 व 1990-91 को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में यह स्थिर भावों पर 1480 रुपये से कम रही जिसमें राज्य के आर्थिक विकास में धीमेपन व गतिहीनता की स्थिति प्रकट होती है। वैसे भी हम देख चुके हैं कि 1980-81 के स्थिर भावों पर पाँचवीं योजना व छठी योजना में राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय में क्रमशः 5.2% व 5.9% वार्षिक वृद्धि की दरें प्राप्त की गई थीं। इसलिये 1970-71 की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आगे चलने पर विकास की गति काफी निराशाजनक प्रतीत होती है। वैसे पाँचवीं व छठी योजनाओं में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दरें (स्थिर भावों पर) क्रमशः 2.2% व 3.0% रही थी, जिन पर पहले विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है।

छठी योजना में राज्य की अर्थव्यवस्था में 5.9% सालाना की दर से वृद्धि हुई थी। चूँकि 1979-80 का आधार वर्ष काफी कमजोर रहा था, इसलिये यह वृद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण मानी जा सकती है। कृषिगत उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आने से राज्य की आमदनी भी प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था गृह्य अस्थिर व अनिश्चित किस्म की है।

2 कृषिगत उत्पादन व सिंचाई- राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 = 33.8 लाख टन हुआ जो 1983-84 में 100.8 लाख टन हो गया था। लेकिन 1987-88 में यह घटकर 47.8 लाख टन पर आ गया था एवं 1988-89 में यह घटकर 1 करोड़ 66 लाख टन हो गया। 1989-90 में यह पुनः घटकर 85

1 (पूर्व अंकड़ों) के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वृद्धि दर 3.99% व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 1.22% आनी गयी थी।

लाख टन तथा 1990 91 में बढ़कर 1 करोड़ 93 लाख टन हो गया। 1991 92 में यह 79.5 लाख टन रहा।

राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 1950 51 में 10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1990 91 में 46.5 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र $4\frac{1}{2}$ गुने से अधिक हो गया। फिर भी राज्य का 77% अथवा $\frac{3}{4}$ कृषि क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है। राज्य में प्रतिवर्ष छाद्यान्वो के उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिन्हें सिंचाई का विस्तार करके ही कम किया जा सकता है। राज्य में सिंचाई की अन्तिम सम्भाव्यता 51.5 लाख हेक्टेयर आकी गयी है जिसमें से 27.5 लाख हेक्टेयर में वृहद् व मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हेक्टेयर में लघु साधनों से मानी गयी है।

राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का उपयोग बढ़ रहा है। 1968 69 में ये किस्में 5.24 लाख हेक्टेयर में तथा 1992 93 में लगभग 28.2 लाख हेक्टेयर में बोई गईं¹। सुधरे हुए बीजों का वितरण भी किया गया है। रासायनिक खाद का उपभोग 1951 52 में केवल 324 टन हुआ था जो बढ़कर 1992 93 में 5.51 लाख टन पर पहुँच गया। कपास का उत्पादन 1991 92 में 8.5 लाख गांठे (प्रति गांठ = 170 किलोग्राम) रहा है जबकि 1987 88 में 2.2 लाख गांठे ही हुआ था। 1992 93 में कपास का उत्पादन 11 लाख गांठे होने की आशा है। राज्य में सिंचाई के साधनों के विस्तार से छाद्यान्वो के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। जैसा कि पहले बताया गया है राजस्थान में सकल कृषि क्षेत्रफल 1951 52 में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% से बढ़कर 1990 91 में 56.6% हो गया है जिससे राज्य में विस्तृत खेती की प्रगति का भी परिचय मिलता है।

राज्य में योजनाकाल में डेयरी का विकास किया गया है। राज्य में डेयरी सयंत्रों की संख्या 10 तथा अवशीतन केन्द्रों (chilling centres) की संख्या 24 हो गई है तथा औसत दैनिक दुग्ध संग्रह का स्तर 1990 91 में 3.44 लाख लीटर हो गया था। लेकिन 1991 92 में यह पहले से कम रहा। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का विकास किया गया है।

3 विद्युत शक्ति की प्रगति राज्य में 1950 51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी। यह 1990 91 में बढ़कर लगभग 2721 मेगावाट तथा

1 Draft Annual Plan, 1992 93 December 1992 p 27 आगे भी 1992 93 के आंकड़े इसी स्रोत पर आश्रित हैं।

1991-92 में 2776 मेगावाट हो गई। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ी है। राज्य में बिजली प्राप्त ग्रामों की संख्या 42 से बढ़कर मार्च 1990 के अंत तक 27063 तथा शक्तिचालित कुओ/पम्पसेट्स की संख्या 30 से बढ़कर 35 लाख हो गया है। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण II की प्रथम व द्वितीय इकाई माही हाइडल पावर हाउस 2 अन्ता गैस पावर स्टेशन इकाई I व II तथा रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने दिया है। भविष्य में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढ़ने की ओर सम्भावनाएँ हैं।

4 औद्योगिक विकास पहले बताया जा चुका है कि योजना की अवधि में राज्य में कई कारखाने खोले गये हैं जिससे पंजीकृत फैक्टियाँ 1949 में 207 से बढ़कर 1991 के अन्त में 10792 हो गईं। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 258 लाख टन से बढ़कर 1991 में 474 लाख टन (लगभग 18 गुना) हो गया। चीनी का उत्पादन 1951 में 15 हजार टन से बढ़कर 1991 में 25 हजार टन (1990 में 13 हजार टन) हो गया। सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा है। राज्य में बाल विद्युतिंग व बिजली के मीटर बनने लगे हैं जिनकी संख्या 1991 में क्रमशः 177 लाख व 991 हजार हो गई थी। राज्य में नमक का उत्पादन भी पहले से बढ़ा है। 1991 में नमक का उत्पादन 144 लाख टन हुआ जबकि 1971 में यह 55 लाख टन हुआ था।

1971 में 1985 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1970 = 100) के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर विनिर्माण (manufacturing) में 3.7% रही एवं समस्त औद्योगिक विकास में 6% रही थी।

5 सड़का का विकास राज्य में 1950-51 के अन्त में सड़कों की लम्बाई 17339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1991-92 में 59913 किलोमीटर हो गयी। इस प्रकार सड़कों की लम्बाई तिगुनी से भी अधिक हो गई। 1960-61 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लम्बाई 780 किलोमीटर थी जो बढ़कर 1991-92 में 1751 किलोमीटर हो गई है। लेकिन फिर भी यह समस्त भारत के औसत स्तर (54 किलोमीटर) से नीची है। अनुमान था कि मार्च 1992 के अन्त तक 1500 व अधिक जनसंख्या वाले 93.7% गाँव 1000-1500 जनसंख्या वाले 70% गाँव तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले 2.4% गाँव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। कुल गाँवों में से 34.3% गाँव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे।

6 शिक्षा की प्रगति 1000 व ऊपर व जनसंख्या 1000 से अधिक गाँवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिये गये हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। राज्य के सभी जिलों में कालेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य में बदला इन्स्टीट्यूट ऑफ माइन्स

व टेक्नोलोजी पिलानी और मालवीय रोजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर के स्थापित हो जाने से टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ गई हैं। राज्य में पोलोटेक्नीक संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। राज्य में वर्ष 1991-92 में 166 कालेज उच्च शिक्षा में सलग्न थे जिनमें 69 राजकीय थे तथा 50 सहायता प्राप्त कालेज थे तथा 47 गैर सहायता प्राप्त कालेज थे। 1991-92 में बालोतरा बयाना सलूम्वर व भवानोमडी में चार नये राजकीय कालेज खोले गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 5 इन्जीनियरिंग कालेज व 13 पोलोटेक्नीक कार्यरत हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 1981 में 30% से बढ़कर 1991 में 38.55% हो गया है। 1991 में समस्त भारत के लिए साक्षरता का अनुपात 52.21% था। इस प्रकार योजनाकाल में शिक्षण संस्थाओं का काफी विकास किया गया है। जुलाई 1987 से राज्य में अजमेर, कोटा व बीकानेर में नये विश्वविद्यालय चालू किये गये। 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की भर्ती 3.30 लाख थी जो बढ़कर 1991-92 में 52.5 लाख हो गई। फिर भी लाखों बच्चे (6-11 वर्ष की आयु) अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं।

7 चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति राज्य में मलेरिया व चेचक आदि पर काफी मात्रा में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 1977 में चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तारों की संख्या बढ़ाई गई और चिकित्सा की सुविधा भी बढ़ी है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। 1951-52 में अस्पतालों व डिस्पेंसरियों एवं मातृत्व व बाल कल्याण केन्द्रों की संख्या 418 थी जो 1990-91 में बढ़कर 10587 हो गई है।¹ शहरों के मुख्य अस्पतालों की भीड़ भाड़ को कम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किये गये हैं।

31 मार्च 1991 तक 33,630 गाँवों में पेयजल की सुविधा (आंशिक व पूर्णतया) पहुँचा दी गयी थी। राज्य में नगरों व गाँवों में जल सप्लाई की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है।

बड़े शहरों में पीने के पानी की कमी को दूर करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

(1) बीसलपुर परियोजना इससे पेयजल अजमेर, किशनगढ़ नसीराबाद, सरवाड केकडो तथा जयपुर शहर को प्राप्त होगा। यह योजना आठवें पंचवर्षीय योजना के शुरू के वर्षों में कार्यान्वित होगी। अजमेर को 1992 तक जल देने का कार्यक्रम रखा गया था।

(2) जोधपुर लिफ्ट जल पूर्ति स्कीम (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से) इसके लिए पानी गाँव माडामर में दिया जाएगा जो जोधपुर से काफी दूर है (205 किलोमीटर)। इस पर काम 1984 में प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन नवम्बर 1985 से मार्च 1987 तक काम बन्द रहा। अब काम पुन चलू किया गया है।

(3) मान्सी वाकल परियोजना (Mansi Wakal Project) उदयपुर इसके अन्तर्गत उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में मान्सी वाकल घाटी के सतह जल (surface water) का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए बाध बनाये जायेंगे।

एक बाध देवास में (गोगना गांव के पास) और दूसरा वाकल नदी पर बनाया जायगा। उदयपुर तक पाइपों व पम्पों से जल पहुंचाने के लिए 16.75 किलोमीटर लम्बी लाइन डाली जायेगी। इसके 1995 तक पूरा होने की अशा है।

इसके लिए उदयपुर को अन्तर्गम जल पूर्ति जयसमद परियोजना में की जायगी। यह उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है इस पर 16 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। अब तक मान्सी वाकल योजना पूरा नहीं हो जाती तब तक उदयपुर के लिए जयसमद से पानी लाना होगा।

(4) जयपुर के लिए बाड़ी बेमोन बाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। गाँवों में पेयजल की पूर्ति के लिए टाले कुओ नलकूपा तथा नहरों मार्ग पर पडने वाले गाँवों को नहरों में पानी देने की व्यवस्था की जा रही है।

8 राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की प्रगति IRDP निर्धनता कम करने में सम्बन्धित कार्यक्रम है। 1977-78 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये थे जिनका अनुपात राजस्थान के लिए 33.5% आया था हालांकि यूपी के लिए यह 50% बिहार के लिए 57.5% पश्चिम बंगाल के लिए 52.5% तथा तमिलनाडु के लिए 52% आया था। इस प्रकार राजस्थान कम निर्धन माना गया था।

छठी योजना में IRDP के माध्यम में निर्धन वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास किये गये हैं लेकिन उनमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी है। राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 1977-78 में 33.5% से बढ़कर 1983-84 में 36.6% हो गया था। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जिसमें उपरोक्त अवधि में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात (poverty ratio) बढ़ा जबकि अन्य राज्यों व समस्त भारत में यह घटा था।¹ 1987-88 में राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात सरकारी सूचना के आधार पर 24.9%

1 C H Hanumantha Rao Changes in Rural Poverty in India Mainstream January 11 1986 p 11

रहा। निर्धनता का विस्तृत विवेचन एक पृथक अध्याय में किया गया है।

1948 में जयपुर जिले (मार्फत अध्ययन विकास संस्थान जयपुर) व जोधपुर (मार्फत नाबार्ड) जिले में IRDP की प्रगति के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त परिणाम सतोषजनक स्थिति के सूचक नहीं हैं। जयपुर जिले में 14.7% परिवार तथा जोधपुर जिले में 21.4% परिवार जो गरीब माने गये थे वस्तुतः गरीब नहीं थे। जयपुर के अध्ययन में बतलाया गया कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये उनको चारे की कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। केवल 18% कर्ज लेने वाले ही निर्धनता की रेखा को पार कर पाये हैं। भेड़ बकरी आदि के सम्बन्ध में स्थिति काफी खराब रही है। इस प्रकार IRDP की उपलब्धियाँ सीमित ही रही हैं। राजस्थान के योजना विभाग की सूचना के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 7.1 लाख परिवारों को IRDP से लाभ पहुँचा है जिनमें लगभग आधे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों के हैं।

1991-92 में 1.10 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके लिए कुल 47 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। लाभान्वित होने वाले परिवारों के माल के विक्रय की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु अन्त्योदय योजना को नये सिरे से चालू किया। 1992-93 में इसके लिए लगभग 40.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें राज्य का अंश आधा है। 1993-94 में लगभग 35 करोड़ रुपये के व्यय से 80 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

निर्धनता रेखा की केलोरी आधारित अवधारणा को कई राज्यों व विशेषज्ञों ने सही नहीं माना है। इसमें एक समय के केलोरी से जुड़े मौद्रिक व्यय को जीवन व्यय सूचकांक से समायोजित कर देते हैं लेकिन यह रेखा आगे के व्यय वितरण में निर्धनता रेखा के बिन्दुओं को सही ढंग से नहीं बतला पाती।

(इसमें निम्न कमियाँ हैं¹ -)

(i) इसमें भार ढाँचे (weighting diagram) में उन परिवर्तनों पर विचार नहीं होता जो फसल प्रारूप में परिवर्तनों सस्ते स्थानापन्नो की उपलब्धि व मोटे अनाजों की कीमतों व सामान्य कीमत सूचकांक के बीच अंतरों से सम्बन्धित होते हैं।

(ii) एक व्यक्ति की क्रिया का स्तर तथा तदनु रूप उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भौतिक वातावरण (physical environment) पर भी निर्भर

1 Address by Shri Bharon Singh Shekhawat Then Chief Minister Rajasthan, National Development Council New Delhi June 18-19 1990 pp 6-7

होती है। मरु व पहाड़ी क्षेत्रों के कठोर भौतिक वातावरण में रोजमर्रा की क्रियाओं में लोगों की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी दशाओं में सभी राज्यों में समान केलोरी का नार्म लागू करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है।

कई विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी दशाओं में एक विशिष्ट राज्य के अपने केलोरी नार्म प्रयुक्त होने चाहिए।

(iii) एक विशिष्ट वर्ष के सर्वेक्षण के आंकड़ों की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए। प्रायः सूखा पड़ने से राज्य कृषिगत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। अतः एक वर्ष का उपभोग व्यय व कीमत सूचकांक सामान्य दशा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा प्रयुक्त निधनता के अनुमान अधिश्वसनीय बन जाते हैं।

9 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। अकाल राहत के कार्य भी कराये जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओं का निर्माण स्कूल भवनो डिस्पेन्सरियो ग्रामाण सडको लघु मिचई के साधनों व भू सरक्षण के कार्य शामिल किये जाते थे।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) टाइमम मैसिव कार्यक्रम (लघु कृषकों के लिए) मरु विकास सूखे सम्भाव्य क्षेत्र विकास रेवाइन रिक्लेमेशन कार्यक्रम (नदरा सुधार कार्यक्रम) सीमावर्ती क्षेत्र विकास मेवात विकास आदि के लिए धनराशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर सम्बन्धित अध्याय में किया गया है।

सारांश योजनाका 4 वर्षों की आर्थिक प्रगति में राज्य में विकास का आधार ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ़ हुआ है। सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ी है और राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम अपनाने की स्थिति में आ गया है। रीको ने सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र में कई इकाइयाँ स्थापित की हैं जिनमें से कई इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हुआ है। RFC लघु व मध्यम उद्योगों को काफी मात्रा में दीर्घकालीन कर्ज देने लगत है।

लेकिन राज्य में जनसंख्या की कुल वृद्धि दर 1971-81 में 33% तथा 1981-91 में लगभग 28.4% रही है जो अभी भी ऊँची है और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य में नियोजन की विफलता का सूचक है। राज्य में निरन्तर अकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की मूल्य क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रायः विद्युत की कमी बनी रहती है जिसमें कृषि व उद्योग दोनों के विकास में बाधा पहुँचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त मात्रा में हुआ है जिस पर भविष्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।

हम नीचे राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधक तत्वों का उल्लेख करके भावी विकास के लिए आवश्यक व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण

(Causes of Slow Growth of the Economy of Rajasthan)

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक व अन्य दृष्टियों से देश के अन्य भागों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। पिछले चार दशकों में कई क्षेत्रों में प्रगति होने से राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में कमी आयी है। लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष रह गया है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के बाद केवल 1983-84 1988-89 1989-90 व 1990-91 के चार वर्षों में ही पहले के स्तर से ऊँची रही है। अन्य वर्षों में यह 1970-71 के स्तर से नीची रही थी।

इससे राज्य की धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिहीन दशा का पता लगता है। राज्य में अकाल व सूखे की दशाओं के कारण कृषिगत उत्पादन पर निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है।

अतः वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के स्तर के आस पास ही मडरती रही है जिससे राज्य में धीमी प्रगति का ही आभास होता है। इसके कारणों पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है। ये तत्व ही राज्य के आर्थिक विकास में प्रमुख रूप से बाधक रहे हैं।

1 प्राकृतिक बाधाएँ- पहले बतलाया जा चुका है कि अरावली पर्वतमालाओं के पश्चिम में धार का रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि कार्यों में बहुत बाधा पहुँचती है।

विभिन्न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं

(i) वर्षा की अनिश्चितता सूखा अकाल आदि राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है। वर्षा की अनिश्चितता व अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान पर पड़ता है। राज्य में वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टीमीटर माना गया है जो जैसलमेर में 15 सेन्टीमीटर से झालावाड़ में 104 सेन्टीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ भागों में अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ़ के कारण जान माल की भारी हानि देखी जाती है (जैसा कि जुलाई-अगस्त 1990 की दो बार की बरसात से राज्य के पश्चिमी प्रदेश जालौर पाली सिरोही बाड़मेर व जोधपुर में भारी क्षति हुई) तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता और पानी व चारे के अभाव में पशुधन को भारी क्षति पहुँचती है।

भूतकाल में राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों को निरन्तर निष्क्रमण होता रहा है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार को राहत कार्य (Relief works) चालू करने पड़ते हैं और भू राजस्व आदि की भारी मात्रा में छूटे देनी पड़ती है। वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में हर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति अवश्य पायी जाती है। कभी कभी अकाल की व्यापकता व भीषणता बहुत बढ़ जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि में एक वर्ष (1983-84) को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में राज्य में सूखे व अभाव की स्थिति रही। अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों के कारण राज्य को अकाल के संकट का सामना करना पड़ता है। नववीं योजना (1985-90) के सभी वर्ष अकाल की चपेट में रहे हैं। सबसे भारी क्षति 1987-88 के अकाल से हुई जब 27 जिलों के 36,252 गाँव इससे प्रभावित हुए थे।

अकाल के कारण लोग गेजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं तथा पशुओं के लिए भी चारे व पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पशुपालकों का जीवन कितना कष्टमय है व घोर निराशाओं से भरा हुआ है। सरकार को अन्य राज्यों में चारे की खरीद करनी होता है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं होता और फलस्वरूप चारा महंगा हो जाता है। इसमें दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है।

(ii) पीने के पानी का अभाव राज्य के कई जिलों में भूमि के नीचे पानी बहुत गहराई से निकलता है अथवा कभी कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल नहीं निकलता और कुछ दशाओं में खारा पानी (Brackish water) निकलता है जो किसी भी काम का नहीं होता। इस प्रकार पीने के पानी के अभाव में लोगों को काफी दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें अनावश्यक मात्रा में श्रम शक्ति व साधन नष्ट हो जाते हैं। सूखे की स्थिति में तो भयानक गर्मी व प्यास से कभी कभी मनुष्य व पशु मृत के शिकार हो जाते हैं। गाँवों में पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार राज्य में आज भी काफी गाँव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पायी है। राज्य सरकार हेंडपम्प व नलकूप लगाने पर काफी बल दे रही है। काफी गाँवों में पेयजल की कठिनाई को दूर करने का प्रयास जारी है। सरकार को अकाल व सूखे की स्थिति में टकों व टैकों की सहायता में गाँवों में पेयजल पहुँचाना होता है। इसके अलावा ट्राइवेट टकों जटगाड़ियों व डेलगाड़ियों का भी पेयजल पहुँचाने में उपयोग किया जाता है।

(iii) भूमि का कटाव राज्य में तेज हवा के कारण भूमि के कटाव का भी गम्भीर समस्या पैदा होता है। पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चराई के कारण घास का अन्तिम पत्ती तक सफ़ा कर दी जाती है जिससे भूमि का कटाव और भी तेज हो जाता है। इस प्रकार वर्षा की कमी व अनियमितता भूमि के नीचे

पानी की कमी और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी अकालों से मुक्त नहीं होने दिया है।

2. सिंचाई के साधनों का अभाव- यद्यपि योजनाकाल में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग साठे चार गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोते-बोये क्षेत्र का चौथाया भाग (लगभग 24%) ही सिंचाई के अन्तर्गत आ पाया है। राज्य का तीन-चौथाई कृषित क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित रहता है। सिंचाई के अभाव में एक से अधिक फसले बोना सम्भव नहीं हो पाता और गहन कृषि की पद्धतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए रासायनिक खाद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है।

3 विद्युत शक्ति का अभाव- राज्य में योजनाकाल में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता तो 13 मेगावाट से बढ़कर 1991-92 में लगभग 2776 मेगावाट कर दी गई है लेकिन चम्बल क्षेत्र में वर्षाभाव के कारण पिछले वर्षों में विद्युत की पूर्ति में कटौती करनी पड़ी है जिससे औद्योगिक इकाइयों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। राज्य को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पंजाब की परियोजनाओं का मुँह ताकना पड़ता है। राणाप्रताप सागर के पास अणु-शक्ति केन्द्र के चालू हो जाने से राज्य में विद्युत की पूर्ति बढ़ी है लेकिन इस क्षेत्र में तकनीकी खराबी से इसको कई बार बन्द करना पड़ा है, जिससे बिजली का सकट बारम्बार उत्पन्न हो जाता है। राज्य में लिग्नाइट के अलावा ईंधन के अन्य स्रोतों का अभाव पाया जाता है। राज्य सरकार पावर की सप्लाई बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है।

1993-94 में ऊर्जा के विकास के लिए 468 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कुल प्रस्तावित व्यय का 27.5% है। माही प्रोजेक्ट, कोटा धर्मल प्रोजेक्ट चरण II व चरण III तथा टासमिशन कार्यक्रम एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी। मिनीहाइडल प्रोजेक्ट सूरतगढ़ मांगरोल माही की दायी नहर पूगल व धारणवाला चालू किये गये हैं जिससे 12 मेगावाट सृजन क्षमता बढ़ेगी। इनसे राज्य की पावर सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार होगा। लेकिन कृषि व उद्योग के लिए पावर की मांग तेजी से बढ़ रही है। अतः मुख्य समस्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण पावर वितरण पर खर्च ज्यादा आता है। पश्चिमी राजस्थान में लम्बी दूरी के कारण व्यय बढ़ जाता है तथा आजकल राज्य में 21% पावर टासमिशन व वितरण में ही नष्ट हो जाती है। विद्युत के इस भारी हास को रोका जाना चाहिए।

आठवीं योजना के अन्त तक पावर की माँग व पूर्ति में 41.21% अंतर रहने का अनुमान है। राज्य का अरा केन्द्रीय पावर सृजन केन्द्रों में सिंगरौली के 15% से घटकर बाद के प्रोजेक्टों में 9.5% मात्र रह गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सृजन केन्द्रों द्वारा राज्यों को आवंटित अरा के निर्धारण का आधार बदला

जाना चाहिए। वर्तमान में एक राज्य द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा (energy consumed) तथा पिछले पांच वर्षों में प्राप्त योजना सहायता (plan assistance) के भारित औसत (weighted average) के आधार पर केन्द्रीय सृजन केन्द्रों (central generating stations) से उसका विद्युत का अंश निर्धारित होता है जिससे पिछड़े व निर्धन राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। विपरीत धर्मल विद्युत व जल विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यों के लिए पावर अनार्थक बन जाती है। अतः पावर की कमी वाले राज्यों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

4 यातायात के साधनों का अभाव - राज्य में पिछले वर्षों में सड़कों की प्रगति हुई है लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कमी जना हुई है। रेलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि चौड़ा पटरा से सिकरी पटरों में परिवहन का अन्तरण करते समय स्टेशनों पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे भूतकाल में सर्वाई मधोपुर स्टेशन पर यह कठिनाई विरोध रूप से देखने में आयी है। लेकिन राज में (31 जनवरी 1993 से) जयपुर के समीप दुर्गापुर स्टेशन से सर्वाई मधोपुर तक ब्रोड गेज लाइन के चालू हो जाने से जयपुर बम्बई से बड़ी लाइन में सीधा जुड़ गया है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सर्वाई मधोपुर स्टेशन पर माल की ढोने में जे टूट फूट होती थी वह नहीं होगी। इसमें राज्य का व्यय भी अन्य राज्यों से बड़ जायगा।

1986-87 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का सूचकांक (Index) 79 रहा (समस्त भारत का 100) तथा राजस्थान का 14 बड़े राज्यों में 13 वा स्थान रहा था। इससे राज्य की आधारभूत संरचना की दृष्टि से पिछड़ी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

5 अलौह-खनिजों व ईंधन का अभाव - राजस्थान में अलौह खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, चादी व रंगा एव अन्य कई खनिज तो पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं लेकिन कच्चे लोहे कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एव खनिज तेलों का अभाव पाया जाता है जिसके कारण यह लोहे व इस्पात एव अन्य पूँजीगत उद्योगों का विकास कर सकने में असमर्थ रहा है। राज्य के पाम लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डार हैं इनका उपयोग करके धर्मल पावर की सप्लाई बढ़ायी जा सकती है।

6 उपभोग के केन्द्र (consumption Centres) राजस्थान से बाहर पाये जाते हैं। राजस्थान भूतकाल में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने में विफल रहा है। इसके लिए कई कारण बतलाये गये हैं। लेकिन एक कारण यह है कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाये जाते हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादक व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन राजस्थान में न किया जाकर देश के पूर्वी व

पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों में गये और उन्होंने राजस्थान में आज तक पर्याप्त मात्रा में रुचि नहीं दिखायी। राज्य के सभी मुख्यमंत्री प्रवासी उद्यमकर्तओं को राजस्थान के औद्योगीकरण में सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील करते रहे हैं। लेकिन उसका वांछित आशाजनक व उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलना अभी शेष है। भविष्य में उनकी शक्तियों व शिकायतों का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए समय-समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सकें और उनका वहाँ पर समाधान किया जा सके।

7 प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की कमी राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना परिचय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और अंतर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए, छठी योजना की अवधि में राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय की राशि 622 रुपये थी जबकि समस्त राज्यों के लिए इसका औसत 707 रुपये था। सातवीं योजना में राजस्थान के लिए यह राशि 875 रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 1162 रुपये रही। इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर छठी योजना में 85 रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 287 रुपये हो गया। प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय के अन्तराल (gap) का बढ़ना अनुचित है, क्योंकि इससे प्रादेशिक असमानता को कम करने में बाधा पहुँचती है।

8 सरकार के पास वित्तीय साधनों का अभाव- आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों में विकास-कार्यो एवं अकाल सहायता कार्यो के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय सस्थाओं व जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया है जिसकी कुल बकाया राशि 31 मार्च 1993 के अन्त तक 7,670 करोड़ रुपये हो गयी थी, जिसमें केन्द्रीय ऋणों की राशि 4,364 करोड़ रुपये या लगभग 56.9% थी। आन्तरिक कर्ज की राशि 1,709 करोड़ रुपये व प्रोविडेण्ट फण्ड आदि की 1,597 करोड़ रुपये थी।¹ इस प्रकार राज्य पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियों का भार काफी ऊँचा है। आजकल नए केन्द्रीय ऋण पुराने ऋणों की अदायगी में प्रयुक्त होने लगे हैं। 1991-92 में विभिन्न कर्जों से शुद्ध प्राप्ति का अनुमान 443 करोड़ रुपये व 1992-93 के लिए 344 करोड़ रुपये लगाया गया था। राज्य पर कर्ज का भार मार्च 1994 के अंत तक 8,000 करोड़ रुपये से अधिक माना जा सकता है। अतः राजस्थान कर्ज के भार से काफी दब गया है। केन्द्रीय सहायता भी ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त हो जाती है। इससे

1 Report on Currency and Finance 1991-92 Vol II p 160 वर्ष 1992-93 के लिए बजट अनुमान काम में लिये गये हैं।

की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चलता है। राज्य को नयी योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों को जुटाने की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई व विद्युत आदि क्षेत्रों में किये गये विनियोगों से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से गहरा वित्तीय संकट बना रहता है। वित्तीय साधनों की हानि को कम करने के लिए सरकार ने शराबबन्दी को समाप्त कर दिया है। इसमें राज्य को आबकारी कर से पुनः अच्छी आमदनी होने लगी है। 1993-94 के बजट में इससे 425 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है।

9 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्याएँ

1981-91 के बीच राजस्थान की जनसंख्या में 28.4% की वृद्धि हुई जो भारत में औसत वृद्धि (23.5 प्रतिशत) से 5% बिन्दु अधिक थी। राज्य में रोजगार के साधनों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान है। रोजगार सलाहकार समिति (अध्यक्ष डा. विजयशंकर व्यास) की दिसम्बर 1991 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 1991 से 2000 की अवधि में 44 लाख नये व्यक्ति श्रम शक्ति में प्रविष्ट होंगे। पहले के 4.83 लाख बकाया बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल करने पर उपर्युक्त अवधि में लगभग 49 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने होंगे। इस पर अधिक विस्तार से एक स्वतंत्र अध्याय में विवेचन किया जायेगा। अकाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाती है। लोग यथासम्भव रोजगार के लिये शहरों की तरफ आने लगते हैं जिसमें शहरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण की समस्या भी बहुत जटिल है। इसका सामाजिक पहलू भी है। अतः उनको हल करने के लिये कई दिशाओं में प्रयत्न करने आवश्यक हो गये हैं।

10 धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण उपर्युक्त तत्त्वों के अलावा राज्य के आर्थिक विकास में अन्य तत्त्व भी बाधक रहे हैं जैसे गावों का सामाजिक पिछड़ापन शिक्षा का अभाव कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एवं पर्याप्त जन सहयोग की कमी। इनसे कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक प्रगति के लिये उत्तरदायी माने जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान का सामान्य वातावरण सामाजिक पिछड़ापन जाति प्रथा, ऊँच नीच का भेद भाव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं। योजना कार्यों पर जितना धन व्यय किया जाता है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साधनों के अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया है। राजस्थान की धीमी आर्थिक प्रगति के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने के बाद अब हम राज्य में आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायों के बारे में आवश्यक सुझाव देते हैं।

भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिये सुझाव (Suggestions for Rapid Economic Growth in Future)

राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से लागू की गयी है। 1990-91 व 1991-92 के वर्षों के लिये वार्षिक योजनाये संचालित की गई थीं। इस समय 1993-94 की वार्षिक योजना कार्यान्वित की जा रही है जो आठवीं योजना का दूसरा वर्ष है। अतः हमें भूतकाल के अनुभवों से लाभ उठाकर भावी नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये ताकि राज्य में विकास की गति तेज की जा सके। इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं।

1 आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की भावी सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके। इन सर्वेक्षणों से आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) ने राज्य के लिये 1974-89 की अवधि के लिये एक दीर्घकालीन योजना तैयार की थी जिसमें राज्य के भावी विकास के लिये काफी उपयोगी सुझाव दिये गये थे। एम.वी. माधुर समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यवस्था निर्धारित करने के लिये अपनी जून 1989 की रिपोर्ट में कई उपयोगी सुझाव दिये थे। राजस्थान में 'रोजगार समस्या की मात्रा व भावी अनुमानों पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर 1991 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिये उपयोगी सुझाव दिये गये हैं।

2 सूखे से बचने के लिये सिंचाई के साधनों का विकास राज्य में निरन्तर पड़ने वाले अकालों से बचने के लिये सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिये। इसके लिये सिंचाई के साधनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। राज्य में सभी प्रकार के साधनों से अंतिम सिंचाई की सम्भाव्यता 60 लाख हैक्टेयर आकी गई है जिसमें से 1989-90 के अंत तक 47 लाख हैक्टेयर क्षमता तक का विकास कर लिया गया था। अतः भविष्य में सिंचाई के विकास को काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जिसका उपयोग किया जाना चाहिये। पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था भी बढ़ायी जानी चाहिये और ट्यूब वेल्स के समीप चारे को जमा करने के लिये 'फाडर बैंक' बनाने चाहिये। सिंचाई के विस्तार का एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि गगनहर अथवा इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्र में जहाँ कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदान से 'सेवन (Seven) घास उपलब्ध हो जाती थी अब वहाँ खेती का विस्तार होने से घास की मात्रा काफी कम हो गई है और पशुओं को सद्गूर स्थानों में चराई के लिये ले जाना पड़ता है। इसलिये राज्य में चारे का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। इस दिशा में डेयरी विकास निगम राजस्थान गौ सेवा सच व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे

का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

3. राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-साक्षण व जल व्यवस्था- राजस्थान के शुष्क प्रदेश में सिंचाई की सम्भावनाएँ सीमित होने से उपलब्ध नमी के संरक्षण व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फसलों का ऐसा प्रारूप अपनाना होगा जो कम नमी के अनुकूल हो। इसके लिये बन्डिंग या कन्टूर बन्डिंग की विधि ज्यादा उपयुक्त होगी अपेक्षाकृत टैरेसिंग (terracing), रिजमेकिंग (ridge making), चेक डैम (check-dam) के निर्माण आदि के। बंध के खेतों में चने की फसल कम वर्षा के समय भी हो सकती है। हवा को रोकने में पेड़ व झाड़ियाँ भी लाभप्रद हो सकती हैं। शुष्क प्रदेशों में कौर आदि के पेड़ बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कुछ स्थायी घास की किस्में सुरक्षितक टुकड़ियों का काम कर सकती हैं। इन टुकड़ियों के बीच में खेतों की जा सकती हैं। इनसे खड़ी फसलों की रक्षा की जा सकती है। मिट्टी का हवा से होने वाला कटाव रुकता है और नमी पर नियंत्रण हो पाता है। इन संरक्षण के उपायों से शुष्क प्रदेश में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

4. अरावली क्षेत्र के विकास पर ध्यान- अरावली प्रदेश का राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश गुजरात व उत्तर प्रदेश के सहित व भूतल जल स्रोतों व भण्डारों के निधारण में काफी महत्व है तथा यह रेगिस्तान को पूर की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछली अवधि में काफी क्षति का सामना करना पड़ा है और इसका पर्यावरण व परिवेश सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इस प्रदेश के विकास को पहाड़ी-क्षेत्र विकास में शामिल करने से राज्य को काफी लाभ पहुँचेगा। योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने इसका समर्थन किया है। अतः भविष्य में अरावली प्रदेश का विकास पहाड़ी क्षेत्र विकास का अनिवार्य अंग बनाया जाना राज्य के हित में होगा। इस पर आगे चलकर अधिक विस्तार से विवेचन किया जायेगा।

5. पेयजल की सुविधा- राज्य में जिन क्षेत्रों में पेयजल का अभाव पाया जाता है, उनमें जल-पूर्ति के कार्यक्रम तेजी से लागू करने होंगे। छारे पानी की टट्टी में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिये गाँवों के समूह के लिये क्षेत्रीय योजनाएँ बनानी पड़ेगी और आस-पास नलों के जरिये पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पानी गहराई में उपलब्ध होता है और मनुष्य व पशुओं के पीने योग्य होता है, वहाँ अधिक सखिया में ट्यूब-वैल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रों में नये कुएँ खोदने और पुराने कुओं को गहरा करने से भी काफी सीमा तक पेयजल की समस्या हल हो सकती है।

6. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में नयी बस्तियाँ बसायी जा सकती हैं जिनमें काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अतः इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वेक्षण,

सड़क निर्माण वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। सच पूछा जाय तो मरुभूमि का कल्याण इस नहर को पूरा करने पर निर्भर करता है। इस योजना के पूरा हो जाने पर सारा प्रदेश हरा भरा हो जायेगा और सारी धरती तहसहस उठेगी। अतः केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों को भिलाकर यथासम्भव शीघ्रता से इस परियोजना के दोनों चरणों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। अनावश्यक विलम्ब होने से भविष्य में परियोजना की लागत और बढ़ जायेगी और अन्य कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य सरकार चाहती है कि भारी वित्तीय व्यय की आवश्यकता के कारण इसे केन्द्र अपने हाथ में लेकर संचालित करे।

अकाल राहत कार्यों में सड़क-निर्माण के नाम पर काफी रकम प्रतिवर्ष व्यय होता रहा है लेकिन सड़कें ठोक से नहीं बन पाती हैं। यदि यही धरराशि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने में लगती तो राज्य के लिये ज्यादा अच्छा होता। इस प्रकार साधनों के अभाव की स्थिति में भी साधनों का दुरुपयोग होना वास्तव में एक चिन्ता का विषय है और वह प्रभावपूर्ण नियोजन के अभाव का सूचक है।

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। यह कार्यक्रम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर पाली जालौर, नागौर, चुरू बीकानेर बासवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में लागू किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सड़क लघु सिंचाई वृक्षारोपण चरागाह विकास ग्राम्य जल सप्लाई योजना आदि पर बल देने से अकालों की भीषणता में कमी होगी और लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य में अकाल राहत कार्यों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिये।

7 आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास अभी तक राजस्थान में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास कम हुआ है। राज्य में वृद्धिगत उत्पादन बढ़ाने से कृषि आधारित उद्योग (agro-based industries) व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों जैसे तेल उद्योग काटन जिनिंग व प्रेसिंग खादसारी ब्रेड बिस्कुट, फलों एवं सब्जियों को डिब्बों में भरने में धी पापड भुजिया शर्बत मसालों आदि का विकास किया जा सकता है।

भोलवाड़ा चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में पावर लूम का विस्तार किया जा सकता है। लकड़ी आधारित उद्योग भी डूंगरपुर व झालावाड़ में स्थापित किये जा सकते हैं। इस सबंध में लकड़ी की पेटियाँ कार्ड बोर्ड औजारों के हथिये लकड़ी चारने आदि के उद्योग गिनाये जा सकते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों में चीनी मिट्टी के बर्तन, अभ्रक की पिसाई भारबल कटिंग व ट्रेसिंग आदि का विकास किया जा सकता है। रसायन उद्योगों में साबुन पेट चार्निश प्लास्टिक बूट पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। धातु आधारित उद्योगों में शॉट मेटल

राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। भविष्य में कृषि औजारों तारों का निर्माण आटा मिले स्टील फर्नीचर, स्टोव कुर्कस ताले साइकिल व खिलौने आदि बनाये जा सकते हैं। विविध समूह में खेल का सामान वर्फ आइसक्रीम सिले सिलाये वस्त्र गलीचो जूतो दुग्ध पदार्थ आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य में रत्न जवाहरात व आभूषणों नाना प्रकार की दस्तकारियों पर्यटन आदि के विकास के अवसर विद्यमान हैं जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिये।

इस प्रकार विभिन्न किस्म के उद्योगों का विस्तार करके उपभोक्ता माल व अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास व भी काफी अवसर हैं।

8 प्रचामी उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करना औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों से अधिक विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उन्हें नये उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। राजस्थान के कुछ उद्योगपति अन्य राज्यों में उद्योगों की काफी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने राज्य में आकर उद्योगों को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। आज की परिवर्तित परिस्थितियों में 'निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र' की नीति का विशेष अर्थ नहीं रह गया है बल्कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के शीघ्र व पर्याप्त विकास एवं विस्तार की नीति अपनायी जानी चाहिये। निजी उद्योगपतियों में उद्योगों के संस्थापन संचालन व विकास की जो योग्यता पायी जाती है उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। हमें अनियंत्रित पूँजावाद की शोषण प्रवृत्ति एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता के बीच का कोई अधिक सही एवं अधिक व्यावहारिक मार्ग ढूँढना चाहिये। देश के आर्थिक विकास में दोनों क्षेत्रों का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। इसके लिये सयुक्त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रीको के द्वारा सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य में आने वाले वर्षों में औद्योगिक विनियोग में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

9 वित्तीय साधनों में वृद्धि पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के पास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय साधनों की कमी रहती है। इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। इसके लिये सिचाई व विद्युत परियोजनाओं में किये गये पुराने विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होंगे। जिन क्षेत्रों व जिन वर्गों की आमदनी बढ़ी है उनसे अधिक साधन जुटाने होंगे और भविष्य में अपव्ययपूर्ण उर्च का रोकना होगा। राज्य को आन्तरिक साधनों के सग्रह पर अधिक बल देना चाहिये। गर योजना व्यय की वृद्धि पर रोक न लग सकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति काफी शोचनीय हो गई है। 1986-87 में राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने व बोनस देने से सरकार पर 92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ पड़ा था और 1989 के आरम्भ में राज्य कर्मचारियों

की लम्बी हडताल के धाद जो समझौता किया गया था उसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 114 करोड़ रुपये आका गया था। इस प्रकार राज्य के राजस्व का बड़ा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है जिससे विकास कार्यों के लिये वित्तीय साधनों का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी बिजली व बसों के किराये बढ़ाकर साधन-संग्रह करने का प्रयास किया है लेकिन इससे सर्वसाधारण पर आर्थिक भार बढ़ा है। विभिन्न परियोजनाओं की लागत कम करने व प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

10 राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये- राजस्थान में पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य की आय में लगभग 15% का योगदान मिलता है लेकिन योजना के परिव्यय का 1% से कम अंश ही पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अतः इस असन्तुलन को कम करने की आवश्यकता है। पशु धन के विकास पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता है।

11 पर्यटन का विकास किया जाना चाहिये प्रायः यह देखा गया है कि भारत में आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटकों में से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राज्य पर्यटन से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। राजस्थान में कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ किले मन्दिर (जैसे माउण्ट आबू में देलवाडा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर आदि) अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पुष्कर झीले पर्वतीय प्रदेश वन पुरानी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कला कृतियाँ आदि दर्शनीय हैं। इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते हैं। अतः पर्यटन विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिये जयपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला जाना चाहिये ताकि सीधी चार्टर उड़ानें इस शहर तक की जा सकें। इसके लिये पर्यटन निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करने होंगे। दस्तकारियों का विकास करना होगा। गाइडों व टैक्सी ड्राइवर्स की गलत आदतों पर अंकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क में विदेशी पर्यटक आते ही बहुधा बहुत निराश हो जाते हैं। राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित करने का कदम काफी सराहनीय रहा है।

12 जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनों का अधिक कारगर उपयोग किया जाना चाहिये तथा विकेंद्रित नियोजन को सफल बनाया जाना चाहिये। नियोजन की तकनीक में सुधार किया जाना चाहिये। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नये सिरे से लागत लाभ अध्ययन किये जाने चाहिये। (IRD) व (JRY) के लिये परियोजनाओं का चयन सही ढंग में किया जाना चाहिये। जवाहर रोजगार योजना को सफल बनाने तथा पचासवीं राज मण्डलों को सक्रिय करने के लिये, जिला खण्ड व ग्राम स्तर पर परियोजनाओं के चयन का महत्व बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय साधनों का अपव्यय रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढ़ाया जा सके।

13 अन्य सुझाव- विकास की प्रक्रिया में आर्थिक सामाजिक और

प्रशासनिक क्षेत्रों में समुचित ताल-मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य में शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिये और प्रशासनिक कुशलता में भी सुधार किया जाना चाहिये। स्मरण रहे कि नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी कम करना होता है जिसके लिये राज्य में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों व हरिजनों के कल्याण के लिये विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि करने की नीति के साथ साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिये उचित प्रेरणाएँ व पुरस्कार एवं अकार्यकुशल व बेईमान व्यक्तियों के लिये कड़ी सजाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। ये बातें काफी जानी बूझी हैं। लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार में लागू करने की जिससे विकास की गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रों में उत्पादन व कार्यकुशलता बढ़ायी जा सके।

14 राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पंचवर्षीय योजना का सशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता— कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) गठित किया गया था। लेकिन उसने योजनाओं के निमाण क्रियान्वयन व मूल्यांकन में अभी तक कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभायी है। सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार विमर्श करके इसे अधिक सक्रिय बनाना चाहिये। योजना आयोग की भाँति इसका भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य की विभिन्न समस्याओं के विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में गहन अध्ययन करके राज्य के तौल आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। हाल में सरकार ने योजना बोर्ड का पुनर्गठन करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और इसमें कई विधायक व प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किये गये थे। लेकिन अभी तक इसका अन्तिम स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल गुजरात कर्नाटक आदि के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।

राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके दिल्ली में योजना आयोग को पेश करता है जिसमें आवश्यक कटौती व सशोधन करके योजना आयोग अपनी स्वीकृति दे देता है। उसके बाद प्रायः पंचवर्षीय योजना का सशोधित व अंतिम रूप फिर से विस्तारपूर्वक तैयार करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही योजना की प्रक्रिया जैसे-तैसे जारी रखी जाती है। इससे नियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि का अभाव सदैव बना रहता है। यहाँ तक कि पंचवर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती है। राजस्थान के आर्थिक नियोजन में 10 या 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य का तो कहीं नामे-निशान भी नजर नहीं आता। अतः भविष्य में आवश्यक सशोधन के बाद पंचवर्षीय योजना का अन्तिम मसौदा भी विस्तारपूर्वक जरूर तैयार किया जाना चाहिये, जैसा कि मार्च 1993 में आठवीं योजना 1992-97 के लिए किया गया है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य राज्य की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित

व्यय की राशि के आधार पर पंचवर्षीय योजना का ब्यौरेवार सशोधित व नया स्वरूप तैयार किया जाना चाहिये। उसमें विकास व उत्पादन के लक्ष्यो के अलावा ऐसा करने से राज्य में नियोजन की भूमिका अधिक सबल व सार्थक बन सकेगी। इस समय राज्य में बहुत कुछ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही काम चलाया जाता रहा है जो काफी नहीं है।

यहाँ भी गुजरात की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया जाना चाहिये। इसके लिये काफी तकनीकी कार्य करना होगा जैसे विभिन्न उद्योगों के बीच कड़ियों की स्थापना करना (inter industry linkages) विभिन्न जिलों या प्रदेशों के बीच औद्योगिक कड़ियाँ स्थापित करना कृषि व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना, औद्योगिक संगठन व प्रबन्ध के नये ढाँचे तैयार करना प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना इन्फ्रास्ट्रक्चर व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना टेक्नोलोजी मिशनों का औद्योगिक विकास में उपयोग करना आदि आदि। अभी तक इस प्रकार के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान में नितान्त अभाव रहा है और कुछ ऐच्छिक किस्म के निर्णयों से काम चलाया जाता रहा है। आशा है 1992-2002 की अवधि में आठवों व नवों पंचवर्षीय योजना पहले की कामचलाऊ प्रवृत्तियों व प्रक्रियाओं से मुक्त होकर वैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पायेगी जिनके अभाव में नियोजन एक भुलावे व छलावे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है बल्कि वह एक तरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार तंत्र से भी अधिक बदतर हो गया है।

इन्दिरा गांधी नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने से राज्य को काफी लाभ प्राप्त होगा। राज्य में खनिज सम्पदा डेयरी विकास व पशु धन के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। राज्य सरकार चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिये भी करना होगा। इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अतः कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेज गति से न कर सके। आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों व अकाल राहत के कार्यक्रमों में अधिक ताल मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य की जल समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं ? उनको व्यवहार में कहीं तक प्राप्त किया जा सका है ? विवेचना कीजिये।

- 2 राजस्थान में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिये।
- 3 राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिये। उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिये।
- 4 नियोजन काल में राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये।
- 5 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान के आर्थिक विकास का मूल्यांकन कीजिये।
- 6 'राजस्थान में योजनावधि में विकास की दर समस्त देश की तुलना में नीची रही है।' क्या आप इस मत में सहमत हैं ? राज्य में विकास की गति को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिये।
- 7 योजनकाल में राजस्थान की आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिये।
- 8 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये
 - (i) राज्य में योजनावधि में आर्थिक प्रगति,
 - (ii) राजस्थान की योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का आवंटन।

राजस्थान में आधार-संरचना का विकास (Infrastructure Development in Rajasthan)

इस अध्ययन में आधार संरचना के विकास के अन्तर्गत राजस्थान में सिंचाई विद्युत व सड़को के विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा ।

1. सिंचाई का विकास राजस्थान में निरन्तर पड़ने वाले सूखे व अकाल तथा राज्य के लगभग दो तिहाई भू भाग में मरु व अर्द्ध मरु क्षेत्र के पाये जाने के कारण सिंचाई का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया है । राज्य में नदियों व तालाबों की कमी पायी जाती है । पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदिया बरसाती नदिया है । उनके पानी का उपयोग बाध बनाकर किया जा सकता है । इस क्षेत्र में कुओ का पानी कम गहराई पर पाया जाता है जिसे पम्प द्वारा निकालकर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है । राज्य में योजनाकाल में वृहद्, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है । वृहद् (major) सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (Culturable command area) (CCA) 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है, मध्यम में यह 2 से 10 हजार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (Minor) में 2 हजार हैक्टेयर तक होगा है ।

आगे दर्शायी गयी तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है । चतुर्थ व पंचम योजनाओं में यह 34% रहा । सातवी योजना में यह 22.2% रहा था 1993-94 के लिये लगभग 17.7% रखा गया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को अवधि के लिये यह 16.7% निर्धारित किया गया है ।

सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर व्यय की राशि प्रथम योजना में 31.3 करोड़ रुपये से बढ़कर सातवी योजना में 690.5 करोड़ रुपये हो गई तथा आठवीं योजना (1992-97) के लिये 1920 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है । 1993-94 की वार्षिक योजना के लिये यह 301.4 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है ।

योजनाकाल में सिंचाई की सम्भाव्यता (Irrigation potential) का विकास राज्य की सिंचाई योजनाओं में सिंचाई के विकास पर भारी विनियोगों

की व्यवस्था की जाती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है।¹

योजना काल	सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात (प्रतिशत में)
प्रथम	31.3	54.1	57.8
द्वितीय	27.9	102.7	27.2
तृतीय	87.9	212.7	41.3
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	46.6	136.8	34.1
चतुर्थ	105.3	308.8	34.1
पंचम	271.2	857.6	31.6
1979-80	76.3	290.2	26.3
छठी	553.3	2150.7	26.0
सातवा	690.5	3106.2	22.2
1990-91	177.5	975.6	18.2
1991-92	217.8	1166.0	18.7
आठवीं (1992-97) (प्रस्तावित)	192.0	1150.0	16.7
1992-93	252.8	1400	18.1
1993-94	301.4	1700	17.7

योजनाओं में सिंचाई पर भारी वित्तियोगों के फलस्वरूप राज्य में सिंचाई

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर खोल-पड़, मार्च 1991 पृ 48-51 तथा आय-व्ययक अध्ययन 1992-93, पृ 132-133 (1990-91 से 1992-93 के लिये) तथा राजस्थान शासन के आय-व्ययक अनुसंधान पर स्मृति-पत्र, मार्च 1993 पृ 2

की सम्भाव्यता (irrigation potential) 1950-51 में 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर सातवीं योजना के अंत में अर्थात् 1989-90 में लगभग 22.32 लाख हेक्टेयर हो गई है।¹

योजनाकाल में वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर किये गये व्यय व उससे उत्पन्न सिंचाई की सम्भाव्यता निम्न तालिका में दर्शायी गई है। साथ में लघु सिंचाई के विकास पर किये गये व्यय व उत्पन्न सिंचाई की सम्भाव्यता भी दी गई है।²

योजनावधि	वृहद् व मध्यम परियोजनाओं पर व्यय (करोड़ रु.)	इनसे उत्पन्न सिंचाई-सम्भाव्यता (लाख है. में)	लघु सिंचाई पर व्यय (करोड़ रु.)	इनसे उत्पन्न सिंचाई-सम्भाव्यता (हजार है. में)
योजना पूर्व अवधि	उपलब्ध नहीं	3.2	उपलब्ध नहीं	80
प्रथम योजना	23.8	0.9	1.1	13
द्वितीय	33.6	1.1	1.7	30
तृतीय	65.4	3.3	3.3	22
1966-69	37.6	1.5	3.1	10
चतुर्थ	90.7	1.4	11.4	25
पाचवीं (79-80 सहित) अर्थात् (1974-80 तक)	294.5	4.1	30.8	48
छठी	380.8	1.7	36.5	54
सातवीं (अनुमानित) (1985-90)	589.0	2.0	108.7	38.6
कुल	1515.4	19.2	196.6	320.6

1 Eight Five Year Plan 1992-97 March 1993 (Rajasthan) p 164

2 Report of the Working Group on Irrigation for the Eight Five Year Plan (1990-95) Department of Irrigation Government of Rajasthan, Jaipur September 1989

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (1951-90) में सिंचाई की वृद्धि व मध्यम योजनाओं पर 1515 करोड़ रुपये के व्यय से 19.2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) उत्पन्न की गई। इसी अवधि में लघु सिंचाई की स्कीमा पर लगभग 197 करोड़ रुपये के व्यय से 3.2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया। इस प्रकार कुल 1712 करोड़ रु के व्यय से लगभग 22.4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता की जा सकी। (जो ऊपर दिये गये 22.32 लाख हेक्टेयर के समीप आती है)। स्मरण रहे कि सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने की प्रति हेक्टेयर लागत काफी तेजी से बढ़ रही है। उदहरण के लिये वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर तृतीय योजना में 65.4 करोड़ रुपये के व्यय से 3.3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का विकास हुआ जबकि सातवीं योजना में 589 करोड़ रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा सका। इसी प्रकार की स्थिति लघु सिंचाई कार्यक्रमों में भी प्रकट हुई है। तृतीय योजना में इन पर 3.3 करोड़ रुपये के व्यय से 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की गई थी जबकि सातवीं योजना में 108.7 करोड़ रुपये के व्यय से 38.6 हजार हेक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा सका। इस प्रकार दोनों प्रकार की परियोजनाओं में प्रति हेक्टेयर सिंचाई के सृजन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

प्रथम योजना में वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर सिंचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) उत्पन्न करने की लागत प्रति हेक्टेयर 2644 रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार इस अवधि में लागत 10 गुनी से अधिक हो गई। भविष्य में अधिक जटिल क्षेत्रों में सिंचाई का प्रयास करने से यह लागत और बढ़ेगी।¹

सिंचाई से फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। 1985-86 से 1988-89 की अवधि के लिये राजस्थान में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के औसत परिणाम सिंचित व असिंचित फसलों के लिये इस प्रकार रहे

1 Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990-2000 AD Planning Department, Government of Rajasthan p 118

(1985-86 से 1988-89 तक का औसत)

प्रति हेक्टेयर उत्पादन (किलोग्राम में)

फसल	सिंचित	असिंचित
1 खाद्यान्न	1820	300
2 तिलहन	772	368
3 कपास	247	97

इस प्रकार सिंचाई से खाद्यान्नो की प्रति हेक्टेयर पैदावार असिंचित भूमि की तुलना में 6 गुनी, तिलहन की दुगुनी से अधिक तथा कपास की लगभग 2.5 गुनी रही। खाद्यान्नो की पैदावार सिंचित भूमि पर और बढ़ायी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार यह 4000 से 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की जा सकती है।

राजस्थान में सिंचाई-गहनता (irrigation intensity) में धीमी गति से वृद्धि -

सिंचाई-गहनता निकालने के लिये सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देना होता है। इसकी बदलती हुई स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

योजना अथवा वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्र (लाख है. मे)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख है. मे)	सिंचाई-गहनता
प्रथम योजना का औसत	14.39	12.07	119.21
छठी योजना का औसत	38.31	31.17	124.51
1988-89	43.65	34.81	125.4
1989-90	44.61	36.35	122.7
1990-91	46.52	39.04	119.2

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सिंचाई-गहनता प्रथम योजना के 119.2 के औसत से बढ़कर 1989-90 में 122.7 पर आ गई थी। लेकिन 1990-91 में यह 119.2 के स्तर पर रही जो पहले के समान थी। इसमें सिद्ध होता है कि एक से अधिक बार सिंचाई का क्षेत्र तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है।

1990-91 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हेक्टेयर तथा सकल सिंचित

क्षेत्रफल 465 लाख हैक्टेयर रहा। सकल सिंचित क्षेत्रफल में से 266 लाख हैक्टेयर में (57%) कुओ व ट्यूबवैल से सिंचाई हुई तथा 177 लाख हैक्टेयर में (38%) नहरों से सिंचाई सम्पन्न की जा सकी। इस प्रकार राज्य में कुओ व ट्यूबवैलो की सिंचाई की प्रधानता देखने को मिलती है। इसी वर्ष ताराबों का सकल सिंचित क्षेत्रफल में अंश 4.3% रहा।

योजनाकाल में सिंचित क्षेत्रफल की प्राप्ति

योजनाकाल में चुने हुए वर्षों के लिये बना सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है -

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत
1950-51	11.7	12.0
1960-61	20.8	14.9
1970-71	24.5	14.7
1980-81	37.5	21.6
1990-91	46.5	24.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल कृषित क्षेत्रफल से अनुपात 1950-51 में 12% से बढ़कर 1990-91 में लगभग 24% पर आ गया है। इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 3/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है। इसलिये राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब हम राजस्थान में नहरों की सिंचाई पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। इनमें कुछ नहरें पुरानी हैं और कुछ नई हैं। पुरानी नहर व्यवस्था में गगनहर व भरतपुर नहर का उल्लेख करना आवश्यक है। आगे चलकर हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा सिंचाई की वृद्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत भी नहरों की सिंचाई का वर्णन करेंगे।

गगनहर --

नहरों के सम्बन्ध में राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है। यह सन् 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर (पंजाब) के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी। मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (गगानगर) तक बहती है।

1 राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 1991 पृ 53 आय व्यवक अध्ययन 1992-93 पृ 111 तथा Some Facts About Rajasthan 1992 pp 40-42

इसकी लम्बाई 137 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं की लम्बाई 1280 किमी है। इससे गगानगर जिले में 15 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। इसकी सिंचाई से कपास, गेहूँ, माल्टा आदि की फसले उत्पन्न की जाती हैं। यह नहर अब काक पुरानी हो चुकी है और इसे मरम्मत की आवश्यकता है।

सन् 1984 में इस नहर को गगनहर लिंक चैनल से जोड़ने का काम शुरू किया गया था। यह लिंक चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे इसमें इन्दिरा गांधी नहर का पानी छोड़ा जायेगा। लिंक चैनल का उद्गम हरियाणा में लौहगढ नामक स्थान पर होगा। यह चैनल साधुवाली (गगानगर) के पास गगनहर में मिल जाती है।

भरतपुर नहर

यह नहर 1964 में बनकर तैयार हो गई थी। यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमें से 16 किमी लम्बाई उत्तरप्रदेश में आती है। इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। भरतपुर जिले में इससे 8500 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में भारी योगदान मिला है।

गुडगाव नहर

यह नहर यमुना नदी से ओखला (दिल्ली) के पास से निकाली गई है। इसका निर्माण 1966 में शुरू किया गया था और यह 1985 में बनकर तैयार हो गई थी। राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरेरा गाव में प्रवेश करती है राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है। इससे कामा व डोंग तहसीलों में 28200 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। यह सिंचाई की वृद्धि परियोजना में आती है।

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

तथा सिंचाई की वृद्धि परियोजनाएँ

(अ) राजस्थान की बहुउद्देशीय तथा अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनायें इस प्रकार हैं

1. भाखडा नगल परियोजना में हिस्सा
2. चम्बल परियोजना में हिस्सा
3. व्यास परियोजना,
4. माही परियोजना।

(आ) सिंचाई की वृद्धि परियोजनायें (जिन पर कार्य किया जा रहा है) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सिंचाई की वृद्धि परियोजनाओं के अर्न्तगत कृषि के लायक कमाण्ड क्षेत्रफल 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है। ये निम्नांकित हैं

1 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

2 अन्य सात बृहद् सिंचाई परियोजनाएँ पुड़गाव नहर, ओखला जलशाय नर्मदा जाखम बीसलपुर, बोहरा फोडर व सिद्धमुख । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है ।

राज्य की बहुउद्देश्यीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ

1 भाखड़ा नागल यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजना है । इसमें पंजाब हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं । राजस्थान का इसमें 15.2% अंश रखा गया है । इस योजना से राजस्थान के गगानगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकती है और वहाँ सिंचाई का विस्तार हुआ है । राज्य में छोटी बड़ी मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई हैं मुख्य शाखा नहरों की तलहटियाँ पक्की बनाई गई हैं जिससे बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा न सोखा जा सके । नहरों की खुदाई और लाइनिंग के साथ साथ गाँव बसाने मण्डियाँ और सड़कें बनाने आदि का कार्य भी किया गया है । भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हैक्टेयर है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हैक्टेयर हरियाणा का 5.5 लाख हैक्टेयर तथा पंजाब का 6.8 लाख हैक्टेयर रखा गया है ।

इस योजना में सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली भी पैदा की जाती है । नागल का बिजलीघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजला मिलने लगी है । राजस्थान की बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली दी गई जहाँ से यह अन्य शहरों और गाँवों में पहुँचाई गई । फलस्वरूप चुरू गगानगर झुन्झुनूँ व सीकर आदि स्थानों को भी भाखड़ा की बिजली पहुँचाई गई है ।

2 चम्बल परियोजना चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी और एकमात्र अविरल बहने वाली नदी है । चम्बल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं । इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है । इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर बांध बनाया गया है ।

(i) गांधी सागर बांध (प्रथम अवस्था) यह धानपुरी (मध्यप्रदेश) से 10 मील उत्तर पश्चिम में और चौरासीगढ़ से 5 मील नीचे बनाया गया है । यह सबसे बड़ा जलशाय है । (ii) राणाप्रताप सागर बांध (द्वितीय अवस्था) यह पहले बांध से 21 मील नीचे चूलिया झरने पर बनाया गया है । (iii) जवाहर सागर बांध (तृतीय अवस्था) यह बांध केवल पिंक-अप बांध है जिसमें गांधीसागर बांध व राणाप्रताप सागर बांधों से छोड़ा गया पानी इकट्ठा किया जाता है । यह कोटा शहर से 10 मील दक्षिण में बनाया जा रहा है । इसे कोटा बांध भी कहते हैं । (iv) कोटा सिंचाई बांध (Kota Barrage) (प्रथम अवस्था) यह कोटा शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है । पहले तीन बांधों के साथ

पन बिजलीघर भी बनाये गये हैं। यह योजना की पहली अवस्था में गांधी सागर बाध तथा बिजली घर कोटा सिचाई बाध और जवाहर सागर बाध में दायाँ और बायीं मुख्य नहरों का काम हाथ में लिया गया था जो अब पूरा हो गया है। द्वितीय अवस्था में रावतभाटा के पास राणाप्रताप सागर बाध व बिजलीघर बनाये जा रहे हैं। तृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाध बनाया जा रहा है। चम्बल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया कोटा व बूंदी जिल्ले में सिचाई की सुविधा बढ़ेगी। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाव क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख लिये जाने आदि की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे सिचाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विश्व बैंक की सहायक संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन की सहायता से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिकीकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। छठी योजना (1980-85) की अवधि में राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिफ्ट स्कीम के चालू कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी। चम्बल परियोजना के नये कार्यक्रमों में बूंदी शाखा का विस्तार, कोटा जलारण्य को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स शामिल किये गये थे। अब चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है। इससे 45 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। चम्बल लिफ्ट स्कीम के अर्न्तगत सिचाई की अधिकतम क्षमता 47 880 हैक्टेयर रखी गयी है।

3 व्यास परियोजना (Beas Project) यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिली जुली बहुउद्देश्यीय योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी निम्न तीन इकाइयाँ हैं (1) व्यास सतलज कड़ी (2) पोग स्थान पर व्यास नदी पर बाध (3) व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली। पहली इकाई में पण्डोह (Pandoh) (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरंगें सात मील लम्बी खुली हाइडल चैनल (बागो से सुन्दर नगर तक) एवं शक्ति सयंत्र (देहरा स्थान पर 165 मेगावाट क्षमता का) शामिल किया गया है।

दूसरी इकाई में पोग बाध (व्यास नदी पर) का उद्देश्य राजस्थान के लिये पानी एकत्र करना है। इससे पंजाब हरियाणा व राजस्थान में सिचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। इसमें एक शक्ति सयंत्र को स्थापित करने की योजना भी है। इसका निर्माण कार्य व्यास नियंत्रण मण्डल की देखरेख में सम्पन्न किया जा रहा है। राजस्थान को व्यास परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिचाई का लाभ नहीं मिलेगा। यह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल सप्लाई करेगी। इस योजना से तीनों राज्यों में 21 लाख हैक्टेयर भूमि की सिचाई हो सकेगी। इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी

(कुल क्षमता 240 मगावाट होगी) ।

रावी व्यास नदी जन विवाद¹ - पिछले दो दशकों से रावी व्यास नदी जल विवाद चलता आ रहा है । अन्तर्राज्यीय जन विवाद (सशोधन) अधिनियम 1986 पंजाब समझौते को लागू करने के लिये पारित किया गया था । इसके अन्तर्गत इराडी आयोग का गठन किया गया जिसको दो कार्य सौंपे गये थे

(i) यह निर्धारित करना कि पंजाब राजस्थान और हरियाणा के किसान 1 जुलाई को रावी व्यास नदियों का कितना कितना पानी उपयोग में ला रहे थे ताकि कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे । (पंजाब समझौते के पैरा 9 (1) के अनुसार)।

(ii) आयोग यह निर्णय करेगा कि पंजाब व हरियाणा के अपने बाकी बचे हुए हिस्से में से कितना हिस्सा किस राज्य (पंजाब या हरियाणा) को मिलेगा । आयोग का यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा (पंजाब समझौते के पैरा (2) के अनुसार)

इस प्रकार इराडी आयोग की नियुक्ति किमी स्वतंत्र न्यायिक निर्णय के लिये नहीं की गई थी बल्कि राजीव लोगेवाल पंजाब समझौते में किये गये राजनैतिक निर्णय को लागू करने में मदद देने के लिये की गई थी ।

पंजाब का यह तर्क रहा है कि रावी व्यास नदिया राजस्थान में होकर नहीं बहती इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि पंजाब व हरियाणा के आपसी विवाद में राजस्थान को अनावश्यक रूप में घसंटा लिया गया है । राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियों के पानी में पूरा हकदार माना जाना चाहिये । राजस्थान के विशाल रेगिस्तान व सूखा क्षेत्र को सिंचाई के लिये पानी की निरन्तर आवश्यकता है ।

इराडी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 1987 में पेश की थी जिसके अनुसार पंजाब हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे।

राज्य	नये निर्धारित अंश	पूर्व अंश
(1) पंजाब	50 लाख एकड़ फुट	42.2 लाख एकड़ फुट
(2) हरियाणा	38 लाख 30 हजार एकड़ फुट	35 लाख एकड़ फुट
(3) राजस्थान	86 लाख एकड़ फुट	86 लाख एकड़ फुट

इस प्रकार इराडी आयोग की सिफारिशों में पंजाब व हरियाणा के हिस्से

1 सूचनात्मक मुद्रण, "पंजाब व राजस्थान अपने अपने राजस्थान पत्रिका 6 जून 1986 तथा "इराडी आयोग की अमहौद कार्रवाई राजस्थान पत्रिका 26 मई 1987

बढ़े हैं तथा राजस्थान का यथावत रहा है। इससे राजस्थान का वास्तविक अंश रावी व्यास पानी में 3% कम हो गया है। इस बात से राजस्थान का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि राज्य में बहुधा सुखा पड़ता रहता है और यहाँ की जनता की आवश्यकता भी अधिक है। इसलिये राजस्थान का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिये था। लेकिन अब समझौते के अन्तर्गत अतिरिक्त पानी पंजाब व हरियाणा में ही विभाजित किया गया है।

जून 1992 में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअतसिंह ने सलाह दी कि राजस्थान को रावी व्यास नदियों के अपने हिस्से के पानी में से 2 मिलियन टन एकड़ फुट (20 लाख एकड़ फुट) पानी हरियाणा को देना चाहिये जो राष्ट्रहित में होगा। लेकिन यह सुझाव राजस्थान के हितों के विपरीत है। पंजाब व हरियाणा में सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात राजस्थान से कहीं ज्यादा है। राजस्थान द्वारा 2 मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर देने से इसको लिफ्ट योजनाओं व कई कमाण्ड क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पायेगा जिससे राजस्थान की शक्ति पहुँचेगी।¹

4 माही बजाज सागर परियोजना -- यह राजस्थान व गुजरात की मिली-जुली परियोजना है। इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की जायेगी। राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार गुजरात व कडाना बांध (Kadana Dam) बनाया जाना था जिसकी पूरी लागत गुजरात वहन करेगा और वही उसका लाभ लेगा। लेकिन समझौते में यह व्यवस्था की गई थी कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जायेगा और इसके लिये राजस्थान गुजरात को बांध की यथोचित लागत भरेगा।

माही बजाज सागर परियोजना पर 1968 से कार्य चल रहा है। इसकी प्रथम इकाई सिंचाई के लिये है, जिसमें राजस्थान व गुजरात दोनों का हिस्सा है (मुख्य बांध 3109 मीटर लम्बा है। इसके व्यय में गुजरात का अंश 55% तथा राजस्थान का 45% है।) इकाई II में सिंचाई व शक्ति दोनों में केवल राजस्थान का ही हिस्सा है। इकाई III भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति वाला भाग है। इकाई IV में राजस्थान का ही सिंचाई वाला भाग शामिल है। सातवीं योजना में इकाई V पर भी कुछ व्यय किया गया था। यह भी राजस्थान के सिंचाई वाले भाग के लिये ही था।

सातवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 306 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका था जिसमें सिंचाई पर 229.6 करोड़ रु तथा शक्ति पर 76.4 करोड़ रु व्यय हुए थे। सिंचाई और शक्ति दोनों पर राजस्थान का हिस्सा 249.8 करोड़ रु तथा गुजरात का हिस्सा (इकाई I का) 56.2 करोड़ रु रहा है।

योजना की तीसरी इकाई में शक्ति का विकास किया जा रहा है। शक्ति गृह न 2 का कार्य काफी आगे बढ़ गया है। इस पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई जा रही हैं। प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं। इसे जनवरी 1986 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस प्रकार इसकी पावर की कुल क्षमता $(90+50) = 140$ मेगावाट है। पावरहाउस नं 2 की पहली इकाई फरवरी 1986 में तथा दूसरी इकाई जुलाई 1989 में चालू की गयी थी। राजस्थान व गुजरात राज्य में 8.8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी मिलेगा। मार्च 1991 तक इस परियोजना से राजस्थान में 74,760 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता सृजित कर ली गई थी जबकि वास्तविक सिंचाई 46,217 हेक्टेयर में हो पाई थी। 1991-92 में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 76,540 हेक्टेयर तथा वास्तविक सिंचाई 50 हजार हेक्टेयर में करने का अनुमान लगाया गया। 1992-93 में 1780 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिये परियोजना पर 25 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई व विद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का कृषिगत व औद्योगिक विकास होगा जिससे लोगों के जन जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकेगा।

सिंचाई की बृहद् परियोजनाएँ (Major Irrigation Projects)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का मानचित्र -

इन्दिरा गांधी नहर



(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (इगानप) (Indira Gandhi Nahar Project) (IGNP) का विवरण - यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लम्बी सिंचाई प्रणालियों (Irrigation Systems) में से एक मानी जायेगी। यह धार के रेगिस्तान के बड़े भू भाग को हरा भरा बना देगी तथा चुरू, गगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों को लाभ पहुँचायेगी। इसकी सिंचाई की कुल क्षमता 14 67 लाख हैक्टेयर होगी (चरण I में 5 90 लाख हैक्टेयर तथा चरण II में 8 77 लाख हैक्टेयर)। इसके अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (Culturable command area) 16 32 लाख हैक्टेयर होगा (चरण I में 5 36 लाख हैक्टेयर तथा चरण II में 10 96 लाख हैक्टेयर)।¹

प्रथम चरण (Stage I) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर (जो पंजाब में व्यास व सतलज नदियों के संगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होती है और हनुमानगढ़ के पास प्रसीतवाली गाव पर समाप्त होती है) 189 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 किलोमीटर में वितरिकाओं के निर्माण कार्य रखे गये थे जो पूरा होने में आ गये हैं। द्वितीय चरण (Stage II) में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (189 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) (छतरगढ़ से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तक) तथा 5756 किलोमीटर में वितरिकाओं (कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र व छ लिफ्ट नहरों के क्षेत्रों को शामिल करके) के निर्माण कार्य रखे गये हैं। 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाया गया था। हिमालय की गगनचुम्बी बर्फोली चट्टानों से सैंकड़ों मील दूर प्यासे और तपते हुए रेगिस्तान को जीवनदायक जल पहुँचाना एक भगीरथ प्रयास की सुखद परिणति है। इसके साथ ही वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी कराया गया है। मुख्य नहर पर मिट्टी की खुदाई का काम पूरा हो चुका है तथा वितरक प्रणालियों पर भी आंशिक मिट्टी की खुदाई का काम किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कुल सम्भावित लागत 1186 करोड़ रुपये आकी गई है जिसमें प्रथम चरण की लागत का अनुमान 255 करोड़ रुपये व द्वितीय चरण का 931 करोड़ रुपये रखा गया है।

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरीज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा। यहाँ पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगी। वैसे भी वहाँ मामूली बरसात से 'सेवण' घास पैदा होती है जो पशुओं के लिये पौष्टिक मानी जाती है। मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लालवा शाखा निकाली जा रही है। यह 90 किलोमीटर लम्बी होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिंचाई करेगी। ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान

में मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के करीब 18 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है। पानी के अभाव में वीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवं पशु-पक्षियों को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को सिंचाई की सुविधा मिली है। अब इस परियोजना को बाडमेर में गडरा रोड तक बनाने की स्वीकृति मिल गई है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार बढ़ेगी। नये उद्योग, नये नगर, नई बस्तियाँ, ये सब नहर के ही वरदान होंगे। नहरी क्षेत्र में लाखों व्यक्तियों को बसाने का कार्यक्रम है। इसके लिये 'मास्टर प्लान' पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी। इससे रावी व्यास के जल का ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र में निरन्तर सूखे के कारण अकाल-राहत कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस परियोजना का महत्त्व काफ़ी बढ़ गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर मारा देश लाभन्वित होगा।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) के निमाण का काम चल रहा है। मुख्य नहर के अखरी छोर से एक और बड़ी शाखा दीघा भी निकाली जायेगी जिसका निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जा चुका है। इन दोनों शाखाओं में जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमन हो जायेगा।

योजना को पूरा करने में सीमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं। इस नहर से लिफ्ट सिंचाई (जलोत्थान) स्कीम को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिये जल मिल सके। मुख्य नहर से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों में पानी को ऊपर उठाया जाता है। एक बार में लिफ्ट में पानी को 60 मीटर ऊपर उठा सकते हैं। जोधपुर को लिफ्ट नहर से 1992 में पानी देने का लक्ष्य रखा गया था। छ लिफ्ट नहरों के नाम इस प्रकार हैं -

(1) बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर - इससे बीकानेर शहर को पानी मिलेगा।

(2) गजनेर लिफ्ट नहर

(3) सहवा लिफ्ट नहर इससे कई गावों के अलावा सरदार शहर व तारानगर को पानी मिलेगा।

(4) कोलायत लिफ्ट नहर

(5) फलींदी लिफ्ट नहर

(6) पोखरण लिफ्ट नहर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से धार के बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा फलों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य सरकार चाहती

है कि इस परियोजना को केन्द्र पूरा करे क्योंकि इसके लिये भारी मात्रा में वित्तीय व्यय की आवश्यकता है। अतः सतलज यमुना लिंक (SYL) की भाँति इसका वित्तीय भार भी केन्द्र को वहन करना चाहिये। इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रकार से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में वृद्धि, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के पसार पर रोक मछली पालन को प्रोत्साहन परिवहन का विकास अनाज की मण्डियों का निर्माण पशुपालन का विकास औद्योगिक विकास पर्यटन विकास आदि।

1993-94 में 44 800 हेक्टेयर में आउटलेट पर अतिरिक्त सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ में पक्के चाले भी तैयार किये जा रहे हैं। योजना का सम्पूर्ण काम दसवी योजना के अन्त (2002) तक पूरा हो जायेगा।

मार्च 1992 के अन्त तक प्रथम चरण में 5 90 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की जा चुकी थी। द्वितीय चरण में मार्च 1992 तक कृषियोग्य कमाण्ड क्षेत्र 2 78 लाख हेक्टेयर में खुलने का तथा सिंचाई की सम्भाव्यता 2 22 लाख हेक्टेयर में उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया था। इनमें वृद्धि की जा रही है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिये भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र देने में असमर्थ है। अतः इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से साधन जुटाने होंगे। परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिये पशुपालन चारागाह विकास व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन्दिरा गांधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव (सेम) से काफी उपजाऊ भूमि नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास नजर आने लगा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक देते हैं जिससे सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या का समाधान होना चाहिये। यदि सेम नहर से हो रहा है तो सीमेंट प्लास्टर पर एक-एक टाइल की लाइनिंग की एक और परत बिछा कर उसे रोका जाना चाहिए। रिसाव रोकने का कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिये।

(2) अन्य बृहद् सिंचाई परियोजनाएँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस समय सिंचाई की निम्न 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा

रहा है गुडगाव नहर ओखला जलाशय नर्मदा जाखम (जनजाति योजना के अन्तर्गत) बीसलपुर (जिला टोक) नोहर फीडर तथा सिद्धमुख । इन सिंचाई की वृहद परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न तालिका में दिया गया है ।¹

वृहद सिंचाई परियोजनाएँ	जिला	अधिकतम सिंचाई की क्षमता (हेक्टेयर में)
1 जारउम	उदयपुर	23505
2 गुडगाव नहर	भरतपुर	28200
3 ओखला जलाशय	भरतपुर	(गुडगाव का ही भाग)
4 नर्मदा	जाली	73157
5 सिद्धमुख	श्रीगंगानगर	33620
6 नोहर	श्रीगंगानगर	13665
7 बासलपुर	टोक	69300 (इसकी 72% सिंचाई क्षमता पर 49900 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा)

इनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है

(1) सिद्धमुख परियोजना इससे श्री गंगानगर जिले की नोहर व भादरा तहसीलों तथा चूरू जिले की तारागढ व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा । इसमें राजस्थान रावी व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से में दिसम्बर 1981 में पंजाब हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत मिला है । राजस्थान को मिलने वाला पानी नागल हेड वर्क से भाखडा मुख्य नहर, पंजाब में होते हुए फतेहाबाद शाखा तथा किशनगढ उपशाखा हरियाणा के समानान्तर नहर द्वारा लाया जायेगा । इसकी अनुमानित लागत 103 करोड़ रु है ।

(2) नोहर परियोजना का लाभ श्रीगंगानगर जिले में नोहर तहसील को मिलेगा । ये दोनों परियोजनाएँ एक ही कार्यक्रम का अंग हैं ; इसमें रावी व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग किया जायेगा । इसकी अनुमानित लागत 4060 करोड़ रुपये है ।

(3) नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना एक वृहद परियोजना है ; इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत

1 प्रगति प्रतिवेदन, 1991-92 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर पृ 15 तालिका सख्या 5

548 करोड़ रुपये आकी गई है। इससे राजस्थान को भी सिंचाई का लाभ जालौर जिले के 76 गावों तथा बाड़मेर जिले के 7 गावों को मिलेगा। राजस्थान में इसके लिये नहर निर्माण कार्य 8 वर्ष में पूरा होने का प्रस्ताव है। नर्मदा के जल बँटवारे के बारे में राजस्थान व गुजरात में कोई मतभेद नहीं है।

(4) बीसलपुर योजना (Bisalpur Project) - इस परियोजना में बनास नदी पर बीसलपुर गाव के पास एक बाध बनाया जा रहा है। यह गाव टोक जिले में टोडारायसिंह कस्बे से 13 किमी दूर है उस पर 1986-87 में कार्यान्वयन हुआ था। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जायेगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरों को घरेलू उपयोग के लिये पानी देना है और टाक अजमेर तथा बूंदी जिलों के गावों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराना है।

ये 6 नगर अजमेर ब्यावर, किरानगढ़, नसौरवाड़, केकडी और सरवाड़ हैं। जहाँ आज भी पीने के पानी और घरेलू उपयोग व कल कारखानों के लिये पानी की बहुत कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिये बनास नदी के बहाव क्षेत्र में चार स्थानों पर नलकूप और कुएँ छोटे ग्ये ह। ये चार स्थान भाड़ला छतरी, नेगडिया और देवली हैं।

साड़ला में 20 नलकूप छतरी में 16 नलकूप और एक कुआँ तथा नेगडिया और देवली में एक एक कुआँ छोड़ा गया है। आगे चलकर इस परियोजना से पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलेगा। बनास नदी के दायीं तरफ करीब 69 300 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 72% सिंचाई क्षमता पर 49 900 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा पहुँचाने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना पर नहर निर्माण का कार्य 1992-93 में आरम्भ करने का विचार था। 1991-92 के अंत तक इस परियोजना पर 78 30 करोड़ रुपये व्यय किया गया तथा 1992-93 के लिये बाध व नहर निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया।

कुछ अन्य बाधों का परिचय

(1) जवाई बाध - यह बाध जवाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी की सहायक है। जवाई नदी पाली जिले में अरावली पर्वत की पश्चिमी ढाल पर बहती है। यहाँ एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से 3 किमी दूर जवाई बाध बनाया गया है। इस बाध को बनाने का कार्य 1946 में शुरू हुआ था और यह 1951-52 में बनकर तैयार हो गया था।

इस बाध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरों को घरेलू उपयोग के लिए पानी दिया जाता है। इसके अलावा पाली जिले में 26 हजार हेक्टेयर भूमि और जालौर जिले में 15 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है।

इस परियोजना में एक पक्का बांध बनाया गया है। इसके दोनों किनारों पर मिट्टी का बांध है। इसके दोनों ओर ऊँची दीवारें हैं। बांध से 176 किमी लम्बी नहर निकाली गई है।

(ii) जाखम बांध यह बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ तहसील (जिला चित्तौड़गढ़) में बनाया गया है। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। बांध बनाने का कार्य 1962 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य धरियाबाद (जिला उदयपुर) और प्रतापगढ़ के गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर भील आदिवासी रहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों को इस योजना से बहुत लाभ पहुँचा है।

मुख्य बांध से 13 किमी नीचे नागरिया गांव में एक पिकअप बांध बनाया गया है। ऊपरी बांध के प्रवाह क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ जमीन है जो खेती के लिये उपयोगी नहीं है। इसलिये निचले उपजाऊ भागों को सिंचाई करने के लिये एक पिक-अप बांध बनाना जरूरी था।

पिकअप बांध के दाये और बाये किनारों से दो नहरें निकाली गई हैं। मुख्य बांध पर 45 मेगावाट जल विद्युत बनाने की दो इकाइयाँ लगाई गयी हैं जिनसे 9 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस परियोजना से कुल 23505 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। जाखम परियोजना का निर्माण जनजाति उप योजना (tribal sub plan) के अन्तर्गत किया गया है।

(iii) मेजा बांध यह बांध भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ ब्लॉक से 8 किमी दूर कोठारी नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण 1957 में शुरू हुआ था और 1972 में बनकर तैयार हो गया था। इससे भीलवाड़ा जिले में 10 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस बांध से भीलवाड़ा नगर को भी घरेलू उपभोग के लिये पानी दिया जाता है। यहां पाइप लाइन भी फरवरी 1985 में बनकर तैयार हो गई थी।

(iv) पाचना बांध यह मिट्टी का बांध करौली के समीप सवाईमाधोपुर जिले में पाच छोटी छोटी नदियों के संगम पर गभीरी स्थान पर बनाया जा रहा है। बांध पूरा भर जाने पर करौली ब्लॉक के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो सकता है। बांध से निकाली गई नहरों और पुस्तियाओं के निर्माण का काम चल रहा है। इससे गगापुर, हिण्डौन, नादौती टोडभीम आदि तहसीलों में 9980 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

(v) मोरेल बांध यह बांध मोरेल नदी पर लात्सोट से लगभग 16 किमी दूर सवाईमाधोपुर जिले में बनाया गया है। इससे 86 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।

वर्तमान में राज्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं के नाम

व जिले नीचे दिये जाते हैं

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ	जिला
1 भीमसागर	झालावाड़
2 छापी	झालावाड़
3 हरीशचन्द्र सागर	झालावाड़
4 बिलास	बारा
5 सावन भादों	कोटा
6 परवन लिफ्ट	कोटा
7 सोम वमला अम्बा	इगारपुर
8 सोम कागदर	उदयपुर
9 पाचना	सवाईभाधोपुर

आधुनिकीकरण की श्रेणी में सिंचाई की परियोजनाओं में गगनहर (श्रीगंगानगर जिला) गम्भोगे (चित्तौड़गढ़ जिला) मेजा, (भोलवाडा जिला) तथा जयसमद (उदयपुर जिला) आदि हैं ।

राजस्थान में भू जल (ground water) का सिंचाई के लिए विकास -¹

फरवरी 1991 में राजस्थान के भू जल विभाग ने भू जल साधनों व सिंचाई की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये थे

	मिलियन एकड़ फीट (MAF)
(1) कुल भू जल साधन	12 27
(2) घरेलू व औद्योगिक उपयोगों में प्रयोग के लिए (रिजर्व रखा गया)	1 99
(3) सिंचाई में काम लेने के स्थायक मात्रा	10 80
(4) सिंचाई में प्रयुक्त मात्रा (net draft)	5 82
(5) सिंचाई के लिए भू जल बचाया मात्रा (balance)	4 98
(6) भूजल का सिंचाई में अब तक उपयोग (क्रम 4 का क्रम 3 में अनुपात)	लगभग 54 प्रतिशत

इस प्रकार वर्तमान में भूजल का सिंचाई के लिए 54% तक उपयोग काफी ऊँचा है। राज्य में जल सतह नीचे जा रही है। भूजल के कई क्षेत्रों में यह जल के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी है। जयपुर, झुन्झुन, पाली अलवर, जोधपुर, सीकर, व जालौर जिलों में स्थिति भयावह हो गई है क्योंकि इनमें भूजल का उपयोग 85% से अधिक स्तर पर पहुँच गया है। विद्युत की सहायता से भूजल का उपयोग पीने व सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में हुआ है।

1979-80 में भूजल से सिंचाई 14.6 लाख हेक्टेयर में की गई जो बढ़कर 1989-90 में 17.6 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गयी। अतः 1979-90 की अवधि में इसमें लगभग 21% की वृद्धि हुई। अनुमान है कि 2000 ईस्वी तक भूजल का उपयोग 67% तक होने लग जायेगा जो वर्तमान में 54% आका गया है।

भविष्य में सिंचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए। इसके लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहिए। बड़े व मध्यम सिंचाई के अधूरे प्रोजेक्टों को पहले पूरा करना चाहिये। नये प्रोजेक्ट धन की व्यवस्था होने पर ही हाथ में लेने चाहिए। पहले से उत्पन्न सिंचाई की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। रिसाव व वाष्पयन (seepage and evaporation) से होने वाली क्षति कम की जानी चाहिए। जल मार्गों की लाइनिंग की जानी चाहिये। फसलों को इतनी बार पानी देना चाहिए ताकि ज्यादा में ज्यादा उपज मिल सके। इसके लिये फसलवार अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया जाना चाहिये। सिंचाई के प्राजक्टों के रख रखाव पर पर्याप्त धनराशि के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि रख रखाव की कमी से इनमें तेजी से गिरावट आती है।

राजस्थान जल साधन विकास निगम लि

यह 1984 में कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके निम्न कार्य हैं

(1) भूजल (ground water) की जाँच करना द्यूववैल स्थापित करना तथा भूजल का उपयोग कृषि उद्योग, पीने घरेलू व अन्य उपयोगों के लिये निर्धारित करने में मदद देना।

(2) सतह के जल (surface water) का उपयोग कृषि उद्योग, पीने व घरेलू आदि कार्यों के लिए निर्धारित करना।

(3) पानी को लिफ्ट करने व उपयुक्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की व्यवस्था में मदद देना।

निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। इसे 1990-91 में 6.2 लाख रुपये का घाटा हुआ है। यह जल साधनों के उपयोग व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

सिंचित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम -

कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development) राज्य सरकार ने पाचवीं योजना में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किया था। वैसे इस कार्यक्रम पर चतुर्थ योजना की अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। अब तक इसके अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है।¹

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसमें निम्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं

(अ) भूमि को समतल करना

(ब) पानी को नालियों को एकत्र करना

(स) सड़क व डिगिंगो का निर्माण शिक्षा मण्डियों का विकास ग्रामीण जल सप्लाई, कृषि सहकारिता पशु पालन व मछली पालन। इन कार्यों को संचालित करने में विश्व बैंक की सहायक सस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन से मदद ली गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महीने की फ्री राशन तथा प्रत्येक घसने वाले को 2 हजार रुपये ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है।

1992 93 से जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फण्ड (OECF) की वृक्षारोपण परियोजना प्रारम्भ की गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा भरा करना है। इसके लिये जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त खाली सड़को पेयजल हेतु डिगिंगो एव नई मण्डियों के बीकानेर व जैसलमेर में निर्माण कार्य भी सम्पन्न किये जायेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लगभग 500 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य है।

(2) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहाँ पर विकास कार्य 1974 75 में चालू किया गया था। इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिरा गांधी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोड़े भिन्न हैं क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था, जहाँ लम्बी अवधि से रेवेन्यू प्रशासन चला आ रहा था। यहाँ सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक विकास हो चुका था। अतः इस क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग करने के लिये जल की उचित किस्म की निकास-प्रणाली (proper drainage system) का विकास किया जाना चाहिये तथा जगली घास पात को उखाड़ने की समस्या को हल किया जाना चाहिए। अन्य कार्यक्रमों में वृक्षारोपण कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास प्रोसेसिंग

उद्योग, ग्रामीण गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिये। इसके लिये भी विश्व बैंक से सहायता ली गई है। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम की अवधि जून 1982 में समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे छठी योजनावधि में जारी रखा गया था।

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय-विकास एजेन्सी (CIDA) के एक प्रोजेक्ट (राजस्थान कृषिगत अनुसंधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर 1991-92 से कार्य शुरू किया गया जिससे इस क्षेत्र के भावी विकास में मदद मिलेगी। इससे सिंचाई व भूमिगत जल-विकास कार्यों आदि में कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी की वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा। 1993-94 के लिये राज्य की योजना में इस पर व्यय के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केन्द्र-चालित स्कीम के अन्तर्गत अलग से भारत सरकार से 2.25 करोड़ रु की राशि प्राप्त होगी।

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से क्षेत्र विकास कमिश्नरी की देखरेख में किया जाता है। इससे इन इलाकों के आर्थिक विकास में काफी मदद मिलती है। गंग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी भाखडा नहर प्रणाली में भी कमाण्ड क्षेत्र विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है।

(3) माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसके अन्तर्गत कच्चे जलमार्ग, सड़क, क्रोमिंग, कलवर्ट, विशेष जलमार्गों की लाइनिंग आदि के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे जनजाति व पिछड़े हुए लोग लाभान्वित होंगे। इससे सिंचाई के पानी की हानि कम की जा सकेगी और पानी को सफाई में सुधार होने से किसानों को लाभ होगा।

सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई-कार्यक्रम

(Community Lift Irrigation Programme)

राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भागों में लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई कार्यों में मदद देने के लिए 1980-81 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इसके लिये लघु व सीमान्त कृषकों की एक प्रबन्ध समिति बनाई जाती है। सिंचाई की स्कीम की कम से कम 10% लागत लाभान्वित कृषक स्वयं प्रदान करते हैं और सरकार सब्सिडी देती है। इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के तीन स्रोत हैं।

(i) सरकारी सब्सिडी (ii) कृषकों का स्वयं का अंशदान तथा (iii) वित्तीय सहायताओं से कर्ज की व्यवस्था।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों में तकनीकी कक्षों के द्वारा यह स्कीम बनाई व संचालित की जाती है। राज्य में लिफ्ट सिंचाई स्कीम निम्न कार्यक्रमों में शामिल की गई हैं - मैसिव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र का विकास कार्यक्रम तथा

राज्य का बजट।

यह कार्यक्रम झालावाड़, कोटा, बूंदी, बासवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, गोक सवाईमाधोपुर, सिरोही तथा धोलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता है, जहाँ लघु व मध्यम किसानों को मिर्चाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। 1993-94 के लिए लगभग 1 करोड़ रु की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में नदी-नलो झीलों व झरोतों आदि पर बांध बनाकर अथवा लिफ्ट करके मिर्चाई, पेयजन एवं शैत्यजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएँ बनकर जल का उपयोग किया जा रहा है। महकारी समितियों को कृषि हेतु पंप लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके।

(2) राजस्थान में ऊर्जा का विकास

(Energy Development in Rajasthan)

आर्थिक विकास में ऊर्जा का केन्द्रीय स्थान होता है। ऊर्जा के स्रोत दो भागों में बाँटे जाते हैं।

(1) परम्परागत स्रोत (Conventional Sources) - इसमें जल-विद्युत, थर्मल-पावर (कोयले, गैस व रेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पन्न पावर शामिल होती है।

(2) गैर-परम्परागत स्रोत (Non-conventional Sources) - इसमें लकड़ी, बायो गैस, सौर-ऊर्जा (Solar Energy), निर्धूम चूल्हा, पवन चक्की, आदि शामिल होते हैं। इन्हे ऊर्जा के पुनः नये किये जा सकने वाले स्रोत (renewable sources of energy) भी कहते हैं।

राजस्थान में 1989-90 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 183 किलोवाट घण्टे थी जो समस्त भारत (214 किलोवाट घण्टे) की तुलना में काफी कम थी। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की दृष्टि से भारत के 17 राज्यों में राजस्थान का आठवाँ स्थान रहा। पंजाब का प्रति व्यक्ति 636 किलोवाट घण्टे की खपत के साथ प्रथम स्थान रहा।

1991-92 में राज्य में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो गई थी। 1951-52 में यह 13 मेगावाट ही थी। इस प्रकार योजनाकाल में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता का काफी विकास हुआ है। लेकिन विद्युत की माग व पूर्ति में अंतर निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

1989-90 में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2711 मेगावाट थी जिसमें राज्य की स्वयं की क्षमता (State-owned Capacity) 789 मेगावाट, अन्य परियोजनाओं में राज्य के हिस्से की क्षमता (shared capacity) 933 मेगावाट तथा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से आवंटित क्षमता (allotted capacity)

लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित क्षमता 2711 मेगावाट में जल विद्युत क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता 1292 मेगावाट तथा आणविक क्षमता 462 मेगावाट थी ।¹

राजस्थान में 1980-81 में पावर की लगभग 9.6% कमी थी जो बढ़कर 1987-88 में 30.27% हो गई । इसके आठवें पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 40% हो जाने का अनुमान है । अंत आठवीं योजना में राजस्थान को विद्युत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि मांग व पूर्ति में सन्तुलन स्थापित किया जा सके ।

स्मरण रहे कि सातवा पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत की 385 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई जो लक्ष्य में काफी अधिक थी । इसमें कोटा थर्मल पावर स्कीम के चरण II की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगावाट, माही प्रोजेक्ट का 140 मेगावाट व मिर्जा साइको जल विद्युत स्कीमों का 20 मेगावाट रहा था (कुल 580 मेगावाट) ।

(अ) इसमें राज्य का अपना हिस्सा व आवंटित हिस्सा देने वाली अलग अलग परियोजनाएँ इस प्रकार हैं (1) राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ इस प्रकार हैं -

- (1) भाखड़ा नागल परियोजना
- (2) व्यास इकाई I (देहर) तथा इकाई II (पोग)
- (3) चम्बल प्रोजेक्ट में तीनों जल विद्युत योजनाएँ हैं ।
- (4) सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ताप बिजली घर) (मध्यप्रदेश)

(ii) अन्य परियोजनाएँ जिनसे आवंटित क्षमता (allotted capacity) प्राप्त होगी

(1) सिगरौली सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) इसकी कुल क्षमता 2050 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का 15% हिस्सा आवंटित किया गया है । यह केन्द्रीय प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) संचालित कर रहा है ।

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (NTPC द्वारा संचालित) इसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित अंश 9.5% है ।

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन (NTPC द्वारा)- इसकी कुल क्षमता 413 मेगावाट है तथा राजस्थान का आवंटित हिस्सा 19.8% रखा गया है ।

(4) ओरय्या गैस केन्द्र (उत्तर प्रदेश), इसकी कुल क्षमता 652 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान को 9.2% अंश आवंटित किया गया है।

(5) नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (उत्तर प्रदेश) - इसकी कुल क्षमता 470 मेगावाट है तथा राजस्थान का आवंटित अंश 9.6% है।

(6) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (RAPP)

(ब) राज्य की स्वयं के स्वामित्व की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ इस प्रकार हैं

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS)

चरण I (2x110) = 220 मेगावाट (1983 में चालू)

चरण II (प्रथम इकाई) 210 मेगावाट (25 सितम्बर 1988 को चालू)

चरण II (द्वितीय इकाई) 210 मेगावाट (1 मई 1989 को चालू)

चरण III (एक इकाई) 210 मेगावाट (आठवाँ योजना में चालू होगी)

इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता = 850 मेगावाट होगी।

(2) माही हाइड्रल प्रोजेक्ट

(3) राजस्थान की मिनी हाइड्रल स्कीमें

(i) इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में अनुपगढ शाखा सूरतगढ शाखा मांगरोल, चारणवाला व पूगल शाखाएँ,

(ii) अन्य - दायीं मुख्य नहर माही I व II इत्यादि विरसालपुर व जाखम परियोजना कुल 10 मिनी हाइड्रल स्कीमें।

राजस्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट कनाडा के सहयोग से रावतभाटा नामक स्थान पर (गणप्रताप सागर के विद्युत गृह के समीप) 1973 में स्थापित किया गया था। इसमें 235 मेगावाट 2 इकाइयाँ लगाने से इसकी क्षमता 470 मेगावाट हो गई है। यह शत प्रतिशत राजस्थान के लिये है। तीसरी व चौथी इकाइयों (2 x 235 MW) की स्वीकृति मिल चुकी है। इनके 1995-96 तक पूरा होने की आशा है। चार इकाइयाँ (प्रत्येक 500 मेगावाट की) बाद में और लगायी जायेगी। इनमें 2000 ईस्वी के आस पास चालू होने का अनुमान है।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी (Rajasthan Energy Development Agency (REDA) की स्थापना जनवरी 1985 में हुई थी। इसका कार्य गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है। अतः इसका सम्बन्ध निर्धूम चूल्हे बायो गैस, सौर्य ऊर्जा आदि से है। इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिये जाते हैं।

(i) सौर-ऊर्जा (Solar Energy) - इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। पहला सौर-ऊर्जा फ्रीज जोधपुर जिले में बालेसर उच्चकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में लगाया गया था। इसमें छत पर काच की प्लेटों का पैनल बनाया जाता है। सूर्य की रोशनी से फ्रीज की बैटरी में ऊर्जा इकट्ठी होकर फ्रीज को चलाती है।

जोधपुर में 30 मेगावाट का सोलर थर्मल प्लान्ट मथानिया में लगाने का प्रस्ताव है। इस पर 130 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। सौर्य ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जायेगा।

(i) स्ट्रीट लैंडिंग लाइटें लगाना

(ii) सोलर कुकर्स चलाना

(iii) वाटर हीटर्स लगाना

(iv) सोलर पम्प लगाना नीची सतह से पानी निकालने के लिये बाडमेर नागौर, बुरू आदि में पम्प लगाना,

(v) सीमावर्ती क्षेत्रों में रगोन टीवी सेट्स लगाना।

(ii) वायु-ऊर्जा राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टा पाया जाता है। सरल व कम लागत के उपकरण लगाकर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे व चरागाह विकास के लिये भारत सरकार के 100 वायु मिल (पवन चक्कियाँ) प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार मरुस्थल के विकास के लिये वायु एरो जेनेरेटर्स प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) बायो-गैस - गावों में गोबर-गैस संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। सातवीं योजना के अन्त तक 33,768 बायो गैस संयंत्र लगाये जा चुके हैं। इनसे किरोसीन तेल व जलाने की लकड़ी की काफी बचत होगी 1993-94 में 5400 नये बायो-गैस संयंत्र लगाने का कार्यक्रम है तथा चालू संयंत्रों के रख-रखाव पर ध्यान दिया जाएगा।

आठवीं व नवीं योजनाओं के लिए विद्युत-सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट-तृतीय चरण की इकाई की क्षमता = 210 मेगावाट

(2) सूरतगढ ताप विद्युतघर क्षमता $(2 \times 210) = 420$ मेगावाट

(3) धौलपुर ताप विद्युतघर क्षमता $(3 \times 210) = 630$ मेगावाट

(4) चित्तौडगढ विद्युतघर क्षमता $(2 \times 210) = 420$ मेगावाट

(5) माडलगढ विद्युतघर क्षमता $(3 \times 210) = 630$ मेगावाट

(6) बरसहसर लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट $(2 \times 120) = 240$ मेगावाट

सवाईमाधोपुर- भरतपुर क्षेत्र में मडरायल के पास राहू घाट हाइडल स्कीम पर मध्य प्रदेश सरकार से विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित विद्युत-प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति -

(1) सूरतगढ़ ताप बिजलीघर - इसे वन व पर्यावरण नागरिक उड्डयन जल-आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गई है लेकिन कोयले की जरूरत के हिसाब से मामला रुका हुआ है। इसे आठवीं योजना में प्रारम्भ करने का विचार है।

(2) धौलपुर ताप बिजलीघर - इसके लिये भारत सरकार से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इस क्षेत्र के ट्राइपेजियन जॉन में आने के कारण इसमें ताजमहल की सुरक्षा को तथा चम्बल नदी में घड़ियलो को खतरा होने की सम्भावना के कारण पर्यावरणीय कारणों से स्वीकृति नहीं मिल पायी है हालांकि जुलाई 1992 में एक बार इसको स्वीकृति की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पायी।

(3) चित्तौड़गढ़ व माडलगढ़ ताप बिजलीघरों को सक्षम (viable) नहीं माना गया है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वैकल्पिक स्थान चुनने की सलाह दी है। चित्तौड़गढ़ में बिजलीघर स्थापित करने के लिये बम्बई की एक निजी कम्पनी मैसर्स सेन्चूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि को राजस्थान सरकार ने एक धर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया है।

(4) बरसिहसर में लिग्नाइट - आधारित बिजलीघर - बरसिहसर में लिग्नाइट आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिये नवम्बर 1987 में राजस्थान सरकार व नैवेली लिग्नाइट निगम के बीच एक समझौता हुआ था। बरसिहसर में लिग्नाइट के भण्डार हैं। बीकानेर के पलाना व गुडा क्षेत्रों में तथा बाडमेर के कपूरडी व जलीपा क्षेत्रों में तथा नागौर के मेडता रोड में लिग्नाइट के भण्डार पाये गये हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के 850 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। यहाँ 4 वर्ष में विद्युत का उत्पादन चालू होने की आशा है। इसके लिये पानी इन्दिरा गांधी नहर से लिया जायेगा।

जैसलमेर क्षेत्र में जुलाई 1990 में डाडेवाला में गैस के नये विशाल भण्डार मिले हैं। वहाँ भी गैस आधारित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिये रामगढ़ में स्थापित करने के लिये 125 मेगावाट की एक परियोजना तैयार की जा रही है।

राजस्थान को आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि इसकी मांग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त किया जा सके। प्रयत्न करने पर राजस्थान विद्युत की सप्लाई में आत्म निर्भर हो सकता है।

केन्द्र से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने पर कोटा ताप विद्युत केन्द्र (तृतीय चरण) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना माडलगढ़ ताप विद्युत परियोजना बरसिहसर

लिंगनाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मथानिया सौर ऊर्जा ताप केन्द्र व अन्ता (द्वितीय चरण) की प्रस्तावित लागता में अरबों रुपये की वृद्धि हो गई है।

राजस्थान को रावों व्याम नदी के जल पर आधारित पंजाब की नई विद्युत परियोजनाओं में निम्नलिखित हिस्से मिलने से राज्य में विद्युत की उपलब्धि बढ़ेगी।¹

परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट में)	राजस्थान का दावा (प्रतिशत में)
1 धौन राध परियोजना	600	52.6
2 आनन्दपुर साहिब परियोजना	134	20.0
3 मुकरिया जल विद्युत परियोजना	207	58.5
4 यू वी डी सी परियोजना (II चरण)	45	52.6
5 शाहपुर काड़ी जल विद्युत परियोजना	94	52.6

इनमें से आनन्दपुर साहिब परियोजना मुकरिया जल विद्युत परियोजना व यू वी डी सी परियोजना (II चरण) चालू हो चुकी हैं लेकिन इनमें से राजस्थान को आवंटित किये जाने वाले हिस्से का मामला तय नहीं हुआ है। पंजाब ने धौन बाध जल विद्युत परियोजना पर भी निर्माण कार्य चालू कर दिया है। इसलिए राजस्थान के हिस्से के बारे में मामले को शीघ्र ही निबटाना जरूरी हो गया है।

राज्य में 1991-92 में 9662.5 मिलियन इकाई बिजली का उपभोग हुआ जिसमें से सर्वाधिक उपभोग उद्योग व खनन में 4196 मिलियन इकाई का हुआ। 1991-92 में राज्य में 28507 गावा/स्थानों को बिजली मिल चुकी थी और लगभग 4 लाख कुओ को शक्तिकृत किया जा चुका था।

राज्य में ऊर्जा के गर परम्परागत साधनों के विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

(3) राजस्थान में सड़को का विकास

राजस्थान के निर्माण के समय सड़को की दशा काफी असतोषजनक थी। 31 मार्च 1951 को राज्य में सड़को की लम्बाई केवल 17339 किलोमीटर थी

1 इन्वारी पत्रिका 7 जून 1992 पृ० 1 गोपाल शर्मा का लेख राजस्थान के हिलों की अनदेखी कर रहा है केन्द्र।

जो बढ़कर मार्च 1992 के अंत में 59913 किलोमीटर हो गई। राज्य में निम्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाकाल में सड़कों का विकास किया गया है

- (i) सिंचित क्षेत्र विकास,
- (ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP)
- (iii) दुग्ध मार्ग का विकास,
- (iv) खनिज सड़के
- (v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- (vi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम
- (vii) अकाल राहत कार्य, आदि।

विभिन्न वर्षों के लिये सड़कों के विकास की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।¹

इस प्रकार 1950-51 की तुलना में 1991-92 में सड़कों की लम्बाई 3.5 गुनी हो गई। इसके बावजूद भी राज्य सड़कों की दृष्टि से समस्त भारत की तुलना में काफी पीछे है। विभिन्न वर्षों में सड़कों के विकास की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

वर्ष	सड़कों की लम्बाई (किमी में)	प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर (किमी में)
1955-56	18749	5.07
1960-61	26693	7.80
1970-71	31752	9.28
1980-81	41194	12.04
1989-90	56956	16.64
1990-91	58350	17.06
1991-92	59913	17.51

राज्य में मार्च 1951 में सतहदार सड़कों की लम्बाई केवल 5429 किलोमीटर थी जो सड़कों की कुल लम्बाई का 31% थी। यह मार्च 1990 में 46474 किलोमीटर हो गई जो सड़कों की कुल लम्बाई का 82% हो गई। इस प्रकार सड़कों की कुल लम्बाई में सतहदार सड़कों का अंश काफी बढ़ा है जो

संतोषजनक स्थिति का परिचायक है। इस प्रकार पहले की तुलना में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

1991-92 में राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई 59913 किलोमीटर थी जिसका वर्गीकरण नीचे दिया जाता है।¹

	(किलोमीटर में)
1 राष्ट्रीय राजमार्ग	2846
2 राज्यीय राजमार्ग	7136
3 बड़ी जिला सड़के	3636
4 अन्य जिला सड़के	15054
5 ग्रामीण सड़के (सोमावर्ती सड़को सहित)	31241
कुल	59913

राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई जयपुर, उदयपुर, बोकानेर व जैसलमेर जिलों की रही है।

31 मार्च 1990 को कुल 56956 किलोमीटर लम्बी सड़को में पांच जिलों में घटते हुए क्रम में सड़को की लम्बाई इस प्रकार रही।²

जिला	(किलोमीटर में)
जोधपुर	4586
उदयपुर	3974
पाली	3480
भीलवाड़ा	3346
बाड़मेर	3294
योग (कुल 33% या 1/3)	18680

इस प्रकार 1/3 सड़के इन पांच जिलों में पायी गई हैं।

मार्च 1992 के अन्त तक राज्य में ग्रामीण सड़को की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है।³

1 Some Facts About Rajasthan 1992, Feb 1993 p 63 (DES Jaipur)

2 Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990-2000 AD p 261 Annexure 22

3 आय व्ययक अध्ययन 1992-93 पृ 130

जनसंख्या	1971 की जनगणना के अनुसार गावों की संख्या	मार्च 1992 के अत तक अर्थात् 1991 92 तक सड़कों से जुड़े गाव	सड़को से जुड़े गाव (प्रतिशत के रूप में)
1500 व अधिक	3300	3091	93.7
1000-1500	2407	1690	70.2
1000 से कम	27598	6655	24.1
योग	33305	11436	34.3

अनुमान है कि आगामी दो तीन वर्षों में 1500 व अधिक जनसंख्या वाले सभी गावों को सड़को से जोड़ दिया जाएगा। मार्च 1992 के अत तक 93.7% गाव सड़को से जोड़े जा चुके थे। 1000 से कम जनसंख्या वाले गावों में सड़को की स्थिति बहुत शोचनीय पायी जाती है।

सड़क विकास की नागपुर योजना के अनुसार सड़को की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 42 किलोमीटर होनी चाहिए, जो 1961 तक प्राप्त करनी थी। लेकिन 1991-92 में यह राजस्थान में 17.5 किलोमीटर तक ही आ पायी है। अतः राज्य आज भी सड़क विकास की दृष्टि से काफी पीछे है।

सड़क विकास की मास्टर प्लान (1981-2001)

राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क विकास की बीस वर्षीय मास्टर प्लान तैयार की है जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं

- 1 सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़को से जोड़ना
- 2 एक हजार व अधिक जनसंख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले सभी गावों को सड़कों से जोड़ना।
- 3 सड़कों की गायब कड़ियों का निर्माण करना व दो मार्ग जितनी सड़कें बनाना
- 4 बड़ी जिला सड़को पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना
- 5 अन्तर्जम्बीय सड़कों का निर्माण करना
- 6 पर्यटन महत्त्व की सड़कों का निर्माण करना
- 7 धार्मिक स्थानों तक सड़कें बनाना
- 8 रेलवे स्टेशन तक सड़कें बनाना
- 9 खनिज सड़कें बनाना
- 10 औद्योगिक केन्द्रों तक सड़कें बनाना

11 मण्डिया तक सड़कें बनाना तथा दूध के मार्गों एवं पंचायत मुख्यालयों तक आबादी क्षेत्रों में छोटी कड़िया स्थापित करना ।

उपर्युक्त मास्टर प्लान के अनुसार सड़क निर्माण कार्य पर 3500 करोड़ रु व्यय करने की आवश्यकता होगी ।

सड़क निर्माण की योजना को कृषि उपज मण्डी समिति (KUMS) केन्द्रीय सड़क कोष (CRF) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों (सूखे के वर्षों में) से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सड़क विकास की गति तेज की जा सके ।

राज्य में नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के रख रखाव पर भी पूरा ध्यान देने का आवश्यकता है । सड़कों के निर्माण का अनेक दृष्टियों से महत्व है जैसे कृषिगत माल के उचित विपणन के लिए पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये निर्धनता निवारण के लिये रोजगार देने का दृष्टि से दस्यु ग्रस्त इलाकों में दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिये जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये पर्यटन के लिये भीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये आदि आदि । इसलिये भावी योजनाओं में सड़कों के विकास पर सदैव काफी बल दिया जाना चाहिए ।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

(Rajasthan State Road Transport Corporation) (RSRTC)

इसकी स्थापना 1964 में एक वैधानिक निगम के रूप में हुई थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(i) राज्य में सड़क परिवहन का विकास करके जनता व्यवसाय व उद्योग को लाभ पहुँचाना

(ii) सड़क परिवहन का परिवहन के अन्य साधनों से ताल मेल बैठाना तथा

(iii) एक क्षेत्र में सड़क परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करना व उनमें सुधार करना और राज्य में सड़क परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती रूप प्रदान करना ।

1989-90 में इसके कुल वित्तीय साधन लगभग 90 करोड़ रु के थे । इसमें राज्य सरकार की परिदत्त पूंजी 41.9 करोड़ रु अन्य की परिदत्त पूंजी 18.6 करोड़ रु की सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं से अर्वाधि-कर्ज की राशि 25.5 करोड़ रुपये तथा रिजर्व व सरप्लस की राशि 4.1 करोड़ रुपये की थी ।

1985-86 के बाद निगम के कर से पूर्व मुनाफे निरंतर घटते गये हैं । इसे 1989-90 में 15.3 लाख रु का मुनाफा हुआ जो पिछले वर्ष के समान था । 1990-91 में निगम को लगभग 8.6 करोड़ रु का घाटा हुआ जो एक चिंता का

विषय है ।¹

निगम को नई बसे खरीदने के लिये काफी पूँजी की आवश्यकता होती है। सातवीं योजना में इसने 1610 बसे खरीदीं जिनमे से 761 बसे पुरानी बसों के बदलने के लिये थीं । 1989 90 में इसके पास 3006 बसें थीं । इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके मुनाफे में वृद्धि की जानी चाहिये ।

निष्कर्ष -

राजस्थान के नियोजित विकास में सिंचाई व शक्ति के विकास को सदैव उच्च प्राथमिकता दी गई है जो राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उचित मानी जा सकती है । इससे 1950 51 से 1991 92 की अवधि में कुल सिंचाई के क्षेत्र में 11 लाख हैक्टेयर से 46.5 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई है और विद्युत की प्रस्थापित क्षमता में 13 मेगावाट से 2776 मेगावाट तक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सड़कों की लम्बाई भी योजनाकाल में 3.5 गुनी हो गई है। हालांकि यह प्रगति काफी सराहनीय है फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आज भी कम है । इसलिए राजस्थान को आगामी दशक में आधार-संरचना को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में भारी प्रयास करना होगा । जहाँ एक तरफ विकसित क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा वहीं नयी क्षमता के विकास पर भी आवश्यक विनियोग करना होगा।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में योजनाकाल में सिंचाई की प्रगति पर प्रकाश डालिये। क्या यह प्रगति सतोपजनक मानी जा सकती है ?
- 2 राजस्थान में पावर के क्षेत्र में हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। क्या राज्य अपनी पावर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य राज्यों पर आश्रित है ?
- 3 राज्य में सड़कों के विकास का विवेचन कीजिये । ग्रामीण सड़कों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये। सड़कों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
- 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये
 - (i) कनाडा बांध
 - (ii) नर्मदा परियोजना

- (iii) राजस्थान नहर या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
(Ajmer, 1 yr 1992)
- (iv) बगसिंहसर लिग्नाइट-आधारित ताप बिजली परियोजना
- (v) राज्य में मोर ऊजा
- (vi) भाही बजाज सागर परियोजना
- (vii) बीसलपुर सिंचाई परियोजना ।
- (viii) राज्य में भूजल (Ground water) व सिंचाई का विकास
- (ix) राज्य की सड़क विकास की मास्टर प्लान (1981-2001)
- (x) राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Ajmer 1 yr 1992)

राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं (Constraints in the Economic Development of Rajasthan)

हमने पहले विभिन्न अध्यायों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विवरण में उनसे सम्बद्ध बाधाओं व समस्याओं का उल्लेख किया है और संक्षेप में उनको दूर करने व हल करने के उपाय भी बतलाये हैं। विशेषतया नियोजन के अध्याय में राज्य में नियोजित विकास को बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास को गति को तेज करने के उपाय भी सुझाये गये हैं। इस अध्याय में हम अधिक गहराई से कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेंगे और उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों की चर्चा करेंगे ताकि राज्य द्रुतगति से सामाजिक आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होकर बेरोजगारी निर्धनता तथा आर्थिक असमानता की समस्याओं का निवारण कर सके।

योजनाकाल में आर्थिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कई दृष्टियों से कमजोर बनी हुई है। इसके भावी विकास में निम्न बाधाएँ मानी जा सकती हैं।¹

- (i) राज्य के विकास में प्रमुख बाधा भौगोलिक है। 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान है। जनसंख्या के दूर दूर तक फैले होने के कारण बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत जल सड़क शिक्षा संचार चिकित्सा, आदि को पहुँचाने की प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है।
- (ii) कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से आने अथवा इसके अभाव अथवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई, 1991 में देर से वर्षा होने के कारण राज्य में मक्का की बुवाई बहुत कम हो गई थी।

- (iii) राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक होने के कारण (1981-91 में राजस्थान में लगभग 28.4% तथा भारत में 23.5%) आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार बढ़ता जा रहा है।
- (iv) श्रम शक्ति में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों को रोजगार देने में कठिनाई आ रही है। बेरोजगारी पर व्यास समिति की दिसम्बर 1991 की अन्तिम रिपोर्ट (इस विषय का विस्तृत विवरण आगे चलकर एक पृथक अध्याय में दिया गया है) के अनुसार 1990 के अंत तक राज्य में पूर्ण रोजगार देने के लिए इस अवधि में 49 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। राज्य में शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी को समस्या काफी गम्भीर होती जा रही है।
- (v) राज्य में जल का नितान्त अभाव है। राजस्थान में सतही जल व भूजल की कुल मात्रा समस्त भारत की मात्रा का 1% है जो बहुत कम है। भूमि के नीचे जल कई स्थानों पर लवणायु है तथा अन्य स्थानों में सूखे के कारण जल स्तर नीचे गिरता गया है। अतः राजस्थान में जल प्रबन्ध का प्रश्न सर्वोपरि है। इस राज्य की समस्या न 1 माना जा सकता है।
- (vi) राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी है। आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों पर काफी निर्भर करता है जिनमें कुछ में इसका प्रत्यक्ष हिस्सा है और कुछ में से इसे हिस्सा आवंटित किया गया है जिनका स्पष्टीकरण पिछले अध्याय में किया जा चुका है। विद्युत की मांग व पूति में अंतर बढ़ता जा रहा है जिसे कम करने के लिए राज्य के ताप बिजली घरे (बरसिहसर लिग्नाइट आधारित बिजली की परियोजना सहित) का शीघ्र विकास करना आवश्यक है।
- (vii) राज्य में सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में साक्षरता की दर 1991 में 38.6% रही जो पंद्रह राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों में केवल बिहार की साक्षरता की दर 38.5% के लगभग समान थी लेकिन बाकी सभी 13 राज्यों से नीची थी। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है।
- (viii) राज्य शक्ति व संचार की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्तर से नीचे आता है जिससे अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग खनन आदि का विकास भी अवरुद्ध हो गया है।
- (ix) राज्य के विभिन्न भागों में विकास की दृष्टि से काफी असमानताएँ हैं जिन्हें कम करने का प्रयास करना होगा।

(x) इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने से इसे केन्द्रीय सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार राज्य के विकास में मूलतः भौगोलिक, जनसांख्यिकीय (demographic), आधार-ढाँचे से सम्बन्धित (infrastructural), वित्तीय, प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं जिनको दूर किये बिना राज्य के सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

अब हम कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का उचित व प्रभावशाली उपाय भी सुझायेगे ताकि आगामो 10-15 वर्षों में उन बाधाओं को काफी सीमा तक दूर किया जा सके।

(अ) राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय-

हम कृषिगत विकास के अध्याय में बतला चुके हैं कि योजनाकाल में राज्य में कुल कृषित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन 113 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1990-91 में 193.8 लाख हेक्टेयर हो गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से बढ़कर 56.6% हो गया। इस प्रकार राज्य में कुल जोते-बोये गये क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो एक सतोंप का विषय है। इसी अवधि में कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल के 12% से बढ़कर 24% (दुगुने प्रतिशत) पर आ गया है, तथा विभिन्न फसलों की पैदावार बढ़ी है। कृषिगत इन्पुट जैसे अधिक उपज देने वाले घोज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ कृषिगत औजार आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उद्यान व फल-विकास पशु-पालन, दुग्ध-व्यवसाय व अन्य सम्बद्ध क्रियाओं का विकास किया गया है।

लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद भावी कृषिगत विकास के मार्ग में कुछ बाधाएँ हैं जिनको दूर करना होगा। इनका सम्बन्ध फसलों के विकास के साथ-साथ फलोद्यान पशु पालन डेयरी चारा जल-प्रबंध, आदि से है। इनका विवेचन नीचे किया जाता है।

(1) भूमि पर सीमा-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में बाधाएँ -

राजस्थान में सामंती प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य में जागीरदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून बनाये गये हैं। उनके माध्यम से मध्यस्थ वर्ग समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है। लेकिन सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी व असंतोषजनक रही है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन को कोर्टों में 'स्टे' लाकर चुनौती दी गयी है जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। इससे भूमि के वितरण की असमानता कम नहीं हो पायी है।

(2) मानसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल प्रवध की आवश्यकता

राजस्थान में मानसून की अनियमितता अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल प्रवध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जायगा। राज्य में भारत के कुल जल का 1% हिस्से में आया है जो बहुत कम है क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र का 11% है तथा 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 536 मिलीमीटर है जो पश्चिम में जैसलमेर व बीकानेर जिलों में 100 स 250 मिलीमीटर के बीच तर पूव में बासवाडा व झालावाड जिलों में 900 मिमी से अधिक पाया जाता है¹

राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः सूखे व अभाव की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उपलब्ध जल साधनों में से लगभग 70% सतही जल एवं 50% भू जल का उपयोग किया जा चुका है। हालाँकि कुल कृषि क्षेत्र के 24% (लगभग 1/4) भाग पर सिंचाई की जाने लगी है फिर भी 3/4 कृषि भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है। जिलेवार सिंचित क्षेत्र में काफी असमानताएँ पायी जाती हैं। इसलिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के संरक्षण व सदुपयोग के जरिये अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुँचने में ही नष्ट हो जाता है। बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में ही संरक्षण होना चाहिये। इससे नदी संरक्षण में मदद मिलेगी। सूखी खेती के लिए जलधारा या जल ग्रहण विकास कार्यक्रम (Watershed Development Programme) के माध्यम से वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था करनी होगी ताकि नदी संरक्षण संभव हो सके। इससे पदावार बढ़ेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फसलों का चुनाव करना होगा जो जल्दी पक कर तैयार हो सके। उनके लायक उर्वरकों व औजारों की भी व्यवस्था करनी होगी। अतः राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य में भारत सरकार की सहायता से 136 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना व विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड़ रुपये की समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू की गई है। जल के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल देना होगा।

(i) सिंचाई हेतु पक्की नालियाँ बनाना

सिंचाई के जल को फसल तक पूरी तरह पहुँचाने के लिए सिंचाई की नालियाँ पक्की करने या पी वा सी पाइप लाइने डालने हेतु किसानों को अनुदान

1 राज्य में औसत वर्षा 55 सेन्टीमीटर होती है जो 10 से 90 सेन्टीमीटर के बीच पायी जाती है।

दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यर्थ जाने वाले पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य कृषकों को 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है।

(ii) फव्वारा-सिंचाई योजना (Sprinkler Irrigation Scheme) -

यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लाभदायक होगा जहाँ भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता है, सिंचाई का साधन कुआँ व ट्यूब-वैल होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला जाता है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में जैसे- सीकर, झुन्झुनू, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोक, व सवाई माधोपुर आदि जिलों में इसमें लाभ मिल सकते हैं। इसके प्रचार-प्रसार के लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाहिए। इससे फलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 1991-92 में 32(X) फव्वारा सिंचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया था। इससे सरसों की फसल में चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से धुल जाता है।

(iii) बूद-बूद सिंचाई पद्धति (Drip Irrigation) -

इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कन्ड्यूट पाइपों द्वारा पौधों तक पहुँचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा फलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके लिए भी अनुदान दिया जाता है। इसमें एक बार पानी को स्टोर करने व अन्य व्यवस्था में व्यय अवश्य करना होता है, लेकिन बाद में इससे काफी किफायत होने लगती है।

(iv) सामुदायिक नलकूल योजना-

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल को सिंचाई के क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नलकूल योजना लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त भू-जल (ground water) की आवश्यकता होगी। यह योजना सीकर, झुन्झुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोक जिलों में लाभकारी होगी। एक सामुदायिक नलकूल के लिए लघु व सीमान्त कृषकों का एक समूह बनाना होगा। उनको सरकार अनुदान देगी, और यह राशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसानों को 75% एवं अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति कुआँ दी जा सकेगी। इससे 1991-92 में 5 हजार परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

(v) फसलों के प्रकारों में परिवर्तन-

सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलों के ढाँचे को भी बदलना होगा। इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे- गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलों

जैसे- सरसो, धनिया, चना, अलसी आदि फसलो का उपयोग करना होगा ताकि कृषकों की आय भी बढ़ायी जा सके। इसके लिए फसल प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए उर्वरक बीज आदि के लिए अनुदान की भी व्यवस्था करनी होगी।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि राज्य में सिंचाई की पक्की नालियाँ बनाकर, फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करके सामुदायिक नलकूल योजना अपनाकर व फसलो के ढाँचे को बदलकर तथा सूखी खेती के विकास के लिए 'जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करके कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने व इसमें वार्षिक उतार चढ़ावों को कम करने की दिशा में प्रगति सम्भव हो सकती है।

(3) लवणीय मिट्टियों की समस्या

राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारीयता (salinity and alkalinity) की समस्याओं की शिकार है। 1987-88 में यह कृषिगत भूमि का लगभग 7.5% थी। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ़ सकता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में कुओ की सिंचाई से लवणता की समस्या बढ़ी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण यह समस्या फसलो के उत्पादन को गिरा देती है।

हाल में बीकानेर जिले के लूणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रों में 'सेम (वाटरलॉगिंग) जो लवणता को उत्पन्न करती है व 'खार की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इसमें दूर दूर तक भूमि पर लवण की सफेद सफेद परतें जम गई हैं और धरती बजर होती जा रही है। भूमि पर निरन्तर पानी के जमाव से 'सेम' के कारण खार बाहर निकल जाता है जो भूमि को बजर बना देता है। मूलतः खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्न होती है तथा पानी के निकास (drainage) की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती।

लवणयुक्त मिट्टियों की समस्या का समाधान करने के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं (i) फसलो का एक विशेष प्रकार का ढाँचा। (ii) हरी खाद देना। (iii) भूमि की लवणता व क्षारीयता को ध्यान में रखकर उर्वरकों का उपयोग। (iv) लवणयुक्त मिट्टी के पानी में सुधार, (v) मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का उपयोग करना।

कृषकों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए तथा उनको उचित मात्रा में जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध करायी जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियों की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुनः कारत में लाना सम्भव हो सकेगा। हाल में राजस्थान सरकार की विरव बेक द्वारा स्वीकृत विस्तृत कृषि विकास परियोजना में समस्याग्रस्त मिट्टियों वाली भूमि को पुनः

कारत में साने की स्कीम भी शामिल की गई है।

(4) कृषिगत इन्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों, खाद, पौध-संरक्षण (कीटनाशक दवाओं) व आवश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति करना-

कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इन्पुटों की सप्लाई से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए कृषकों को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किये जाने चाहिये। 1988-89 में बाजरे के अन्तर्गत कुल 57.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में केवल 17 लाख हैक्टेयर में अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था जो मात्र 30% था। गेहूँ में यह अनुपात 76% तक पहुँच गया था। अन्य फसलों में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बाजरे में यह क्षेत्रफल बढ़ाकर आधा किया जाना चाहिए। जौ, चना, मोठ व ग्वार में भी उन्नत किस्मों की बुवाई की जानी चाहिए।

इससे खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिये बाजरे की स्थानीय किस्मों के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 8-10 क्विंटल उत्पादन मिलता है जबकि उन्नत किस्मों से 25-30 क्विंटल (तिगुना) उत्पादन मिलता है। इसलिये विभिन्न फसलों में उन्नत व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अंतर को कम किया जा सकता है। बीजों की उपलब्धि बढ़ाने के लिये बीज ग्राम की योजना अपनायी जा सकती है जिसमें गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक विशेष किस्म की फसल उगायी जा सकता है तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है।

सिंचित क्षेत्रों में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिये। हालाँकि 1988-89 में कोटा, बूंदी, गंगानगर व चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों की खपत 50-52 किलोग्राम तक रही है लेकिन इसे और बढ़ाया जा सकता है। बारानी (असिंचित) फसलों पर भी सूखी खेती की तकनीक के विकास के साथ-साथ प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। मरु क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर है वहाँ बाजरे की खड़ी फसल को प्रति हैक्टेयर 10 किलो नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक दिया जाना चाहिये। इसके अलावा गोबर की खाद, आदि का प्रयोग बढ़ाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

पौध संरक्षण दवाओं व इनके उपकरणों का उपयोग अनुदान की सहायता से बढ़ाया जाना चाहिये। राज्य में कई प्रकार के स्प्रेयर्स पर अनुदान देय है। बीजों को फफून्ट से बचाने के लिये उचित मात्रा में इन्फोक्सा का उपयोग किया जाना चाहिये। खरपतवार नियंत्रण, चूहा व विशेष कीटनियंत्रण, सफेद लट्ट, काता, दीमक आदि कीटों से फसलों को बचाने से पैदावार बढ़ेगी। इसके लिये किसानों को प्रशिक्षण देना होगा तथा उनके लिये प्रदर्शन मिनी किट्स आदि की व्यवस्था

बढ़ानी होगी। तिलहन व दालों के विकास के लिये विशेष सुविधाये देनी होगी।

(5) सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता -

कृषको के लिये अल्पकालीन मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। राज्य में सहकारी साख सस्थाओ का विकास किया गया है। 1990 91 में राज्य में 5 280 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ थीं जिनमें आधी से ज्यादा कमजोर अवस्था में थीं। इनमें से काफी समितियाँ बंद पड़ी थीं क्योंकि उन्होंने सारे वर्ष में कृषको को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिये थे। केन्द्रीय सहकारी बैंकी पर ओवरड्र्यूज का भार है कुल 25 में से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के हैं। साख की आवश्यकता व साख की पूर्ति में भारी अन्तर पाया गया है। 1988 89 में साख की आवश्यकता 396 3 करोड़ रुपये रही तथा साख की वितरित राशि केवल 135 5 करोड़ रुपये रही। इस प्रकार साख का अभाव (credit gap) 260 8 करोड़ रुपये का रहा जो वितरित राशि का लगभग दुगुना है। इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैंको को दशा भी अच्छी नहीं है।

उनमें से कई बैंको में घाटे की राशि काफी ऊँची रही है। राज्य में अकाल व सूखे के कारण कृषको की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि व ग्रामीण ऋण राहत स्कीम 1990 के अन्तर्गत राज्य में 18 लाख परिवारों को 500 करोड़ रुपये की राहत दी गई थी। इसमें किसान बुनकर व दस्तकार शामिल थे। तिलहन के क्षेत्र में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र में एक तिलम सघ की स्थापना की गई है।

राजस्थान में सहकारी सस्थाओ को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ये कृषिगत उत्पादन बढ़ाने में उचित भूमिका निभा सकें।

1993 94 के लिए 170 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 8 करोड़ रुपये के मध्यमकालीन तथा 50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे गये हैं।¹ सहकारी सस्थाओ द्वारा दिये गये कर्जों की वापसी की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

(6) चारे का अभाव

कृषको के लिये कृषि व पशु पालन दोनों का महत्व है क्योंकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते हैं। राज्य में पशु पालन का विशेषतया शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में बहुत महत्व है। राजस्थान में वनी का अभाव है। राज्य में 47 लाख पशु सरकारी वन भूमि पर चराई करते हैं जो उसकी क्षमता का 20 गुना है। अधिकांश बजर व अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया

जाता है। चारे की कमी से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूखे व अभाव के वर्षों में चारे की तलाश में राज्य से पशुओं का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य में भूमि के कटाव की समस्या भी गम्भीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति माँग की तुलना में काफी कम है। अन्य राज्यों से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

कृषि-वानिकी (farm forestry) एवं चारा उत्पादन - किसानों द्वारा कृषि-वानिकी व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। उनको खन-पेड़ों के पौधे उपलब्ध किये जाने चाहिये। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में रतन जोत तथा पश्चिमी भाग में खेजड़ी के पौधों का महत्व है। कृषकों के खेतों पर पौधशालाओं का विकास किया जाना चाहिये। कृषकों को कुदृष्टी की भरीयन व नाद (trough) उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि वे चारा काट कर पशुओं को खिला सकें। इससे पशुओं को साल भर चारा मिल सकेगा जिससे ऊन व दूध का उत्पादन बढ़ेगा और राज्य से पशुओं के पलायन में कमी आयेगी। राज्य में चारे व ईंधन की कमी के दूर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने का अवसर मिलेगा।

(7) उद्यान व फलोत्पादन का विकास-

राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ट योजना, जनजाति के लिये उप-योजना (Inbal sub plan) मरु-विकास व सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाबार्ड फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत फलोत्पादन बढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ में सतरा गगानगर में किन्नो, मौसमी, माल्टी, उदयपुर, बासवाड़ा भरतपुर व जयपुर में आम जोधपुर में बेर, सर्वाई माधोपुर जिले में अमरूद व जालौर में अनार आदि का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

सब्जी फूल व मसालों (मिर्च धनिया, मैथी, जीरा, सौंफ अदरक, हल्दी आदि) तथा पान की पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है। भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में रेशम का उद्योग पनपाने के लिये शहतूत की खेती की जा सकती है। टसर योजना कोटा उदयपुर व बासवाड़ा जिलों में लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत अर्जुन पौध-रोपण किया जाता है। इसके 4-5 वर्ष में विकसित होने पर कोट पाले जाते हैं। यह आदिवासियों लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक उत्तम उपाय है।

निष्कर्ष- राज्य सरकार ने एक सर्वांगीण कृषि-विकास परियोजना तैयार की है जिसकी लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक रखी गई है। यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त के लिये प्रस्तुत की गई थी। यह आठवीं योजना (1992-97) में कार्यान्वित की जायेगी। इसमें फसल-उत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन महदी, तुम्बा (एक प्रकार की अखाद्य तेल की फसल) तथा ईमबगोल को शामिल किया गया है। इसमें चारा उत्पादन के लिये कृषि-वानिकी विकास कार्यक्रम समस्याग्रस्त मिट्टियों के सुधार कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र को समन्वित करने, फल-विकास, जल-विकास बीज-विकास विपणन साख सहकारिता समग्र पशु विकास,

भेड विकास मछली पालन व सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई आदि के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम रखे गये हैं। यह कार्यक्रम सशोधित रूप में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत हो गया है। इसमें राजस्थान के लिये कृषिगत क्षेत्रों में व्यापक क्रान्ति की सम्भावनाये छिपी हुई हैं। लेकिन इसके लिये वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा।

(आ) औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाये व उनको दूर करने के उपाय

हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन में देख चुके हैं कि राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का अंश (स्थिर मूल्यों पर) 1989-90 में 11.6% तथा 1990-91 में 10.25% रहा था। इस प्रकार पिछले वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पात में लगभग 11-12 प्रतिशत अंश रहा है। खनन व विद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान 1990-91 में 13 प्रतिशत रहा था जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन को बतलाता है। आज भी राज्य की आय में कृषिगत क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है।

योजनाकाल में राज्य का औद्योगिक विकास हुआ है। लेकिन कई बाधाओं के कारण प्रगति उतनी नहीं हो पायी है जितनी गुजरात महाराष्ट्र आदि राज्यों की हुई है। हम पहले बतला चुके हैं कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1988-89 में गुजरात में फैक्टियों की संख्या 11,103 थी जबकि राजस्थान में 3,162 थी। फैक्टियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या गुजरात में 6,69 लाख थी जबकि राजस्थान में 2,31 लाख ही थी। इस प्रकार देश की जनसंख्या में लगभग समान अंश रखते हुए भी गुजरात में फैक्टियों का विकास राजस्थान की तुलना में तिगुने से भी अधिक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में कुछ तत्त्व बाधक रहे हैं। उनको दूर करके ही भविष्य में औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है।

(1) पंचवर्षीय योजना में खनन व उद्योगों के विकास पर कुल सार्वजनिक व्यय का अंश काफी कम रहा है। इससे औद्योगिक विकास में बाधा पहुँची है। 1960 के दशक में इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का लगभग 1.5 प्रतिशत ही व्यय किया गया था। चतुर्थ योजना में यह 2.8% तथा पाँचवी योजना में 4% हो गया एवं छठी योजना में भी लगभग इतना ही अंश बना रहा। सातवी योजना में खनन व उद्योग पर इस्तावित व्यय 6.4% रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 4.7% ही रहा जो लक्ष्य से काफी नीचा था। योजना में खनन व उद्योग के विकास के लिये 190.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जबकि वास्तविक व्यय केवल 145.6 करोड़ रुपये ही हो पाया। इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय किये जा सके।

लेकिन 1990-91 में पहली बार उद्योग व खनन पर सार्वजनिक परिव्यय की 9.1% राशि व्यय की गई तथा 1991-92 के लिये यह पुन घटकर 5.3% पर आ गई। 1992-97 की आठवीं योजना में इसे 4.7% (536 करोड़ रुपये) रखा गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का नीचा अंश उद्योग व खनन पर व्यय किये जाने से इस क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंची है।

1989 में माधुर समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% अंश औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये, जो वर्तमान स्तर का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के लिये ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया गया है आठवीं योजना में इसे 4.7% ही रखा जा सका है। फिर भी योजना का आकार बड़ा होने से इस क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि 536 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई गयी है।

(2) औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (बिजली, परिवहन, संचार, जल आदि) का अभाव-

(i) ब्रोडगेज रेलवे की कमी- राज्य में मीटर गेज रेलवे अधिक है जिससे माल की दुलाई में बाधा पड़ती है। हाल तक केवल भरतपुर कोटा व सर्वाई माधोपुर ही ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे हैं। अब कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच ब्रोडगेज की रेलवे लाइन बन जाने से सीमेंट की कुछ इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं जिनमें एक सुपरसीमेंट सयंत्र भी शामिल है। हाल में जयपुर के समीप दुर्गापुर से सर्वाई माधोपुर के बीच मीटर गेज लाइन को ब्रोडगेज लाइन में बदल देने से औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले हैं। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में नई रेल लाइने बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है। इसी प्रकार दिल्ली अहमदाबाद मार्ग को ब्रोडगेज में बदलने से विकास के नये अवसर खुल सकते हैं।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रों में सड़को की स्थिति भी पूरी तरह सतोपजनक नहीं रही है। उनमें कई स्थानों पर सड़को का अभाव है तथा अन्यत्र रख रखाव की दृष्टि से अभाव पाया गया है।

(iii) विद्युत का अभाव तथा सप्लाई में अनियमितता- औद्योगिक विकास में विद्युत की सप्लाई का सर्वोपरी स्थान माना गया है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य में विद्युत की माग व पूर्ति में अंतर पाया जाता है। विद्युत की पूर्ति की तुलना में माग अधिक पायी जाती है। अभी तक राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिये आन्तरिक साधनों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाया है।

आठवों योजना में बरसिहसर व सूरतगढ़ ताप परियोजनाओं के चालू होने से विद्युत की स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है। राज्य को बाहरी स्रोतों से भी बिजली के मिलने की सम्भावना है जिससे इसका अभाव दूर होगा।

पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ आबू रोड व धोलपुर में विकास केन्द्र (growth centres) स्थापित करने का निरूपण किया है जिसके अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रति केन्द्र 30 करोड़ रुपये अगामी वर्षों में व्यय किये जायेंगे। इससे विद्युत, सड़क संचार, जल, आदि की उपलब्धि के बढ़ने की सम्भावना है।

(3) अक्टूबर 1988 से मार्च 1991 तक स्थिर पूँजी पर केन्द्रीय सव्मिडी के बढ़ जाने से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोध आ गया था।

सितम्बर 1988 के बाद राज्य में केन्द्रीय पूँजी सव्मिडी की स्कीम बढ़ कर दी गयी थी जिससे पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरात प्रभाव पड़ा था। पिछड़े इलाकों में लघु व मध्यम पैमाने का इकाइयों का स्थापना पर पूँजी सव्मिडी की सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर 1988 से केन्द्रीय सव्मिडी बढ़ होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता व शिथिलता का वतावरण उत्पन्न हो गया था। पहले पूर्णतया उद्योग बिहोन जिले (NID) में एक करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये की सव्मिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलता था। राजस्थान में केन्द्राय सव्मिडी का राशि 1981-82 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 8 करोड़ हो गई थी। इससे उद्योगों की स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिला था।

केन्द्राय सव्मिडी स्काम के अक्टूबर 1988 से बढ़ होने के बाद अन्य राज्यों ने तो अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये अपनी-अपनी नयी औद्योगिक नागरणों घोषित कीं, तकि इनमें विकास की गति को बनाये रखा जा सके। उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल ने राजकाय सव्मिडी 15 से 30% तक कर दी जबकि केन्द्राय सव्मिडी 10% से 15% तक हा थी।

तमिलनाडु ने पिछड़े तालुका में राजकीय सव्मिडी देना चालू कर दिया था। उत्तर प्रदेश ने पिछड़े क्षेत्रों के आद्योगिक विकास के लिये 10 करोड़ रुपये का एक उपक्रम काय (Venture fund) स्थापित किया था। हरियाणा ने पावर सव्मिडी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी थी ताकि उद्यमकर्ता स्वयं के डाजल जनरटिंग सट लगा सकें।

इस प्रकार अन्य राज्यों ने केन्द्राय सव्मिडी के अभाव का दूर करने का प्रयास किया तकि राजस्थान में पूँजी विनियम पर सव्मिडी का स्कीम पर रण में अक्टूबर 1991 से चालू की है जिसके अन्तर्गत मध्यम व बड़े उद्योगों

के लिये 15% सब्सिडी व लघु उद्योगों के लिये 20% सब्सिडी की व्यवस्था काफी उदारतापूर्वक की गई है, जिसका विवरण औद्योगिक नीति के अध्याय में किया जा चुका है। बाद में आदिवासी क्षेत्रों व उद्योगविहीन जिलों में 5% की अतिरिक्त सब्सिडी दी गयी है।

आशा है कि सब्सिडी की नई सुविधा से पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई लहर उत्पन्न होगी और राज्य द्रुतगति से औद्योगिक प्रगति कर पायेगा।

(4) औद्योगिक रुग्णता से उत्पन्न बाधाएँ - राजस्थान में भी अन्य राज्यों की भाँति औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास में बाधा पड़ी है। जून 1988 के अंत में राज्य में गैर-लघु उद्योगों की रुग्णता (sick)¹ इकाइयों की संख्या 43 थी। (इनमें 16 वस्त्र इकाइयाँ, 6 कागज इकाइयाँ, 3 इजीनियरी इकाइयाँ, 3 रासायनिक इकाइयाँ, आदि)। इनमें बैंकों की बकाया उधार की राशि 93.11 करोड़ रुपये थी, जो देश की कुल बैंक बकाया उधार राशि का 3.1% थी। इनके अलावा गैर लघु उद्योगों की कमजोर (weak)² इकाइयाँ 15 थीं जिनमें बैंकों की बकाया उधार की राशि 15.25 करोड़ रुपये थी (कुल बकाया राशि का 0.8%)। इसी अवधि के अंत तक रुग्ण लघु पैमाने की (sick SSI units) इकाइयाँ³ 10,362 थीं, जिनमें बैंकों की 49.8 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इससे इन इकाइयों के रोजगार, उत्पादन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दिसम्बर 1988 के अंत में इनकी संख्या 11,063 हो गई थी।

राजस्थान में लघु व मध्यम उद्योगों के रुग्ण होकर बंद होने का मुख्य कारण कार्यशील पूँजी (working capital) का सकट माना गया है। बैंक कार्यशील पूँजी समय पर व पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं। राजस्थान वित्त निगम की 1990-91 में खतरे में पड़ी उगाही वाले खातों की राशि 13 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी थी, इसलिए निगम ने 105 इकाइयों की 46 लाख रुपये की राशि बट्टे खातों लिखने का निर्णय लिया था। राजस्थान

- 1 इनके इकट्ठे घाटे शुद्ध पूँजी (entire net worth) के बराबर या अधिक होते हैं (अन्य बातों के अलावा)।
- 2 इनके इकट्ठे घाटे पिछले पाँच वर्षों की सर्वाधिक शुद्ध पूँजी (Peak net worth) के 50% के बराबर या अधिक होते हैं। (अन्य बातों के अलावा)
- 3 इनका नकद घाटा उस वर्ष हो व पिछले वर्ष रहा हो तथा शुद्ध पूँजी का 50% या अधिक नष्ट हो जाये और/अथवा चार लगातार त्रैमासिक ब्याज व धुगतान न कर पाये या दो अर्द्ध-वार्षिक मूलधन की किस्तों का धुगतान न कर पाये तथा बैंक की सख्त सीमाओं के संचालन में लगातार अनिश्चितताएँ हों।

का यह पहला सार्वजनिक उपक्रम है जिसे बट्टे खाते में रकम डालने का फैसला करना पड़ा था। (पत्रिका 31.7.91) ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक रुग्णता भी औद्योगिक विकास में एक अवरोधक तत्त्व है।

(5) अन्तर-संस्थागत समन्वय व सहयोग का अभाव- विभिन्न वित्तीय समस्याएँ जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सीको राजस्थान वित्त निगम व्यापारिक बैंको आदि में परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए उद्यमकर्ताओं को वित्तीय समस्या से स्थिर पूँजों के लिए कर्ज मिलने के बाद वार्षिकी पूँजों के लिए व्यापारिक बैंको के पास जाना होता है। लेकिन वहाँ से कर्ज मिलने में विलम्ब व अमुविधा होती है। यदि इन समस्याओं के कार्यों में अधिक ताल मेल हो जाय तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

(6) राज्य में 'औद्योगिक सस्कृति' का अभाव- राजस्थान के संदर्भ में प्रायः यह कहा गया है कि यहाँ 'औद्योगिक सस्कृति' का अभाव है जबकि गुजरात महाराष्ट्र आदि में यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है। औद्योगिक सस्कृति का आशय यह है कि प्रशासन उद्यमकर्ता पर कितना ध्यान देता है। यदि छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए उद्यमकर्ता विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं एवं बार-बार अनेक इन्स्पेक्टर फँक्टोरियों में उनको अकारण तंग करते पाये जाते हैं तो समझना चाहिए कि 'औद्योगिक सस्कृति' का अभाव है। इसके विपरीत यदि प्रशासन उद्यमकर्ताओं की समस्याओं के हल में मदद देता है और उत्पादन बढ़ाने में सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक सस्कृति विकसित मानी जायेगी। नये उद्यमकर्ताओं और प्रवासी भारतीयों को राजस्थान के औद्योगिक विकास में शरीक करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ 'खुले मंच' में उद्यमकर्ताओं की समस्याओं पर विचार होना चाहिए तथा 'एक खिड़की सेवा' (one window service) के दृष्टिकोण को मूर्तरूप दिया जाना चाहिए ताकि एक ही बिन्दु पर उद्यमकर्ता को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मिल सकें और उमें अनावश्यक रूप से एक जगह से दूसरी जगह न भटकना पड़े।

(7) 'औद्योगिक वातावरण' का अभाव - प्रायः यह भी सुनने को मिलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण (Industrial climate) का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं व प्रेरणाओं की कमी है। औद्योगिक वातावरण तब बनता व पनपता है जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ विकसित हों (आवश्यकतानुसार पानी, बिजली, भड़क, टेलीफोन आदि की सुविधाएँ मिल सकें) तथा उद्यमकर्ताओं को वित्तीय व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें मिलें। पड़ोसी राज्यों की

तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप राजस्थान के औद्योगिक विकास में शिथिलता आ जायेगी।

इस समस्या के समाधान के लिये लचीली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति अपनायी होगी। अन्य राज्यों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को अपनी नीति में इस प्रकार के परिवर्तन व समायोजन करने चाहिए ताकि वह उनसे किसी तरह पीछे न रहे। ऐसा करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक अनुकूल बन पायेगा।

(8) दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास में बाधक¹ - स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पूँजीगत सन्निधि की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूट, आदि अपने आप में औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें तो हैं, लेकिन ये पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। औद्योगिक विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियायती कर्ज, पूँजीगत-सन्निधि, नवीन व उन्नत टेक्नोलोजी, उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माँग व विक्री की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी हैं। लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का औद्योगिक नियोजन (industrial planning) जिसमें निम्न बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(i) कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,

(ii) विभिन्न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हो,

(iii) विभिन्न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,

(iv) उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के बीच बंटवारा किस प्रकार हो,

(v) एक वर्षीय, पंचवर्षीय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन में समन्वय किस प्रकार बैठाया जाय।

उपर्युक्त ढंग से वैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन व "प्रखर" व व्यावहारिक औद्योगिक व्यवहारा से ही औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, लेकिन औद्योगिक नियोजन, विशेषतया 10-15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया

३

1 देखिए मेरे द्वारा प्रेषित लेख "Industrial Structure and Industrial Incentives in Rajasthan, In Development of Rajasthan, Challenge and Response, (Edited by Ashok Bapna SID, Rajasthan, Chapter, Jaipur) 1969, ch 9, pp 156-167, एक दूसरा लेख "Rajasthan Poised for Rapid Industrial Growth" Industrial Promotion Policy for 1990s & (SID Conference, Jaipur, January, 1991)

गया दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को सही दिशा व आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। इसके अभाव में राज्य में कुछ कारखाने अवश्य खुल जायेंगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो पायेगा। उदाहरण के लिए, प्रायः उद्यमकर्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि सौमट के उद्योग में काफी मुनाफा हो रहा है तो वे इसकी इकाइयाँ लगाने के लिए अनेक आवेदन पत्र एक साथ पेश कर देते हैं और उनकी स्वीकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि सम्भवतः इस क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हैं और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं का अभाव बना हुआ है। इन दशाओं को उत्पन्न न होने देने के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किये गये औद्योगिक नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमें अनेक बिन्दुओं पर तालमेल बैठायें जाते हैं जिनमें से कुछ का संकेत ऊपर दिया गया है।

(9) गैर फँकटी क्षेत्र में खादी ग्रामीण उद्योग हथकरघा व दस्तकारियों की समस्याओं के समुचित समाधान की आवश्यकता हमने ऊपर जिन बाधाओं को चर्चा की है उनमें से अधिकांश का सीधा सम्बन्ध फँकटी क्षेत्र या संगठित क्षेत्र के उद्योगों से है। लेकिन राजस्थान के जनजीवन में रोजगार व आय की दृष्टि से गैर फँकटी क्षेत्र के उद्योगों का महत्व कम रहा है। उनकी समस्याओं का समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। उनका भी यथासम्भव आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि माल की गुणवत्ता में सुधार हो और उनकी लागत कम की जा सके। उनका निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में औद्योगिक नीति 1990 में हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर यार्न व अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया है। आठवीं योजना में 10 हजार नये हथकरघे लगाने का प्रस्ताव है ताकि 30 हजार व्यक्तियों को काम दिया जा सके।

दस्तकारियों के विकास हेतु नई नीति में कारीगरों व शिल्पकारों के प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन कार्यशील पूँजी आदि की सुविधाओं को बढ़ाने निर्यात बढ़ाने के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विरोध कदम उठाने तथा एक डिजाइन व विकास केन्द्र स्थापित करने, आदि पर जोर दिया गया है। लेकिन इनके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से योजना बनानी होगी जिनमें क्षेत्रवार, उद्योगवार व माँग के अनुसार विकास के कार्यक्रम निधारित करने होंगे ताकि ठीक से यह पता लग सके कि योजना में इस क्षेत्र में कितने लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल पायेगा और उनकी आमदनी व जीवन स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन आ पायेगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक नियोजन औद्योगिक नीति व औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्ताओं के समुचित विकास से ही औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाना व राज्य का औद्योगिकीकरण करना

विशेषतया ग्रामीण औद्योगीकरण करना, सम्भव हो सकता है।

यहाँ पर आठवीं योजना में औद्योगिक विकास की नीति के सम्बन्ध में माधुर समिति की सिफारिशें देना भी लाभकारी होगा ताकि इस क्षेत्र के विकास में समुचित मदद मिल सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में औद्योगिक विकास की व्यवस्था के सम्बन्ध में उच्च अधिकार प्राप्त माधुर समिति के प्रमुख सुझाव व सिफारिशें¹

आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यवस्था पर माधुर समिति (अध्यक्ष प्रोफेसर एम वी माधुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 26 जून 1989 को पेश की थी। इसमें औद्योगिक विकास के नये क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिये गये थे तथा इस सम्बन्ध में विकास की नीतियाँ व आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये थे।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं -

1 राज्य के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकसित किये जाने चाहिए जैसे दक्षिणी राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि प्रोसेसिंग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा अर्धसिंचित जिलों में दक्षता-आधारित (skill-based) हस्तशिल्प उद्योग विकसित किये जाने चाहिए। जेसलमेर क्षेत्र में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गैस आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं।

2 समिति ने निम्न औद्योगिक समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया था इलेक्ट्रोनिक्स कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग, खनिज व खनिज पदार्थ पर्यटन (tourism) रत्नमणि व जवाहरात उद्योग तथा दस्तकारियों (चमड़ा व चमड़े की वस्तुओं सहित)।

3 जैसा कि पहले बतलाया गया है आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जो वर्तमान स्तर का (प्रतिशत में) लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

4 सशोधित आकड़ों के अनुसार वर्तमान में विनिर्माण (Manufacturing) किया का स्थिर कीमतों पर राज्य की आमदनी में लगभग 11-12 प्रतिशत अंश है, जिसे बढ़ाकर आठवीं योजना में 15%

1 High Power Committee Report on Strategy for Industrial Development in Eighth Five Year Plan Vol I 1989 Govt of Rajasthan, Ch V Thrust Areas and Ch VI Conclusions pp 31-48

करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माधुर समिति ने इसे वर्तमान के 9 10 प्रतिशत से बढ़ाकर आठवीं योजना में 12% करने का सुझाव दिया था, जो अब सशोधित आकड़ों के कारण बदल गया है।

5 राज्य सरकार को उद्योगों को दी जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सेवाओं की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। उन उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमें राज्य को विशेष लाभ प्राप्त हैं जैसे पशु-आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण, खनिज पदार्थ व दस्तकारियों।

6 भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी भूमि अवाप्त करनी चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी कुछ वर्षों में कोई उद्योग नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

7 उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य के औद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बैठक करनी चाहिए।

8 सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (Public Enterprise Selection Board) गठित किया जाना चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की व्यवस्था करे।

9 अधक को विक्री कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने किया है।

10 चमड़े व दस्तकारियों के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साधन मिलाने होंगे जैसे उद्योग निदेशालय, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि।

माधुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकती है।

प्रश्न

- 1 राजस्थान के कृषिगत विकास के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ? उनको दूर करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं उनका परिचय कीजिए।
- 2 "राजस्थान में औद्योगिक विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं इसलिए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।" इस सम्बन्ध में बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाएँ।

3 राजस्थान के आर्थिक विकास की मुख्य बाधाये क्या हैं? इनको कैसे दूर किया जा सकता है?

(Ajmer II yr, 1992)

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(i) राजस्थान में जल-प्रबंध में सुधार,

(ii) राज्य में लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या,

(iii) राजस्थान में शुष्क खेती तथा वाटरशेड (जल-ग्रहण) विकास कार्यक्रम

(iv) औद्योगिक विकास में पूँजी-विनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम,

(v) राज्य के कृषिगत विकास में बाधाये (Raj, I yr, 1992)

(vi) राजस्थान के आर्थिक विकास में अवरोध।

(Ajmer, I yr, 1992)

राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ तथा 1993-94 का बजट (State-Budgetary Trends and The Budget for 1993-94)

योजनाकाल में राजस्थान के वित्तीय ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय में राज्य की बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियों (budgetary trends) व 1993-94 के बजट पर प्रकाश डाला जायेगा तथा अगले अध्याय में विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा राज्य की तरफ किये गये वित्तीय हस्त-तरणों गाइडिड फामूले के अन्तर्गत किये गये राज्य के लिए योजना-हस्तान्तरणों (plan transfer.) तथा राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला जायेगा। निरन्तर पडने वाले अकालों व सूखे के कारण राज्य की वित्तीय दशा काफी कमजोर रही है। स्वयं राज्य के द्वारा किये गये तीव्र आर्थिक विकास व केन्द्र से प्राप्त होने वाली अधिक वित्तीय सहायता से ही राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

1993-94 के बजट-अनुमानों के अनुसार राजस्व-खाते में घाटा 200 करोड़ रुपये व पूँजी खाते में घाटा 439 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इस प्रकार समेकित निधि (Consolidated fund) में शुद्ध घाटा 639 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। लेकिन सार्वजनिक या लोक खाते (Public Account) में शुद्ध बचत 477 करोड़ रुपये दर्शायी गयी है। सार्वजनिक खाते में वे सौदे दिखाये जाते हैं जो सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में करती है। इसमें सस्पेन्स व भुगतान (suspense and remittance) के सौदे भी शामिल होते हैं। इस खाते के लेन-देन राजस्व, पूँजी व ऋण खाते से भिन्न प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक खाते की मुख्य मदें इस प्रकार होती हैं

अल्प बचते, प्रेक्विडेण्ट कोष रिजर्व कोष बचत व अग्रिम राशियाँ सस्पेन्स व विविध प्रकार के भुगतान।

इस खाते की बचतें शामिल करने पर 1993-94 के बजट में समग्र घाटा 162 करोड़ रुपये का रहा। 1992-93 के बजट-अनुमानों में समग्र

घाटा 28 करोड़ रुपये दर्शाया गया था। जो सशोधित अनुमानों के अनुसार 57 करोड़ रुपये की बचत में बदल गया।¹

अब हम राजस्व खाते में आय-व्यय की प्रवृत्तियों, पूँजी-खाते में आय-व्यय की प्रवृत्तियों, सार्वजनिक कर्ज के भार आदि पर प्रकाश डालेंगे।

राजस्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ²

(Trends in Receipts under Revenue Account)

राजस्व खाते में विभिन्न प्राप्तियों को तीन श्रेणियों में बाटा जाता है-

कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायतार्थ अनुदान (grants-in-aid)। नीचे इनका क्रमश विवरण दिया जाता है-

1. कर-राजस्व- इसके अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा स्वयं राज्य में लगाये गये करों का राजस्व दिखाया जाता है। आजकल राजस्थान को अन्य राज्यों की भाँति केन्द्रीय आयकर व सघीय उत्पादन शुल्क में अंश प्राप्त होता है। राज्य में स्वयं के प्रदेश में लगाये गये निम्न करों से राजस्व की प्राप्ति होती है भू-राजस्व (land revenue), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी (state excise), बिक्री-कर (sales tax), वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर व शुल्क तथा अन्य कर व महसूल। अन्य करों में मनोरजन कर, व्यापारिक फसलों पर उपकर, आदि शामिल होते हैं।

1951-52 में कुल कर-राजस्व की प्राप्ति 116 करोड़ रुपये हुई जो बढकर 1961-62 में 29 करोड़ रुपये, 1971-72 में 109 करोड़ रुपये, 1981-82 में 508 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में 2445 करोड़ रुपये हो गई (केन्द्रीय करों में अंश सहित)। 1992-93 के सशोधित अनुमानों में यह 2799 करोड़ रुपये व 1993-94 के बजट अनुमानों में 3086 करोड़ रुपये आकी गयी है।

करों को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष करों का भार दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करों का खिसकाया जा सकता है। राजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्त होता है उनमें निम्न शामिल है, (i) केन्द्रीय आयकर में अंश (share), (ii) भू-राजस्व (land revenue) (iii) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा (iv) अचल सम्पत्ति पर कर। परोक्ष करों (indirect taxes) में निम्न कर आते हैं, (i) सघीय आबकारी या उत्पादन-शुल्कों में अंश, (Share), (ii) राजकीय आबकारी, (iii) बिक्री कर, (iv) वाहनों पर कर, (v) सामान व यात्रियों पर कर, (vi) विद्युत-शुल्क,

1 1993-94 के लिए राजस्थान शासन का आय व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र (Explanatory Memorandum), मार्च 1993 पृ. 1 (राष्ट्रपति शासन के बाद संसद में प्रस्तुत)

2 नवीनतम आंकड़े आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र, 1993-94 से लिये गये हैं।

(vii) मनोरजन कर तथा (viii) व्यापारिक फसलो पर उपकर।

1971-72 में कुल कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करो का अंश 29% था जो आजकल 15-16 प्रतिशत है। इस प्रकार कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करो का योगदान घटता गया है और परोक्ष करो का बढ़ता गया है। पिछले वर्षों में परोक्ष करो का अंश लगभग 84% रहा है।

कर-राजस्व का विश्लेषण- निम्न तालिका में विभिन्न वर्षों के लिये कर-राजस्व में विभिन्न मदों के योगदान का विश्लेषण किया जाता है

		1971-72 (Accounts)		1992-93 (संशोधित अनुमान) (RE)	1993-94 (बजट अनुमान) (BE)	1993-94 (बजट अनुमान) (प्रतिशत में)
	शीर्षक	लेखे (करोड़ रुपये)	%	करोड़ रुपये	करोड़ रुपये	%
1	केन्द्रीय करो में अंश	43 3	39 7	1073 4	1179 0	38 2
2	राज्य कर-राजस्व	65 7	60 3	1725 4	1906 8	61 8
(i)	भू-राजस्व	8 6	7 9	28 5	30 0	1 0
(ii)	मुद्राक व रजिस्ट्रेशन शुल्क	3 5	3 2	130 0	141 0	4 6
(iii)	राज्य आबकारी	9 4	8 6	402 5	425 0	13 8
(iv)	बिक्री कर	33 1	30 4	920 0	1039 0	33 7
(v)	वाहनो पर कर	3 8	3 5	163 9	182 9	5 9
(vi)	अन्य	7 3	6 7	80 2	88 9	2 8
	कुल कर- राजस्व	109 0	100 0	2798 8	3085 8	100 0

तालिका से पता चलता है कि 1971-72 में कुल कर-राजस्व में केन्द्रीय करो का अंश 40% था जो 1993-94 के बजट अनुमानों में मामूली घटकर लगभग 38 2% पर आ गया है। इस प्रकार राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का

अंश 60% से बढ़कर 61.8% हो गया है। भू राजस्व का अंश काफी घट गया है। 1971-72 में 8% से घटकर 1993-94 के बजट-अनुमानों में 1% पर आ गया है। इसी अवधि में बिक्री कर का योगदान 30% से बढ़कर 33.7% पर आ गया है।

आजकल राज्य के कर राजस्व में बिक्री कर का स्थान सर्वप्रथम आता है 1993-94 के बजट में राज्य का स्वयं का कुल कर राजस्व 1907 करोड़ रुपये आका गया है जिसमें बिक्री कर का अंश 1039 करोड़ रुपये अर्थात् 54.5% है। स्मरण रहे कि बिक्री कर का कुल कर राजस्व में तो 1993-94 के बजट अनुमानों में अंश 33.7% आका गया है। लेकिन राज्य के स्वयं के कुल कर राजस्व में यह अंश और भी ऊँचा अर्थात् 54.5% आका गया है। इस प्रकार बिक्री कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का आधे से कुछ अधिक अंश प्रदान करता है। अतः राज्य को करोड़ों से प्राप्त राशि में बिक्री कर की सर्वोपरिता है। दूसरा स्थान राज्य आवककारी कर तथा तीसरा वाहनो पर कर का है। भूमि सुधारों के फलस्वरूप भू राजस्व का योगदान कुल कर राजस्व में केवल 1% रह गया है। राज्य आवककारी से 1993-94 के बजट में 425 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है।

2 अ कर राजस्व (Non Tax Revenue) राजस्व खाते में आय का यह दूसरा स्रोत है। सहायतार्थ अनुदान (grants in aid) जो केन्द्र से प्राप्त होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं हालाँकि उनकी राशि ऊँची होने से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है। अ कर राजस्व की आय निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती है ब्याज की प्राप्तियाँ लाभांश एवं लाभ सामान्य सेवाओं से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओं आर्थिक सेवाओं व अन्य साधनों से प्राप्त राशियाँ एवं सहायतार्थ अनुदान (grants in aid)।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत निम्न मदे शामिल होती हैं (i) शिक्षा कला व सस्कृति (ii) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (iii) जलपूर्ति सफाई, आवास और शहरी विकास तथा (iv) अन्य। आर्थिक सेवाओं में निम्न मदे आती हैं (i) लघु सिंचाई (ii) वानिकी व वन्य जीवन (iii) उद्योग, ग्रामीण व लघु उद्योग, (iv) वहद एवं मध्यम सिंचाई (v) अलौह धातु, खनन व धातु कार्मिक उद्योग व (vi) अन्य।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सहायतार्थ अनुदान भी अ कर राजस्व के अन्तर्गत ही दिखाये जाते हैं।

अ कर राजस्व का वर्गीकरण 1972-73 से बदला गया है। 1951-52 में अ कर राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानों सहित) 4.4 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1961-62 में 17 करोड़ रुपये 1971-72 में 76 करोड़ रुपये 1981-82 में 348.7 करोड़ रुपये व 1991-92 में 1683.7 करोड़ रुपये हो गयी। 1992-93

के सशोधित अनुमानों में अ कर राशि 2116 करोड़ रुपये रही तथा 1993-94 के बजट अनुमानों में 2118 करोड़ रुपये आकी गई है।

राजस्व खाते में आय के इन तीन स्रोतों का योगदान निम्न तालिका में दर्शाया गया है

		(प्रतिशत) 1992-93 (सशोधित अनुमान)	1993-94 (बजट-अनुमान)
(i)	कर राजस्व	56.9	59.3
(ii)	राज्य का अपना अ कर राजस्व	20.2	18.0
(iii)	सहायतार्थ अनुदान	22.9	22.7
	कुल	100.0	100.0
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (करोड़ ₹०)	4915.0	5204.0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते की कुल प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदानों का अंश 1993-94 के बजट अनुमानों में लगभग 23% अथवा करीब 1/4 अंश आका गया है जो पिछले वर्ष के समान है।

राजस्थान में कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पाद से अनुपात

निम्न तालिका में 1971-72, 1981-82 तथा 1990-91 के लिये राज्य में कुल कर राजस्व व राज्य की घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) के आकड़े दिये गये हैं

(करोड़ रुपये)

(प्रचलित भावों पर)

	1971-72	1981-82	1990-91
1. कुल कर राजस्व	109	508	1975
2. राज्य की घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर)	1534	4978	17578
3. कुल कर राजस्व का राज्य की आय से अनुपात	7.1%	10.2%	11.2%

इस प्रकार कुल कर राजस्व (केन्द्रीय करों में अंश सहित) राज्य की आय का 1990-91 में 11.2% रहा जो 1971-72 का तुलना में 4% अधिक था।

यदि हम राज्य के स्वयं के कर राजस्व को ले तो इसकी गति 1990-91

में 12165 करोड़ रुपये थी जो उस वर्ष की राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) का 6.9% मात्र थी। अतः 1990-91 में केन्द्रीय करो में अंश सहित राज्य का कुल कर राजस्व राज्य की आय का 11.2% रहा, जब कि इसी वर्ष राज्य का स्वयं का कर राजस्व राज्य की आय का 6.9% ही रहा था।

राजस्थान में प्रमुख करो की प्रतिक्रियात्मकता या बाँयन्सी (Buoyancy of major taxes in Rajasthan)

दो वर्षों के बीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि में राज्य की आय की प्रतिशत वृद्धि का माप देने से जो परिणाम आता है उसे उस कर की बाँयन्सी या प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं। इसमें कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन किसी कर की लोच (tax elasticity) निकालते समय कर की दर स्थिर रखी जाती है। अतः कर की लोच राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तन से स्थिर दरों पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया का माप होती है। इस प्रकार कर की लोच का निकालते समय कर की दर स्थिर मानी जाती है जबकि कर की बाँयन्सी ज्ञात करते समय कर की दरों के परिवर्तन भी शामिल किये जाते हैं।

1980-89 के बीच राजस्थान में कुछ प्रमुख करो की बाँयन्सी (buoyancy) इस प्रकार रही है इससे 1980 के दशक में राज्य में इनकी बाँयन्सी का पता चलता है।¹

(tax buoyancy in Raj)

(i) कुल कर राजस्व	1.15
(ii) राज्य का स्वयं का कर राजस्व	1.26
(iii) बिक्री कर	1.23
(iv) राज्य आबकारी कर	2.03
(v) मनोरंजन कर	0.52
(vi) विद्युत शुल्क	1.61

यदि कर की बाँयन्सी एक से अधिक होती है तो कर प्रयास उत्तम माना जाता है और यदि यह एक से कम होती है तो कर प्रयास कमजोर माना जाता है। उपर्युक्त तालिका के अनुसार केवल मनोरंजन कर को छोड़कर कर बाँयन्सी के एक से अधिक रहने से राज्य में कर प्रयास उत्तम माना जायेगा। राज्य आबकारी कर व विद्युत शुल्क में तो यह और भी अच्छी रही। कर बाँयन्सी के एक से

1 Amresh Bagchi & Tapas Sen Budgetary Trends and Plan Financing in the States Chapter 2 in State Finances in India ed. ted by Bagchi Bajaj and Byrd, 1992, table 2.13 pp 87-88

अधिक रहने का आशय है कि राज्य के अमुक कर के राजस्व में अमुक अवधि में वृद्धि की दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि दर से अधिक रही।

राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ

(Trends in Expenditure in Revenue Account)

राजस्व व्यय को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जाता है

1 सामान्य सेवाओं पर व्यय- इनमें राज्य के अंगों (organs of state) पर व्यय (मन्त्री परिषद, विधान सभा न्याय प्रशासन निर्वाचन आदि) राजकोषीय सेवाएँ (कर वसूली व्यय) ऋण परिशोधन व ब्याज का भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ, पेंशन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती है) शामिल होते हैं। इनमें सर्वाधिक व्यय ऋण परिशोधन व ब्याज के भुगतान की मद पर होता है।

2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय इसमें निम्न मदों का व्यय आता है

(i) शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (ii) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (iii) जलपूर्ति सफाई, आवास व शहरी विकास (iv) श्रमिक व भ्रम कल्याण (v) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (vi) समाज कल्याण व पोषाहार। इनमें सर्वाधिक व्यय शिक्षा खेल, कला व संस्कृति की मद के अन्तर्गत होता है।

3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय इनमें निम्न मदों शामिल की जाती हैं (i) कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, (ii) ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (iii) उद्योग व खनिज (iv) सिंचाई बाढ़ नियंत्रण व ऊर्जा (v) परिवहन (vi) विज्ञान, टेक्नोलोजी व पर्यावरण तथा (vii) सामान्य आर्थिक सेवाएँ।

1951 52 में कुल राजस्व व्यय 172 करोड़ रुपये हुआ जो बढ़कर 1961 62 में 52 करोड़ रुपये 1971 72 में 203 करोड़ रुपये व 1981 82 में 823 करोड़ रुपये हो गया। 1991 92 में राजस्व व्यय 4080 करोड़ रुपये हुआ जिसके 1992 93 के संशोधित अनुमानों में 4962 करोड़ रुपये तथा 1993 94 के बजट अनुमानों में 5405 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

1993 94 के बजट -अनुमानों में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश 37.1% सामाजिक सेवाओं पर 34.9% सामान्य सेवाओं पर तथा शेष 28% आर्थिक सेवाओं पर व्यय हेतु रखा गया है।

नीचे 1992 93 (संशोधित अनुमान) व 1993 94 (बजट-अनुमानों) में कुछ व्यय की मदों पर कुल राजस्व व्यय का अनुपात दर्शाया गया है।

शीर्षक	1992-93 (संशोधित अनुमान) (करोड़ रु)	1993-94 (बजट अनुमान) (करोड़ रु)	1993-94 में कुल राजस्व-व्यय का प्रतिशत
1 ऋण-परिशोधन व व्याज का भुगतान (सामान्य सेवाओं में)	742 9	894 6	16 6
2 शिक्षा, खेल, कला व सस्कृति (सामाजिक- सेवाओं में)	1024 3	1145 3	21 2
3 सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा (आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत)	600 4	566 6	10 5
4 प्रशासनिक सेवाएँ (सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत)	379 9	407 5	7 5
(अन्य सहित कुल राजस्व- व्यय) (Total Revenue Exp)	4961 8	5404 7	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ़ गया है जिम्मेसे कुल राजस्व-व्यय का लगभग 17 प्रतिशत ऋण भुगतान व व्याज के भुगतान पर लग जाता है। लगभग 21% व्यय शिक्षा खेल कला व सस्कृति की मद पर होता है। प्रशासनिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय का लगभग 8% व्यय होने लग गया है। सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा पर 1993 94 के बजट में कुल राजस्व-व्यय का 11% रखा गया है।

राजस्व व्यय को (i) विकास-व्यय व (ii) अ-विकास-व्यय में भी विभाजित किया जाता है। 1951 52 में विकास व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ करता था जो 1971 72 में 58% 1981-82 में 70% व 1990 91 में 66 9% रहा। आजकल यह कुल राजस्व-व्यय का 2/3 होता है।

इस प्रकार योजनाकाल में लम्बी अवधि में विकास-व्यय का अनुपात बढ़ा है।

1973 74 से राजस्व-व्यय के प्रस्तुतीकरण का स्वरूप बदल गया है।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि अब यह सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

राजस्व खाते में घाटा

राजस्थान में राजस्व खाते में 1951-52 में 12 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जो 1971-72 में 179 करोड़ रुपये हो गया। 1981-82 में राजस्व खाते में 356 करोड़ रुपये का अप्रतपूर्व घाटा रहा तथा 1992-93 के सशोधित अनुमानों में लगभग 466 करोड़ रुपये का घाटा रहा तथा 1993-94 के बजट अनुमानों में लगभग 200.5 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। 1990-91 के लेखों (accounts) में राजस्व खाते में 168 करोड़ रुपये की बचत (surplus) रही थी।

पूँजीगत खाता (Capital Account)

(क) पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) पूँजीगत प्राप्तियाँ निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती हैं

(1) सार्वजनिक ऋण इसमें राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (internal debt) आता है। आन्तरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो प्रकार का हो सकता है। इनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

(i) स्थायी ऋण (Permanent debt) इसके अन्तर्गत जनता में लिये गये बाजार ऋण शामिल किये जाते हैं। ये विकास ऋण होते हैं जो राज्य की विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किये जाते हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक में लिये गये 'फ्लोटिंग ऋण' या अल्पकालीन ऋण भी शामिल किये जाते हैं।

(ii) अल्पकालीन ऋण (Floating debt) - इनकी मात्रा राज्य के स्वयं के माधनों व आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ये काफी परिवर्तनशील होते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं से भी ऋण लेती है।

(iii) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण (Loans from the Central Government) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लेती है। ऐसे अवसर भी आये हैं जब भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई ओवरड्राफ्ट की राशि को चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य का ऋण दिये हैं।

(iv) ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी (Recoveries of Loans and Advances) - राज्य सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियों की वापसी से भी

धनराशि प्राप्त होती रहती है। ये राशियाँ सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के लिये दिये गये पूर्व ऋणों की रिकवरी को सूचित करती है।

पूँजीगत खाते की प्राप्तियाँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं¹
(करोड़ रु में)

शीर्षक	1992-93 (सशोधित अनुमान)	1993 94 (बजट-अनुमान)
सार्वजनिक ऋण		
(i) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	364 5	581 2
(ii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	642 5	679 7
ऋण व अग्रिम राशियों की वसूली	99 3	99 8
कुल	1106 3	1360 7

इस प्रकार पूँजीगत खाते की प्राप्तियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण प्रमुख मद होती है। 1992 93 के सशोधित अनुमानों में इसके अन्तर्गत 643 करोड़ रुपये दिखाये गये थे जिनके बढ़कर 1993 94 में 680 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी से भी लगभग 100 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। इसके अन्तर्गत सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के लिए दिये गये पूर्व ऋणों की रिकवरी की राशियाँ आती हैं।

पूँजीगत खाते में व्यय (Disbursements under Capital account) पूँजीगत व्यय राजस्व व्यय का भाँति सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसका प्रयोजन परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है। इसमें एक मद सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियों की होती है जो विभिन्न सस्थाओं को दी गई राशियों को दर्शाती है।

1 1993 94 के लिए राजस्थान सरकार के बजट का स्मृति पत्र मार्च 1993 पृ 14

पूँजीगत खाते के व्यय की मदें (disbursements) नीचे दी जाती हैं
(करोड़ रु में)

वितरण की मदे	1992-93 (सशोधित अनुमान)	1993-94- (बजट अनुमान)
सामान्य सेवाएँ	12 8	15 7
सामाजिक सेवाएँ	212 8	207 7
आर्थिक सेवाएँ	472 6	558 1
सार्वजनिक कर्ज ऋण व अग्रिम राशियाँ	722 5	1018 2
कुल	1420 7	1799 7

पूँजीगत खाते में व्यय की जो मदे सामान्य सेवाओं सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत दिखायी जाती हैं। उनका वही अर्थ होता है जो गजस्व खाते में इन मदों पर व्यय के समय स्पष्ट किया गया था। जैसा कि पूर्व तालिका से स्पष्ट होता है इसमें सर्वाधिक राशि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय की जाती है ताकि पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके जैसे उद्योग मशीन मालिन सिवार्ड की परियोजनाएँ सड़कें आदि। इसके अलावा राज्य सरकार व्यय भी विभिन्न सस्थाओं आदि को कर्ज देती है तथा स्वयं कर्ज की राशि जुटाती है जिसकी राशि पूँजीगत खाते में सर्वाधिक होती है। 1993-94 के बजट अनुमानों में कुल वितरण की राशि के 1800 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार द्वारा 1018 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियों के अन्तर्गत दिखायी गयी है।

पूँजीगत खाते में घाटा (Deficit in the Capital account)

यदि पूँजीगत खाते में वितरण की राशियाँ प्राप्तियों से अधिक होती हैं तो पूँजीगत खाते में घाटा माना जाता है।

पिछले वर्षों में पूँजीगत खाते में घाटे की राशियाँ निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं

वर्ष	पूँजीगत खाते में घाटा (वास्तविक)	(करोड़ रु में)
1991-92	(वास्तविक)	247 3
1992-93	(सशोधित अनुमान)	314 4
1993-94	(बजट अनुमान)	439 0

सार्वजनिक खाता (Public account) -

इस प्रकार समेकित कोष (Consolidated fund) में राजस्व खाते व पूंजीगत खाते की आय व व्यय की मदें आती हैं। लेकिन बजट के समग्र घाटे तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक खाते या लोक खाते (Public account) की शुद्ध राशि का भी समावेश करना होता है। अध्याय के शुरू में बतलाया जा चुका है कि सार्वजनिक खाते में वे लेन देन दर्शाये जाते हैं जिन्हें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में करती है। इसमें अल्प बचते प्रोविडेंट कोष रिजर्व कोष जमाएँ व अग्रिम राशियाँ सस्पेन्स (उचत) व विविध भुगतान शामिल होते हैं।

वर्ष 1992 93 के सशोधित अनुमानों में सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि 418.5 करोड़ रुपये व 1993 94 के बजट-अनुमानों में 477 करोड़ रुपये आकी गयी है।

समग्र घाटे या बचत की स्थिति (वर्ष 1981 82 से 1993 94 के बजट-अनुमानों तक)¹

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में समग्र घाटे की स्थिति 1987 88 1990 91 व 1993 94 में काफी प्रतिकूल दर्शायी गयी है। 1990 91 में समग्र घाटा लगभग 144 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। 1981 82 से 1991 92 तक वास्तविक लेखों के आकड़े दर्शाये गये हैं जबकि 1992 93 के लिए सशोधित अनुमान व 1993 94 के लिए बजट अनुमान लिए गये हैं। 1993 94 के बजट अनुमानों में समग्र घाटा 162.4 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जो सर्वाधिक है।

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है। सरकार को अकाल राहत कार्यों के संचालन पर भारी व्यय करना पड़ता है। अकाल व सूखे के कारण राज्य सरकार के कर राजस्व में कमी आ जाती है एव रहत कार्यों पर व्यय में वृद्धि करनी होती है।

1 1992 93 व पूर्व वर्षों के आय व्ययक अध्ययन DES जयपुर तथा 1993 94 के लिए बजट का स्मृति पत्र मार्च 1993 पृ० 1

तालिका

समग्र बचत (overall surplus) (+) या घाटा (deficit) (-)

(करोड रु)

वर्ष	
1981 82	(-) 59
1982 83	(+) 232
1983 84	(+) 89
1984 85	(-) 14
1985 86	(+) 457
1986 87	(-) 590
1987 88	(-) 700
1988 89	(+) 1045
1989 90	(-) 141
1990 91	(-) 1438
1991 92	(+) 274
1992 93	(+) 574
1993 94 (सशोधित बजट अनुमान)	(-) 1624

राजस्थान मे राजस्व खाते (revenue account) मे घाटा होने के कारण

राजस्थान के बजट मे समग्र रूप से घाटा होने का मुख्य कारण राजस्व खाते मे घाटे का होना माना गया है। 1993 94 के बजट मे राजस्व घाटा लगभग 200 करोड रुपये दर्शाया गया है जबकि 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे यह 46.6 करोड रुपये का ही आका गया है। राजस्व खाते मे व्यय की राशि प्राप्तियों की राशि से अधिक रहने से घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। 1992 93 व 1993 94 मे राजस्व घाटे के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है

(1) 1992 93 के सशोधित अनुमानो मे राजस्व व्यय उस वर्ष के बजट अनुमानो से 172 करोड रुपये अधिक रहा। निम्न मरो पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानो से अधिक रहा राज्य के अगो के अन्तर्गत राज्यपाल शोर्षक चुनाव ब्याज के भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ पेरान व विविध सामान्य सेवाएँ सामाजिक सेवाएँ व आर्थिक सेवाएँ आदि।

(2) 1993 94 मे राजस्व घाटे के काफी सीमा तक बढने की सम्भावना है क्योंकि चुनावो पर व्यय के लिए 8 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है तथा ब्याज के भुगतानो मे 152 करोड रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

(3) हालांकि 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में इसके बजट-अनुमानों की तुलना में 270 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, (बिक्री-कर, ब्याज की प्राप्तियों, केन्द्रिय उत्पादन-शुल्क में राज्य के अंश, अनुदान (grants-in aid) आदि में लेकिन व्यय में भी वृद्धि होने से राजस्व-घाटा ही रहा।

राजस्थान का 1993-94 का बजट (Rajasthan Budget for 1993-94)

वर्ष 1993-94 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

	करोड़ रुपये
1 राजस्व प्राप्तियां	5204.2
2 राजस्व व्यय	5404.7
3 राजस्व खाते में घाटा	(-)200.5
4 पूंजीगत प्राप्तियां	1361
5 पूंजीगत व्यय	1800
6 पूंजीगत खाते में घाटा	(-)439
7 कुल समेकित कोष (शुद्ध) (Consolidated fund (net) [(3) + (6)]	(-)639.5
8 सार्वजनिक खाता (शुद्ध) Public Account (net)	(+)477.1
9 समग्र घाटा (overall deficit) [(7) + (8)]	(-)162.4

दिसम्बर 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से राज्य सरकार के लिए छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर 1993) के व्यय के लिए वोट ऑन एकाउण्ट (Vote on account) मार्च 1993 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य की सामान्य वित्तीय स्थिति का परिचय राजस्थान शासन के 1993-94 के आय-व्ययक के अनुमानों पर जारी स्मृति-पत्र (Explanatory Memorandum) में दिया गया है।

इसके आधार पर राजस्थान के 1993-94 के बजट की प्रमुख बातें (highlights) निम्नांकित हैं।

(1) 1992-93 के बजट-अनुमानों में समग्र घाटा (deficit) लगभग 28 करोड़ रुपये दिखाया गया था जो सशोधित अनुमानों में 57 करोड़ रुपये की बचत (surplus) में बदल गया। इसका अर्थ यह है कि 1992-93 में राजस्व की वसूली में विशेष सुधार हुआ जिससे समग्र बचत सम्भव हो सकी। लेकिन 1993-94 के बजट-अनुमानों में समग्र घाटे की राशि 162.4 करोड़ रुपये दिखायी गयी है जो काफी ऊँची है। इसका अर्थ यह है कि 1993-94 में राज्य की वित्तीय स्थिति में $(162.4 + 57.4) = 219.8$ करोड़ रुपये, अथवा 220 करोड़ रुपये, की भारी गिरावट आने की सम्भावना उत्पन्न हो गई है। 1992-93 के सशोधित अनुमानों का 57 करोड़ रुपये की बचत के 1993-94 में 162 करोड़ रुपये की बचत के घाटे में परिवर्तित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है जो एक चिंता का विषय है।

(2) राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर 1993-94 में निम्न कारणों से दबाव बढ़ेगा

(i) 1992-93 के सशोधित अनुमानों की तुलना में चुनाव पर व्यय में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है

(ii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि 184 करोड़ रुपये

(iii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि 35 करोड़ रुपये

(iv) पूँजीगत वितरण की कुल राशि में 380 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान

(v) सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि में केवल 60 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(vi) ब्याज के भुगतान (interest payment) में 152 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है जबकि 1992-93 के सशोधित अनुमानों में उसी वर्ष के बजट-अनुमानों की तुलना में केवल 7.5 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

इस प्रकार सामाजिक सेवाओं ब्याज के भुगतान व पूँजीगत वितरण की राशियों में 1993-94 में भारी वृद्धि के अनुमानों से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ेगा।

(3) राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण 1993-94 का बजट विधान सभा में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए साधन सग्रह के नये प्रस्तावों का उपयोग नहीं किया जा सका।

अतः 1993-94 में राज्य के वित्तीय साधनों पर दबाव पड़ने से वित्तीय दशा में और गिरावट के आने की सम्भावना है।

राज्य के राजस्व-घाटे को कम करने के लिए उपाय -

जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य की मुख्य समस्या राजस्व घाटे (revenue deficit) की है। 1992 93 के सशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 466 करोड़ रुपये व 1993 94 में 2005 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अतः भविष्य में राजस्व-घाटे को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जाने चाहिएँ-

(1) राज्य को अपने करों जैसे बिक्री कर, राज्य आबकारी कर, विद्युत करों व शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के विद्युत करों को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना होगा।

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों (grants in aid) जैसे गैर-योजना अनुदानों, राज्य की योजना-स्कीमों के अनुदानों, केन्द्रीय योजना-स्कीमों के अनुदानों तथा केन्द्र चालित स्कीमों के अनुदानों की राशियों में वृद्धि होनी चाहिए। 1992 93 के सशोधित अनुमानों में इनमें बजट अनुमानों की तुलना में 33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

(3) राज्य का केन्द्रीय करों में जैसे आयकर व उत्पादन-शुल्क में अंश बढ़ाना चाहिए। यह इन करों से केन्द्र की आमदनी के बढ़ने से स्वतः बढ़ जायगा। अतः केन्द्र द्वारा इन करों की वसूली में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए।

(4) राजकीय उपकरणों का घाटा कम करने के उचित उपाय किये जाने चाहिए जैसे प्रवध में सुधार, उचित मूल्य नीति आदि। यदि कुछ इकाइयाँ लगातार घाटे में जा रही हैं तो उनको निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने अथवा बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

(5) अनुत्पादक व्यय व व्यर्थ खर्चों पर रोक थाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) राज्य सरकार स्वयं की सन्विस्टी की राशि की जाँच करके उसमें यथासंभव कमी करने का प्रयास करे।

(7) सरकार विद्युत सिंचाई सड़क परिवहन आदि की दरों को इस प्रकार निर्धारित करे जिससे इनकी लागत अवश्य निकल सके। साथ में लागत कम करने के प्रयास भी जारी रखे।

आज भी राज्य सरकार के भ्रमशून्य अपूरित घाटे को पूरा करने की गम्भीर समस्या विद्यमान है जिसके लिये इसे अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय में कटौती करनी होगी। राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से बचत प्राप्त करनी चाहिये तथा भूतकाल में किये गये विनियोगों से अधिक प्रतीफल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। राज्य की वित्तीय स्थिति मतोपजनक नहीं है। इसको सुधारने के लिये कई उपाय करने होंगे जिनका विवेचन अगले अध्याय में अधिक विस्तार से किया जायेगा। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों का भूमिका होगी। राज्य की

वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके सुधारने के लिये राज्य वित्त आयोग/बोर्ड का गठन जरूरी हो गया है।

प्रश्न

- 1 राजस्थान की राजस्व-आय के मुख्य स्रोतों का विवेचन करने राज्य में करो की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान किन दो करो का है
- 2 राज्य के राजस्व व्यय का मुख्य भू-बतनाइगा किन गरी पर सरकारी व्यय सर्वाधिक है ?
- 3 राजस्थान के 1993-94 के बजट का संक्षिप्त विवरण दीजिये इसमें राजस्व घाटा व समग्र घाटा बहुत बढ गया है। कारण स्पष्ट कीजिये।
- 4 संक्षिप्त टिप्पणा लिखिये
 - (i) राजस्थान के प्रमुख कर,
 - (ii) राज्य के व्यय की मुख्य मद,
 - (iii) राज्य के बजट में राजस्व घटा व समग्र घाटा
 - (iv) राजस्थान के 1993-94 के बजट की मुख्य घाते
 - (v) राजस्थान में बिक्री कर का कर राजस्व में स्थान
 - (vi) राजस्व व्यय की चार प्रमुख मद्दे।
- 5 राजस्थान के बजट में राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिये तथा राजस्व घाटे को दूर करने के सुझाव दीजिये।
(Raj I yr 1992)

विभिन्न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति (Different Finance Commissions & Gadgil Formula and Rajasthan Finances)

प्रायः प्रत्येक पाच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत एक नये वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है

(अ) जो कर केन्द्र व राज्यों के बीच अनिवार्यतः विभाजनीय हैं (जैसे, व्यक्तिगत आयकर) अथवा विभाजनीय हो सकते हैं (जैसे सघीय उत्पादन शुल्क) उनकी शुद्ध प्राप्तियों का केन्द्र व राज्यों के बीच वितरण निर्धारित करना तथा अलग अलग अंश निर्धारित करना,

(आ) राज्यों के राजस्व सम्बन्धी सहायताार्थ अनुदान की राशि (grants in aid) के सिद्धान्त निर्धारित करना तथा

(इ) सुदृढ वित्त के हित में अन्य किसी विषय पर केन्द्र के निर्देश पर विचार करना।

अब तक नौ वित्त आयोगों की रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। नवे वित्त आयोग (अध्यक्ष श्री एन के पी सालवे) को द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर 1989 में पेश की गई थी जिसमें 1990-95 की अवधि के लिये सिफारिशें की गई थी। इनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय में आगे चलकर किया गया है।

15 जून 1992 को पूर्व रक्षामंत्री कृष्णाचन्द्र पत की अध्यक्षता में दसवें वित्त आयोग का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1993 तक सरकार को देगा। इसमें 1995-2000 तक के पाच वर्षों के लिये सिफारिशें की जायेगी। इसमें गठन व कार्यक्षेत्र आदि का विवरण इसी अध्याय में आगे चलकर दिया गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है वित्त-आयोग प्रमुखतया कुछ केन्द्रीय करों व शुल्कों की आय में राज्यों की भागीदारी तथा उनके बीच वितरण के आधार सुनिश्चित करता है और राज्यों को केन्द्र की तरफ से दी जाने वाली राजस्व सम्बन्धी

सहायतार्थ अनुदान की राशि निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध में सवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार है

(i) संविधान की धारा 270 के अधीन आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी अनिवार्य माने जाती है। प्रथम वित्त आयोग ने आयकर की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 55% रखा था जिसके वितरण का आधार 80% जनसंख्या व 20% वसूली रखा गया था। नवे वित्त आयोग ने यह बढ़ा कर 85% कर दिया तथा उसके राज्यों में वितरण के अब पांच आधार रखे हैं यथा राज्य का अंशदान प्रति व्यक्ति उच्चतम राष्ट्रीय आय व उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अंतर, जनसंख्या, पिछड़ेपन का मिश्रित सूचकांक तथा जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय के विलोम से गुणा करने से प्राप्त आधार। इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया गया है।

राजस्थान का अंश आयकर की विभाजन्य आय में प्रथम वित्त आयोग 1952 की रिपोर्ट के अनुसार 3.50% से बढ़कर नवे वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में 1990-95 के लिये 4.836% किया गया है।

(ii) संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत सघीय उत्पादन शुल्क की आय में राज्यों को हिस्सा दिया जाता है हालांकि यह बटवारा ऐच्छिक माना जाता है अनिवार्य नहीं। इसकी स्थिति भी प्रथम वित्त आयोग से नवे वित्त आयोग तक काफी बदल गई है। प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओं तम्बाकू, माचिस व वनस्पति पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40% पूर्णतया जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का प्रावधान किया था। अब नवे वित्त आयोग के अनुसार कई वस्तुओं पर लगे सघीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% अंश राज्यों के बीच पांच आधारों (जनसंख्या, आय, समायोजित कुल जनसंख्या, पिछड़ेपन के सूचकांक उच्चतम प्रति व्यक्ति आय व राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अंतर तथा राज्यों के घाटे की मात्रा) पर किया जायेगा। इनका भी स्पष्टीकरण आगे चलकर किया गया है।

राजस्थान का सघीय उत्पादन शुल्क के राजस्व में अंश प्रथम वित्त आयोग के अनुसार 4.41% से बढ़कर नवे वित्त आयोग के अनुसार 5.524% किया गया है।

(iii) वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण द्वितीय वित्त आयोग, 1957 ने वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर पूर्व में लगे बिक्री करों की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों के राज्यों में वितरण की सिफारिश की थी जिसे बाद में निरस्त जारी रखा गया है। इसके पहले प्रत्येक राज्य को एक निश्चित गारंटी राशि के साथ साथ बाकी बची राशि का निर्धारित प्रतिशत दिया जाता था। नवे वित्त आयोग ने राजस्थान का अंश 4.689% रखा है। अब कोई गारंटी राशि नहीं रखी गयी है।

(iv) रेल-यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान (grant in lieu of Tax on Railway Passenger Fare)

भारत में रेल यात्री किराये पर कर सर्वप्रथम 1957 में लागू किया गया था जो 1961 में समाप्त कर दिया गया। यह 1971 में पुनः लागू किया गया और 1973 में पुनः समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसकी एवज में राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 1961-62 से 1965-66 तक प्रति वर्ष 12.50 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि इम कर की समाप्ति की एवज में राज्यों में अनुदान के रूप में वितरित की गई थी। संविधान की धारा 282 के तहत तदर्थ अनुदान (ad hoc grants) के रूप में 1966-67 से 1980-81 तक यह प्रति वर्ष 16.25 करोड़ रुपये रही। 1980-81 से 1983-84 तक 23.12 करोड़ रुपये रही जिसे आठवे वित्त आयोग ने बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये तथा नवें वित्त आयोग ने 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (1990-95 के लिये) कर दिया था। अब राजस्थान का अंश 4.579% रखा गया है।

(v) सहायतार्थ अनुदान (grants in aid) संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत राज्यों को राजस्व संबंधी सहायतार्थ अनुदान के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके लिये वित्त आयोग को यह पता करना होता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जानी चाहिये ताकि केन्द्रीय करो में हिस्सा मिलने के बाद इसके राजस्व के अभाव की पूर्ति की जा सके।

राज्यों को राजस्व संबंधी सहायतार्थ अनुदान निरन्तर मिलते रहे हैं। नवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिये इस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान की राशि 1990-95 के लिये 1446.79 करोड़ रुपये स्वीकृत की है जिम्मे गैर योजना घाटे (पूर्णतः) के लिये 486.39 करोड़ रुपये तथा योजना घाटे (अंशतः) के लिये 960.40 करोड़ रुपये हैं।

(vi) सहायतार्थ अनुदानों के अलावा राहत-व्यय की पूर्ति के लिये भी अनुदान दिये जा सकते हैं। नवें वित्त आयोग को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों द्वारा किये गये राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिये मुद्दाव देने के लिये कहा गया था। इसने केन्द्र द्वारा राजस्थान के लिये राहत व्यय की पूर्ति के लिये (1990-95) के लिये 465 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है (कुल 620 करोड़ रुपये का 75% केन्द्र देगा तथा शेष 25% राज्य सरकार को देना होगा)। भूतकाल में धारा 282 के तहत अन्य कई प्रकार के अनुदान भी दिये गये हैं जैसे पुनर्वास अनुदान सामुदायिक परियोजनाओं के लिए अनुदान, आदि।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्कों में तथा राजस्व संबंधी सहायतार्थ अनुदानों में हिस्सा मिलता रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था की गई है जैसे नवें वित्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व्यय की पूर्ति के लिए दिये गये अनुदान आदि।

अब हम यह देखेंगे कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यों की तरफ किये गये

वित्तीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश कितना रहा है और इसमें किस दिशा में परिवर्तन हुए हैं।

केन्द्र द्वारा राजस्थान की तरफ किये गये हस्तान्तरण (केन्द्रीय करों व शुल्कों में अंश व अनुदानों के रूप में)

1950-51 में 1955-56 तक छ वर्षों में राजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण की कुल राशि 18.6 करोड़ रही जो कुल हस्तान्तरित राशि (715.7 करोड़ रुपये) का केवल 2.6% थी।¹ 1957-58 से 1960-61 तक के चार वर्षों में राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 55 करोड़ रुपये रही जो सभा राज्यों को हस्तान्तरित कुल राशि (1203.8 करोड़ रुपये) का 4.57% थी।² बाद में 1961-62 से 1965-66 की अवधि में केन्द्रीय करों व अनुदानों से राज्य की कुल 123 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हुई।³ बाद के वर्षों में विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।⁴

वित्त आयोग	राजस्थान के पक्ष में अंतरण (Devolution) कराड़ रु०	सभी राज्यों का कुल अंतरण-राशि करोड़ रु०	राजस्थान का अंश (प्रतिशत में)
चतुर्थ (1966-71)	130.4	2885.9	4.52
पंचम (1969-74)	265.0*	5316.0	4.99
छठा (1974-79)	563.9	9608.9	5.87
सातवा (1979-84)	902.8	20843.0	4.33
आठवा (1984-89)	1676.2	39452.0	4.25
नवा (प्रथम रिपोर्ट) (1989-90)	651.3	13662.4	4.77
नवा (द्वितीय रिपोर्ट) (1990-95)	6525.6	106036.4	6.15

- 1 Report of the First Finance Commission 1952 pp 190 and Report of the Second Finance Commission 1957 pp 194-203
- 2 Report of the Third Finance Commission 1961 pp 104-107
- 3 Report of the Fourth Finance Commission, 1965 p 194
- 4 Fifth Commission 1969 p 224 Sixth Commission 1973 p 237 Seventh Commission 1978 p 110 Eighth Commission 1981 p 96 Ninth Commission (First report) July 1983 p 53 & Second Report Dec 1989 p 29

* वास्तविक

तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से छठे वित्त आयोग तक राजस्थान का अंश कुल हस्तान्तरणों में 4.52% से बढ़कर 5.87% हो गया, तत्पश्चात् आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से यह 4.25% तक घटा। उसके बाद नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 1989-90 के लिये 4.77% और इसकी द्वितीय रिपोर्ट में 1990-95 की अवधि के लिये बढ़ा कर 6.15% कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित किये गये हैं। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण

(Per capita Resource devolution for Rajasthan)-

1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिये प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यों की स्थिति से निम्न-तालिका में की गई है।¹

	राजस्थान (रुपयों में)	सभी राज्यों के लिये (रुपयों में)
पाँचवा वित्त आयोग	102.9	98.2
छठा वित्त आयोग	218.9	177.5
सातवा वित्त आयोग	350.4	384.9
आठवा वित्त आयोग	650.5	728.6
नववा वित्त आयोग (1990-95)	2529.3	1935.0

तालिका से पता चलता है कि पाचवें छठे व नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान में भारत के औसत स्तर से ऊँचा रहा लेकिन सातवें व आठवें वित्त आयोग के अनुसार यह राजस्थान में भारत के औसत से नीचा रहा। इस प्रकार नवें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिये समस्त भारत के औसत स्तर से 31% ऊँचा रखा है जो राज्य के हित में है।*

अब हम नवें वित्त आयोग की प्रथम व द्वितीय रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र

1 Memorandum To the Ninth Finance Commission, Govt of Raj, p 28 (पाँचवें से आठवें वित्त आयोग के लिए)

* 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या 2.85 करोड़ तथा भारत की 54.8 करोड़ मानते हुये गणना की गई है।

से राजस्थान की तरफ होने वाले वित्तीय हस्तान्तरणों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं ताकि इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी हो सके।

नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट (1989-90) तथा द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) में की गई सिफारिशों का राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव

नवा वित्त आयोग 17 जून 1988 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सासद श्री एन के पी भाल्वा नियुक्त किये गये तथा अन्य चार सदस्य निर्माकित थे।

- 1 न्यायभूर्ति श्री अब्दुस्मतार कुरेशी न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय,
- 2 डॉ राजा जे चेलैया तत्कालीन सदस्य योजना आयोग
- 3 श्री लालतन आवला, पूर्व मुख्यमन्त्री मिजोरम
- 4 श्री महेश प्रसाद (सदस्य सचिव)

प्रथम रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान को वित्तीय अंतरण

आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 1988 में प्रस्तुत की थी जिसमें 1989-90 के लिये केन्द्र के द्वारा राज्य की तरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणों के बारे में सिफारिशों की गयी थीं।

राजस्थान को कुल 651 करोड रुपये के हस्तान्तरणों की सिफारिश की गई थी जो कुल हस्तान्तरण राशि का 4.77% थी जबकि पश्चिम बंगाल के हिस्से में 15.83% राशि आयी थी। 651 करोड रुपये की अन्तरिम राशि में से आपकर का हिस्सा 143 करोड रुपये, 40% उत्पादन शुल्क में अंश 326 करोड रुपये 5% घाटे के राज्य को दी जाने वाली उत्पादन शुल्क की राशि में हिस्सा 32 करोड रुपये बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की राशि 69 करोड रुपये रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज में अनुदान में हिस्सा 5 करोड रुपये राहत व्यय की वित्त व्यवस्था में सीमान्त राशि (margin money) 8 करोड रुपये राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये सहायता अनुदान (गैर योजना) 39 करोड रुपये अपग्रेडेशन अनुदान (गैर योजना) के अन्तर्गत 6 करोड रुपये तथा विभिन्न समस्याओं के लिए ऋण राहत (गैर योजना) के अन्तर्गत में 23 करोड रुपये थे।

के के जार्ज ने नवे वित्त आयोग की प्रथम एवार्ड के मूल्यांकन (EPW April 1 1989) में बतलाया था कि निर्धनता का आधार लेने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश व राजस्थान घाटे में रहे हैं। इस आधार के परिणामस्वरूप भी कुछ धनी राज्य लाभ में रहे जैसे महाराष्ट्र जहाँ गरीबों का सकेन्द्रण अधिक मात्रा में

पाया जाता है तथा साथ में गरीबों में रहने वालों का भी।

नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95 के लिये) दिसम्बर 1989 में पेश की गयी थी।

इसमें वित्त आयोग ने आदर्शात्मक दृष्टिकोण (Normative Approach) अपनाया था जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं

- (i) केन्द्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये ताकि वे अपने दायित्वों को सतोषप्रद ढंग से पूरा कर सकें
- (ii) विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व का वितरण समान हो
- (iii) राज्यों की राजस्व आय बढ़ाने व व्यय में कृपायत करने की प्रेरणा कायम रहनी चाहिये
- (iv) राज्य अधिक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये नागरिकों पर अतिरिक्त कर लगाएँ ताकि अतिरिक्त लागतों के लिये साधन जुटाये जा सकें
- (v) केन्द्र व राज्यों के राजस्व खातों को सन्तुलित करने के लिये मानक सही व सुनिश्चित होने चाहिए।

इस दृष्टिकोण के अनुसार यह आशा की गयी कि प्रत्येक राज्य अपनी क्षमता के अनुसार राजस्व बढ़ायेगा तथा अपनी जरूरतों के अनुसार व्यय की व्यवस्था करेगा। केवल आधार वर्ष के आकड़ों को ही स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह बात केन्द्र व राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होगी।

नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) की सिफारिशों की मुख्य बातें

द्वितीय रिपोर्ट में आयोग ने आवक में राज्य का हिस्सा विभाग्य कोष का 85% बनाये रखा लेकिन राज्यों के बीच उमके वितरण का आधार बदल दिया

- (i) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के सवध में आवक के एसेसमेंट द्वारा भापे गये 'अशदान (Contribution) के आधार पर 10 प्रतिशत
- (ii) प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य को तुलना में उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर के आधार पर 45 प्रतिशत (उस राज्य की 1971 की जनसंख्या से गुणा करके)
- (iii) राज्य की 1971 की जनसंख्या के आधार पर 22.5 प्रतिशत
- (iv) आयोग द्वारा सकलित पिछड़ेपन के मिश्रित सूचकांक (Composite index of backwardness) के आधार पर 11.25 प्रतिशत
- (v) राज्य की 1971 की जनसंख्या से गुणा की गई प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम (inverse) के आधार पर 11.25 प्रतिशत।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% राज्यों में निम्न प्रकार

से वितरित करने की सिफारिश की गयी

- (i) राज्यों के बीच 25 प्रतिशत अंश 1971 की जनसंख्या के आधार पर,
- (ii) 12.5 प्रतिशत अंश आय समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर (Income adjusted total population) वितरित किया जाना चाहिये। इसके लिये आय समायोजित कुल जनसंख्या की गणना राज्यों की 1971 की जनसंख्या तथा 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्ष की अवधि के लिये नई श्रृंखला के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय के व्युत्क्रम (inverse) पर की जानी चाहिये। एक राज्य के हिस्से का निर्धारण सभी राज्यों की आय समायोजित कुल जनसंख्या के कुल योग में से उस राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिये।
- (iii) 12.5 प्रतिशत का वितरण पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाना चाहिये।
- (iv) 33.5 प्रतिशत का वितरण 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय (नई श्रृंखला) तथा उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले पंजाब जैसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को 1971 की जनसंख्या से गुणा करके किया जाना चाहिये।
- (v) शेष 16.5 प्रतिशत का वितरण घाटे वाले राज्यों में किया जाना चाहिये। अण्डाकार, उत्पादन शुल्क विक्री कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज में अनुदान के बाद रहे घाटे की राशि के अनुपात में यह राशि वितरित की जानी चाहिये। विपदा राहत कोष (Calamity relief fund) में केंद्र का हिस्सा 75% व राज्यों का 25% किया जाना चाहिये।

1990-95 के लिए राज्यों के कुल अन्तरण में राजस्थान का हिस्सा निचे दिया जाता है

(अ) करो म अंश	(करोड रु)
(i) आयकर में अंश	1012
(ii) मूल उत्पाद शुल्क में	3064
(iii) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	504
(iv) रेल यात्री किराये पर निरस्त कर की एवज में अनुदान	34
कुल जाड (अ)	<u>4614</u>

(आ) सहायता-अनुदान

(i) योजना भिन्न रेवेन्यू घाटे

(non plan revenue deficit)के लिये (पूरा) 486

(ii) योजना रेवेन्यू घाटे (plan revenue deficit) के लिये 960

(अंशत)

कुल जोड़ (आ) 1446(इ) राहत-व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान 465कुल (अ) + (आ) + (इ) 6525

राजस्थान के हिस्से में कुल अंतरण लगभग 6525 6 करोड़ रुपये दर्शाया गया है (हमने निकटतम लिया है) जो कुल अंतरणों (106036 करोड़ रुपये) का 6.15% आता है।

कुल अंतरणों में कुछ राज्यों के अंश इस प्रकार हैं¹

(1990-95) (प्रतिशत में)

(i) उत्तर प्रदेश 16.46

(ii) बिहार 10.54

(iii) मध्य प्रदेश 7.40

(iv) पश्चिम बंगाल 6.99

(v) आन्ध्र प्रदेश 6.83

(vi) राजस्थान 6.15

इस प्रकार नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को प्रति वर्ष केन्द्र से लगभग 1300 करोड़ रुपये की राशि के अन्तर्गत होने का अनुमान है जबकि 1989-90 के लिये यह राशि 651 करोड़ रुपये मात्र थी।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है आठवें व नवें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार कुल अंतरणों में राजस्थान का हिस्सा इस प्रकार रहा²

1 नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट 1990-95 के लिये दिसम्बर 1989 (हिन्दी संस्करण) पृ. 35

2 M Govinda Rao Some Conceptual and Methodological Comments EPW June 9 1990 p 1276

	आठवे वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार (1984-89) प्रतिशत में	नवे वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार (1989-90 के लिए (प्रतिशत में)	नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार (1990-95) के लिये (प्रतिशत में)
राजस्थान	4.25	4.77	6.15

इन अतरणों के अलावा राजस्थान को ऋण-राहत सहायता के बतौर 1990-95 के दौरान वापस अदायगी में राहत (relief in repayments) 123.53 करोड़ रुपये तथा अन्य ऋण-राहत 20.45 करोड़ रुपये की दी गई। यह कुल लगभग 144 करोड़ रुपये हो जाते हैं। अतः ऋण-राहत सहायता के रूप में भी राजस्थान को लाभ प्राप्त हुआ।

नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) की सिफारिशों की समीक्षा-

नवाँ वित्त आयोग काफी विवाद व बहस का विषय रहा है। इसकी द्वितीय व अन्तिम रिपोर्ट में 1990-95 की अवधि के लिये सिफारिशें पेश की गयी थीं। इनकी प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं।

(1) केन्द्र की अनुमानित राजस्व-प्राप्तियों का राज्यों को (1985-90) की अवधि में 22.65 प्रतिशत अंश अन्तरित किया गया था, जबकि 1990-95 की अवधि में यह 22.74 प्रतिशत बनता है। स्मरण रहे कि 1990-95 के अन्तरणों में राजस्व-पक्ष के योजना-अनुदान (plan grant) भी शामिल हैं, जो 1985-90 के लिये शामिल नहीं हैं। यदि इनको हटा दिया जाये तो नवे वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किये गये अतरण 22.74% से घटकर 20.81% ही रह जाते हैं। इस प्रकार नवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र ने अपनी राजस्व-प्राप्तियों का अधिक अनुपात अपने पास रखा और कम अनुपात राज्यों को वितरित किया।

(2) नवे वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए 1990-95 की अवधि में विपदा-राहत कोष (Calamity Relief Fund) के लिए 620 करोड़ रुपये की सिफारिश की है जो भूतकाल में सूखे की गम्भीरता को देखते हुए अपर्याप्त प्रतीत होती है, क्योंकि अक्टूबर 1987-88 में राहत कार्यों पर 617 करोड़ रुपये व्यय करने पड़े थे। यह राशि आठवीं योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रस्तावित कुल विपदा राहत कोष की राशि के लगभग बराबर है।

(3) नवे वित्त आयोग ने 1990-95 की अवधि के लिए राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति रेवेन्यू का अनुमान 280 रुपये लगाया है जो देश में

सर्वाधिक है, जबकि हरियाणा में प्रति व्यक्ति रेवेन्यू बचत (revenue surplus) 1454 रुपये तथा महाराष्ट्र में 1383 रुपये आकी गयी है। पिछले 15 वर्षों में राज्य में कर राजस्व (tax revenue) में वृद्धि दर 16.5% वार्षिक रही है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 14% ही रही है। अतः राज्य में साधन संप्रदाय का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है क्योंकि भूतकाल में इस दिशा में काफी प्रयास किया जा चुका है।

(4) वैसे राज्यों को 1990-95 में भी आय कर का 85% तथा सघोष उत्पादन शुल्क का 45% अंश वितरित किया गया था लेकिन पिछली बार सघोष उत्पादन शुल्क का 5% घाटे के राज्यों में वितरित किया गया था इस बार उत्पादन शुल्क के राजस्व के 45% का 16.5% घाटे के राज्यों को दिया गया जिससे अन्य राज्यों के बीच वितरण की प्रभावपूर्ण राशि 40% से घटकर 37.575% रह गयी। इस प्रकार राज्या का उत्पादन शुल्क में अंश वस्तुतः कम हो गया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नवे वित्त आयोग द्वारा अन्य राजस्व प्राप्ति को कम अंश ही राज्यों को अन्तरित किया गया है।

लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान के हिस्से में कुल केन्द्रीय अन्तरणों का 6.15% अनुपात आया है जो आठवें वित्त आयोग के 4.25% अनुपात से अधिक है। इससे राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। विपदा रहित कोष में केन्द्र द्वारा 75% व राज्यों द्वारा 25% राशि दिये जाने से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा। अतः चाहे केन्द्र की कुल राजस्व-प्राप्तियों का समस्त राज्यों में कम अंश अन्तरित हुआ हो, लेकिन राजस्थान का अपना अंश पहले से ऊँचा हुआ है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी काफी सतोष प्रकट किया है।

दसवें वित्त आयोग का गठन व कार्य क्षेत्र

जैसा कि पहले सकेत किया गया है दसवाँ वित्त आयोग श्री के. सी. पट्ट की अध्यक्षता में 15 जून 1992 को गठित किया गया है। इसके अन्य सदस्य कांग्रेस (इ) के सांसद डॉ. देवी प्रसाद पाल आंध्र सरकार के पूर्व सचिव बी. पी. आर. विठ्ठल योजना आयोग के सदस्य डॉ. सी. रमाराजन व हरियाणा के एक पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी एम. सी. गुप्ता (सदस्य सचिव) हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट 1995-2000 की अवधि के लिए 30 नवम्बर 1993 तक पेश करनी है।

पूर्व आयोग की भांति दसवाँ वित्त आयोग भी आयकर, सघोष उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, निरस्त रेलवे यात्री कर की एलज में राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों आदि में राज्यों के अंश व आवंटन के आधार आदि पर अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

यह अपनी सिफारिशें पेश करते समय निम्न बातों पर ध्यान देगा-

- (i) राज्य सरकारो व केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों व व्यय के बीच सतुलन के उद्देश्य के साथ साथ पूँजीगत विनियोग के लिए बचत सजित की जा सके तथा गजकौपीय या फिस्कल घाटा कम किया जा सके
- (ii) केन्द्रीय सरकार के साधनों पर ध्यान दिया जा सके व सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा व सीमा सुरक्षा ऋण सेवा व अन्य दायित्वो को पूरा करने पर ध्यान दिया जा सके
- (iii) पूँजीगत परिस्मृतियों के रख रखाव पर होने वाले व्यय पर ध्यान देना
- (iv) राज्यों की प्रशासन की आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसे भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण आदि की जरूरतों पर विचार करना
- (v) 1 अप्रैल 1995 से 5 वर्ष के लिए राज्यों के राजस्व साधनों (1993-94 के कराधान के स्तरों के आधार पर) योजना के लिए अतिरिक्त माधन मग्नह के लक्ष्यो व अतिरिक्त करो की सम्भावना पर विचार करना
- (vi) राज्यों के गैर योजना राजस्व व्यय की जरूरतों को ध्यान में रखना
- (vii) राज्यों के कर प्रयासो पर ध्यान देना
- (viii) राज्यों द्वारा सिचाई व विद्युत परियोजनाओ परिवहन व विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो व सार्वजनिक उपक्रमो में लगे विनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने पर विचार करना तथा
- (ix) व्यय में कार्यकुशलता व किफायत बरतते हुए बेहतर फिस्कल प्रबध के क्षेत्र पर विचार करना।¹

आयोग वर्तमान विपदा गहत कौष की भी समीक्षा करके उचित सुझाव देगा। यह 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाली अवधि में राज्यों की कर्ज की स्थिति का मूल्यांकन करके उसमें सुधार के उपाय सुझायेगा लेकिन ऐसा करते समय वह केन्द्र की वित्तीय आवश्यकताओ को भी ध्यान में रखेगा। आयोग अपने निष्कर्षों का आधार स्पष्ट करेगा तथा राज्यवार राजस्व व व्यय के अनुमान प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पहली बार सरकार ने वित्त आयोग को फिस्कल घाटा कम करने का उद्देश्य अपने सामने रखने के लिए कहा है। साथ में राज्य सरकार द्वारा बेहतर साधन मग्नह व फिस्कल प्रबध पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

1 [गणना का स्पष्टाकरण घाटे के राज्यों को (45% x 16.5%) 7.425% मिलेगा जिसमें अन्य राज्यों के हिस्से में (45% — 7.425%) 37.575% आयेगा जबकि पहल पह 40% आया था ।]

गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्र के योजना हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश

(Share of Rajasthan in central plan transfers under Gadgil formula)

वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किये गये हस्तान्तरण वैधानिक हस्तान्तरण (Statutory transfers) कहलाते हैं। इनके अलावा राज्यों के लिए दो प्रकार के हस्तान्तरण ओर किये जाते हैं जो इस प्रकार होते हैं (i) योजना हस्तान्तरण (plan transfers) जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारों पर तथा प्रोजेक्टों के लिए किये जाते हैं (ii) ऐच्छिक हस्तान्तरण (discretionary transfers) संविधान की धारा 282 के तहत राज्यों को केन्द्र चालित स्कीमों (centrally sponsored schemes) तथा विभिन्न गैर योजना उद्देश्यों के लिए सपीय मंत्रालयों द्वारा किये जाते हैं।

योजना-हस्तान्तरण का सूत्र (फार्मूला) - योजना हस्तान्तरण का गाडगिल फार्मूला (जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है) 1969 में लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी व पाचवीं योजनाओं में राज्यों की तरफ योजना हस्तान्तरण किये गये थे। इसे 1990 में संशोधित किया गया जिसके आधार पर छठी व सातवीं योजनाओं में योजना हस्तान्तरण किये गये। पुन 11 अक्टूबर, 1990 को गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था।

लेकिन कई मुख्य मंत्रियों द्वारा आग्रह किये जाने पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे गाडगिल फार्मूले की जाँच का काम सौंपा गया। इसके सदस्य वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह व योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन थे। इसे आठवीं योजना (1992-97) के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूला सुझाने के लिए कहा गया था।

बाद में इस पैनल के सुझावों पर 24 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया गया उसमें जनसंख्या को (1971 के आधार पर) 60% भार, प्रति व्यक्ति आय को 25% भार (विवर्धन विधि से 20% तथा दूरी विधि से 5% भार) कर-प्रयास, फिस्कल प्रयास व कार्य सम्पादन (Performance) के आधार पर 75% भार तथा शेष 75% भार विशिष्ट समस्याओं के लिए दिया गया। कार्य सम्पादन में (i) जनसंख्या नियंत्रण व मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य में राज्यों की कार्य सिद्धि, (ii) प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ साक्षरता का सार्वभौमिकीकरण तथा (iii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समय पर पूर्ति नामक तीन राष्ट्रीय महत्व के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रखे गये। 24 दिसम्बर, 1991 के नये भार भी अग्र तालिका में शामिल किये गये हैं।

गाडगिल फार्मुले के इन तीनों रूपों को निम्न-तालिका में दर्शाया गया है -

आधार	मूल गाडगिल फार्मुला (1969) चौथी व पाचवीं योजनाओं में लागू	संशोधित (Modified) गाडगिल फार्मुला 1980 (छठी व सातवीं योजनाओं में लागू)	परिवर्तित (Revised) गाडगिल फार्मुला (11 अक्टूबर 1990)	संशोधित (Modified) फार्मुला (24 दिसम्बर 1991)
(i) जनसंख्या (1971 की जनसंख्या के आधार पर)	60	60	55	60
(ii) प्रतिव्यक्ति आय	10	20	25	25
(iii) चालू सिंचाई व शक्ति परियोजनाएँ	10			
(iv) कर-प्रयास	10	10		
(v) राज- कोषीय प्रबन्ध (Fiscal management)			5	7.5*
(vi) विशेष समस्याएँ	10	10	15	7.5
योग	100	100	100	100

* यह भार कर प्रयास, राजकोषीय प्रबन्ध व अन्य क्षेत्रों में राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर है।

इस प्रकार राज्यों के लिए योजना-हस्तान्तरण के लिए 24 दिसम्बर, 1991 से सरोधित किये गये गाडगिल सूत्र में जनसंख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय का 25 प्रतिशत, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबंध व कुछ क्षेत्रों में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य-सिद्धि को 7.5% तथा विशेष समस्याओं को 7.5 प्रतिशत भार दिया गया है।

कर-प्रयास का अर्थ- इसमें राज्य की आय में करो के राजस्व का अनुपात देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति कर-राजस्व को प्रति व्यक्ति राज्य की आय के अनुपात के रूप में देखा जाता है। यह आधार प्रतिगामी (regressive) होता है, क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को ज्यादा लाभ पहुँचाता है। इसका कारण यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढ़ता है कि ऊँची आय वाले राज्यों को कर देय क्षमता ऊँची होती है। इस हिसाब से कई विकसित राज्य बेहतर 'कर-प्रयास' कर पाते हैं चाहे वे अपनी प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कम साधन ही एकत्र कर पा रहे हों। इसी प्रकार गरीब राज्यों को नीचे कर-आय अनुपात के कारण केन्द्र की तरफ से साधन-आवृत्तन में घाटा उठाना पड़ता है, चाहे वे अपनी तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हों।

राजकोषीय प्रबंध (Fiscal management) इस कमी को दूर करने के लिए 1990 में कर-प्रयास की जगह 'राजकोषीय प्रबंध' को लागू करने का सुझाव पेश किया गया था। राजकोषीय प्रबंध में यह देखा जाता है कि उस राज्य ने योजना आयोग से स्वीकृत कराये गये साधन-संग्रह के लक्ष्यो (targets) की तुलना में वास्तविक (actual) साधन-संग्रह कितना किया है। वित्त मंत्रालय कर-प्रयास गैर-योजना खर्च में की गई कफायत को भी देखता है। अतः यह 'कर प्रयास' की तुलना में अधिक व्यापक होता है। राजस्व-घाटों में वृद्धि को देखते हुए 'राजकोषीय प्रबंध' की अवधारणा ज्यादा महत्व रखती है। इसमें साधन-संग्रह के साथ व्यय की नितव्ययिता पर भी ध्यान दिया जाता है। चूँकि कमजोर साधन आधार के कारण कम आय वाले राज्यों को हानि हो सकती है, इसलिए इसे 1990 के गाडगिल-सूत्र में केवल 5% भार ही दिया गया था।

1990 के परिवर्तित गाडगिल सूत्र में 'विशेष समस्याओं' को 15% का भार दिया गया था ताकि यदि कोई राज्य घाटे में रह जाये तो उसे विशेष समस्या के तहत मदद दी जा सके। लेकिन यह बहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का माना जायेगा क्योंकि इसमें सार्वजनिक व गणित लगान आसान नहीं होता, जैसा कि सूत्र के अन्य आधारों में पाया जाता है। 1991 के सरोधित सूत्र में इसे 7.5% भार ही दिया गया है।

विशेष समस्याओं में निम्न सात विशेष समस्याएँ रखी गयी हैं -

- (i) तटीय क्षेत्र
- (ii) विशेष पर्यावरणीय प्रश्न
- (iii) बाढ़ व सूखा-सभावित क्षेत्र
- (iv) विशेष रूप से कम या अधिक घातव वाले जनसङ्ख्या के क्षेत्र
- (v) न्यूनतम वार्डित किस्म का योजना-आकार प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय कठिनाइयाँ
- (vi) रेगिस्तानी समस्याएँ
- (vii) शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ

योजना-आयोग ही विशेष समस्याओं के बारे में फ़सला कर पायेगा। यदि राजनीतिक प्रभावों से बचा जा सके तो यह आधार बहुत लाभकारी बनाया जा सकता है।

योजना हस्तान्तरणों की राशि में ऋज व अनुदानों (loans and grants) का अनुपात गैर-विशिष्ट श्रेणी (non special category) के राज्यों के लिए 70:30 रखा गया है अर्थात् 70% ऋज तथा 30% अनुदान रखा गया है। यह विशिष्ट श्रेणी (special category) के राज्यों असम हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, मनीपुर, मेघालय नागालैण्ड सिक्किम व त्रिपुरा के लिए 10:90 अर्थात् 10% ऋज तथा 90% अनुदान के रूप में रखा गया है। इसलिए उनके लिए अनुदान का अंश 90% है जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (जिनमें राजस्थान भी आता है) के लिए केवल 30% ही रखा गया है।

सशोधित सूत्र में प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया है उसमें 5% दूरी-विधि (distance method) से वितरित किया जायेगा तथा 20% विचलन-विधि (deviation method) से वितरित किया जायेगा। दूरी-विधि में एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अंतर लिया जाता है, जबकि विचलन विधि में एक राज्य को प्रति व्यक्ति आय का अंतर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत से देखा जाता है।

भूतकाल में राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता मिलनी?

निम्न तालिका में राजस्थान को योजनाओं के लिए प्राप्त प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (outlay) (प्रस्तावित) की राशि तथा सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है।¹

1 Plan Transfers to States— Revised Gadgil Formula, An Analysis Ramalingam and K N Kurup an article in EPW, March 2-9 1991 p 504

योजना	योजनाओं में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (रु. में)	प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय (रु. में)	केन्द्रीय सहायता का राज्य योजना परिव्यय से अनुपात (% में)
चौथी	83	120	69.2
पाचवीं	113	275	41.1
छठा	255	786	32.4
सातवीं	513	1164	44.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना परिव्यय में केन्द्रीय सहायता का अंश चौथी योजना में 69.2% से घटकर छठी योजना में 32.4% हो गया। लेकिन सातवीं योजना में यह पुनः बढ़कर 44.1% पर आ गया। इस प्रकार सातवीं योजना में परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ी है। 24 दिसम्बर 1991 के संशोधित फार्मूले के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय को 25% भार देने से लाभ मिलेगा लेकिन जनसंख्या को 60% भार देने से (1971 की जनगणना के आधार पर) राज्य को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय राजस्थान की जनसंख्या कम थी। कर प्रयास फिस्कल प्रबन्ध व राज्यों द्वारा कार्य सम्पादन के आधार को 7.5% भार दिया गया है जिसके बारे में प्रभाव स्पष्ट होना बाकी है। विशेष समस्याओं को 7.5% भार देने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी नये सूत्र को लागू करने में इस बात की व्यवस्था की जायगी कि किसी भी राज्य का पहले वाला अंश 10% से अधिक न घट जाय तथा 20% से अधिक न बढ़ जाये। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय योजना हस्तान्तरणों में 6% अंश मिल रहा था तो दिसम्बर 1991 में स्वीकृत फार्मूले में उसे 5.4% से कम न मिले और 7.2% से ज्यादा न मिले। इस बंधन से सम्भवतः राज्यों में असंतोष नहीं होगा और न्यायपूर्ण आवंटन करना सम्भव हो सकेगा।

कुछ विचारकों का मत है कि यदि पुनर्संशोधित फार्मूले में क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत, इन्फ्रास्ट्रक्चर को 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशत भार दिया जाता और जनसंख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और विशेष समस्याओं का 10 प्रतिशत कर दिया जाता तो सम्भवतः राजस्थान को ज्यादा लाभ मिल सकता था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे सभी राज्यों को एक साथ लाभ प्राप्त हो सके। यदि एक फार्मूले से राजस्थान को लाभ होता है तो उसी से अधिक जनसंख्या वाले दूसरे किसी

1 पूर्व मुख्यमंत्री श्री पेटोसिंह शेखावत ने भी जून 18 1990 को राष्ट्रीय विकास परिषद् नई दिल्ली में अपने भाषण में क्षेत्रफल को कम कम 10 प्रतिशत भार देने पर बल दिया था।

राज्य को हानि होगी। इसलिए इस विषय पर सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर विचार करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

अतः ज्यादा से ज्यादा यह कहना उचित होगा कि गाडगिल फार्मूले में 'पिछड़ेपन' का भार बढ़ाया जाना चाहिए। नवे वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (1990-95 के लिए) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर पिछड़ेपन का संयुक्त सूचनांक (composite index of backwardness) विकसित किया है। अतः यथासंभव पिछड़ेपन को आधार स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।

अतः 24 दिसम्बर, 1991 को पुनर्संशोधित आम सहमति का गाडगिल फार्मूला या मुखर्जी फार्मूला पिछड़े राज्यों के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय का भार - 25% रखा गया है जिसके द्वारा उनके हितों का अधिक संरक्षण संभव हो सकेगा। इसमें राज्यों की कार्य सिद्धि, आदि को 7.5% भार देने से राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण, मातृत्व व बाल कल्याण, साक्षरता विस्तार, आदि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करके दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी राज्य का अंश कम होता दिखाई दिया तो उसे विशिष्ट समस्याओं की मदद के अन्तर्गत अधिक मदद देकर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा सकेगा। इस प्रकार दिसम्बर 1991 का नया फार्मूला अधिक सतुलित, विकासोन्मुख व समताकारी प्रतीत होता है।

ऐसा कोई सूत्र ढूँढना मुश्किल है जो एक साथ सभी राज्यों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानता व अंतर को कम करने के लिए 'पिछड़ेपन' को अधिक भार देना उचित माना जा सकता है।

राज्यों की योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साधन उपलब्ध करने का एक रास्ता यह है कि वर्तमान में जो केन्द्र-चालित स्कीमों (Centrally sponsored schemes) चल रही हैं (जिनकी संख्या सातवीं योजना में 262 हो गई थी) जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) आदि, उनके कोष विकेंद्रित नियोजन के तहत स्थानीय समूहों को सौंप दिये जाएं तो राज्यों को योजना के लिए धन भी अधिक मिल जायेगा और उसका बेहतर उपयोग भी संभव हो सकेगा।¹ योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. अरुण घोष ने कहा है कि 1990-91 में ग्रामीण विकास से सम्बद्ध केन्द्र चालित स्कीमों (CSS) पर (कल्याण व स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। यदि यह धनराशि राज्यों की योजनाओं में व्यय के लिए मिल जाती तो उनके वित्तीय साधन काफी बढ़ सकते थे। भविष्य में इस प्रकार की सुविधा मिल जाने पर वे अपनी जरूरतों के मुताबिक अधिक लाभकारी

1 दिसम्बर 1991 में इनमें से 113 स्कीमों को राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वित्तीय साधनों की दृष्टि से इनका अंश केवल 8% ही था जो कि काफी कम था।

योजनाओं को बना पायेंगे और केन्द्र के कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे। अब हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के विषय में आवश्यक सुझाव पेश करते हैं।

राजस्थान में राजस्व-घाटे को कम करने व वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये सुझाव-

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है। 1993-94 में समग्र अपूरित घाटे के लगभग 162.4 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके वित्त-पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मार्च 1993 के अन्त में राज्य पर कर्ज की कुल बकाया राशि 7,670 करोड़ रुपये थी जिसके ब्याज व मूलधन की किस्त को चुकाने का भार काफी अधिक बनता है। 1993-94 में इसमें और वृद्धि होगी। राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक दो वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकाल से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का इकट्ठा दुष्परिणाम है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के बाद स्थिर भावों (1980-81) पर निरंतर बढ़ने का नाम नहीं लेती। इतनी लम्बी अवधि में प्रति व्यक्ति आय का उद्धार विकास की अत्यधिक धीमी रफ्तार को ही सूचित करता है।

1968-69 से 1989-90 तक के 22 वर्षों में राज्य में 18 वर्ष अकाल व सूखे की दशाएँ पायी गईं। इनमें से 14 वर्षों में अकाल ने 20 से अधिक जिलों को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर अकाल की विभीषिका से जूझता रहा है जिससे इसके राजस्व को काफी क्षति हुई है और राहत-व्यय-भार में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अकाल की समस्या पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। राज्य की पंचवर्षीय योजनाएँ अकालों के संकट को कम कर पायी हैं। राज्य में निरन्तर जल, चारे, अनाज व रोजगार का अभाव बना रहता है। अतः राज्य के आर्थिक विकास के कार्यक्रम पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

राज्य की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठीक करने के लिए निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं-

1. राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी (special category) के राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान के रूप में मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30% ही है)। राज्य में कई सूचकों जैसे पावर, साक्षरता, सड़क, आदि की दृष्टि से इसकी स्थिति अन्य विशिष्ट श्रेणी के राज्यों से अच्छी नहीं है। इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल करना जरूरी है। इससे इस पर भारी कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान ज्यादा मात्रा में मिलने लग जायेगा।

2. वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए बिक्री-कर व अन्य करों की वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके बिक्री-कर की आय काफी बढ़ायी जा सकती है। बिक्री कर की बकाया राशियाँ वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करों में अश सहित) का 1/3 अंश बिक्री-कर से प्राप्त होता है। 1993-94 के बजट-अनुमानों में बिक्री-कर से 1039 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमें 10% वृद्धि की जा सके तो लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि जुटायी जा सकती है।

9-10 फरवरी 1989 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन से 29 चुनी हुई मदों के लिए बिक्री-कर की न्यूनतम दरों पर आम सहमति हो गई थी। लेकिन कुछ राज्य/संघीय प्रदेशों ने बाद में अपनी बिक्री कर की दरें इन स्वीकृत न्यूनतम दरों से भी नीची रख लीं जिससे अन्य राज्यों को राजस्व की हानि उठानी पड़ी। ऐसी स्थिति में यह सुझाव दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय आम राश का सदैव परिपालन होना चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक युक्तिसंगत प्रणाली को लागू करने में मदद देनी चाहिए।

3. कृषि-क्षेत्र में कर-भार में वृद्धि- पिछले वर्षों में भू-राजस्व का योगदान घटकर कुल कर-राजस्व का लगभग 1% हो गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई से लाभ हुआ है उनमें व्यावसायिक फसलों पर उपकर (cess) बढ़ाकर तथा सिंचाई की दरों में वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आमदनी बढ़ायी जा सकती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जिन वर्गों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें करों के रूप में अधिक योगदान देना चाहिए।

4 देश में उत्पादन व आय बढ़ने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन-शुल्कों से आय बढ़ेगी जिससे राज्यों के हिस्से में केन्द्रीय करों की अधिक राशि आयेगी। इसलिए केन्द्र को आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करना चाहिए।

5 राज्य सड़क परिवहन, राज्य सिंचाई की परियोजनाओं राज्य विद्युत मण्डल व अन्य राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके इनके घाटों को कम करने, अथवा लाभप्रदता को ऊँचा करना होगा ताकि अकार्यकुशलता व प्रष्टाचार को समाप्त करके ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किये जा सकें।

6 ग्रामीण विकास को जिला नियोजन से जोड़ने की आवश्यकता है। भविष्य में अधिक मजदूरी-रोजगार (wage employment) को बढ़ाकर सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। जब तक सुदृढ़ कार्यक्रम पूरे नहीं होते तब तक परिसम्पत्ति-वितरण द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर धनराशि का अपव्यय नहीं करना चाहिए।

7 राज्य में कृषि-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित व पशु-धन आधारित उद्योगों का विकास करके रोजगार, आमदनी व राजस्व में वृद्धि की जा सकती

है। इसके लिए पानी, बिजली, सड़क व अन्य साधनों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी 10-15 वर्षों में उद्योगों व खनिज-पदार्थों का तेजी से विकास करके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

8 इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बिजली की प्रस्थापित क्षमता व वास्तविक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। रेल-परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए चुने गये विकास-केन्द्रों में सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

9 राजस्थान में योजनाकाल के चार दशकों (1951 से 1992 तक) में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय की राशि 9355 करोड़ रुपये रही है जबकि 31 मार्च 1993 के अन्त में राज्य पर अनुमानित कर्ज 7,670 करोड़ रु आका गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज की राशि लगभग 4,364 करोड़ रुपये (56.9%) है। 31 मार्च 1993 के अन्त में राजस्थान पर कुल कर्ज की बकाया राशि 25 राज्यों पर कुल कर्ज की बकाया राशि (1,43,319 करोड़ रुपये) का 5.35% रही थी। राज्य के ऋणों के सम्बन्ध में सरकार को विभिन्न कार्य-कलापों के लिए प्राप्त ऋणों के बारे में एक विस्तृत प्रपत्र तैयार करना चाहिए और ऋण-भार को कम करने के लिए केन्द्र पर जोर डालना चाहिए। पिछले वर्षों में राहत-कार्यों पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायताार्थ अनुदानों में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. खेप-कर (Consignment tax) लागू किया जाना चाहिए। यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय बिक्री-कर को बढ़े पैमाने पर टालने को रोकने के लिए लगाया जाना आवश्यक है। प्रायः एक फर्म अपनी ब्रांच को दूसरे राज्य में माल भेज देती है जिसे ब्रांच-ट्रान्सफर मानकर केन्द्रीय बिक्री-कर से बचने का प्रयास किया जाता है। खेप कर लगने से इस प्रकार की स्थिति को रोकना सम्भव होगा। यह कर अन्तरराज्यीय बिक्री-कर की भाँति लगाया व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कर की आय का 50% उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भेजा गया है, और शेष 50% केन्द्रीय विभाजनीय कोष में जमा किया जाना चाहिए जिसे वित्त-आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों में आवंटित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को खेप-कर लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।¹

1 Some Issues for Development, Planning Dept., Raj., February 1992, p 29

24 जुलाई 1989 को दिल्ली में आयोजित राज्यो के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन मे पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण पाथुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निम्न सुझाव पेश किये थे।¹

- (i) वित्तीय साधनो के आवंटनों में क्षेत्रफल को कम से कम 25% भार प्रदान किया जाना चाहिए।
- (ii) आयकर से प्राप्त राजस्व का 85% को जगह 90% तथा सचीय उत्पादन शुल्को का 45% की जगह 60% असा राज्यो मे आवंटित किया जाना चाहिए।
- (iii) अकाउन्ट व्यय के लिए वर्तमान व्यवस्था मे 50% सहायता व 50% ऋण की जगह शत प्रतिशत अकाल राहत व्यय सहायता के रूप मे केन्द्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
- (iv) राहत कार्यों व अन्य कार्यक्रमो के लिए प्राप्त 721 करोड रुपये को ऋणराशि का अपलेखन (write-off) करने के लिए आयोग को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।
- (v) अल्प बचत मे एकत्र धन राशि जो राज्यो को ऋण के रूप मे दी जाती है उसे अनवरत ऋण (perpetual loan) याना जाना चाहिए क्योंकि इसका अधिकांश भाग विद्युत व सिंचाई की परियोजनाओं मे लगाया जाता है।
- (vi) राज्य विद्युत मण्डल को मार्च 1990 तक दिये गये बकाया ऋणो की 1059 करोड रुपये की राशि को केन्द्र द्वारा साधारण ब्याज दर पर स्थाई ऋण (अनवरत ऋण) में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। चार वर्ष पूर्व दिये गये सुझावो से स्पष्ट होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने के लिए कई कदम उठाने आवश्यक हो गये हैं।

इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ वित्तीय साधनो को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरी तरफ परियोजनाओ के उचित चयन उचित क्रियान्वयन व उचित प्रबन्ध व देखभाल के जरिये उन्हे लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे भाविष्य मे सरकारी खजाने पर भार बढ़ाने की बजाय उसमे पर्याप्त योगदान दे सकें।

निष्कर्ष वास्तव मे राज्य की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक विकास से होता है। राज्य को अपने आर्थिक साधनो विशेषकर पशु धन, खनिज पदार्थ आदि का सदुपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए ताकि राज्य मे रोजगार बढे और भावी आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधन

जुटाये जा सके। प्रायः वित्त-विशेषज्ञ राज्य की डावाडोल वित्तीय दशा के लिए वित्त-आयोग की सिफारिशों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण रहता है कि केन्द्रीय हेतुान्तरणों में राज्य का अंश नीचा रहा है और राज्य के हितों की अनदेखी की गयी है।

इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि अधिक वित्तीय साधनों का उपयोग करने से राज्य के आर्थिक विकास के अधिक अवसर खुलते हैं। इनके अभाव में विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन वित्तीय साधनों के हस्तान्तरण का अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकला है जो सभी राज्यों को समान रूप से स्वीकार्य हो। इसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए सभी राज्यों को केन्द्र से उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन मिलना संभव नहीं होता। इसलिए केन्द्र का काम सीमित वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम आवंटन व हस्तांतरण करना होता है।

अतः भविष्य में केन्द्र को राजस्थान को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और अकाल रहत सहायता तो पूर्णतया अनुदानों के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार अपने सीमित साधन नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में लगा सके। पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि भविष्य में राजस्थान की पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य अकाल व सूखे की दशाओं से मुक्ति दिलवाना होना चाहिए।

यदि राज्य के आर्थिक नियोजन में अकाल-निवारण के उद्देश्य को केन्द्रीय स्थान दिया जा सके तो सम्भवतः इस समस्या पर कठोर प्रहार करना सम्भव हो सकता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि राजस्थान में औपचारिक पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया व पद्धति को बन्द करके उसके स्थान पर केवल अकाल निवारण योजना ही चलायी जानी चाहिए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जल, चारे, अनाज व काम धंधे में वृद्धि की जा सके। इस दिशा में निरन्तर प्रयास करते रहने पर राज्य में अकालों की भीषणता को घटाना सम्भव हो सकेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम योजना का प्रचलित प्रारूप आसानी से नहीं छोड़ सकते और हमें नियोजन की वर्तमान पद्धति को ही जारी रखना होगा। हमें इतना अवश्य कर सकते हैं कि राजस्थान में भावी नियोजन का प्रमुख लक्ष्य अकालों से मुक्ति दिलाना रख सकें। इसके लिए भावी नियोजन में अकाल निवारण को केन्द्रीय स्थान देना होगा और इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण नियोजन तंत्र को एक ऐसा मोड़ देना होगा ताकि वह सीधे हमारी आर्थिक समस्याओं को हल करने व प्राकृतिक विपदाओं पर काबू पाने में अपना योगदान दे सके।

राज्य के साधन-संग्रह की समस्या देश में मुद्रास्फीति की समस्या से भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति की दर के बढ़ने से राज्य के कर्मचारी व कारखानों के श्रमिक मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं। उनकी मांगें पूरी होने पर अगले दौर में फिर मुद्रास्फीति प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करके आर्थिक

विकास की गति को तेज कर सकती है।

आशा है आगामी वर्षों में राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास से राज्य की वर्तमान खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाटा और कम करने का अवसर मिलेगा। सरकार ने वित्तीय नियंत्रण के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जो शीर्ष समिति (Apex Committee) नियुक्त की थी उसने प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये की बचत करने के सुझाव दिये थे। अतः भविष्य में व्यय में कृपायत के उपायों पर अमल किया जाना चाहिए। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में वर्तमान में जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि राज्य के सीमित वित्तीय साधनों पर व्यय के दबाव कम किये जा सकें। राज्य के विभिन्न जिलों में तेजी से औद्योगिक विकास करना होगा। राज्य की हर प्रकार के अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना होगा और योजना-व्यय से अधिकाधिक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना होगा। हमें यह स्मरण रखना होगा कि वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता उनके सदुपयोग व संरक्षण की है। समय समय पर होने वाली अनियमितताओं व वित्तीय घोटालों से उत्पन्न धन के अपव्यय को यथासम्भव रोका जाना चाहिए।

प्रश्न

- 1 विभिन्न वित्त आयोगों ने राजस्थान को करो व शुल्कों की हिस्सेदारी व सहायता-अनुदान के रूप में जो धनराशि हस्तान्तरित की है, उसके स्वरूप व मात्रा को दर्शाइये। क्या इसमें निरन्तर वृद्धि होती रही है? विवेचना कीजिए।
- 2 गाडगिल सूत्र क्या है? राजस्थान को इस सूत्र से अब तक योजना हस्तान्तरण की दृष्टि से क्या लाभ मिला है? क्या 24 दिसम्बर 1991 का पुनर्संशोधित गाडगिल सूत्र राजस्थान के हितों की अनदेखी करता है? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिये ?
- 3 संक्षिप्त टिप्पणों लिखिये
 - (i) नवे वित्त आयोग की सिफारिशों का राजस्थान पर प्रभाव
 - (ii) 1980 का गाडगिल फार्मूला व राजस्थान का योजना हस्तान्तरणों में हिस्सा
 - (iii) राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के उपाय
 - (iv) दिसम्बर 1991 का परिवर्तित आम सहमति पर आधारित गाडगिल फार्मूला
 - (v) राजस्थान में राजस्व घाटे को कम करने के उपाय
 - (vi) योजना हस्तान्तरणों का मुखर्जी फार्मूला।

राजस्थान में निर्धनता

(Poverty in Rajasthan)

पिछले दो दशकों में भारत में निर्धनता काफी चर्चा का विषय रहा है। हमारे देश की पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79) में निर्धनता उन्मूलन को योजना के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तब से विभिन्न विद्वानों ने इस पर विशेषतया ग्रामीण निर्धनता पर, काफी लिखा है। निर्धनता की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रोफेसर वी. एम. दांडेकर व उनके सहयोगी नीलकण्ठ शं. सर्वश्री वी. एस. मिन्हास भुरेश तेदूलकर, प्रनव बर्धन मोन्टेक अहलूवालिया आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। योजना आयोग ने समय समय पर अपने अनुमान पेश किये हैं और इस समस्या के हल के लिए नीतियाँ निर्धारित की हैं।

निर्धनता की समस्या ने सरकार व नियोजकों का ध्यान अपनी तरफ कई कारणों से आकर्षित किया है। एक कारण तो यह है कि पहले यह सोचा गया था कि योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप अपने आप गरीबी कम हो जायेगी। इसे 'विकास का ढलकने वाला' या 'टपकने का प्रभाव (trickle down effect)' कहा गया है। जब यह प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ और देश में गरीबी बढ़ती गई तो इस समस्या पर सीधा प्रहार करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू किये गये जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदि। गरीबी के विषय पर ध्यान जानने का दूसरा कारण यह था कि केन्द्र की तरफ से राज्यों को वितरित किये जाने वाले वित्तीय साधनों के लिए गरीबी के स्तर को आधार बनाने की बात भी सोची जाने लगी। हालाँकि नये वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में तो गरीबी को आधार बनाने पर बल दिया था लेकिन बाद में इसके माप की कठिनाइयों को देखते हुए अपनी दूसरी व अन्तिम रिपोर्ट में इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर 'पिछड़ेपन का सूचकांक' तैयार करके उसे नये आधार के रूप में अपनाने पर बल दिया था। फिर भी करोड़ों नर नारियों को गरीबी के जाल में मुक्त कराना नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए देश में राष्ट्रीय व राज्यीय दोनों स्तरों पर गरीबी एक विचारणीय विषय रहा है। अतः इसके माप कारणों, सरकारी नीति व परिणामों पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो गया है।

गरीबी की रेखा का माप

सत्र के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (Poverty line) को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका स्तर 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लगभग 49 रु व शहरी क्षेत्रों के लिये 56.6 रु आका गया था। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह कही गई कि व्यय के इन स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के बराबर उपभोग सम्भव हो मकेगा। इसलिए इन स्तरों से नीचे प्राप्त व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब माने गये। बाद में गरीबी की रेखा में कीमत सूचनाको के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किये जाते रहे। 1983-84 में भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह गरीबी की रेखा 101.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का व्यय मानी गई और शहरी क्षेत्रों के लिये यह 117.50 रुपये मानी गई। 1991-92 के भावों पर ये क्रमशः 181.50 रु व 209.50 रु आकी गई है।

सातवी योजना में गरीबी की रेखा 1984-85 की कीमतों पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रुपये का व्यय मानी गयी थी जिसे आठवीं योजना की अवधि (1992-97) के लिये 1991-92 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 11060 रुपये किया गया है।

स्मरण रहे कि भारत में गरीबी की अवधारणा में न्यूनतम कैलोरी के उपभोग (calorie intake) की गारंटी दी गई है लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना होगा कि 1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह लगभग 101.80 रुपये व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तक का उपभोग कर रहा था। इससे कम व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का यह स्तर प्राप्त नहीं कर रहा था, इसलिए वह गरीब था। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि 101.80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य पदार्थों से 2400 कैलोरी उपभोग प्राप्त करने के अलावा वह अन्य गैर-खाद्य-पदार्थों जैसे वस्त्र दवा आदि पर भी थोड़ा बहुत व्यय कर रहा था। इसलिए गरीबी की रेखा वाला व्यय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के उपभोग की लागत मात्र नहीं है।

भारत में गरीबी का विचार एक निरपेक्ष विचार (absolute concept) है क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड़ दिया गया है। यदि इसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जरूरी न्यूनतम आमदनी से जोड़ दिया जाता तो भी यह निरपेक्ष विचार ही माना जाता। 1973-74 से पहले 1960-61 के लिये 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी की रेखा मान कर गरीबी के अनुपात व गरीबी की संख्या ज्ञात किये गये थे।

गरीबी के सापेक्ष विचार (relative concept) में चोटी के 10% या 5%

व्यक्ति के खर्च की तुलना निम्नतम 10% या 5% के खर्च से की जाती है। इससे असमानता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। लेकिन हमने भारत में गरीबी के विचार को निरपेक्ष रूप में लिया है और इसे 'खुराक की मात्रा' से जोड़कर देखा है। गरीबी की सामान्य रेखा से 75% नीचे का माप 'अत्यधिक गरीबी' (ultra poverty) कहलाता है। विश्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट (1989) में इसके अनुमान अलग से दिये गये थे।

राजस्थान में निर्धनता-अनुपात व निर्धनों की संख्या

आजकल प्रति पाच वर्ष में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण समूह (NSSO) के द्वारा उपभोग व्यय के आकड़ों का उपयोग करके निर्धन व्यक्तियों की गिनती (headcount) की जाती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात 'निर्धनता अनुपात (poverty ratio) कहलाता है।

1977-78 व 1983 (जनवरी-दिसम्बर) में एन एस एस (National Sample Survey) के 38 व 43 वें चक्रों के आकड़ों के आधार पर राजस्थान व भारत के लिए गरीबी के अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न-तालिका में दर्शाये गये हैं।¹

	(प्रतिशत में)					
	ग्रामीण		शहरी		कुल	
	1977-78	1983	1977-78	1983	1977-78	1983
राजस्थान	33.5	36.6	33.9	26.1	33.6	34.3
समस्त भारत	51.2	40.4	38.2	28.1	48.3	37.4

1983 में गरीबी का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में रहा जो 51.4% था, और शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 40.3% रहा और दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर भी यह बिहार में ही सर्वाधिक पाया गया जो 49.5% था। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 1977-78 तथा 1983 में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग व संयुक्त रूप से समस्त भारत की तुलना में नीचा पाया गया। 1983 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की संख्या 105 लाख तथा शहरी में 21.2 लाख और समस्त राज्य में 126.2 लाख रही।² यह समस्त भारत के गरीबों का 4.66% था।

1 Facts for you June 1991 (Annual Number 1991-92) p 59

2 Children and Women in India a Situation Analysis 1990 p 139

1987-88 के योजना आयोग के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 81 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 19 लाख थी। इस प्रकार राज्य में कुल गरीबों की संख्या 100 लाख थी, जो देश में कुल गरीबों की संख्या 2,377 लाख का 4.2% थी। (CMIE Basic Statistics States Sept 1992 Table 7.13)

गरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारशतकार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, बहुआ मजदूर, अपाहिज व्यक्ति आदि आते हैं।

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 1977 78 से 1983 के बीच समस्त भारत व अन्य सभी राज्यों में गरीबी का अनुपात घटा, लेकिन अकेला राजस्थान ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमें यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 33.5% से बढ़कर 36.6% हो गया और दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर 33.6% से बढ़कर 34.3% हो गया (हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह 33.9% से घटकर 26.1% पर आ गया था)। इस विषय को लेकर भी काफी चर्चा रही है कि आखिर राजस्थान में ही गरीबी का अनुपात 1977 78 से 1983 के बीच क्यों बढ़ा जबकि अन्य सभी राज्यों व समस्त भारत में यह घटा था। इस अन्तर का कोई मुनिश्रिज कारण बतलाना कठिन है क्योंकि यह उपभोग व्यय के अकड़ा पर आधारित है। आकड़ों से जो परिणाम निकलता है उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। 1987 88 के 43 वे चक्र के परिणाम काफी अनुकूल आये हैं। ये निम्न तालिका में प्रस्तुत किये जा रहे हैं: ¹

वर्ष 1987 88 के लिए गरीबी के अनुपात- राजस्थान व समस्त भारत के लिए

वर्ष	राजस्थान			समस्त भारत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
43वां चक्र 1987 88	26.0	19.4	24.4	33.4	20.1	29.9

इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 1983 में 36.6% से घटकर 1987 88 में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 26.1% से घटकर 19.4% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 34.3% से घटकर 24.4% पर आ गया था।

अतः सरकारी अनुमानों के अनुसार 1983 से 1987 88 की अवधि में राजस्थान में गरीबी का अनुपात 11.12 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्रचारित किया गया है कि 1980 के दशक में देश में तथा राजस्थान में गरीबी का अनुपात काफी घटा है।

लेकिन दो वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल अर जैन एव एल ड

1 Basic Statistics Relating to Indian Economy, Vol. II - Status Sept 1992, Table 7.13

तेन्दूलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलाया था कि योजना आयोग ने 1987-88 के लिए निर्धनता में जो भारी कमी का दावा किया है वह सही नहीं है। उसमें सांख्यिकीय दृष्टि से कमी है। यदि व्यय का मध्यम श्रेणियों के लिए सही ढंग से कौमत् समायोजन (appropriate price adjustment) किया जाये तो निर्धनता के अनुपात बदल जायेंगे।

राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 1983 व 1987-88 के लिए योजना आयोग के अनुसार तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार निम्न तालिका में दिये जाते हैं।¹

राजस्थान	(प्रतिशत में)			
	योजना आयोग के अनुसार		मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार	
	1983	1987-88	1983	1987-88
(i) ग्रामीण	36.6	26.0	42.0	41.9
(ii) शहरी	26.1	19.4	37.2	41.5
(iii) सम्पूर्ण राज्य	34.3	24.4	41.0	41.8

इस प्रकार योजना आयोग के परिणामों व मिन्हास जैन तेन्दूलकर के परिणामों में भारी अन्तर है। उपर्युक्त विशेषज्ञों के अनुसार 1983 व 1987-88 के बीच राजस्थान में गरीबी का अनुपात (ग्रामीण एवं ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों का मिला जुला) 41-42 प्रतिशत बना रहा। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% से बढ़कर 41.5% हो गया।

1987-88 के लिए दोनों के परिणामों में लगभग 17-18 प्रतिशत बिन्दु का अन्तर है जो काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण राज्य में गरीबी का अनुपात 1987-88 में योजना आयोग के अनुसार 24.4 प्रतिशत रहा जबकि मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार 41.8 प्रतिशत (लगभग 17.4 प्रतिशत बिन्दु अधिक) रहा। इससे आँकड़ों की प्राप्तिगणितता व सार्थकता पर एक भारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा ऐसे नाजुक विषय पर राय ली जानी चाहिये। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 1987-88 के लिए 24.4 प्रतिशत सही नहीं जान पड़ता क्योंकि

1 योजना आयोग के परिणामों के लिये CMIE की तालिका देखें तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के परिणामों के लिये उनका लेख Declining Incidence of Poverty in the 1980s Evidence Versus Artefacts, EPW July 6 13 1991 p 1676 table 5 (इस विषय पर यह एक प्रामाणिक लेख माना गया है)।

में जनसंख्या की अधिक तेज गति से वृद्धि, कृषि पर अधिक निर्भरता, प्रति वर्ष सूखे व अकालों के प्रकोप, औद्योगीकरण का अभाव, प्रति व्यक्ति नीची आमदनी, ऊँची शिशु-मृत्यु-दर, गरीब वस्तियों में बीमारी का प्रभाव, आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, निरक्षरता का ऊँचा अनुपात (विशेषतया ग्रामीण महिलाओं में), जीवन की अनिवार्यताओं की बढ़ती कीमतें, स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, पेयजल का अभाव, आवास की असुविधाएँ, शहरों में बढ़ती हुई गन्दी वस्तियों से उत्पन्न अनेक समस्याएँ, जल तथा वायु का घटता प्रदूषण आदि गरीबी के ऊँचे अनुपात की ओर इंगित करते हैं, न कि गिरते अनुपात की ओर।

वैसे भी 1987-88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूखे का वर्ष रहा था। राजस्थान में भी सूखे का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर लगभग 48 लाख टन पर आ गया था। अतः प्रश्न उठता है कि योजना आयोग के आकड़ों के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात 1983 में 34.3% में घटकर 1987-88 में 24.4% पर कैसे आ गया ? भूतपूर्व सूखे के वर्ष में निर्धनता-अनुपात के घटने की बात व्यवहार व सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाती। इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि सूखे से जो आमदनी घटी उसकी पूर्ति सरकार ने विशेष भूजदूरी रोजगार-कार्यक्रमों को बढ़ाकर की हो। इसके अलावा सम्भवतः सरकार ने सांख्यिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में खाद्य-पदार्थ स्थिर भावों पर सर्वसंभारण को उपलब्ध किये हो। लेकिन इनसे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि 1987-88 में राज्य में बेरोजगारी की दर पूर्व वर्षों की तुलना में ऊँची पायी गयी है। इसलिए 1987-88 में निर्धनता का घटता अनुपात बेरोजगारी के बढ़ते अनुपात में मेल नहीं खाता। इस वजह से भी मिन्हास-जेन तेन्दलकर का राजस्थान के लिए 42% का निर्धनता-अनुपात बला निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है।

राजस्थान में निर्धनता को प्रभावित करने वाले निम्न - तत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-

(1) ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ-राजस्थान एकीकरण से पूर्व 19 सामन्ती राज्यों व 3 चाफशिरो का समूह था, जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय की भूमि-व्यवस्था कृषिगत विकास के अनुकूल नहीं थी। कृषकों का आर्थिक शोषण होता था। राज्य का सामन्ती वातावरण गरीबी और पिछड़ेपन का जनक था। इसे बदलने की विनाश आवश्यकता थी।

इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्ध-शुष्क प्रदेशों में कुल भू-क्षेत्र का 60% व जनसंख्या का 40% पया जाता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं जैसे

अकाल व सूखे के निरंतर शिकार होते आये ह जिससे गरीब विशेष रूप से त्रस्त होते हैं । उनके लिए रोजगार, आमदनी खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है ।

(2) जनसंख्या सम्बन्धी तत्व राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 1971-81 में 33% तथा 1981-91 में 28.4% रही जो भारतीय औसत दर क्रमशः 25% व 23.6% से ऊँची थी । 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 79% जनसंख्या ग्रामीण थी हालाँकि 1961 में यह 83.7% थी । 1991 में कुल जनसंख्या 4.40 करोड़ रही है । यदि इसका 3/4 ग्रामीण माने तो देहातो में लगभग 3.34 करोड़ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए उचित स्तर के अनुकूल रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्न करना सुगम काम नहीं है । इसके अलावा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 17.3% व अनुसूचित जनजाति के 12.4% थे जो भारत के क्रमशः 16.3% व 8% से अधिक थे । इनमें गरीबी के दबाव अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । जिन जिलों की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का अनुपात उँचा पाया जाता है उनमें गरीबी का प्रभाव भी ज्यादा पाया जाता है । राज्य के मरु क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र जनजाति क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाये जाते हैं ।

(3) राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों (casual workers) के अनुपात में बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आया है । समस्त राज्य में 1977-78 में कुल श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात लगभग 9.5% था जो 1983 में 11.7% तथा 1987-88 में 19.6% हो गया । इस प्रकार कुल पाँच श्रमिकों में से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आता है जिसके लिए कोई नियमित काम की व्यवस्था नहीं है । इससे इनके लिए पर्याप्त आमदनी के अवसर कम रहते हैं और इनमें गरीबी पायी जाती है । राज्य में 1981-91 की अवधि में खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(4) भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव हम पहले देख चुके हैं कि राज्य में सीमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बाँटने के काम में वास्तविक प्रगति कम रही है । भूमि सुधारों के बाद भी कार्यशील जोतों के वितरण में भारी असमानता पायी जाती है और सीमान्त व लघु जोतों का (2 हैक्टेयर तक) कुल जोतों में अनुपात 1985-86 में 48% रहा और इनके अन्तर्गत कुल कृषि क्षेत्रफल का मात्र 9.5% समाया हुआ था। अतः भूमि सुधारों का गरीबी दूर करने में योगदान बहुत कम हुआ है।

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार-चढ़ाव तथा ग्रामीण निर्धनता-ग्रामीण निर्धनता का सीधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य में मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण कृषिगत उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जिससे सूखे व अकाल के वर्षों में रोजगार व आमदनी

पर प्रतिकूल प्रभाव आता है। पशु पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे उनको आर्थिक धति का सामना करना पड़ता है।

(6) राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निम्नतम 20% के समूह की आर्थिक सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है। 1983 के 38 वे चक्र के आकड़ों के अनुसार निम्नतम दो दशाशो (two deciles) (अर्थात् व्यय के निम्नतम 10% के समूह व अगले 10% स 20% तक के समूह) में स्वरोज्जगार में लगे ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राजस्थान में 60 से 65 रुपया प्रति माह आका गया था जो काफी कम था। 1981 में 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में एकीकृत बाल विकास स्कीम (ICDS) की परियोजनाओं के अन्तर्गत कुपोषण का प्रभाव 8.2% बच्चों में पाया गया। यह प्रभाव अनुसूचित जाति के 17.3% व अनुसूचित जनजाति के 8.1% बच्चों में पाया गया था। 1983 में 15 वर्ष व अधिक आयु के वयस्कों में 0.20% तक के निम्नतम व्यय समूह में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात पुरुषों में 21% व महिलाओं में 2% पाया गया। शहरी क्षेत्रों के लिए ये अनुपात इस व्यय समूह के लिए क्रमशः 54% व 21% रहे थे¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय समूह में कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक है जो उनमें व्याप्त गरीबी का सूचक है।

(7) गरीबी द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का निर्धनता से सम्बन्ध स्वर्गीय धर्मनारायण ने अपने अध्ययनों में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि गरीबी द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होने से गरीबी बढ़ती है और इनकी कीमतों में कमी होने से गरीबी भी कम होती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रों की तरह राजस्थान में भी गरीबी के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में विशेषतया खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। मोटे अनाज जैसे बाजरा जो दालों खाद्य तेलों चीनी गुड़ आदि के दामों में निरन्तर वृद्धि होता रहे है। इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन स्तर में गिरावट आती है। व्यवहार में न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन में बाधा आती है।

(8) सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता राज्य में आज भी शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति आवश्यकता में काफी कम पायी जाती है। मरु व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे के लिए 1.2 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल की व्यवस्था करना कठिन है। राज्य में 1988 में ग्रामीण क्षेत्रों में

1 India Poverty Employment and Social Services A World Bank Country Study 1989 pp 47-55

शिशु मृत्यु दर 111 थी जबकि केरल में यह 30 ही थी। 1981 में 34 968 गावों में से 7 861 गावों में प्रति गांव 40 परिवार थे तथा 10 425 गावों में प्रति गांव 40 से 100 परिवार ही थे।¹ इस प्रकार की बस्तियों में सामाजिक सेवाओं को ठीक से पहुंचाने का काम आसान नहीं होता है। इसलिए ये गांव शिक्षा, पेयजल, दवा व चिकित्सा, पुलिस, सामान्य प्रशासन, विद्युत आदि की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। अतः राज्य में जिस तरह का जनसंख्या का छितराव या फैलाव है उससे सांख्यिक सेवाओं को जनता तक पहुंचाना एक कठिन कार्य है। इससे भी बेकारी व गरीबी से संघर्ष करने में बाधा पहुंचती है।

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कॉमन प्रॉपर्टी साधनों (common property resources) (CPRs) से मिलने वाली सुविधाओं में भारी गिरावट पहले गरीब लोग गांव की कॉमन प्रॉपर्टी का उपयोग करके कुछ लाभ प्राप्त कर लिया करते थे। इस प्रकार की कॉमन प्रॉपर्टी में चारागाह, वन, नदी के किनारे तथा उसके अन्य क्षेत्रों से प्राप्त साधन व जलग्रहण क्षेत्र, तालाब, वगैरह शामिल किये जाते थे। डा. एन.एस. जोधा ने अपने एक अध्ययन में बतलाया है कि पहले ग्रामवासियों को प्रति परिवार गांव की कॉमन सम्पत्ति के उपयोग से 530 रुपये से 830 रुपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन अब इनका निजीकरण होने से धीरे-धीरे गांव के निवासियों को इनके लाभ नहीं मिल रहे हैं। जनजाति के लोगों को वनों से जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाती। वैसे भी वृक्षों की अनियमित कटाई, मिट्टी के कटाव व अन्य कारणों से 'परिवेश असन्तुलन' की समस्या उत्पन्न होती जा रही है जिससे स्वयं कॉमन सम्पत्ति ही क्षीण हो गई है। इस तत्व ने भी गरीबी को बढ़ाने में मदद की है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान में समस्त देश की भांति विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जनसंख्या, सम्बन्धी व आर्थिक तत्वों ने मिलकर राज्य की गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है।

गरीबी की कैलेंडरी-आधारित अवधारणा में दोष² राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्रों में गरीबी की कैलेंडरी-आधारित अवधारणा सही नहीं मानी गई है। इसके निम्न कारण हैं

(i) यह पांच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय सम्मेलन सर्वेक्षण समूहों द्वारा उपभोग व्यय के सर्वेक्षण की सूचना पर आधारित होती है। इसलिए उम्र वर्ष की प्रकृति से प्रभावित होने के कारण पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होती।

(ii) गरीबी की रेखा के लिए कैलेंडरी की मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के देश के सभी राज्यों के लिए एक सी मान ली गई है जो सही नहीं है क्योंकि

1 Memorandum To the Ninth Finance Commission Government of Rajasthan p5 (गावों में परिवारों की स्थिति के लिए)

2 Papers in Perspective Plan, Rajasthan 1990-2000 AD pp111-112

इसमें आयु, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होते जरूरी हैं। लोगों की ऊर्जा (energy) की जरूरत अलग अलग होती है। डा. बी. एम. राव का मत है कि केरल में कैलोरी की मात्रा 1714 हो सकती है जबकि राजस्थान में यह 2743 होनी चाहिये।

अतः कैलोरी की मात्रा राज्यों को विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग निर्धारित होनी चाहिए थी। इसके अलावा राजस्थान में उपभोग में शर्करा की प्रधानता होने से इसकी ऊँची कैलोरी का मात्रक कारण राज्य में गरीबी का अनुपात नीचा आता है जिससे वह सही स्थान का स्थरक नहीं देता। राज्य आकड़ों में तो कम गरीब दीखता है जबकि वास्तव में शर्करा गरीब है।

(iii) व्यय के आकड़ों को कौमल सूचनाओं से सम्मिश्रित करने में कठिनाई आती है। हम पहले देख चुके हैं कि योजना अंग्रेजों व विद्यार्थियों के निष्कर्षों में इसी कारण से भारी अंतर पाया गया है।

(iv) अजराल गरीबी का अन्तर्गत का समन्वय कैलोरी की मात्रा के स्थान पर न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाह के स्तर के लिए आवश्यक भोजन सामग्री के अलावा शिक्षा एवं आवास पेयजन मनोरंजन आदि से करने पर जोर दिया जाने लगा है ताकि गरीबी का अवधारण को अधिक वैज्ञानिक अधिक व्यापक व अधिक सार्वभू बनया जा सके। इसीलिए कैलोरी में जुड़ा गरीबी का दृष्टिकोण अपयाप्त व अनुपयुक्त मान जाने लगा है।

(v) केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन (C.S.O.) तथा राष्ट्रीय मेम्बर सर्वेक्षण सगठन (NSSO) के निजी उपभोग पर व्यय के आकड़ों में अंतर पाया जाता है जिनमें समायोजन व समन्वय स्थापित करने की समस्या का सामना करना होता है।

राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम (1989-90 में जवाहर रोजगार योजना में शामिल) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों जैसे सूखा सभाध्य क्षेत्र कार्यक्रम मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि का निर्धनता उन्मूलन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का विवेचन आगे चलकर एक पृथक अध्याय में किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी का परस्पर गहरा सम्बन्ध होने के कारण हमने यहाँ रोजगार कार्यक्रमों का विवेचन करना उपयुक्त समझा है।

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme (IRDP) यह निर्धनता-उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है। राज्य में यह 1978-79 में प्रारम्भ किया गया था। इसका यथेष्ट कन्द व राज्य के बीच समान रूप से बाटा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारों को दुधारू पशु (गाय भैंस, भेड़ बकरी) बेलगाढो सिलाई की मशीनें हथकरघा आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान (subsidy) देती है तथा बैंको से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति गरीबी की रक्षा से ऊपर उठ पायेंगे क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार (self employment) की व्यवस्था होती है तथा महायता प्राप्त व्यक्तियों की आमदनी बढ़ती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कोई परिसम्पत्ति (asset) दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें और गरीबी की रक्षा से ऊपर आ सकें।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति

यह 1978-79 में राजस्थान के चुने हुए 112 खण्डों में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 1980 में राज्य के सभी खण्डों में फैला दिया गया। इससे लघु व सीमान्त कृषकों खेतिहर मजदूरों, गांव के गरीब कारीगरों व दस्तकारों तथा पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है।

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 1990-91 के अंत तक 17.62 लाख परिवार (छोटी योजना में 7.1 लाख परिवार) लाभान्वित हुए हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 6.27 लाख परिवार, अनुसूचित जनजाति के 3.21 लाख परिवार तथा 1.69 लाख महिलाएँ शामिल हैं। सरकारी सैंक्सडों के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

राजस्थान में इस कार्यक्रम पर 1987-88 व बाद में प्रति वर्ष लगभग 33-35 करोड़ रु व्यय किये गये जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य में 1977 में गरीबों के कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था।

हाल के वर्षों की स्थिति तालिका में दर्शायी गई है

वर्ष	कार्यक्रम पर व्यय की राशि (करोड़ रु में)	लाभान्वित परिवार (लाख में)
1991-92 (प्रस्तावित)	47.00	1.38
1992-93 (प्रस्तावित)	40.54	1.10
1993-94 (प्रस्तावित)	35.2	0.80

इस प्रकार 1993-94 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 35

करोड रुपये रखी गई है ताकि 80 हजार परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। इसमें राज्य सरकार का अंश आधा है। अतः इस धनराशि में राज्य-योजना मंत्र से 17.57 करोड रुपये व्यय किया जायेगा।

कार्यक्रम की कमियाँ तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव

(i) गर-गरीब परिवारों का चुनाव - 1984 में विकास अध्ययन सम्यान (JDS) जयपुर ने जयपुर जिले में एकांकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन किया था तथा जाधपुर जिले में नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया गया था। इनमें प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि कार्यक्रम में प्रगति सतोपजनक नहीं रही है। जयपुर जिले में 14.7% तथा जोधपुर जिले में 21.4% परिवार ऐसे गरीब मान लिये गये जो वास्तव में गरीब नहीं थे। जयपुर के सर्वेक्षण से पता चला कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये। उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ा। भेड़-बकरी के सम्बन्ध में स्थिति बहुत खराब रही। केवल 18% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा को पार कर पाये हैं। इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ सीमित रही हैं। सरकारी आँकड़ों में निम्न उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय का गणना व लाभान्वित परिवारों की मख्या होती है जो पूर्णतया सही नहीं है।

(ii) कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है। गरीब परिवारों के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमों के चुनाव में बैंकों की भूमिका नगण्य रही है। कार्यशील पूँजी का अभाव पाया गया है। लक्ष्यों के निर्धारण में गरीबों के साथ, अवसरों व क्षमताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

(iii) कई मामलों में सन्निधि का दुरुपयोग भी हुआ है। दुधरू पशु-विशेषतया भैंस देन का विषय काफी चर्चा का विषय रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सन्निधि की राशि प्राप्त करली गई है जबकि वास्तविक उपलब्धि कम रही है।

(iv) बहुत गरीब लोग किसी परिसम्पत्ति (asset) को नहीं सभाल पाते। वे भ्रष्टाचार पर रोजगार करना ज्यादा पसंद करते हैं।

(v) लाभान्वित परिवारों के लिए विपणन की सुविधाओं का अभाव रहा है जिससे वे अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न - परिवर्तन किये गये थे-

(4) जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सके उनको सहायता की दूसरी किस्त (second dose) दी गयी

(ii) महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया

(iii) प्रति परिवार विनियोग बढ़ाया गया

(iv) निर्धनता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व अधिक मात्रा में मदद मिल सके ।

(v) जनता के प्रतिनिधियों व ऐच्छिक सगठनों की भागीदारी बढ़ायी गयी

(vi) साथ साथ कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रणाली जारी की गई तथा

(vii) सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया गया ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न दिशाओं में प्रयास किये जायेंगे

(अ) प्रति परिवार विनियोग का राशि बढ़ायी जायेगी ।

(ब) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके इसके लिए चुनाव की विधि अन्वयोदय कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जायेगी जिसमें गरीबों का चुनाव ग्राम सभाओं व लोगों की आम सलाह से करने का प्रयास किया जायेगा ।

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्न विकास विभागों से जोड़ा जायेगा ताकि वे आगे पीछे की कड़ियों (forward and backward linkages) के लाभ भी प्राप्त कर सकें । उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने वालों के लिए घास की व्यवस्था करनी होगी तथा पशु चिकित्सा का लाभ उन तक पहुंचाना होगा (backward linkages) और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्री को समुचित व्यवस्था (forward linkages) करनी होगी ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर सकें । कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे पीछे की कड़ियों के गायब रहने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है ।

टाइसम ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण देने की स्कीम 1979 में शुरू की गई थी । यह IRDP के अन्तर्गत ही चलाया जाता है । इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियों को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद में वे अपने रोजगार में लगने का प्रयास करते हैं । 1993-94 में टाइसम पर कुल 48 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य है जिसमें आधी राशी राज्य सरकार व्यय करेगी। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है । 1993-94 में इसको मिलाकर IRDP पर कुल 40 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राज्य का अंश भी शामिल है।

(2) जवाहर रोजगार योजना (JRY) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना सबसे बड़ा प्रयास है । यह 1989-90 में

प्रारम्भ की गई थी। इसमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है। इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दो कार्यक्रम चलाये जा रहे थे (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा (ii) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)। 1989-90 से ये दोनों कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में मिला दिये गये हैं। लेकिन जवाहर रोजगार योजना का विस्तृत विवेचन करने से पूर्व इन दोनों का संक्षिप्त परिचय देना उपयुक्त होगा।

(अ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यह कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ किया गया और 1 अप्रैल 1981 से यह एक नियमित कार्यक्रम बना दिया गया था। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार (wage employment) बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। इसके माध्यम से अकाल राहत कायम कराये जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुआँ का निर्माण, स्कूल-भवन दवाखाने ग्रामीण सड़कें लघु सिंचाई व भू संरक्षण आदि के कार्य किये जाते थे। लोगों का पोषण स्तर ऊँचा उठाने के लिए काम के बदल अनान भी दिया जाता था। इसमें केन्द्र व राज्यों का अंश 50:50 होता था।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति तीन वर्षों के लिए निम्न तालिका में दी गई है¹

वर्ष	छांटाना के मूल्य सहित कुल व्यय राशि (करोड़ ₹)	काम का सृजन (मानव दिवसे म) (करोड़ में)
1986-87	65.6	9.3
1987-88	42.3	2.4
1988-89	36.9	2.27

इस प्रकार NREP के अन्तर्गत राजस्थान में 1986-87 में 65.6 करोड़ रुपये का कुल व्यय करके 9.3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो सर्वाधिक था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कार्यक्रम 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया है।

(ब) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) यह कार्यक्रम अगस्त 1983 में चालू किया गया था। इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता था।

इसका उद्देश्य भूमिहीनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना होता था ताकि

1 Annual Plan, 1989-90 & 1990-91 Government of India, Planning Commission, आगे RLEGP की प्रगति के अंकड़े भी इन्हीं में दिये गये हैं।

प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक के परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक का काम मिल सके। इसमें भी कार्य लगभग वही होते थे जो NREP में किये जाते थे जैसे सड़क निर्माण पंचायत व स्कूल भवन का निर्माण सिंचाई, आदि।

तीन वर्षों में राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही-

वर्ष	व्यय की राशि (करोड़ रु में)	काम का सृजन (मानव दिवस में) (करोड़ में)
1986 87	24.8	15
1987 88	35.4	20
1988 89	74.7	125

इस प्रकार RLEGP के अर्न्तगत 1987 88 में 35.4 करोड़ रु के व्यय से 2 करोड़ मानव दिवस का काम उत्पन्न किया गया जो सर्वाधिक था।

जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बात

(i) इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) इसका कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्यों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो।

(iii) इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है।

(iv) इसमें कोषों के आवंटन में अलग अलग स्तरों पर निर्धनों की सख्या पिछड़ेपन के सूचनांक तथा जनसख्या के आधार माने गये हैं। राज्यों के आवंटन में निर्धनों की सख्या, जिला स्तर पर पिछड़ेपन का सूचनांक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन के लिए जनसख्या को आधार बनाया गया है।

(v) जिला स्तर पर कुल आवंटन का 6% अनुसूचित जाति व जनजातों के लिए इन्दिरा आवास योजना में इस्तोमाल किया जाता है। धनराशि का उपयोग सामाजिक चानिकी सड़क व भवन निर्माण आदि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जाता है।

1989 90 में जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत राजस्थान में 126 करोड़ रुपये के व्यय से 4.39 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 25.2

करोड़ रुपये रखी गई थी । शेष लगभग 100 करोड़ रु केन्द्र का अशदान रखा गया था । 1989 90 में वास्तविक व्यय 106.5 करोड़ रु हुआ और 4.44 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो लक्ष्य से अधिक था । 1990 91 में इस योजना पर व्यय की गई राशि बढ़ाकर 128 करोड़ रुपये का दो गई और रोजगार-सृजन का लक्ष्य 5.34 करोड़ मानव-दिवस रखा गया । 1990 91 में राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम रहा था । 1991 92 व 1992 93 में इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 150 करोड़ रु के प्रावधानों में राज्य सरकार का अंश 30 करोड़ रुपये रहा था । 1993 94 में भी इस कार्यक्रम पर कुल 150 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है और लगभग 4.1 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जाएगा । यह पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है ।

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का पूरी तरह सरलाकरण किया गया है । गाम पंचायत को 10 हजार रु तक के कच्चे कार्य एवं 50 हजार रु तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं । विकास की गंगा को गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । पहले के NREP व RLEGP के अन्तर्गत अधूरे पड़े कार्यों का पूरा किया जा रहा है । कई स्थानों पर पाठशाला-भवन सड़के सामाजिक वानिकी के कार्य आदि पूरे किये जा रहे हैं ।

1 जनवरी 1991 से 'अपना गांव अपना काम' योजना का श्रियगोश किया गया था । इसमें 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार द्वारा देने की विधि अपनायी गयी । 1991 92 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 25 करोड़ की राशि जवाहर रोजगार योजना में उपलब्ध कराई गई थी । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिला है । 1992 93 में इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रु की राशि राज्य की योजना में से उपलब्ध कराई गयी ताकि 50 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा सकें । 1993 94 से इसके प्रारूप में परिवर्तन किया गया है । अब इस कार्यक्रम में जनता व सरकार का अंश व्यय में आधा आधा होगा । 1993 94 में कुल 20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय में राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये व्यय करेगी ।

राजस्थान में 1990 के दशक में गरीबी कम करने के लिए आवश्यक सुझाव-

(1) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार "दो बच्चों के नॉर्म" को लागू करना चाहिए । इसके लिए परिवार कल्याण व परिवार-नियोजन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

(2) एक व्यापक व अधिक सुनियोजित 'मजदूरी पर रोजगार कार्यक्रम'

सभी जिलों में विकास खण्डों में चलाया जाना चाहिये जिनमें उत्पादक रोजगार के कार्यक्रम लिये जाएं जो स्थानीय साधनों व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हों। आगे चलकर IRDP आदि को भी इसमें मिलाया जा सकता है ताकि सीमित वित्तीय साधनों का रोजगार उत्पन्न करने में सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों की अनावश्यक बरबादी व फिजूलखर्चा रोकी जा सके।

(3) भूमि सुधारों के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

(4) पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सहकारी समाज, तथा विकेन्द्रित व जिला नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए।

(5) ग्रामीण निर्धनों का एक राजनीतिक संगठन बनाया जाना चाहिये जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।

(6) नृपिणित उत्पादन बढ़ाने के लिए 'सूखी खेती' की विधि को लागू करना चाहिये ताकि जल ग्रहण विकास परियोजनाओं (watershed development projects) के माध्यम से फसलों की पैदावार के साथ साथ चारे, जलाने की लकड़ी आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके।

(7) ग्रामीण उद्योगों में उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओं शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल बिजली आदि का विस्तार करना चाहिए ताकि कम आमदनी वाले लोगों को भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न होना पड़े।

गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (socio economic curse) है। इसके कई आयाम होते हैं। यह एक बहुत पेचीदा समस्या है। इसका हल सुगम नहीं होता। फिर भी विभिन्न प्रकार के प्रयास करके इसकी तीव्रता अवश्य कम की जा सकती है और कम धीं जानी चाहिए। तीव्र गति से आर्थिक विकास खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास सामाजिक सेवाओं शिक्षा चिकित्सा पेयजल आदि का विकास गरीबी को दूर करने के लिए अत्यावश्यक शर्तें हैं। गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक पिछड़ापन भी दूर करना होगा और सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार करना होगा।

प्रश्न

- 1 गरीबी को रोकना किसे कहते हैं ? राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों की समीक्षा काजिये। (Raj I Yr 1992)
- 2 राजस्थान में निधनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील तत्वों से भिन्न हैं ?

- 3 राजस्थान के सन्दर्भ में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना व जवाहर रोजगार योजना का विवरण देकर इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए ।
- 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये -
- (i) राजस्थान में गरीबी की समस्या
 - (ii) राजस्थान में एकीकृत ग्रामीण विकास-कार्यक्रम,
 - (iii) राज्य में जवाहर रोजगार-योजना तथा,
 - (iv) 1987-88 में राजस्थान में गरीबी की स्थिति की समीक्षा ।
- 5 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -
- (a) ममन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 - (b) जवाहर रोजगार-योजना

(Ajmer Hjr 1992)

21.

राजस्थान में बेरोजगारी (Unemployment in Rajasthan)

राजस्थान में जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि, कृषिगत विकास के उतार-चढ़ावों तथा थोड़े औद्योगिक विकास ने राज्य में रोजगार की स्थिति को प्रभावित किया है। इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में बेरोजगारी व अल्पबेरोजगारी (Underemployment) की दशा बिगड़ती जा रही है। एक तरफ खुली बेरोजगारी की दूरी 1980 के दशक में बढ़ी है तो दूसरी तरफ छिपी हुई बेरोजगारी या अल्पबेरोजगारी की स्थिति व्यापक रूप से, विशेषतया वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में पायी जाती है। कृषिगत सुस्त मौसम में लोगों को पूरा काम नहीं मिल पाता। यही नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर व कृषिगत प्रोजेक्ट, आदि भी अपनी योग्यता व पसन्द के मुताबिक काम पा सकने में कठिनाई महसूस करने लगे हैं। शिक्षित बेरोजगारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाएँ राष्ट्रीय सम्मेलन सर्वेक्षण समूह के पांच वर्षों में एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकड़े प्राप्त होते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हाल के वर्षों में 32 वाँ दौर (1983) व 43 वाँ दौर (1987-88) की अवधि के लिए सम्पन्न किये गये हैं। इनमें बेरोजगारी की तीन अवधारणाओं का उपयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है

(1) सामान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा

(Usual status concept)-

इसमें कार्य की स्थिति लम्बी अवधि के लिए देखी जाती है जैसे 1987-88 के 43 वें दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनों तक के लिये निर्धारित की गई थी। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्षभर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी (Chronic unemployment) को बतलाती है और यह व्यक्तियों की संख्या में मापी जाती है। इसके आँकड़े दो शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं- (1) एक तो सामान्यतया मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगार (unemployed in principal status) तथा (2) सामान्य स्टेटस (समायोजित) (usual status adjusted) के अनुसार बेरोजगार जिसमें

सहायक स्टेटस वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है (subsidiary status workers are excluded)

हम आगे चलकर सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आँकड़ों का उपयोग करेंगे। इसमें मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार व्यक्तियों में से सहायक क्रिया वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है। स्मरण रहे कि समस्त भारत में व अधिकतर राज्यों में इस प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी प्रायः कम पायी जाती है।

(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Weekly status concept)

इसके अनुसार काम की स्थिति पिछले मात दिनों की अवधि के सन्दर्भ में देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार में लगा माना जाता है जो किसी लाभप्रद धर्म में लगा होता है तथा एक सप्ताह की सन्दर्भ अवधि (reference period) में किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट देता है। जो व्यक्ति पूरे सप्ताह में एक घण्टे भी काम नहीं कर पाता लेकिन जो काम की तलाश में रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता है वही बेरोजगार माना जाता है। इससे औसतन एक सप्ताह में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रगट होती है। इसमें दीर्घकालीन बेरोजगारी के साथ साथ व बीच बीच में होने वाली बेरोजगारी (intermittent unemployment) भी शामिल होती है जो सामान्यतया रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मौसमी उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है।

(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Daily status concept)

दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा में व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता है उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूरे दिन काम में लगा माना जाता है।

इसमें सर्वेक्षण वर्ष में औसतन एक दिन में बेरोजगार व्यक्ति दिवसों (person days) की संख्या प्रगट होती है। यह अवधारणा बेरोजगारी की सबसे ज्यादा व्यापक दर को सूचित करती है।

इसमें निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते हैं

(1) दीर्घकालीन बेरोजगारी से सम्बन्धित बेरोजगारी (2) प्रायः काम में लगे लोगों के वे बेरोजगारी के दिन जिनमें सन्दर्भ सप्ताह में वे बीच बीच में बेरोजगार हो जाते हैं तथा (3) चालू साप्ताहिक स्टेटस की प्राथमिकता के आधार पर काम में लग व्यक्तियों के बेरोजगारी के दिन भी इसमें शामिल होते हैं। इसलिए यह बेरोजगारी का माप सबसे ज्यादा व्यापक व विस्तृत माना गया है।

राजस्थान में बेरोजगारी की दरें-

एन एस एस के 1987-88 के 43 वें दौर के अनुसार राजस्थान में उपर्युक्त तीनों अवधारणाओं के अनुसार बेरोजगारी की दरें निम्न-तालिका में दर्शायी गयी हैं। बेरोजगारी की दर में बेरोजगारों का कुल श्रम-शक्ति (labour force) से अनुपात देखा जाता है। स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति में काम में लगे व बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल किये जाते हैं।

राजस्थान में बेरोजगारी की दरें ¹

(प्रतिशत में)

	ग्रामीण क्षेत्र (rural)			शहरी क्षेत्र (urban)		
	सामान्य स्टेटस (समायोजित)	साप्ताहिक स्थिति	दैनिक स्थिति	सामान्य स्टेटस (समायोजित)	साप्ताहिक स्थिति	दैनिक स्थिति
पुरुष	19	54	59	41	64	72
महिला	13	19	52	10	31	42

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस (समायोजित) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत नीची थीं। ये पुरुष-वर्ग में 19% व महिला वर्ग में 13% थीं। शहरी क्षेत्रों में ये पुरुष-वर्ग में अधिक 41% तथा महिला-वर्ग में 10% हो थीं।

दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों में पुरुष वर्ग के लिए 72% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में 42% रही।

1987-88 में सामान्य स्टेटस (समायोजित) (Usual status adjusted) के आधार पर राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या नीचे दी जाती है (ग्रामीण व शहरी तथा पुरुष व स्त्री-वर्ग के अनुसार)²

1 Key Results of Employment And Unemployment Survey All India (part I) Special Report No 1 NSS 43rd Round (July 1987 June 1988) January 1990 pp 114-116

नोट - व्यास समिति की अन्तिम रिपोर्ट, दिसम्बर 1991 के अंग्रेजी प्रारूप में साप्ताहिक स्थिति के अनुसार शहरी महिला वर्ग के लिये 7.2% तथा दैनिक स्थिति के अनुसार शहरी पुरुष-वर्ग के लिये 3.1% दिये हैं जो मूल स्रोत से मेल नहीं खाते। (रिपोर्ट, पृ 18)

2 ibid pp 114-116

(हजारों में)

ग्रामीण		कुल ग्रामीण	शहरी		कुल शहरी	ग्रामीण व शहरी का कुल योग
पुरुष	महिलाएँ		पुरुष	महिलाएँ		
161	91	252	104	9	113	365

इस प्रकार दीर्घकालीन बेरोजगारी की अवधारणा लेने पर राजस्थान में 1987-88 में बेरोजगारों की संख्या 3.65 लाख व्यक्ति थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.52 लाख व शहरी क्षेत्रों में 1.13 लाख व्यक्ति थे। बेरोजगार पुरुषों की संख्या 2.65 लाख तथा महिलाओं की संख्या 1 लाख थी। इस प्रकार राज्य में बेरोजगारों की बकाया संख्या (backlog of unemployed) एन.एस.एस.के 1987-88 के 43 वें दौर के अनुसार 3.65 लाख आकी गई है।

बेरोजगारों के आँकड़ों का दूसरा स्रोत रोजगार विनिमयालय (employment exchanges) होते हैं। उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुसार बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में 1980 में 3.62 लाख से बढ़कर 1989 में 9.12 लाख तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार एक दशक में इसमें काफी वृद्धि हो गई। लेकिन ये आँकड़ें बेरोजगारी की सही स्थिति को सूचित नहीं करते, क्योंकि (1) सभी बेरोजगार व्यक्ति इन विनिमयालयों में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते (2) जिनको काम मिल जाता है वे अपना नाम उनके रजिस्ट्रारों से नहीं हटाते तथा (3) कई लोग बेहतर काम की तलाश में भी अपना नाम इसमें रजिस्टर करा लेते हैं हालाँकि वे रोजगार प्राप्त होते हैं। इसलिए बेरोजगारी के अध्ययन में आजकल एन.एस.एस.के आँकड़ों का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि ये आँकड़े ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते हैं। स्मरण रहे कि हमने ऊपर 1987-88 के लिए सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आधार पर बेरोजगारों की संख्या दी है। यह वर्ष भर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती है। नियोजन में नीति निर्धारण की दृष्टि से दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारों की संख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है।

राजस्थान में अल्परोजगार

(Under employment in Rajasthan)

खुली बेरोजगारी के बजाय राजस्थान में भी अल्परोजगार या अर्द्धरोजगार की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है। राज्य में कृषि के लिए वर्षा पर आश्रित होने के कारण एक फसल की खेती ज्यादा पायी जाती है। आज भी लगभग 3/4 कृषि क्षेत्र असिंचित पाया जाता है। खरीफ की फसल के बाद लोगों के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसलिए वे अतिरिक्त काम (additional work) की तलाश में रहते हैं। खरीफ व रबी दोनों फसलों के लिये जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो

पाता है। इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी आयदनी कम पायी जाती है। कई लोग जो काम करते हैं उसकी जगह दूसरा काम तलाश करते रहते हैं अर्थात् वे वैकल्पिक काम (alternative work) करना चाहते हैं।

एन एस एस के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में अतिरिक्त काम चाहने वालों का अनुपात 1987-88 में इस प्रकार रहा था-¹

(प्रतिशत में)

	पुरुष	महिला
ग्रामीण	10.0	2.4
शहरी	4.5	6.0

इस प्रकार 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में 10% पुरुष अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थे तथा शहरी क्षेत्रों में 6% महिलाएँ भी अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थीं। इससे राज्य में अल्परोजगार की गम्भीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सूखे व अकाल के वर्षों में स्थिति और बिगड़ जाती है और लोगों को सहत कार्यों के माध्यम से सहायता पहुँचानी आवश्यक हो जाती है।

1990 के दशक में कितने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी?

जयपुर स्थित विकास अध्ययन संस्थान (IDS) के निदेशक प्रो. विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में "राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुमान" पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 1991 की अन्तिम रिपोर्ट (final report) में बतलाया था कि 1990 के आरम्भ में राज्य में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या 4.83 लाख थी तथा 15-59 वर्ष की आयु में श्रम-शक्ति 1990-95 में 20.5 लाख तथा 1995-2000 के बीच 23.3 लाख और बढ़ेगी। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए 1990 के दशक में कुल 49 लाख व्यक्तियों के लिए नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी² समिति का मत है कि इसके लिए रोजगार में वार्षिक वृद्धि-दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी ताकि वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। समिति के अनुसार अस्मिन् दशक में राज्य में रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.1% रही थी।

1 सर्वेक्षण एन एस एस की पत्रिका स्पेशल अंक सितम्बर 1990, तालिका 56

2 Report of the Advisory Committee on Employment, December 1991, p. 32

रोजगार-सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सुझाव¹

राजस्थान में रोजगार-नीति को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम सुनिश्चित किये जायें।

व्यास समिति ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार-सृजन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं

(1) कृषि-

समिति का मत है कि राजस्थान में इन्डियन ग्रीन रिवर परियोजना (चरण II) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 10 10 लाख हेक्टेयर है जिसमें से सतवीं योजना के अन्त तक केवल 1 लाख हेक्टेयर ही कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। तीन लाख हेक्टेयर के 1995 तक तथा अगस्त चार लाख हेक्टेयर वर्ष 2000 तक कृषि में आने की आशा है। इस प्रकार कुल तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि के अन्तर्गत आने की सम्भावना है। यदि एक मजदूरी अर्थात् 6 हेक्टेयर में काश्त करने पर वर्ष में दो व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र में 2 लाख व्यक्तियों के लिए काम सृजित किया जा सकता है। इसके लिए खेतिहर परिवारों को बसाने, उन्हें प्रशिक्षण देने, औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता होगी।

सिंचित क्षेत्रों में बहुफसल कार्यक्रम अपना कर एक लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा फल, सब्जी व फूल जैसे ऊँचे मूल्य वाली फसले उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसमें 5-6 लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता है।

(2) पशु-पालन, वानिकी व मछली उद्योग-

इनके प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने के काफी आसार हैं। वर्ष 2000 तक राज्य में पशुओं की संख्या 6 18 करोड़ हो जाने की आशा है। इसके लिए चारे का उत्पादन बढ़ाना होगा। राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ प्रशोधित सयंत्र और लगाये जा सकते हैं। ऊन-उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ हैं। अजमेर बीकानेर, चुरू जयपुर जैमलमेर, झुन्झुनूँ, पाली व सीकर जिलों में इसके विकास की सम्भावनाएँ हैं। राज्य में गलीचे के निर्माण में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।

व्यर्थ भूमि पर वनों का विकास करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में लगभग 1 लाख मानव वर्ष के रोजगार का अनुमान है।

1 Ibid, chapter X pp 42 71

राज्य के कुछ जिलों जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चासवाड़ा, गगानगर, जयपुर टोक, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा तथा चम्बल, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना व माही सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में मछली का उत्पादन बढ़ा कर रोजगार सृजन सम्भव है।

(3) खनन

राज्य में खनिज सम्पदा के विकास की सम्भावना है। जैसलमेर में स्टील ग्रेड स्लैगस्टोन के भण्डार मिले हैं। बाड़मेर, बीकानेर व नागौर जिलों में लिग्नाइट कोयले के भण्डारों का विदोहन किया जाना है। राज्य में उर्वरक उद्योग के विकास के अवसर विद्यमान हैं। कूड तेल व गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है। आगामी दस वर्षों में खान क्रिया में 50 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की सम्भावना पतीत होती है।

(4) उद्योग

राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। फैक्ट्री क्षेत्र व गैर फैक्ट्री क्षेत्र में उत्पादन को नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इन्जीनियरिंग, रसायन, कृषि आधारित उद्योगों आदि के विकास के अवसर हैं। दस्तकारी हथकरघा जेम्स व ज्यूली आदि का विकास किया जा सकता है। गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, ग्वार, तिलहन, गन्ना, लाल मिर्च, ममाले आदि के आधार पर एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। भजी, मैदा, बिस्कुट, पापड, भुजिया आदि पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों में 1990-2000 की अवधि में 16 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देना सम्भव हो सकता है। राज्य में टाइनी उद्योगों, दस्तकारियों व कारोगरी के कामों में प्रयत्न करने से दस वर्षों में 35 से 5 लाख व्यक्तियों को खपा सकना सम्भव है।

इनके अलावा उदयपुर, बाणवाड़ा, डूंगरपुर, पाली व सिरोही जिलों में नाना प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हैं क्योंकि वहाँ आधार ढांचा (infrastructure) सुदृढ़ होने से कई प्रकार के स्वतन्त्र उद्योग (foot loose industries) स्थापित किये जा सकते हैं जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता है तथा जिनकी बिक्री को बाहर व्यवस्था की जा सकती है।

5 पर्यटन

राज्य में वर्ष 2000 तक देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पर्यटन के विकास के लिए होटलों, मोटलों (motels) व अन्य आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

6 निर्माण-कार्य --

सिंचाई, सड़क-निर्माण व भवन-निर्माण में काफी श्रमिकों को खपाया जा सकता है। इस क्षेत्र में 58 लाख व्यक्तियों के लिए काम के अवसर जुटा पाना कठिन नहीं होगा।

7 व्यापार, परिवहन व सेवाएँ -

अन्य क्षेत्रों में विकास से व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर खुलते हैं। कृषिगत उत्पादन खनिज उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन आदि के बढ़ने से व्यापार व परिवहन को विकास के नये अवसर मिलते हैं। सन् 2000 तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं

अतिरिक्त रोजगार के अवसर	(सीमाएं) (range) (लाख व्यक्तियों में)
(1) कृषिगत फसलें उगाना	5 6
(2) कृषि-उप क्षेत्र	1 5 2
(3) खनन	3 5 5
(4) उद्योग	5 8
(5) पर्यटन	1 2
(6) निर्माण (construction)	5 6
(7) व्यापार, परिवहन व सेवाएँ	14 15
कुल	35 44

आगामी दशक में संगठित क्षेत्र में 5 से 7 लाख रिक्त स्थान मृत्यु व अवकाश प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे। अतः यदि पूरा प्रयास करके 44 लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकती है। यदि केवल 35 लाख व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जा सका (निचली सीमा) तो वर्ष 2000 में बेरोजगारी की संख्या 7 से 9 लाख तक पायी जा सकती है।

इस प्रकार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग बढ़ाकर तथा श्रम-गहन विधियों का प्रयोग करके रोजगार-सबर्डन का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को देख-रेख व संचालन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक रोजगार-परिषद् (employment council) का गठन किया जाना चाहिए। व्यास-समिति ने इसकी स्थापना पर काफी जोर दिया है।

अन्य सुझाव-

रोजगार-सर्वर्द्धन के वर्तमान कार्यक्रमो-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुविकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुनरीक्षण करके उनको अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है। इन पर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। इनमें परस्पर समन्वय व पूरा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। स्वयं नियोजन का स्वरूप इस प्रकार का बनाना चाहिए कि उसी में से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम के अवसर उत्पन्न हो सके। तब आगे चलकर रोजगार के विशेष कार्यक्रमों पर निर्भरता कम की जा सकेगी। सच पूछा जाय तो रोजगार का एक ही व्यापक राज्यव्यापी (state - wide) कार्यक्रम जारी किया जाना चाहिए जो बेरोजगारों के लिए 'एक सुरक्षा जाल' (safety net) का काम करे और बेरोजगार लोग उससे आवश्यकतानुसार लाभ उठा सके। इसके लिए राजस्थान में भी महाराष्ट्र के नमूने पर रोजगार-गारटी-कार्यक्रम (EGS) चालू किया जाना चाहिए। रोजगार सर्वर्द्धन के विभिन्न प्रचलित कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनको अधिक युक्तिसंगत व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। उनसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन (creation of community assets) ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए।

राजस्थान में अस्सी के दशक में राज्य के घरेलू उत्पत्ति (SDP) में 6.5% सालाना की वृद्धि हुई और रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.1% रही। अब नब्बे के दशक में राज्य की घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि दर 5.5% वार्षिक अनुमानित है तथा रोजगार में वृद्धि-दर 2.5% वार्षिक रखी गयी है।¹ इस प्रकार नब्बे के दशक में घरेलू उत्पत्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार की अधिक दर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक सहारा लेना होगा। अतः राज्य के समक्ष रोजगार सर्वर्द्धन की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आशा है राजस्थान इस दिशा में सफलता प्राप्त करके अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण पेश कर पायेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि, पशु-पालन, वानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, पर्यटन, परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यापार, शिक्षा चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्थान पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना

1 इस प्रकार राजस्थान में रोजगार लोच (employment elasticity) अस्सी के दशक में $2.1/6.5 = 0.32$ से बढ़कर नब्बे के दशक में $2.5/5.5 = 0.45$ की जाती है जिसके लिए श्रम गहन विधियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना आवश्यक होगा।

होगा । नियोजन का स्वरूप बदलना होगा ताकि विकेंद्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख व लौगो की आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन के माध्यम से सवाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जा सकें । अतः 'रोजगारोन्मुख नियोजन (employment oriented planning) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप व आकार क्या है ? विवेचन कीजिए ।
- 2 राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने बेरोजगारी को दूर करने में कहा तक योगदान दिया है ? समझाकर लिखिये।
- 3 राजस्थान में नये रोजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा प्रतीत होते हैं ? स्पष्ट कीजिये । इस सम्बन्ध में व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दो गई सिफारिशों का उल्लेख कीजिये ।
- 4 राजस्थान में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति कारणों व सरकारी नीति का विवेचन कीजिए । क्या राज्य में आगामी दशक में पूर्ण रोजगार की स्थिति लाना सम्भव होगा ?

राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Special Area Development Programmes in Rajasthan)

राजस्थान में ग्रामीण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों को विशेष किस्म की समस्याओं के हल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इनमें निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं। (i) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, (ii) मरु विकास कार्यक्रम, (iii) जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, (iv) अरावली विकास कार्यक्रम, (v) दस्यू संभाव्य क्षेत्रों में कन्दरा (बीहड़) सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme in Dacoity Prone Areas) तथा (vi) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना। नीचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

I. सूखा-संभाव्य (सूखा-प्रभावित) क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme) (DPAP) यह कार्यक्रम 1974-75 में केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम (Centrally-sponsored scheme) के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इसकी वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों का 50-50 हिस्सा रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों को अर्धव्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किये जा सकें।

इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है-

(i) मिट्टी व नमी का संरक्षण

(ii) अतिरिक्त सिंचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) विकसित करना,

(iii) वृक्षारोपण (afforestation) करना तथा

(iv) रोजगार-सृजन करना

सूखा-संभाव्य क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों में समय-समय पर परिवर्तन होता गया है। 1982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वे खण्ड हटा दिये गये जो पहले मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। वर्तमान में यह कार्यक्रम 8 जिलों के 30 खण्डों में संचालित किया जा रहा है। ये जिले

इस प्रकार हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बासवाड़ा, कोटा, झालावाड़, टोक, सर्वाई माधोपुर व अजमेर। इन जिलों के कुछ खण्डों के नाम इस प्रकार हैं-

- * डूंगरपुर व बासवाड़ा जिलों के समस्त खण्ड,
- * उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, झडोल व कोटरा खण्ड,
- * अजमेर जिले के मसूदा व जवाजा खण्ड,
- * झालावाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड,
- * कोटा जिले के शाहवाड़, सागोद, छेछत (Chechat) व छवरा खण्ड,
- * टोक जिले में उणियारा देवली व टोडारायसिंह खण्ड तथा
- * सर्वाई माधोपुर जिले के नाडोती व खण्डार खण्ड।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलों में डूंगरपुर व बासवाड़ा जिलों के समस्त खण्ड शामिल किये गये हैं। लेकिन अन्य जिलों के चुने हुए खण्ड ही शामिल किये गये हैं।

सातवीं योजना में प्रगति- इस कार्यक्रम में कोष (funds) खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम पर लगभग 238 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस योजना की अवधि में 21471 हेक्टेयर भूमि में मिट्टी व नदी संरक्षण के काम किये गये, 2398 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिनाई को सम्भावना उत्पन्न की गई तथा 10918 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया।¹

भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास के लिए नियुक्त कार्यवाही दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि जिन खण्डों का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर से कम हो, उनमें प्रति खण्ड विनियोग की मात्रा 30 लाख रुपये होनी चाहिए। 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर वाले खण्डों के लिए 35 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले खण्डों के लिए 40 लाख रु होनी चाहिए। विनियोग के इन मापदण्डों को स्वीकार करने पर आठवीं योजना में (DPAP) पर अधिक धनराशि का प्रावधान करना होगा। व्यय की राशि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए- 30% भूमि-विकास व भू-संरक्षण आदि कार्यों पर, 20% जल-साधनों के विकास पर, 25% वृक्षारोपण व चरागाह विकास पर, तथा 15% अन्य क्रियाओं पर। प्रशासन-लागत 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1 Eighth Five Year plan, 1992-97 March 1993 p 149 (Rajasthan)

राजस्थान सरकार ने सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में भरतपुर, सर्वाई माधोपुर, टोक अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलों में 20 नये खण्डों को सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था क्योंकि इनमें वर्षा का औसत 500 मिलीमीटर से कम पाया जाता है और इनमें सूखा पड़ने की काफी सम्भावना पायी जाती है।

योजना आयोग के पूर्व सदस्य एल सी जैन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति ने अगस्त 1990 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार इस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र शामिल करने के बारे में स्वयं कोई फैसला कर सके।¹

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 8 जिलों में 30 खण्डों में चलाया जा रहा है। इनमें इसके माध्यम से भू संरक्षण नदी संरक्षण, सिंचाई व वृक्षारोपण की दिशा में प्रगति हुई है। इसे आठवें योजना में जारी रखा जायेगा और प्रति खण्ड विनियोग की राशि में वृद्धि की जायेगी ताकि वांछित परिणाम मिल सके।

इस कार्यक्रम पर 1992-93 में लगभग 65 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा भू संरक्षण, अतिरिक्त सिंचाई वृक्षारोपण घराणाह विकास आदि कार्य आगे बढ़ाये गये।

2 मरु-विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme) (DDP) यह केन्द्र चालित स्कीम है और इसका सम्पूर्ण व्यय वर्ष 1985-86 से भारत सरकार वहन करने लगी है। यह 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना व इन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम निम्न 11 जिलों के 85 खण्डों में संचालित किया जा रहा है बोकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चुरू, पाली, गगानगर, जैसलमेर, सीकर तथा झुन्झुनूँ।

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं जो सूखे की गम्भीरता को कम कर सकें जीवन की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढ़ाकर सुधार सके तथा लोगों के जीवन की अन्य दशाओं को उन्नत कर सके।

1 पत्रिका में सप्ताह 8 अगस्त 1991

- (i) कृषि चानिकी (चारा व चराई के साधनों) का विकास,
- (ii) पशु-पालन व भेड़-पालन का विकास,
- (iii) पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था,
- (iv) लघु सिंचाई (भूजल के विकास सहित) तथा,
- (v) ग्रामीण विद्युतीकरण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रगति- सातवीं योजना में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम पर कुल लगभग 147 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि केवल 190 रुपये रही थी जो आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम मानी गयी है। सातवीं योजना में व्यय की वास्तविक राशि प्रस्तावित आवंटन के लगभग समान (1465 करोड़ रुपये) ही रही है। इसके फलस्वरूप भूमि-संरक्षण व नदी-संरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर में किया गया, अतिरिक्त सिंचाई की संभावना 10367 हैक्टेयर में उत्पन्न की गई तथा 68443 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया एवं पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति के लिए 3983 कार्य पूरे किये गये।¹

भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्र विकास कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि मरु क्षेत्र विकास के लिए प्रति वर्ष 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग की राशि 50 लाख रुपये होनी चाहिए। अतः आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में मरु-विकास क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों (fringe areas) के विकास पर भी बल दिया जायेगा। इनमें केवल वृक्षारोपण की क्रिया को ही आगे बढ़ाया जायेगा ताकि मरु-क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने की प्रक्रिया आस-पास के क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर मरु-क्षेत्रों में प्रवेश करे। इसके लिए उदयपुर, अजमेर, जयपुर व सिरौही जिलों की पचासत मण्डलियों के कुछ गावों को शामिल करने का विचार है। मरु क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों के विकास का विचार काफी सही व सार्थक प्रतीत होता है। इससे बाद में स्वयं मरु-क्षेत्रों के विकास में काफी मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम पर 1992-93 में 365 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई एवं भूमि व नदी संरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण व पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा बढ़ाने के कार्य सम्पन्न किये गये। पूर्व दो वर्षों में भी प्रतिवर्ष लगभग 38 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Tribal Area Development Programme) (TADP) 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 54 75 लाख जनजाति के लोग थे जो राज्य की कुल जनसंख्या का 12.4% अंश था। भारत में इनका अनुपात 8% था। राज्य में भील मीना दामोर, गरसिया व सहरिया जनजाति के व्यक्ति बसते हैं।

जनजाति के व्यक्तियों को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

(i) जनजाति उपयोजना (Tribal sub plan) - इसके अन्तर्गत बासवाडा व डूंगरपुर जिले उदयपुर जिले को सात पंचायत समितियाँ चित्तौड़गढ़ को दो पंचायत समितियाँ (प्रतापगढ़ व अरनोद) तथा सिरोंही जिले की एक पंचायत समिति (आबूरोड) शामिल हैं। जनजाति उपयोजना में 66.4% जनजाति के लोग आते हैं। इसमें 4409 गाव व 23 पंचायत समितियाँ आती हैं।

जनजाति उप योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से साधन जुटाये जाते हैं तथा राज्य की योजना से कोष प्रदान किये जाते हैं। इनके अलावा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को राज्य योजना कोषों से धन दिया जाता है।

जनजाति उप योजना 1974-75 से आरम्भ की गयी थी। इसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सिंचाई शक्ति फल विकास बेर बेडिंग डीजल पम्पिंग से सामुदायिक सिंचाई बोज व उर्वरक वितरण फार्म वानिकी (farm forestry) आदि। जनजाति के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इनमें विद्यार्थियों को स्टैण्डपेण्ड भी दिया जाता है।

(ii) 'परिवर्तित क्षेत्र-विकास-दृष्टिकोण (माडा) (Modified Area Development Approach) (MADA) इसमें 13 जिलों के 2939 गावों में 44 समूहों के जनजाति के लोग शामिल हैं। ये जिले इस प्रकार हैं अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोंही, टोंक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। यह कार्यक्रम 1978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमें वैयक्तिक लाभ पहुँचाने वाली स्कीम शामिल की गई थी। माडा में शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम पर चार पाँच करोड़ रु. सालाना व्यय किये गये हैं। आठवीं योजना (1992-97) में इस कार्यक्रम में शिक्षा, लघु सिंचाई कार्यक्रमों, हथकरघा, दूरी बुनाई, बढईगिरी आदि पर बल दिया जायेगा। पहले माडा के अन्तर्गत लोगों की संख्या 10 लाख व्यक्ति आकी गयी थी।

(iii) सहरिया विकास कार्यक्रम- यह 1977-78 से आरम्भ किया गया। इसमें कोटा जिले की शाहवाड़ व किशनगज पंचायत समितियों के 50 हजार लोग शामिल हुए हैं जो 435 गाँवों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना में भी इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि पशु पालन कुटीर उद्योग वानिकी शिक्षा, पोषण पेयजल ग्रामीण आवास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस जनजाति को लाभ पहुँचाया जा सके।

(iv) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम यह 1979 से प्रारम्भ किया गया था। इसका संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribal Area Development Department) (TADD) द्वारा किया जाता है। विभिन्न जिलों में इनकी संख्या 14.3 लाख आकी गई है। इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य आवास होस्टल (विशेषतया लड़कियों के लिए) निःशुल्क पोशाकें पुस्तकें छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य किये जाते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित अन्य गतिविधियाँ-

(अ) एक जनजाति अनुसंधान संस्थान (Tribal Research Institute) (TRI) स्थापित किया गया है जिसमें जन जाति लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किये जाते हैं। यह केन्द्र चालित स्कीम है। इसमें केन्द्र व राज्यों का 50-50 हिस्सा है। इसके माध्यम से सेमिनार, लाइब्रेरी वर्कशाप, लोकसंगीत आदि की क्रियाएँ संचालित की जाती हैं। इसका 1989-90 में पुनर्गठन किया गया था।

(ब) पोषण कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम अगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित किया जाता है जिसमें स्त्रियों व बच्चों के पोषण के सुधार पर ध्यान दिया जाता है। इससे माताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है।

निष्कर्ष जनजाति के लोगों के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। इनका जीवन वनों से जुड़ा होता है। इनके लिए भू जेतों का आकार 2 हेक्टेयर से नीचा होता है। कहीं कहीं यह 1 हेक्टेयर से भी कम होता है। परिवहन की जटिलता सिंचाई व पेयजल की कमी अशिक्षा कुपोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, अधविश्वास, आर्थिक शोषण बेरोजगारी जंगलों से गोद लाने आदि छोटे मोटे पदार्थों पर निर्भरता आदि इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके आर्थिक विकास का काम बहुत दुष्कर है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या जनजाति के लोगों की होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी इनके लिए आरक्षण 12% ही पाया जाता है। राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों में इनके

लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाये ताकि घन-रक्षक, कान्स्टेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के पदों पर इनके लिए आरक्षण बढ़ सके।

कुछ विचारकों का मत है कि जिन खण्डों में 75% जनसंख्या आदिवासियों की पायी जाय, वे जनजाति के विकास खण्ड घोषित कर दिये जायें और वहाँ की भूमि पर आदिवासियों का अधिकार हो जाये और वे उद्योग, व्यापार व सेवा के सारे अवसर प्राप्त करें।

4. अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)¹ केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पाचवों पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ कर दिये गये थे ताकि इन क्षेत्रों में परिवेश-व्यवस्था (Eco system) की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया जा सके। परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध भूमि जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध से होता है और इनका सतुलित विकास जारी रखने से परिवेश-सतुलन (ecological balance) स्थापित होता है और देशवासियों की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केन्द्र ने अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों व नीलगिरी की पहाड़ियों में चलाये हैं। राजस्थान सरकार भारत सरकार को अरावली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कहती रही है। वर्ष 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था ताकि वह पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण कर सके। उस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के आधार सुझाये थे। उनको ध्यान में रखकर ही राजस्थान में अरावली पहाड़ी प्रदेश के कुछ भाग पहाड़ी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए छाने गये हैं।

इसमें 16 जिलों के 120 खण्डों का 41,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतया अरावली का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 29 661 वर्ग किलोमीटर रखा गया है।

अरावली विकास का महत्व- अरावली क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश

1 Eighth Five Year plan 1992-97, Rajasthan, March 1993 pp 160-163.

के सतह जल व भू जल के भण्डारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा में बढ़ने से रोकता है।

पहले अरावली की पहाड़ियों में सघन वन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमें अनेक वन्य पशु पाये जाते थे। लेकिन कालान्तर में वृक्षों के भारी विनाश ने सम्पूर्ण परिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। निम्न कारणों से इस प्रदेश का भारी पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक पतन हुआ है।

- (i) जनसंख्या व पशुओं के बढ़ने के कारण जैविक दबाव (biotic pressure) उत्पन्न हो गये हैं।
- (ii) अघाधुध ढग से वृक्षों की कटाई से काफी क्षति पहुँची है।
- (iii) खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। खनन कार्यों के बाद खाली भूखण्डों की कोई देखरेख नहीं होती है।
- (iv) पर्यावरण का ध्यान रखे बिना कई प्रकार के निर्माण कार्य कर डाले गये हैं तथा
- (v) मरु विस्तार में तेजी आयी है।

इसलिए अरावली पहाड़ी प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जीवन ज़रूरी हो गया है। इससे निम्न लाभ प्राप्त होंगे।

- (i) समस्त अरावली प्रदेश का स्थानीय माधनों के अनुसार विकास कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा।
- (ii) स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार विकास की योजनाएँ बनायी जा सकेंगी।
- (iii) वनों का विकास करके रोजगार के माधन उत्पन्न किये जा सकेंगे।
- (iv) मिट्टी व जल माधनों का संरक्षण किया जा सकेगा।
- (v) ईंधन की लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।
- (vi) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सकेगा।
- (vii) फलोत्पादन बढ़ाया जा सकेगा।
- (viii) चारे की सप्लाई के बढ़ने से व चरागाहों का विकास होने से पशुपालन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- (ix) रेगिस्तान को गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा।
- (x) व्यर्थ पड़ी भूमि (wastelands) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जायेगा जिससे पेड़ पौधे लगाने जल संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश का कायापलट हो सकेगा।
- (xi) लोगों में सामुदायिक विकास की भावना का सजन होगा।

- (xii) इन क्षेत्रों के सामाजिक विकास में मदद मिलेगी और
 (xiii) जनजाति के लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने का अवसर मिलेगा।
 इस प्रकार अरावली विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार कर सकता है। लेकिन इस कार्य का सम्पन्न करना सुगम नहीं है। इसकी सफलता की निम्न शर्तें हैं।

- (अ) व्यापक तकनीकी व वैज्ञानिक नियोजन
 (ब) लोगों की भागीदारी
 (स) वित्तीय साधन तथा भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि
 (द) मगठनात्मक तैयारी
 (च) दीर्घकालीन प्रयास उचित नेतृत्व व सरकारी सहयोग

अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। इस कार्य में भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठिन है। पहले आठवी योजना के लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये व केन्द्र द्वारा 150 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन साधनों के अभाव में 1991-92 के लिए राज्य की योजना में इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख रुपये व्यय का ही प्रावधान किया गया जो अपर्याप्त था। अतः भारी विनियोग की आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनों का सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फण्ड (OECF) की सहायता से चलायी जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना में वर्ष 1992-93 में 10 जिले शामिल किये गये थे। इस अवधि में 14.7 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। 1993-94 में अरावली पहाड़ियों के विकास कार्यों पर 10 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना की कुल लागत 177 करोड़ रुपये आकी गयी है। इसमें सरकार की बजर पट्टी वनों की व्यर्थ भूमि पर पेड़ लगाये जायेंगे सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाये जायेंगे नई नर्सरी की कई इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी फार्म यानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किये जायेंगे और एनोकटो का निर्माण किया जायगा।

क्षेत्रीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम—

- (5) कन्दरा सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme) —

यह कार्यक्रम 1987-88 में लागू किया गया था ताकि कन्दराओ या बीहड़ों का फैलाव आस पास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में न हो सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता वापस प्राप्त की जा सके।

यह कार्यक्रम राज्य के दम्पू सभाव्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जिनमें निम्न 5 जिले आते हैं कोटा, बूंदी सर्वाई माधोपुर, भरतपुर तथा घोलपुर। यह 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है। इसमें वृक्षारोपण व परिधि बांध बनाने (Penpheral bunding) के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

1991-92 में इस कार्यक्रम के लिए 650 करोड़ रुपये के व्यय का आवंटन किया गया था ताकि 250 किलोमीटर में परिधि-बांध तथा 5000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया जा सके। इसे बाद के वर्षों में जारी रखा गया है।

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना (Mewat Regional Development Project) -

यह कार्यक्रम मेवात जाति के लोगों के लिए बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर व भरतपुर जिलों के मेवात क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसमें अलवर जिले की निम्न 7 पंचायत समितियाँ (तिजारा रामगढ़ किशनगढ़ ग्राम लक्ष्मणगढ़ मडावर, उमराइन तथा काधूमर) तथा भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियाँ (कामरौ, नागर व डौंग) शामिल की गई हैं। यह कार्यक्रम अलवर व भरतपुर की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्पेशल स्कीम व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की प्रशासनिक, वित्तीय व मोनिटरिंग व्यवस्था की जाती है।

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किये जाते हैं

- 1 मडक-निर्माण,
- 2 सिंचाई,
- 3 पेयजल,
- 4 अन्य कार्य तथा
- 5 प्रशासन।

1993-94 में इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। यह धनराशि सड़क निर्माण, सिंचाई व पेयजल के कार्यों पर व्यय की जायेगी।

इस प्रकार राजस्थान में कई प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरुक्षेत्रों एवं मेवात क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके। इसमें उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी और लोगों के जीवनस्तर में सुधार आयेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों पर किये गये व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाये और इनको विकास की व्यापक योजनाओं का प्रभावशाली अंग बनाया जाये। हमें यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नियोजित विकास

की मुख्य धारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर गहरा तालमेल हो, तभी इनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो पायेगी।

प्रश्न

- 1 राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास-कार्यक्रम का विवेचन कीजिए। इसको भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है?
- 2 राज्य में मरुक्षेत्र विकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।
- 3 राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। इस सम्बन्ध में जनजाति-उपयोजना की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- 4 'अरावली विकास' का क्या महत्व है? इसके सम्भावित लाभों पर प्रकाश डालिए और यह बतलाइये कि कार्यक्रम के मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
- 5 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 - (i) राजस्थान में सूखा-संभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम
 - (ii) अरावली विकास की परियोजना,
 - (iii) रेगिस्तान के बढ़ते चरणों को रोकने की विधि,
 - (iv) मेवात विकास,
 - (v) कन्दरा-विकास-कार्यक्रम, तथा
 - (vi) राज्य में विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव।
- (vii) मरु क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम (Ajmer II yr 1992)
- 6 राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए ? (Ajmer, I yr 1992)

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97* (Eighth Five Year Plan of Rajasthan, 1992-97)

राजस्थान सरकार के योजना विभाग ने नवम्बर 1991 में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के प्रारूप में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय का 10,451 करोड़ रु प्रस्तावित किया था। लेकिन आवश्यक विचार विमर्श के बाद योजना आयोग ने 11,500 करोड़ रु का सार्वजनिक परिव्यय स्वीकृत किया जो राज्य सरकार के अनुमान से भी 1,049 करोड़ रु अधिक था।

आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक परिव्यय की निर्धारित राशि 11,500 करोड़ रु सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित राशि 3,000 करोड़ रु से 283.33 प्रतिशत अधिक रखी गयी है। यही नहीं बल्कि यह प्रथम योजना से सातवीं योजना तक की अवधि में किये गये कुल सचयों व्यय (7,190 करोड़ रु) से भी अधिक है। हर्ष का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य की विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना का काफी बड़ा आकार स्वीकृत किया।

सातवीं योजना में सार्वजनिक परिव्यय का आकार छोटी योजना के आकार से 48.15 प्रतिशत ऊँचा रखा गया था। इस प्रकार आठवीं योजना का आकार पहले से काफी ऊँचा रखा गया है। सातवीं योजना में राज्य में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 875 रुपये रखा गया था जबकि मध्य प्रदेश का आसत 1162 रुपये रहा था। राज्य सरकार योजना के लिए अतिरिक्त माधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार के इस सम्वन्ध में किये गये प्रयत्नों में सुधार होने तथा राज्य की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 1990-91 की वार्षिक योजना का आकार 956 करोड़ रु तथा 1991-92 का वार्षिक योजना का आकार 1166 करोड़ रु कर दिया था। आठवीं योजना में साधनों की बेहतर स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने इसके लिए अधिक साधनों की व्यवस्था करना भर्जूर कर लिया। राज्य में विदेशी महायता प्राप्त

* Eighth Five Year Plan 1992-97 Govt. of Raj. Planning Department, March 1993 Chaps 3 and 4 pp 34-55

प्रोजेक्टों (चालू व नये) के अन्तर्गत 1663 करोड़ रु की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। सामान्य केन्द्रीय महायत्ना 1593 करोड़ रु से बढ़ाकर 1770 करोड़ रु व बाजार उधार राशि 1142 करोड़ रु से बढ़ाकर 1269 करोड़ रु की गई है। इन परिवर्तनों की वजह से राज्य की आठवीं योजना का आकार ऊँचा रखना सम्भव हो सका है।

योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं

1 आर्थिक विकास के लिए

(अ) ऊर्जा प्रगमण विद्युतीकरण सहित

(आ) परिवहन

(इ) संचार

(ई) कृषि पर निरंतर जोर देना

खाद्यान्नों दालों फलों आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा निर्यात के लायक बचते उत्पन्न करने के लिए

2 मानवीय विकास के लिए

(अ) रोजगार सृजन

(आ) जनसंख्या नियंत्रण

(इ) साक्षरता व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण

(ई) न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल

(उ) प्रत्येक गाँव में पेयजल की व्यवस्था करना

3 कृषिगत विकास के लिए

(अ) सिंचाई स्तर में वर्णश्रित/सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के लिए जलसंग्रह (वाटरशेड) प्रबंध का गहन उपयोग करना

(आ) कृषिगत पदार्थों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना

(इ) कृषि का बागवानी फलवृद्धि व मछली पालन की तरफ विविधीकरण करना ।

इन उद्देश्यों के अलावा योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य के विकास के स्तर, राज्य की अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं व क्षमताओं तथा आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पूरा ध्यान रखा जायगा। चालू कार्यक्रमों/प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता दी जायगी।

राज्य की योजना के 11 500 करोड़ रु के सार्वजनिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें 5607 करोड़ रु पहले से चल रहे कार्यक्रमों के लिए हैं तथा 5893 करोड़ रु नये कार्यक्रमों के लिए हैं। प्रस्तावित परिव्यय में से पूँजीगत अंश 7652 करोड़ रु रखा गया है।

आठवीं योजना में क्षेत्रवार परिव्यय का आवंटन नीचे दिया जाता है।

विकास का शीर्षक/क्षेत्र	(करोड़ रु. में)	कुल का प्रतिशत
1 कृषि व सहायक क्रियाएँ	1286 9	11 2
2 ग्रामीण विकास	1021 8	8 9
3 विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	84 0	0 7
4 सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	1920 0	16 7
5 शक्ति	3255 5	28 3
6 उद्योग व खनन	536 0	4 7
7 परिवहन	784 0	6 8
8 वैज्ञानिक सेवाएँ	20 0	0 2
9 सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	2461 6	21 4
10 आर्थिक सेवाएँ	71 7	0 6
11 सामान्य सेवाएँ	58 6	0 5
कुल (लगभग)	11 500 0	100 0

(तीस जिले तीस काम व मुक्त कोष (unued fund) अब आर्थिक सेवाओं की बजाय ग्रामीण विकास में शामिल किये गये हैं)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आठवीं योजना में सर्वाधिक राशि शक्ति पर व्यय की जायगी जो 28 3% रखी गयी है। द्वितीय स्थान सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रखा गया है जिन पर 21 4% राशि व्यय की जायेगी। सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर 16 7 राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई है। उद्योग व खनन पर 4 7% राशि आवंटित की गई है। हालाँकि प्रतिशत की दृष्टि से तो यह ज्यादा नहीं है लेकिन योजना का कुल आकार बड़ा होने से इनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि 536 करोड़ रु आती है जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को काफी गति मिलेगी। आठवीं योजना में कृषि व ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक व्यय का 20% आवंटित किया गया है।

अनुमान है कि आठवीं योजना में प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 62% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) पर 1438 7 करोड़ रु आवंटित किये गये हैं जो कुल योजना परिव्यय का 12 5% अथवा 1/8 अंश बनता है।

इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रवार परिव्यय का आवंटन पूर्व योजनाओं के अनुरूप है जो राज्य के सतुलित व सुदृढ़ विकास की दृष्टि से युक्तिसंगत माना जा सकता है।

राज्य की आठवीं योजना में निम्न बातों पर अधिक बल दिया गया है

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है।

(ii) आधारभूत प्रतिबंधों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है जैसे पेयजल, मूलभूत चिकित्सा व दवा की व्यवस्था करना तथा जनसख्या नीति आदि।

(iii) पहले से चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है तथा नई परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित विभाग की जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था की गई है।

(iv) आवश्यकतानुसार केन्द्र चालित स्कीमों के लिए राज्य के पूरे अंश का प्रावधान किया गया है।

(v) पमुख फसलों की प्रति हेक्टर उपज बढ़ाने के लिए इन्पुटों की समुचित सप्लाई व मिट्टी तथा नमी संरक्षण आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा।

(vi) पहले से उत्पन्न सिंचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जायगा ताकि इनमें किये गये पूर्व विनियोगों के लाभ समाज को पर्याप्त रूप से मिल सके।

(vii) आर्थिक व सामाजिक दृष्टि के पिछड़े वर्गों के बच्चों तथा लड़कियों को जो शिक्षा के दायरे में नहीं लाये जा सके हैं उनको इसके दायरे में लाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे।

(viii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक कार्यक्रम, लोगों की भागीदारी व गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को बढ़ावा देकर साक्षरता में सुधार करने की नीति अपनायी जायेगी।

(ix) 2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य'

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य देख भाल व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायगा, तथा इसका विस्तार किया जायगा ताकि जनता के लिए इलाज व चिकित्सा आदि की लागत को व्यवस्था की जा सके।

नये कार्यक्रम

आठवीं योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण व नये कार्यक्रम इस प्रकार रखे गये हैं

(i) समन्वित जलग्रह (वाटरशेड) विकास प्रोजेक्ट व समन्वित नदी बेमिन विकास प्रोजेक्ट

- (ii) व्यापक कृषि विकास प्रोजेक्ट (विश्व बैंक की सहायता से)
- (iii) पशुधन की नस्ल में सुधार
- (iv) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण II में वृक्षारोपण
- (v) अरावली पहाड़ियों में वृक्षारोपण
- (vi) सामाजिक वानिकी चरण II
- (vii) अरावली पहाड़ियों का पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास करना

(viii) नर्मदा गागरिन मनोहरथाना पिपलदा लिफ्ट, धोलपुर लिफ्ट वृहद् प्रोजेक्टों का कार्य हाथ में लेना

(ix) सूरतगढ़ धर्मल विद्युत प्रोजेक्ट, रामगढ़ गैस धर्मल विद्युत स्टेशन के प्रस्ताव तथा कोटा धर्मल चरण III रामगढ़ (तीन मेगावाट) व कुछ मिनो जल विद्युत स्कीमों को पूरा किया जायगा

(x) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व चम्बल केकनाड क्षेत्र विकास प्रोजेक्टों पर काम की गति तेज की जायगी

(xi) झामरकोटडा रौक फास्फेट बेनिफिसियेशन सयत्र चालू किया जायेगा

(xii) 3000 प्राइमरी व 1000 अपर प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे

(xiii) 250 अपर प्राइमरी स्कूलों को सैकण्डरी स्तर में तथा 200 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जायगा

(xiv) 5 कालेज खोले जायेंगे

(xv) तकनीकी शिक्षा का गुणात्मक विकास तथा 3 पोलोटेक्नीक्स खोले जायेंगे

(xvi) एक नया इन्जीनियरी कालेज खोला जायगा

(xvii) अपना गांव अपना काम तथा 'तीस जिले तीस काम' पर बल दिया जायगा

(xviii) जिले नियोजन में मुक्त कोष (Untied Fund) के अन्तर्गत परिव्यय की राशि बढ़ायी जायगी

(xix) पर्यटन पर परिव्यय बढ़ाया जायगा क्योंकि राज्य में इसके विकास का भार सम्भावनाएँ हैं।

(xx) पेयजल कार्यक्रमों के अन्तर्गत शेष गांवों को लाया जायगा। उदयपुर शहर के लिए पेयजल हेतु मासी घाकल तथा जयपुर शहर के लिए बाड़ी बेस्तीन व बीसलपुर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायगा।

(xxi) आठवां योजना (1992-97) में श्रम शक्ति के 26.3 लाख व्यक्तियों के बढ़ने तथा योजना के शुरू में 2.04 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार पाये जाने का

अनुमान है। अनुमान है कि 22 लाख व्यक्ति अल्परोजगार की समस्या से प्रभावित हैं। आठवीं योजना (1992-97) की अवधि में 31.4 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा।

आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों 1992-93 व 1993-94 की वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का आवंटन-

आठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1992-93 के लिए सार्वजनिक परिव्यय का आकार 1400 करोड़ रु रखा गया था जो पिछले वर्ष से लगभग 20% ऊँचा था। सम्भावित व्यय लगभग 1401.6 करोड़ रु रहा है।

इसके द्वितीय वर्ष 1993-94 के लिए योजना का आकार 1700 करोड़ रु रखा गया है जो पिछले वर्ष से 21.4% अधिक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को निकालने पर सार्वजनिक परिव्यय की वास्तविक वृद्धि इससे कम होगी।

1992-93 व 1993-94 की वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रवार आवंटन

(प्रतिशत में)

विकास का क्षेत्र	1992-93	1993-94 (प्रस्तावित)
1 कृषि व सहायक क्रियाएँ	12.2	10.7
2 ग्रामीण विकास (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम सहित)	8.0	7.5
3 मिर्चाई व बाढ़ नियंत्रण	18.0	17.7
4 शक्ति	26.8	27.5
5 उद्योग व खनन	5.0	4.9
6 परिवहन	4.9	5.5
7 सामाजिक सेवाएँ व सामुदायिक सेवाएँ	23.3	24.4
8 आर्थिक सेवाएँ	0.7	0.7
9 वैज्ञानिक सेवाएँ, अनुसंधान सामान्य सेवाएँ तथा विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	1.1	1.1
कुल	100.0	100.0
सार्वजनिक परिव्यय की राशि (करोड़ रु में)	1401.6	1700.0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1992-93 व 1993-94 की वार्षिक योजनाओं में शक्ति पर लगभग 27% व सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर 23.24% परिव्यय है जो आठवीं योजना के प्रारूप के अनुकूल है। राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सदैव प्राथमिकता एक तरफ शक्ति (Power) को दी गयी है

और दूसरी तरफ सामाजिक सेवाओं (Social Services) शिक्षा, चिकित्सा आदि को, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भी जारी रखी गयी है।

सारांश- आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि 11,500 करोड़ रु निर्धारित की गई है जो पहले से काफी अधिक है यही नहीं बल्कि यह राज्य द्वारा योजना-आयोग के समक्ष पेश की गई योजना की राशि में भी अधिक है। अतः राज्य के समक्ष विकास की गति को तेज करने का सुअवसर आया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग करके राज्य निम्न क्षेत्रों में अपने अभावों को दूर करने का प्रयास करे।

(i) जनसंख्या की वृद्धि-दर कम की जाय इसके लिए राज्य के अधिकांश जिलों में जन्म दर को 39 प्रति हजार से नीचे लाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

(ii) साक्षरता की दर बढ़ाई जानी चाहिए, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-वर्ग में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों में इसकी वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

(iii) राज्य में सूखों खेतों की विधियों का प्रसार किया जाना चाहिए

(iv) पशुधन में अधिक आय व रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए

(v) राज्य की खनिज-सम्पदा का उचित विदोहन किया जाना चाहिए

(vi) अकाल व सूखे की दशाओं पर नियन्त्रण करने के लिए स्थायी समाधान की दिशाओं में बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, तथा

(vii) राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करके रोजगार-सबर्द्धन व निर्धनता-निवारण के प्रयास किये जाने चाहिए।

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) व वार्षिक योजना 1993-94 में विकास व उत्पन्न के प्रमुख लक्ष्य

राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) योजना आयोग द्वारा सुझाये गये प्रेमवर्क के अन्तर्गत तैयार की गयी है। इसमें राज्य के विकास के स्तर, विकास की भावी सम्भावनाओं, विकास की क्षमता व विकास की बाधाओं को मद्देनजर रखा गया है। निम्न तालिका में 1991-92 की उपलब्धियों के सन्दर्भ में आठवीं योजना, 1992-97 तथा वर्ष 1993-94 के लिए विकास व उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य दर्शाये गये हैं¹

शीर्षक	1991 92 (उपलब्धि)	आठवीं योजना (1992-97) के लक्ष्य (1996 97 के लिए)	1993 94 के लक्ष्य
1 खाद्यान्नों का उत्पादन (लाख टन में)	79 3	116	106 5
2 तिलहनों का उत्पादन (लाख टन में)	27	39 9	29 4
3 कपास (लाख गांठे)	8 45	13	10 35
4 गन्ना (लाख टन)	13 6	11 25	11 25
5 अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम (लाख हेक्टेयर)	28 0	36 4	34 3
6 कुल उर्वरक उपभोग (लाख टन)	4 4	6 25	4 48

इस प्रकार 1996 97 में खाद्यान्न तिलहन कपास आदि फसलों का उत्पादन 1991 92 के आधार वर्ष की तुलना में बढ़ाने के लक्ष्य रखे गये हैं। लेकिन गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 1996 97 के लिए 11 25 लाख टन रखा गया है जो 1993 94 के लक्ष्य के समान है तथा 1991 92 की वास्तविक उपलब्धि से भी कम है क्योंकि इसके उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते हैं।

राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है तथा उर्वरक सिंचाई आदि का भी विस्तार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद कृषिगत उत्पादन मानसून व वर्षा की स्थिति पर अधिक निर्भर करता है। आशा है निकट भविष्य में जनता द्वारा चुनी हुई नई सरकार के सत्तारूढ़ होने जिला नियोजन के लागू होने पचायती व्यवस्था के सक्रिय होने व अधिक जन सहयोग तथा अधिक कुराल प्रशासन की सहायता से राज्य के आर्थिक विकास की गति अधिक तेज हो सकेगी। केन्द्र को राज्य के नियोजित विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और राज्य सरकार को अकालों पर काबू पाने व सामान्य आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के बीच अधिक समन्वय व तालमेल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वर्ष 2000 तक राज्य की आर्थिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

प्रश्न

- 1 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 में सार्वजनिक परिव्यय के आवटन का विवरण दिजिये । इसमें किन बातों पर विशेष बल दिया गया है?
- 2 'राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय की राशि में काफी वृद्धि की गई है'। क्या इससे विकास की दर को पहले की अपेक्षा अधिक ऊँचा कर सकना सम्भव होगा ? विवेचना कीजिए ।
- 3 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय के आवटन की तुलना सातवीं पंचवर्षीय योजना के आवटन से कीजिए । इनमें समानताओं व विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए ।
- 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए -
(i) राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की विशेषताएँ।
- 5 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 पर एक लेख लिखिए।

पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ (Environmental Pollution and the Problems of Sustainable Development)

‘निर्धनता प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है’

(Poverty is the greatest Pollutor)

पिछले वर्षों में पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया जाने लगा है। इन दोनों को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है। पर्यावरण में मुख्यतया जल, पेड़-पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वायु, भूमि आदि शामिल किये जाते हैं। विकास का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि से होता है। अतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो तथा इसमें निरंतर अभिवृद्धि हो। यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर विकास किया गया तो वह स्थायी व सुदृढ़ नहीं होगा बल्कि आगे चलकर समाज के लिए घातक व विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए विकास के दौरान जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी के कटाव, मिट्टी की बढ़ती लवणता व क्षारीयता, मरुस्थलीकरण (desertification), वृक्षों की अघातुघ कटाई (deforestation), ध्वनि प्रदूषण आदि से बचने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ी दोनों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले कुप्रभावों से बचा जा सके।

सुस्थिर विकास क्या है ? (What is Sustainable Development)

पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा में पिछले वर्षों में सुस्थिर या सुदृढ़ या टिकाऊ विकास (sustainable development) की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसका अर्थ तो सरल है लेकिन इसे ध्यान करना कठिन है। वह विकास जो आगे जारी रह सके वह सुस्थिर या टिकाऊ विकास कहलाता

है १¹ इसके लिए विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जैसे सतुलित या सम्यक विकास (balanced development) समताकारी विकास (equitable development) आदि। लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा आज के विकास के लिए आज के फल चटते समय यह ध्यान रखा जाय कि भावी पीढ़ियों पर्यावरण को गिरावट या पतन से हानि न उठाए। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट (Our Common Future 1987) में सुस्थिर व सुदृढ़ विकास का सामान्य सिद्धान्त यह बतलाया था कि 'वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि उससे भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर विपरीत असर न पड़े। (Current generations should meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs) अतः विकास में स्थिरता दृढ़ता समता व सतुलन तभी आते हैं जब वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साधनों का विदोहन संरक्षण व विकास किया जाता है। विश्व में लोगों की विशेषतया निर्धन लोगों की आवश्यकताएँ कई प्रकार की होती हैं लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण की क्षमता तथा टेक्नोलॉजी की क्षमता सीमित होती हैं। इसलिये पर्यावरण व उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सामाजिक ध्यान में रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व सम्यक विकास कहा जाता है। इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता का विकास करना होगा तो दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक साधनों के साथ सतुलन में रखना होगा। अतः सुस्थिर विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें साधनों के उपयोग, विनियोग की दशा टेक्नोलॉजिकल प्रगति का रुख व सस्थागत परिवर्तन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य अथवा आज और कल के लिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अतः सुस्थिर विकास की अवधारणा में प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी के हितों की उपेक्षा न हो आर मानवीय कल्याण को अधिकतम किया जा सके।

1 Sustainable development is development that last & World Development Report 1992 p 34

2 Sustainable development is best understood as a process of change in which the use of resources the direction of investments the orientation of technological developments and institutional changes all combine to meet human needs both today and tomorrow — The Report of the World Commission on Environment and Development Sustainable Development A Guide to our Common Future 1987 p 3

पर्यावरण -प्रदूषण के विभिन्न रूप, कारण व उनके दुष्परिणाम •

पर्यावरण-प्रदूषण के कई रूप होते हैं जैसे जल-प्रदूषण व जल का अभाव, वायु-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्वरता का हास, वृक्षों की कटाई, जैविक विविधता (biodiversity) (माना प्रकार के जीव-जन्तु व पेड़-पौधों) का उत्तरोत्तर हास तथा वायुमंडल के परिवर्तन जैसे ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से, ग्रीन हाउस-उष्णीकरण या गरमाहट या तपन का बढ़ना तथा ओजोन परत का क्षय होना (Ozone depletion), आदि। इनमें से कुछ प्रदूषण अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरों के अलावा अन्य छोटे स्तरों जैसे जिला व ग्राम-स्तरों तक चल रहे हैं। लेकिन ग्रीनहाउस-उष्णीकरण (greenhouse warming) व ओजोन-क्षय (Ozone depletion) का विवरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता है, जबकि जल-प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीयकरण, वृक्षों की कटाई तथा जैविक-विविधता का निरंतर हास विभिन्न देशों व राज्यों में पर्यावरण के विनाश को इंगित करते हैं।

हम नीचे पर्यावरण-कुप्रवन्ध से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का विवेचन करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में (in global perspective)

(1) ग्रीन हाउस ऊष्णीकरण (Greenhouse warming)-

वातावरण में गैसों के सकेन्द्रण व सघनन के बढ़ने से ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण (Warming) बढ़ रहा है। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) (GHGs) बढ़ रही हैं। इनमें से प्रमुख गैस -- कार्बन डाईऑक्साइड पिछले तीस वर्षों में 12% से अधिक बढ़ गई है। यह सब मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। भविष्य में ग्रीनहाउस की गरमी के बढ़ने की प्रक्रिया पर आर्थिक विकास की गति, उत्पादन की ऊर्जा-गहनता, वातावरण, समुद्र, आदि की रसायन-क्रिया वगैरह का प्रभाव पड़ेगा। मिथेन गैस के स्रोत धान के खेत व पशुधन तथा प्राकृतिक नम प्रदेश होते हैं। नाइट्रस आक्साइड गैस विशेषतया समुद्र व मिट्टी से उत्पन्न होती है। कार्बन डाईऑक्साइड लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, आदि ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है।

वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाईऑक्साइड के दुगना होने से तापक्रम 1.2⁰ सेल्सियस बढ़ता है। जल की भाष (Water Vapor) व समुद्र का भी ऊष्णीकरण पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण से जलवायु में परिवर्तन आता है। इसमें तूफानों की सम्भावना व भीषणता पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार ग्रीनहाउस-ऊष्णीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है।

भारत में ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव

भारत में कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से मिथैन गैस का भी योगदान उल्लेखनीय है। यह सिंचित चावल की खेती व पशु पालन से उत्पन्न होती है। कृषि से उत्पन्न होने के कारण इसको कम करने की तकनीकी सम्भावनाएँ कार्बन डाई-आक्साइड को नियंत्रित करने की तुलना में कम पायी जाती हैं। कृषिगत उत्पादन को बनाये रखते हुए मिथैन गैस को सीमित कर सकना काफी कठिन होता है। अतः इससे होने वाली पर्यावरण की क्षति को कम करना मुगम नहीं होता।

(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (Ozone depletion) -

वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत होती है जो घातक अल्ट्रावायलेट रेडियम विकिरण को रोकती है। 1985 में एन्टार्टिका (Antarctica) पर ओजोन में कमी देखी गयी थी। वायुमण्डल में क्लोरीन का जमाव बढ़ने से ओजोन में कमी आती है। क्लोरीन CFC₅ (क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स) से उत्पन्न होती है। अनुमान है कि ओजोन परत का घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम पलट सकता है। ओजोन परत के क्षय से लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इससे सामुद्रिक प्रणाली का उत्पादकता घटती है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडियेशन जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। एन्टार्टिका में ओजोन के हास की घटना के दौरान अल्ट्रावायलेट (uv) से जैविक क्षति बढ़ी है। uv की वृद्धि के प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रगट होंगे।

ओजोन में 10 प्रतिशत की कमी से चर्म कैंसर (Skin Cancers) में वृद्धि होगी जिसका प्रभाव प्रति वर्ष 3 लाख व्यक्तियों पर पड़ सकता है। इसके असर से प्रति वर्ष 17 लाख व्यक्ति अँधेरे में कोटैरेक्ट की बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। uv रेडियेशन के बढ़ने से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय है। इससे पौधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व परिवेश व्यवस्था पर इसके प्रभावों के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी नही हो पायी है।

इस प्रकार ग्रीनहाउस ऊष्मीकरण (Greenhouse warming) व ओजोन के क्षयोकरण व हास (Ozone depletion) ने स्वास्थ्य के लिए नये खतरे उत्पन्न कर दिये हैं विशेषतया विकासरात देशों में पर्यावरण को जो क्षति पहुँचाने लगी है वह वास्तव में एक चिन्ता का विषय है।

(3) जैविक विविधता का हास (Loss of Biodiversity) -

नाम प्रकार के पेड़ पौधों पशु पक्षियों तथा जीव जन्तुओं से भरी परिवेश व्यवस्था का कालान्तर में हास होता गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश में ही कायम रहते हैं और फलते फूलते हैं। वहाँ से इनको हटाने का प्रयास करने

से ये बड़े पैमाने पर नष्ट होने लगते हैं और अंत में अनंत में विलीन हो जाते हैं। अब यह समझ में आने लगा है कि इनमें से कुछ प्रमुख किस्मों या नस्लों (पशु पक्षियों या पौधों की) के नष्ट हो जाने से अन्य नस्लों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रमुख किस्मों का परिवेश प्रणाली पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए चमगादड़ (bat) जैसे छोटे से पक्षी को ही लीजिए। 1970 के दशक में मलेशिया में एक लोकप्रिय फल डूरियन (durian) की पैदावार अचानक घटने लगी थी जिससे 10 करोड़ डालर सालाना वाले इस उद्योग को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। इस फल के पेड़ बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दीखने में स्वस्थ थे लेकिन इनमें अचानक कम फल लगने लगे। इसका रहस्य उस समय खुला जब यह पता चला कि इस पेड़ के फूल को जो चमगादड़ की एक किस्म द्वारा पराग दिया जाता था (pollinated) (जिससे फल लगने में मदद मिलती थी) उनकी संख्या काफी घट गई थी। चमगादड़ों की संख्या दो कारणों से घट गई (i) ये स्वयं अपना भोजन मैङ्ग्रोव (mangrove) दलदली भूमि में पेड़ों से लेती थीं जिनमें थ्रिप्स (समुद्री केकड़ा) का विकास करने से उसका मिलना कम हो गया एवं (ii) एक स्थानीय सीमेट की फैक्ट्री के कारण लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गईं जहाँ चमगादड़ विश्राम किया करते थे। बाद में संरक्षण के प्रयासों के अन्तर्गत लाइमस्टोन की पहाड़ी व गुफाएँ बचाने के कारण सीमेट की फैक्ट्री बंद कर दी गई। तत्पश्चात् डूरियन फल उद्योग व चमगादड़ दोनों को पुनर्जीवन मिल गया और दोनों पनपने लगे। इससे सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत में एक छोटा-सा पक्षी (चमगादड़) और वह भी अघा कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट होने से करोड़ों डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे में पड़ सकता है।

इसी प्रकार कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हाथियों के खत्म हो जाने से तीन किस्मों के हिरण भी नष्ट हो गये, क्योंकि हाथी अपने पैरों में नये पेड़ पौधों को कुचल कर उन्हें छोटे छोटे घास में बदल देते थे जिनमें हिरण पनप सकते थे। लेकिन हाथियों के नहीं रहने से पेड़ पौधे बढ़े बड़े व सघन होने लग गये जिनमें हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गया।¹ इस प्रकार यह माना गया है कि जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। पेड़-पौधों व पशु पक्षियों को अपने नैसर्गिक निवासों में रहने व पनपने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे हमें भोजन रेशी दवा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक इन्पुट मिलेंगे। इससे इन्सान को पर्यावरण के भावी दबावों को झेलने की शक्ति

1. चमगादड़ व हाथियों के इस दुष्टान्त के लिए देखिए- World Development Report, 1992, पृ 59 कॉलम 2 3 प्रमुख नस्ले बड़ी व छोटी। कहते हैं कि चीन में रिडियाओं को नष्ट करने से वे जीव तेजी से बढ़ गये जिनको चिड़िया खा जाती थी। इससे उन जीवों के बढ़ने से देश को काफी हानि होने लगी जिसमें पुन रिडियाओं को बसाना या पनपाना पड़ा।

भी मिलती है। यह हमारा पुनीत कर्तव्य भी है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला है, उसे हम भावी पीढ़ी को विरासत में सोपे। हमें जैविक विविधता को नष्ट होने से बचना चाहिए क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या नस्ल (पौधे व पशु पक्षी की) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणीय सतुलन मूलतया परिवर्तित हो जाता है। ऊष्ण प्रदेश के जंगलो में जैविक विविधता का विनाश अभूतपूर्व गति में हुआ है। हालाँकि बड़े बड़े भू-क्षेत्र संरक्षण के लिए सुनिश्चित किये गये हैं, फिर भी अपर्याप्त प्रबन्ध व कानूनों को अवहेलना होते रहने से इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी है।

(4) जल-प्रदूषण (Water pollution) -

आज विश्व में जल प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई है। आज बहुत से लोग नदियों व तालाबों का अशुद्ध पानी पीने को बाध्य हैं। नदियों का जल इसमें मल-मूत्र के मिश्रण से निरंतर अधिक दूषित होता जा रहा है। जब नदियाँ बड़े नगरों व औद्योगिक केन्द्रों के पास से गुजरती हैं तो उनमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। कारखानों से निकले रासायनिक तत्वों के मिल जाने से तथा पानी में सोसे, पारे व कैंडमियम के घुल जाने से इन प्रदूषित तत्वों को निकालना कठिन हो जाता है। सतह के जल के दूषित हो जाने से भू-जल भी दूषित होता जाता है। भू-जल में भी भारी धातु, मिश्रित रसायन व अन्य खतरनाक पदार्थ घुल-मिल जाते हैं। भू-जल के भण्डारों में नदियों की भाँति स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता नहीं पायी जाती। इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने पर उनको शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है। सेप्टिक टैंक प्रणाली की जगह पाइप द्वारा गंदे पानी की प्रणाली लागू करने से भू-जल प्रदूषण का खतरा काफी कम हो जाता है। विकासशील देशों में ग्रामीण निर्धन लोग नदियों, झीलें व असुरक्षित छिछले कुओं का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं।

जल-प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भी एक गम्भीर समस्या है। पानी मनुष्यों व पशुओं के लिए पीने के लिए आवश्यक है। कृषि में सिंचाई के लिए, भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगीचों में पानी देने के लिए तथा उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिए प्रायः जल की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाती। राजस्थान के कुछ शुष्क भागों में स्त्रियों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी लाने के लिए प्रतिदिन मोलों चलना पड़ता है। इससे जीवन की कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है। लगातार सूखा व अनाल पड़ने से भूजल का स्तर लगातार नीचा चलता जा रहा है। कुछ जगहों पर भूजल छरा निकलता है जो पीने के लायक नहीं होता।

प्रदूषित जल पीने व उससे नहाने में टायफाइड, हैजा, दस्त, राउन्ड वर्म, नारू (guinea worm), सिस्टोसोमाइसिस (सिस्टोसोम कीड़े से उत्पन्न) आदि रोग हो जाया करते हैं। साथ में सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था (inadequate

sanitation) होने से ये बीमारियाँ और उग्र रूप धारण कर सकती हैं। शहरो व गाँवों में कूड़े के ढेर जमा होने व उनकी सफाई न होने से वे सड़ने लगते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियों के उत्पन्न होने का भय हो जाता है। पेयजल में सुधार व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था से अनेक व्यक्तियों को उपर्युक्त बीमारियों का शिकार होने से बचाया जा सकता है।

जल प्रदूषण से मछली उद्योग को भी क्षति पहुँचती है। गंदे पानी व रासायनिक पदार्थों के घोल से मछली भी दूषित हो जाती है और वह मानवीय उपभोग के लायक नहीं रहती। सामुद्रिक खाद्य पदार्थ (sea food) भी गंदे पानी से प्रदूषित हो जाने से हेपाटाइटिस जैसी बीमारी या हैजे को उत्पन्न कर देते हैं।

भारत सरकार ने छ बड़ी नदियों को प्रदूषित माना है। इनके नाम इस प्रकार हैं साबरमती सुबरनरेखा, गोदावरी, कृष्णा, सिंध तथा गंगा व इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि)। इनमें घरेलू गदा पानी व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ भारी मात्रा में मिल जाते हैं।¹ विश्व विकास रिपोर्ट 1992 में कावेरी गोदावरी साबरमती सुबरनरेखा (जमशेदपुर व राची क्षेत्रों के लिए) तथा ताप्ती (बुरहानपुर व नैपानगर क्षेत्रों के लिए) नदियों के प्रदूषण की मात्रा के अनुमान दिये हैं जिससे पता चलता है कि इनमें घुले हुए आक्सीजन (dissolved oxygen) व मल मूत्र प्रदूषण (fecal coliform) के अंश किम सीमा तक पाये जाते हैं। उन आँकड़ों के अध्ययन से पता लगता है कि 1983-86 की अवधि में सुबरनरेखा नदी में जमशेदपुर व राची क्षेत्रों में मल मूत्र के कारण प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक हो गई थी। लेकिन 1987-90 की अवधि में यह कम हुई है हालाँकि अब भी यह काफी ऊँची बनी हुई है।

(5) वायु प्रदूषण (air pollution) -

भारत में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी व गोबर जलाने से जो धुआँ होता है उससे घर के अंदर वायु प्रदूषण हो जाता है। घर के बाहर वायु प्रदूषण ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का धुआँ निकलने व औद्योगिक उत्पादन के कारण फैलता है। 1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में विश्व के प्रमुख नगरों जैसे बैकाक बीजिंग, कलकत्ता, नई दिल्ली व तेहरान में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) के निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया है। इससे निमोनिया व हृदय रोग तथा श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ बढ़ी हैं। कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से पुरानी ब्रोन्काइटिस व इम्फीसीमा बीमारियाँ बढ़ी

1 Neena Vyas Pollution Challenge and Response an article in Survey of the Environment 1992 (The Hindu) p 173

है जिनका असर श्वास नली के निचले भाग पर होने से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और अंत में हृदय गति रुक सकती है। भारत व नेपाल में अध्ययनों से पता चला है कि बायोमास के धुआँ (लकड़ी गोबर आदि जलाने से उत्पन्न धुआँ) से श्वास नली की बीमारी बढ़ी है। गाड़ियों से धुआँ निकलने से वायु प्रदूषण बढ़ा है। बच्चों में बुद्धि-भागफल (IQ) सात वर्ष का आयु तक च. ५ अधिक बिन्दु गिरा है (बैंकाक के अध्ययन के अनुसार) तथा हाइपरटेन्शन से होने वाली मांते बढ़ती जा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण बढ़ रहा है।

(6) मिट्टी का कटाव व मिट्टियों को होने वाली अन्य प्रकार की क्षति- मिट्टी को तीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानीकरण (desertification), मिट्टी का कटाव (erosion) तथा क्षारायकरण (salinization) अथवा पानी का जमाव या दलदल होने से क्षति (Waterlogging)। मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढ़कर चरागाहों व कृषिगत भूमि को ढक लेती है। मिट्टी का कटाव हवा व पानी से होता रहता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत आगे चली जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घट जाती है।

ऊष्ण प्रदेशों वाले विकासशील देशों में इस प्रकार का कटाव काफी क्षति पहुँचाता है। मिट्टी के कटाव से बाधों, सिंचाई-प्रणालियों व नदी-परिवहन-व्यवस्था में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और मछली पालन को क्षति पहुँचती है। जैसे मिट्टी के कटाव से कभी-कभी दूसरी जगह उपजाऊपन बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ से मिट्टी की ऊपरी परत आगे चली जाती है उम जगह तो हानि ही होती है। इसलिए इसका वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल होता है। उदाहरण के लिए, नेपाल को इससे सतोष नहीं होगा कि इसकी मिट्टी के बह कर चले जाने से बगला देश की कृषिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है।

अतः भू-सुरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गये हैं। इसके लिए परिधि-खेती (contour cultivation) (पहाड़ी क्षेत्रों में) कृषि-वानिकी, खाद देना, आदि लाभकारी होते हैं। क्षारीयकरण व पानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रों को काफी हानि हो रही है। यह चीन मिश्र भारत मैक्सिको, पाकिस्तान, आदि में विशेष रूप से देणों को मिलती है। विश्व में कृषिगत भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग लवण को समस्या से ग्रस्त पाया जाता है। सिंचाई की खराब व्यवस्था के कारण सेम व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हुई है। नये भू-क्षेत्रों में यह समस्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार मिट्टी की मरुस्थलीकरण कटाव व लवणता के कारण हास का शिकार होना पडा है।

(7) वनों का वृक्षों की कटाई के कारण तीव्रगति से विनाश (deforestation)

वृक्षों की अनियन्त्रित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है। इस सम्बन्ध में ऊष्ण प्रदेशों में नम जंगलों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। वन सूखे प्रदेशों व शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाये जाते हैं। वनों के कई प्रकार के सामाजिक

व पर्यावरणाय कार्य होते हैं। वे जलवायु, जल पूर्ति मिट्टी आदि को प्रभावित करते हैं। ऊष्ण प्रदेशों के नम जंगलों में वृक्षों की अव्यवस्थित कटाई से होने वाली क्षति को पुनः वृक्षारोपण से पूरा कर सकना कठिन होता है।

इनमें जैविक विविधता भी अधिक पायी जाती है। हालाँकि ये पृथ्वी के 7% भाग में पाये जाते हैं लेकिन पेड़-पौधों व जीव जन्तुओं की आधी नस्लें इनमें मिलती हैं। जंगलों को कृषि निर्माण सामग्री व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। विकासशील देशों में जलाने की लकड़ी के लिए ज्यादातर वनों का विनाश हुआ है। ऊष्ण प्रदेशों के नम वनों (tropical wet forests) को इमारती लकड़ी के लिए उजाड़ दिया गया है। खनन तेल की खोज सड़क व रेलों के निर्माण बीमारीयों पर नियंत्रण की आवश्यकता आदि के कारण वन क्षेत्रों में लोग प्रविष्ट हुए हैं जिससे वनों को हानि हुई है। अतः भविष्य में वनों का संरक्षण व विकास पर ध्यान देना होगा। चेकोस्लोवाकिया कागो कोलम्बिया दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर, ब्राजील आदि में वनों का विनाश किया गया है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की सुरक्षा व इसके समुचित प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान न देने से विश्व में जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मिट्टी व वनों के विनाश तथा हास जैविक विविधता के अन्तर्गत नाना प्रकार के पशु पक्षियों जीव जन्तुओं व पेड़ पौधों का विलुप्त होना ग्रीनहाउस उष्णोष्णकरण व ओजोन की परत के हास आदि के रूप में पर्यावरण पतन की प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है।

पर्यावरण में गिरावट के कारण-

पर्यावरण की चर्चा में सर्वप्रथम प्रश्न इसके कारणों को लेकर किया जाता है। सभी इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि जनसंख्या की वृद्धि व निर्धनता पर्यावरण असंतुलन के मुख्य कारण हैं।

(1) जनसंख्या, निर्धनता व पर्यावरण वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 53 अरब है और इसमें प्रतिवर्ष 93 करोड़ की रफ्तार से वृद्धि हो रही है तथा एक पीढ़ी में 1990 से 2030 तक 37 अरब की वृद्धि की सम्भावना है। इस प्रकार जनसंख्या के बढ़ने से भोजन ईंधन पशुओं के लिए चारे व लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकताएँ बढ़ती हैं जिसमें उचित व्यवस्था के अभाव में वृक्षों की कटाई मिट्टी के हास जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की समस्याएँ उग्र होती जाती हैं।

(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं

विश्व के 25% लोग विश्व की 75% पर्यावरण समस्या के लिए उत्तरदायी माने गये हैं। अमेरिका में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत होती है। वहाँ प्रति व्यक्ति वायुमण्डल में कार्बन की छोड़ी जाने वाली मात्रा 5 टन मानी जाती है जबकि

भारत में यह 0.4 टन है क्योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पायी जाती है। एक अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को 12 गुना प्रदूषित करता है। अमरीका का रिकार्ड CFC (क्लोरोफ्लोरो कार्बन) की खपत में भी ऊँचा है। यहाँ 350 अरब मीट्रिक टन सी एफ सी पर्यावरण में छोड़ी जाती है जबकि जापान में 100 अरब मीट्रिक टन तथा भारत में 0.7 अरब मीट्रिक टन छोड़ी जाती है।

(3) विकासशील देशों में औद्योगीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण में वृद्धि

चीन व भारत जैसे देशों में औद्योगीकरण की प्रगति से तथा जनसंख्या की वृद्धि से प्रदूषण का विस्तार हो रहा है और आगामी 30-40 वर्षों में कार्बन की निकासी दर में वर्तमान के 20 अरब टन के स्तर से बढ़कर भविष्य में 50 अरब टन तक जा सकती है।

(4) पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के प्रयासों में कमी

विकसित तथा विकासशील देशों में टेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल न होने से भी पर्यावरण को हानि बढ़ी है। प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते समय इनके संरक्षण व सर्वर्दन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, खनन क्षेत्रों में से खनिज पदार्थ निकाल कर उनको अनदेखा छोड़ देने से वे भू क्षेत्र खाली व वीरान पड़े रह जाते हैं जिससे वे पर्यावरण के ह्रास में योगदान देने लग जाते हैं। वृक्षों की कटाई के साथ-साथ नये वृक्ष लगाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। झूम खेती (shifting cultivation) की पद्धति में जंगलों को साफ करके खेती कुछ वर्षों के लिए की जाती है फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है अथवा लेना चाहता है उतना वह प्रकृति को देता नहीं अथवा दे नहीं पाता अथवा देना नहीं चाहता। इससे मानव व प्रकृति के बीच संघर्ष छिड़ जाता है और इनमें परस्पर असंतुलन के फलस्वरूप पर्यावरण का पतन प्रारम्भ हो जाता है।

(5) बड़े बाधा पर अधिक बल देने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है,

जमा कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट व उत्तर प्रदेश की टेहरी बांध परियोजना के सम्बन्ध में कहा गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े बाधा से वन क्षेत्र को हानि होती है क्योंकि वृक्षों की कटाई करनी होती है और लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। हालाँकि इस सम्बन्ध में लागत लाभ अध्ययनों का महत्व म्यंकाय किया गया है फिर भी कुल मिलाकर यह माना जाने लगा है कि बड़ी

नदी परियोजनाओं का चयन काफी सोच विचार कर व स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर तथा उनकी पूर्ण सहमति से किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर इनके क्रियान्वयन में बाधाएँ न आएँ। जून 1992 में ब्रेडफोर्ड मोर्स (Bradford Morse) की अध्यक्षता में नियुक्त विश्व बैंक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 350 पृष्ठों की रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रकाश डाला है। आयोग के मतानुसार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से काफी गाँव पानी की डूब के क्षेत्र में आ जायेंगे काफी लोग बेघरवार हो जायेंगे जिन्हें फिर से बसाने की समस्या हल करनी होगी साथ में नहर व्यवस्था के कारण भूमि की क्षारीयता व दलदल होने की समस्या उत्पन्न हो जायगी। आयोग की रिपोर्ट से भारत में पर्यावरणवेत्ताओं व पर्यावरण के पक्षधरों के मत की पुष्टि हुई है। हाल में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने साधनों से पूरा करने का निश्चय किया है और विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है ताकि हमारी स्वायत्तता बनी रहे।

इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई प्रकार के तत्व जिम्मेदार होते हैं। लोगों में पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसकी रक्षा के लिए अपना आवश्यक योगदान दे सकें।

पर्यावरण कुप्रदूषण व पदूषण के दुष्परिणाम¹

हमने ऊपर पर्यावरण प्रदूषण व पतन के कुछ दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। नीचे तालिका के रूप में विश्व में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का सारांश दिया गया है।

1 World Development Report, 1992 p. 4 table 1

पर्यावरण की समस्या	स्वास्थ्य पर प्रभाव	उत्पादकता पर प्रभाव
1 जल प्रदूषण व जल का अभाव	20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु व करोड़ों बामरा के शिकार जल की कमी से स्वास्थ्य को घाते।	मछली उत्पादन में गिरावट, आधिक क्रिया में अवरोध, ग्रामीण परिवारों के समय का बरबादी सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा सुरक्षित जल उपलब्ध करने की लागत, आदि।
2 वायु प्रदूषण	ग्रामीण क्षेत्रों में इंडोर घुए के कारण महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट, अकाल मृत्यु, कफ खाामी आदि	वाहन व औद्योगिक क्रिया पर समय समय पर रोक बनों पर एसिड बना का दुष्प्रभाव।
3 ठाम व जोरिखमपूण व्यर्थ पदार्थ	सडत हुए कूडे स वापसी फलना	भूतल जल साधनों का प्रदूषण
4 मिट्टी का हास (soil degradation)	सूखे की मम्मावना का बढ़ना तथा गराव किसानों क पणन मे कमा	खतो की उत्पादकता में गिरावट, जलाशयों में मिट्टी भर जाना नदिया में पारवहन चैनल में बाधा, आदि
5 बनों का कटाई	स्थानाय बाढ से मृत्यु व बामारियाँ	लकडा का अभाव होना, जलग्रहण स्थिरता में कमा (loss of watershed stability)
6 जैविक विविधता का हास (loss of biodiversity)	नई दवाओं की उपलब्धि न होना	पर्यावरण व्यवस्था मे गिरावट व कई प्रकार के प्राकृतिक साधनों की कमा
7 धायुभण्डत के परिवर्तन	बामारियों ओजोन परत के घटने से चर्म केनर व अर्कों के केटेरेक (मोतिलपर्जन्य) की बामारी	सामुहिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि में व कपिलत उत्पादकता में प्रदोशक परिवर्तन, आदि।

उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार से उत्पादकता को भी घाते है। अतः विकास व पर्यावरण पर एक साथ विचार करना जरूरी है। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के कुछ पहलुओं का विवेचन राष्ट्रीय व

राज्यीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे।

भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू -

भारत में जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ से बढ़कर 1991 में 84.6 करोड़ (सशोधित) हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में आबादी के दबाव काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 1961 में शहरी जनसंख्या 7.8 करोड़ थी जो बढ़कर 1991 में 21.76 करोड़ हो गई है। 1961 में यह कुल जनसंख्या का 18% थी जो 1991 में 25.72 प्रतिशत हो गई है। शहरों में आबादी के बढ़ने से पानी, स्फार्ड, अक्वास्, पवित्रहन आदि प्रणालियों पर भारी दबाव पड़े हैं और पर्यावरण-प्रदूषण बढ़ा है।

बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई से 1985 से 1989 के बीच के चार वर्षों में देश में 1.9 लाख हैक्टेयर भूमि में वन समाप्त हो गये। इनमें प्रतिवर्ष 47,500 हैक्टेयर की गिरावट आयी। वैसे भी भारत में वन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 22% भाग में पाये जाते हैं (जबकि 1/3 भाग पर वन होने चाहिये) लेकिन इसमें भी घने जंगल केवल 12% क्षेत्रफल में ही पाये जाते हैं। शेष क्षेत्र में घटिया श्रेणी के वन ही पाये जाते हैं। वनों की कटाई से व्यर्थ भूमि की मात्रा बढ़ी है तथा मिट्टी का कटाव बढ़ा है। जैसा कि पहले बतलाया गया था, भारत की कई प्रमुख नदियाँ प्रदूषण की शिकार हैं। इनमें मैला पानी छोड़ा जाता है और औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ डाल दिये जाते हैं जिससे ये भारी मात्रा में प्रदूषित होती जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन व पानी की तलाश में कई मीलो का चक्कर लगाना पड़ता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल सी जैन के अनुसार 'एक अर्द्ध-शुष्क गाँव में एक महिला को वर्ष में 1400 किलोमीटर चलना पड़ता है ताकि वह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकट्ठी करके ला सके। यह दूरी दिल्ली से कलकत्ता तक की मानी गई है।'¹ पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति तो और भी बदतर होती है। इस प्रकार निर्धनता के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग बेबस होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते हैं।

देश में सिंचाई की व्यवस्था में कमी रहने से मिट्टी में लवणता व क्षारीयता बढ़ी है। कीटनाशक दवाइयों के अतिविक्रमपूर्ण उपयोग से खाद्यान्नों में टोक्सिक तत्व रहने से केन्सर व अन्य बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है।

1 L C Jain Decentralisation In Touch with People p 155 (Survey of Environment, The Hindu 1992)

भारत में बड़े बाधों के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों की चर्चा हुई है तथा इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी किये गये हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और उत्तरप्रदेश में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में भागीरथी नदी पर टेहरी बाध (2605 मीटर ऊँचा) को लेकर पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गयी हैं। टेहरी परियोजना के सम्बन्ध में भूकम्प व बाढ़ की आशंकाएँ प्रकट की गयी हैं। टेहरी बाध के विफल होने से बाढ़ का भय बतलाया गया है। अतः भविष्य में बड़े बाधों के घटने में अधिक सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी। जैसा कि पहले बतलाया गया है जून 1992 में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त ब्रैंडफोर्ड मोर्स आयोग ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की और ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगों को पुनः बसाने की समस्या बहुत जटिल होती है।

चिपको आन्दोलन भारत में मध्य हिमालय में अलकनन्दा के इर्द गिर्द पहाड़ी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) में वनों की कटाई से पर्यावरण व परिवेश को भारी क्षति होने लगी थी। पेड़ों को काटकर पहाड़ी के नीचे लुढ़काने से ऊपर की मिट्टी ढीली होने से बरसात में तेजी से आगे खिसकने लगी। इससे जुलाई 1970 में अलकनन्दा में भयंकर बाढ़ भी आयी थी। बाढ़ में वहाँ के लोगों ने गोपेश्वर के ममीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की स्थापना करके एक आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसे 'चिपको आन्दोलन' का नाम दिया गया। इस आन्दोलन में लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 'पेड़ों से चिपक जाते थे और वन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकते थे। यह आन्दोलन काफी कामयाब रहा और इसकी वजह से पेड़ों की कटाई जोशीमठ व अन्य आस पास के स्थानों में काफी सीमा तक रुकी थी। इस आन्दोलन से यह सबक मिलता है कि लोग अपने प्रयास से पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण का महत्त्व समझ में आ जाये। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के विनाश में ग्रामीण जनता की इतनी भागीदारी नहीं होती जितनी अन्य लोगों की होती है इसलिए प्रायः कोशिश सम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जनता के गले ही मढ़ने की होती रहती है। अतः चिपको जैसे लोकप्रिय व जनवादी आन्दोलन का पर्यावरण की रक्षा में महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का योगदान सराहनीय रहा है।

छठी योजना में पर्यावरण की सुरक्षा पर लगभग 40 करोड़ रु व्यय किये गये और सातवी योजना (1985-90) में इसके लिए 428 करोड़ रु के व्यय की व्यवस्था की गयी जिसमें 240 करोड़ रु गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan) के लिए निर्धारित किये गये थे। गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। इसमें गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान में चालू मैले पानी के 'टीटमेट प्लान्स' को

आधुनिक बनाने का कार्य हाथ में लिया गया था तथा नये प्लान्ट्स स्थापित करना भी आवश्यक मना गया था। इसमें यूपी बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों को शामिल किया गया। इसमें गंदे पानी (sewage) का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने व सुधरे पानी को सिंचाई के लिए घास पात (algae) के उत्पादन व मछली-उत्पादन में प्रयुक्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अधिकांश काम पूरे हो गये हैं और शेष 1995 तक पूरे हो जायेंगे। इस पर 423 करोड़ रु व्यय होने का अनुमान है।

भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में यमुना व गोमती नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 421 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना को मजूरी प्रदान की है। इसमें यमुना का अंश 357 करोड़ रुपये है तथा गोमती का 64 करोड़ रुपये। इसे पूरा करने में लगभग छ वर्ष लगेगे। यह परियोजना हरियाणा उत्तर प्रदेश व सघीय क्षेत्र दिल्ली के 15 बड़े नगरों में कार्यान्वित की जायगी। इसका आधा खर्च भारत सरकार उठायेगी तथा शेष आधा तीनों प्रदेश उठायेगे। 'इसे गंगा एक्शन प्लान' का दूसरा चरण (second phase) माना गया है। इसमें भी म्यूनिसिपल बर्थजल को दूसरी तरफ प्रवाहित करना व रोकना, गंदे पानी के ट्रीटमेंट वर्क्स स्थापित करना कम लागत पर साफ सफाई की व्यवस्था करना नदी के घाटों को सुधारना, नदी किनारे वृक्षारोपण करना व सुधरी हुई शवदाहशालाओं की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल हैं। यमुना परियोजना से हरियाणा के यमुनानगर व जगाधरी करनाल, पानीपत सोनीपत, गुडगांव व फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश व सघीय प्रदेश दिल्ली के गाजियाबाद, नोयडा, वृन्दावन मथुरा, आगरा इटावा सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में प्रदूषण कम करने के वर्क्स स्थापित किये जायेंगे। गोमती नदी के लिए लखनऊ सुल्तानपुर व जौनपुर नगर होंगे।

भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओं में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके वृक्षारोपण के जरिए फलो चारे, ईंधन को लकड़ी व इमारती लकड़ी की पैदावार बढ़ायी जा सके। सम्बन्धित क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरों व गावों की साफ-सफाई (sanitation) पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यथासंभव नगर नियोजन को सुधार कर लोगों के लिए आवास पानी बिजली व परिवहन की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी। जनसंख्या नियंत्रण व आर्थिक विकास के जरिए निर्धनता उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने से पर्यावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक बल देने से नगरी व महानगरी में गंदी बस्तियों का फैलाव रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ सुधरा हो सकेगा। जनसंख्या का गावों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा।

अतः भावी योजनाओं में विकेंद्रित नियोजन को अपना कर जनता की

भागीदारी बढ़ायी जानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि वे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का प्रयास न करें।

राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण के कुछ पहलू¹

राजस्थान में जल प्रदूषण से भी ज्यादा गम्भीर समस्या जलाभाव की है। देश के जल साधनों का केवल 1% अंश राजस्थान में पाया जाता है जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के क्रमशः लगभग 10% व 52% अनुपातों को देखते हुए बहुत कम है। कई क्षेत्रों में भूतल का जल खारा होता है। पिछले वर्षों में राज्य में भूतल के जल साधनों का भी लगभग 85% अंश प्रयुक्त किया जाने लगा है। राज्य में हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता रहता है। राज्य के निम्न 11 जिलों में मरुस्थल पाया जाता है श्रीगंगानगर, चुरू बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जालौर, झुन्झुनू, पाली सीकर व नागौर। पश्चिम राजस्थान में अधिकांश भू क्षेत्र ह्रास (degradation) के शिकार हैं। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 300 मिलीमीटर वार्षिक पाया जाता है जो बहुत नीचा है। मिट्टी कम उपजाऊ है। तेज हवाओं व ऊँचे तापमान के कारण नमों की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रदेश में पानी की कमी है और सीमित जल के लिए मनुष्य व पशु में स्पर्धा की स्थिति पायी जाती है। अत्यधिक चराई से भूमि को काफी हानि हुई है। राज्य में चारे की माँग व पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। सूखे के वर्ष में चारे की सप्लाई उसकी माँग से बहुत कम पायी जाती है। कभी कभी यह माँग की तुलना में चौथाई पायी गयी है जिससे चारे की खरीद अन्य राज्यों से करनी पड़ती है।

राज्य में सिंचित क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का केवल 24% है। इस प्रकार 3/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है।

इन्दिरा नहर के सिंचित क्षेत्र में 'सेम' की समस्या-

इन्दिरा गांधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे आस पास के गाव और चक चोरान होने लगे हैं तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ भूमि हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है। रिसाव से नष्ट होने वाले क्षेत्र का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक मात्रा में देते हैं जिससे सेम की समस्या गम्भीर होती जा रही है।²

1 J Venkateswarlu, Deserts: Taming the arids, Survey of Environment (The Hindu) 1991 pp 162-163

2 पत्रिका 12 नवम्बर 1991

पाली व आस-पास के क्षेत्रों में वस्त्रों की छपाई रगाई की इकाइयों से जल प्रदूषण बढ़ा है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। राजस्थान का जल-बजट लडखड़ा रहा है। वर्षा के जल सतही जल व भूतल के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा रहा है जिससे वर्ष 2000 तक जल सकट और तीव्र हो सकता है। भूतल के जल का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भविष्य में जल का अभाव अधिक गम्भीर हो सकता है।

पिछले वर्षों में रिजर्व चनों व पशु पक्षियों के शरण स्थलों में खनन कार्यों के बढ़ने से पर्यावरण को हानि पहुँची है। अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र में मार्बल, लाइमस्टोन सोपस्टोन बॉक्साइट ग्रेनाइट आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत) से पर्यावरण को क्षति पहुँची है। इसमें इस क्षेत्र में मिट्टी को क्षति पहुँची है और श्रमिक वर्गों से ईंधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुँचाते हैं। राज्य में करौली के वनों में गैर कानूनी ढंग से खनन किया जा रहा है। राजस्थान में वन भूमि पर पशुओं का दबाव बहुत बढ़ गया है। राज्य में पशुओं की सख्या मनुष्यों से अधिक है। बकरी घास की अन्तिम पंक्ति तक का सफाया कर देती है।

अतः राजस्थान में पानी की कमी मिट्टी का कटाव वृक्षों की कटाई खनन-क्रिया से वन क्षेत्रों को क्षति सिचाई से 'सेम' समस्या व दलदली भूमि का उत्पन्न होना (विशेषतया इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि समस्याएँ पर्यावरण को कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से प्रगट करती हैं।

राज्य सरकार जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अरावली प्रदेश को हरा भरा करने का प्रयास कर रही है। राज्य में अरावली क्षेत्र पर्यावरण असतुलन व गिरावट का ज्वलंत उदाहरण है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चारों तरफ वन लगाने व रेगिस्तानी टीलो के स्थिरीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बनायी गयी है।

राजस्थान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में पशु-पालन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में खनन-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया जाना चाहिए और जोधपुर स्थित काजरी के अध्ययनों व अनुसंधानों का उपयोग करके वृक्षारोपण व कृषिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस कार्यक्रमों के चयन पर बल दिया जाना चाहिए।

जून 1992 में झाजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन-

झाजील की राजधानी रियो दे जेनिरियो में पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 तक आयोजित किया गया था। पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर आयोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन था जिसमें 178 देशों ने भाग लिया तथा इसमें करीब 100 देशों के राज्याध्यक्ष प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति आदि उपस्थित थे।

सम्मेलन ने विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया और उनको यह एहसास कराया कि यदि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

भारत के प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव ने पर्यावरण-संरक्षण-कोष की स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया। इसके अनुसार दुनिया के देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 0.7% इस कोष में देना चाहिए। हालाँकि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक व लाभकारी माना गया। औद्योगिक देशों द्वारा प्रदूषण में अधिक योगदान देने के कारण उनके द्वारा इसको रोकने पर व्यय भी अधिक करना चाहिये। भारत के केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री श्री कमल नाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन में भारत की भूमिका प्रभावशाली रही। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी चीनी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि 'यदि हमने पृथ्वी को ठगा तो पृथ्वी हमें ठगेगी'।

पृथ्वी सम्मेलन में कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर आम सहमति नजर आई। जापान व यूरोपीय देशों ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसों के निर्गम (emission) को कम करने, जैविक विविधता का संरक्षण करने तथा प्रदूषण को खत्म करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की। पहले अमेरिका ने वांछित सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन को रोकने के प्रयासों में अपनी सहमति प्रगट करनी पड़ी।

आशा है कि ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किये गये जैविक विविधता संरक्षण व वन-संरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा - 21 आगे चलकर पर्यावरण-संरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान कर पायेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है, और जिसमें सदैव प्रकृति की पूजा व बल दिया गया है, औद्योगिक देशों की उपभोक्तावादी, भोगवादी व भौतिकवादी संस्कृति को यह सबक सिखा पायेंगी कि वह जल, धूल, नम व सम्पूर्ण वायुमण्डल को स्वच्छ रखने को प्रथमिकता दे। लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभी प्रकार के प्रदूषणों में कमी आ सके। अब विकास व पर्यावरण पर साथ-साथ ध्यान देने से ही टिकाऊ विकास का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।

प्रश्न

- 1 पर्यावरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए या "पर्यावरण के चार दुश्मन, जल, धूल, वायु, व ध्वनि प्रदूषण" को समझाइये।
- 2 सुस्थिर विकास का अर्थ लिखिए। 'विकास व पर्यावरण एक हो सिक्के के दो पहलू हैं।' समझा कर लिखिए।
- 3 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
 - (i) पर्यावरण-प्रदूषण - अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में,
 - (ii) भारत में पर्यावरण-प्रदूषण
 - (iii) राजस्थान में पर्यावरण-प्रदूषण
 - (iv) गंगा-कार्य-योजना चरण I व चरण II
 - (v) ओजोन परत का ह्रास
 - (vi) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (greenhouse warming)
 - (vii) जल-प्रदूषण
 - (viii) वायु-प्रदूषण
 - (ix) पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जून 1992
- 4 विकास की प्रक्रिया को पर्यावरण से जोड़ने की विधि का परिचय दायिये।
- 5 पर्यावरण-प्रदूषण के रूपों, कारणों व दुष्परिणामों का विवेचन करिए।

परिशिष्ट

विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर

200 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर (दोहराने हेतु)

Two Hundred Objective & Short Questions and Answers, Specially on Rajasthan Economy. (For Revision)

नीचे विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं ताकि उन्हें आसानी से याद किया जा सके तथा उनको एक स्थान पर एक साथ पढ़कर राज्य के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में व्यापक सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्नों के उत्तरों में आँकड़ों की मूल बातों को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। आशा है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा।

- 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौनसा स्थान है ? ²⁰⁰⁰
(अ) तृतीय, (ब) द्वितीय, (स) चतुर्थ, (द) प्रथम (ब)
- 2 राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?
(अ) 15% (ब) लगभग 17%
(स) 10.4% (द) 9% (स)
- 3 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना अंश है ?
(अ) 10% (ब) 4%
(स) 13% (द) 5.2% (द)
- 4 1991 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी रही (सशोधित) ?
(अ) 4.34 करोड़ (ब) 4.40 करोड़
(स) 4.89 करोड़ (द) 4.32 करोड़ (ब)

5 1961-91 की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि की मुख्य बात क्या रही ?

उत्तर- 1961 में जनसंख्या 2 करोड़ से बढ़कर 1991 में 4.4 करोड़ हो गई (दुगुनी से अधिक)

6 1981-91 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि-दर बताइये ?

(अ) 30% (ब) 26%

(स) 28.4% (द) 25%

उत्तर- (स)

7 राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना था ?

(अ) 110 व्यक्ति (ब) 104 व्यक्ति (स) 200 व्यक्ति (द) 129 व्यक्ति

उत्तर (द)

8 पिछले दो दशकों से कौन-से जिले में जनसंख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक रही है ?

उत्तर- बीकानेर जिला।

9 राजस्थान में 1991 के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार प्रति हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए।

उत्तर- (जन्म-दर 34.3 प्रति हजार, मृत्यु दर 9.8 प्रति हजार)

(स्रोत Economic survey 1992-93, p 198)

10 राजस्थान में मरुक्षेत्र, सूखा सभाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमशः कुल क्षेत्र में अंश लिखिए।

उत्तर- (मरुक्षेत्र = 61%, सूखा सभाव्य क्षेत्र = 7.8% जनजाति क्षेत्र = 5.8% कुल = 74.6%)

11 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के महिला-वर्ग में साक्षरता-अनुपात क्या है ?

(अ) 25% (ब) 35% (स) 20.44% (द) 15%

उत्तर- (स)

12 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष-वर्ग में साक्षरता-अनुपात क्या रहा ?

(अ) 60% (ब) 55% (स) 57% (द) 62%

उत्तर- (ब)

13 1991 में महिला-वर्ग में सर्वाधिक साक्षरता-दर व न्यूनतम साक्षरता-दर किन-किन जिलों में कितनी-कितनी रही ?

उत्तर- सर्वाधिक अजमेर जिले मे 34 50%

न्यूनतम बाड़मेर जिले में 7 68%

14 राज्य में 1981-91 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर- बीकानेर जिले मे 42.70%, 1971-81 में 48 1% हुई थी।

15 राज्य में 1981-91 की अवधि मे किस जिले में जनसंख्या की न्यूनतम वृद्धि हुई व कितनी हुई ?

उत्तर- पाली जिले मे 16 63%

16 राजस्थान की जनसंख्या के लिए 1 मार्च 2001 को कितना होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है ?

(अ) 6 करोड़ (ब) 5 6 करोड (स) 7 करोड़ (द) 5 करोड़

उत्तर- (ब)

(स्रोत Some Facts About Rajasthan, 1992, p 33)

17 1991 में राज्य में आबादी का घनत्व किस जिले में सर्वाधिक रहा व कितना रहा ?

उत्तर- जयपुर जिले मे 336 प्रति वर्ग किलोमीटर

18 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में घनत्व न्यूनतम रहा और कितना रहा ?

उत्तर- जैसलमेर जिले में 9 प्रति वर्ग किलोमीटर

19 राजस्थान में 1991 को जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, पुरुषों की संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए।

उत्तर- कुल जनसंख्या 4 4 करोड़ व्यक्ति

पुरुष-वर्ग 2 3 करोड़

स्त्री-वर्ग 2 1 करोड़

20 1991 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या किस जिले की रही ?

उत्तर- सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की 47.23 लाख व्यक्ति, कुल जनसंख्या का 10% से अधिक व सबसे कम 3.45 लाख जैसलमेर जिले की (0 8%) एक प्रतिशत से कम)

21 राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार लिंग-अनुपात (स्त्री पुरुष अनुपात) कितना रहा सर्वाधिक किस जिले में कितना व न्यूनतम किस जिले में कितना रहा ?

उत्तर 910 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष । सर्वाधिक झुंगपुर में 995 न्यूनतम धौलपुर में 795

22 राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। (लगभग 150 शब्दों में)

उत्तर राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 1987 के 43 वे दौर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्टेटस (समायोजित) (adjusted) (सहायक स्टेटस को हटाने के बाद) वर्ष भर बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या गांव व शहर तथा पुरुषों व स्त्रियों के अनुसार निम्न तालिका में दी गई है।

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
(i) ग्रामीण क्षेत्रों में	161	91	252
(ii) शहरी क्षेत्रों में	104	9	113
कुल	265	100	365

इस प्रकार 1987 88 में राजस्थान में कुल 3 लाख 65 हजार व्यक्ति वर्ष भर अथवा स्थायी रूप में (chronic) बेरोजगार पाये गये। समस्त भारत के लिए इनकी सख्या 93 लाख पायी गयी थी। यदि केवल सामान्य स्टेटस के अनुसार (बिना समायोजन के) लिया जाए तो राजस्थान में कुल बेरोजगारों की सख्या 4 लाख 76 हजार आती है तथा समस्त भारत के लिए यह 1 करोड़ 16 लाख आती है।

दैनिक स्थिति (daily status) के अनुसार बेरोजगारी की दर (श्रम शक्ति में बेरोजगारों का प्रतिशत) पुरुषों व स्त्रियों एवं स्थान के अनुसार नीचे दिया जाता है।

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	पुरुष	स्त्रियाँ
ग्रामीण	59	52
शहरी	72	42

इस प्रकार राजस्थान में स्त्रियों में बेरोजगारी की दर दैनिक स्थिति के अनुसार पुरुषों से कम पायी गयी है।

व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट (दिसम्बर 1991) के अनुसार राज्य में 1990 में बेरोजगारों की बकाया संख्या 4.83 लाख व्यक्ति आंकी गयी है। 1990 के दशक में 15-59 वर्ष के आयु-समूह में 44 लाख व्यक्तियों के जुड़ने के अनुमान के साथ इस दशक में पूर्ण रोजगार के लिए लगभग 49 लाख व्यक्तियों को नया काम देने की व्यवस्था करनी होगी।

राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी यह केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में पायी गयी है। "क्षेत्र स्टेस की धारणा" में एक व्यक्ति को काम करने की शक्ति पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन के लिए रिकार्ड की जाती है। प्रतिदिन काम से कम एक घण्टे से चार घण्टे तक काम करने वाला व्यक्ति आधे दिन कार्यरत माना जाता है और चार घण्टे या इससे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाता है।

23 राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिये।

उत्तर-आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माफत स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा रही है। जवाहर रोजगार योजना व अकाल राहत सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। 1980-90 में ग्रामीण निर्धन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई थी जिसमें NREP व RLEGP को मिला दिया गया। राज्य में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को विकसित करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। पर्यटन व निर्माण उद्योग में भी रोजगार की सम्भावनाएँ हैं। 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना पर राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया है तथा केन्द्र की तरफ से 120 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जिससे 41 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जायगा। 'अपना गाँव अपना काम' के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

24 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुख्य श्रमिकों व सीमान्त श्रमिकों का अनुपात लिखिए।

उत्तर-मुख्य श्रमिक 32%, सीमान्त श्रमिक 7%, कुल 39%

25 1991 में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न श्रमिकों व खेतिहर श्रमिकों का अनुपात बताइए।

उत्तर-कृषि में संलग्न 58.8%, खेतिहर मजदूर 10%, प्रत्येक दस श्रमिकों में एक खेतिहर मजदूर है। कृषिगत कार्यों में कुल संलग्न = 68.8%

26 राजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- 1977-78 के भावों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 75 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये थे। 1983-84 के भावों पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 101 रुपये 80 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 117 रुपये 50 पैसे कर दी गयीं। सातवीं योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 रुपये रखी गयी एवं इससे कम व्यय करने वाले परिवार निर्धन माने गये। पहले यह सीमा 3500 रुपये मानी गयी थी।

योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में 1977-78 में निर्धनता-अनुपात 33.6% था जो 1983 में बढ़कर 34.3% हो गया तथा 1987-88 में घटकर 24.4% हो गया। 1977-78 से 1987-88 की अवधि में समस्त भारत के लिए यह 48.3% से घटकर 29.9% पर आ गया था। इस प्रकार भारत व राजस्थान दोनों में निर्धनता का अनुपात घटा है। कैंलेरी को आधार स्वरूप लेने पर राजस्थान में निर्धनता का अनुपात नीचा आता है, क्योंकि यहाँ के भोजन में बाजरे की मात्रा अधिक पायी जाती है जो यहाँ का मुख्य अनाज है। लेकिन मिन्दास-जैन-तेन्दुलकर के अध्ययन के अनुसार ये आँकड़े सही नहीं हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार निर्धनता का अनुपात 1987-88 में भारत में 43% व राजस्थान में 42% आता है।

27 राजस्थान में प्रायः अकाल क्यों पड़ते हैं ?

उत्तर- सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में सभी पाँचों वर्षों में राज्य में अकाल व अभाव की स्थिति रही है। यहाँ निरन्तर वर्षा का अभाव रहा है। घाँस से चले आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बेकार होती गई है। अनियंत्रित चराई, वृक्षों की कटाई व जल-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश-असन्तुलन (ecological imbalance) उत्पन्न हो गया है। 'वृक्ष नहीं फनी नहीं, उपजाऊ भूमि नहीं' का दुष्चक्र चल रहा है। जल जंगल जमीन आदि के परस्पर सन्तुलन बिगड़ गये हैं जिससे मनुष्य व पशु दोनों पर भारी विपदा आ गयी है। 1986-87 व 1987-88 में सभी 27 जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे। 1991-92 व 1992-93 में भी अकाल की स्थिति रही।

28 सरकार अकाल रहित सहायता में कौन से कार्यक्रम चलाती है ?

उत्तर- अकाल गहत विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, तथा पंचायतों आदि के माध्यम से विविध प्रकार

के निर्माण कार्यों पर (स्कूल भवनो सड़को तालाबो आदि का निर्माण या मरम्मत) लोगो को रोजगार उपलब्ध किया जाता है। काम के बदले मजदूरी का कुछ अंश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था टैंकियों टैंकरो ट्रको बैलगाडियो ऊँटगाडियो वगैरा के द्वारा की जाती है। पशुओ के लिये चारे की सप्लाई बढ़ायी जाती है। विभिन्न राज्यों से चारे की खरीद करके जरूरत के कोन्द्रों में पहुचाने की व्यवस्था की जाती है। चारे पर परिवहन-सब्सिडी भी दी जाती है।

29 1987-88 के अकाल की विशेष बातों का उल्लेख करे।

उत्तर- इससे सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे। प्रभावित गाँवों की संख्या 36252 तथा जनसंख्या 3 17 करोड रही थी। राज्य सरकार ने 7 54 करोड रुपये की भू राजस्व की वसूली रोक दी थी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के सभी जिले अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। कृषिगत उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडा था। 1987 88 में खाद्यान्नो का उत्पादन घटकर लगभग 48 लाख टन के स्तर पर आ गया था। 1987 88 के अकाल में राहत सहायता पर सर्वाधिक धनराशि का व्यय करना पडा था।

30 1956 57 से 1989 90 तक के 34 वर्षों में राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर कितना खर्च हुआ।

(अ) 1800 करोड रुपये (ब) 1500 करोड रुपये (स) 2000 करोड रुपये
(द) 800 करोड रुपये

उत्तर (अ)

31 'पहियों पर राजमहल' (palace on wheels) का पर्यटन के लिये किन स्थानों के लिये उपयोग किया जाता है।

उत्तर- जयपुर दिल्ली व आगरा पर्यटन त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाडी का उपयोग किया जाता है।

32 राजस्थान के प्रमुख खनिजों के नाम लिखिये।

उत्तर तांबा, सीसा व जस्ता टंगस्टन लाइमस्टोन सगमरमर का पत्थर, अभ्रक जिप्सम भवन निर्माण के पत्थर, राक फास्फेट, मुल्तानी मिट्टी फ्लोर्सपायर आदि।

33 हाल के वर्षों में राजस्थान में कौन से खनिज भण्डारों का पता चला है ?

उत्तर- जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है। 6 जुलाई 1990 को जैसलमेर जिले में ही 'डाडेवाला' स्थान पर प्राकृतिक गैस के नये विशाल भण्डार मिले हैं। अक्टूबर 1990

में गैस का एक नया भण्डार मिला है। अप्रैल 1992 में आयल इण्डिया को बीकानेर के निकट बांधेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं। भीलवाड़ा जिले में रामपुर-आगुचा में जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं। बीकानेर जिले में बरसिंहसर में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं जिनसे धर्मल पावर प्लान्ट लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गांध केसरपुर (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। जैसलमेर जिले में स्टीलग्रेड साइमस्टोन तथा पाली जिले में टंगस्टन के भण्डार प्राप्त हुए हैं।

- 34 राजस्थान में सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइये।
उत्तर- 1990-91 के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 193.8 लाख हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 56.6% था। इसी वर्ष सकल सिंचित क्षेत्र 46.52 लाख हैक्टेयर रहा जो कुल कृषिगत क्षेत्रफल का 24% था। 1960-61 में यह 15% रहा था। इस प्रकार सकल सिंचित क्षेत्रफल काफी बढ़ा है।
- 35 राजस्थान की खरीफ की फसलों के नाम लिखिये।
उत्तर- चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ की दालें जैसे तुअर, मूँग, मोठ, चोला, उड़द, आदि।
- 36 राजस्थान की रबी की फसलों के नाम लिखिये -
उत्तर- गेहूँ, जौ, चना, सरसो व अफीम रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल आदि।
- 37 राजस्थान में गेहूँ, बाजरा व चावल की खेती किन जिलों में प्रमुखतया की जाती है।
उत्तर- (अ) गेहूँ गगानगर, जयपुर, कोटा, सर्वाई माधोपुर व अलवर।
(आ) बाजरा अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनू, नागौर, जोधपुर, पाली सर्वाई माधोपुर, सीकर व टोक।
(इ) चावल गगानगर, कोटा बूदी डूंगरपुर, उदयपुर व झालावाड़।
- 38 राजस्थान में व्यापारिक फसलों या नकद फसलों के नाम लिखिये।
उत्तर तिलहन में तिल, सरसों अलसी मूँगफली अरण्डी सोयाबीन आदि। इनके अलावा कपास गन्ना तम्बाकू लाल मिर्च, आलू, घनिया जौरा, आदि।
- 39 राजस्थान की खाद्य फसलों की विशेषता का उल्लेख कीजिये।
उत्तर कुल कृषिगत क्षेत्रफल के आधे भाग पर अनाज की फसलें बोयी जाती हैं।

अनाजों में सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के अन्तर्गत पाया जाता है। यह अनाजों के क्षेत्रफल के आधे भाग में अथवा कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 25% या 1/4 भाग पर बोया जाता है। 1989-90 में बाजरा 49.3 लाख हैक्टेयर में बोया गया तथा सकल कृषित क्षेत्रफल 179 लाख हैक्टेयर था। इस प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 27.5% रहा। पिछले वर्ष यह 30% रहा था।

40 राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या परिवर्तन हुए ?
उत्तर राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 30 लाख टन से बढ़कर 1983-84 में लगभग 1 करोड़ टन हो गया था। इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव बहुत आते रहे हैं। 1987-88 के खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 47.8 लाख टन लगाया गया था। 1990-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 109.3 लाख टन हुआ। प्रायः खरीफ की फसल अकाल व सूखे का शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है। पिछले वर्षों में रबी में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ के खाद्यान्नों से अधिक रहा है। 1991-92 में खाद्यान्नों के उत्पादन के 79.5 लाख टन होने का अनुमान है।

41 राजस्थान में तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ?
उत्तर 1987-88 में 12.6 लाख टन से बढ़कर 1991-92 में 27 लाख टन हो गई है। सूखे के बावजूद राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ा है।

42 राजस्थान में कृषिगत इन्पुटों पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिये।
उत्तर (i) खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ फल व सब्जियाँ (डिब्बों के अचार मुर्ब्बा) आटा मिले, दाल मिले बेकरी चीनी गुड देशी खाद्य वनस्पति घी खाद्य तेल वगैरा। इसी में जोधपुर व नागौर क्षेत्र की मैथी पाली की मेहदी पुष्कर क्षेत्र के फल, सब्जी व गुलाब के फूल बासवाड़ा के आम-पापड़ व बीकानेर के पापड़ भुजिया आदि भी आते हैं।

(ii) तम्बाकू पदार्थ- जरादा बीडी।

(iii) कॉटन प्रोसेसिंग व कॉटन वस्त्र- जिनिंग व प्रेसिंग फैक्टियाँ कटाई व बुनाई रगाई व छपाई व ब्लोचिंग (बुनाई के लिये कई प्रकार की टेक्नोलोजी प्रयुक्त होती है जैसे हथकरघा शक्ति करघा मिल करघा वगैरा)

(iv) रेशम का उद्योग ।

(v) टेक्सटाइल वस्तुएँ- गलीचे निटिंग मिले गारमेट, रेनकोट, कपड़े के जूते।

एग्रो उद्योग (agro industries) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व

वन उद्योगों के अलावा कृषि के लिये इन्पुट तैयार करने वाले उद्योगों जैसे उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ ट्रैक्टर, कृषिगत औजारों आदि को भी शामिल किया जाता है। लेकिन सकीर्ण अर्थ में इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योग ही लिये जाते हैं।

43 राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के स्थान बताइये।

उत्तर-ये पत्ली भीलवाड़ा किशनगढ़ च्यावर, श्रीगंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा व भवानी मंडी में स्थित हैं। पिछले वर्षों में इनकी संख्या 23 बताई गई है। इनमें 17 निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र में हैं।

44 राजस्थान में 1988 में गौ वरा के पशुओं की संख्या कितनी थी ?

(अ) 1 09 करोड़ (ब) 1 9 करोड़ (स) 2 करोड़ (द) 80 लाख

उत्तर-(अ)

45 1988 में राज्य में भेड़ बकरियों की संख्या सूचित कीजिये।

उत्तर-(भेड़ें 99 3 लाख बकरियाँ लगभग 126 लाख)

46 राजस्थान के पशु धन की विशेषता बताइये तथा इस पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिये।

उत्तर-1988 में राज्य में पशुओं की संख्या 4 09 करोड़ हो गयी जो 1983 की 4 97 करोड़ की तुलना में 88 लाख कम थी। राज्य में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पायी जाती हैं। राजस्थान में भेड़ों की उत्तम नस्लें पायी जाती हैं जैसे बीकानेर की नाली चोकला व भगसा जैसलमेर की जैसलमेरी व जोधपुर की मारवाड़ी।

पशुधन पर आधारित उद्योग- डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ ऊन मास चमड़ा हड्डियाँ। राज्य में पशुधन का विकास करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है व आमदनी बढ़ायी जा सकती है। ये कृषि के सहायक उद्योगों के रूप में विकसित किये जा सकते हैं।

47 1989 90 में राजस्थान में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ?

(अ) 40 लाख टन (ब) 42 लाख टन
(स) 30 लाख टन (द) 50 लाख टन

उत्तर-(ब)

48 राजस्थान की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिये।

उत्तर-राजस्थान का निम्न बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में हिस्सा है

- (i) भाखडा-नागल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)
- (ii) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान)
- (iii) व्यास (पंजाब, हरियाणा, व राजस्थान)
- (iv) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान)

49 माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर- इसका निर्माण बामवाडा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार हैक्टेयर में मिंचाई कर सकेगी। पावर हाउस न 1 पर 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ जनवरी 1986 में चालू की गई थी।

पावर हाउस न 2 पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगायी गयी हैं। इस प्रकार मातवीं योजना में इस परियोजना से पावर की क्षमता 140 मेगावाट हो गई थी।

50 राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल-साधनों में क्या स्थान है?

(अ) 10% (ब) 1% (स) 5% (द) नगण्य

उत्तर- (ब)

51 राजस्थान की वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं ? इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

उत्तर- राजस्थान की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होगा) में निम्नलिखित हैं। (वर्ष 1991-92)

1 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, 2 गुडगाव नहर (जिला भरतपुर), 3 ओखला बैराज (जलाशय) (जिला भरतपुर), 4 नर्मदा, (जालौर), 5 जाखम (उदयपुर), 6 नोहर, 7 सिधमुख (श्री गंगानगर), 8 बीसलपुर (जिला दोक) इन सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के सगम पर हरोके बाध से प्रारम्भ होती है। इसे बाडमेर में गडरा रोड़ तक ले जाया जायेगा। फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर है। इस पर वर्ष 1958 से कार्य किया जा रहा है। मुख्य नहर 1 जनवरी 1987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुँचा दी गई थी। इसके पूरा होने पर 14 67 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी (Draft Annual Plan 1993 94, p 54), तथा अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन आदि की पैदावार बढ़ेगी। द्वितीय चरण की स्कीम में साहबा, गजनेर, कौलायत, फलौदी, पोकरन व बाडमेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान

योजनाओं) के द्वारा पानी को 60 मीटर ऊँचा उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण को लागत 255 करोड़ तथा दूसरे चरण को लागत 931 करोड़ रुपये रखी गई है (कुल 1186 करोड़ रुपये)। वितरण प्रणाली की दोनो चरणो की लम्बाई 7875 किलोमीटर होगी जिसमें बहाव क्षेत्र (flow area) व लिफ्ट क्षेत्र क्रमशः 5568 किलोमीटर व 2307 किलोमीटर होंगे। सातवीं योजना में 1.14 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की गई। 1993-94 में आउटलेट पर 44800 हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य है।

52 थार मरुस्थल (Thar desert) का प्रदेश बताइये।

उत्तर अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा है। इसका सुदूर का पश्चिमी भाग (Western most part) "थार मरुस्थल" कहलाता है जो पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन के सहारे सहारे पंजाब तक फैला है। बाडमेर, जैसलमेर व बीकानेर के कुछ भागों में बड़े बड़े टीले पाये जाते हैं। यहाँ के निवासियों को शुष्क जीवन का सामना करना पड़ता है। यह भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है। इसमें कहीं हरियाली नजर नहीं आती। भाषण जलवायु कम वर्षा सुदूर प्रदेश व कठोर जीवन मरुस्थल की विशेषताएँ हैं।

53 राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइये।

उत्तर राज्य के निम्न 11 जिले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते हैं। इनमें राज्य का 60% क्षेत्रफल तथा 40% जनसंख्या शामिल है। ये जिले इस प्रकार हैं जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गगानगर, नागौर, चुरू, पाली, जालौर, सीकर, तथा झुन्झुनू।

54 मरु विकास परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर मरु विकास परियोजनाओं (DDP) का उद्देश्य रेगिस्तान की मार्च या फँलाव को रोकना तथा मरु प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 1985-86 से यह पूर्णतया केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। यह राज्य के 11 जिलों के 85 खण्डों में चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुख हैं भू संरक्षण वानिकी या वन विकास भूतल जल विकास, (ground water development) ग्रेड व ऊँच विकास ग्रेडजल स्कीम व लघु सिंचाई की योजनाएँ, सातवाँ पंचवर्षीय योजना में मरु विकास कार्यक्रम के लिये 147 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। वास्तविक व्यय भी लगभग इतना ही रहा। 1992-93 में DDP पर 36.5

करोड़ रुपये व्यय किये गये।

- 55 राजस्थान के सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) का परिचय दीजिये।
 उत्तर- सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974 75 में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत पहले कई जिले शामिल किये गये थे लेकिन छोटी योजना में इसे निम्न प्रदेशों तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरु विकास कार्यक्रम चालू हो गया था। डूंगरपुर व बासवाडा के जनजाति के जिले, उदयपुर जिले के भीम देवगढ़ खेरवाडा तहसीलों तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहसील। वर्तमान में इसके क्षेत्र पुनः बदल गये हैं। अब यह 8 जिलों के 30 खण्डों में संचालित किया जा रहा है। ये 8 जिले इस प्रकार हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बासवाडा कोटा झालावाड टोक सवाई माधोपुर व अजमेर। (DPAP) के अन्तर्गत भू संरक्षण लघु सिंचाई व वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आमदनी बढ़ायी जाती है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम पर 23 8 करोड़ रुपये व्यय किये गये। (DDP) व (DPAP) के कार्यक्रमों में पंचायतों का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिये। 1992 93 में इस कार्यक्रम पर 65 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

- 56 राजस्थान के सन्दर्भ में व्यर्थ भू खण्डों (Wastelands) की समस्या का रूप स्पष्ट कीजिये।

उत्तर 1985 86 में राजस्थान में लगभग 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में कृषि योग्य व्यर्थ भू खण्ड थे जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 17.5% अंश था। व्यर्थ भू खण्ड व परती भूमि का योग लगभग 30% था। परती भूमि किन्हीं कारणों से बिना खेती किये छोड़ दी जाती है। व्यर्थ भू खण्डों के कई रूप होते हैं जैसे कन्दराएँ व गहरी एवं पतली घाटियाँ (ravines) बालू रेत के टीले, जलमग्न क्षेत्र क्षारयुक्त व लवणयुक्त भू खण्ड जनजाति क्षेत्रों में झूम खेती वाले भू खण्ड आदि। व्यर्थ भू खण्डों में कुछ बजर होते हैं एवं कृषि योग्य नहीं होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं। 1985 86 में इन दोनों प्रकार के व्यर्थ भू-खण्डों की मात्रा राज्य में 88 2 लाख हैक्टेयर थी। स्मरण रहे कि इसमें परती भूमि शामिल नहीं की गयी है। व्यर्थ भू खण्डों की समस्या के उग्र होने का कारण अत्यधिक चार्ज वृक्षों को अधाधुध ढग में काट डालना तथा फलस्वरूप परिवेश सन्तुलन को नष्ट कर डालना है। भूमि का कवर हट जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ हो जाता है। वन विभाग रेवन्यू विभाग व पंचायतों को व्यर्थ भूखण्डों का उपयोग करके परतुओं के लिये चारे, ग्रामीणों के लिये जलाने की लकड़ों

उद्योगों के लिये कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। राजस्थान में व्यर्थ भूखण्डों की समस्या को हल करने हेतु राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गयी है। व्यर्थ भूखण्डों का सर्वेक्षण करवा जाना चाहिए तथा इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता व पशु आदि लाभान्वित हो सके। बालू के टीलों का स्थिरीकरण करने के लिए 'कूचा' (सूखे घास की पानी के पूले) जमीन में गाड़े जा सकते हैं। सामाजिक व फार्म-वैनिको का विस्तार किया जाना चाहिए। चारे के पेड़ों में 'खेजड़े' के पेड़ लगाये जा सकते हैं। बेर की झाड़ी से फल, पाला व बाड के काटे मिलते हैं। रोहिडा के पेड़ से टिम्बर भी प्राप्त होती है। मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय से पेड़ों व चरागाहों का विकास करने की विधियाँ निव्वाली जा चुकी हैं। आवश्यकता है उनको कार्यान्वित करने की।

57 राजस्थान में सीमेंट, चीनी सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिन्न स्थान बताइये।

उत्तर (अ) राजस्थान में सीमेंट के कारखाने निम्न स्थानों में हैं

सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, निम्बाहेडा, भोटन (नागौर) (सफेद सीमेंट सयन्त्र) भोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर तथा कोटा। इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्यों में सीमेंट की 10 इकाइयाँ हैं।

मिनी सीमेंट प्लांट सिरोही (पिण्डवाडा) आबूरोड बासवाडा व कोटपुतली में स्थित हैं। हाल में वित्तीय संस्थाओं ने कई सीमेंट के कारखानों को लगाने की स्वीकृति दी है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं।

(आ) चीनी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़) (निजी क्षेत्र) श्री गगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र) व केशोरायपाटन (सहकारी क्षेत्र)। इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं।

(इ) सिन्थेटिक यार्न बासवाडा, बहरोड, डूंगरपुर, रीगस जोधपुर, आबू रोड उदयपुर, अलवर, गुलाबपुरा (रीको द्वारा सयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्रों में)

(ई) रसायन उद्योग डीडवाना में रसायन वर्क्स साभर साल्ट्स श्री राम फर्टिलाइजर्स, कोटा, उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर, राजस्थान एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि धौलपुर, (विस्फोटक (detonators) बनाता है) मोदी अल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि अलवर, हिन्दुस्तान जिक लि, देबारी उदयपुर, हिन्दुस्तान कापर लि खेतड़ी आदि।

58 राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- इन्हें धात्विक (metallic) व अ धात्विक (non metallic) दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

(i) धात्विक खनिज आधारित उद्योग- इस्यात उद्योग जो कच्चे लोहे चूने के पत्थर, डोलोमाइट वगैरा पर आधारित है। इसके अलावा स्टील फर्नाचर, मशीनरी व औजारों का निर्माण आदि।

(ii) अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों में निम्न आते हैं-

सीमेन्ट, स्टोन वस्तु उद्योग काच व काच का सामान चायना क्ले पर आधारित चीनी मिट्टी के बर्तन एस्बेस्टस व सीमेन्ट के पाइप/पदार्थ आदि।

59 राजस्थान के औद्योगिक जीवन में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है ?

उत्तर नई औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगों के लिए सत्र एव मशीनरी में विनियोग की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पूर्व यह सीमा 35 लाख रुपये थी। राजस्थान में लघु इकाइयों का आकार काफी छोटा पाया गया है। राज्य के फेक्टरी क्षेत्र में लघु इकाइयों की भरमार है। इनमें रोजगार का ऊँचा अंश पाया जाता है। फेक्टरी क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

60 राजस्थान की प्रमुख दस्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओं का परिचय दीजिए।

उत्तर- जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध मूल्यवान रत्नों एव सोने चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन लाख से बनी चूड़ियाँ सगमरमर की मूर्तियाँ कारीगरों की जूतियाँ (शैजड़िया व नागरे) ब्ल्यू फाटरी की नाना प्रकार की वस्तुएँ सागनेरी व बगरू प्रिन्ट के वस्त्र 250 ग्राम रुई से बनी रजाइयाँ मिट्टी के खिलौने चन्दन व हाथी दात से बनी वस्तुएँ, लहरिए, चूड़ियाँ व औढ़नियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के) जोधपुर के बादले ऊँट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ लकड़ी के खिलौने बाणद्वारा की पिछवाइयाँ तथा 'फड्ड (वस्त्र पर पेंटिंग की कलाकृतियाँ) सलमा सितारे व गोटे किनागों के काम से युक्त परिधान। इस प्रकार वस्त्र लकड़ी खाल धातु, सोने चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरी का काम राजस्थान के कुटीर उद्योगों की अपनी विशेषता है। इनका काफी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान से गलोंको का निर्यात होता है। भविष्य में रत्न व जवाहरात का निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

61 राजस्थान में जन जाति अर्थव्यवस्था (tribal economy) की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर- 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या राजस्थान में 54.7 लाख थी जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 12.4% था। इसमें अपघोषित जनजाति (denotified tribes) के व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्य में 10 घुम्मकड़ (खानाबदोश) व 13 अर्द्ध घुम्मकड़ जनजातियाँ निवास करती हैं। अधिकांश जनजाति के लोग बासवाड़ा व डूंगरपुर के पूरे जिलों में तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों की कुछ तहसीलों में निवास करते हैं। 1980-81 में जनजाति के पांच जिलों में 45% आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से कम कृषिगत जोत थी। औसत जोत 1.7 हैक्टेयर पायी गयी थी। (राज्य की औसत 4.4 हैक्टेयर)। इस प्रकार इनके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इनके लिए दस्तकारी का अभाव होता है। परिवहन की कठिनाई होती है। सिंचाई व पेयजल की कमी होती है। इनका जीवन जंगलों में लकड़ी की कटाई पर आश्रित होता है। ये जंगलों से लाख गोदू, आदि भी एकत्र करते हैं। प्रायः राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है। ये आर्थिक शोषण सामाजिक पिछड़ेपन व कुरीतियों अन्य विश्वास कुपोषण अशिक्षा, वगैरा के शिकार पाये जाते हैं। इनमें बहु-विवाह (Polygamy) की प्रथा भी पायी जाती है। इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना माडा, सहरिया विकास कार्यक्रम आदि चलाये गये हैं।

62 राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओं का स्पष्टीकरण दीजिए।

उत्तर- राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएँ संचालित कर रही है जो इस प्रकार हैं

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र-

यह 1974-75 से प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश राशि सिंचाई पावर, फल विकास, 'बेर बेडिंग', सामुदायिक सिंचाई (डीजल पम्पिंग सेट द्वारा) कृषि वानिकी के कार्यों पर किया जाता है। आदिवासियों को बीज तथा उर्वरकों का वितरण भी किया जाता है। भविष्य में कुओं को गहरा करने डीजल पम्प सेटों के वितरण, सामुदायिक चर्खे-मूखण्ड विकास कार्यक्रम, पशु-प्रजनन सुधार कार्यक्रम, मुर्गीपालन कार्यक्रम बतख कार्यक्रम रेशम कार्यक्रम लघु व कुटीर उद्योग, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग कार्यक्रम तथा बायो गैस संयंत्र की स्थापना व सड़क निर्माण पर बल दिया जायगा।

2. परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) -

यह 1978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमें 13 जिलों के लगभग दस लाख व्यक्ति शामिल हैं। गाँवों की संख्या 2939 है। इसके लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता (Special central assistance) प्राप्त होती है।

3. सहरिया विकास कार्यक्रम-

यह 1977-78 में लागू किया गया था। इससे 435 गाँवों के 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम कोटा जिले को किरानगज व शाहबाद पंचायत समितियों में सहरिया आदिम जाति (Primitive tribe) को लाभ पहुंचाता है। व्यय का अधिकांश अरा शिक्षा तथा लघु सिंचाई पर व्यय किया जाता है ताकि सहरिया कृषिगत परिवारों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके।

4. बिछरी जन-जाति के लिये विकास कार्यक्रम-

यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribal Area Development Department) (TADD) के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 41.8 लाख जनजाति के लोगों में से 27.5 लाख लोगों को जनजाति उप-योजना, माडा व सहरिया कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है तथा शेष 14.3 लाख बिछरी जनजाति के लोगों को (TADD) के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

63 राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का परिचय दीजिये।

उत्तर- (i) मह विकास कार्यक्रम (DDP)

(ii) सूखा सहाय्य कार्यक्रम (DPAP)

(iii) कमण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP), इसके अन्तर्गत निम्न तीन कार्यक्रम शामिल हैं।

(अ) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम- भूमि को ममत्त बनाना, पानी को नलियों को पक्का करना, मडक, मण्डी, जल संचयन, कृषि पशु-पालन आदि का विकास करना।

(आ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम- उचित ड्रेनेज, वृक्षारोपण, जंगल घास पत्त उखाड़ना, गोशाला - भवन निर्माण आदि।

(इ) माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम- दृष्टा जल-संग्रहण बनाना आदि। यह कार्यक्रम जनजाति के पिछड़े लोग लाभान्वित होंगे। मडक

क्रोसिंग, कलवर्ट, ड्रॉप, स्ट्रक्चर्स, एवं विशेष जल-मार्गों की लाइनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है।

- (iv) मैसिव कार्यक्रम- लघु व सीमान्त कृषकों को नल-कूप के लिये कर्ज व सब्सिडी।
- (v) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BAPD) (Border Area Development Programme)
- (vi) मेवात विकास- यह भरतपुर व अलवर में मेव बाहुल्य क्षेत्रों के लिये है।
- (vii) डेयरी विकास
- (viii) सामाजिक दानिकी- सड़क, नहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा क्षेत्रों में वनयुधान से बीजारोपण करना।
- (ix) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRD) - निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण, सब्सिडी का तत्त्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई की मशीनों का वितरण। यह 1978-79 से चलाया जा रहा है। 1992-93 के लिये लगभग 40 54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया (केन्द्र व राज्य का मिलाकर) ताकि 1 1 लाख अन्त्योदय परिवार लाभान्वित किये जा सकें। इसमें राज्य सरकार अपनी योजना मद से 20.27 करोड़ रुपये व्यय करेगी। इनके भाल की बिक्री की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।
- (x) राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (NREP)-1988-89 में 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवस रोजगार का लक्ष्य रखा गया था।
- (xi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP)-1988-89 में 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे तथा 75 लाख मानव-दिवस रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था।
- (xii) बायो-गैस सखंत्र योजना तथा निर्धूम चूल्हा योजना, गांवों के लाभार्थ।
- (xiii) जवाहर रोजगार योजना (JRY)-1989-90 से (NREP) व (RLEGP) को परस्पर मिला दिया गया। अब ग्रामीण रोजगार का विस्तृत कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है।

ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये रोजगार व आमदनी का विस्तार किया जा सके। इसमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है। 1993-94 के लिये इस योजना पर राज्य सरकार 30 करोड़ रुपये व केन्द्र 120 करोड़ रुपये व्यय करेगा। इस प्रकार कुल 150 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। इससे 41 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(xiv) ट्राइमस (Training Rural Youth for Self Employment)

इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिये दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख कर अपनी जीविका स्वयं चला सकें।

64 अरावली विकास से क्या लाभ होगा ?

उत्तर- (i) चारे की सप्लाई में वृद्धि

(ii) रेगिस्तान के बढ़ने पर रुकावट

(iii) मिट्टी व जल-ससाधनों का सङ्क्षण

(iv) रोजगार में वृद्धि व गरीबी में कमी तथा

(v) व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग।

65 राजस्थान में विकास सस्थाओं का उल्लेख कीजिये।

उत्तर- (क) ग्रामीण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना सगठन (Special Schemes Organisation) (SSO) द्वारा मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना व ट्राइमस का संचालन किया जाता है। व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता है। सामाजिक खानिकी कार्यक्रम वन विभाग द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। उद्योगों के विकास के लिये रीको, राजस्थान वित्त निगम (RFC), राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO), कृषि उद्योग निगम (Agro Industries Corporation), आदि कार्यरत हैं। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (TADD) जनजाति कल्याण को देखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये विभिन्न प्रकार के सगठनों व एजेंसियों का निर्माण किया गया है।

66 राजस्थान की सातवीं पंचवर्षीय योजना का परिचय दीजिये।

उत्तर- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की राशि 3000 करोड़ रुपये रची गयी

थी। इसका 31% शक्ति के विकास पर तथा 22.7% सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर आवंटित किया गया था। इस प्रकार 54% राशि शक्ति, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिये निर्धारित की गई थी। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 22.5% राशि आवंटित की गई थी। इस प्रकार योजना की प्राथमिकताएँ पूर्ववत् ही थीं। सातवीं योजना पर वास्तविक व्यय लगभग 3106 करोड़ रुपये हुआ था। योजना के दौरान अकाल व सूखा पड़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई। अनाज का वार्षिक उत्पादन घट गया। पानी व चारे की समस्या अत्यधिक गम्भीर हो गई। कृषिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुँची।

67 वर्ष 1993-94 के लिये राजस्थान की वार्षिक योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है ?

उत्तर- 1700 करोड़ रुपये।

68 1990-91 में राजस्थान की स्थिर मूल्यो (1980-81) पर वार्षिक आय, अथवा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पात (NSDP) कितनी रही ?

(अ) लगभग 82.1 अरब रुपये (ब) 80 अरब रुपये

(स) 76 अरब रुपये (द) 85 अरब रुपये (अ)

69 1990-91 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (1980-81) पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ?

(अ) 1716 रुपये (ब) 1861 रुपये

(स) 2296 रुपये (द) 1841 रुपये

उत्तर- (ब)

स्रोत Some Facts About Rajasthan 1992, p 71

70 भारत की 1980-81 के भावो पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस वर्ष व कितनी रही ?

उत्तर 1990-91 में 2199 रुपये।

71 क्या यह कथन सही है कि 1970-71 के बाद राजस्थान आर्थिक दृष्टि से गतिहीनता का शिकार रहा है।

उत्तर- 1970-71 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1480 रुपये रही थी (1980-81 के भावो पर) उसके बाद आगामी वर्षों में 1983-84, 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 को छोड़कर शेष वर्षों में यह 1480 रुपये से कम रही थी। अकाल व सूखो के कारण कई वर्षों तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय गतिहीन रही।

चूँकि काफी लम्बी अवधि तक प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों पर, गतिहीन बनी रही इसलिए लोगों में यह धारण जोर पकड़ती गयी कि राजस्थान आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गया है। लेकिन 1980-81 के भावों पर पंचवीं योजना में प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर) 22% वार्षिक तथा छठी योजना (1980-85) में 30% वार्षिक बढ़ी जो जल विद्युत प्रगति की परिचायक है। सातवीं योजना के पाँच वर्षों में लगातार प्रचलित सूखा पड़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगभग 35% की वृद्धि हुई। फिर भी राज्य का आर्थिक विकास काफी अस्थिर गति से हो रहा है। यह भविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती है। राज्य के आर्थिक विकास की अस्थिरता को कम करने की आवश्यकता है।

72 राजस्थान की पावर की स्थिति बतइये।

उत्तर- 1991-92 में राजस्थान में विद्युत सृजन क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो गयी है। 1989-90 में 2711 मेगावाट क्षमता में जल विद्युत क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल 1292 मेगावाट व आणविक (nuclear) 462 मेगावाट थी। राज्य के स्वयं के स्वामित्व की क्षमता काटा धर्मल पावर स्टेशन (KTPS) की प्रमुख मानी गयी है। राज्य का अशर सतपुरा, भाखडा नागल, व्यास I (देहर) व्यास II (पोग) व चम्बल परियोजना में है। इसके अलावा राज्य को सिंगरोली रिहन्द, अता ओरेयूय, राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओं में से भी विद्युत आर्बोटित की जाती है।

इनमें जल विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं -

(i) भाखडा नागल, (ii) व्यास इकाई I व इकाई II (iii) गाँधी सागर, (iv) राणा प्रताप सागर, (v) जवाहर सागर। (तीनों चम्बल परियोजना के अन्तर्गत) (vi) माही बजाज सागर परियोजना के शक्ति गृहों से।

धर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं (i) सतपुरा, (ii) सिंगरोली (iii) राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र, कोटा इकाई I व II (iv) कोटा धर्मल पावर संयंत्र। 1980-81 में पावर की कमी 96% थी जो 1987-88 में 30% हो गई। अठारवीं योजना में पावर की माँग व पूर्ति का अन्तर 40% हो जाने का अनुमान है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

73 राजस्थान किस प्रकार विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ?

अथवा

राजस्थान में विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाने के नये प्रयामों का परिचय दीजिए।

उत्तर- कोटा धर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण (Stage I) को 1983 में चालू किया गया था। इसमें 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ थीं। द्वितीय चरण (Stage II) में 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं, जिनमें 210 मेगावाट की प्रथम इकाई 25 सितम्बर 1988 को चालू की गयी। इसी क्रम की द्वितीय इकाई 210 मेगावाट की 1 मई 1989 को चालू की गई। तृतीय चरण की एक इकाई आठवीं योजना में चालू की जायेगी। इसकी भी क्षमता 210 मेगावाट होगी। अतः कोटा धर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की पावर सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ii) अन्नूपगढ मिनी हाइडल स्कीम से विद्युत प्राप्त की जायेगी।

(iii) 850 करोड़ रुपये के व्यय से बीकानेर के बरसिंगसर में नैवेली लिग्नाइट निगम 240 मेगावाट क्षमता (2 × 120 मेगावाट) का एक प्रोजेक्ट लगा रहा है। इस पर चार वर्ष में उत्पादन चालू होने की सम्भावना है। बाद में इसकी क्षमता बढ़ायी जा सकती है।

(iv) राज्य सरकार ने नेशनल धर्मल पावर कारपोरेशन को अन्ता में गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इसकी क्षमता भी बढ़ायी जा सकती है। भविष्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान में विद्युत की कमी काफी सीमा तक दूर की जायेगी। अन्ता गैस प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा 10.8% रखा गया है। सूरतगढ़ मागरोल, दायाँ मुख्य नहर, माही, पूगल तथा चारणवाला लघुपन बिजली की परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन चालू कर दिया जायेगा। इससे 12 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। केन्द्र ने सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना (420 मेगावाट) स्वीकृत कर दी है। धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं मिली है हालांकि पहले स्वीकृति मिल जाने के सकेत प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ में सेन्चुरी टेक्सटाइल व इण्डस्ट्रीज लि को 420 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना का लाइसेंस जारी किया गया है। आशा है इन सबसे राज्य के लिए विद्युत-सृजन क्षमता का विस्तार होगा। राज्य को ओरध्या गैस से भी विद्युत मिलेगी।

74 राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर- 1989-90 के अंत तक राज्य में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 19873 तथा सदस्य संख्या 703 लाख व्यक्ति हो गयी थी। प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 5269 तथा उनकी सदस्य संख्या 497

लाख थी। राज्य में 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके हैं। सहकारी ऋणो (अल्पकालीन मध्यम कालीन तथा दीर्घकालीन) के सम्बन्ध में 1993-94 के लिए कुल 21550 करोड़ रुपये के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अल्पकालीन ऋणों की राशि 160 करोड़ रुपये मध्यमकालीन ऋणों की राशि 75 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋणों की 48 करोड़ रुपये है। सरकार ने 18 लाख किसान परिवारों को 500 करोड़ रुपये की ऋण राहत राशि (debt relief) प्रदान की है।

75 राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के नये कार्यक्रम बताइये।

उत्तर- (i) कोटा में सोयाबीन का तेल निकालने का कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम है। इससे कोटा बूदी झालावाड चित्तौडगढ़ व बासवाडा के हजारों कार्तकारों को लाभ होगा।

(ii) गगानगर (2) जालौर, नागौर, झुन्झुनू व सवाई माधोपुर में सरसो के छ सयत्र लगाने का कार्यक्रम है। सरसो रायडा व तोरिया की सप्लाई से कृषकों की आमदनी बढ़ेगी।

(iii) गगानगर में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वस्त्र की मिल स्थापित करने की योजना है। इसमें आयातित मशीनरी का उपयोग होगा। इससे रोजगार में वृद्धि होगी। इस प्रकार वनस्पति तेल व वस्त्र उद्योग में सहकारी क्षेत्र में इकाइयाँ स्थापित करने के कार्यक्रम हैं। तिलम सघ कई स्थानों पर तेल के सयत्र स्थापित करेगा।

76 राजस्थान की आठवीं योजना (1992-97) में मार्जिनिक परिव्यय का प्रस्तावित आवंटन बताइये।

उत्तर कृषि ग्रामीण विकास व सहकारिता पर 20.1% सिंचाई व शक्ति पर 45% उद्योग व खनन पर 4.7% परिवहन पर 6.8% सामाजिक सेवाओं पर 21.4% तथा शेष 2% अन्य पर रखा गया है। इस प्रकार सिंचाई व शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मार्जिनिक क्षेत्र में कुल प्रस्तावित व्यय 11500 करोड़ रुपये रखा गया है। यह आठवीं योजना के प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये के व्यय से काफी ऊँचा है।

77 राजस्थान में विक्री मूल्य की दृष्टि से चार बड़े खनिजों के नाम लिखिए।

उत्तर- मगमरमर, राक फास्फेट, मेडस्टोन व ताबा।

78 रीको का परिचयात्मक विवरण दीजिए।

उत्तर- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि अथवा रीको

नवम्बर 1969 में स्थापित किया गया था। इससे मूलतया राजस्थान राज्य खनन विकास निगम अलग करके 1979 में रीको की स्थापना की गई। रीको के कार्य इस प्रकार हैं। (i) औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों का निर्माण करना, (ii) सार्वजनिक, संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, (iii) औद्योगिक शोयर पूंजी/अभिगोपन को व्यवस्था करना, (iv) औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट तैयार करवाना, (v) रियायतें व प्रेरणाओं को व्यवस्था करना। रीको की स्वयं की चालू परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- घड़ी तथा टू-वे रेडियो संचार उपकरण परियोजनाएँ। राजस्थान कम्प्यूनिवेशन लि इसकी सहायक कम्पनी है। पहले की टी वी सेट बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि नामक सहायक इकाई को इन्स्ट्रुमेण्टेशन लि कोटा को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

79 'संयुक्त क्षेत्र' की अवधारणा स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर- 'संयुक्त क्षेत्र' के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों का एक साथ अस्तित्व पाया जाता है। प्रायः पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र से आती है तथा प्रबन्ध निजी हाथों में होता है। पिछले वर्षों में संयुक्त क्षेत्र का समर्थन सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों की कमियाँ दूर करने के लिए किया गया। निजी क्षेत्र में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए संयुक्त क्षेत्र के विकास का समर्थन किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयास से उत्पन्न होता है। चोटों की निजी कम्पनियों को संयुक्त क्षेत्र में लाने से कई प्रकार की समस्याएँ हल हो जाती हैं। संयुक्त क्षेत्र में लाकर इनका विकास करने व पैमाने की किफायतें प्राप्त करने से समस्त समाज को लाभ पहुँचता है। इनका तकनीकी विकास सुगम हो जाता है। राष्ट्रीयकरण किये बिना उद्योगों को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित करने की सरल विधि संयुक्त क्षेत्र का विकास करने की होती है। लेकिन आजकल इसकी लोकप्रियता कम हो गयी है।

80 सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में अन्तर करे।

उत्तर- सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है। संयुक्त क्षेत्र में सरकार का भीको के माध्यम से इक्विटी में प्रायः 26% अंश होता है। इसका प्रबन्ध निजी हाथों में सौंपा जाता है। सहायता प्राप्त क्षेत्र में रीको का इक्विटी या शोयर पूंजी में प्रायः 10-15% तक अंश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सगठन होते हैं। आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत्त्व

बढ़ गया है।

81 राजस्थान में 'सयुक्त क्षेत्र' में औद्योगिक प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर- राज्य में पिछले वर्षों में सयुक्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन चालू किया है। सयुक्त क्षेत्र में कई इकाइयों उत्पादन में सलग्न हैं। इनमें कई इकाइयों कार्पेट यार्न तथा सिंथेटिक यार्न बना रही हैं। शेष इकाइयों रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं। राजस्थान एक्सप्लोजिव एण्ड केमिकल्स लि धौलपुर में विस्फोटक (detonators) बनाये जाते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लि (REIL), कनकपुरा (जयपुर) में विद्युत मिल्क टेस्टर (tester) (दूध विश्लेषक यंत्र) बनाये जाते हैं। यह इकाई कोटा इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि की सहायक होने के नाते केन्द्रीय इकाई के अन्तर्गत भी आ सकती है। वित्तीय व अन्य कठिनाइयों के कारण राज्य में सयुक्त क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ गयी है। इसकी कुछ इकाइयों रुग्ण भी हो गई हैं जिससे इस क्षेत्र के विकास में कमी आयी है। कुछ इकाइयों ने रीको की शेरर पूंजी स्वयं लेकर (buyback agreement) के माध्यम से इन्हे निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया है।

82 राजस्थान वित्त निगम व राज्य के वित्त विभाग में अन्तर कीजिए।

उत्तर- राजस्थान वित्त निगम 1955 में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया था। अब इसकी प्रति इकाई वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। यह परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज देता है। उदार ऋण स्कीम में इमका काम काफी बढ़ा है।

राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालय में एक विभाग होता है जो सरकार के वित्त सम्बन्धी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह बजट निर्माण में सहायता देता है तथा सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। वित्त विभाग प्रत्येक नये वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन (memorandum) प्रस्तुत करता है जिसमें 5 वर्षों की अवधि के लिए आय व्यय के अनुमान होते हैं। इनके आधार पर वित्त-आयोग राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।

83 "राजसीको" को भूमिका समझाइये।

उत्तर- "राजसीको" का पूरा अर्थ है 'राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation)। यह 1964 में स्थापित किया गया था। यह कच्चे माल जैसे कोयला/कोक इस्पात सीमेन्ट, जस्ता आदि का वितरण करता है। इसने दस्तकारों के एम्पोरियम तथा गलीचा प्रशिक्षण

केन्द्र स्थापित किये हैं। इसने चुरू व लाडनूँ में ऊनी मिलें टोक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री तेन्दू की पत्तियों के सग्रह की व्यवस्था तथा सागानेर एयरपोर्ट पर निर्यात की सुविधा के लिए एक 'एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स' स्थापित किया है। राजसीको लघु उद्योगों के विकास के लिये कार्य करता है।

- 84 राजस्थान के आर्थिक जीवन में खादी व ग्रामोद्योगों का क्या स्थान है ?
 उत्तर राज्य में सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 1991-92 में लगभग 31 करोड़ रुपये की ऊनी व सूती खादी का उत्पादन हुआ था। इस उद्योग में काफी लोग अल्पकालिक व पूर्णकालिक काम पाये हुए हैं। ग्रामोद्योग से घानी का तेल, गुड व खाडसारी हाथ का कागज अखाद्य तेल से बनी साबुन घमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन मधुमक्खी पालन व धान को हाथ से कूट कर छिलका हटाने आदि के काम शामिल हैं। ग्रामोद्योग के उत्पादन का मूल्य 1991-92 में 185 करोड़ रुपये हुआ था। खादी व ग्रामोद्योग का रोजगार, आमदनी व निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की दृष्टि से बहुत महत्व है। ये ग्रामवासियों के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ हैं।
- 85 राजस्थान सरकार ने नये उद्योगों को बिक्री कर में क्या छूटें दी हैं ?
 उत्तर राज्य सरकार की मई 1987 की घोषणा के अनुसार पिछड़े जिलों में नये उद्योगों को सात वर्ष तक तथा विकसित जिलों में पाँच वर्षों तक बिक्री कर में छूट दी गयी थी। छूट की सीमा पिछड़े जिलों में छोटे उद्योगों के लिए स्थायी परिसम्पत्ति का सौ प्रतिशत तथा बड़े उद्योगों के लिए 90% तक की गयी थी। विकसित जिलों के लिए ये क्रमशः 85% व 75% तक थीं। पायनियरिंग व 'प्रेस्टीजियस' उद्योगों के लिए 2 अतिरिक्त वर्षों की बिक्री कर की छूट दी गयी थी। 10 लाख रुपये से अधिक विनियोजन वाले उद्योगों को कर मुक्ति की बजाय कर-आस्थगन (Tax defement) की सुविधा भी दी गयी थी जिसके लिए सम्बन्धित इकाई अपना विकल्प दे सकती थी। जनवरी 1991 की नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए बिक्री कर की छूटों व रियायतों को जारी रखा गया है। इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को बिक्री कर के सम्बन्ध में विशेष सुविधाएँ दी गयी हैं।
- 86 1993-94 के अत तक राजस्थान के बजट में अपूरित घाटे की राशि कितनी रखी गयी है ? इसको पूरा करने के क्या उपाय हैं ?
 उत्तर 1993-94 के बजट में समग्र घाटा 162.4 करोड़ रुपये दिखाया गया है जबकि 1992-93 के सशोधित अनुमानों में 57 करोड़ रुपये की बचत रही थी। यह घाटा कुछ सीमा तक आने वाले वर्ष के दौरान करों की बेहतर वसूली केन्द्र से अधिक प्राप्तियों गैर आवश्यक व अनुत्पादक खर्च

मे कमी, आदि से पूरा किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी व सुदृढ किया जायेगा तथा सरकारी व्यय पर कडा नियन्त्रण रखा जायेगा। लेकिन यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है। राज्य की वित्तीय दशा सतोषजनक नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण 1993-94 का बजट मार्च 1993 में ससद में प्रस्तुत किया गया था ताकि छ महीनों के सरकारी व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

87 राजस्थान राज्य के स्वयं के प्रमुख करो के नाम लिखिए। इनमें सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है।

उत्तर- बिक्री कर, भू राजस्व राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, वाहनो पर कर तथा मनोरजन कर। बिक्री कर से सर्वाधिक आय होती है जो 1993-94 के बजट-अनुमानों में राज्य के कुल कर-राजस्व (tax revenue) का 34% आकी गयी है। (बिक्री-कर से राजस्व 1039 करोड रुपये जो कुल कर राजस्व 3086 करोड रुपये का लगभग 34% है)। कुल कर-राजस्व में राज्य के स्वयं के कर-राजस्व के अलावा केन्द्रीय करो का अंश भी शामिल होता है (आयकर व सघीय उत्पादन-शुल्क का अंश)।

88 राजस्थान के फेक्ट्री-क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी उत्पादित होती है।

उत्तर- सीमेंट, चीनी, यूरिया, सुपर फास्फेट, बाल बियरिंग, विद्युत मोटर, नमक, पोलियोस्टर धागा आदि।

89 आठवीं योजना का सशोधित कार्यकाल क्या रखा गया है।

(अ) 1990-95

(ब) 1992-97

(स) अभी निश्चित नहीं

उत्तर- (ब)

90 राजस्थान में कुछ नये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के नाम व स्थान बताइये।

उत्तर- (i) कीन्जल इण्डियन सामे लि, भिवाडी (Kienzle Indian Samay Ltd, Bhiwadi), यहाँ क्वार्टेज क्लॉक टाइमिंग मूवमेन्ट का उत्पादन किया जाता है।

(ii) राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि भिवाडी में इलेक्ट्रॉनिक्स पुरा बटन व टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है।

(iii) एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि, उदयपुर में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटों में याददास्त का काम करने हेतु 'फ्लोपी डिस्कट्स'

बनाये जाते हैं।

- (iv) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लि., जयपुर, विद्युत मिल्क टेस्टर (दूध विश्लेषक यंत्र) (रीको के सहयोग से)।
- (v) इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि., भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स (Resistors)।
- (vi) सेमटेल (Samtel) इण्डिया लि., भिवाड़ी- यह ब्लोक एण्ड व्हाइट टी वी पिकचर द्यूब कम्पेनेन्ट बनाती है।
- (vii) टेली द्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स लि. भिवाड़ी- यह भी ब्लोक एण्ड व्हाइट टी वी द्यूब्स (कंपोनेन्ट) बनाती है।
- (viii) पुन्सुमी इण्डिया लि., भिवाड़ी- यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेसोर्टर्स बनाती है।

91 'औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर- राजस्थान में रीको, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में देश के अन्य भागों में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान से आकर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन औद्योगिक अभियानों में सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्तारों की आमने-सामने बातचीत होती है और विभिन्न शकशों व आशकाओं का समाधान किया जाता है। ऐसे औद्योगिक अभियान पिछले वर्षों में बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी व शिलोंग आदि में चलाये गये हैं। इनके माध्यम से सरकार नये उद्यमकर्तारों से सम्पर्क करती है और अभियान के दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास करती है।

92 आर्थिक क्षेत्र में उदारता की नीति से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर- भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में उदारता की नीति अपनायी है। इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणों को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है। जुलाई 1991 में सरकार ने रुपये का लगभग 18 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल व उदार बनाया था। नई औद्योगिक नीति में (MRTP) कम्पनियों के लिए परिसम्पत्ति की सीमा हटा दी गई तथा विदेशी कम्पनियों को 51% तक इक्विटी की स्वतः इजाजत दी गयी। सरकार फिस्कल घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है।

93 क्या राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करके केवल अकाल निवारण हेतु एक पंचवर्षीय कार्यक्रम या योजना को कार्यान्वित करना अधिक श्रेयस्कर होगा ?

उत्तर- केन्द्रीय नियोजन की पद्धति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर भी योजना के वर्तमान स्वरूप को ही जारी रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा सुदृढ़ विकल्प प्रतीत नहीं होता। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का सन्तुलित व शीघ्र विकास करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रम को इस तरह ढाला जाना चाहिए कि यह अकाल व सूखे से हमें यथासम्भव अधिकाधिक राहत दिला सके।

94 राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई बताइए।
उत्तर- (1991-92 में 1751 किलोमीटर)

95 राजस्थान में 1989-90 में प्रति व्यक्ति पावर का वार्षिक उपभोग बताइए।
उत्तर (183 किलोवाट घंटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 214 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष)

96 राजस्थान में जिलों तहसीलों पंचायत समितियों ग्राम पंचायतों व गाँवों की संख्या बताइए।

उत्तर- (जिले = 30 (तीन नये जिलों दौसा, राजसमन्द व बारा को मिलाने पर) 1991 में तहसीले = 213 पंचायत समितियाँ = 237 ग्राम पंचायतें = 7358 कुल गाँव = 39810) (इसमें बसे हुए गाँव 37890 थे) ।

97 नवे वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (1990-95) की सिफारिशों के अनुसार कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश कितना रहा है ?

- (अ) 8% (ब) 6.15%
(स) 6% (द) 7%

उत्तर- (ब)

98 1990-95 के लिए नवे वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का कुल अन्तरण कितने करोड़ रुपये रहा तथा उसका मदवार वितरण दीजिए ।

उत्तर कुल अन्तरण लगभग 6525 करोड़ रुपये वार्षिक 1300 करोड़ रुपये कुल अन्तरित राशि का वितरण मदवार इस प्रकार है

(1990-95)	(करोड़ रुपये में)
(i) आयकर में अंश	1012
(ii) मूल उत्पाद शुल्क में अंश	3064
(iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	504

(iv) रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान	34
(v) योजना भिन्न रेवेन्यू की पूर्ति के लिए	486
(vi) योजना में रेवेन्यू-घाटे के अंश के बतौर	960
(vii) राहत-व्यय के लिए अनुदान	465

कुल 6525

99 चवे बित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व आय या प्राप्तियों का कितना प्रतिशत राज्यों को अन्तरित किया गया है।

(अ) 25% (ब) 22.74% (स) 27% (द) 28%

उत्तर- (ब)

100 स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- यह अनुसूचित जाति के लिए बनायी जाती है ताकि ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व में हिस्सा प्राप्त कर सकें एवं इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिल सके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों के निर्माण आदि पर जोर दिया जाता है तथा महत्तमों की पुनर्स्थापना पर बल दिया जाता है। पिछले वर्षों में कुल योजना के परिव्यय का 17% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया गया है जो जनसंख्या में इनके अनुपात (17%) के अनुरूप रहा है।

101 इनका विस्तार कीजिए।

(i) IFFCO (ii) KRIBHCO (iii) NAFED (iv) GAIL (v) REDA

उत्तर- (i) Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Ltd

(ii) Krishak Bharti Cooperative Ltd

(iii) National Agricultural Cooperative Marketing Federation

(iv) Gas Authority of India Ltd

(v) Rajasthan Energy Development Agency

102 1991-92 में राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ ?

(अ) 25 लाख टन

(ब) 27 लाख टन

(स) 20 लाख टन

(द) 22 लाख टन

उत्तर- (ब)

- 103 राजस्थान की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का परिचय दीजिए ?
 उत्तर योजना आयोग ने 11 जुलाई 1990 को 113 करोड़ रुपये की इस सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। यह आठवीं योजना (1992-97) में क्रियान्वित की जायेगी। इसके अन्तर्गत हरियाणा व राजस्थान में नहर प्रणाली का निर्माण किया जायेगा, जिससे श्री गगानगर जिले में भादरा व नोहर तहसीलों में कुल 33620 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी।
- 104 कृषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात में कौन सी वस्तुएँ आती हैं ?
 उत्तर चाय, काफी चावल, कपास तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू मसाले, खली फल सब्जी फलों का रस, सामुद्रिक पदार्थ मास व मास से बने वस्तुएँ तथा चीनी।
- 105 1991-92 में भारत के कुल निर्यातों में कृषिगत निर्यातों का अंश कितना था ?
 (अ) 40% (ब) 30%
 (स) 18.7% (द) 20%
- उत्तर (स)
- 106 भारत के छ निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के नाम लिखिए ?
 उत्तर (i) कादला मुक्त व्यापार क्षेत्र
 (ii) सान्ताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र
 (iii) मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र
 (iv) नोइडा (NOIDA) (New Okhla Industries Development Area)
 (v) फाल्टा
 (vi) कोचीन
- 107 विस्तार कीजिए।
 (i) TRIPS (ii) TRIMS
- उत्तर- (i) Trade related Intellectual Property Rights
 (ii) Trade related Investment Measures
- 108 गन्धेती 'सहब' योजना क्या है ?
 उत्तर यह श्री गगानगर, चुरू व झुन्झुनू जिलों के 354 ग्रामों को इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें नये ग्राम शामिल करने का विचार है। इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है।

109. 'राजस्थान विकास कोष' का उद्देश्य बताइए।

उत्तर- यह प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग लेने के लिए बनाया गया है। इसमें सरकार अपनी तरफ से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक योगदान देगी। इस कोष का उपयोग राज्य में पेयजल, पशु-संरक्षण, शिक्षा व सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में किया जायेगा।

110 यमुना नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पांच जिलों की पेयजल समस्या का स्थाई हल सम्भव है ?

उत्तर- भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुन्झुनूँ और चुरू जिले।

111 राजस्थान में बारह मास बहने वाली नदियों के नाम बताइए।

उत्तर- चम्बल व माही के अलावा कोई नदी बारह मास नहीं बहती।

112 हथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है ?

(अ) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा

उत्तर- (स)

113 रेणुका बाँध किस राज्य में है ?

(अ) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश

उत्तर- (स)

114 निम्न में से कौन-सा बाँध दिल्ली की पेयजल समस्या का समाधान कर पायेगा ?

(अ) हथिनी कुण्ड बाँध (ब) रेणुका बाँध (स) दोनों

उत्तर- (ब)

115 नाथपा-झाकड़ी परियोजना का परिचय दीजिए।

उत्तर- 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा-झाकड़ी जल-विद्युत-परियोजना हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी ऊर्जा निगम द्वारा बनायी जा रही है। इसमें राजस्थान का 15.22 प्रतिशत दावा बनता है।

116 कोल परियोजना किस राज्य की है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो सकता है ?

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश सरकार की जल-विद्युत परियोजना है। 20 जून 1984 को एक समझौते के अनुसार 800 मेगावाट की नियोजित क्षमता में से राजस्थान को 63 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी और इसे 75 प्रतिशत व्यय देना था। लेकिन अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम को सँपि जाने के बाद राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से

वंचित कर दिया गया है जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति की है।

117 जैसलमेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए।

उत्तर- (1) मनहर टीबा क्षेत्र (2) तनोट क्षेत्र।

118 पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना चाहिए ?

उत्तर- नीलकण्ठ भर्तृहरि बाला किला।

119 भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी पन बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई है ?

उत्तर- 336 मेगावाट की चुखा पन बिजली परियोजना। परियोजना में चार इकाइयाँ हैं (प्रत्येक 84 मेगावाट की) जो चालू कर दी गयी हैं। यह भूटान में व भारतीय सीमा पर अनेक स्थानों को बिजली देती है।

120 सूनी नदी का परिचय दीजिए।

उत्तर- यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकल कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। यह वर्षाकालीन नदी है।

121 बनास नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ?

उत्तर- बनास नदी अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी में मिल जाती है।

122 चम्बल नदी का मार्ग बताइए।

उत्तर- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है, तथा यह राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना में मिलती है।

123 राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है ?

उत्तर- 1990 में राजस्थान में नमक का उत्पादन 10 55 लाख टन हुआ जबकि 1990-91 में भारत में 126 5 लाख टन हुआ था। इस प्रकार राजस्थान का अंश 8 3% रहा।

124 1990-91 में राजस्थान में कृषि से चालू कीमतों पर राज्य की आय में कितना अंश रहा ?

(अ) 50% (ब) 47 1% (स) 55%

उत्तर- (ब)

125 1990-91 में राजस्थान में कृषि से स्थिर (1980-81) कीमतों पर राज्य की आय में कितना अंश रहा ?

(अ) 48 8% (ब) 52% (स) 45%

उत्तर- (अ)

126 1990-91 में राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र का अंश राज्य की आय में 1980-81 की कीमतों पर छाँटिए :

(अ) 10.25% (ब) 8% (स) 12%

उत्तर- (अ)

127 राजस्थान की आय (SDP) में निम्न में से किसका अंश सबसे ऊँचा है?

(अ) वन (ब) खनन (स) निर्माण (Construction)

उत्तर- (स)

128 राजस्थान में 1990-91 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना था तथा वह भारत का कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 1990-91 में राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल = 46.52 लाख हैक्टेयर, भारत में 708 लाख हैक्टेयर, अतः राजस्थान का अंश 6.6% रहा।

129 1991-92 में राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना हुआ और यह भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 27 लाख टन (राजस्थान), भारत में उत्पादन = 186 लाख टन। अतः राजस्थान का अंश = 14.5%

130 बिक्री-मूल्य की दृष्टि से राजस्थान में निम्न में से किस खनिज पदार्थ का सर्वोच्च स्थान है ?

(अ) ताम्बा (ब) जस्ता (स) मार्बल

उत्तर- (ब)

131 1990-91 में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था ?

उत्तर- 39 लाख हैक्टेयर।

132 राजस्थान में 1991-92 में 6-11 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात छाँटिये।

(अ) 91.3% (ब) 92% (स) 75%

उत्तर- (अ)

133 'लोक-जुम्बिरा' का अर्थ समझाइये।

उत्तर- लोक-जुम्बिरा' का अर्थ है लोक-आकर्षण या ताकत। यह शिक्षा को एक व्यापक स्कीम है जिसमें स्वीडन के सहयोग से राजस्थान में साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायेगा। इस महती योजना के अन्तर्गत आगामी दस वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे प्रारम्भिक

शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, शाला भवनों का निर्माण व अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे।

134 राजस्थान में पूर्ण साक्षरता के लिये 1990-91 में किस जिले को चुना गया था ?

(अ) अलवर (ब) अजमेर (स) जयपुर (द) सभी

उत्तर- (ब)

135 1991-92 में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत चयनित जिले बताइये।

उत्तर- भरतपुर, सीकर व डूंगरपुर।

136 राजस्थान में हाल में तेल के विशाल भण्डार कहाँ व कितनी मात्रा वाले मिले हैं ?

उत्तर- अप्रैल 1992 में बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र में तेल के करीब साढ़े तीन करोड़ टन के भण्डार मिले हैं।

137 राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सार्वजनिक पर्यावरण का आकार कितना रखा गया है ?

(अ) 10,800 करोड़ रुपये (ब) 10,451 करोड़ रुपये

(स) 11,500 करोड़ रुपये (द) 9,560 करोड़ रुपये

उत्तर- (स)

138 राजस्थान में पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गम्भीर समस्या क्या है ?

(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु प्रदूषण

(स) जल का अभाव (द) वनों का हास

(ए) मिट्टी का कटाव

उत्तर- (स)

139 राजस्थान में किन स्थानों पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किये जाते हैं ?

उत्तर- (i) श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाडा (बाड़मेर)

(ii) बल्देव मेला, मेडता सिटी (नागौर)

(iii) वीर तेजाजी मेला परबतसर (नागौर)

(iv) रामदेव मेला नागौर

(v) गोमती सावर मेला, झालरापाटन (झालावाड)

(vi) गोगामेडी मेला, गोगामेडी (श्रीगंगानगर)

- (vii) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर)
- (viii) जसवत मेला (भरतपुर)
- (ix) चन्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़)
- (x) शिवरात्रि मेला, करौली (सवाई माधोपुर)

140 विस्तार कीजिए •

- (i) OECF
- (ii) CAZRI

उत्तर- (i) Overseas Economic Cooperation Fund (यह जापान का कोष है जिसके तहत अन्य देशों को विकास कार्यों में सहायता दी जाती है)

(ii) Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur

141 SIDA व CIDA क्या है ।

उत्तर- SIDA = Swedish International Development Agency

CIDA = Canadian International Development Agency

इनसे राजस्थान को विकास-कार्यों में सहायता प्राप्त होती है।

142 ओजोन परत के क्षीण होने से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं ?

उत्तर- चर्म-केन्सर व आँखों की मोतियाबिन्द।

143 1990-91 में प्रचलित कीमतों पर किस राज्य की प्रति-व्यक्ति आय सर्वाधिक थी ?

उत्तर- पंजाब की 8281 रुपये, दूसरा स्थान गुआ का 7634 रुपये।

144 1990-91 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 1980-81 की कीमतों पर कितना योगदान रहा ?

उत्तर- 33.5% (लगभग 1/3)

145 1950-51 में यह कितना था ?

उत्तर- 56.5%

146 द्वितीय कृषि क्रांति से क्या आशय है ?

उत्तर- यह वर्षाश्रित क्षेत्रों में होगी जहाँ सूखी खेती की विधियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जायेगा। इसके लिये जलग्रहण विकास कार्यक्रम व सिंचाई के लिये फव्वारा-विधि व ड्रिप सिंचि का उपयोग किया जायेगा। यह देश के पूर्वी भागों में भी अपनायी जायेगी। इसके द्वारा दालों व तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा।

147 राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास की सम्भावना किस प्रकार के उद्योगों की मानी गयी है ?

- (अ) कृषि-आधारित (ब) वन-आधारित
(स) इलेक्ट्रॉनिक्स (द) खनिज-आधारित

उत्तर- (द)

148 व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम में फ़िन फसलो की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया है ?

उत्तर सोयाबीन तुम्बा मेहंदी इसबगोल व फलाप्यादन।

149 राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये चार ठोस उपाय सुझाइए।

उत्तर (i) राज्य को स्पेशल श्रेणी के रज्यों में शामिल कर लिया जाये जिससे अनुदानों का अंश 90% व कर्ज का अंश 10% हो जायेगा

(ii) सम्पूर्ण अकाल सहायता अनुदानों के रूप में दी जाय,

(iii) राजकीय उपक्रमों से लाभ अर्जित किये जाये निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयों को सुधारा जाये (इन्हे निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है अथवा श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करके इन्हे बंद किया जा सकता है)।

(iv) राज्य सरकार अनुत्पादक व व्यर्थ खर्च में कटौती करे।

150 1991 92 में चार नये कालेज कहाँ कहाँ खोले गये हैं ?

उत्तर बालोतरा बयाना सलुम्बर, व भवानी मड़ी।

151 राजस्थान में प्रति कृषक शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 1988 89 में कितना रहा?

उत्तर 2 42 हैक्टेयर।

152 राजस्थान में 1985 86 में जेतों का औसत आकार क्या था ?

उत्तर 4 34 हैक्टेयर।

153 राजस्थान में 1985 86 में सीमांत जेतों कितनी थीं ?

उत्तर 13 58 लाख (एक हैक्टेयर तक)।

154 1985 86 में राजस्थान में कुल कार्यशील जेतों कितनी थीं ?

उत्तर- 17 43 लाख (मशीनित)।

155 राजस्थान में 1990 91 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा तथा उसमें सर्वोपरि स्रोत कौन सा रहा ?

उत्तर- 46 52 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचित क्षेत्र) कुओ (नल कूपों सहित) = 26 6 लाख हैक्टेयर ।

156 राजस्थान में 1991-92 में उर्वरकों का कुल वितरण कितना रहा ?

उत्तर 4.41 लाख टन।

157 राजस्थान में 1991-92 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का वितरण कितना हुआ ?

उत्तर- लगभग 1.44 लाख क्विंटल।

158 वर्ष 1990-91 में राज्य के 39 राजकीय उपक्रमों (सहकारी उपक्रमों सहित) का कुल घाटा कितना हुआ ?

(अ) 100 करोड़ रुपये (ब) 89 करोड़ रुपये

(स) 81 करोड़ रुपये (द) 150 करोड़ रुपये

उत्तर- (ब)

159 राजस्थान के राजकीय उपक्रमों को सातवें योजना की अवधि में (1985-90) में कुल घाटा कितना हुआ ?

उत्तर 395 करोड़ रुपये

160 अलवर को पर्वतमाला के नाम पर, भवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के नाम पर, धौलपुर को मगरमच्छों के नाम पर तथा भरतपुर को पक्षी विहार के नाम पर केन्द्र अपने अधिकार में क्यों लेना चाहता है ?

उत्तर पर्यावरण सतुलन के लिए।

161 मानसी बाकल योजना के निर्माण में किनका कितना हिस्सा होगा?

उत्तर 30% योगदान हिन्दुस्तान जिंक लि. का तथा शेष राजस्थान सरकार का। प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

162 राजस्थान को पंजाब की किन किन जल विद्युत परियोजनाओं में हिस्सा मिलना चाहिए जिनमें बिजली का उत्पादन होने लग गया है ?

उत्तर आनदपुर साहिब परियोजना मुकेरिया परियोजना तथा यू.बी.डी.सी. चरण II में। ये बन चुकी हैं तथा इनमें बिजली का उत्पादन होने लग रहा है।

163 इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विकास कार्य किसके सहयोग से चल रहा है ?

उत्तर जापान के 107 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग से। जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कापेरेशन फण्ड (O.E.C.F.) में यह राशि प्रदान की जायगी।

164 जनसंख्या नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किये गये दो कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- (i) दो से अधिक बच्चों वाले पर पंच या सरपंच के द्वारा लड़ने पर रोक (निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर)

(ii) दो बच्चों के बाद नसबंदी कराने वालों को लडकी के नाम एक हजार रुपये का बाढ़ खरीदकर देने की राजलक्ष्मी योजना का शुभारम्भ किया गया है।

165 पार्वती जल विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए ।

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्लु के निकट) 4 हजार करोड़ रुपये के व्यय से 7 वर्षों में तीन चरणों में पूरी की जायगी। कुल क्षमता = 2051 मेगावाट।

इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा -

	(प्रतिशत में)
(1) हिमाचल प्रदेश	5
(2) राजस्थान	40
(3) गुजरात	15
(4) सघीय प्रदेश दिल्ली	15
(5) हरियाणा	25
कुल 100	

166 राज्य के 1993-94 के बजट-अनुमानों में राजस्व घाटा कितना दर्जया गया है?

- (अ) 100 करोड़ रुपये
 (ब) लगभग 200 करोड़ रुपये
 (स) 47 करोड़ रुपये
 (द) कोई नहीं

उत्तर- (ब)

167 राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व की मदों में सर्वाधिक राजस्व किस मद से होता है ?

उत्तर- व्याज की प्रणियाँ, लाभारा व मुनाफे ।

1993-94 के बजट में 938 करोड़ रुपये कुल गैर कर राजस्व में अनुमानित हैं इनमें से 427 करोड़ रुपये की राजस्व अकेले उपयुक्त मद के अन्तर्गत रखा गया है। इसमें भी व्याज में प्राप्त राशियाँ 424.7 करोड़ रुपये हैं और शेष 2.6 करोड़ रुपये लाभारा व मुनाफों में हैं जो बहुत कम हैं।

168 राजस्थान को 1992-93 के संशोधित अनुमानों में सघीय उत्पादन-शुल्क में से कितना हिस्सा प्राप्त हुआ ?

उत्तर- लगभग 780 करोड़ रुपये।

169 राजस्थान में हाल के वर्षों में राजस्व-व्यय के अन्तर्गत ब्याज के भुगतानों की वार्षिक राशि बतलाइए।

उत्तर- 1992-93 के संशोधित अनुमानों में 743 करोड़ रुपये, 1993-94 के बजट अनुमानों में 895 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणों, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं व अन्य जमाओं पर दिये गये ब्याज की राशियाँ दर्शायी जाती हैं।

1993-94 में इतनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेना व अधिक जमाओं पर ब्याज की अदायगी का भार है।

170 राजस्थान में वर्तमान प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि इंगित करिए। इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ?

उत्तर- 1992-93 के संशोधित अनुमानों में 406 करोड़ रुपये, 1993-94 के बजट अनुमानों में 436 करोड़ रुपये।

इसमें लोक सेवा आयोग (PSC), सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, पुलिस, जेल, स्टेशनरी, व छपाई, पब्लिक वर्क्स व अन्य खर्च शामिल होते हैं।

171 राजस्थान में शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर वार्षिक-व्यय की राशि सूचित करिए।

उत्तर- 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 1024.3 करोड़ रुपये। यह व्यय सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

172 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल कर-राजस्व (Tax revenue) का कितना अंश रहा ?

उत्तर- प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय = 406 करोड़ रुपये

कुल कर-राजस्व = 2799 करोड़ रुपये

प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अंश = 14.5%

173 1992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की राशि कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ?

उत्तर- ब्याज के भुगतान = 743 करोड़ रुपये

कुल कर-राजस्व = 2799 करोड़ रुपये

अनुपात = 26.5% (1/4 से कुछ अधिक)

174 राजस्थान में 1991 में साक्षरता दर क्या रही ?

(अ) 55% (ब) 38.55% (स) 40% (द) 28%

उत्तर- (ब)

175 राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कृषित क्षेत्र पर उर्वरकों का उपभोग 1990-91 में कितना रहा ?

उत्तर- 19.57 किलो प्रति हेक्टेयर।

176 राजस्थान में 1981-91 की अवधि में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (exponential growth rate) कितनी रही ?

उत्तर- 2.50 प्रतिशत

177 1991 के लिए राजस्थान में कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों (total workers) का अनुपात अर्थात् काम में भाग लेने की दर लिखिए

(i) सभी व्यक्तियों में (ii) पुरुषों में (iii) स्त्रियों में

उत्तर- (i) 38.9% अथवा 39%

(ii) 49.3%

(iii) 27.4%

इस प्रकार दो में से एक पुरुष काम में भाग लेता है और लगभग चार में से एक स्त्री काम में भाग लेती है।

178 1991 में राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु में बच्चों का अनुपात कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत रहा ?

(अ) 10 (ब) 20 (स) 25 (द) 15

उत्तर- (ब)

179 मार्च 1990 तक राजस्थान में विद्युतीकृत गाँवों का कुल गाँवों से कितना प्रतिशत था ?

उत्तर- 74.9 अथवा लगभग 75

(चार में से तीन गाँवों में बिजली दी जा चुकी थी)

180 1991 में राजस्थान में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर कितनी रही ?

(अ) 80 (ब) 78 (स) 77 (द) 110

उत्तर (स)

(स्रोत Economic Survey 1992-93 p 198)

181(अ) 1987-88 में योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनता अनुपात (poverty ratio) कितना था ?

(अ) 20% (ब) 28% (स) 18% (द) 24.4%

उत्तर- (द)

181(ब) 1 जनवरी 1991 को राजस्थान में प्रति अस्पताल बिस्तर पर जनसंख्या कितनी पायी गयी ?

उत्तर- 2000

182 1989-90 की अवधि में कुल भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का अंश कितना था ?

(अ) 5% (ब) 5.2% (स) 8% (द) 3%

उत्तर (अ)

183 1992 में प्रति लाख जनसंख्या पर अस्पताल बिस्तर कितने थे ?

उत्तर 75

184 राजस्थान में सामान्य धोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है ?

(अ) 1981-82 (ब) 1970-71 (स) 1952-53 (द) 1982

उत्तर (स)

185 1991-92 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय चालू भावों पर तथा 1980-81 के भावों पर लिखिए।

उत्तर चालू भावों पर 4361 रुपये 1980-81 के भावों पर 1717 रुपये।

186 राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य रख रखाव, आदि कौन सा निगम या सगठन देखता है ?

(अ) रीको (ब) आर एफ सी
(स) राजसीको (द) उद्योग निदेशालय
(ए) सभी

उत्तर (अ)

187 राजस्थान में सबसे ज्यादा लागत वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रोजेक्ट की राशि नाम, स्थान आदि लिखिए।

उत्तर 500 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका की कोर्निंग क के सहयोग से) टी वी पिक्चर ट्र्यूब्स के लिए ग्लास शेल, झोटा में स्थापित।

188 1993 के प्रारम्भ में राजस्थान में प्रस्तावित सीमेन्ट के बड़े कारखाने का परिचय दीजिए।

उत्तर- डी एल एफ सीमेन्ट लि द्वारा पल्ली जिले में पाटन कैरपुरा व दयालपुरा गाँवों के समीप 410 करोड़ रुपये की लागत से पोर्टलैंड सीमेन्ट का कारखाना स्थापित किया जायगा।

189 सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ लिखिए।
 उत्तर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सागानेर हवाई अड्डे के समीप है। यह गोनेर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुरा- बम्बई बड़ी रेल लाइन खुल जाने से इसका महत्व बढ़ गया है। यहाँ गारमेट, इलेक्ट्रोनिक्स, जेम्स व ज्यूलरी तथा दस्तकारियों के लिए पृथक-पृथक क्षेत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भी कम किया जा सकेगा। इसे जयपुर के सहायक नगर के रूप में विकसित किया जा सकता है।

190 1992-93 में गौरी की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है ?

उत्तर 3050 करोड़ रुपये के विनियोग वाले 79 प्रोजेक्टों से 'टाइ-अप' किया गया है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

191 मार्च 1990 के अंत में राजस्थान में समस्याग्रस्त गाँवों (Problem Villages) की संख्या कितनी रह गई थी ?

उत्तर 2443

इसमें सर्वाधिक संख्या 460 चित्तौड़गढ़ जिले में पायी गयी थी।

192 1961-90 की अवधि में राजस्थान में 1980-81 के मूल्या पर विकास की दर कितनी रही ?

(अ) 3.99% (ब) 5%

(स) 3.50% (द) 2.2%

उत्तर (अ)

193(अ) उपरोक्त अवधि में राज्य में स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि-दर क्या रही ?

(अ) 2% (ब) 1.22% (स) 3% (द) 1%

उत्तर- (ब)

193(ब) राजस्थान में जल साधन समस्त भारत के जल-साधनों का कितना प्रतिशत अंश है ?

(अ) 0.5% (ब) 1% (स) 2% (द) 5% (ए) अनिश्चित

उत्तर- (ब)

194 राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़ों के प्रमुख चार स्रोत बताइए।

उत्तर (i) Statistical Abstract of Rajasthan, DES, Jaipur (Annual) 1989 (latest)

(ii) Rajasthan Budget study

(Annual) (प्रतिवर्ष बजट के समय DES, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है)

(iii) Draft Annual Plan

1993-94 (latest) (Planning Department, Govt. of Raj)

(iv) Some Facts About Rajasthan

1992 (DES, Jaipur) (Annual publication, pocket-size)

195 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) को सर्वाधिक घाटा किस वर्ष व कितना हुआ ?

उत्तर- 1989 90 में 168 60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो सर्वाधिक था।

196 गंगा एक्शन प्लान के चरण II में किन नदियों के प्रदूषण को दूर करने का कार्यक्रम है ?

उत्तर- यमुना व गोमती।

197 राजस्थान के आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन-सा है ?

(अ) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि

(ब) जल का नितांत अभाव

(स) बिजली की कमी

(द) सड़कों की दुर्दशा

(ए) सभी

उत्तर- (ब)

198 राजस्थान के आर्थिक विकास में किसके योगदान का महत्त्व माना जायेगा?

(अ) सूखी छेती की विधियों का अपनाया जाना,

(ब) खनन विकास

(स) पर्यटन विकास

(द) सभी का

उत्तर- (द)

199 राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों का भविष्य सबसे ज्यादा उज्ज्वल माना जायेगा ?

(अ) कृषि-पदार्थों पर आधारित उद्योग,

(ब) खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योग

(स) पशु-धन पर आधारित उद्योग तथा

(द) इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग

उत्तर- (ब)

200 केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आवंटन का सूत्र लिखिए :-

उत्तर- (i) 10% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता है, (होम-स्टेट को देने की व्यवस्था)

(ii) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 वर्षों में दी गई केन्द्रीय योजना सहायता की राशि व इन्हीं वर्षों में उनमें की गई ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखकर वितरित की जाती है। इन दोनों तत्वों को समान भार दिया जाता है।

(iii) 15% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आवंटित किये (unallocated) रख लेता है ताकि वह व्यक्तिगत राज्यों की समय-समय पर उत्पन्न होने वाली शीघ्र आवश्यकता (urgent need) की पूर्ति कर सके। जल-विद्युत का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण उचित किस्म का होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ मिल सके।

University Of Rajasthan

B.A./B.Sc. (Part I) EXAMINATION, 1993

(10+2+3 Pattern) ECONOMICS - Second Paper

(Economy Of Rajasthan)

Attempt Five questions in all

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाइये जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है। 20(15)
2. राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए और बताइये कि वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। 12,8(9,6)
3. राज्य धरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं ? राजस्थान के राज्य धरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति एवं बनावट का वर्णन कीजिये। 4,8,8(3,6 6)
4. भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं ? स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान में भूमि सुधार नीति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। 5,15(4,11)
5. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिये। राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गये प्रयासों का वर्णन कीजिये। 8,12(6 9)
6. राजस्थान में अकाल के कारणों का विवेचन कीजिये। राज्य में इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का वर्णन कीजिये। 8,12(6,9)
7. राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं रियायतों का वर्णन कीजिये। 20(15)
8. राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है ? 12,8(9,6)
9. राजस्थान में निर्धनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिये। राज्य में गरीबी उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिये। 8,12(9,6)
10. किन्हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये - 10,10(7 1/2, 7 1/2)
 - (i) राजस्थान में फसल प्रारूप
 - (ii) जवाहर रोजगार योजना,
 - (iii) राजस्थान में पर्यटन उद्योग,
 - (iv) राजस्थान में भेड़ एवं बकरी पालन की समस्याएँ।